IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

15 जुलाई 2021

The Manager (Listing)	The Manager (Listing)
BSE Ltd.,	National Stock Exchange of India Ltd.,
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, 5th Floor,
Dalal Street, Fort,	Plot No. C/1, G Block,
Mumbai – 400 001	Bandra Kurla Complex, Bandra(E),
	Mumbai – 400 051

Dear Sir/Madam,

Annual Report for FY 2020-21

In terms of Regulation 34 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report of IDBI Bank for the FY 2020-21 along with the Notice of the 17th AGM of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

भवदीया,

कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

15/7/2021

[ज्योति नायर]

कंपनी सचिव

संलग्न: उपर्युक्त

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN L65190MH2004GOI148838
पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005
फोन-(022) 66552711/ 3147
ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के सदस्यों की **17वीं वार्षिक महासभा मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त 2021 को अपराह्न 2.00 बजे पूरी तरह से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम)** से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगीः

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा यथा 31 मार्च 2021 को बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

2. सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएनः 07459492), भारत सरकार की नामिती निदेशक की आवर्तन निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

3. श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएनः 02262530), उप प्रबंध निदेशक की आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

4. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः-

   "संकल्प किया जाता है कि जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139-142 तथा इस संबंध में अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, आरबीआई के दिशानिर्देशों, बैंक के संस्था बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों तथा तत्समय लागू किसी भी कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुसरण में, मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 100515 डब्ल्यू) एवं मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 004532 एस) की बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में सत्रहवीं वार्षिक साधारण सभा के समापन से लेकर वर्ष 2024 में आयोजित होने वाली बीसवीं साधारण सभा के समापन तक की अवधि के लिए पद धारित करने, रिजर्व बैंक के वार्षिक आधार पर अनुमोदन के अधीन, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति/ बोर्ड द्वारा अनुशंसित और व्याख्यात्मक विवरण में दी गई शर्तों और मानदंडों व वार्षिक पारिश्रमिक/ शुल्क पर तथा बोर्ड/ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को नियुक्ति की शर्तों और मानदंडों को फेरबदल करने एवं बदलने और शेष कार्यकाल के दौरान पारिश्रमिक में सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ आपसी सहमति से संशोधित करने के अधिकार के साथ नियुक्ति के लिए सदस्यों की सहमति दी जाए और एतदद्वारा दी जाती है ''

IDBI BANK LIMITED
CIN L65190MH2004GOI148838
Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai- 400 005,
Phone-(022) 66552711 / 3147
E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the **17th Annual General Meeting** of the Members of **IDBI Bank Limited** will be held on **Tuesday, August 10, 2021 at 2:00 p.m. exclusively through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM),** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2021 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the audited consolidated Financial Statements of the Bank and the report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2021;

2. To re-appoint Ms. Meera Swarup (DIN: 07459492), Government Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers herself for re-appointment;

3. To re-appoint Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN: 02262530), Deputy Managing Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

4. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:-

   "RESOLVED THAT pursuant to Sections 139-142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949, RBI Guidelines, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other laws or guidelines applicable, if any, for the time being in force, the consent of members be and is hereby accorded to appointment of M/s G.D. Apte & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 100515 W) and M/s Varma & Varma, Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004532S), as Joint Statutory Auditors of the Bank, to hold office from the conclusion of Seventeenth Annual General Meeting till the conclusion of the Twentieth Annual General Meeting to be held in the year 2024, subject to approval of RBI on an annual basis, on such terms & conditions and at an annual remuneration/ fees as recommended by the Audit Committee of the Board/ Board and given in the explanatory statement, with a power to the Audit Committee of the Board/ Board to alter and vary the terms and conditions of appointment, revision in the remuneration during the remaining tenure, in such manner and to such extent as may be mutually agreed with the Statutory Auditors."

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय या प्रासंगिक ऐसे सभी कृत्यों, मामलों, कार्यों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है, जिनमें कंपनी रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक फॉर्म दाखिल करने तथा इस संबंध में अन्य सभी आवश्यकताओं का पालन करना शामिल है, लेकिन उस तक सीमित नहीं है.''

विशेष कारोबार

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और/या कोई अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देशों के अनुसरण में और बैंक के बहिर्नियम एवं संस्था अंतर्नियम के अनुसार, तथा इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, के अधीन बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) को भारत में या विदेश में, प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल ₹ 7500/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) तक के इक्विटी शेयर, जोकि बाजार मूल्य पर छूट(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक वर्तमान शेयरधारकों/सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) [अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार, स्थानन दस्तावेज़ के माध्यम से तथा ऐसे मूल्य और निबंधनों एवं शर्तों पर जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए], या ऐसी अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों, या निवेशकों की अन्य श्रेणी जिन्हें वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अभिदान के लिए प्राधिकृत किया गया हो, सहित पर यहीं तक सीमित नहीं, को बोर्ड द्वारा उचित समझे गए तरीके से ऑफर, जारी और आबंटन करने के लिए बैंक के सदस्यों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन(क्यूआईपी), ईएसपीएस, ईएसओपी और/ या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा यह कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन लागू और सम्बद्ध कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड के पास यह प्राधिकार होगा कि वह लागू और संबद्ध विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों और उनके क्यूआईपी के निर्गम मूल्य और निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए सम्बद्ध तारीख तय करे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** किसी क्यूआईपी के संबंध में इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा."

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर डिमैट रूप में जारी किए जाएंगे और सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होने के अधीन एवं समरूप होंगे तथा बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे."

"RESOLVED FURTHER THAT Board be and is hereby authorized to do all such acts, matters, deeds and things necessary or desirable in connection with or incidental to give effect to the above resolution, including but not limited to filing of necessary forms with the Registrar of Companies and to comply with all other requirements in this regard."

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2018, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and subject to the approvals, if any, of the Relevant Authorities, as may be required in this regard, consent of Members of the Bank, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank ('the Board') to offer, issue and allot by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹ 10/- each and aggregating upto ₹ 7,500 crore (inclusive of premium amount, if any), whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, from time to time in one or more tranches, including but not limited to one or more of the existing shareholders/members, employees of the Bank, Qualified Institutional Buyers (QIBs) [pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), through a placement document and at such price and such terms and conditions as may be determined in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations] or such other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to subscribe to the equity shares of the Bank as per the extant regulations/guidelines, as deemed appropriate by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of Public Issue, Rights Issue, Qualified Institutional Placement (QIP), ESPS, ESOP and/or on a Private Placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the applicable and relevant laws/guidelines, as the Board may deem fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide the issue price and the relevant date for determination of the Issue price including for QIP of the equity shares as per the applicable and relevant regulations/ guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the allotment of equity shares shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution in respect of a QIP."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares shall be issued in demat form and shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, by the Bank."

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और अपेक्षित एजेंसियों से ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने, यदि कोई हो, के लिए, जिसे आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझे तथा इक्विटी शेयरों के ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, आदि करने, जो बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे जाएं, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो संबद्ध कानूनों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत हो."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को इसके अंतर्गत प्रदत्त अपने सभी या कोई भी अधिकार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक और/या किसी समिति, जो इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए गठित की जाए/की गई है, को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 52 और 66, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 17(2), सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 11 और 37 और अन्य लागू सांविधिक/विनियामकीय प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और इस संबंध में अन्य अपेक्षित प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन, यथा 01 अप्रैल 2021 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते में यथा दर्शित ₹ 50719.75 करोड़ जमा शेष राशि का उपयोग कर ₹ 45396.18 करोड़ के कुल संचित हानि का समंजन करने के संबंध में शेयर पूंजी कम करने की योजना को लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों की संस्तुति और इस संबंध में सेबी/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अपने दिनांक 27 अप्रैल 2021 के अवलोकनों /एनओसी द्वारा और दिनांक 14 जून 2021 के रिजर्व बैंक के पत्र द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार प्रभावी करने के लिए सभी संबद्ध कार्य करने की सहमति बैंक के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाए तथा एतदद्वारा प्रदान की जाती है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** उपर्युक्त संकल्प के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति को उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने, जिसमें आवश्यक या वांछनीय समझे जाने पर संकल्प के प्रभावी कार्यान्वयन और इस संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान के लिए अपने सम्पूर्ण विवेकाधिकार पर बैंक के कार्यपालकों को प्राधिकार देना शामिल है, के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 14 तथा संबद्ध अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और अन्य लागू कानून/क़ानूनों, तथा रिजर्व बैंक के

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including execution of such deeds, documents and agreements with the required agencies, if any, as deemed necessary, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the offer, issue, allotment of equity shares and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, variations, etc. as regards the terms and conditions, as deemed fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members."

"RESOLVED FURTHER THAT such of those equity shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible under relevant laws/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Managing Director & CEO or to the Deputy Managing Directors or any other Senior Executive of the Bank and/or to any Committee which may be/have been constituted to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution."

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Sections 52 and 66 of the Companies Act, 2013, Section 17(2) of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act), Regulations 11 and 37 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and other applicable statutory/regulatory provisions, if any, and subject to the approvals of National Company Law Tribunal (NCLT) and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the members of the Bank be and is hereby accorded to the Scheme of Reduction of Share Capital for setting off accumulated losses aggregating to ₹ 45396.18 crore by utilizing the balance of ₹ 50719.75 crore standing to the credit of Securities Premium Account as on April 01, 2021 and all related actions to be carried out for giving effect to the above proposal, as recommended by the Audit Committee, the Board, Independent Directors and approved by SEBI/Stock Exchanges vide their observation letter/NOC dated April 27, 2021 and by RBI vide their letter dated June 14, 2021 in this regard."

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board for the said purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including delegating authority to Executives of the Bank as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other applicable provisions, if any, of the Relevant Acts, Rules

दिनांक 27 मई 2021 के अनुमोदन के अनुसार, बैंक के सदस्यों द्वारा बैंक के संस्था अंतर्नियम में निम्नानुसार परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाए तथा एतदद्वारा प्रदान की जाती है.''

संशोधित अंतर्नियम

अंतर्नियम 116

1. बोर्ड का गठन ऐसी पद्धति से किया जाएगा जो अधिनियम, सूचीबद्धता विनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अधीन और समय-समय पर रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाए. निदेशक मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगेः

    i. बोर्ड द्वारा नियुक्त अध्यक्ष,

    ii. बोर्ड द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,

    iii. बोर्ड द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक उप प्रबंध निदेशक,

    iv. एलआईसी के दो नामिती निदेशक,

    v. भारत सरकार के दो नामिती निदेशक,

    vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149 (4) की शर्तों के अनुसार, शेयरधारकों की महासभा में 8 गैर आवर्तनीय स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष सहित) प्रत्येक 4 वर्ष की क्रमानुगत अवधियों के लिए अधिकतम 8 वर्ष की अवधि के अधीन नियुक्त होंगे, लेकिन ऐसे स्वतंत्र निदेशक, निदेशक के रूप में समाप्ति के तीन वर्ष के बाद ही नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो उपर्युक्त अधिनियमों/विनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा.

    vii. उपर्युक्त क्रम सं. (iii) से (v) तक के निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के प्रावधानों के अनुसार महासभा में आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के अधीन होंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे.

    viii. निदेशक मण्डल में कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक होंगी.

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीजें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के एमडी एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** श्री भुवनचन्द्र बालकृष्ण जोशी (डीआईएन : 06713850), जिनको आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में 09 अक्तूबर 2017 से लगातार 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो 08 अक्तूबर 2021 को अपनी आरंभिक अवधि पूरी करेंगे तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) की शर्तों के अनुसार पात्र होने के कारण और एनआरसी एवं बोर्ड की सिफ़ारिश पर जिन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया है, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(vi) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) के अनुसार, 09 अक्तूबर 2021 से लगातार 4 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए बोर्ड में

and Regulations, and other applicable law(s), if any, and as approved by RBI vide their letter dated May 27, 2021, consent of the Members of the Bank be and is hereby accorded for alteration of Articles of Association of IDBI Bank, as follows:

Amended Article:

Article 116

1. The Board shall be constituted in such manner as may be prescribed under the Act, the Listing Regulations, the Banking Regulation Act and RBI guidelines, as applicable from time to time. The Board of Directors shall include:

    i. The Chairman appointed by the Board;

    ii. One whole time Managing Director & CEO appointed by the Board;

    iii. Two whole time Deputy Managing Directors appointed by the Board;

    iv. Two Nominee Directors of LIC;

    v. Two Nominee Directors of GoI;

    vi. 8 Non Rotational Independent Directors (including chairman), appointed by shareholders in General Meeting in terms of Sec 149(4) read with Schedule IV of Companies Act, 2013 for two consecutive terms of 4 years each, total term not exceeding 8 years but such independent director shall be eligible for appointment after the expiration of three years of ceasing to be an independent director, subject to fulfilling the criteria laid down in the aforesaid Acts/Regulations;

    vii. Directors at Sl. No (iii) to (v) shall be subject to retirement by rotation at the AGM in terms of the provisions of Section 152(6) of the Companies Act, 2013 and shall be eligible for re-appointment;

    viii. At least one Independent Woman Director to be on the Board of Directors.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** Shri Bhuwanchandra Balkrishna Joshi (DIN 06713850) who was appointed as Independent Director on the Board of IDBI Bank Ltd. for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. October 09, 2017 and who would be completing his initial term on October 08, 2021 and, in terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013, being eligible, who on recommendation of NRC and Board, has offered himself for re-appointment, be and is hereby re-appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A of the Banking Regulation

स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है. वे आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे.''

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** श्रीमती पी. वी. भारती (डीआईएनः 06519925), जिनको नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफ़ारिश पर संस्था अंतर्नियम के नियम 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) की शर्तों के अनुसार 14 जनवरी 2021 से आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा निदेशक के रूप में जिनकी अवधि आगामी वार्षिक महासभा की तारीख को समाप्त होने वाली है और जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन बैंक के निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को सूचित करते हुए एक नोटिस प्राप्त हुआ है, तथा एनआरसी और बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में जिनकी नियुक्ति की सिफ़ारिश की है, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(vi) एवं (viii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) के अनुसार, 14 जनवरी 2021 से लगातार आरंभिक 4 वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है. वे आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के के लिए दायी नहीं होंगी.''

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएनः 06846594

पंजीकृत कार्यालयः

आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई- 400005.

दिनांकः 14 जुलाई 2021

टिप्पणियां :

1. मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सहित) इसके साथ संलग्न हैं.

2. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक दूरी के मानदंड का पालन करना है और कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020, 5 मई 2020 के परिपत्र सं. 20/2020 के साथ पठित दिनांक 13 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. 02/2021 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ /सीएफ़डी /सीएमडी1 /सीआईआर /एफ़ /2020/79 के साथ पठित दिनांक 15 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी1/ सीआईआर/ एफ़/ 2020/ 11 के अनुसरण में सदस्य आगामी वार्षिक महासभा (एजीएम) में अपनी उपस्थिति एवं सहभागिता वीसी/ ओएवीएम माध्यम से दर्ज करा सकते हैं.

3. कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र के सं. 14/2020 के साथ पठित 13 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. 02/2021 के अनुसरण में, इस वार्षिक महासभा में सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त कर उनके लिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. तथापि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से

Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank for the second term of 4 consecutive years w.e.f. October 09, 2021."

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT Smt. P.V. Bharathi (DIN 06519925) who, on recommendation of Nomination and Remuneration Committee (NRC), was appointed as Additional Director by the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. January 14, 2021 in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association and who would cease to be such Director on the date of the ensuing Annual General Meeting and in respect of whom, a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying her candidature for the office of Director of the Bank, was received and the NRC and Board recommended her appointment as Independent Director, be and is hereby appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) and (viii) of the Articles of Association of the Bank, to hold office initially for a term of 4 consecutive years w.e.f. January 14, 2021."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:

IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: July 14, 2021

NOTES:

1. Explanatory Statement in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith.

2. In view of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/F/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/ OAVM.

3. Pursuant to the Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates

वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए पात्र हैं और इस प्रकार वे वार्षिक महासभा में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान कर सकते हैं.

4. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता कर सकते हैं. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आएं पहले पाएं आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं जिन्हें पहले आएं पहले पाएं आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना महासभा में भाग लेने की अनुमति है.

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना करने के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी.

6. बैंक, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्रों के साथ पठित 13 जनवरी 2021 के परिपत्र के अनुसरण में महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही महासभा के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

7. कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 13 जनवरी 21 के परिपत्र सं. 02/2021 के अनुपालन में वार्षिक महासभा में बुलाए जाने की नोटिस बैंक की वेबसाईट www.idbibank.in पर अपलोड की गई है. यह नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com से भी देखी की जा सकती है. वार्षिक महासभा का नोटिस एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है.

8. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में कम से कम तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए उपस्थित होने पर पूरा होगा.

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत

are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate there at and cast their votes through e-voting.

4. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

5. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

6. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated January 13, 2021 read with April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

7. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

8. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.

9. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Private Limited at their address at Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board

कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66553147/2711/3062, ईमेलः idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

10. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार महासभा के दौरान निरीक्षण के लिए रजिस्टर उपलब्ध रहेगा जिसके लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली https://www.evoting.nsdl.com/पर लॉगिन करना होगा.

11. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसारः

    i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

    ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.

    iii) लॉगइन आईडी के ब्योरे इस नोटिस में नीचे दिए गए हैं.

12. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **बुधवार, 4 अगस्त 2021 से मंगलवार, 10 अगस्त 2021** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक **3 अगस्त 2021** (दिनांत), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, **5 अगस्त 2021 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) शुरू होगी और सोमवार, 9 अगस्त 2021 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिन सदस्यों के नाम सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में यथा रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख), अर्थात 3 अगस्त 2021 को दर्ज हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रोनिक पद्धति से दे सकते हैं. शेयरधारकों के मताधिकार यथा निर्दिष्ट तारीख, जो 3 अगस्त 2021 है, को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार वोट करूं?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार ''दो चरण '' शामिल हैं:

चरण 1 : एसएनडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर एक्सेस करना

अ) ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन पद्धति तथा डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होना

Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No.(022) 66553147/2711/3062, E-mail: idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

10. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

11. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :

    i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

    ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

    iii) Details of login id are given below in this Notice.

12. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, August 4, 2021 to Tuesday, August 10, 2021** (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **August 3, 2021** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The **remote e-voting period** begins on and from **Thursday, August 5, 2021 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Monday, August 9, 2021 at 5.00 P.M. (IST).** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. August 3, 2021, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being August 3, 2021.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा पर दिनांक 09 दिसंबर 2020 सेबी के परिपत्र की शर्तों के अनुसार, डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों को डिपॉजिटरियों या डिपॉजिटरी सहभागियों के पास खोले गए डिमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी जाती है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा एक्सेस करने के लिए अपने डिमैट खाते में अपने मोबाईल नंबर और ई-मेल अद्यतन करें.

डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है:

शेयरधारक का प्रकार	**लॉगिन की पद्धति**
वैयक्तिक शेयरधारक जो एनएसडीएल के पास डिमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. यदि आप **एनएसडीएल की आईडीईएएस सुविधा** के लिए पहले से पंजीकृत हैं तो कृपया आप एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट पर जाएँ. व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://eservices.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें. ई-सेर्विसेस का होम पेज खुलते ही ''Login'' के अंतर्गत ''**Beneficial Owner**'' आइकॉन पर क्लिक करें जो ''**IDeAS**'' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप ई-वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे. ई-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत ''**Access to e-Voting**'' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या e-Voting service provider - NSDL पर क्लिक करें और इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 2. यदि यूजर आईडीईएएस आई-सर्विसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. ''**Register Online for IDeAS**'' पोर्टल सिलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें.

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	**Login Method**
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	1. If you are already registered for **NSDL IDeAS facility,** please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the **"Beneficial Owner"** icon under **"Login"** which is available under **"IDeAS"** section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on options available against Bank name or e-Voting service provider - NSDL and you will be re-directed to NSDL e-Voting website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS"** Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp

	3.	एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही ''Login'' आइकॉन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास 16 अंकों का आपका खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपोजिटॉरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या e-Voting service provider - NSDL पर क्लिक करें और इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.
वैयक्तिक शेयरधारक जो सीएसडीएल के पास डिमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1.	वर्तमान यूजर जिन्होंने Easi / Easiest का चुनाव किया है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. Easi/Easiest को लॉगिन करने हेतु यूजर के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है तथा इसके बाद New System Myeasi पर क्लिक करें.
	2.	Easi/Easiest का सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद यूजर ई-वोटिंग मेनू भी देख पाएंगे. मेनू के पास **ई-वोटिंड सर्विस प्रदाता, अर्थात एनएसडीएल** के लिंक होंगे. अपना मतदान करने के लिए **NSDL** पर क्लिक करें,
	3.	यदि यूजर Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है.
	4.	विकल्प के तौर पर, यूजर www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डिमैट खाता संख्या और पैन नंबर मुहैया करा कर सीधे ई-वोटिंग

	3.	Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon **"Login"** which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on options available against Bank name or e-Voting service provider - NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1.	Existing users who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi.
	2.	After successful login of Easi/Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of **e-Voting service provider i.e. NSDL.** Click on **NSDL** to cast your vote.
	3.	If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration
	4.	Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in

	पेज एक्सेस कर सकते हैं. प्रणाली डिमैट खाते में रिकॉर्ड पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर का सत्यापन करेगी. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद यूजर को संबन्धित ईएसपी, अर्थात **एनएसडीएल** के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां ई-वोटिंग चल रहा है.
वैयक्तिक शेयरधारक (जो डिमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) जो अपने डिपॉज़िरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीएसडीएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉज़िटरी सहभागी के माध्यम से अपने डिमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग संबंधी विकल्प देख पाएंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/सीएसडीएल के डिपॉज़िटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या e-Voting service provider - NSDL पर क्लिक करें और इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हों वे उपर्युक्त वेबसाइट पर Forget User ID एवं Forget Password विकल्प का उपयोग करें.

डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए एनएसडीएल एवं सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरों के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हेल्पडेस्क.

लॉगिन स्वरूप	**हेल्पडेस्क विवरण**
एनएसडीएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण evoting@nsdl.co.in पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबरों 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 को कॉल कर एनएसडीएल की हेल्पडेस्क पर संपर्क करें.
सीडीएसएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा 022-23058738 या 022-23058542-43 को कॉल कर सीडीएसएल की हेल्पडेस्क पर संपर्क करें.

	www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP i.e. **NSDL** where the e-Voting is in progress.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on options available against Bank name or e-Voting service provider-NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	**Helpdesk details**
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43

आ) **डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वाले गैर वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति**

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें.

2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर ''Login'' आइकॉन पर क्लिक करें जो ''Shareholders/ Member'' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.

3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

   विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं. अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉग-इन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् ''Cast your vote electronically'' की तरफ बढ़ सकते हैं.

4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं:

शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है :
क) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल के डीमैट खाते में हैं.	8 अक्षरों-अंकों से युक्त डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा.
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल डीमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12 ************** है तो आपका यूजर आईडी 12 ************** होगा.
ग) उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	ईवीईएन संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और ईवीईएन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. **वैयक्तिक शेयरधारक से इतर शेयरधारक के पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं :**

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

B) **Login Method for non-individual members holding shares in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.**

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.

2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. **Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:**

   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करते समय, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.

ग) आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल खोलें और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलिओ संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपका 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' दिया होगा.

(ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आप नीचे उन शेयरधारकों संबंधी प्रक्रियाओं में उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं.

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ''**Forgot User Details/Password?**'' पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).

ख) www.evoting.nsdl.com पर ''**Physical User Reset Password?**'' विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).

ग) यदि उपर्युक्त दो विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलिओ संख्या, अपने पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए ''Agree to Terms and Conditions'' पर टिक करें.

8. अब आपको ''Login'' बटन पर क्लिक करना होगा.

9. ''Login'' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुलेगा.

was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on **"Forgot User Details/ Password?"** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) **Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रोनिक रूप से करें और एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर महासभा में शामिल हों.:

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करना है और महासभा में शामिल कैसे होना है?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के ''EVEN'' देख पाएंगे, जिनमें आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग साइकिल और महासभा एक्टिव स्थिति में हैं.

2. आप उस बैंक का ''EVEN'' चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा में मतदान करना चाहते हैं. वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको ''Join General Meeting'' के अंतर्गत ''VC/OAVM'' लिंक पर क्लिक करना होगा.

3. अब वोटिंग पृष्ठ खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.

4. उपयुक्त विकल्प, अर्थात् ''Assent'' या ''Dissent'' (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें. आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा ''Submit'' पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर ''Confirm'' पर क्लिक करें.

5. पुष्टिकरण के बाद, ''Vote Cast Successfully'' संदेश प्रदर्शित होगा.

6. आप पुष्टीकरण पृष्ठ पर ''Print'' विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

7. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1 संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

2. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/ Password?'' या ''Physicai Reset Password?'' के विकल्प पर जाना होगा.

3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तथा 'शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल' देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर श्री संजीव यादव, सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल को अनुरोध मेल भेज सकते हैं.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

2. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/ OAVM" link placed under "Join General Meeting".

3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.co.in

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर कागजी स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ट और पृष्ठ भाग दोनों), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.

2. यदि शेयर डिमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी+सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर लिस्ट अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप चरण 1 (अ) में बताई पद्धति से लॉगिन करें. **अर्थात डिमैट पद्धति में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति का उपयोग करें.**

3. विकल्प के तौर पर सदस्य ऊपर पैरा (1) अथवा (2) , जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पते पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी व डिपॉजिटरी सहभागी के पास खोले गए डिमैट खाते के माध्यम से ई-वोटिंग करने की अनुमति दी गई है. इस ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों को अपने डिमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही तरीके से अद्यतन करना होगा.

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के समान है.

2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर मतदान नहीं किए हैं और जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे.

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. तथापि, वे वार्षिक महासभा में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

4. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जैसा रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master list or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**

3. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.

3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

वीसी/ओएवीएम के जरिए महासभा में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य **एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली** के लिए एक्सेस संबंधी उपर्युक्तआनुसार बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक्सेस कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप कंपनी के नाम के सामने ''Join General Meeting'' के अंतर्गत ''VC/OAVM'' लिंक देखेंगे. आपसे अनुरोध है कि ''Join General Meeting'' मेनू के अंतर्गत ''VC/OAVM'' लिंक पर क्लिक करें. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीईएन प्रदर्शित की जाएगी. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें पुनः प्राप्त (रिट्रीव) कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्य लैपटॉप के जरिए बैठक में भाग लें तो ज्यादा सहूलियत होगी.

3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे के लिए अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की रुकावट को टाला जा सके.

4. कृपया नोट करें कि मोबाईल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाईल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अतः स्थिर वाई-फ़ाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.

5. बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं और अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने अनुरोध 4 अगस्त 2021 की सुबह 9.00 बजे से 6 अगस्त 2021 की शाम 5.00 बजे तक (बैंक के ई-मेल पते idbiequity@idbi.co.in) पर भेज सकते हैं. बैंक वार्षिक महासभा के लिए उपलब्ध समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखता है.

6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से 4 अगस्त 2021 की सुबह 9.00 बजे से 6 अगस्त 2021 की शाम 5.00 बजे तक (बैंक के ई-मेल पते idbiequity@idbi.co.in) पर भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.

7. जिन सदस्यों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया है केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system.** After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General meeting" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

5. Shareholders who would like to register themselves as a speaker during the meeting may send their request mentioning their name, demat account number/ folio number, email id, mobile number at (Bank's email id: idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on August 4, 2021 till 5.00 p.m. on August 6, 2021. Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for AGM.

6. Shareholders who would like to express their views/ have questions may send their questions in advance mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at (Bank's email id: idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on August 4, 2021 till 5.00 p.m. on August 6, 2021. The same will be replied by the Bank suitably.

7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

8. एजीएम से पहले या इसके दौरान सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के संबंध में किसी भी सहायता के लिए एनएसडीएल से 1800-222-990 पर संपर्क करें अथवा श्री संजीव यादव को sanjeevy@nsdl.co.in पर मेल करें.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो महासभा सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 9 जूलाई 2021 के बाद और 3 अगस्त 2021 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं.

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 9 जुलाई 2021 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 3 अगस्त 2021 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 3 अगस्त 2021 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयरों की संख्या, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''Forgot User Details/ Password?'' अथवा ''Physical User Reset Password?'' विकल्प का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 3 अगस्त 2021 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धार 12(2) के अनुसार आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित वोटिंग कैप के अधीन होंगे.
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/ Password?'' अथवा ''Physical User Reset Password?'' विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 9 अगस्त 2021 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो 3 अगस्त 2021 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं हैं, वे इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझें.

8. Members who need assistance regarding VC/OAVM before or during the AGM, can contact NSDL on 1800-222-990 or email to Mr. Sanjeev Yadav at sanjeevy@nsdl.co.in

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., July 9, 2021 and upto August 3, 2021 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from July 9, 2021 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till August 3, 2021 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of August 3, 2021, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password?"option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of August 3, 2021 subject to Voting Cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the Banking Regulation Act, 1949.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Monday, August 9, 2021 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on August 3, 2021, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice as for information only.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नॉलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, ईमेलः einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022 - 66552711/3147/3062) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर संपर्क करें.

13. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न आने की स्थिति में सुश्री अश्विनी वर्तक को संवीक्षक नियुक्त किया है.

14. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 12 अगस्त 2021 को या उससे पूर्व बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी सूचित किए जाएंगे.

15. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है. अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे उस डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पैन प्रस्तुत करें जिसके पास उनके डीमैट खाते हैं. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य आईडीबीआई बैंक/ केफिन टेक्नोलॉजिस प्रा.लि. को अपना पैन प्रस्तुत कर सकते हैं.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने आज की तारीख तक ईमेल-आईडी (यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं किया है, अनुरोध किया जाता है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.

02. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/ एमआईआरएसडी/डीओपी1/ सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार, जिसमें निर्गमकर्ता कंपनी और आरटीए को कागजी रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले सभी प्रतिभूति धारकों के पैन कार्ड तथा बैंक खाते के ब्योरों की प्रति एकत्र करने के निर्देश दिये गए थे, बैंक के उन सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर कागजी स्वरूप में हैं से अनुरोध है कि वे पहले जिस शेयरधारक का नाम दिया गया है उसके और अन्य सभी संयुक्त शेयरधारकों के पैन कार्ड की प्रति/प्रतियाँ और बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर उपलब्ध अपेक्षित फॉर्म में बैंक खाते के ब्योरे (यदि पहले प्रस्तुत न किए हों तो) प्रस्तुत करें. विधिवत भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लखित दस्तावेजों सहित उसमें दिये गए पते पर प्रस्तुत किया जाए. इससे सेबी के उपर्युक्त के अनुपालन और शेयरधारक/कों के अधिदेशित बैंक खाते में रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश (यदि कोई घोषित किया गया हो) के भुगतान में सुविधा होगी.

For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Private Limited, RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032, Toll Free No.1800-345-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005 (022-66552711/3147/3062) or NSDL-Toll Free No. 1800 222 990.

13. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Ms. Ashwini Vartak, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

14. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before August 12, 2021 by displaying the same on Bank's Website www.idbibank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

15. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to the Depository Participant with whom they are maintaining Demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to IDBI Bank/ KFin Technologies Pvt. Ltd.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/ CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, directing the issuer company and RTA to collect copy of PAN card and Bank Account details of all security holders holding securities in physical form, all Shareholders of the Bank who hold shares in physical form are requested to furnish the copy/ies of PAN card of first named shareholder & all joint shareholders and furnish Bank account details (if not already furnished) in the requisite form, which is available on Bank's website www.idbibank.in. Duly filled in form, along with the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate compliance of SEBI's aforesaid circular and payment of dividend (declared, if any) through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., in the mandated Bank Account of the Shareholder/s.

03. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार और यथा संशोधित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियमावली, 2016 की शर्तों के अनुसार, सभी अप्रदत्त या अदावित लाभांश जो अंतरण की तारीख से 7 वर्ष तक अदावित लाभांश खाते में पड़े हैं, को धारा 125(1) के अंतर्गत स्थापित खाते में बैंक द्वारा अंतरित कर दिया जाएगा. इसके अनुपालन में इस वर्ष बैंक से वित्तीय वर्ष 2013-14 के अदावित लाभांश (अंतिम लाभांश) को शेयरों (जिन पर लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश अदत्त/अदावित रहा है) के साथ निधि में अंतरित करना अपेक्षित है. शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश (अंतिम लाभांश) का दावा अभी तक नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे नियमावली के अनुसार उक्त दावे के लिए बैंक से संपर्क करें. शेयरधारकों के अदावित लाभांश के ब्योरे बैंक की वेबसाइट पर रखे गए हैं.

04. सेबी दिशानिर्देश सभी शेयरधारकों को अपने शेयर डीमैट स्वरूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. शेयरधारकों, जिनके शेयर कागजी रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे सेबी द्वारा पंजीकृत किसी भी डिपॉजिटरी भागीदार के पास डीमैट खाता खुलवाने के बाद अपनी शेयरधारिता को कागजी स्वरूप से डीमैट स्वरूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें.

03. As per the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended, all unpaid or unclaimed dividends, for a period of seven years from the date of transfer of such dividend to unclaimed dividend account, shall be transferred by the Bank to the Fund established under Section 125(1). In compliance thereof, this year the Bank is required to transfer unclaimed dividend for the FY 2013-14 (Final Dividend) to the Fund along with the shares (on which dividend has remained unpaid/unclaimed for seven consecutive years). The shareholders, who have not yet claimed the dividend for FY 2013-14 (Final Dividend), are requested to approach the Bank for claiming the same in terms of the Rules. The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website.

04. SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat form. The shareholder/s, who hold their shares in physical form are requested to convert their shareholdings from physical form to Demat form at the earliest, after opening a Demat Account with any SEBI registered Depository Participant.

नोटिस का अनुबंध

सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. सूचना की मद संख्या 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

मेसर्स एम. पी. चितले एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं. 101851डब्ल्यू) तथा मेसर्स के. एस. अय्यर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं.100186डब्ल्यू) को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईडीबीआई बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. आरबीआई ने दिनांक 27 अप्रैल 2021 के अपने परिपत्र द्वारा वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़ कर), यूसीबी और एनबीएफ़सी (एचएफ़सी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) और सांविधिक लेखापरीक्षकों (एसए) की नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन कर दिया है. ('' दिशानिर्देशों''). आरबीआई के उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षकों को लगातार 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करना होगा. आरबीआई का यह दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू है. चूंकि, मेसर्स एम. पी. चितले एंड कंपनी और मेसर्स के. एस. अय्यर एंड कंपनी क्रमशः तीन और चार वर्ष पूरे कर चुके हैं, अतः वे बैंक के एससीए के रूप में पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते.

तदनुसार, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 100515डब्ल्यू) और मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, सनदी लेखाकर (फर्म पंजीकरण सं. 004532एस) को बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया तथा निदेशक मण्डल से इसकी सिफ़ारिश की है. ये दोनों ही सांविधिक लेखा परीक्षक 17वीं वार्षिक महासभा की समाप्ति से 3 (तीन) वर्ष के लिए तथा वर्ष 2024 में सम्पन्न होने वाली बीसवीं महासभा की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे जो इस अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष आरबीआई के अनुमोदन के अधीन होगा. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड के पास आरबीआई और/या अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने सहित नियुक्ति, पारिश्रमिक, आदि की शर्तों में फेरबदल और परिवर्तन करने का अधिकार होगा.

मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 100515डब्ल्यू) और मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, सनदी लेखाकर (फर्म पंजीकरण सं. 004532एस) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 और लागू नियमों के अधीन तथा आरबीआई के दिनांक 27 अप्रैल 2021 के परिपत्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता की पुष्टि की है. इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने दिनांक 7 जुलाई 2021 के अपने पत्र द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में उनकी नियुक्त को अनुमोदित किया है.

मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कंपनी, सनदी लेखाकार और मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, सनदी लेखाकर, बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में समग्र रूप से ₹ 250 लाख तथा ₹ 24 लाख तक अतिरिक्त फुटकर खर्च एवं लागू दरों पर कर का भुगतान किया जाएगा तथा बोर्ड/ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के पास दोनों संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के बीच समग्र लेखापरीक्षा शुल्क को, उनके संबन्धित कार्यक्षेत्र के आधार पर बैंक और संयुक्त लेखापरीक्षकों की परस्पर सहमति से आबंटित करने का प्राधिकार होगा.

निदेशक मंडल वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 4 में निहित विषय को सामान्य संकल्प के रूप में पारित किये जाने की सिफ़ारिश करता है. कोई भी निदेशक या प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statements in respect of items of the Notice

1. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 4 of the Notice

M/s M. P. Chitale & Co., Chartered Accountants, Mumbai (Firm Regn. No. 101851W) and M/s K. S. Aiyar & Co., Chartered Accountants, Mumbai (Firm Regn. No.100186W) were appointed as the Statutory Central Auditors of the Bank for the FY 2020-21. RBI vide circular dated April 27, 2021 amended the Guidelines for Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs)/Statutory Auditors (SAs) of Commercial Banks (excluding RRBs), UCBs and NBFCs (including HFCs) ("RBI Guidelines"). In terms of the said RBI Guidelines, the Statutory Auditors shall be appointed for a continuous term of 3 years. The said RBI Guidelines are applicable from the FY 2021-22. Since, M/s M. P. Chitale & Co. and M/s K. S. Aiyar have completed three years & four years respectively, the said firms cannot be re-appointed as SCAs of the Bank.

Accordingly, the Audit Committee of the Board considered and recommended to the Board of Directors, the appointment of M/s G.D. Apte & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 100515W) and M/s Varma & Varma, Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004532S) as the Joint Statutory Auditors of the Bank, to hold office for a period of 3 (Three) years from the conclusion of Seventeenth Annual General Meeting till the conclusion of the twentieth Annual General Meeting of the Bank to be held in year 2024, subject to the approval of the RBI for each year during this tenure, with power to the Audit Committee of the Board/ Board, thereof, to alter and vary the terms and conditions of appointment, revision in the remunerations etc., including by reason of necessity on account of conditions as may be stipulated by the RBI and/ or any other authority.

M/s G.D. Apte & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 100515W) and M/s Varma & Varma, Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004532S) have confirmed their eligibility to be appointed as Joint Statutory Auditors in terms of Section 141 of the Companies Act, 2013 and applicable Rules and the guidelines issued by RBI vide their circular dated April 27, 2021. Further, RBI vide its letter dated July 7, 2021 have approved their appointment as Joint Statutory Auditors of the Bank for FY 2021-22.

M/s G.D. Apte & Co., Chartered Accountants and M/s Varma & Varma, Chartered Accountants, Joint Statutory Auditors of the Bank, shall be paid overall Audit fees of ₹ 250 lakhs plus reimbursement of out of pocket expenses upto ₹ 24 lakh and taxes at the applicable rates for FY 2021-22, with authority to the Audit Committee of the Board/Board, to allocate the overall audit fees between the Joint Statutory Auditors, as may be mutually agreed between the Bank and the said Joint Statutory Auditors, depending upon their respective scope of work.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No. 4 of the AGM Notice. None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, are whether directly or indirectly, concerned or

से संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

2. सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

(i) समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह टियर I पूंजी बनाए रखे. बासेल III मानदंडों के वर्तमान कार्यान्वयन और परिणामी पूंजी प्रभार को देखते हुए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत बनाने के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है. क्यूआईपी मार्ग के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 17 अगस्त 2020 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प, क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए वैध है.

(ii) बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और/ अथवा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन यदि कोई हो, प्राप्त करेगा.

(iii) यह समर्थकारी संकल्प कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 62(1)(सी) के अनुसरण में विशेष संकल्प के रूप में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है जो सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 41(4) के साथ पठित है, यह उपबंधित करता है कि जब भी बैंक द्वारा आगे कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को वह ऑफर आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर या इतर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सकता है.

(iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी नियोजन आधार पर निर्गम, क्यूआईपी, ईएसपीएस, ईएसओपी आदि के जरिए कुल ₹ 7500 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) के इक्विटी शेयरों को ऑफर करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है.

(v) इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.

(vi) इस संकल्प का उद्देश्य सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 में परिभाषित रूप में अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के पास अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देना है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने हेतु अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.

(vii) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के निबंधनों के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी आधार पर, प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जा सकता है जो कि "संगत तारीख" से पहले के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत शेयरों के बंद भावों के साप्ताहिक अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के औसत से कम न हो. बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार

interested, financial or otherwise in the passing of this resolution.

2. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.5 of the Notice

(i) The Bank is required to maintain its Tier I capital in accordance with the relevant Regulatory guidelines issued from time to time. In view of ongoing implementation of BASEL III norms and consequential capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio. The Special Resolution passed at the last AGM held on August 17, 2020 for Issue of Capital under QIP route, is valid only for one year in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 for QIPs.

(ii) The Bank will obtain requisite approval, if any, of RBI, LIC and/or Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital.

(iii) The enabling Resolution is proposed to be passed as a Special Resolution pursuant to Sections 42 and 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 which, read with Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the General Meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities on pro-rata basis to the existing shareholders or otherwise.

(iv) The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares aggregating upto ₹ 7,500 crore (inclusive of premium amount) by way of public issue, rights issue, issue on private placement basis, QIP, ESPS, ESOP, etc.

(v) The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(vi) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Board of Directors may, in their discretion, adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(vii) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". The Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such

निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम पाँच प्रतिशत छूट पर या ऐसी किसी अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्वविवेकानुसार इक्विटी शेयर जारी कर सकता है.

(viii) "संगत तारीख" से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिस तारीख को बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने के बारे में निर्णय ले.

(ix) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकल्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी.

(x) अधिकार निर्गम के मामले में निर्गम मूल्य का निर्णय आईसीडीआर विनियम के अध्याय III के प्रावधानों के अनुसार अग्रणी प्रबंधकों के साथ परामर्श कर किया जाएगा.

(xi) क्यूआईपी अथवा अधिकार निर्गम सहित विभिन्न प्रकार के निर्गमों के लिए ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और विनियामक जरूरतों पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निश्चित किया जाएगा.

(xii) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है. तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 , कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशा-निर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(xiii) उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है.

(xiv) आबंटित इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे.

इस उद्देश्य के लिए बैंक को विशेष संकल्प के द्वारा सदस्यों की सहमति लेने की आवश्यकता है.

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 5 में दिए गए विशेष संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

3. सूचना की मद संख्या 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

i. 1 अप्रैल 2021 को आईडीबीआई बैंक की कुल संचित हानियाँ ₹ 45396.18 करोड़ थीं जबकि बैंक के प्रतिभूति प्रीमियम खाते में ₹ 50719.75 करोड़ का शेष था.

other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 subject to section 53 of the Companies Act, 2013.

(viii) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting on which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue.

(ix) As per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 the validity of the Special Resolution is restricted to one year from the date of this AGM for such QIPs.

(x) In case of a rights issue, the issue price would be decided in consultation with the lead manager(s) in accordance with the provisions of Chapter III of the ICDR Regulations.

(xi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements for various types of issues including rights issue or QIP.

(xii) As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

(xiii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

(xiv) The equity shares to be allotted shall rank pari-passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the Members by means of a Special Resolution.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.5 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

i. As on April 01, 2021, total accumulated losses of IDBI Bank stood at ₹ 45396.18 crore, whereas balance in Securities Premium Account of the Bank was ₹ 50719.75 crore.

ii. संचित हानियों ने बैंक की शेयर पूंजी के रूप में दर्शाए गए मूल्य को मिटा दिया है और आरबीआई की दिनांक 2 फरवरी 2017 की अधिसूचना डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 50/21.06.201/2016-17 के प्रावधानों के अनुसार संचित हानियों को देखते हुए वितरण योग्य मदें नकारात्मक हैं और बैंक एटी1 बांडों के कूपन भुगतान के लिए पात्र नहीं है. बैंक को मार्च 2018 में कुल ₹ 5000 करोड़ के समग्र एटी1 बांडों की चुकौती करनी पड़ी थी. इससे निकट भविष्य में एटी1 बांड जुटाने की बैंक की योजना पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.

iii. बैंक प्रतिभूति प्रीमियम खाते में विद्यमान शेष राशियों से कुल संचित हानियों को प्रति-संतुलित कर देयता पक्ष की 2 (दो) मदों को पुनर्व्यवस्थित कर अपने तुलन पत्र की सही, सत्य और यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता है ताकि बैंक की वित्तीय प्रोफ़ाइल में सुधार आ सके.

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 जून 2021 के अपने पत्र द्वारा 1 अप्रैल 2021 को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में विद्यमान शेष राशियों के प्रति उक्त तारीख को संचित हानियों को समंजित करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, सेबी विनियमों और साथ ही अन्य क़ानूनों और विनियमों के अनुपालन के अधीन होगी.

v. सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने और राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद उक्त प्रस्तावित प्रतिभूति प्रीमियम कमी का प्रभाव यह होगा कि यथा 1 अप्रैल 2021 को संचित हानियाँ समंजित हो जाएंगी.

vi. बैंक की यह राय है कि वर्तमान परिदृश्य में बैंक की सत्य और उचित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने के लिए बैंक को उपलब्ध यह सर्वाधिक व्यावहारिक और आर्थिक रूप से सक्षम विकल्प है. बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत कर सकेगा जिससे सदस्यों को फायदा होगा, क्योंकि उनकी धारिता को बेहतर अर्जन प्राप्त हो सकेगा और साथ ही लागू प्रावधानों के अनुसार उचित समयसीमा के अंदर लाभांश भुगतान सहित बैंक के सदस्यों को लाभ उपलब्ध कराने हेतु बैंक अवसर भी तलाश सकेगा. इस प्रस्ताव से बैंक समय-बद्ध तरीके से अपनी रूपान्तरण योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी बेहतर स्थिति में रहेगा. इसके अलावा देयताओं के पुनर्संयोजन की उक्त कार्रवाई अर्थात संचित हानियों को प्रतिभूति प्रीमियम के प्रति समंजित करना तुलन-पत्र निरपेक्ष कार्रवाई होगी.

vii. चूंकि संचित हानियों को समंजित करने के प्रयोजन हेतु बैंक के प्रतिभूति प्रीमियम खाते का प्रस्तावित उपयोग पूंजी में कमी माना जाएगा इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 और 66 के उपबंधों के अनुसरण में विशेष संकल्प के जरिए बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है.

viii. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17(2) उपबंधित करती है कि जहाँ भी बैंक प्रतिभूति प्रीमियम खाते से किसी धन

ii. Accumulated losses have wiped-off the value represented by the Share Capital of the Bank and in view of the accumulated losses, the distributable items, in terms of RBI's Notification DBR.BP.BC. No.50/21.06.201/2016-17 dated February 02, 2017, is negative and the Bank is not eligible to make coupon payment of AT 1 Bonds. Bank had to repay entire AT1 Bonds aggregating to ₹ 5000 crore in March 2018. This is affecting the Bank's plan to raise AT1 Bonds in the near future.

iii. Bank proposes to present fair, true and accurate picture of its balance sheet by rearranging 2(two) of the items in the liability side, by offsetting the total accumulated losses with the balances in the Securities Premium Account which will improve the Bank's financial profile.

iv. Reserve Bank of India (RBI) vide its letter dated June 14, 2021, has given its approval to the Bank for setting off the accumulated losses as on April 01, 2021 against the balances in the Securities Premium Account on the same date, subject to compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI Regulations as also compliance with all laws and regulations.

v. The effect of the aforesaid proposed Securities Premium Reduction, if approved by the Members and confirmed by National Company Law Tribunal would be that the accumulated losses as on April 01, 2021 will be set off.

vi. The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank. The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit Members as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the Members of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also place the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plan in a time-bound manner. Further, the said exercise of rearrangement of liabilities, i.e., setting off of accumulated losses against Securities Premium would be a Balance Sheet neutral exercise.

vii. As the proposed utilization of Securities Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Sections 52 and 66 of the Companies Act, 2013.

viii. Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Securities Premium

राशि अथवा धन राशियों का विनियोजन करता है तो वह ऐसे विनियोजन की तारीख से इक्कीस दिनों के अंदर इस प्रकार के विनियोजन से संबंधित परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए इस तथ्य की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देगा. बैंक निर्दिष्ट समयावधि के अंदर इस अपेक्षा का अनुपालन करेगा.

ix. प्रतिभूति प्रीमियम खाते में घटाव जिसमें प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा राशि को कम करते हुए लाभ एवं हानि लेखे में नामे शेष को समंजित किया जाना शामिल है, बैंक को अपने शेयरधारकों के प्रति किसी प्रतिफल के उन्मोचन को अपरिहार्य नहीं बनाता है. तदनुसार, शेयर प्रीमियम खाते में कमी किए जाने के बाद भी बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयरधारिता ढाँचा अपरिवर्तित बना रहेगा. शेयरों का बही मूल्य भी अपरिवर्तित रहेगा.

आईडीबीआई बैंक की शेयरधारिता का ढाँचाः

क्रम सं	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते में कमी से पहले (यथा 09.07.2021)		शेयर प्रीमियम खाते में कमी के बाद	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत (%)	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत (%)
अ.	**प्रवर्तक धारिता**				
	भा.जी.बी.निगम	5294102939	49.24	5294102939	49.24
	भारत सरकार	4889871903	45.48	4889871903	45.48
आ.	**गैर-प्रवर्तक धारिता:**	568427333	05.28	568427333	05.28
	कुल	**10752402175**	**100.00**	**10752402175**	**100.00**

x. शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है.

xi. निदेशक मंडल ने 12 फरवरी 2021 को संपन्न अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति की सिफ़ारिश के आधार पर, विशेष संकल्प के जरिए शेयरधारकों के अनुमोदन तथा बैंक द्वारा एनसीएलटी और इस संबंध में अपेक्षित अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त किए जाने वाले अनुमोदनों के अधीन प्रस्तावित शेयर पूंजी घटाव योजना को अनुमोदित किया था.

xii. स्वतंत्र निदेशकों ने दिनांक 12 फरवरी, 2021 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से पुष्टि की थी कि उक्त प्रस्ताव बैंक के शेयरधारकों के हितों के लिए हानिकारक नहीं है क्योंकि यह बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न को प्रभावित / परिवर्तित नहीं करेगा और शेयरधारकों को इसकी सिफारिश की.

xiii. दिनांक 10 मार्च 2017 के सेबी के परिपत्र के अनुसार वेबसाइट पर योजना होस्ट करने की अवधि के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी और इस कारण से नोटिस के साथ कोई शिकायत रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई है. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 37 के प्रावधानों के अनुसार सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी अवलोकन पत्र/अनापत्ति पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न हैं

account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank of India, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period.

ix. The reduction of Securities Premium Account which involves set off of debit balance in P& L account by reducing the amount standing to the credit of the Securities Premium Account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

Shareholding Pattern of IDBI Bank:

Sr. No.	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account (As on 09.07.2021)		After the Reduction of Share Premium Account	
		No. of shares held	Shareholding Percentage (%)	No. of shares held	Shareholding Percentage (%)
A.	**Promoters Holding**				
	LIC of India	5294102939	49.24	5294102939	49.24
	Government of India	4889871903	45.48	4889871903	45.48
B.	**Non-promoter Holding:**	568427333	05.28	568427333	05.28
	Total	**10752402175**	**100.00**	**10752402175**	**100.00**

x. The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected.

xi. The Board, at its meeting held on February 12, 2021, based on the recommendation of the Audit Committee had approved the proposed Scheme of Reduction of Share Capital subject to the approval of Shareholders through Special Resolution and approvals of NCLT and such other authorities as may be necessary in this regard to be obtained by the Bank.

xii. The Independent Directors' vide their report dated February 12, 2021 had confirmed that the said proposal is not detrimental to the interests of the shareholders of the Bank as it would not affect/ change equity capital structure and shareholding pattern of the Bank and has recommended the same to shareholders.

xiii. There were no complaints received during the period of hosting the scheme on the website as per the SEBI Circular dated March 10, 2017 and hence the complaint reports are not attached to the notice. The Observation Letter / No-Objection Letter issued by SEBI/ Stock Exchanges in accordance with

और बैंक की वेबसाइट पर https:// www.idbibank.in/draft-scheme-for-setting-off-accumulated-losses.asp लिंक पर उपलब्ध हैं.

xiv. दिनांक 10 मार्च 2017 को सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सीएफडी/डीआईएल3/सीआईआर/2017/21 के अनुबंध-I के पैरा I(ए)(4) के अनुसार, शेयर पूंजी घटाने की प्रस्तावित योजना के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है. तदनुसार, सूचीबद्ध इकाई के लिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा आस्तियों/शेयरों के मूल्यांकन पर सेबी पंजीकृत मर्चेंट बैंकर की निष्पक्षता की राय भी पूर्वोक्त परिपत्र के अनुबंध-I के पैरा I(ए)(2) के अनुसार लागू नहीं होती है.

निदेशक मंडल, नोटिस के मद संख्या 6 में निहित विशेष संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की शर्तों के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबन्धित या हितबद्ध नहीं हैं.

4. सूचना की मद संख्या 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ''बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन'' पर अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/24 (डीओआर.जीओवी.आरईसी.8/29.67.001/2021-22) द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष और बैठकें, एसीबी, आरएमसी और एनआरसी की संरचना, गैर-कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) की आयु, कार्यकाल और पारिश्रमिक और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में अनुदेश जारी किये हैं. परिपत्र 26 अप्रैल 2021 से प्रभावी है और बैंकों को 01 अक्तूबर 2021 तक परिपत्र के अनुपालन की अनुमति है. तथापि आरबीआई के उक्त परिपत्र के बिंदु 13 के अनुसार, बोर्ड के अध्यक्ष, जो परिपत्र जारी करने की तारीख़ को स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा पहले से अनुमोदित अनुसार अध्यक्ष के रूप में वर्तमान कार्यकाल को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी. उक्त परिपत्र का अनुपालन के उद्देश्य से बैंक को निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में संस्थान के अंतर्नियम में संशोधन करने की आवश्यकता है और आगामी वार्षिक महासभा की बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प भी प्रस्तावित किया जाता है. प्रस्तावित परिवर्तनों को आरबीआई ने 27 मई 2021 के अपने पत्र के माध्यम से अनुमोदित किया है.

निदेशक मंडल, सूचना की मद संख्या 7 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की शर्तों के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबन्धित या हितबद्ध नहीं है

the provisions of Regulation 37 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 are enclosed to this notice and available on the website of the Bank under the link https://www.idbibank.in/draft-scheme-for-setting-off-accumulated-losses.asp.

xiv. In terms of Para I(A)(4) of Annexure – I of Circular No. CFD/DIL3/CIR/2017/21 issued by SEBI on March 10, 2017, Valuation Report is not required for the proposed Scheme of reduction of Share Capital. Accordingly, the Fairness opinion by a SEBI Registered merchant banker on valuation of assets / shares done by the valuer for the listed entity is also not applicable as per Para I(A)(2) of Annexure – I of the aforesaid Circular.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as contained at Item No.6 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

4. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.7 of the Notice

RBI vide its circular No. RBI/2021-22/24 (DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22) on "Corporate Governance in Banks - Appointment of Directors and Constitution of Committees of the Board" has issued instructions with regard to the Chair and meetings of the Board, Composition of ACB, RMC and NRC, age, tenure and remuneration of Non-Executive Directors (NEDs) and appointment and tenure of whole-time Directors (WTDs). The circular is effective from April 26 2021 and Banks are permitted to comply with the circular latest by October 01, 2021. However, pursuant to Point 13 of the said RBI Circular, the Chair of Board who is not an Independent Director on the date of issue of the circular shall be allowed to complete the current term as Chair as already approved by the Reserve Bank. In order to comply with the said circular, Bank is required to make amendment to the Articles of Association in respect of composition of the Board of Directors and further proposed the Special Resolution for the approval of the Shareholders to be obtained at the ensuing Annual General Meeting. The proposed alterations have been approved by RBI vide their letter dated May 27, 2021.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.7 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

5. **सूचना की मद संख्या 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण**

श्री भुवनचंद्र बालकृष्ण जोशी (डीआईएन 06713850) को आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में 9 अक्तूबर 2017 से 4 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. वे 08 अक्तूबर 2021 को अपना 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. बैंक के संस्था अंतर्नियम 116(1)(vi) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार श्री बी.बी. जोशी लगातार 4 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं. श्री बी.बी. जोशी पुनर्नियुक्ति के लिए इच्छुक हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के पैरा VIII (2) के प्रावधानों के अनुसार और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किए गए स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर श्री बी. बी. जोशी को 9 अक्तूबर 2021 से लगातार 4 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने का प्रस्ताव है और वार्षिक महासभा सूचना की मद संख्या 8 के अधीन निहित संकल्प को पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्री बी बी जोशी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन यह घोषणा दी है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करना जारी रखेंगे.

इसके अलावा, बोर्ड की राय में भी, वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्दिष्ट निबंधनों को पूरा करते हैं और यह कि निदेशक पद प्रबंधन से स्वतंत्र पद है. श्री बी. बी. जोशी बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान और साथ ही वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगें. एनआरसी की सिफारिश के आधार पर बोर्ड श्री बी.बी. जोशी को 9 अक्तूबर 2021 से लगातार 4 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है.

बोर्ड सूचना की मद संख्या 8 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी निदेशक (स्वयं श्री बी. बी. जोशी के अलावा) या बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री बी.बी. जोशी की स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए उक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री बी.बी. जोशी का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

6. **सूचना की मद संख्या 9 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण**

श्रीमती पी. वी. भारती (डीआईएन 06519925) को आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में 14 जनवरी 2021 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वे आगामी वार्षिक महा सभा की बैठक की तारीख तक अपर निदेशक के रूप में पद पर रहेंगी. बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन श्रीमती पी.वी. भारती से एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने निदेशक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में सूचित

5. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 8 of the Notice**

Shri Bhuwanchandra Balkrishna Joshi (DIN 06713850) was appointed as Independent Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. October 09, 2017 for an initial period of 4 years. He is completing his term of 4 years on October 08, 2021. In terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013 read with Article 116(1) (vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri B. B. Joshi is eligible for reappointment for another term of 4 consecutive years. Shri B. B. Joshi has offered himself for re-appointment. In terms of the provisions of Para VIII (2) of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and based on the Annual Evaluation of Independent Directors carried out for FY 2020-21, it is proposed to re-appoint Shri B. B. Joshi as an Independent Director for second term of 4 consecutive years w.e.f. October 09, 2021 and pass the resolution contained under Item No. 8 of the AGM Notice. It may be noted that Shri B. B. Joshi has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he continues to meet the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013.

Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management. Shri B B Joshi shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements. Based on recommendation of NRC, Board recommends the appointment of Shri B. B. Joshi as Independent Director for the second term of 4 consecutive years w.e.f. October 09, 2021.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No. 8 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri B. B. Joshi himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for re-appointment of Shri B. B. Joshi as Independent Director. Shri B. B. Joshi is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

6. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 9 of the Notice**

Smt. P. V. Bharathi (DIN 06519925) was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. January 14, 2021 and will hold office as such Director upto the date of the ensuing Annual General Meeting. The Bank has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Smt. P. V. Bharathi signifying her candidature for the office of Director. It is proposed to appoint Smt. P. V. Bharathi as Independent Director

किया है. श्रीमती पी.वी. भारती को 14 जनवरी 2021 (अपर निदेशक के रूप में उनकी मूल नियुक्ति की तारीख़) से लगातार 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाता है और इस सूचना की मद संख्या 9 के अधीन निहित संकल्प पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्रीमती पी.वी. भारती ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन यह घोषणा दी है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती हैं. इसके अलावा, बोर्ड की राय में भी, वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्दिष्ट निबंधनों को पूरा करती हैं और यह कि निदेशक पद प्रबंधन से स्वतंत्र पद है.

स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती पी.वी. भारती बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान और साथ ही वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की पात्र होंगी. एनआरसी की सिफारिश के आधार पर बोर्ड श्रीमती पी.वी. भारती को 14 जनवरी 2021 से लगातार 4 वर्ष के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्ति की सिफारिश करता है.

बोर्ड सूचना की मद संख्या 9 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी निदेशक (स्वयं श्रीमती पी. वी. भारती के अलावा) या बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्रीमती पी.वी.भारती का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400005.

दिनांकः 14 जुलाई 2021

for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. January 14, 2021 (i.e. the date of her original appointment as Additional Director) and pass the resolution contained under Item No. 9 of this Notice. It may be noted that Smt. P. V. Bharathi has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that she meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, in the opinion of the Board also, she fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and The Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management.

As Independent Director, Smt. P. V. Bharathi shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee Meetings as well as reimbursement of her transport, travel and stay arrangements for attending meetings. Based on recommendation of the NRC, Board recommends the appointment of Smt. P. V. Bharathi as Independent Director for the initial term of 4 consecutive years w.e.f. January 14, 2021.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No. 9 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Smt. P. V. Bharathi herself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Smt. P. V. Bharathi is not related to any other KMP or Director on the Board of the Bank.

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: July 14, 2021

आगामी वार्षिक महासभा में नियुक्ति के लिए इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

[सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(ए) और महा सभा पर सचिवीय मानक 2 के अनुसार]

निदेशक का नाम	श्रीमती पी.वी.भारती	श्री भुवंचन्द्र बी.जोशी
संक्षिप्त विवरण	श्रीमती पी.वी भारती 31 मार्च 2020 को कॉर्पोरेशन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुई. 01 फरवरी 2019 से कॉर्पोरेशन बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बैंक को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया और विभिन्न रणनीतिक पहल कार्यों के माध्यम से बैंक को विकास के पथ पर अग्रसर किया जिसमें कासा जुटाने, कृषि पर जोर देते हुए गुणवत्ता ऋण संवृद्धि करने, खुदरा एवं एमएसएमई अग्रिमों पर जोर देने और आस्ति गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है. इससे पहले वे केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) थीं. सुश्री भारती बैंकिंग उद्योग में 1982 में कैनरा बैंक के अधिकारी के रूप में शामिल हुईं तथा उन्होंने बैंक की शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के साथ-साथ बैंक के हांगकांग कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया. महाप्रबंधक के रूप में वे बैंक की मुख्य जोखिम अधिकारी थी. वे एक परिपक्व बैंकर हैं जिनके पास बैंकिंग परिचलनों का 37 से अधिक वर्षों का विभिन्न प्रकार के अनुभव हैं. वे केनरा बैंक की विभिन्न सहायक कंपनियों के बोर्ड में थीं और उन्हें भारत सरकार द्वारा भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के बोर्ड में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था.	श्री बी. बी. जोशी एक कैरियर बैंकर हैं जिनके पास बैंक ऑफ इंडिया में शाखा बैंकिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट, विदेशी मुद्रा, ओवरसीज परिचालन, अनुपालन, एसएमई बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों और साथ ही अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में ओवरसीज बैंकिंग का लगभग 39 वर्षों का अनुभव है. वे बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए, जहां वे बैंक के बोर्ड और बोर्ड स्तर की समितियों में थे.
पदनाम	अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी)	स्वतंत्र निदेशक
जन्म तिथि	22.03.1960 (61 वर्ष)	03.12.1956 (64 वर्ष)
बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	14 जनवरी 2021	09 अक्तूबर 2017
शैक्षणिक योग्यता	बी एससी., एम ए(अर्थशास्त्र) बीएड, सीएआईआईबी, बैंकिंग व फ़ाइनेंस में एकीकृत पाठ्यक्रम (एनआईबीएम)	बी.कॉम और सीएआईआईबी
विशेषज्ञता	कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, जोखिम, अर्थशास्त्र, प्रशासन व कॉर्पोरेट अभिशासन	कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, प्रशासन व कॉर्पोरेट अभिशासन
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद	1. आईडीएफसी फ़र्स्ट भारत लिमिटेड	शून्य
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	आईडीएफसी फ़र्स्ट भारत लिमिटेड में एसीबी के सदस्य	शून्य

BRIEF RESUME OF DIRECTOR SEEKING APPOINTMENT AT THE FORTHCOMING AGM

[Pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards 2 on General Meetings]

Name of Director	Smt. P. V. Bharathi	Shri Bhuwanchandra B. Joshi
Brief Resume	Smt. P. V. Bharathi retired as Managing Director and CEO of Corporation Bank on March 31, 2020. During her tenure with Corporation Bank from February 01, 2019, she provided strong leadership to the Bank and put the Bank on a growth path through various strategic initiatives with focus on Mobilising CASA, Quality Credit growth with emphasis on Agriculture, Retail and MSME advances and improving asset quality. Prior to this, she was Executive Director (WTD) at Canara Bank. Ms. Bharathi joined the Banking Industry as an Officer in 1982 in Canara Bank and served in various capacities in Branches & Administrative Offices of the Bank as well as in Hong Kong office of the Bank. As a General Manager, she was Chief Risk Officer of the Bank. She is a seasoned banker with over 37 years of varied experience in Banking Operations. She was on the Board of various subsidiaries of Canara Bank and had been appointed as Scheduled Commercial Banks' (SCBs) Nominee Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) by Government of India.	Shri B.B. Joshi is a career Banker with around 39 years of Banking experience in Bank of India in various fields like Branch Banking, Corporate Credit, Foreign Exchange, Overseas Operations, Compliance, SME Banking, Retail Banking including overseas banking experience in Africa and USA. He retired as the Executive Director of Bank of Baroda where he was on its Board and Board Level Committees.
Designation	Additional Director (Independent Category)	Independent Director
Date of Birth	22.03.1960 (61 years)	03.12.1956 (64 years)
Date of appointment on Board	January 14, 2021	October 09, 2017
Qualification	B Sc., M A (Economics), B Ed., CAIIB , Integrated course in banking and finance (NIBM)	B.Com and CAIIB
Expertise	Agriculture and Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Risk, Economics, Administration and Corporate Governance.	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Administration and Corporate Governance.
Directorship in other entities	1. IDFC FIRST Bharat Limited	Nil
Membership / Chairmanship in Committees of other entities	Member of ACB in IDFC FIRST Bharat Limited	Nil

निदेशक की शेयरधारिता	शून्य	शून्य
निदेशकों का पारस्परिक संबंध	शून्य	शून्य
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की निबंधन व शर्तें	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची iv में दिये अनुसार तथा सूचीबद्धता विनियमन के प्रावधानों के अनुसार है. निदेशक, बैठकों में उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क और अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं.	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 में दिये अनुसार तथा सूचीबद्धता विनियमन के प्रावधानों के अनुसार है. निदेशक, बैठकों में उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क और अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं.
पारिश्रमिक	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ ही वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं.	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ ही वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं.
स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति का औचित्य	श्रीमती पी. वी. भारती को बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन में विशेष कौशल सहित 3 दशकों का अनुभव है.	बैंक बोर्ड में लगातार पिछले 4 वर्षों के उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर और उनके कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के आधार पर श्री बी.बी. जोशी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त करने का प्रस्ताव है.
अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (सम्पन्न/ उपस्थिति)	(3/3)	(16/16)

Shareholding of Director	Nil	Nil
Relationship between directors inter-se	Nil	Nil
Terms and Conditions of Appointment/ Re-appointment	Terms and conditions for appointment of Independent Directors are as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013 and provisions of Listing Regulations. Directors will be entitled to Sitting fees and reimbursement of expenses for attending meetings.	Terms and conditions for appointment of Independent Directors are as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013 and provisions of Listing Regulations. Directors will be entitled to Sitting fees and reimbursement of expenses for attending meetings.
Remuneration	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.
Justification for Appointment/ Reappointment of Independent Directors	Smt. P. V. Bharathi has around 3 decades of experience in Banking Sector with special skills in Risk Management.	Based on his continuous past Performance of around 4 years on the Bank's Board and based on his performance evaluation, Shri B. B. Joshi is proposed to be re-appointed for second term as Independent Director.
Number of Board meetings attended during their tenure (Held/Attended)	(3/3)	(16/16)

DCS/AMAL/SV/R37/1947/2021-22 **"E-Letter"** **April 27, 2021**

The Company Secretary,
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai, Maharashtra, 400005

Sir,

Sub: Observation letter regarding Draft Scheme of Reduction of share capital of IDBI Bank Limited and their respective shareholders.

We are in receipt of the Draft Scheme of Reduction of IDBI Bank Limited filed as required under SEBI Circular No. CFD/DIL3/CIR/2017/21 dated March 10, 2017; SEBI vide its letter dated April 16, 2021 has inter alia given the following comment(s) on the draft scheme of reduction:

- **"Company shall duly comply with various provisions of the Circular."**
- **"Company is advised to ensure that final approval of RBI is in place prior to filing of the scheme with NCLT."**
- **"Company to ensure that the financials of the companies involved in the scheme is updated and are not more than 6 months old."**
- **"Company to ensure that the proposed scheme is acted upon only if approved by NCLT."**
- **"Company shall ensure that additional information and undertakings, if any, submitted by the Company, after filing the scheme with the stock exchanges, and from the date of receipt of this letter is displayed on the websites of the listed company and the stock exchanges."**
- **"Company is advised that the observations of SEBI/Stock Exchanges shall be incorporated in the petition to be filed before National Company Law Tribunal (NCLT) and the company is obliged to bring the observations to the notice of NCLT."**
- **"It is to be noted that the petitions are filed by the company before NCLT after processing and communication of comments/observations on draft scheme by SEBI/stock exchange. Hence, the company is not required to send notice for representation as mandated under section 230(5) of Companies Act, 2013 to SEBI again for its comments / observations / representations."**

Accordingly, based on aforesaid comment offered by SEBI, the company is hereby advised:

- To provide additional information, if any, (as stated above) along with various documents to the Exchange for further dissemination on Exchange website.
- To ensure that additional information, if any, (as stated aforesaid) along with various documents are disseminated on their (company) website.
- To duly comply with various provisions of the circulars.

In light of the above, we hereby advise that we have no adverse observations with limited reference to those matters having a bearing on listing/de-listing/continuous listing requirements within the provisions of Listing Agreement, so as to enable the company to file the scheme with Hon'ble NCLT.

Further, where applicable in the explanatory statement of the notice to be sent by the company to the shareholders, while seeking approval of the scheme, it shall disclose information about unlisted company involved in the format prescribed for abridged prospectus as specified in the circular dated March 10, 2017.

Kindly note that as required under Regulation 37(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the validity of this Observation Letter shall be six months from the date of this Letter, within which the scheme shall be submitted to the NCLT.

The Exchange reserves its right to withdraw its ‘No adverse observation’ at any stage if the information submitted to the Exchange is found to be incomplete / incorrect / misleading / false or for any contravention of Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, Listing Agreement, Guidelines/Regulations issued by statutory authorities.

Please note that the aforesaid observations does not preclude the Company from complying with any other requirements.

Further, it may be noted that with reference to Section 230 (5) of the Companies Act, 2013 (Act), read with Rule 8 of Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules 2016 (Company Rules) and Section 66 of the Act read with Rule 3 of the Company Rules wherein pursuant to an Order passed by the Hon’ble National Company Law Tribunal, a Notice of the proposed scheme of compromise or arrangement filed under sections 230-232 or Section 66 of the Companies Act 2013 as the case may be **is required to be served upon the Exchange seeking representations or objections if any.**

In this regard, with a view to have a better transparency in processing the aforesaid notices served upon the Exchange, the Exchange has **already introduced an online system of serving such Notice along with the relevant documents of the proposed schemes through the BSE Listing Centre.**

Any service of notice under Section 230 (5) or Section 66 of the Companies Act 2013 seeking Exchange’s representations or objections if any, **would be accepted and processed through the Listing Centre only and no physical filings would be accepted.** You may please refer to circular dated February 26, 2019 issued to the company.

Yours faithfully,

Sd/-

Nitinkumar Pujari
Senior Manager

Ref: NSE/LIST/ 26073_II April 27, 2021

The Company Secretary
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400005

Kind Attn.: Mr. Pawan Agrawal

Dear Sir,

Sub: **Observation Letter for Draft scheme of reduction of share capital between IDBI Bank Limited and its shareholders**

We are in receipt of the Draft scheme of reduction of share capital between IDBI Bank Limited and its shareholders vide application dated February 12, 2021.

Based on our letter reference no Ref: NSE/LIST/26073 submitted to SEBI and pursuant to SEBI Circular No. CFD/DIL3/CIR/2017/21 dated March 10, 2017 ('Circular'), kindly find following comments on the draft scheme:

a. *The Company shall ensure that final approval of RBI is in place prior to filing of the scheme with NCLT*

b. *The Company shall duly comply with various provisions of the Circular.*

c. *The Company to ensure that the financials of the companies involved in the scheme is updated and are not more than 6 months old.*

d. *The Company shall ensure that the proposed scheme is acted upon only if approved by the NCLT*

e. *The Company shall ensure that additional information and undertaking, if any submitted by the Company, after filing the scheme with the stock exchange, and from the date of receipt of this letter is displayed on the websites of the listed company.*

f. *The Company is advised that the observations of SEBI/Stock Exchanges shall be incorporated in the petition to be filed before National Company Law Tribunal (NCLT) and the company is obliged to bring the observations to the notice of NCLT.*

g. *It is to be noted that the petitions are filed by the company before NCLT after processing and communication of comments/observations on draft scheme by SEBI/ stock exchange. Hence, the company is not required to send notice for representation as mandated under section 230(5) of Companies Act, 2013 to SEBI again for its comments/observations/ representations.*

Confidential

It is to be noted that the petitions are filed by the company before NCLT after processing and communication of comments/observations on draft scheme by SEBI/ stock exchange. Hence, the company is not required to send notice for representation as mandated under section 230(5) of Companies Act, 2013 to National Stock Exchange of India Limited again for its comments/observations/ representations.

Based on the draft scheme and other documents submitted by the Company, including undertaking given in terms of Regulation 11 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we hereby convey our "No-objection" in terms of Regulation 94 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, so as to enable the Company to file the draft scheme with NCLT.

However, the Exchange reserves its rights to raise objections at any stage if the information submitted to the Exchange is found to be incomplete/ incorrect/ misleading/ false or for any contravention of Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, Listing Regulations, Guidelines / Regulations issued by statutory authorities.

The validity of this "Observation Letter" shall be six months from April 27, 2021 within which the scheme shall be submitted to NCLT.

The Company shall ensure filing of compliance status report stating the compliance with each point of Observation Letter on draft scheme of arrangement on the following path: ***NEAPS > Issue > Scheme of arrangement > Reg 37(1) of SEBI LODR, 2015>Seeking Observation letter to Compliance Status***

Yours faithfully,
For National Stock Exchange of India Limited

Jiten Patel
Manager

P.S. Checklist for all the Further Issues is available on website of the exchange at the following URL http://www.nseindia.com/corporates/content/further_issues.htm

Confidential

बैंक खाता / ई-मेल पंजीकरण फॉर्म

मैं/हम ________________________ एतद्‌द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. को प्राधिकृत करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि वे

- एलईसीएस/ आरईसीएस/ एनईसीएस/ एनईएफटी के द्वारा मेरी लाभांश राशि मेरे बैंक खाते में सीधे जमा करें.
- मेरे/ हमारे लाभांश वारंट (यदि जारी किया गया तो) पर निम्नलिखित ब्योरे प्रिंट करें

फोलियो नं.: आईडीबी ________________________

बैंक खाते / ईमेल आईडी के विवरण:

1.	बैंक का नाम	:	
2.	शाखा का नाम पता (केवल मैंडेट हेतु)	:	
3.	एमआईसीआर चेक पर दर्शाये अनुसार बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या	:	
4.	खाता प्रकार (बचत/चालू)	:	
5.	चेकबुक पर दर्शाये अनुसार खाता सं.	:	
6.	शाखा एसटीडी कोड और टेलीफोन नं.	:	
7.	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	:	
8.	सदस्य का ईमेल आईडी	:	
9.	सदस्य का मोबाइल/फोन नंबर	:	

....

सदस्य के हस्ताक्षर

1. 9 अंकों की एमआईसीआर कोड संख्या/ आईएफएससी कोड के सही होने के सत्यापन के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते से संबन्धित चेक की फोटोकॉपी अथवा निरस्त किया हुआ कोरा चेक संलग्न करें.

2.

ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया इनके ब्योरे निम्न को भेजें:	शेयरधारकों द्वारा शेयर डिमैट रूप में धारित किए जाने के मामले में, कृपया इनके ब्योरे निम्नलिखित को भेजें :
केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि. सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद 500 032, तेलंगाना.	संबंधित डिपॉज़िटरी, जहां आपका डीमैट खाता खोला गया है.

संलग्नक :

1. पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति.
2. निवास-स्थान संबंधी स्व-प्रमाणित प्रति - आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र.
3. निरस्त कोरे चेक का पन्ना.
4. बैंक द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणन पत्र.

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है
This page has been intentionally left blank

BANK ACCOUNT / EMAIL REGISTRATION FORM

I/We ______________________________________ do hereby authorize IDBI Bank Ltd.

- To Credit my dividend amount directly to my Bank account by LECS/RECS/NECS/NEFT.
- To Print the following details on my/our dividend warrant (issued if necessary)

Folio No. : IDB ______________________________

Particulars of Bank Account / Email ID:

1.	Bank Name	:	
2.	Branch Name Address (for Mandate only)	:	
3.	9 Digit Code number of the Bank & Branch as appearing on the MICR cheque	:	
4.	Account Type (Savings/Current)	:	
5.	Account No. as appearing on the cheque book	:	
6.	Branch STD code & Telephone no.	:	
7.	IFSC Code of Bank Branch	:	
8.	E-mail ID of Member	:	
9.	Mobile / Phone number of Member	:	

………………………………..

Signature of the Member

1. Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above bank account for verifying the accuracy of the 9 digit MICR code number/IFSC Code.
2.

In case of shareholders holding shares in Physical Mode, please send these details to: KFin Technologies Pvt. Ltd. Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 Telangana.	In case of shareholders holding shares in Dematerialised form, please send these details to: The Depository Participant with whom your Demat Account is maintained.

Enclosures :

1. Self-attested copy of PAN Card
2. Self-attested copy of Residence -AADHAR Card or Passport or Driving License or Voter ID.
3. Cancelled blank cheque leaf.
4. Signature attestation letter from Bank.

नोट / NOTE

IDBI BANK

Bank Aisa Dost Jaisa

बेहतर कल की ओर

TOWARDS A BETTER TOMORROW

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

ANNUAL REPORT 2020-21

विषयवस्तु

Contents

कॉरपोरेट विहंगावलोकन

बेहतर कल की ओर	ii
मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक	iv
यथा 15 जून 2021 को निदेशक मंडल	vi
यथा 15 जून 2021 को नेतृत्व टीम (कार्यपालक निदेशक)	vii
अध्यक्ष का संदेश	viii
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश	xiv
बैंक के संप्रेषण बिंदु	xxii
कुछ प्रमुख गतिविधियां	xxiv
कोविड-19 पहल	xxvi
पुरस्कार एवं सम्मान	xxviii

सांविधिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट	2
प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण	22
कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट	77

वित्तीय विवरण

एकल वित्तीय विवरण	172
समेकित वित्तीय विवरण	292
पिलर III प्रकटन	386

CORPORATE OVERVIEW

Towards a Better Tomorrow	iii
Key Performance Indicators	iv
Board of Directors as on June 15, 2021	vi
Leadership Team (Executive Directors) as on June 15, 2021	vii
Message from the Chairman	viii
Message from the Managing Director & CEO	xiv
Touchpoints of the Bank	xxii
Some Major Events	xxiv
COVID-19 Initiatives	xxvi
Awards and Accolades	xxviii

STATUTORY REPORTS

Directors' Report	12
Management Discussion and Analysis	50
Corporate Governance Report	125

FINANCIAL STATEMENTS

Standalone Financial Statements	172
Consolidated Financial Statements	292
Pillar III Disclosures	386

बेहतर कल की ओर

पिछले पाँच वर्षों से मिल रही चुनौतियों से पार पाते हुए आईडीबीआई बैंक ने गहन बदलाव की पटकथा लिखते हुए बैंकिंग परिदृश्य के एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभरने में सफलता पाई है. बैंक अपनी बहु-आयामी रणनीति के तहत लाभप्रदता हासिल करने और अपने हितधारकों के लिए मूल्य सृजन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ना चाहता है. अपनी आकर्षक पेशकशों और बेहतरीन ग्राहक सेवा से सुसज्जित इस रणनीति के साथ बैंक भावी अवसरों का लाभ उठाते हुए बेहतर कल की ओर देख रहा है.

हाल ही में गुजरा यह साल आईडीबीआई बैंक की राह में मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि लगातार पाँच साल तक हानि उठाने के बाद अब इसने एक बार फिर मुनाफा दर्ज किया है. कोविड-19 सहित कई प्रकार की कठिन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बैंक अपनी रणनीति पर कायम रहा और अपने हितधारकों के मूल्य संवर्धन के अपने घोषित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ता रहा.

अपनी शक्ति को पहचानते हुए बैंक अपने संगठित प्रयासों के जरिए एक सशक्त, सुगठित और सुदृढ़ संस्था बनने की दिशा में पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. इसके हितधारकों ने बैंक पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरते हुए यह बैंकिंग जगत के प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह पक्की करना चाहता है.

आईडीबीआई बैंक के पास इस देश की उन्नति में साझेदारी की विरासत है. ऐसे समय में, जब मानवता को सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ा है, बैंक वित्तीय और गैर-वित्तीय हस्तक्षेप के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता है. अपनी ब्रांड प्रतिज्ञा *'बैंक ऐसा, दोस्त जैसा'* को सार्थक करते हुए बैंक अपने हितधारकों के साथ खड़ा होने के साथ-साथ समाज की बेहतरी के लिए अपना योगदान देता रहेगा ताकि सभी के लिए बेहतर कल सुनिश्चित किया जा सके.

Towards a Better Tomorrow

Surmounting challenges in the past five years, IDBI Bank has managed to script a turnaround and has emerged as a strong contender in the banking landscape. Pursuing a multi-pronged strategy, the Bank intends on continuing its journey towards profitability and creating value for its stakeholders. With well-designed offerings and excellence in customer service at the crux of its strategy, the Bank is looking forward to move towards a better tomorrow by capitalising on emerging opportunities.

The year just past was a milestone year for IDBI Bank as it was back in the black after facing five consecutive years of losses. Despite being confronted with daunting challenges on several fronts, including those brought on by the COVID-19 pandemic, the Bank persevered on its intended strategies and stayed on course towards its stated goal of creating value for all its stakeholders.

Capitalising on its strengths, the Bank is confidently marching towards a better tomorrow by building a stronger, leaner and robust organisation through concerted measures. Building upon the trust that its stakeholders have reposed in it, the Bank is seeking to cement its position as a leading player in the banking sphere.

IDBI Bank has a legacy of being a partner in the nation's progress. As humanity is battling one of the biggest challenges in nearly a century, the Bank reiterates its commitment to serve the community at large by making a difference in their lives through various financial as well as non-financial interventions. Being true to its brand proposition of being "*Bank Aisa Dost Jaisa*", the Bank will stand by its stakeholders as well as contribute towards betterment of the society to ensure a better tomorrow for all.

मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक
Key Performance Indicators

परिवर्तनकारी कार्य-निष्पादन का वर्ष
A year of Transformative Performance

कोविड-19 महामारी से उभरी चुनौतियों से पार पाते हुए बैंक विजेता बनकर उभरा. नेतृत्व टीम के रणनीतिक नजरिए और स्टाफ की कड़ी मेहनत व समर्पण के चलते बैंक न सिर्फ परिचालन परिवेश में हुए बदलावों को सफलतापूर्वक अपना सका, बल्कि अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप कार्य भी कर सका. बैंक के प्रयास रंग लाए और यह लगातार पाँच वर्ष हानि उठाने के बाद लाभजनक बैंक के रूप में उभर सका है.

Surmounting the unforeseen challenges due to the COVID-19 pandemic, the Bank came out on the top. The strategic vision of the leadership team, coupled with the hard work and dedication of the staff, helped the Bank to not just ably adapt to the changes in the operational environment but also to stay true to its business objectives. The Bank's efforts yielded results for it to emerge as a profitable bank after five consecutive years of losses.

यथा 31 मार्च 2021 की स्थिति
Position as on March 31, 2021

0.46%
आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए)
Return on Assets (RoA)

10.06%
इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)
Return on Equity (RoE)

9.49%
अग्रिमों पर प्रतिफल
Yield on Advances

3.38%
निवल ब्याज मार्जिन
Net Interest Margin

50.45%
कासा
CASA

96.90%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ सहित)
Provision Coverage Ratio (with TWO)

15.59%
जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)
Capital-to-Risk weighted Assets Ratio (CRAR)

1.97%
निवल एनपीए
Net NPA

₹7,091 करोड़ crore

परिचालनगत लाभ
Operating Profit

₹1,359 करोड़ crore

कर पश्चात् लाभ
Profit After Tax

₹8,518 करोड़ crore

निवल ब्याज आय
Net Interest Income

₹2,97,764 करोड़ crore

तुलन-पत्र आकार
Balance Sheet Size

₹2,30,898 करोड़ crore

कुल जमा
Total Deposits

₹1,28,150 करोड़ crore

कुल अग्रिम (निवल)
Total Advances (Net)

जमाराशि मिश्रण (%)
Deposit Mix (%)

11.62%
थोक
Bulk

32.87%
बचत
Savings

37.93%
रिटेल सावधि
Retail Term

17.58%
चालू
Current

सकल अग्रिम (%)
Gross Advances (%)

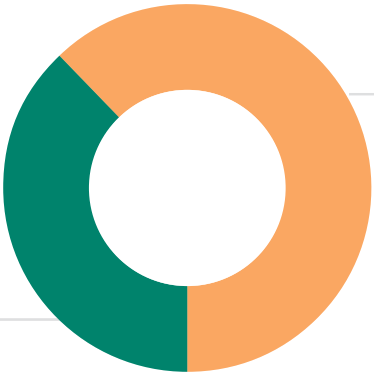

62%
रिटेल
Retail

38%
कॉरपोरेट
Corporate

यथा 15 जून 2021 को निदेशक मंडल
Board of Directors as on June 15, 2021

श्री एम. आर. कुमार
अध्यक्ष

Shri M. R. Kumar
Chairman

श्री राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Shri Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज
उप प्रबंध निदेशक

Shri Samuel Joseph Jebaraj
Deputy Managing Director

श्री सुरेश खटनहार
उप प्रबंध निदेशक

Shri Suresh Khatanhar
Deputy Managing Director

सुश्री मीरा स्वरूप
Ms. Meera Swarup

श्री अंशुमन शर्मा
Shri Anshuman Sharma

श्री राजेश कंडवाल
Shri Rajesh Kandwal

श्री ज्ञान प्रकाश जोशी
Shri Gyan Prakash Joshi

श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी
Shri Bhuwanchandra B. Joshi

श्री समरेश परिदा
Shri Samaresh Parida

श्री एन. जंबुनाथन
Shri N. Jambunathan

श्री दीपक सिंघल
Shri Deepak Singhal

श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर
Shri Sanjay Gokuldas Kallapur

सुश्री पी.वी. भारती
Ms. P. V. Bharathi

यथा 15 जून 2021 को नेतृत्व टीम (कार्यपालक निदेशक)
Leadership Team (Executive Directors) as on June 15, 2021

श्री पी. सीताराम
Shri P. Sitaram

डॉ. सौम्य एस. बॅनर्जी
Dr. Saumya S. Banerjee

श्री माधव फड़के
Shri Madhav Phadke

श्री अजय शर्मा
Shri Ajay Sharma

श्री शैलेंद्र नाडकर्णी
Shri Shailendra Nadkarni

श्री वी. नारायणमूर्ति
Shri V. Narayanamurthy

श्री जॉर्टी चाको
Shri Jorty Chacko

श्री प्रदीप कुमार दास
Shri Pradip Kumar Das

श्री अशोक कुमार गौतम
Shri Ashok Kumar Gautam

श्री अजय नाथ झा
Shri Ajoy Nath Jha

श्री राजीव कुमार
Shri Rajeev Kumar

श्री नागराज गारला
Shri Nagaraj Garla

श्रीमती बलजिंदर कौर मंडल
Smt. Baljinder Kaur Mandal

श्री अनिल सी. राज
Shri Anil C. Raj

श्री शलील आवले
Shri Shalil Awale

श्री सुनित सरकार
Shri Sunit Sarkar

श्री संजय देशपांडे
Shri Sanjay Deshpande

अध्यक्ष का संदेश

Message from the Chairman

चुनौतियों के बीच कुछ कर दिखाना है
Delivering Amidst Challenges

"पिछले कुछ वर्षों में अपने तुलन-पत्र को मजबूत बनाने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए ठोस कदमों तथा व्यवसाय में अधिकतम और स्थिर वृद्धि दर हासिल करने पर दिए गए विशेष ध्यान की झलक वित्तीय वर्ष 2020-21 के इसके कार्य-निष्पादन में देखी जा सकती है.

The concerted steps taken by the Bank to strengthen its balance sheet and the focus on generating sustainable and stable growth in business over the years reflected in its performance in FY 2020-21."

एम. आर. कुमार
अध्यक्ष

M. R. Kumar
Chairman

प्रिय शेयरधारको,

इस वक्त जब मैं आपको यह संदेश लिख रहा हूँ, हमारी यह दुनिया एक महामारी के रूप में अभूतपूर्व ताकत से त्रस्त हो रही है. मार्च 2020 में भारत में फैली कोविड-19 महामारी ने 'दूसरी लहर' के रूप में फिर से वापसी की है. संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण विभिन्न राज्यों ने इसके प्रसार को नियंत्रित करने और लोगों की जान बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाए हैं. मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी परिवर्तनकारी घटना नहीं देखी, जिसने समाज के हर वर्ग और हर आर्थिक गतिविधि को इस हद तक प्रभावित किया हो.

पहली कोविड-19 लहर और आरंभिक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्ग पर महामारी के अति प्रतिकूल असर को कम करने के लिए सक्रिय उपाय किए. आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए भारत सरकार ने प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाते हुए आत्म निर्भर भारत जैसे व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई थी. भारत सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आरबीआई ने कई पारंपरिक और गैर-पारंपरिक उपाय अपनाए जिनमें प्रमुख हैं: नीतिगत दरों में कमी, उदार मौद्रिक नीति रुख के रूप में सतत दूरदर्शी मार्गदर्शन, खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) के माध्यम से पर्याप्त तरलता समर्थन और चुनिंदा लक्षित खंडों के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं. साथ ही, देश में आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए उधारकर्ताओं को संपत्ति के पुनर्गठन और ऋण-स्थगन के मानदंडों में छूट भी दी गई है. महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी दृष्टिकोण भी अपनाया और कोविड के लिए विशिष्ट बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ विकसित कर अपने संसाधनों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया. भारत सरकार ने गहन परीक्षण, अनिवार्य क्वारंटीन, कोविड-19 समर्पित उपचार केंद्र स्थापित किए. साथ ही, कोविड-19 संबंधित परीक्षण और उपचार शुल्क किफ़ायती आधार पर निर्धारित किए तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ मुफ्त उपचार के प्रावधान के लिए निर्देश भी जारी किए. भारत सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को निरंतर जारी रखने के लिए एक राष्ट्रीय कोविड -19 टीकाकरण रणनीति अपनाई है. हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सशक्त करने के लिए आरबीआई ने अस्पतालों, डायग्नोस्टिक्स, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों, आयातकों, मेडिकल ऑक्सीजन निर्माताओं व आपूर्तिकर्ताओं और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अन्य परिचालकों को सहायता देने हेतु बैंकों के लिए एक विशेष ऑन-टैप लिक्विडिटी विंडो की घोषणा की.

मुख्यतः एक स्वास्थ्य संबंधी चिंता होने के बावजूद इस महामारी ने दुनिया भर में जन-जीवन को जिस तरह से प्रभावित किया है, उसका बैंकिंग सहित सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है.

Dear Shareholders,

As I write this message to you, the world is being buffeted by an unprecedented force in the form of a pandemic. The COVID-19 pandemic, which broke out in India in March 2020, has seen a resurgence, leading to the 'second wave'. Due to the rising cases of infection, various states have put in place localised restrictions to control the spread and save lives. Never have I ever seen such life-changing impact sweeping across every segment of society and every economic activity.

Following the first COVID-19 wave and initial nation-wide lockdown, the Government of India (GoI) and the Reserve Bank of India (RBI) took proactive measures with a view to support economic activities as well as to mitigate the worst excesses of the pandemic on the vulnerable segments of the population. Apart from a phased roll-back of restrictions to allow resumption of economic activities, the Government of India (GoI) announced a comprehensive economic package, viz. AatmaNirbhar Bharat that envisaged financial support to critical segments of the economy. Complementing the efforts of the GoI, the RBI adopted conventional and unconventional measures such as reduced policy rates, sustained forward guidance in the form of an accommodative monetary policy stance, ample liquidity support through Open Market Operations (OMOs) and special refinance facilities for select targeted segments as well as regulatory forbearance involving relaxation in norms for restructuring assets and moratorium to borrowers to support economic activity in the country. While taking steps for cushioning the economy against the impact of pandemic-induced restrictions, the GoI also took a proactive public participative approach and developed a COVID-specific health infrastructure besides training its resources to fight the COVID-19 pandemic. The GoI conducted intensive testing, mandated quarantine, set up dedicated COVID-19 treatment centres, stipulated the COVID-19 related diagnosis & treatment charges to ensure affordability as also directed provision of free treatment for the economically weaker sections of society, among other measures. In order to sustainably execute the world's largest vaccination drive, the GoI has adopted a National COVID-19 Vaccination Strategy. In a bid to further augment the healthcare infrastructure, the RBI too announced a special on-tap liquidity window for banks to lend support to entities like hospitals, diagnostics, pharmacies, pharmaceutical companies or importers, medical oxygen manufacturers and suppliers and other operators involved in the critical healthcare supply chain.

Despite being predominantly a health concern, the way the pandemic has rapidly upended lives across the globe, it has had wide-ranging impact on all sectors, including banking.

महामारी ने बैंकिंग क्षेत्र में, खासकर डिजिटल मोर्चे पर, बदलाव की गति को तेज कर दिया है. पारंपरिक बैंकिंग मॉडल को बदलकर सामाजिक दूरी बनाने और अनावश्यक आवाजाही रोकने वाली नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए डिजिटल पहलों को शामिल किया गया है. मेरा दृढ़ विश्वास है कि बैंकिंग के लिए आगे का रास्ता नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए नए तकनीकी प्रतिमानों को जन्म देगा.

इस महामारी ने डिजिटल परिवर्तन को पहले से अधिक प्रासंगिक और जरूरी बना दिया है. जिन चुनौतियों का सामना करने की तैयारी के लिए बैंकों के पास वर्षों का समय था, वे अचानक हमारे सामने चली आ रही हैं. इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंकों को नवोन्मेषन करने, पुन: आविष्कार करने और खुद को पुनर्परिभाषित करने के लिए विवश होना पड़ा है. जब कोविड-19 महामारी ने बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ आमने-सामने संवाद को बंद करने और आभासी संचालन को बढ़ाने के लिए मजबूर किया, तो उपभोक्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस) के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग और ग्राहक सहायता जैसे डिजिटल प्रयोग अपनाने के लिए खुद को जल्दी से ढाल लिया. बैकएंड प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के अलावा कई बैंकों ने डिजिटल खाता खोलने की ओर रुख किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के साथ-साथ ग्राहकों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के उपयोग में वृद्धि की. बैंक अब एआई-पावर्ड चैटबॉट, संवर्धित वास्तविकता, सामाजिक आभासी वास्तविकता, हाइपर-वैयक्तिकरण, गेमिफिकेशन, सुरक्षित वीडियो इंटरैक्शन, डिजिटल इकोसिस्टम प्ले जैसे आवाज आधारित नवोन्मेषी चैनलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. इन घटनाक्रमों ने शाखा की प्रधानता के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को हिला दिया है.

शाखाएँ परंपरागत रूप से कई दशकों से बैंकिंग विकास की आधारशिला रही हैं. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल चैनलों के उद्भव और उपभोक्ता वरीयताओं में आए बदलावों ने बैंक के चैनल मिश्रण में शाखा के महत्व को प्रभावित किया है. महामारी के बाद की दुनिया में बैंक भी अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों जैसे कम संपर्क वाले माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. इस कोविड-19 प्रभावित दुनिया में जब इतने सारे लोगों के लिए आवाजाही प्रतिबंधित है, ऐसे में नि:संदेह रूप से रिमोट बैंकिंग का प्रयोग तेजी से बढ़ेगा. जो लोग इसे पहले ही अपना चुके थे, वे इसका प्रयोग जारी रखे हुए हैं, जबकि जो लोग इसके लिए नए हैं, वे इसे सीख रहे हैं. ज्यादातर लोग किसी भी हाल में शाखा में नहीं जाना चाहते हैं, भले ही वे जा सकते हों, क्योंकि शाखा में जाने का अर्थ है दूसरों के निकट संपर्क में आना. चूंकि इस महामारी के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं, इसलिए इस बात की संभावनाएं हैं कि कुछ ग्राहक अपनी वरीयताएं, खासकर बैंकिंग गतिविधियों के संबंध में बदल दें और संकट के समय अपने द्वारा अपनाए जा रहे डिजिटल तरीकों को अब आगे भी जारी रखें.

The pandemic has served to accelerate the pace of change in the banking space, especially on the digital front. Traditional banking models have been reoriented to incorporate digital initiatives in order to accommodate the *'new normal'* which dictates social distancing and prohibits unnecessary movement. I firmly believe that the way ahead for banking will give rise to new technological paradigms in keeping with the new realities.

The pandemic has made digital transformation more relevant and urgent than before. Opportunities that banks expected to have years to prepare for are quickly approaching and previously slow-growing pain points are being pushed to the surface. To meet these challenges, banks have been compelled to innovate, reinvent and redefine themselves. When the COVID-19 pandemic forced banks to shut down much of their face-to-face interactions with customers and step up virtual operations, consumers quickly adapted to digital applications such as mobile banking and customer support through artificial intelligence (AI). Apart from digitisation of back-end processes, a number of banks turned to digital account opening and increased use of Application Programming Interfaces (APIs) to grow their business as well as to cater to the day-to-day requirements of the customers. Banks increasingly focused on technology innovations relating to voice as a channel, AI-powered chatbots, augmented reality, social virtual reality, hyper-personalisation, gamification, secure video interactions, digital ecosystem plays and others. These developments have shaken up some long-held beliefs about the primacy of the branch.

Branches have traditionally been the cornerstone of banking evolution over many decades. However, the emergence of digital channels and changing consumer preferences over the last few years has impacted the importance of a branch in a bank's channel mix. In the post-pandemic world, banks too are encouraging their customers to use low-contact mediums such as digital banking channels. In this COVID-19 world when movement is so restricted for so many, there is no doubt that remote banking will be seeing huge levels of growth. Those who had already adopted it are carrying on with it while those who are new to it are learning how to do it. In any case, most people do not want to go to a branch even if they can as it means coming into proximity with others. With the pandemic not retracting anytime soon, it is a reasonable expectation that some customer preferences will be irrevocably changed, especially when it pertains to activities like banking which may see a more or less permanent change as customers

हालांकि भारत में अधिकांश ग्राहक अपनी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए शाखाओं और एटीएम जैसे भौतिक चैनलों पर निर्भर रहते हैं. वे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे ऑनलाइन नहीं रहने वाले पुराने ग्राहक, ग्रामीण समुदाय, दिहाड़ी मजदूर और बैंकिंग सुविधा रहित ऐसे लोग जिन्हें चेक भुनाने या भुगतान करने के लिए अभी भी एक भौतिक स्थान पर आने की जरूरत होती है. इस प्रकार, लॉकडाउन के दौरान भी, बैंक इस वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी शाखाओं के माध्यम से चुनिंदा सेवाएं प्रदान कर रहे थे.

डिजिटलीकरण में वृद्धि और चुनिंदा सेवाओं के लिए शाखा पर निरंतर निर्भरता ने *'फिजिटल'* की अवधारणा को जन्म दिया है, जो इस नई आइसोलेशन अर्थव्यवस्था में बैंकिंग रणनीति के तहत डिजिटल और भौतिक स्वरूप का संयोजन है. बैंक शाखाएं महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु बनी रहेंगी लेकिन संवाद की भूमिका और उसके आकार-प्रकार में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे. बैंकों को पारंपरिक शाखा मॉडल पर पुनर्विचार करना होगा तथा इस बात पर ध्यान देना होगा कि डिजिटल बैंकिंग के माध्यम के अलावा कैसे ग्राहक को विशिष्ट, बेहतर, भौतिक सेवाएँ और अनुभव प्रदान किए जाएँ. साथ ही बैंकों को भौतिक अनुभवों को बढ़ाने व सेवाओं को तेज, अधिक सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना होगा. इस नई सामान्य स्थिति में इस बात की संभावना है कि ग्राहक बैंक से संवाद का तरीका खुद चुनें, खास तौर पर अब वे बैंक शाखा में आने को कम प्राथमिकता देंगे. पारंपरिक भौतिक शाखाओं के साथ-साथ बैंक अब *'ब्रांच-ऑन-व्हील्स'* अवधारणा जैसे मॉडलों की संभावना भी तलाश कर सकते हैं, जो ग्राहकों को उनके पड़ोस में बैंकिंग सुविधाएं दें या बैंकिंग किओस्क भी लगाएँ जो अन्य व्यवसायों या भौतिक गंतव्यों के भीतर ही स्थित हों. हालांकि मौजूदा बैंकों के लिए शाखा नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण बना रहेगा, लेकिन इसकी प्रासंगिकता बढ़ाने और ग्राहकों को ओमनी चैनल सरीखी बहुविध सुविधा प्रदान करने के लिए नवाचार पर ध्यान देने की आवश्यकता है. दैनिक बैंकिंग की सुविधा का ज़ोर बढ़ने से लोग डिजिटल मोड की ओर रुख कर रहे हैं. लेकिन, जब ग्राहक डिजिटल चैनलों से भौतिक शाखाओं की ओर शिफ्ट होने का विकल्प चुनेंगे, तो उन्हें नए चैनल में इतनी सुविधा देना थोड़ा जटिल होगा.

एक और कारक है जो शाखाओं की भूमिका में बदलाव का कारण बन रहा है. वह है- महामारी के समय के बाद पूरे विश्व में उपभोक्ताओं, कारोबारों और समुदायों द्वारा झेली गई आर्थिक कठिनाइयों के चलते संपत्ति प्रबंधन और परामर्शी सेवाओं के लिए बढ़ती मांग. आने वाले समय में शाखाएं ग्राहकों में भरोसा पैदा करने, उच्च मूल्य वाली सलाह देने और जटिल उत्पादों की व्याख्या करने में अनिवार्य भूमिका अदा करेंगी. उच्च स्तर के डिजिटलाइजेशन से उत्पादों और सेवाओं के बीच अंतरसंबंध मजबूत हो सकते हैं तथा ग्राहकों को और अधिक विकल्प एवं पारदर्शिता उपलब्ध कराकर और उन्हें विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करते हुए उनके लिए कुछ अलग किया जा सकता है.

carry on embracing the digital methods they have been adopting to a greater extent during the crisis.

However, in India, a significant chunk of customer base relies on the physical channels such as branches and ATMs for catering to their banking needs. They continue to remain important to sections of society such as older customers who may not be online, rural communities, and also casual workers and the 'unbanked' who still need a physical place to come in order to encash cheques or make payments. Thus, even during the lockdowns, banks were providing select services through their branches to cater to these segments.

The interplay of rising digitalisation and continued reliance on branch for select services has given rise to the concept of *'phygital'*, which sees a combination of digital and physical, as a banking strategy for the new isolation economy. Branches will continue to be a critical part of a bank's touchpoints but the role, shape and size of interactions will see a significant change. Banks will be compelled to rethink the traditional branch model and focus on how to deliver specific, high value, physical interactions and experiences that can complement a digital banking core. At the same time, banks must leverage digital technologies to augment physical experiences and make services faster, more secure and more convenient. In the new normal, customers are likely to carefully pick and choose how to spend their time interacting, especially when it comes to something like a bank branch which may be low-priority destination for many. Complementing the traditional brick-&-mortar branches, banks may explore models like *'branch-on-wheels'* concept that can take the banking facilities to the neighborhood of customers or banking kiosks that are co-located within other businesses or physical destinations. While the branch network will continue to be very important for incumbent banks, there is a need to focus on innovation to increase its relevance and in creating a unified omni-channel customer experience. The focus on convenience for everyday banking is prompting a shift to digital modes. But it is critical to provide customers a consistent cross channel journey when they choose to shift from digital channels to physical branches.

Another factor which is causing a shift in role of branches is the rising demand for wealth management and advisory services on account of economic hardship faced by consumers, businesses and communities across the globe in the post-pandemic period. Branches of the future will play an integral role in creating trust, providing high value advice and explaining complex products. Higher degree of digitalisation can reinforce interconnections

सच कहा जाए तो इनमें से कोई भी तत्त्व पूरी तरह से नया नहीं है किंतु ये परिचालनगत परिवेश में आए अप्रत्याशित बदलावों के चलते मौजूदा प्रवृत्तियों में आई तीव्र गतिशीलता को दर्शाते हैं.

इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद आपके बैंक ने सराहनीय दूरदृष्टि और फुर्ती के साथ नए क्षेत्र की यात्रा पूरी की है. इन पिछले दो वर्षों में, अर्थात जबसे मैं अध्यक्ष के रूप में जुड़ा हूँ, आपके बैंक ने चुनौतियों के इस बाधक बवंडर का कुशलता से सामना किया है और वह कुछ प्रभावशाली परिणामों के साथ विजयी होकर उभरा है. पिछले कुछ वर्षों में अपने तुलन-पत्र को मजबूत बनाने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए संगठित कदमों और व्यवसाय में टिकाऊ और स्थिर वृद्धि दर हासिल करने के लिए दिए गए विशेष ध्यान की झलक वित्तीय वर्ष 2020-21 के इसके कार्य-निष्पादन में देखी जा सकती है. बैंक वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 1,359 करोड़ का निवल लाभ अर्जित करते हुए लगातार पाँच वित्तीय वर्षों तक घाटे में रहने के बाद पहली बार मुनाफे की स्थिति में लौटा है. बैंक ने आस्ति और देयता दोनों पक्षों की ओर रिटेल बही के पक्ष में बढ़ते झुकाव को जारी रखा है. बैंक की पूंजी स्थिति विनियामकीय अपेक्षाओं के स्तरों से ऊपर बनी हुई है. संकेंद्रित दृष्टिकोण से आपके बैंक को अपनी वसूली और अपग्रेडेशन में सुधार लाने में मदद मिली है जिसके परिणामस्वरूप इसके आस्ति गुणवत्ता अनुपातों अर्थात सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात में सुधार हुआ है. बैंक की वित्तीय सेहत में आए सुधार और कुछ विनियामकीय अपेक्षित मानदंडों के अनुपालन के प्रति आरबीआई को दी गई इसकी वचनबद्धता के फलस्वरूप आरबीआई ने 10 मार्च 2021 से त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा के अंतर्गत बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों को उठा लिया. यह वास्तव में बैंक के लिए एक अहम उपलब्धि है क्योंकि यह न केवल इसके नेतृत्व और प्रबंधन टीमों के दृष्टिकोण को बल्कि इस सपने को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करने वाले जमीनी स्तर के समूचे कार्यबल की कड़ी मेहनत और समर्पण को भी रेखांकित करती है.

₹1,359 करोड़

वित्तीय वर्ष 2020-21 में निवल लाभ

आपके बैंक की रणनीति अपने परिचालन क्षेत्र में उभरनेवाली प्रवृत्तियों के अनुरूप आकार लेती रहेगी. एक लक्ष्य की प्राप्ति दूसरे लक्ष्य के लिए प्रस्थान बिन्दु होना चाहिए, यह विचार आपके बैंक के व्यवसाय दर्शन का मूल तत्त्व है. वार्षिक रिपोर्ट की थीम *'बेहतर कल की ओर'* को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक अपनी पेशकशों और पहलों के जरिए अपने ग्राहकों के जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनके साथ साझेदारी करता रहेगा. अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और साथ ही ग्राहकों से जुड़े एप्लिकेशनों, दोनों के डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए आपका बैंक अपनी सेवाओं की त्वरित और निर्बाध सुपुर्दगी के लिए हरसंभव प्रयास करेगा. निडर और लक्ष्य केंद्रित होने पर किसी अकेले व्यक्ति की शक्ति दुर्जेय होती है किंतु एक साथ

between products and services and make a difference for consumers by giving them more choice and transparency and by helping them to make better-informed decisions. Admittedly, none of these elements are entirely new but they reflect accelerations of existing trends, punctuated with some additional factors prompted by unexpected shifts in the operating environment.

Despite these challenging circumstances, your Bank navigated the uncharted territory with commendable foresight and nimbleness. In these last two years, that is since the time I have joined as Chairman, your Bank did swim through this disruptive whirlwind of challenges and emerged triumphantly with some impressive results. The concerted steps taken by the Bank to strengthen its balance sheet and the focus on generating sustainable and stable growth in business over the years reflected in its performance in FY 2020-21. The Bank was back in the black for the first time after five consecutive financial years of loss with a Net Profit of ₹ 1,359 crore in FY 2020-21. The Bank has continued to witness an increasing skew in favour of retail book, both on the asset side and the liability side. The capital position of the Bank remained comfortably above the regulatorily required levels. A focussed approach has helped your Bank in improving its recovery and upgradation, thereby seeing an improvement in its asset quality ratios, viz. Gross Non-Performing Assets (GNPAs) ratio and Net Non-Performing Assets (NNPA) ratio. The improvement in the Bank's financial health and its commitment to the RBI to comply with certain regulatorily required parameters saw the RBI lifting the restrictions imposed on the Bank under the Prompt Corrective Action (PCA) framework with effect from March 10, 2021. This was indeed a momentous achievement for the Bank as it underscores not just the vision of its leadership and management teams but also the hard work and dedication of the entire ground level workforce who toiled to make this dream come true.

₹1,359 crore

Net Profit in FY 2020-21

The contours of your Bank's strategy will continue to be shaped by the emerging trends in its sphere of operations. The idea that the achievement of one goal should be the starting point of another is central to your Bank's business philosophy. In keeping with this Annual Report's theme of *"Towards a Better Tomorrow"*, your Bank, through its offerings and initiatives, will continue to partner its customers in achieving their life goals. By moving towards greater digitalisation of both its internal processes as well as customer interfacing applications, your Bank will strive

मिलकर काम करनेवाले बहुत से व्यक्तियों की शक्ति अविजेय होती है. आपके बैंक की टीम ने अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखे हैं और इसने समुदाय की शक्ति के लिए गहरी समझ और ज्ञान, कौशल एवं कठोर परिश्रम की अंतरसम्बद्धता के साथ इसके संकल्प, उद्देश्य और दिशा को मजबूत बनाने का कार्य किया है. आपके बैंक ने हाल के कुछ समय में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं किंतु केवल इन उपलब्धियों से संतुष्ट होने की बजाए बैंक नये क्षितिजों को छूने के लिए दृढ़ प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है.

आपका बैंक सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा बैंक बनने की अपनी यात्रा में धीरे-धीरे अग्रसर है. मैं बैंक के ग्राहकों को इसके प्रति जताए गए भरोसे के लिए धन्यवाद देता हूं. मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और आग्रह करूंगा कि बैंक के प्रयासों के प्रति आपका सतत समर्थन आगे भी जारी रहे. यहाँ तक के सफर में आपके समर्थन से बैंक को काफी सहायता मिली है. मैं निदेशक मंडल के अपने सभी सहयोगियों को भी उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिसके चलते आपके बैंक को लगातार विकसित हो रहे परिचालन परिवेश में चुनौतियों से पार पाने और उभरते अवसरों से लाभ उठाने में मदद मिली है. अंत में, मैं आपके बैंक के कर्मचारियों को ऐसे विपरीत समय में भी किए गए उनके अनथक प्रयत्नों और समर्पण भावना के लिए धन्यवाद देता हूं. बैंक के सभी हितधारकों ने बेहतर कल के निर्माण में अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार उल्लेखनीय योगदान दिया है.

यदि हम आने वाले कल की ओर देखें तो यह बात तय है कि आने वाला वर्ष कारोबारों और साथ ही उपभोक्ताओं के डाँवांडोल विश्वास से उत्पन्न चुनौतियों और आर्थिक कार्यकलापों की अस्थिर गति से बाधित रह सकता है. एक कठोर स्वास्थ्य आपातकाल ने प्रभावित लोगों, कारोबारों और साथ ही साथ, नीति-निर्माताओं की ओर से असाधारण प्रतिक्रियाओं और परिणामों की संभावनाएं बना दी हैं. इन परिस्थितियों में बैंक अपने ग्राहकों के साथ खड़ा रहने और वित्तीय सेवाओं की निर्बाध सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और वह संकट के असर को कम करने के लिए राहत उपायों में अपनी भागीदारी जारी रखेगा. आपका बैंक परिचालन परिवेश में बढ़े हुए जोखिमों से अवगत है और मजबूत एवं लचीला बने रहने के लिए कदम उठाएगा तथा संभावित हानियों को वहन करने के लिए सुदृढ़ स्थिति में बना रहेगा. इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करने की आपके बैंक की प्रतिबद्धता मजबूत बनी हुई है. मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर बेहतर कल की ओर आगे बढ़ेंगे.

शुभकामनाओं सहित,

एम. आर. कुमार
अध्यक्ष

in its efforts to ensure expeditious and seamless delivery of its services. The power of one, if fearless and focused, is formidable, but the power of many working together is unassailable. Your Bank's team has seen its efforts yielding positive results and this has served to strengthen its resolve, purpose and direction, along with a deeper appreciation for the power of community and the interconnectivity of knowledge, skills and hardwork. Your Bank has crossed many significant milestones in the recent past but rather than resting on its laurels, the Bank is committed to soldiering on in order to conquer new horizons.

As your Bank forges ahead on its journey of being the most trusted and preferred bank, I would like to thank the Bank's customers for placing their trust in it. I would also like to thank you and solicit your continued support towards the Bank's endeavours which has helped it in coming so far in its journey. I would also like to thank all colleagues on the Board of Directors for their valuable guidance which helped your Bank in successfully triumphing over challenges and grabbing the emerging opportunities in the constantly evolving operating environment. Last but not the least, I would like to thank the employees of your Bank for their untiring efforts and dedication even in such tumultuous times. All of the Bank's stakeholders, in their own capacity, are contributors to the larger design of a better tomorrow.

Going forward, it is inevitable that the year ahead will be peppered with challenges stemming from wavering confidence among businesses as well as consumers as also sputtering momentum of economic activities. A health emergency of this magnitude has demanded extraordinary responses and outcomes from all the affected population, businesses as well as policymakers. Under these circumstances, the Bank remains committed to being with its customers and ensuring seamless delivery of financial services and will participate in the relief measures to mitigate the impact of the crisis. Your Bank is cognisant of the elevated risks in the operating environment and will take steps to remain strong and resilient and be well-positioned to absorb potential losses that could arise. Your Bank's commitment to create value for all its stakeholders continues to remain strong even in these challenging times. I am sure that together, we are going to move towards a better tomorrow.

With best wishes,

M. R. Kumar
Chairman

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

Message from the Managing Director & CEO

उभरती परिस्थितियाँ. अनुकूल रणनीति

Evolving Circumstances. Consistent Strategy

"इस महामारी के समय आपके बैंक ने निर्बाध बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने, विभिन्न परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करने तथा कारोबार के लिए कार्यशील पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रभावी तत्परता दिखाई.

Your Bank responded quickly and effectively to the demands of the pandemic by ensuring uninterrupted banking services, providing financial relief to households, and ensuring flow of working capital to business."

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

प्रिय शेयरधारको,

मैं आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ प्रस्तुत कर रहा हूँ. इससे पहले कि मैं आपके बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन के बारे में विस्तार से बताऊं, मैं आपको एक प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा.

वित्तीय वर्ष 2020-21 हर नजरिए से एक असाधारण वर्ष था. यह कोविड-19 सरीखी वैश्विक महामारी का वर्ष था, जिसने वैश्विक मंदी को जन्म दिया. यह एक ऐसा वर्ष था, जिसके दौरान लाखों लोगों की जान बचाने के साथ-साथ महामारी के आर्थिक दुष्परिणाम रोकने के लिए सरकारी स्तर पर अभूतपूर्व कदम उठाए गए. यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें हममें से प्रत्येक को कठिन व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा और हममें से कई लोगों ने अपने प्रियजन खो दिए. कोविड-19 महामारी के चलते स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों से प्रभावित हुए लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ.

वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति

जहां सारी दुनिया कोविड-19 महामारी के प्रकोप से हर मोर्चे पर जूझ रही थी, वहीं भारत भी इस महामारी से काफी प्रभावित हुआ. इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए, भारत ने मार्च 2020 के अंत में लॉकडाउन लगाया, जो अगले दो महीनों तक जारी रहा. भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दोनों ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां लागू कीं. भारत सरकार ने मार्च 2020 में ₹ 1.7 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित करने के बाद व्यापार को प्रोत्साहित करने, निवेश आकर्षित करने और 'मेक इन इंडिया' अभियान को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में मई, अक्टूबर और नवंबर महीनों में तीन चरणों में 'आत्मनिर्भर भारत' नामक एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज आरंभ किया. इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज में विभिन्न परिवारों को वस्तु व नकदी सहायता, प्रधान मंत्री निर्धन कल्याण रोजगार अभियान के तहत रोजगार प्रावधान उपाय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत आबंटन में वृद्धि, एमएसएमई और एनबीएफसी के लिए क्रेडिट गारंटी और इक्विटी प्रदान करना आदि बातें शामिल हैं. इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत संरचनात्मक सुधारों की भी घोषणा की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र का विनियमन, एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव, नई पीएसयू नीति, कोयला खनन का व्यवसायीकरण, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में उच्चतर एफडीआई सीमाएं, औद्योगिक भूमि/भूमि बैंक और औद्योगिक सूचना प्रणाली का विकास, सामाजिक बुनियादी संरचना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना में सुधार, नई बिजली शुल्क नीति और राज्यों

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank, I place before you the highlights of your Bank's performance for the financial year 2020-21. Before I elaborate on the details of your Bank's operational and financial performance, I would like to briefly outline the state of the Indian economy in 2020-21 to provide a contextual perspective.

Financial Year (FY) 2020-21 was an extraordinary year by any measure. It was a year of a global pandemic, COVID-19, which triggered a global recession. It marked a year of unprecedented government actions to save millions of lives as well as to strive to contain the economic fallout of the pandemic. It was a year in which each of us faced difficult personal challenges, and a staggering number of us lost loved ones. My heart goes out to everyone who has been affected by the health and economic challenges of the COVID-19 pandemic.

State of the Indian economy in FY 2020-21

As the world was battling on all fronts against the outbreak of the COVID-19 pandemic, India was also considerably affected by the pandemic. In a bid to contain the spread of the pandemic, India went into a lockdown in late March 2020, which continued for the next two months. Both the Government of India (GoI) and the Reserve Bank of India (RBI) implemented a judicious mix of fiscal and monetary policies to mitigate the negative impact of COVID-19 on the economy. Topping up the ₹ 1.7 lakh crore relief package announced in March 2020, the GoI unveiled a special economic and comprehensive package 'AtmaNirbhar Bharat' in three phases in the months of May, October and November in the year 2020 with an aim to encourage business, attract investments and strengthen the resolve for 'Make in India'. The AtmaNirbhar Bharat package included, among others, in-kind and cash transfer relief measures for households, employment provision measures under Pradhan Mantri Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan, increased allocation under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), credit guarantee & equity infusion-based relief measures for MSMEs & NBFCs etc. Structural reforms were also announced as part of the AtmaNirbhar Bharat Package which, inter alia, included deregulation of the agricultural sector, change in definition of MSMEs, new PSU policy, commercialization of coal mining, higher FDI limits in defense and space sector, development of Industrial Land/ Land Bank and Industrial Information System, revamp of Viability Gap Funding scheme for social infrastructure, new power tariff policy and

को विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल थे. आरबीआई ने कमजोर क्षेत्रों, संस्थाओं और वित्तीय साधनों की सहायता हेतु पर्याप्त प्रणाली-स्तरीय लिक्विडिटी के साथ-साथ लक्षित लिक्विडिटी सुनिश्चित करने के लिए परंपरागत और गैर-परंपरागत उपाय अपनाए. आरबीआई ने नीतिगत दरों में कमी लाने और एक उदार मौद्रिक नीति के रूप में दूरदर्शी मार्गदर्शन देने के अलावा, दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ), लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से बाजार संचालित किया. इसके अलावा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए टीएलटीआरओ, म्यूचुअल फंड के लिए एक लिक्विडिटी विंडो, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) की लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार के लिए एक विशेष प्रयोजन उद्देश्य से एक विशेष लिक्विडिटी योजना (एसएलएस) का संचालन, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) का चयन करने के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) और ट्विस्ट परिचालनों सहित ओपन मार्केट परिचालन (ओएमओ) आदि पहल कार्य किए गए. आरबीआई ने नियामकीय धैर्य अपनाते हुए उधारकर्ताओं को ऋण-स्थगन देने के साथ-साथ आस्ति के पुनर्गठन के लिए दो चरणों में शिथिल नियमों के साथ समाधान रूपरेखा की भी घोषणा की.

भारत सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए ठोस उपायों के चलते वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में भारत को आर्थिक पुनरुद्धार में मदद मिली, जो भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हुई सकारात्मक वृद्धि से देखा जा सकता है. हालांकि वर्ष की पहली दो तिमाहियों में हुए संकुचन के चलते सम्पूर्ण वर्ष में नकारात्मक वृद्धि ही दर्ज हो सकी.

कारोबार रणनीति

विभिन्न घटनाक्रम से भरपूर इस वर्ष में आपके बैंक ने इस बात को स्वीकार किया कि विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के सपने पूरे करने में और उनके कठिन समय में उनके लिए संबल बनने में बैंक एक प्रमुख भूमिका निभाता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए तथा सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद बैंक होने के अपने संकल्प को देखते हुए उचित कदम उठाए. आपके बैंक ने निर्बाध बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने, विभिन्न परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करने, कार्यशील पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित करने, व्यापार के लिए ऋण प्रदान करने के अलावा भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विभिन्न नीतिगत उपायों को लागू करते हुए इच्छित लाभार्थियों को राहत प्रदान कर इस महामारी के समय अपनी तत्परता दिखाई.

ऐसे समय में जब दुनिया के सामने आने वाले संकट की प्रकृति या परिमाण का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था, तब बैंक ने इस तीव्र दबावपूर्ण समय में भी अपनी वित्तीय और परिचालन स्थिति में लचीलापन दर्शाया. बैंक की नेतृत्व टीम के विजन और इसके कार्यबल के अथक प्रयासों से अच्छे परिणाम सामने आए जो बैंक के कार्य-निष्पादन में हुए सुधार से परिलक्षित होते हैं.

incentivising States to undertake sector reforms. The RBI also responded with a mix of conventional and unconventional measures to ensure ample system-level liquidity as well as targeted liquidity to support vulnerable sectors, institutions and financial instruments. In addition to reduced policy rates and sustained forward guidance in the form of an accommodative monetary policy stance, the RBI conducted market operations through a variety of instruments, including Long Term Repo Operations (LTROs), Targeted Long Term Repo Operations (TLTROs), On-Tap TLTROs aimed at specific sectors, a liquidity window for mutual funds, a Special Liquidity Scheme (SLS) operationalised through a special purpose vehicle to improve the liquidity position of Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and Housing Finance Companies (HFCs), special refinance facilities to select All India Financial Institutions (AIFIs), Open Market Operations (OMOs) including in State Development Loans (SDLs) and twist operations. The RBI also extended regulatory forbearance that saw moratorium being extended to borrowers as well as announced Resolution Framework in two phases with relaxed norms for restructuring assets.

The concerted measures taken by the GoI and the RBI helped the economic revival as evidenced by the positive growth in India's real Gross Domestic Product (GDP) in the second half of FY 2020-21, although the contraction in the first two quarters resulted in negative growth for the full year.

Business Strategy

As the events unfolded throughout the year, your Bank responded appropriately, guided by its vision of being the most preferred and trusted bank, as it acknowledged that banking plays an essential role in enabling companies and individuals to reach for their dreams, and for being a source of strength in difficult times. Your Bank responded quickly and effectively to the demands of the pandemic by ensuring uninterrupted banking services, providing financial relief to the households, ensuring flow of working capital and credit to business and supporting the delivery of the policy measures announced by the GoI and the RBI to the intended beneficiaries.

While no one could have ever predicted the nature or extent of the crisis that is unfolding before the world, the Bank exhibited financial and operational resilience during a period of intense stress. The vision of the Bank's leadership team, coupled with the untiring efforts of its workforce, bore fruits as reflected by the improvement in the performance of the Bank.

चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण और महामारी के चलते उभर रही अनिश्चितताओं को देखते हुए बैंक ने सुविचारित जोखिम-शोधन कारोबार रणनीति अपनाई है ताकि लंबे समय तक स्थिर और लाभदायक विकास सुनिश्चित किया जा सके. एक रिटेल-केंद्रित बैंक के रूप में अपनी परिकल्पित रणनीतिक स्थिति को जारी रखते हुए तथा पीसीए रूपरेखा के तहत कॉरपोरेट को उधार देने में बाधाओं के चलते आपके बैंक ने अपनी खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) आस्ति बही को बढ़ाने पर ज़ोर देना जारी रखा. साथ ही, बैंक ने अपने कॉरपोरेट एक्सपोजर को सावधानीपूर्वक सीमित करना जारी रखा ताकि समग्र रूप में अपनी बहुविध आस्तियों को अपेक्षानुसार परिमाण में लाया जा सके. देयता के मोर्चे पर, आपके बैंक ने थोक सावधि जमाराशियों पर निर्भरता कम करते हुए अपने कम लागत वाले जमा आधार यानी कासा जमा और खुदरा सावधि जमा को बढ़ाने का प्रयास किया. आपके बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ हुए तालमेल के अवसर का लाभ उठाते हुए उनसे संपर्क जारी रखा ताकि अपनी खुदरा देयता और आस्ति बही में वृद्धि के साथ-साथ शुल्क आधारित आय में वृद्धि हासिल की जा सके. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने एलआईसी की ओर से ₹ 863 करोड़ की प्रीमियम राशि एकत्रित की, जो एलआईसी द्वारा बैंकएश्योरेंस के माध्यम से एकत्र की गई कुल प्रीमियम राशि का 50% है. इस कार्य से बैंक ने ₹ 62 करोड़ की शुल्क आय अर्जित की. आपके बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की नई पेशकश शुरू करने और मौजूदा उत्पादों/सेवाओं में सुधार करने से इन रणनीतिक प्रयासों को काफी बल मिला. महामारी जनित प्रतिबंधों के चलते आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों को देखते हुए आपके बैंक ने वैकल्पिक/डिजिटल चैनलों में निर्बाध ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्राहकों की सहूलियत बढ़ाने के लिए नई कार्यक्षमताओं को भी जोड़ा.

₹863 करोड़

एलआईसी की ओर से बैंक द्वारा एकत्र की गई प्रीमियम राशि

आपके बैंक ने एक स्थिर और लाभदायक विकास पथ हासिल करने के लिए आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने की जरूरत महसूस करते हुए कानूनी और विनियामक मार्गों के माध्यम से अपचारी आस्ति पोर्टफोलियो में अधिकतम वसूली और उन्नयन के प्रयास तेज कर दिए हैं. बैंक ने मौजूदा दबाव को हल करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की दिशा में कॉरपोरेट और खुदरा पोर्टफोलियो में वसूली के लिए समर्पित टीमों का भी गठन किया है. साथ ही आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को कम करने के लिए बैंक ने अपने ऋण निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया है ताकि बैंक के पोर्टफोलियो में दबाव की शुरुआत की बारीकी से निगरानी की जा सके और आस्ति गुणवत्ता में गिरावट को रोका जा सके. इस संदर्भ में यह उल्लेख करना उचित होगा

The Bank has adopted a risk-calibrated business strategy to ensure stable and profitable growth over the longer run, especially in view of the challenging operating environment and the uncertainties brought to the forefront by the pandemic. Continuing on its envisaged strategic positioning as a retail-focussed bank as also due to constraints on lending to corporates on account of being under the PCA framework, your Bank persevered on ramping up its Retail, Agri and MSME (RAM) asset book. At the same time, the Bank continued to consciously limit its corporate exposure to bring about the desired asset mix which is diversified and granular in nature. On the liability side, your Bank strived to boost the share of its low-cost deposits base i.e. CASA deposits to the total deposit while reducing reliance on bulk term deposits. Tapping into the synergy opportunities, your Bank continued to liaison with the Life Insurance Corporation of India (LIC) to derive benefits in terms of growth in its retail liability and asset book as well as augment fee income. During FY 2020-21, the Bank collected premium amounting to ₹ 863 crore on behalf of the LIC, which accounts for 50% of the total premium collected by the LIC through Bancassurance, and earned a fee income of ₹ 62 crore. These strategic endeavours of your Bank were backed by introduction of new offerings as well as revamping the existing products/ services. Given the restrictions on movement due to the pandemic, your Bank ensured seamless customer experience across alternate/ digital channels as also added new functionalities to enhance customer convenience.

₹863 crore

Premium collected by the Bank on behalf of LIC

Recognising the need for addressing the asset quality concerns in a sustained manner for securing a stable and profitable future growth path, your Bank has intensified its efforts to maximise recovery and upgradation of delinquent asset portfolio through legal and regulatory routes. To ensure a focussed approach to resolve the existing stress, the Bank has also set up dedicated teams to drive recovery in corporate and retail portfolio. In order to mitigate the asset quality concerns going forward, the Bank has also strengthened its credit monitoring mechanism in order to closely monitor the onset of stress in the Bank's portfolio and to prevent slippages in asset quality. In this context, it may be pertinent to mention that keeping in view the possible financial stress on its customers base on account of the COVID-19 induced lockdown/

कि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन/प्रतिबंधों के कारण अपने ग्राहक आधार पर संभावित वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने नियामकीय और सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत सभी पात्र ग्राहकों को ऋण-स्थगन अवधि प्रदान की है. ऋण-स्थगन का विकल्प चुनने वाले उधारकर्ताओं के खातों की बारीकी से निगरानी की जा रही है ताकि नियमित चुकौती सुनिश्चित कर आस्ति गुणवत्ता में दबाव से बचा जा सके.

अपनी कारोबार रणनीति के व्यापक ढांचे के अंतर्गत आपके बैंक द्वारा की गई पहल के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के 'निदेशकों की रिपोर्ट' और 'प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण' खंड में दिए गए हैं. मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आपके बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सामूहिक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं. मैं आपके लिए इनमें से कुछ पैरामीटर यहाँ विशेष रूप से प्रस्तुत करना चाहूँगा.

वित्तीय और परिचालनगत विशेषताएँ

एक चुनौतीपूर्ण समय में परिचालन करते हुए आपका बैंक अपने हितधारकों हेतु मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध रहा और वर्ष के दौरान बेहतर वित्तीय कार्य-निष्पादन प्रस्तुत किया.

1.97%

मार्च 2021 अंत में निवल एनपीए

आपके बैंक की कुल जमाराशियों में 3.81% की वृद्धि हुई और यह मार्च 2020 के अंत के ₹ 2.22 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में ₹ 2.31 लाख करोड़ हो गईं. बैंक के कम लागत वाले कासा जमा आधार में 9.70% की वार्षिकीकृत वृद्धि हुई और यह मार्च 2020 के अंत के ₹ 1.06 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में ₹ 1.16 लाख करोड़ हो गया. इसके फलस्वरूप कुल जमाराशियों में कासा जमाओं की हिस्सेदारी में 271 आधार बिंदुओं (बीपीएस) की बढ़ोतरी हुई और यह मार्च 2020 के अंत के 47.74% से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 50.45% हो गई. इसी प्रकार रिटेल मीयादी जमा बही में भी सुचिन्तित रूप से वृद्धि दर्ज की गई और यह मार्च 2020 के अंत के ₹ 76,993 करोड़ की तुलना में 13.76% बढ़कर मार्च 2021 के अंत में ₹ 87,586 करोड़ हो गई. बैंक ने उच्च लागत वाली संस्थागत जमाओं पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए थोक जमाओं में 31.65% की कमी की और यह मार्च 2020 के अंत के ₹ 39,243 करोड़ से घटकर मार्च 2021 के अंत में ₹ 26,821 करोड़ के स्तर पर पहुँच गई और इसके परिणामस्वरूप कुल जमाओं में इसका हिस्सा मार्च 2020 के अंत के 17.64% से घटकर मार्च 2021 के अंत में 11.62% रह गया. इन घटनाक्रमों से बैंक को अपनी जमाओं की लागत को वित्तीय वर्ष 2019-20 के 5.08% से 79 बीपीएस कम कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 4.29% के स्तर पर लाने तथा निधियों की लागत में 88 बीपीएस कमी लाकर वित्तीय वर्ष

restrictions, your Bank extended the moratorium facility to all eligible customers in line with the regulatory and statutory guidelines. The accounts of borrowers who have opted for the moratorium are being monitored closely to ensure regular repayment and thereby, avoid stress in asset quality.

The initiatives taken by your Bank, under the broad contours of its business strategy, have been detailed in the Directors' Report and Management Discussion and Analysis sections of the Annual Report. I am pleased to state that the concerted efforts taken by your Bank yielded positive results on several fronts. I would like to highlight some of these parameters for your benefit.

Financial and Operational Highlights

Operating in a challenging time, your Bank remained committed to creating value for its stakeholders and turned in a strong financial performance during the year.

1.97%

Net NPA as at end-March 2021

The total deposits of your Bank grew by 3.81% from ₹ 2.22 lakh crore as at end-March 2020 to ₹ 2.31 lakh crore as at end-March 2021. The low-cost CASA deposit base of the Bank registered an annualised growth of 9.70% from ₹ 1.06 lakh crore as at end-March 2020 to ₹ 1.16 lakh crore as at end-March 2021, leading to an increase in the share of CASA deposits to total deposits by 271 basis points (bps) from 47.74% as at end-March 2020 to 50.45% as at end-March 2021. Simultaneously, the retail term deposits book was consciously grown by 13.76% from ₹ 76,993 crore as at end-March 2020 to ₹ 87,586 crore as at end-March 2021. Reducing its reliance on institutional deposits, the Bank pruned its bulk deposits by 31.65% from ₹ 39,243 crore as at end-March 2020 to ₹ 26,821 crore as at end-March 2021, resulting in a lower share in the total deposits from 17.64% as at end-March 2020 to 11.62% as at end-March 2021. These developments helped the Bank in reducing its Cost of Deposits by 79 bps from 5.08% for FY 2019-20 to 4.29% for FY 2020-21 and Cost of Funds by 88 bps from 5.44% for FY 2019-20 to 4.56% for FY 2020-21.

Making progress in its strategy of realigning the portfolio mix in favour of retail, your Bank's loan book composition of retail to corporate advances improved

2019-20 के 5.44% से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 4.56% के स्तर पर लाने में सहायता मिली.

पोर्टफोलियो संमिश्र में रिटेल का हिस्सा बढ़ाने की अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ते हुए आपके बैंक का कॉरपोरेट अग्रिमों की तुलना में रिटेल ऋणों के अनुपात वाला ऋण मार्च 2020 के अंत के 56:44 से सुधरकर मार्च 2021 के अंत में 62:38 हो गया. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के मोर्चे पर बैंक ने 40% के विनियामकीय पीएसएल लक्ष्य को पार करते हुए कुल ₹ 69,334 करोड़ के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम प्रदान किए जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40.95% रहा.

कुछ रणनीतिपरक पूंजी संरक्षण उपायों को अपनाते हुए रिटेल उन्मुख पोर्टफोलियो संमिश्र की ओर बढ़ते झुकाव से आपका बैंक अपनी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) को मार्च 2020 के अंत के ₹ 1.59 लाख करोड़ से कम कर मार्च 2021 के अंत में ₹ 1.57 लाख करोड़ के स्तर पर लाने में सफल रहा. आपके बैंक की पूंजीगत स्थिति में सुधार हुआ है और जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) और टीयर 1 पूंजी सह पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) अनुपात मार्च 2020 के अंत के क्रमशः 13.31% और 10.57% से सुधरकर मार्च 2021 के अंत में क्रमशः 15.59% और 13.06% हो गया है. इस प्रकार दोनों ही अनुपात आरबीआई द्वारा निर्धारित क्रमशः 10.875% और 8.875% के न्यूनतम स्तरों से अधिक रहे.

अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से यहाँ भी सकारात्मक असर पड़ा है. सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) और निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) मार्च 2020 की समाप्ति के क्रमशः 27.53% और 4.19% से सुधरकर मार्च 2021 के अंत में क्रमशः 22.37% और 1.97% रहीं. सुचिन्तित रणनीति के तौर पर आपके बैंक ने अपने प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार किया और यह मार्च 2020 के अंत के 93.74% की तुलना में मार्च 2021 के अंत में 96.90% रहा जो निर्विवाद रूप से उद्योग के उच्चतम पीसीआर में से एक है. खातों की गहन निगरानी ने प्रथम बार एनपीए (एफटीएनपीए) को वित्तीय वर्ष 2019-20 के ₹ 8,384 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम कर ₹ 2,382 करोड़ तक लाने में मदद की.

आपके बैंक द्वारा किए गए रणनीतिपरक उपायों से इसकी निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सुधार लाने में मदद मिली और यह वित्तीय वर्ष 2019-20 के 2.61% से 77 बीपीएस बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3.38% हो गई. बैंक के परिचालन लाभ में 38.71% की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2019-20 के ₹ 5,112 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 7,091 करोड़ हो गया. लगातार पाँच वित्तीय वर्षों तक घाटा दर्ज करने के बाद पहली बार बैंक वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 1,359 करोड़ का निवल लाभ दर्ज कर पुनः मुनाफे की स्थिति में आ गया. यह बैंक के लिए वास्तव में यादगार उपलब्धि है, विशेष रूप से इस बात को देखते हुए कि पिछले वित्तीय वर्ष से

from 56:44 as at end-March 2020 to 62:38 as at end-March 2021. On the Priority Sector Lending (PSL) front, the Bank exceeded the regulatory PSL target of 40% with the priority sector advances amounting to ₹ 69,334 crore, aggregating to 40.95% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

As a consequence of shifting towards a more retail-oriented portfolio mix, coupled with certain strategic capital conservation measures, your Bank was able to reduce its Risk Weighted Assets (RWA) from ₹ 1.59 lakh crore as at end-March 2020 to ₹ 1.57 lakh crore as at end-March 2021. The capital position of your Bank has improved with the Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) and Tier 1 capital plus Capital Conservation Buffer (CCB) Ratio from 13.31% and 10.57%, respectively, as at end-March 2020 to 15.59% and 13.06%, respectively, as at end-March 2021. At these levels, both were above the RBI prescribed minimum of 10.875% and 8.875% respectively.

The numerous steps taken by your Bank to improve its assets quality have led to positive developments even on this front. The Gross Non-Performing Assets (GNPAs) and Net Non-Performing Assets (NNPA) improved from 27.53% and 4.19%, respectively, as at end-March 2020 to 22.37% and 1.97%, respectively, as at end-March 2021. As a conscious strategy, your Bank improved its Provision Coverage Ratio (PCR) from 93.74% as at end-March 2020 to 96.90% as at end-March 2021, which is arguably one of the highest in the industry. Close monitoring of accounts has helped in reducing First Time NPAs (FTNPAs) from ₹ 8,384 crore in FY 2019-20 to ₹ 2,382 crore in FY 2020-21.

The strategic measures taken by your Bank helped it in improving its Net Interest Margin (NIM) by 77 bps from 2.61% for FY 2019-20 to 3.38% for FY 2020-21. The Bank saw a 38.71% growth in its Operating Profit from ₹ 5,112 crore for FY 2019-20 to ₹ 7,091 crore in FY 2020-21. The Bank was back in the black by posting a Net Profit of ₹ 1,359 crore in FY 2020-21 for the first time after five consecutive financial years.

This is indeed a momentous achievement for the Bank, especially as it was confronted by unprecedented challenges due to the outbreak of the COVID-19 pandemic since the last financial year.

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इसे अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा के अंतर्गत प्रगति

बैंक की वित्तीय हालत में सुधार को देखते हुए आरबीआई ने दिनांक 10 मार्च 2021 के अपने पत्र द्वारा कुछ शर्तों तथा सतत निगरानी के अधीन बैंक पर पीसीए रूपरेखा के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया. पिछले वर्ष के दौरान बैंक को व्यवसाय और परिचालनगत परिवेश में जिन चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उसे देखते हुए यह उसके लिए मील के पत्थर समान महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

आगे की राह

बैंक की कारोबारी रणनीति चूंकि समग्र परिचालनगत परिवेश से प्रभावित होती रहेगी अतः आने वाले वर्ष के दौरान आर्थिक संभावनाओं पर संक्षिप्त चर्चा करना उपयुक्त होगा. वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास की कहानी वर्ष के उत्तरार्ध में ही लिखी जा सकेगी, जब आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी. यह आशावादी दृष्टिकोण कृषि क्षेत्र के निरंतर अच्छे कार्य-निष्पादन के कारण बना है, जो अभी तक प्रतिबंधात्मक उपायों के विपरीत असर से लगभग अप्रभावित रहा है. साथ ही इसे विनिर्माण और कई सेवा क्षेत्रों में मजबूत वापसी से भी बल मिलेगा. मांग पक्ष की ओर देखें तो हम पाते हैं कि हाल में जारी हुए आँकड़े यह संकेत देते हैं कि लंबे समय की सुस्ती के बाद पूंजीगत निवेशों में फिर से मजबूत तेजी आई है. सबसे बड़ी बात यह है कि आधार प्रभाव समग्र वृद्धि को तेजी से आगे बढ़ाएगा.

आरबीआई की पीसीए रूपरेखा से बाहर आने के फलस्वरूप आपके बैंक के लिए व्यापक संभावनाओं के द्वार खुले हैं क्योंकि अब यह अपने व्यवसाय कार्य-निष्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के बैंकिंग कार्यकलाप कर सकेगा और उभरते अवसरों का लाभ उठा सकेगा. आपका बैंक रिटेल तथा लघु एवं मझोले उद्योगों की ऋण बही के हिस्से को बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अपने को रिटेल उन्मुख बैंक के रूप में स्थापित करने की रणनीति के प्रति प्रतिबद्ध बना रहेगा. आपका बैंक जोखिमों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए और सचेत तरीके से अपनी कॉरपोरेट ऋण बही में, विशेष रूप से मध्य-कॉरपोरेट क्षेत्र में, वृद्धि करने के लिए अवसरों को भी तलाशेगा. कम लागतवाली जमाओं (कासा) में वृद्धि पर विशेष जोर देने की प्रवृत्ति देयता पक्ष की रणनीति को प्रभावित करती रहेगी. भूतकाल में हुई गंभीर चूकों की वजह से बैंक की वित्तीय सेहत पर पड़े प्रभाव से सबक लेते हुए आपके बैंक ने मजबूत वसूली/उन्नयन और पोर्टफोलियो की गहन निगरानी पर सम्यक बल देने के अलावा सुचिन्तित रूप से अपने ऋण मूल्यांकन मानकों को समुन्नत बनाया है ताकि उसकी आस्तियों की गुणवत्ता में होनेवाली किसी भी गिरावट को रोका जा सके. चूंकि परिचालन परिवेश में व्याप्त मंदी के कारण उधार संबंधी कार्यकलापों की संभावनाओं के बारे में आशंकाएं व्याप्त हैं इसलिए आपका बैंक

Progress under the Prompt Corrective Action (PCA) framework

Considering the improvement in the Bank's financial health, the RBI, vide its letter dated March 10, 2021, decided to lift the restrictions imposed on the Bank under the PCA framework subject to certain conditions and continuous monitoring. This is a commendable milestone for the Bank given the challenges and difficulties it has faced in the business and operating environment in the last year.

Way Forward

Since the business strategy of the Bank will continue to be shaped by the overall operational environment, it may be pertinent to briefly touch upon the economic outlook for the year ahead. The growth in FY 2021-22 is likely to be a story of two halves, with economic activity picking up rapidly in the second half. The optimism about the outlook stems from the continued and steady performance by the agriculture sector, which so far, has been largely immune to the adverse impact of the restrictive measures as well as a strong rebound in manufacturing and several services sectors. On the demand side, recent data suggests that capital investments have seen a strong rebound after a prolonged period of lull. The momentum is expected to continue as held-up or postponed investment decisions will likely see implementation after a lag of one year. More importantly, the base effect will give a big thrust to overall growth.

The exit from the RBI's PCA framework has unlocked huge potential for your Bank as it can now undertake a wide-range of banking activities and tap the emerging opportunities to boost its business performance. Your Bank will continue to remain committed towards its strategic positioning as a retail-oriented bank with focus on growing the share of the loan book of retail and small & medium-sized enterprises. Your Bank may also explore avenues to grow its corporate credit book, especially in the mid-corporate segment, in a risk-calibrated and cautious manner. The thrust on growth in the low-cost deposits (CASA) will continue to influence the liability side strategy. Taking lesson from the impact that severe delinquency had on its financial health in the past, your Bank has consciously upgraded its credit appraisal standard, apart from placing due emphasis on robust recovery/ upgradation and close monitoring of portfolio to prevent any slippages in its asset quality. Since the muted operating environment clouds the outlook for the lending activity, your Bank will focus on maximising fee income. At the

अधिक से अधिक शुल्क आय अर्जित करने पर विशेष रूप से ध्यान देगा. इसके साथ ही लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आपका बैंक अपने परिचालन व्ययों को न्यूनतम स्तर पर रखने और उत्पादकता में वृद्धि करने की दिशा में भी कार्य करेगा. उपर्युक्त व्यवसाय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं.

आपका बैंक भविष्य के लिए तत्पर बैंक के रूप में स्थापित होने के अपने इच्छित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी डिजिटल क्षमताओं के समुन्नयन में निवेश के लिए जारी अपनी कारोबार रणनीतियों को समुचित रूप से समर्थन दे रहा है. इस तथ्य को स्वीकारते हुए कि विश्वसनीयता और भरोसा किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ी परिसंपत्तियाँ होती हैं आपका बैंक अपने जोखिम प्रबंधन, कॉरपोरेट अभिशासन और विनियामक अनुपालन रूपरेखा को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार कार्य करता रहा है. व्यापक रूपरेखा के अंतर्गत आपका बैंक ग्राहक को सर्वोपरि महत्व देने के अपने मूल सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है क्योंकि ग्राहक ही उसका प्रेरक बल है.

आईडीबीआई बैंक परिवार कोविड-19 महामारी के इस असाधारण समय में अपने सभी हितधारकों के साथ खड़ा रहने के लिए प्रतिबद्ध है. आपका बैंक अपने सभी हितधारकों को हरसंभव सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा और यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए नीति-निर्माताओं के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है.

आभार

मैं भारत सरकार, एलआईसी, आरबीआई, सेबी और अन्य सभी सांविधिक तथा विनियामकीय प्राधिकारियों को उनके बहुमूल्य सहयोग और सहकार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ. मैं निदेशक मंडल, प्रबंधन टीम और बैंक में अपने अन्य सहयोगियों के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने अत्यंत संघर्षपूर्ण माहौल में बैंक के रूपांतरण की रणनीति को सफल बनाने की दिशा में एकनिष्ठ समर्पण और प्रतिबद्धता दर्शायी है. मैं सभी ग्राहकों और शेयरधारकों का भी तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने पिछले कई वर्षों में बैंक पर अपना भरोसा बनाए रखा और हर समय हमारा साथ दिया.

शुभकामनाओं सहित,

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

same time, to boost the bottom-line, your Bank will work towards minimising its operating expenses and increasing productivity. To ensure a focussed approach towards these business objectives, the Bank has, over the years, taken steps to put in place an appropriate organisation structure.

Your Bank is appropriately backing these business strategies by investing in upgradation of its digital capabilities in keeping with its intended objective of being a future-ready bank. Recognising that credibility and trust are the biggest assets a bank can have, your Bank has been working steadfastly in strengthening its risk management, corporate governance and regulatory compliance framework. Amidst the broader framework, your Bank is committed to its core value of placing the customer first in its priorities as they are its driving force.

IDBI Bank family is committed to stand by all its stakeholders in these extraordinary times of the COVID-19 pandemic. Your Bank will strive to extend all possible support to all its stakeholders and is committed to working with the policymakers to protect the most vulnerable segments of the society.

Acknowledgement

I would like to thank the Government of India, LIC, RBI, SEBI and all other statutory and regulatory authorities for their valuable support and co-operation. I am also thankful to the Board of Directors, the Management Team and my other colleagues in the Bank for their single-minded dedication and commitment towards delivering on the Bank's turnaround strategy in an extremely trying environment. I am also deeply grateful to all the customers and shareholders for reposing their trust in the Bank over the years and standing by us at all times.

With best wishes,

Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

बैंक के संप्रेषण बिंदु
Touchpoints of the Bank

भौगोलिक मानचित्र पर परिचालन के बढ़ते कदम
Operational Footprint Across Geographies

आईडीबीआई बैंक ने विस्तारित भौतिक और डिजिटल वितरण नेटवर्क के जरिए मजबूत उपस्थिति दर्ज की है. बैंक संपूर्ण भारत के महानगरों एवं शहरों, अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण स्थानों में मौजूद अपनी शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को सेवाओं की एक वृहद श्रृंखला उपलब्ध कराता है.

IDBI Bank has established a robust presence on the back of an extended physical and digital distribution network. The Bank provides a wide array of services to its customers across India with branches spread across metros and urban, semi-urban and rural locations.

यथा 31 मार्च 2021 को
As on March 31, 2021

1,884
देशी शाखाएँ
Domestic Branches

3,388
एटीएम
ATMs

1
अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू)
गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात
International Banking Unit (IBU)
GIFT City, Gandhinagar, Gujarat

1
दुबई इंटरनेशनल फायनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी),
दुबई में स्थित समुद्रपारीय शाखा
Overseas Branch in Dubai International
Financial Centre (DIFC), Dubai

देशी शाखा वितरण (%)
Domestic Branch Distribution (%)

22.61%
महानगरीय
Metro

24.63%
शहरी
Urban

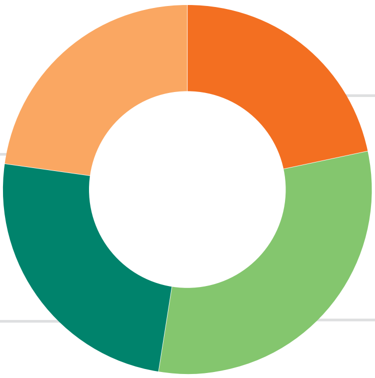

21.71%
ग्रामीण
Rural

31.05%
अर्ध-शहरी
Semi Urban

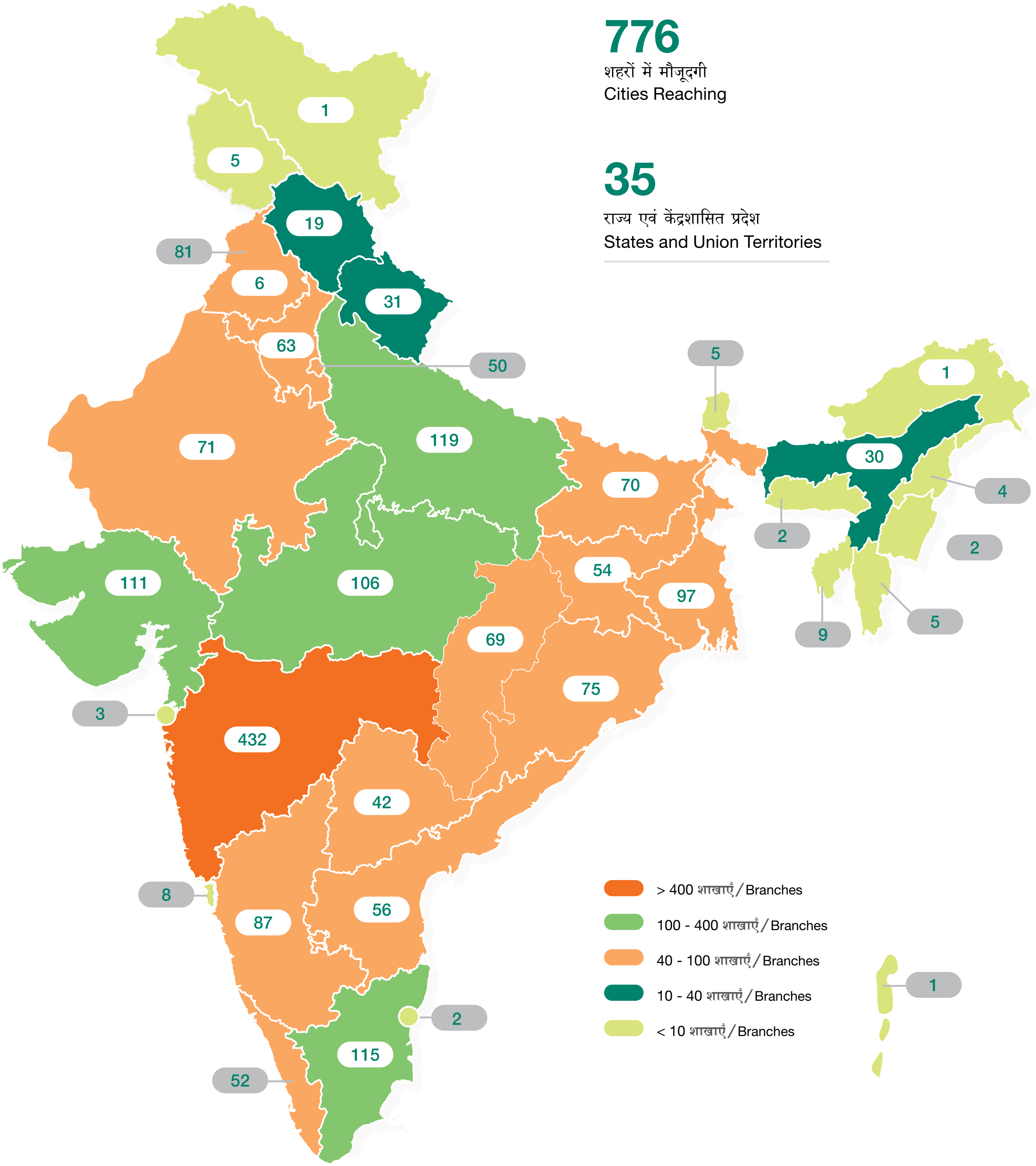

776
शहरों में मौजूदगी
Cities Reaching

35
राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश
States and Union Territories

- > 400 शाखाएँ / Branches
- 100 - 400 शाखाएँ / Branches
- 40 - 100 शाखाएँ / Branches
- 10 - 40 शाखाएँ / Branches
- < 10 शाखाएँ / Branches

यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रकाशित भारत राजनैतिक मानचित्र 2020 के अनुसार चित्रित किया गया है.
The map outline is as per India Political Map 2020 published by Survey of India, Department of Science and Technology.

कुछ प्रमुख गतिविधियां
Some Major Events

विगत वर्ष की झलकियां
Glimpses of the past year

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ रीडर्स डाइजेस्ट के ग्राहक सर्वे पर आधारित 'निजी क्षेत्र के बैंक' श्रेणी में 'ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड 2020' प्राप्त करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, receiving the 'Trusted Brand Award 2020' in the 'Private Banks category' conferred by Reader's Digest based on a consumer survey.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, paying homage to Dr. Babasaheb Ambedkar on his death anniversary.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ 'आईडीबीआई स्वर्ण कलश' - विशेष गोल्ड लोन शाखाओं के शुभारंभ पर दीप प्रज्ज्वलन करते हुए. साथ में उपस्थित हैं श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी एवं श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, lighting the lamp during the inauguration of 'IDBI Swarna Kalash' - Specialised Gold Loan Branches, in presence of DMDs, Shri Samuel Joseph Jebaraj and Shri Suresh Khatanhar.

महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी से कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय सेवाओं के लिए मुंबई में प्रशंसा पत्र प्राप्त करते हुए श्री सुरेश खटनहार, उप प्रबंध निदेशक एवं श्री प्रदीप कुमार दास, कार्यपालक निदेशक.

Shri Suresh Khatanhar, DMD, and Shri Pradip Kumar Das, ED, receiving an appreciation certificate from Hon'ble Governor of Maharashtra Shri Bhagat Singh Koshyari at Mumbai for humanitarian service during COVID-19 pandemic.

श्री सुरेश खटनहार, उप प्रबंध निदेशक ने नरीमन पॉइंट, मुंबई में केवाईसी हब का उद्घाटन किया.

Shri Suresh Khatanhar, DMD, inaugurated Video KYC Hub at Nariman Point, Mumbai.

आईडीबीआई बैंक ने अपनी हिंदी पत्रिका *'विकास प्रभा'* के लिए एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों में तीन पुरस्कार (एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य) जीते.

IDBI Bank won three prizes (one gold, one silver and one bronze) in various categories, for its Hindi publication *'Vikas Prabha'* in a competition organised by Association of Business Communicators of India (ABCI).

कोविड-19 पहल
COVID-19 Initiatives

मदद के लिए उठे हाथ
Making a positive impact

आईडीबीआई बैंक के महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान के रूप में महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार को ₹ 23.09 लाख (एक दिन का वेतन) की राशि सौंपी गई.

Contribution of ₹ 23.09 lakh (one day's salary) from IDBI Bank employees of Maharashtra State to the Chief Minister's Relief Fund was handed over to Shri Ajit Pawar, Hon'ble Deputy Chief Minister of Maharashtra.

आईडीबीआई बैंक के अहमदाबाद अंचल कार्यालय के कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान के रूप में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी को ₹ 2.52 लाख (एक दिन का वेतन) की राशि सौंपी गई.

Contribution of ₹ 2.52 lakh (one day's salary) from IDBI Bank employees of Ahmedabad Zone to the Chief Minister's Relief Fund was handed over to Shri Vijay Rupani, Hon'ble Chief Minister of Gujarat.

वायनाड, केरल में स्थित कलपट्टा शाखा के अधिकारियों ने पुलिस और आरटीओ कर्मचारियों को जलपान के पैकेट वितरित किए.

The officials of Kalpatta Branch, Wayanad, Kerala distributed refreshment packets to police and RTO officials.

भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का चिचगढ़, नागपुर, महाराष्ट्र में लाभ उठाते हुए पीएमजीकेवाई ग्राहक.

PMJDY customers at Chichgarh, Nagpur, Maharashtra availing benefits of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) rolled out by Government of India.

झारखंड राज्य के आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान के रूप में श्री राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को ₹ 2.97 लाख (एक दिन का वेतन) की राशि सौंपी गई.

Contribution of ₹ 2.97 lakh (one day's salary) from IDBI Bank employees of Jharkhand State to the Chief Minister's Relief Fund handed over to Shri Rajiv Arun Ekka, Principal Secretary, Chief Minister's Secretariat.

उत्तराखंड राज्य के आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान के रूप में उत्तराखंड के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को ₹ 74,000 (एक दिन का वेतन) की राशि सौंपी गई.

Contribution of ₹ 74,000 (one day's salary) from IDBI Bank employees of Uttarakhand State to the Chief Minister's Relief Fund was handed over to Shri Trivendra Singh Rawat, the then Hon'ble Chief Minister of Uttarakhand.

भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का चक सरदारपुरा, राजस्थान में लाभ उठाते हुए पीएमजीकेवाई ग्राहक.

PMJDY customers at Chak Sardarpura, Rajasthan availing benefits of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) rolled out by Government of India.

अगरतला शाखा, त्रिपुरा के अधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान कमजोर वर्ग के लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की.

The officials of Agartala Branch, Tripura distributed essential food items to underprivileged people.

पुरस्कार एवं सम्मान
Awards and Accolades

बैंक को रीडर्स डाइजेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, 2020 नामक ग्राहक सर्वे के आधार पर निजी क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड प्राप्त हुआ.

The Bank was conferred with the Trusted Brand Award in the Private Bank's Category based on a consumer survey entitled Reader's Digest Trusted Brand, 2020.

बैंक को सीएमएस प्रोडक्ट 'डायनामिक वर्चुअल अकाउंट सिस्टम' के लिए इंफोसिस फिनेकल का क्लाइंट इनोवेशन अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ.

The Bank bagged Infosys Finacle's Client Innovation Award 2020 for the CMS product 'Dynamic Virtual Account System'.

बैंक की हिंदी पत्रिका 'विकास प्रभा' को वर्ष के दौरान 'एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया' (एबीसीआई) ने विभिन्न श्रेणियों में तीन पुरस्कार प्रदान किए. जहां 'इंटरनल मेगेज़िन' श्रेणी में इसे स्वर्ण पदक मिला, वहीं 'स्पेशल कॉलम (लेंगुएज)' में रजत और 'फीचर्स (लेंगुएज)' श्रेणी में कांस्य पदक प्राप्त हुए.

The Bank's in-house quarterly Hindi Magazine 'Vikas Prabha' was conferred three awards from Association of Business Communicators of India (ABCI) during the year. While the Bank received Gold Trophy in 'Internal Magazine' category, it bagged Silver in 'Special Column (Language)' and Bronze in 'Features' (Language) categories.

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग के अधिकारियों ने अपने निरीक्षण के दौरान आपके बैंक में हिन्दी कार्यान्वयन की सराहना की.

Officials from Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, appreciated implementation of Hindi in the Bank during their inspections.

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के कारोबार तथा परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के चलते लोगों के जीवन और आजीविका के समक्ष अभूतपूर्व चुनौतियां आ खड़ी हुईं. इस महामारी के अनिश्चित स्वरूप, अवधि और परिमाण के चलते इसका आशंका से अधिक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा. फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर सरकारों और केन्द्रीय बैंकों से अभूतपूर्व स्तर पर नीतिगत कार्यवाही की आवश्यकता महसूस की गई. भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी महामारी का बहुविध असर पड़ा. इन आर्थिक व्यवधानों के कारण अन्य क्षेत्रों की तरह बैंकिंग क्षेत्र को भी चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा. तथापि, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के सामयिक और समन्वयी हस्तक्षेप से आर्थिक गतिविधियों के क्रमिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त हो सका. नीतिगत कार्यवाही स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था को सुस्थिर करने और इसे सतत रूप से आगे बढ़ाने के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए की गई थी. इसका प्रमाण वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी और चौथी तिमाही में भारत के आर्थिक कार्य-निष्पादन में आए सुधार में देखा जा सकता है. उक्त के कारण सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) में क्रमशः 0.5% और 1.6% की वृद्धि हुई. तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाहियों में आई लगातार गिरावट के चलते समग्र वृद्धि कार्य-निष्पादन दब गया और वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.3% की गिरावट आयी. यद्यपि नीति निर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक व मौद्रिक सहयोग से इस महामारी का प्रमुख क्षेत्रों में असर कम होने में मदद मिली, किंतु वर्ष की दूसरी छमाही में प्रतिबंधों के वापस लिए जाने के बाद ही आर्थिक कार्यकलापों में तेजी आ पायी थी. चूंकि अर्थव्यवस्था को संवृद्धि की राह पर पहुंचना अभी शेष है, इसलिए आपके बैंक के कार्य-निष्पादन को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा.

वित्तीय विशेषताएं

यथा 31 मार्च 2021 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमशः ₹ 2,30,898 करोड़ तथा ₹ 1,28,150 करोड़ रहे. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं तालिका 1 में दी गई हैं:

तालिका 1 : प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

	यथा 31 मार्च 2020 की स्थिति	यथा 31 मार्च 2021 की स्थिति
पूंजी	10,381	10,752
रिज़र्व और अधिशेष	23,644	26,059
जमाराशियां	2,22,424	2,30,898
उधार राशियां	36,749	15,908
अन्य देयताएं और प्रावधान	6,730	14,147
कुल देयताएं	**2,99,928**	**2,97,764**
नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	10,539	13,013
बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	19,892	22,209
निवेश	81,780	81,023
अग्रिम	1,29,842	1,28,150
अचल और अन्य आस्तियां	57,875	53,369
कुल आस्तियां	**2,99,928**	**2,97,764**

इस अवधि में	**2019-20**	**2020-21**
कुल आय	25,295	24,557
कुल व्यय (प्रावधान को छोड़कर)	20,183	17,466
प्रावधान (कर छोड़कर)	14,079	4,722
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	(8,967)	2,369
कर के लिए प्रावधान *	3,920	1,009
कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	(12,887)	1,359

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक की कुल आय ₹ 24,557 करोड़ रही जिसमें ₹ 19,932 करोड़ की ब्याज आय और ₹ 4,625 करोड़ की अन्य आय शामिल है. ₹ 17,466 के कुल व्यय (प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं को छोड़कर) में ब्याज व्यय ₹ 11,414 करोड़ और परिचालनगत व्यय ₹ 6,052 करोड़ रहा.

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान का प्रतिवर्तन किए जाने के कारण वर्ष के दौरान आपके बैंक का कुल प्रावधान घट गया. प्रावधानों में एनपीए, बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों तथा निवेशों के लिए प्रावधान के प्रति ₹ 2,395 करोड़ की राशि शामिल है. निवल ब्याज आय (एनआईआई), अन्य आय में वृद्धि और परिचालन व्यय व प्रावधान में कमी होने के कारण आपके बैंक को वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 1,359 करोड़ का निवल लाभ हुआ.

जहां वर्ष के दौरान प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) ₹ 1.30 रहा, वहीं मार्च 2021 के अंत में प्रति शेयर बही मूल्य (अमूर्त आस्तियों और डीटीए को छोड़कर) ₹ 14.83 रहा.

महामारी की मौजूदा *'दूसरी लहर'* के कारण भारत में कोविड-19 के मामलों में हुई उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी और अनिश्चितताओं के इस माहौल के आगे भी जारी रहने की आशंका को देखते हुए आपके बैंक के निदेशक मण्डल ने अपनी 03 मई 2021 को सम्पन्न बैठक में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी लाभांश का प्रस्ताव न रखने का विचार किया है.

यथा 31मार्च 2021 को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
मूल: आईडीबीआई बैंक लि.	97.54%	36,811.07	89.79%	1,359.46
सहायक संस्थाएं:				
भारतीय:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि.	0.83%	312.76	0.50%	7.51
2. आईडीबीआई इंटेक लि.	0.24%	90.06	0.80%	12.07
3. आईडीबीआई असेट मैनजमेंट लि.	0.30%	113.38	0.30%	4.53
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	0.00%	1.61	0.00%	0.03
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	0.66%	249.41	2.65%	40.09
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित	0.30%	112.98	1.20%	18.16
सहायक कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)#				
भारतीय:				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00%	0.00
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	5.51%	83.46
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00%	0.00
4. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम (आनुपातिक समेकन के अनुसार/ इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय:				
1. एजीस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.69%	259.65	2.19%	33.22
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**100.56%**	**37,950.91**	**100.54%**	**1,522.22**
विलोपन	-0.56%	-209.89	-0.54%	-8.25
निवल कुल	**100.00%**	**37,741.02**	**100.00%**	**1,513.97**

टिप्पणी: उपर्युक्त किसी भी सहायक कंपनियों की कोई सहायक कंपनी नहीं है.

 # - चार सहायक कंपनियों यथा - नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (26.10%), पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (25%), बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. (27.93%) तथा पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (21.14 %) के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण की अप्राप्ति के कारण उनके वित्तीय परिणामों पर समेकन हेतु विचार नहीं किया गया है, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. के मामले में निवेश बट्टाकृत कर ₹ 1 कर दिया गया है.

आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के दौरान उत्पन्न हुई हों.

बैंक के वित्तीय वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च 2021 को और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख के बीच आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएँ नहीं थीं.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता से संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में यह दर्शाया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में क्या बैंक के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणाली उपलब्ध है तथा क्या ऐसे नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता है. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) में संदर्भित आईएफसी से आशय वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसीओ-एफआर) से है. बैंक का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में बैंक में स्थापित उन मानदंडों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आईएफसी-एफआर के लेखापरीक्षण पर वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए बनाए गए हैं. इन जिम्मेदारियों में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन व निर्वहन शामिल है, जो बैंक की नीतियों के अनुपालन, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम व पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता और सक्षमता तथा कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना की सामयिक तैयारी करने सहित अपने कारोबार के नियमानुसार व प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे.

आपके बैंक ने मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए आईएफसीओ-एफआर रूपरेखा तैयार की है और सभी कारोबार वर्टिकलों/विभागों के नियंत्रण की रिपोर्टिंग प्रक्रिया, प्रमाणन, दस्तावेजीकरण, अनुपालन के वैधीकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में बैंक में नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार को नियुक्त किया है.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक के आईएफसीओ-एफआर रूपरेखा के अनुसार सभी अंतर्निहित प्रक्रियाओं के परीक्षण और वैधीकरण के पश्चात् सलाहकार ने जून 2020 से दिसंबर 2020 तक की तिमाहियों के लिए आंतरिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है. सलाहकार ने 31 दिसंबर 2020 के अनुसार 570 जोखिम नियंत्रण मानकों के अनुपालन की समीक्षा की तथा आगे अनुपालन हेतु पाँच मामले देखने की रिपोर्ट दी है. संबंधित विभाग विचाराधीन मुद्दों का समाधान करने के लिए ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे हैं.

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के विवरण (अर्थात् गत वर्ष की तुलना में 25% या अधिक बदलाव) तथा उन पर विस्तृत स्पष्टीकरण:

विवरण	2019-20	2020-21	टिप्पणियां
निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.61%	3.38%	आयकर रिफ़ंड पर ब्याज राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 370 करोड़ थी, उसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 943 करोड़ की वृद्धि होकर यह राशि ₹ 1,313 करोड़ हुई, इससे ब्याज आय बढ़ी, वहीं ब्याज व्यय में ₹ 2,433 करोड़ की कमी आई.
आस्तियों पर प्रतिलाभ	-4.26%	0.46%	वित्तीय वर्ष 2019-20 में हुई ₹ 12,887 करोड़ की हानि के मुक़ाबले वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 1,359 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया गया है.
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए का %	4.19%	1.97%	निवल एनपीए में रु 2,920 करोड़ की कमी आई है.
ऋण इक्विटी अनुपात	3.16	1.00	भारत और भारत के बाहर उधार राशियों में ₹ 20,841 करोड़ की उल्लेखनीय कमी आई है और नेट वर्थ में ₹ 4,319 करोड़ का सुधार हुआ है.

पूंजी पर्याप्तता

आपका बैंक बासेल-III ढांचे के अंतर्गत आरबीआई के पिलर-I दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता की तिमाही आधार पर गणना करता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों के लिए 31 मार्च 2016 से चरणबद्ध तरीके से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखना अनिवार्य है. रिज़र्व बैंक की दिनांक 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के अनुसार बासेल-III पूंजी विनियमनों की परिवर्ती व्यवस्थाओं की समीक्षा कर 31 मार्च 2021 को प्रयोज्य सीसीबी 1.875% विनिर्दिष्ट किया गया. तद्नुसार यथा 31 मार्च 2021 को *'कुल पूंजी + सीसीबी'* की न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता 10.875% निर्धारित थी. इसकी तुलना में आपके बैंक का *'कुल पूंजी + सीसीबी'* अनुपात न्यूनतम 15.59% रहा. इसी प्रकार 31 मार्च 2021 को आपके बैंक का *'सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) + सीसीबी'* अनुपात 7.375% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 13.06% रहा. 31 मार्च 2021 को आपके बैंक का *'टियर 1 + सीसीबी'* अनुपात 8.875% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 13.06% रहा. यथा 31 मार्च 2021 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 3.50% की लागू न्यूनतम विनियामक अपेक्षा की तुलना में 6.08% रहा.

आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर 2 मानदंडों के अनुरूप आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है. यह बैंक को पिलर-1 में शामिल नहीं किए गए जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन करने और उनका परिमाण निर्धारित

करने और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिमों का प्रबंध करने और उन्हें कम करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने में समर्थ बनाती है.

आपके बैंक ने रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक व्यापक दबाव परीक्षण की रूपरेखा तैयार की है. यह दबाव परीक्षण रूपरेखा आपके बैंक को असाधारण लेकिन संभाव्य घटनाक्रमों में अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए उपयुक्त अग्रसक्रिय रणनीति बनाने में सक्षम बनाती है. इस रूपरेखा में परिस्थिति विश्लेषण और प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण को भी शामिल किया गया है. इस परिस्थिति विश्लेषण से आपके बैंक को पूंजी और लाभप्रदता पर पड़ने वाले प्रतिकूल समष्टिगत आर्थिक संकेतकों का असर समझने में मदद मिलती है. आपके बैंक ने अपनी ऋण सहायता के विभिन क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी के कारण पड़ने वाले उन हानिकारक प्रभावों का आरंभिक आकलन करने के लिए भी अलग से परिदृश्य तैयार किए हैं, जो बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर डाल सकते हों. इस रूपरेखा में प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण प्रणाली शामिल की गई है ताकि पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले दबाव का स्तर जान कर इसे पूर्व-निर्धारित स्तर पर लाया जा सके.

आपके बैंक ने बासेल मानदंड की पिलर 3 अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटन नीति अपनाई है. तदनुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर प्रकटन को आपके बैंक की वेबसाइट पर रखा जाता है, जिससे उच्च-स्तरीय पारदर्शिता का पता चलता है.

आपका बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना हेतु मूलभूत सांकेतिक दृष्टिकोण (बीआईए) अपनाता है. प्रभावी नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारोबार खंडों में प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और जोखिम व नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) की व्यापक रूपरेखा लागू की गई है. आपका बैंक बाजार जोखिम के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) अपनाता है.

अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी (3 री) तिमाही में क्यूआईपी के माध्यम से ₹ 1435.18 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई थी. यह 25 वर्षों के अंतराल के बाद (1995 में बैंक का पहला आईपीओ आने के बाद) जनता से जुटाई गई पहली पूंजी थी. इस क्यूआईपी के तहत, चवालीस (44) योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) ने भाग लिया और उन्हें ₹ 28.60/- की प्रति शेयर प्रीमियम राशि पर ₹ 10/- प्रत्येक के 37,18,08,177 (संख्या) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी किए गए और कुल ₹ 1435.18 करोड़ की राशि जुटाई गई.

कारोबार रणनीति

भारत सरकार द्वारा कोरोना वाइरस की रोकथाम के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान ही वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत हुई. एक अनिवार्य सेवा प्रदाता के रूप में बैंक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह था कि वह अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा से कोई समझौता किए बगैर व्यवधान-रहित बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करे. जहां आवश्यक हो वहाँ व्यक्तिगत रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकांश शाखाओं का कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ खुलना सुनिश्चित करने के साथ-साथ आपके बैंक ने ग्राहकों के विभिन्न अनुरोधों पर निरंतर व समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए कारोबार प्रोसेस संबंधी अपनी कई गतिविधियां देश के ही अन्य केंद्रों में स्थानांतरित कर दीं. इसके अलावा ग्राहकों को अपने बैंकिंग लेन-देन सम्पन्न करने के लिए डिजिटल व अन्य वैकल्पिक चैनल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने जोखिम-सहबद्ध कारोबार रणनीति अपनाने पर जोर देना जारी रखा ताकि बदलते परिचालन परिवेश में स्थिर और लाभकारी संवृद्धि सुनिश्चित की जा सके. अपने कारोबार मिश्र का पुनः संतुलन करते हुए स्वयं को खुदरा-केंद्रित बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए रणनीतिक पहल के रूप में आपके बैंक ने अपनी आस्ति बही के अंतर्गत संरचित खुदरा आस्तियों (एसआरए), कृषि और एमएसएमई अग्रिमों में वृद्धि पर जोर दिया, वहीं कॉरपोरेट ऋण-सहायता को सीमित किया. देयता के मोर्चे पर, आपके बैंक ने खुदरा जमाराशि आधार को बढ़ाते हुए तथा एकमुश्त मीयादी जमाराशियों पर निर्भरता कम करते हुए कुल जमाराशियों में कम-लागत वाली कासा जमाराशियां बढ़ाने के उपाय किए. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बहुलांश शेयरों के अधिग्रहण के बाद आपका बैंक एलआईसी के साथ कारोबार समन्वय के मिले अवसर का पूर्ण दोहन करने के प्रयास कर रहा है. आय सृजन करने के साथ-साथ बैंक ने अपने व्ययों का भी युक्तिसंगत करने के गंभीर प्रयास किए ताकि लाभप्रदता बढ़ाई जा सके.

एक लाभकारी और सतत रूपांतरण सुनिश्चित करने के लिए आस्ति गुणवत्ता के महत्व को समझते हुए आपका बैंक अपनी आस्ति बही में व्याप्त मौजूद दबाव को कमतर करने के लिए आक्रामक रूप से वसूली करने तथा कमजोर आस्ति पोर्टफोलियो का विधिक और विनियामकीय माध्यमों से उन्नयन करने का कार्य कर रहा है. आपके बैंक ने कॉरपोरेट और रिटेल पोर्टफोलियो में वसूली अभियान चलाने के लिए समर्पित टीमें भी तैयार की हैं. इसके अलावा आपके बैंक ने विशेष तत्परता बरतते हुए अपनी ऋण निगरानी प्रणाली को भी सुदृढ़ किया है ताकि इसके पोर्टफोलियो में शुरू हुए किसी भी दबाव पर निगरानी रखी जा सके तथा आस्ति गुणवत्ता में कोई भी क्षरण रोका जा सके. इन पहल कार्यों से आपके बैंक को शुरुआती दबाव कम करने, किसी भी गिरावट को रोकने और ऋण गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलेगी.

आपके बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन एवं कॉरपोरेट अभिशासन संरचना को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं. इसके अलावा आपका बैंक प्रमुख क़ानूनों, नियमों, विनियमों व विभिन्न आचार संहिताओं का पालन करते हुए एक सशक्त अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देता है ताकि अपनी साख कायम रखते हुए ग्राहकों, निवेशकों और विनियामकों का विश्वास जीता जा सके.

आपका बैंक भारतीय बैंकिंग जगत के सबसे विश्वसनीय और पसंदीदा बैंक बनने के अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध है. तदनुसार आपके बैंक ने ग्राहक के आह्लाद और अनुभव पर ध्यान देते हुए ग्राहक-केंद्रित रणनीति अपनायी है. आपका बैंक अपनी विभिन्न ग्राहक-अनुकूल उत्पाद व सेवाएं लागू करने तथा ग्राहक की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी डेटा एनालिटिक्स

क्षमताओं का भी उपयोग कर रहा है. इसके अलावा आपके बैंक ने प्रौद्योगिक नवोन्मेषण और उन्नयन में निवेश करना जारी रखा ताकि ग्राहक को बेहतर सेवा व अनुभव मिल सकें. आपका बैंक भारत सरकार के 'संवर्धित पहुँच और सेवा उत्कृष्टता' (ईएएसई) सिद्धांत के प्रति भी प्रतिबद्ध है.

इन रणनीतिक पहल-कार्यों को कई संरचनागत व प्रणालीगत सुधारों से सम्पन्न किया गया, जिनके कारण सहज और सफल रूपांतरण प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हो सका.

मुख्य कारोबारी पहल-कार्य

आपका बैंक एक ग्राहक-केंद्रित बैंक के रूप में अपने ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग और निवेश संबंधी कई प्रकार के उत्पाद और सेवाएं पेश करता है. महामारी से उत्पन्न व्यवधानों को कमतर करने के लिए आपके बैंक ने प्रौद्योगिक नवोन्मेष तथा अपनी सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर क्षमताओं का उपयोग करते हुए अपनी डिजिटल क्षमताओं को सुदृढ़ किया. जहां आपका बैंक अपनी 1,886 शाखाओं, 3,388 एटीएम और 58 ई-लाउंज के नेटवर्क का प्रभावी तरीके से लाभ उठाते हुए ग्राहकों की सेवा कर रहा है, वहीं अपनी डिजिटल संरचना को आधुनिक स्वरूप देकर बैंक अपने ग्राहकों को सुरक्षित रूप में डिजिटल व संपर्करहित समाधान उपलब्ध कराते हुए अपने दूरस्थ ग्राहकों से भी जुड़ पा रहा है. इन सक्रिय उपायों से बैंक को विभिन्न सुरक्षा उपायों व सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी मानदंडों से जरा भी विचलित हुए बगैर अपने ग्राहकों से जुड़े रहने और उन्हें व्यवधान-रहित व सहज सेवा प्रदान करने में मदद मिली है.

ग्राहकों की उभरती प्राथमिकताओं और जरूरतों को देखते हुए आपके बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग, 'आई क्विक' मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन खाता खोलने, वीडियो केवाईसी (वीएओ) के जरिए खाता खोलने/ पुनः केवाईसी करने, वर्चुअल डेबिट कार्ड, वरिष्ठ नागरिकों एवं अलग प्रकार से सक्षम व्यक्तियों को घर-पहुँच सेवा देने, कृषि व एमएसएमई ऋणों के लिए आधुनिक ऋण प्रक्रिया प्रणाली विकसित करने जैसे नवोन्मेषी उत्पाद व सेवाएं आरंभ की हैं ताकि सहज बैंकिंग व ग्राहक आह्लाद सुनिश्चित किया जा सके.

आपका बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के प्रोत्साहन के महत्व को समझते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) को ऋण देने में सक्रियता के साथ योगदान करता रहा है तथा ऐसा करते हुए बैंक आरबीआई के अधिदेश का अनुपालन करता है. आपका बैंक उचित, पारदर्शी तरीके और वहन करने योग्य लागत पर समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय उत्पाद और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित कराने, ग्राहकों से जुड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करने और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने के तीन प्रमुख उद्देश्यों के साथ वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय अजेंडे को सक्रियता से आगे बढ़ाता रहा है. आपका बैंक अपने कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) नेटवर्क का लाभ उठाकर अपने कारोबार को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में फैलाने का प्रयास कर रहा है. इससे वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने के साथ-साथ बैंक के पीएसएल कारोबार को बढ़ाने में भी मदद मिली है.

आपके बैंक ने एलआईसी के कर्मचारियों, एजेंटों और सहायक कंपनियों को उनकी बैंकिंग व निवेश संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी कई नवोन्मेषी, विशेष और अनुकूल उत्पाद व सेवाओं की पेशकश करते हुए एलआईसी से समन्वय का लाभ उठाया है.

आपका बैंक अपने वृहद कॉरपोरेट, मध्य कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों के लिए व्यापार वित्त (टीएफ) उत्पादों और सेवाओं की सम्पूर्ण श्रृंखला प्रदान करता है. अपनी रूपांतरण योजना के तहत आपके बैंक ने एक केंद्रीकृत ट्रेड प्रोसेसिंग प्रणाली तैयार की है जो हब एंड स्पोक मॉडल पर मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे तीन प्रमुख मेट्रो केंद्रों से परिचालित होकर मानक प्रोसेसिंग, प्रभावी संप्रेषण और न्यूनतम कार्यान्वयन समय को सुकर बनाती है. आपके बैंक के एडी श्रेणी I बैंक के रूप में 39 समर्पित टीएफ केंद्र हैं, जो सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए प्राधिकृत हैं.

आपका बैंक केंद्र और राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतानों के प्रबंधन के लिए उनके एजेंट के रूप में भी कार्य करता है. आपका बैंक चुनिंदा राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के करों और राज्य प्राप्तियों का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है. आपका बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से लघु बचत योजनाओं की पेशकश करने तथा केंद्रीय नागरिक, रक्षा और रेलवे पेंशन वितरित करने हेतु भी प्राधिकृत किया गया है. आपका बैंक कर भुगतान के लिए 24x7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधा भी प्रदान करता है. आपका बैंक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की देय राशियों के ऑनलाइन संग्रहण का कार्य भी करता है.

आपका बैंक अत्याधुनिक नकदी प्रबंधन सेवाओं (सीएमएस) के माध्यम से कॉरपोरेट को अपने संग्रहण की गति बढ़ाने, उनके एकमुश्त भुगतान को प्रभावी तरीके से संचालित करने और निधियों के सहज प्रवाह में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. आपका बैंक कॉरपोरेट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीएमएस संग्रहण, भुगतान और संव्यवहार बैंकिंग समाधान की एक व्यापक श्रृंखला पेश करता है ताकि उनका अपनी नकदी स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रह सके.

आपका बैंक एक समर्पित वित्तीय संस्था समूह (एफआईजी) स्थापित कर रहा है, जो देशी और विदेशी वित्तीय संस्थाओं (एफआई) को बैंक के विभिन्न उत्पाद/ सेवाएं पेश करने पर ध्यान देगा. यह समूह व्यापार, नकदी प्रबंध सेवाओं, भुगतान, ट्रेजरी, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, मुद्रा बाजार व पूंजी बाजार तथा खुदरा बैंकिंग से संबंधित विभिन्न उत्पाद/ सेवाएं पेश करने के लिए एक कवरेज ग्रुप के रूप में कार्य करेगा. यह एफआईजी विभिन्न एफआई से कवरेज बढ़ाने और एफआई कारोबार बढ़ाने के लिए जुड़ेगा.

महामारी से अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के समाधान के लिए आपके बैंक ने सभी पात्र ग्राहकों को ऋण-स्थगन अवधि प्रदान करने, एमएसएमई/ कारोबार उद्यमियों और व्यक्तिगत ऋणियों को कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण के माध्यम से अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने, तनावग्रस्त एमएसएमई के प्रवर्तकों को व्यक्तिगत ऋण देने के लिए 'अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना'

(सीजीएसएसडी) शुरू करने, कोविड-19 के कारण वित्तीय दबाव में आए ऋणियों के लिए ऋण समाधान योजना शुरू करने जैसे ग्राहकों के लिए कई हितकारी कदम उठाए हैं.

आपके बैंक के पास एनालिटिक्स के लिए एक समर्पित डेटा उत्कृष्टता केंद्र है जो कारोबार विश्लेषण, निर्णयगत रणनीतियों, फोरकास्टिंग मॉडलों, मशीन लर्निंग और रूल इंजिनों से संबंधित परियोजनाओं पर काम करता है. आपका बैंक नए ग्राहक जुटाने, ग्राहकों का सूक्ष्म श्रेणीकरण करने, व्यवहार का पैटर्न समझने, सहज-सरल लेन-देन करने, व्यय शैली समझने और जोखिम पोर्टफोलियो आदि के लिए अपनी प्रौद्योगिकी और एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है. डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग (एमएल) की सहायता से बैंक को एनालिटिक्स के आधार पर श्रेष्ठ उत्पाद पेश करते हुए नए ग्राहक हासिल करने, उन्हें सेवाएं देने और उन्हें बनाए रखने में मदद मिली है. आपका बैंक इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अपने डिजिटल प्रभाव को अधिकतम करने और अपने डिजिटल अभियान को बौद्धिक, असरदार और किफायती बनाने के लिए कर रहा है.

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए पहल कार्यों के विस्तृत ब्योरे वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिए गए हैं.

बैंक के कारोबार पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

कोविड-19 के लिए सार्स-कोव 2 वाइरस जिम्मेदार है. इसके कारण वैश्विक और भारतीय बाज़ारों और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी और अस्थिरता आई. लॉकडाउन लगाने और इसे बढ़ाने से कारोबार और आम जीवन प्रभावित हुआ है. कोविड-19 के कारण चूककर्ता ग्राहकों की संख्या बढ़ने और प्रावधानीकरण में वृद्धि होने जैसे संभावित प्रभावों से उभरी चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है. मार्च 2021 के मध्य में शुरू हुई कोविड-19 की दूसरी लहर से उन राज्यों की आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान का संकट उत्पन्न हो गया है, जहां महामारी का असर बहुत व्यापक है और जब तक हालात नहीं सुधरते वहाँ लॉकडाउन बढ़ाने की आशंका है. बैंक की पूंजीगत और नकदी स्थिति सुदृढ़ है और आने वाले समय में बैंक इस पर विशेष ध्यान देना जारी रखेगा.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंक के संस्था अंतर्नियम के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) में उल्लिखित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं द्वारा अभिशासित है. बोर्ड, बैंक के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में संकेंद्रित अभिशासन प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही गठित बोर्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से कार्य करता है. संस्था अंतर्नियम के अनुसार निदेशक मंडल में तीन से कम और पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, जिनमें बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में एलआईसी के अध्यक्ष, एमडी एवं सीईओ और दो डीएमडी, एलआईसी के एक आधिकारिक नामिती निदेशक, भारत सरकार के दो नामिती निदेशक और एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आठ स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं.

31 मार्च 2021 को बोर्ड में चौदह निदेशक यथा गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री एम.आर. कुमार, पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी और सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज और श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी; भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में सुश्री मीरा स्वरूप और श्री अंशुमन शर्मा; गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में एलआईसी के नामिती निदेशक श्री राजेश कंडवाल; तथा स्वतंत्र निदेशकों के रूप में श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जम्बुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर और श्रीमती पी.वी. भारती शामिल थे. बोर्ड में शामिल चौदह निदेशकों की वर्तमान संख्या संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 114 (ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है.

शीर्ष समितियां

आपके बैंक कारोबार और परिचालन के विभिन्न कार्य पहलुओं की देख-रेख करने के लिए बोर्ड की कुल तेरह समितियां हैं. बोर्ड की समितियों में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, कार्यपालक समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, वसूली समीक्षा समिति, जोखिम प्रबंध समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति, ग्राहक सेवा समिति, इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति शामिल हैं.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक की मान्यता है कि प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ विनियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है, बल्कि हितधारकों के मूल्य में वृद्धि के लिए एक सुसाध्यकारक भी है. आपके बैंक में अपनाई जा रही कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिनांक 26 दिसंबर 2019 को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 में संशोधन किया. संशोधन के अनुसार, बाजार पूंजीकरण पर आधारित शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट में कारोबार दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) शामिल होनी चाहिए. कारोबार दायित्व रिपोर्ट में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन परिप्रेक्ष्य में आरंभ किए गए पहल-कार्यों का वर्णन होना चाहिए. बैंक की कारोबार दायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp) पर प्रदर्शित की गई है.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत कथन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक की सेवा में ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे ₹ 1.02 करोड़ से अधिक का वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष के किसी हिस्से के लिए ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे प्रतिमाह ₹ 8.50 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष अथवा उसके किसी हिस्से के दौरान ऐसा कोई कार्मिक नियुक्त नहीं किया गया जिसे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक द्वारा आहरित कुल पारिश्रमिक की दर से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो और जिसके पास स्वयं अथवा जिसके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ मिलाकर बैंक के 2% इक्विटी शेयर से अनधिक शेयर धारित हों.

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत विवरण-शीर्ष 10 कर्मचारियों का ब्योरा

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	प्राप्त वार्षिक पारिश्रमिक (₹)	नियोजन की प्रकृति, यह संविदागत है अथवा अन्य प्रकार का है.	कर्मचारी की अर्हता और अनुभव	नियोजन शुरू करने की तारीख	ऐसे कर्मचारी की आयु	कंपनी में आने से पूर्व ऐसे कर्मचारी द्वारा धारित पिछला नियोजन
1	श्री अशोक कुमार गौतम	कार्यपालक निदेशक	7943711.67	संविदागत	एमबीए, बीएससी (सांख्यिकी), एफआरएम, ट्रेजरी में डिप्लोमा, बैंक प्रबंध में डिप्लोमा, सीएआईआईबी, आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 1 वर्ष 9 माह	24 जून 2019	58 वर्ष 2 माह	एक्सिस बैंक
2	सुश्री सोनाली सुबुद्धि	हेड डेटा एनालिटिक्स	5207174.34	संविदागत	सांख्यिकी में मास्टर्स डिग्री, एमबीए - ईपीबीएम (आईआईएम कोलकाता), आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 1 वर्ष 9 माह	24 जून 2019	41 वर्ष 10 माह	जॉनसन एंड जॉनसन प्रा. लि.
3	श्री पद्मभूषण बहादुरे	मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी	5161007.34	संविदागत	बी.ई. इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्ज़ीक्यूटिव सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम - रणनीति प्रबंध, सप्लाय चैन मैनेजमेंट में पी.जी. डिप्लोमा, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में एक्ज़ीक्यूटिव पी.जी. डिप्लोमा, आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 1 वर्ष 7 माह	1 अगस्त 2019	44 वर्ष 8 माह	भारतीय स्टेट बैंक
4	श्री बद्री श्रीनिवास राव	मुख्य महा प्रबंधक	4625782.71	कर्मचारी	बीई, एमबीए, सीओबीओएल, आईबीएम मे फ्रेम में सर्टिफिकेट, प्राज्ञ (हिंदी अर्हता), आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 20 वर्ष 1 माह	14 फरवरी 2001	54 वर्ष 1 माह	मेसर्स ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
5	श्री नरेश चंद्र बराल	महाप्रबंधक	4525925.15	कर्मचारी	बीई, डी.बी.एम. (डिप्लोमा), मैनेजमेंट में एडवान्स्ड डिप्लोमा, आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 26 वर्ष 2 माह	30 जनवरी 1995	52 वर्ष 9 माह	इंडियन चार्ज क्रोम लि.
6	श्री मनीषी चटर्जी	महाप्रबंधक	4125557.06	कर्मचारी	बी. एससी., एम.एससी., प्रिवेंशन ऑफ सायबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट, सीएआईआईबी, आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 32 वर्ष 4 माह	1 नवंबर 1988	56 वर्ष 9 माह	बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	प्राप्त वार्षिक पारिश्रमिक (₹)	नियोजन की प्रकृति, यह संविदागत है अथवा अन्य प्रकार का है.	कर्मचारी की अर्हता और अनुभव	नियोजन शुरू करने की तारीख	ऐसे कर्मचारी की आयु	कंपनी में आने से पूर्व ऐसे कर्मचारी द्वारा धारित पिछला नियोजन
7	श्री नारायणमूर्ति विष्णुभोटला	कार्यपालक निदेशक	4115778.73	कर्मचारी	बी.कॉम. (ऑनर्स), एम.ए., एम.एफ.एम., वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आईटी और सायबर सिक्युरिटी पर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, सीएआईआईबी, आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 32 वर्ष 7 माह	2 अगस्त 1988	57 वर्ष 7 माह	टाटा शेयर रजिस्ट्री लि.
8	श्री प्रदीप कुमार दास	कार्यपालक निदेशक	3946454.75	कर्मचारी	बी. एससी., एमबीए, एनसीएफएम-एएमएफआई म्यूचुअल फंड (सलाहकार) (मॉड्यूल), वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आईटी और सायबर सिक्युरिटी पर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, सीएआईआईबी, आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 20 वर्ष 2 माह	23 जनवरी 2001	59 वर्ष	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9	श्री सुनीत सरकार	मुख्य महा प्रबंधक	3937400.29	कर्मचारी	बी.टेक., बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आई.सी.डब्ल्यू.ए., सीएआईआईबी, आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 27 वर्ष 6 माह	1 सितंबर 1993	54 वर्ष 7 माह	ईएसएबी (इंडिया) लिमिटेड
10	श्री ईश्वर पधान	मुख्य महा प्रबंधक	3912470.55	कर्मचारी	बी.ए., एम.ए., सीएआईआईबी, जेएआईआईबी, आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 23 वर्ष 3 माह	3 दिसंबर 1997	52 वर्ष 8 माह	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

1. *उक्त कर्मचारियों द्वारा धारित शेयरों का, यदि कोई हो तो, प्रतिशत नगण्य है.*
2. *उक्त कर्मचारियों में से कोई भी बैंक के किसी निदेशक या प्रबंधक का संबंधी नहीं है.*

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा व्यय

क) ऊर्जा संरक्षण

आपके बैंक द्वारा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में शुरू किए गए विभिन्न पहल कार्य निम्नानुसार हैं:

- बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई सहित बैंक के अन्य कार्यालयों और बैंक आवासीय भवनों में ऊर्जा की खपत कम करने के लिए पारंपरिक बिजली के फिक्सचर के स्थान पर ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट फिक्सचर / लैम्प/ ट्यूब लगाए गए हैं.
- बैंक की शाखाओं में नए साइनेज को पारंपरिक ऊर्जा की खपत वाले लाइट फिक्सचर के स्थान पर नई एलईडी रोशनी वाली लाइटों से सुसज्जित किया जा रहा है.
- सभी नई अथवा नवीकृत शाखाओं में पारंपरिक फ्लोरोसेंट / पीएल लैंप के स्थान पर एलईडी रोशनी का प्रयोग किया जा रहा है.
- एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा विकसित बैंक के नए कार्यालय भवन सहित नई दिल्ली के आवासीय भवनों तथा जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद में विकसित नए आवासीय भवनों में कॉमन बिजली/ पंपों आदि के लिए सौर पैनल लगाए गए हैं. बैंक नए कार्यालय परिसरों में भी एलईडी लाइट फिक्सचर लगाने पर विचार कर रहा है. .
- जेएनआईबीएफ, हैदराबाद में निर्मित नए आवासीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन

आपका बैंक प्रौद्योगिकी-आधारित बैंकिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. आपके बैंक का यह मानना है कि डिजिटल दूरदर्शिता का प्रतीक है और यह अपने ग्राहकों के साथ-साथ कारोबार संचालन को भी सहायता प्रदान करती है. इससे बैंक को भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में भी मदद मिलती है. आपके बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी-आधारित सुधार लागू किए हैं, जिनमें प्रमुख हैं: कर्मचारियों

को कार्यालयीन ई-मेल व बैंक के सिस्टम पर वर्चुअल प्राईवेट नेटवर्क (वीपीएन)/ वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर (वीडीआई) आधारित एक्सिस उपलब्ध कराना, ई-टेंडरिंग व विडियो कॉन्फ्रेंस आधारित बोली प्रक्रिया अपनाना, डेटा सेंटर (डीसी) केंद्र पर सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) अपग्रेड करना, चेन्नई में डिजास्टर रिकवरी (डीआर) केंद्र पर एसओसी स्थापित करना, डोमैन आधारित संदेश प्राधिकरण, रिपोर्टिंग और अनुरूपता (डीएमएआरसी) एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म लागू करना, हनी प्लॉट सॉल्यूशन लागू करना, एंटरप्राइज नेटवर्क मॉनीटरिंग सॉल्यूशन (ईएनएमएस) लागू करना, सेटेलाइट/ जीपीएस आधारित नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (एनटीपी) समाधान लागू करना, बैंक के एटीएम स्विच सॉफ्टवेयर वर्जन को अपग्रेड करना, विडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग (वीएओ), आई-क्विक मोबाइल एप्लिकेशन से खाता खोलना, आरंभ करना, व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा आरंभ करना, विभिन्न एमएसएमई व कृषि उत्पादों के लिए डिजिटलीकृत ऋण कार्रवाई प्रणाली (एलपीएस) शुरू करना और ऑटोमेटेड डेटा फ्लो (एडीएफ) एप्लिकेशन लागू करना. उद्यम-व्यापी डेटा वेयरहाउस (ईडीडबल्यू) के अंतर्गत आपके बैंक ने विभिन्न ऋण उत्पाद संबंधी अनर्जक आस्ति (एनपीए) भविष्यवाणी, कृषि/ एमएसएमई पोर्टफोलियो के लिए नियमित भविष्यवाणी, चालू/ बचत खाते, प्रति-विक्रय, उपरि-बिक्री मॉडल, ग्राहक प्रोफाइलिंग व खंड आदि के लिए कई विश्लेषणात्मक/ भविष्यसूचक मॉडल बनाए हैं.

आपके बैंक में कई प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान और संवर्धन लागू किए जाने के अंतिम चरण में हैं, जिनमें प्रमुख हैंः वॉइस वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) लागू करना व एसएमएस आधारित ओटीपी के विकल्प के रूप में सॉफ्टवेयर टोकन आधारित प्राधिकरण लागू करना, एप्लिकेशन परफॉर्मेंस मॉनीटरिंग सॉल्यूशन लागू करना, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मैनेजमेंट (एपीआईएम) सॉल्यूशन लागू करना, ग्राहकों की 24x7 सहायता के लिए चेट बोट सुविधा लागू करना तथा सिक्युरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स (एसओएआर), नेटवर्क व्यवहार विसंगति पड़ताल (एनबीएडी), पैकेट कैप्चर (पीसीएपी), यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स (यूईबीए) तथा डीसी और डीआर केंद्रों पर आधुनिक एसओसी निर्माण के लिए थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (टीआईपी) जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग.

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए अन्य पहल कार्यों का ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

ग) विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन एवं व्यय

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा ₹ 51.36 करोड़ (डेरिवेटिव और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह को छोड़कर) थी और परिचालन और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए कुल विदेशी मुद्रा व्यय ₹ 36.23 करोड़ था.

भारतीय रिज़र्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) से बाहर आना

आपके बैंक ने आरबीआई को इस बात की प्रतिबद्धता दी है कि वह न्यूनतम नियामक पूंजी, निवल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और लिवरेज अनुपात संबंधी मानदंडों का सतत अनुपालन करेगा तथा इसने आरबीआई को उन संरचनात्मक और प्रणालीगत सुधारों के बारे में भी अवगत कराया है, जो बैंक को अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में मदद प्रदान करेंगे. बैंक की उक्त प्रतिबद्धता तथा दिसंबर 2020 की समाप्ति पर जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 14.47% होने, 12.22% की सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) होने, निवल एनपीए 1.94% होने तथा लिवरेज अनुपात 5.71% होने के कारण पीसीए रूपरेखा का उल्लंघन न होने के परिप्रेक्ष्य में आरबीआई ने अपने 10 मार्च 2021 के पत्र द्वारा कतिपय शर्तों और सतत निगरानी के अधीन बैंक पर पीसीए रूपरेखा के तहत लागू किए गए प्रतिबंध हटाने का निश्चय किया है.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्वारा घोषणा और पुष्टि करता है किः

क. वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है. साथ ही तात्विक रूप से अनुसरण न किये गये मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं एवं अनुमान लगाए हैं जो वित्त वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और इसी अवधि में बैंक के लाभ अथवा हानि की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए यथोचित तथा विवेकपूर्ण हैं;

ग. निदेशकों ने आपके बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. निदेशकों ने कार्यशील संस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं.

ङ. निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा कि ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

च. निदेशक मंडल ने लागू सभी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं तथा कि ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं .

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, रिज़र्व बैंक, अन्य सभी सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों तथा एलआईसी का उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी है. निदेशक मंडल विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/ संस्थाओं से मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. बोर्ड अपने सभी निष्ठावान शेयरधारकों और ग्राहकों का वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है और भविष्य में भी उनसे सतत् सहयोग की अपेक्षा करता है. निदेशक मंडल अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और बैंक के प्रति उनकी वचनबद्धता का अत्यधिक सम्मान करता है.

[सुरेश खटनहार]
उप प्रबंध निदेशक

[सैम्युअल जोसेफ जेबराज]
उप प्रबंध निदेशक

[राकेश शर्मा]
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक: 03 मई 2021

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors is pleased to present the Report on its Business and Operations for the financial year ended March 31, 2021.

The Financial Year (FY) 2020-21 was characterised by unprecedented challenges to lives and livelihood posed by the COVID-19 pandemic. The socio-economic consequences of the pandemic were more severe than initially anticipated due to the uncertainty regarding its path, duration and magnitude. This warranted policy response at an unprecedented scale from governments and central banks globally. The Indian economy also experienced pandemic-led fallout with widespread economic impact. The banking sector, like most sectors, encountered challenges and uncertainties caused due to the economic disruptions. However, deployment of timely and collaborative policy interventions by the Government of India (GoI) and the Reserve Bank of India (RBI) paved the way for gradual revival of the economic activities. The policy response was directed towards stabilising the economy and putting in place necessary enablers to kick-start the economy on a sustainable basis. This was evidenced by the improvement in India's economic performance in Q3 and Q4 of FY 2020-21 which saw positive Gross Domestic Product (GDP) growth of 0.5% and 1.6%, respectively. However, two consecutive quarters of decline in Q1 and Q2 of FY 2020-21 weighed down the overall growth performance with GDP registering a contraction of 7.3% in FY 2020-21. While the fiscal and monetary support extended by the policymakers aided in minimising the impact of the pandemic on key sectors, it was only in the second half of the year that there was an uptick in economic activity on the back of rolling back of restrictions. As the economy is yet to reach its potential growth trajectory, it is imperative to view the performance of your Bank in this context.

Financial Highlights

As on March 31, 2021, your Bank's aggregate deposits and advances touched ₹ 2,30,898 crore and ₹ 1,28,150 crore, respectively. Your Bank's business highlights for the period under review are presented in Table 1.

Table 1: Key Financials

(₹ in crore)

	Ason March 31, 2020	Ason March 31, 2021
Capital	10,381	10,752
Reserves & Surplus	23,644	26,059
Deposits	2,22,424	2,30,898
Borrowings	36,749	15,908
Other Liabilities & Provisions	6,730	14,147
Total Liabilities	**2,99,928**	**2,97,764**
Cash & Balances with RBI	10,539	13,013
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	19,892	22,209
Investments	81,780	81,023
Advances	1,29,842	1,28,150
Fixed & Other Assets	57,875	53,369
Total Assets	**2,99,928**	**2,97,764**
For the period	**2019-20**	**2020-21**
Total Income	25,295	24,557
Total Expenses (other than provisions)	20,183	17,466
Provisions (other than tax)	14,079	4,722
Profit/ (Loss) Before Tax	(8,967)	2,369
Provision for Tax	3,920	1,009
Profit/ (Loss) After Tax	(12,887)	1,359

During the year under review, your Bank's total income amounted to ₹ 24,557 crore, comprising interest income of ₹ 19,932 crore and other income of ₹ 4,625 crore. Interest expenses stood at ₹ 11,414 crore and operational expenses at ₹ 6,052 crore, accounting for total expenditure (excluding provisions and contingencies) of ₹ 17,466 crore.

Total provisioning of your Bank declined for the year due to reversal of provisioning for Non-Performing Assets (NPAs). The provisions include ₹ 2,395 crore towards provisions for NPAs, bad debts written-off and investments. The increase in Net Interest Income (NII), other income and reduction in operating expenses and provisions enabled the Bank to post a net profit of ₹ 1,359 crore during FY 2020-21.

While the Earnings per Share (EPS) during the year was ₹ 1.30, the Book Value per Share (excluding intangible assets and Deferred Tax Asset (DTA)) stood at ₹ 14.83 as at end-March 2021.

Given that the *'second wave'* significantly increased the number of COVID-19 cases in India and as the outlook is likely to remain uncertain for a considerable duration, the Board of Directors of the Bank, at its meeting held on May 03, 2021, considered it prudent to not propose dividend for the financial year ended March 31, 2021.

Report on the Performance and Financial Position of Subsidiaries and Joint Venture included in the Consolidated Financial Statement as on March 31, 2021

Name of the Entity	Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of Consolidated Net Assets	Amount (in ₹ crore)	As % of Consolidated Profit or Loss	Amount (in ₹ crore)
Parent : IDBI Bank Ltd.	97.54%	36,811.07	89.79%	1,359.46
Subsidiaries				
Indian :				
1. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	0.83%	312.76	0.50%	7.51
2. IDBI Intech Ltd.	0.24%	90.06	0.80%	12.07
3. IDBI Asset Management Ltd.	0.30%	113.38	0.30%	4.53
4. IDBI MF Trustee Co. Ltd.	0.00%	1.61	0.00%	0.03
5. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.66%	249.41	2.65%	40.09
Foreign :	NA	NA	NA	NA
Minority Interest in all Subsidiaries	0.30%	112.98	1.20%	18.16
Associates (Investment as per the equity method)#				
Indian				
1. Biotech Consortium India Ltd.	NA	NA	0.00%	0.00
2. National Securities Depository Ltd.	NA	NA	5.51%	83.46
3. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	NA	NA	0.00%	0.00
4. Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd. (PIPDICL)	NA	NA	NA	NA
Foreign :	NA	NA	NA	NA
Joint Ventures (as per proportionate consolidation/investment as per the equity method)				
Indian				
1. Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.	0.69%	259.65	2.19%	33.22
Foreign	NA	NA	NA	NA
Total	**100.56%**	**37,950.91**	**100.54%**	**1,522.22**
Elimination	-0.56%	-209.89	-0.54%	-8.25
Net Total	**100.00%**	**37,741.02**	**100.00%**	**1,513.97**

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

 # - The financials of four Associates viz., National Securities Depository Ltd.(26.10%), North Eastern Development Finance Corporation Ltd. (25%), Biotech Consortium India Ltd. (27.93%) and Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd. (21.14%) are not considered for consolidation on account of non-receipt of Financial Statements for Q4 of FY 2020-21, impact of which on the Consolidated Financial Statements is not material. In case of Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd., the investment in the said company has been written down to ₹ 1.

Material changes and commitments, if any, affecting financial position of IDBI Bank which have occurred during the end of financial year and the date of Board Report.

There were no material changes and commitments affecting the financial position of the Bank, which occurred between the end of the financial year of the Bank, i.e. March 31, 2021 and the date of the Directors' Report.

The details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the financial statements.

According to Section 143(3)(i) of the Companies Act 2013, with effect from FY 2015-16, the report of the Statutory Auditors should state whether the Bank has adequate Internal Financial Controls (IFCs) system in place and the operating effectiveness of such controls, in the context of the financial statements. IFCs as referred to in Section 143(3)(i) of the Companies Act relate to Internal Financial Controls Over Financial Reporting (IFCO-FR). The Bank's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of IFCO-FR issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, safeguarding of its assets, prevention and detection of frauds and errors, accuracy and completeness of the accounting records, and timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 and the guidelines issued by the RBI.

Your Bank has put in place an IFCO-FR Framework for evaluation of the existing internal financial controls system and appointed a Consultant for validating the compliances with respect to the documentation, certification, reporting process of the controls across all business verticals/ departments and ascertaining the adequacy and effectiveness of the controls in the Bank in all material respects with respect to financial reporting.

During FY 2020-21, the said Consultant has submitted the Internal Compliance Certificate for the quarters ended June 2020 to December 2020 after carrying out the testing and validation of all the underlying processes as per the Bank's IFCO-FR framework. The Consultant reviewed the compliance of 570 Risk Control Matrices as on December 31, 2020 and reported five open issues for further compliance. The departments concerned are working closely for addressing the open issues.

Details of significant changes (i.e. change of 25% or more as compared to the immediate previous financial year) in key financial ratios, along with a detailed explanation thereof, including:

Particulars	2019-20	2020-21	Comments
Net Interest Margin (%)	2.61%	3.38%	Interest Income increased due to increase in interest on income tax refund by ₹ 943 crore to ₹ 1,313 crore for FY 2020-21 as against ₹ 370 crore for FY 2019-20 and decrease in interest expenses by ₹ 2,433 crore.
Return on Assets	-4.26%	0.46%	Net profit for FY 2020-21 is ₹ 1,359 crore as compared to loss of ₹ 12,887 crore in FY 2019-20.
Net NPA% to Net Advances	4.19%	1.97%	Net NPA decreased by ₹ 2,920 crore.
Debt to Equity ratio	3.16	1.00	Borrowings made in India and outside India significantly decreased by ₹ 20,841 crore and Net Worth improved by ₹ 4,319 crore.

Capital Adequacy

In adherence to the Pillar 1 guidelines of the RBI under Basel III framework, your Bank computes the regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a quarterly basis. As per the Basel guidelines, banks in India are mandated to maintain Capital Conservation Buffer (CCB) in a phased manner commencing from March 31, 2016. In line with the RBI's notification dated September 29, 2020 whereby the transitional arrangements of Basel III capital regulations were reviewed, the applicable CCB for March 31, 2021 was stipulated at 1.875%. Accordingly, the minimum regulatory requirement of *'Total Capital + CCB'* was 10.875% as on March 31, 2021. Your Bank's *'Total Capital + CCB'* ratio was 15.59% as on March 31, 2021. Similarly, your Bank's *'Common Equity Tier 1 (CET1)+CCB'* ratio was 13.06% as against the regulatory requirement of 7.375%. Your Bank's *'Tier 1+CCB'* ratio stood at 13.06% as on March 31, 2021 as against the regulatory requirement of 8.875%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2021 was 6.08% against the applicable minimum regulatory requirement of 3.50%.

Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your

Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered under Pillar 1 as well as to develop appropriate strategies to manage and mitigate risks under normal and stressed conditions.

Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework in line with the RBI guidelines. The stress testing framework enables your Bank to assess its performance under exceptional but plausible events and facilitates appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies. The framework also includes scenario analysis and reverse stress testing. Scenario analysis enables the Bank to understand the impact of adverse macroeconomic indicators on the capital and profitability of the Bank. Your Bank also separately created scenarios to make a preliminary assessment of the detrimental impact of the COVID-19 pandemic on the various sectors to which the Bank has exposure, which in turn will adversely affect the Bank's profitability. The mechanism of reverse stress testing has been added to the framework to find the level of stress which may adversely impact the capital to take it to a pre-determined floor level.

Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms. Accordingly, disclosures as at the end of each quarter are hosted on your Bank's website, thereby exhibiting high degree of transparency.

Your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk for computation of capital charge. Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk. A comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) framework have been rolled out across different business segments for ensuring effective control mechanism. For Market Risk, your Bank uses Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital requirements.

Qualified Institutional Placement (QIP)

Your Bank had raised Equity Capital amounting to ₹ 1,435.18 crore through the Qualified Institutional Placement (QIP) route in Q3 of FY 2020-21. The Bank raised capital for the first time after a gap of 25 years since its maiden Initial Public Offering (IPO) in 1995. Under this QIP, 44 Qualified Institutional Buyers (QIB) participated and were issued equity shares of 37,18,08,177 (nos.) at ₹ 10/- each fully paid up with a share premium of ₹ 28.60 per share aggregating to ₹ 1,435.18 crore.

Business Strategy

FY 2020-21 commenced in the midst of the first phase of the nationwide lockdown imposed by the GoI as a preventive measure to mitigate the spread of the coronavirus. The immediate imperative before the Bank as a provider of essential service was to ensure uninterrupted banking services without compromising on the safety measures for both customers and employees. Apart from ensuring that most branches were functional with proper COVID-19 protocols for providing in-person servicing, where essential, your Bank redirected key business processing activities to alternate locations within the country for uninterrupted and time-bound processing of customer requests. Furthermore, customers were also encouraged to use digital and other alternate channels to carry out their banking transactions.

During the year, your Bank continued to pursue a risk-calibrated business strategy to ensure stable and profitable growth, especially in view of the challenging operating environment. In tandem with its overall business strategy of re-orienting itself as a retail-centric bank, your Bank augmented its retail asset book with increased focus on Structured Retail Assets (SRA), Agri and MSME loan portfolio, while simultaneously limiting its corporate exposure. On the liability side, your Bank continued to boost the share of its low-cost deposit base i.e. CASA deposits to the total deposits while reducing reliance on bulk term deposits. Consequent upon the majority stake acquisition by the Life Insurance Corporation of India (LIC), the Bank has been accelerating its efforts to realise the full potential arising out of business synergies with the LIC. Apart from augmenting income, the Bank also continued to make concerted efforts to rationalise its expenses in order to ensure a robust bottom-line.

Recognising the importance of asset quality in ensuring a profitable and sustained turnaround, your Bank has been aggressively pursuing recovery and upgradation of its delinquent asset portfolio through legal and regulatory routes in a bid to resolve the existing stress in its asset book. Your Bank has also set up dedicated teams to drive recovery in corporate and retail portfolio. Additionally, as a proactive measure, your Bank has also strengthened its credit monitoring mechanism in order to closely monitor the onset of stress in its portfolio and to prevent slippages in asset quality. These initiatives have aided in reducing incipient stress, containing slippage and improving credit quality of your Bank.

Your Bank has also undertaken measures to strengthen its risk management and corporate governance framework. In addition to this, your Bank also continued to promote a strong compliance culture by adhering to key laws, rules, regulations, internal policies & procedures and various codes of conduct to maintain its reputation and win the trust of customers, investors and regulators.

Your Bank has always been committed towards its vision of emerging as a trusted and preferred bank in India's banking space. Towards this end, your Bank has adopted a customer-centric policy to focus on enhancing customer delight and experience. Your Bank has also been leveraging its data analytics capabilities to introduce a wide-range of customised products and services to cater to the emerging customer preferences. Furthermore, your Bank has continued to invest

in technological innovation and up-gradation in order to ensure better customer service and experience. Your Bank has also remained committed towards the GoI's Enhanced Access and Service Excellence (EASE) to ensure ease of banking.

These strategic measures were supplemented by a number of structural and systemic improvements which paved the way for a smooth and successful turnaround process.

Key Business Initiatives

Your Bank, as a customer-centric bank, offers an entire gamut of banking and investment products and services to cater to the emerging financial requirements of its customers. In order to minimise the pandemic-led disruptions, your Bank has been ramping up its digital capabilities by embracing technological innovation and also by upgrading and augmenting its software/ hardware capabilities. While the Bank continued to serve its customers through its network of 1,886 branches, 3,388 ATMs and 58 e-lounges, the strengthening of its digital infrastructure enabled your Bank to offer a number of digital and contactless solutions to its customers in a safe and secure manner, thereby ensuring last-mile connectivity to its customers. This proactive measure by your Bank also enabled it to remain connected with its customers and provide uninterrupted and seamless banking services without diluting the safety measures and social-distancing norms.

In response to the evolving customer preferences and requirements, your Bank introduced a number of innovative products and services, viz. WhatsApp banking, online account opening facility through mobile app – *'I Quick'*, Account Opening/ Re-KYC through Video KYC (VAO), virtual debit card, doorstep banking facility for senior citizens and differently-abled persons, state-of-the-art Loan Processing System for Agri and MSME loans, among others, to ensure ease of banking and customer delight.

Your Bank continued to remain committed towards supporting the priority sectors by significantly contributing to Priority Sector Lending (PSL), thereby also adhering to the RBI's mandate. Your Bank is proactively promoting the national agenda of financial inclusion with interventions in three key areas, viz. ensuring access to appropriate financial products and services by the vulnerable sections of the society at an affordable cost in a fair and transparent manner, making extensive use of technology to connect with customers and enhancing customer awareness through financial literacy. Your Bank has also been engaging its network of Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) in an effort to increase penetration in rural and semi-urban areas. This has aided in furthering the financial inclusion agenda as also providing an added impetus to its PSL business.

Your Bank has been leveraging the business synergies with the LIC by offering a wide array of innovative, specialised/ customised products and services to the employees, agents and subsidiaries of the LIC for meeting their banking and investment requirements.

Your Bank offers a wide range of Trade Finance (TF) products and services to its large corporate, mid corporate and retail customers. As a part of its transformation plan, your Bank has transitioned to a centralised trade processing system, which operates on a hub-and-spoke model at three major metro centres, viz. Mumbai, Chennai and Delhi and facilitates standardised processing, efficient communication and faster turnaround time. Your Bank, as an Authorised Dealer (AD) Category I bank, has 39 dedicated TF centres, which are authorised to handle all types of foreign exchange transactions.

Your Bank acts as an agent for Central Government and State Governments to manage their receipts and payments. Your Bank is authorised to collect Central Government Taxes, State Receipts in select States and Union Territories. Your Bank is also authorised by the Government to offer Small Savings Schemes through its branches and disburse Central Civil, Defence and Railway Pensions. Your Bank also provides 24x7 internet banking facilities for tax payments. Your Bank has enabled online collection of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC) dues.

Your Bank is committed towards providing state-of-the-art Cash Management Services (CMS) to help corporates accelerate their collections, handle their bulk payments efficiently and smoothen their flow of funds. Your Bank offers a comprehensive range of CMS collections, payment and transaction banking solutions to suit the needs of corporates so that they have a complete control of their cash position.

Your Bank is setting up a dedicated Financial Institutions Group (FIG) to focus on domestic and foreign Financial Institutions (FIs) for offering various products/ services of the Bank. This group shall act as a coverage group for offering products/ services related to trade, cash management services, payments, treasury, forex, derivatives, money market & capital markets and retail banking. The FIG shall also engage with the FIs for increasing the breadth of coverage and deepen the FI business.

To address the economic fallout of the pandemic, your Bank undertook a number of measures such as providing moratorium to all the eligible customers, extending additional funding by way of Working Capital Term loan to MSMEs/ business enterprises and individual borrowers, launching a Credit Guarantee Scheme for Subordinated Debt (CGSSD) to provide personal loans to the promoters of the stressed MSMEs, introducing Loan Resolution Plan for borrowers having financial stress on account of COVID-19, among other measures, to help its customers.

Your Bank has a dedicated Centre of Excellence for Data Analytics which works across business areas on projects related to business analytics, decision strategies, forecasting models, machine learning and rule engines. Your Bank continues to leverage technology and analytics for deeper insights into customer on-boarding, micro-segmentation of customers, behavioural pattern, smooth and frictionless transaction, spending behaviour, risk portfolio etc. Data analytics and Machine Learning (ML) have enabled your Bank to get better at acquiring, serving and retaining customers by offering analytics-driven next best products. Your Bank is leveraging these technologies to maximise its digital impact and make its digital campaigns more intelligent, sharp and cost-efficient.

The detailed description of the Bank's initiatives undertaken during the year is outlined in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

Impact of the COVID-19 pandemic on the Bank's business

The SARS-CoV2 virus responsible for the COVID-19 has resulted in a significant decline and volatility in global and Indian markets and economic activity. Implementation of lockdown and extensions has resulted in disruptions of business and common life. The Bank is gearing itself on all fronts to meet the challenges imposed by the COVID-19 pandemic including the likelihood of rise in customer defaults and an increase in provisioning requirements. The second wave of the COVID-19 from mid-March 2021 is again threatening to disrupt the economic activities in many states, where the pandemic is more severe with possibilities of lockdown getting extended in case the situation does not improve. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank during this period.

Board of Directors

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of corporate governance, as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The Board functions directly as well as through various Board level committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas of the Bank. As per the Articles of Association, the Board of Directors shall not be less than three and more than fifteen members consisting of the Chairman of the LIC as Non-Executive Chairman of the Bank, MD & CEO, two DMDs, one Official Nominee Director of the LIC, two Nominee Directors of GoI and eight Independent Directors including one Woman Independent Director.

As on March 31, 2021, the Board comprised fourteen Directors, viz., Shri M. R. Kumar, Non-Executive Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj and Shri Suresh Khatanhar, DMDs, as Whole Time Directors; Ms. Meera Swarup and Shri Anshuman Sharma, as Government Nominee Directors and Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, as Non-Executive Directors; Shri Gyan Prakash Joshi, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay Gokuldas Kallapur and Smt. P. V. Bharathi as Independent Directors. The present strength of fourteen Directors on the Board meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association.

Apex Committees

The Board has a total of thirteen committees to oversee various functional areas of your Bank's business and operations. The Board committees include Audit Committee of the Board, Executive Committee, Nomination & Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, HR Steering Committee, Frauds Monitoring Committee, Recovery Review Committee, Risk Management Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Non-Cooperative Borrowers' Review Committee, Customer Service Committee, Wilful Defaulters' Review Committee and Information Technology Strategy Committee.

Corporate Governance

Your Bank is committed to adopt the best corporate governance practices. It believes that effective corporate governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for excellence in governance including enhancement of stakeholders' value. The details of your Bank's corporate governance practices are given in this Annual Report as a separate section under Corporate Governance Report.

Business Responsibility Report

Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide Gazette Notification dated December 26, 2019, amended the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. As per the amendment, the Annual Report of the top one thousand listed entities based on market capitalisation must include Business Responsibility Report (BRR). The BR Report should describe initiatives taken by the listed entity from an environmental, social and governance perspective. The Bank's Business Responsibility Report has been hosted on the website of the Bank (https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp).

Statement under Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

There were no personnel in your Bank's service, during the financial year under review, who received remuneration of over ₹ 1.02 crore annually. Besides, there were no personnel in the service of the Bank for a part of the year who received remuneration in excess of ₹ 8.50 lakh per month. Further, there were no personnel employed throughout the financial year or part thereof who was in receipt of remuneration at a rate, which in the aggregate, was in excess of that drawn by Managing Director & CEO or Deputy Managing Director of the Bank and who held by himself or along with his spouse and dependent children, not less than 2% of the equity shares of the Bank.

Statement under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 for year ended March 31, 2021 – Details of Top Ten Employees

Sr. No.	Name	Designation	Annual Remuneration received (₹)	Nature of employment, whether contractual or otherwise	Qualifications and experience of the employee	Date of commencement of employment	Age of such employee	The last employment held by such employee before joining the company
1	Shri Ashok Kumar Gautam	ED	7943711.67	Contractual	MBA, B.Sc. (Statistics), FRM, Diploma in Treasury, Diploma in Bank Management, CAIIB Experience in IDBI Bank: 1 year 9 months	24-Jun-19	58 years, 2 months	Axis Bank
2	Ms. Sonali Subudhi	Head Data Analytics	5207174.34	Contractual	Masters in Statistics, MBA - EPBM Experience in IDBI Bank: 1 year 9 months	24-Jun-19	41 years, 10 months	Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
3	Shri Padmabhushan Bahadure	Chief Technology Officer	5161007.34	Contractual	B.E. Electronics, Executive Senior Management Programme - Strategy Management, P.G. Diploma in Supply Chain Management, Executive P.G. Diploma in International Business Experience in IDBI Bank: 1 year 7 months	01-Aug-19	44 years, 8 months	SBI
4	Shri Badri Srinivasa Rao	CGM	4625782.71	Employee	B.E., M.B.A, COBOL, Certificate in IBM Main Frame, PRAGYA (Hindi Qualification) Experience in IDBI Bank: 20 years 1 month	14-Feb-01	54 years, 1 month	M/s. Dredging Corporation of India Ltd.
5	Shri Naresha Chandra Baral	GM	4525925.15	Employee	B.E., D.B.M, Advanced Diploma in Management Experience in IDBI Bank: 26 years 2 months	30-Jan-95	52 years, 9 months	Indian Charge Chrome Ltd.
6	Shri Manishi Chatterjee	GM	4125557.06	Employee	B.Sc., M.Sc., Prevention of Cyber Crimes and Fraud Management, CAIIB Experience in IDBI Bank: 32 years 4 months	01-Nov-88	56 years, 9 months	Birla Institute of Technology
7	Narayanamurthy Vishnubhotla	ED	4115778.73	Employee	B.Com (Hons), M.A., M.F.M., Certification Programme in IT and Cyber Security for Senior Management, CAIIB Experience in IDBI Bank: 32 years 7 months	02-Aug-88	57 years, 7 months	Tata Share Registry Ltd.

Sr. No.	Name	Designation	Annual Remuneration received (₹)	Nature of employment, whether contractual or otherwise	Qualifications and experience of the employee	Date of commencement of employment	Age of such employee	The last employment held by such employee before joining the company
8	Shri Pradip Kumar Das	ED	3946454.75	Employee	B.Sc., M.B.A, NCFM - AMFI Mutual Fund (Advisors) Module, Certification Programme in IT and Cyber Security for Senior Management, CAIIB Experience in IDBI Bank: 20 years 2 months	23-Jan-01	59 years	Central Bank of India
9	Shri Sunit Sarkar	CGM	3937400.29	Employee	B. Tech., Post Graduate Diploma in Business Management, I.C.W.A., CAIIB Experience in IDBI Bank: 27 years 6 months	01-Sep-93	54 years, 7 months	ESAB India Ltd.
10	Shri Iswar Padhan	CGM	3912470.55	Employee	B.A., M.A., CAIIB, JAIIB Experience in IDBI Bank: 23 years 3 months	03-Dec-97	52 years, 8 months	National Productivity Council

1. *The percentage of shares held by such employee, if any, is negligible.*
2. *None of such employee is a relative of any director or manager of the Bank.*

Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and Outgo

a) Conservation of Energy

Your Bank has taken the following measures towards conservation of energy:

- Conventional light fixtures have been replaced with energy efficient LED light fixtures/ lamps/ tubes to save power consumption at the Bank's Head Office building at Mumbai as well as all other office and residential buildings of the Bank.
- The new signages of the Bank's branches are being fitted with LED lights in place of conventional power consuming light fixtures.
- For all new or refurbished branches, LED lights are being used in place of conventional fluorescent/ PL lamps.
- Solar panels have been installed for common lighting, pumps etc. in the Bank's new office buildings as well as residential buildings developed by NBCC (India) Ltd. at New Delhi and new residential buildings at the Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF), Hyderabad. The Bank has also been considering LED light fixtures for furnishing of new office premises.
- Water harvesting facility has also been provided in new residential buildings constructed at the JNIBF, Hyderabad.

b) Technology Absorption

Your Bank accords top priority to technology-led banking. Your Bank believes that digital is the way forward and tech-led initiatives would empower its customers as well as its business functions. It would also take the Bank forward in addressing the challenges of the future. Your Bank adopted a few noteworthy technology-driven reforms such as making official e-mail available on-the-go to the employees and providing Virtual Private Network (VPN)/ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) based access to the Bank's systems, adapting to e-tendering and video conference-based bidding procedures, up-gradation of the Security Operations Centre (SOC) at the Data Centre (DC) location and setup of a SOC at the Disaster Recovery (DR) location in Chennai, implementation of a Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) analytics platform,

implementation of Honey Pot solution, implementation of an Enterprise Network Monitoring Solution (ENMS), implementation of satellite/ GPS based Network Time Protocol (NTP) solution and upgradation of the Bank's ATM switch software version, introduction of Video KYC Account Opening (VAO), I-Quick mobile application for account opening, roll-out of WhatsApp Banking facility, launch of a fully digitised Loan Processing System (LPS) for various MSME and Agri loan products and implementation of Automated Data Flow (ADF) application. Under the Enterprise Data Warehouse project (EDW), your Bank has built various analytical/ predictive models for Non-Performing Asset (NPA) prediction for various loan products, churn prediction for portfolio of Agri/ MSME, current/ saving account, cross-sell/ up-sell model, customer profiling and segmentation, etc.

Your Bank is in advanced stage of implementation of many technology-based solutions and enhancements which include, implementation of Voice One-time Password (OTP) and software token-based authentication as an alternate to SMS-based OTP, implementation of an Application Performance Monitoring solution, implementing Application Programming Interface Management (APIM) solution, implementation of chat bot facility for 24x7 customer assistance and exploring the usage of new age security technologies such as Security Orchestration, Automation & Response (SOAR), Network Behaviour Anomaly Detection (NBAD), Packet Capture (PCAP), User & Entity Behaviour Analytics (UEBA) & Threat Intelligence Platform (TIP) for building a Next Generation SOC at both DC & DR locations.

Details of other initiatives taken in the Information Technology space have been provided in the Management Discussion and Analysis section of this Annual Report.

c) Foreign Exchange Earnings and Outgo

During the year, the total foreign exchange earned by the Bank was ₹ 51.36 crore (excluding foreign currency cash flows in derivatives and foreign currency exchange transactions) and the total foreign exchange outgo was ₹ 36.23 crore towards the operating and capital expenditure requirements.

Exit from the RBI's Prompt Corrective Action (PCA) framework

Your Bank has provided a commitment to the RBI that it would comply with the norms of minimum regulatory capital, Net Non-Performing Asset (NPA) and Leverage ratio on an on-going basis and has apprised the RBI of the structural and systemic improvements that it has put in place which would help the Bank in continuing to meet these commitments. Based on the commitment and the Bank's reported Capital To Risk Weighted Asset Ratio (CRAR) at 14.47%, Common Equity Tier 1 (CET1) at 12.22%, Net NPA at 1.94% and Leverage Ratio at 5.71% as at end-December 2020, which were not in breach of the PCA framework, the RBI, vide its letter dated March 10, 2021, has decided to lift the restrictions imposed on the Bank under the PCA framework subject to certain conditions and continuous monitoring.

Directors' Responsibility Statement

The Board of Directors, hereby, declares and confirms that:

a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b. The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

Your Bank's Board of Directors is sincerely grateful to the GoI, the RBI, all other statutory/ regulatory authorities and the LIC for their valuable cooperation and guidance. The Board also acknowledges, with gratitude, the co-operation and support received from various State Governments and other banks/ financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their support. The Board takes this opportunity to put on record its deep sense of gratitude to its loyal shareholders and customers for extending their support during the year, and looks forward to their continued association in the years ahead. The Board appreciates the sincere and devoted services rendered by its entire staff and highly values their commitment towards the Bank.

[Suresh Khatanhar]
Deputy Managing Director

[Samuel Joseph Jebaraj]
Deputy Managing Director

[Rakesh Sharma]
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: May 03, 2021

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

कारोबारी परिवेश

कोरोना वायरस महामारी जो आरंभ में स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर कर सामने आई, कैलेंडर वर्ष (सीवाई) 2020 के दौरान घोर आर्थिक संकट और सामाजिक चुनौती का कारण बन गई तथा कैलेंडर वर्ष (सीवाई) 2021 के दौरान भी कोविड-19 महामारी की *'दूसरी लहर'* के रूप में जारी रही. इस अवधि के दौरान मुख्य अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक वृद्धि में तेजी से गिरावट आई. तथापि, नीति निर्माताओं द्वारा राजकोषीय नीति में विस्तार, वित्तीय प्रणाली में तरलता को बढ़ाने के लिए मौद्रक नीति टूल के प्रयोग, व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान तथा अन्य अग्रसक्रिय उपायों ने निकट भविष्य में आर्थिक वसूली में जोखिम को कुछ हद तक कम करने की उम्मीद जगाई है.

घरेलू मोर्चे पर संवृद्धि दर में महामारी का आर्थिक प्रभाव स्पष्ट था. वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के 4% संवृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7.3% तक का संकुचन हुआ. आधार कीमत, जो क्षेत्रीय कार्यनिष्पादन को कैप्चर करता है, में योजित सकल मूल्य (जीवीए) में भी उद्योग और सेवा क्षेत्र में संकुचन के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के 4.1% संवृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6.2% का संकुचन हुआ तथा इससे कृषि क्षेत्र की संवृद्धि भी प्रभावित हुई.

इस पृष्ठभूमि के प्रतिकूल, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के विकास में रोड़ा अटकाने वाली चिंताओं के निवारण के लिए सर्वसमावेशी और समन्वित नीति संबंधी दृष्टिकोण को अपनाया. आत्मनिर्भर भारत अभियान, संघ के बजट 2021-22 में व्यापक शृंखला वाली घोषणाएँ, समायोजित मौद्रिक नीति, अपरंपरागत मौद्रिक नीति टूल्स का नियोजन तथा अन्य राजकोषीय और मौद्रिक उपायों ने संवृद्धि को गति प्रदान करने में आवश्यक बल प्रदान किए हैं.

इसके अतिरिक्त, वृद्धि में तेजी लाने संबंधी कारकों को मजबूत करने और व्यापक बनाने, व्यापक स्तर पर टीकाकरण, क्षेत्र विशेष के लिए बजट की घोषणा, बजट पूँजी व्यय में वृद्धि, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लगातार निवेश पर ज़ोर, आदि जैसे उपायों से निकट भविष्य में भारत के आवधिक संवृद्धि दृष्टिकोण में सुधार की आशा है. साथ ही, एक संतुलित मुद्रास्फीति दृष्टिकोण आरबीआई को संवृद्धि में सहायता करने, महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था के उच्चतर संवृद्धि पथ पर लौटने के लिए उदार नीति कायम रखने में समर्थ बना सकता है. अर्थव्यवस्था की वक्रीय वृद्धि में स्थायी आधार पर तेजी लाने के लिए राजकोषीय तथा मौद्रिक, दोनों ही स्तर पर सामूहिक प्रयास की जरूरत को अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता.

कारोबार समीक्षा

अभी-अभी समाप्त हुए विगत वर्ष ने दुनिया के सामने अप्रत्याशित चुनौतियों को पेश किया, क्योंकि कोविड-19 महामारी के प्रभाव ने केवल कारोबार परिचालनों को ही बाधित नहीं किया, बल्कि इसने हमारे दैनिक जीवन को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की अन्य कंपनियों की तरह आपके बैंक ने भी बहुविध रूप से कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव का सामना किया. बनी रही चुनौतियों के बावजूद, आपके बैंक ने आगे बढ़ना जारी रखा और आपके बैंक द्वारा प्राप्त वित्तीय परिणाम अपने कार्य के प्रति उच्चतम प्रतिबद्धता का प्रमाण है तथा यह प्रबंधन टीम, स्टाफ और बोर्ड की कड़ी मेहनत एवं समर्पण को दर्शाता है. वर्ष बीतने के साथ-साथ मूल्यवान सबक सीखने को मिला, क्योंकि आपके बैंक के प्रत्येक व्यक्ति को कामकाज के तौर-तरीके को बदलना पड़ा. अपने अधिकांश स्टाफ सदस्यों के लिए रिमोट कार्य की सुविधा प्रदान करते हुए आपके बैंक ने सेवा मानकों से बिना कोई समझौता किए तथा अपने हितधारकों और उनके परिवार के हित को सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों के लिए सेवा गुणवत्ता के उच्चतम स्तर को बनाए रखना जारी रखा. बैंक की कारोबार निरंतरता प्रोटोकॉल भी एक चुनौती बनी रही और वास्तव में यह सभी हितधारकों के लिए सामान्य कारोबार की तरह रहा जो इन मजबूत और कड़े प्रोटोकॉल के साक्षी बने.

बदले हुए परिचालन माहौल के बावजूद, बैंक के कारोबार रणनीति के संबंध बोर्ड की रूपरेखा समान रही. अपने आपको रिटेल-केंद्रित बैंक के रूप में स्थापित करते हुए बैंक ने रिटेल और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में अपने व्यवसाय को रणनीतिपरक रूप से बढ़ाना जारी रखा, जबकि कॉरपोरेट एक्सपोजर को कम करने के प्रयास किए. तदनुसार, बैंक ने इस रणनीति के अनुरूप अपने रिटेल, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) आस्ति बही का आकार बढ़ाने के लिए पहल कार्य किए जो अंतर्निहित रूप से खुदरा प्रकृति के हैं और अधिक स्थिर एवं विशाखीकृत आस्ति संमिश्र हासिल करने में सहायक सिद्ध होंगे. देयता के मोर्चे पर आपके बैंक ने कम लागत वाले जमा आधार अर्थात् कासा जमाराशियों को बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा में और अधिक सक्षम होने के उद्देश्य से जमाराशियों और निधियों पर लागत को कम करते हुए संस्थागत जमा पर निर्भरता को कम करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया. बैंक की इस रणनीति के पीछे मौलिक सोच रणनीतिक रूपरेखा स्थापित करनी है जो इसके कारोबार परिचालन में जोखिम को अंशशोधित और टुकड़ों में कम करेगी.

बैंकिंग का अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक डोमेन होने के कारण आपके बैंक ने लगातार संगत बने रहने का प्रयास किया है. अतः वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने ग्राहकों की पसंद और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ऑफर की नई शृंखला जारी की तथा साथ ही वर्तमान उत्पाद और सेवाओं को बेहतर बनाया. ग्राहकों के साथ दीर्घावधि संबंध को बेहतर बनाना बैंक की रणनीति का एक मूल तत्त्व रहा है. इसके लिए बैंक अपने संपर्क केंद्र बढ़ा कर, वर्धित डिजिटलीकरण प्रक्रिया के माध्यम से, मोबाइल/इंटरनेट/फोन बैंकिंग सेवाएँ आदि को बेहतर कर ग्राहकों को अबाधित सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है. 31 मार्च

2021 के अनुसार, आपके बैंक ने 1886 शाखाओं के अपने नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को सेवाएं दी हैं जिसमें भारत में महानगरीय केंद्रों में 426 शाखाएं, शहरी केंद्रों में 464 शाखाएं, अर्ध-शहरी केंद्रों में 585 शाखाएं और ग्रामीण केंद्रों में 409 शाखाएं (255 वित्तीय समावेशन शाखाओं सहित), दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), दुबई में एक समुद्रपारीय शाखा और गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (जीआईएफटी), गांधीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, इस नेटवर्क में 3,388 एटीएम और 58 ई-लाउंज भी शामिल हैं. ग्राहकोनुकूल वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने और बेहतर अंतर्दृष्टि हासिल करने हेतु बैंक ने डेटा विश्लेषण एवं ग्राहक संबंध प्रबंध (सीआरएम) मॉड्यूल भी कार्यान्वित किया है.

जनवरी 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बैंक में बहुलांश शेयरधारिता अर्जित करने के बाद आपके बैंक ने कार्रवाई योग्य विशिष्ट मुद्दों की पहचान की और संभावित कारोबार को बढ़ाने के लिए दोनों संस्थाओं के बीच सहक्रियाओं के जरिए कई उपायों को कार्यान्वित किया. इससे बैंक को कम कीमत वाली जमा बही, अर्थात् कासा बही और रिटेल खाता बही जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने में मदद मिली है. एलआईसी के कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करके बैंक एलआईसी के बीमा उत्पादों को प्रोत्साहित तथा साथ ही अपनी शाखाओं/ डिजिटल चैनलों के माध्यम से एलआईसी के विभिन्न कार्यालयों को संग्रहण/भुगतान संबंधी आवश्यकताओं में मदद के लिए अपने वितरण चैनलों/संपर्क केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाता रहा है.

अपने आस्ति गुणवत्ता मुद्दों के समाधान को उच्चतम प्राथमिकता देते हुए, आपका बैंक एनपीए के द्रुत समाधान और इसकी वसूली के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाता रहा है. दो अलग वर्टिकल, अर्थात कॉर्पोरेट मामलों के एनपीए प्रबंधन समूह (एनएमजी) और रिटेल मामलों के लिए रिटेल संग्रहण एवं वसूली की स्थापना के अतिरिक्त, आपके बैंक ने वर्तमान अनर्जक मामलों से अधिकतम वसूली के किए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआरआईपी) के अधीन मामलों हेतु एक समर्पित केंद्रीकृत डेस्क भी स्थापित किया है. भविष्य में बेहतर आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आपके बैंक ने विशेष उल्लेखवाले खातों (एसएमए), संभावित अनर्जक खातों (एनपीए) और प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) दर्शानेवाले नियमित खातों की पहचान करने के उद्देश्य से समर्पित ऋण निगरानी समूह (सीएमजी) का गठन किया है ताकि गहन अनुवर्तन और इन खातों की निगरानी सुनिश्चित करते हुए इन खातों को एनपीए में रूपांतरित होने से रोका जा सके.

बैंक द्वारा किए गए रणनीतिक उपायों ने वर्ष के दौरान इसके वित्त संबंधी कायापलट में सहायता प्रदान की. परिणामस्वरूप, न्यूनतम विनियामकीय पूंजी, निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) और निरंतर आधार पर अनुपात बढ़ाने संबंधी अनुपालन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता तथा द्रुत सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा में निर्धारित मानदंडों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन, पीसीए रूपरेखा के अधीन लगाए गए प्रतिबंधों को अपने दिनांक 10 मार्च 2021 के पत्र द्वारा हटाने का निर्णय लिया.

बैंक के लिए आगे की राह आशा से भरी, पर अभी भी चुनौतीपूर्ण है. आपके बैंक ने संवृद्धि की गति को प्राप्त कर लिया है जिसे कायम रखने के साथ-साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ाया भी जाएगा. पीसीए रूपरेखा से बाहर होते ही बैंक के लिए बैंकिंग कार्यकलापों की व्यापक शृंखला कार्यान्वित करने हेतु संभावनाओं के द्वार खुल चुके हैं जिससे इसके कारोबार कार्यनिष्पादन को बढ़ाने में और अधिक मदद मिलेगी. बैंक ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक तेजी के लिए संगठनात्मक पुनर्गठन को कार्यान्वित भी किया है. बैंक रिटेल और लघु एवं मझोले उद्यमों में हिस्सेदारी बढ़ाने पर निरंतर ज़ोर देने के साथ-साथ जोखिम को अंशांकित करते हुए कॉर्पोरेट ऋण बही, विशेष कर मझोले आकार की इकाइयों में निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करेगा. बैंक कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों से अवगत रहा तथा अपने ग्राहकों को निरंतर सेवा देने के लिए अपनी परिचालनगत रणनीतियों का लगातार पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्माण कर रहा है. आपका बैंक अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने तथा अपने हितधारकों का विश्वास जीतने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और कॉर्पोरेट अभिशासन संरचना सुनिश्चित करता रहेगा. इन रणनीतिक प्रयासों का उद्देश्य बैंक के लिए एक सुरक्षित स्थिति के निर्माण में मदद करना है ताकि यह बैंकिंग क्षेत्र में सबसे अधिक भरोसेमंद बैंक बना रहे. आपका बैंक विश्वास करता है कि किसी यात्रा को शुरू करने के लिए प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की सबसे अधिक जरूरत है. बैंक ने पीसीए रूपरेखा से बाहर निकल कर कल्पित आधार पर एक नई यात्रा शुरू की है. वर्षों से बैंक ने जो दृढ़ता दिखाई है उसे ध्यान में रखते हुए आशा की जाती है कि बैंक एक बार फिर मजबूती से खड़ा होगा और अपने हितधारकों और उच्चतम बैंकिंग मानकों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण तेजी से संवृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा.

रिटेल बैंकिंग

रिटेल देयता उत्पाद

आपके बैंक ने ग्राहकों की बदली हुई जरूरतों और उनके व्यवहार को ध्यान में रख कर, विशेष कर कोविड-19 महामारी के बाद, उनसे संबन्धित सभी संभव बैंकिंग गतिविधियों को अंकीकरण करने के लिए पहल कार्यों की शृंखला आरंभ की है.

इस प्रयास के एक भाग के रूप में आपके बैंक ने वाट्सऐप बैंकिंग सेवाएँ, विडियो केवाईसी (वीएओ) के माध्यम से खाता खोलना/ पुनः केवाईसी सत्यापन और मोबाइल एप्लिकेशन (आई-क्विक) के माध्यम से खाते खोलना प्रारम्भ किया है. ये सभी डिजिटल-टू-कस्टमर (डी2सी) पहल पूरी तरह से आपके बैंक के संपर्क रहित और कागज रहित बैंकिंग दृष्टिकोण के अनुकूल हैं जो ग्राहकों को भौतिक रूप से बैंक गए बिना दूर से दैनिक लेनदेन की सुविधा प्रदान करेंगे.

उद्योग में देखी जा रही प्रवृत्ति के अनुसार, आपके बैंक ने बचत और मीयादी जमाराशियों पर उत्तरोत्तर ब्याज दर में कमी कर जमाराशियों पर अपनी लागत को तर्कसंगत बनाना जारी रखा. आपके बैंक ने बचत बैंक खाते, चालू खाते और ओवरड्राफ्ट खाते में दी जा रही कुछ सुविधाओं के प्रभार में भी संशोधन किए.

एनआरआई सेवाएं

आपका बैंक वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों की बैंकिंग और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जमाराशियों, निवेशों, विप्रेषणों और ऋण सेवाओं के क्षेत्र में उत्पादों की व्यापक शृंखला प्रदान करता है. आपके बैंक ने अपने अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कारोबार में तेजी लाने और समुद्रपारीय लोकेशनों में रिमोट सेवा सुपुर्दगी को बढ़ाने के लिए उत्पाद/प्रक्रियाओं में संवर्धन जारी रखा.

आपके बैंक ने अपने तिमाही न्यूजलेटर *'एनआरआई संपर्क'* के जरिए एनआरआई ग्राहकों के साथ संपर्क जारी रखा है जो इसके विविध उत्पाद और सेवाओं की शृंखला को दर्शाता है.

रिटेल आस्तियां

आपके बैंक ने अपने आपको सम्पूर्ण सेवाएं देने वाले नई पीढ़ी के वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए अभिप्रेत ध्येय को ध्यान में रखते हुए उत्तरोत्तर बड़े रिटेल व्यवसाय पोर्टफोलियो पर लक्ष्य केंद्रित रखना जारी रखा है ताकि और अधिक संतुलित व्यवसाय संमिश्र हासिल किया जा सके. इसी लक्ष्य के अनुसरण में आपका बैंक इस समय रिटेल आस्ति उत्पादों की शृंखला पेश करता है जिनका मुख्य उद्देश्य रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना है. आपके बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे रिटेल आस्ति उत्पादों में अन्य उत्पादों के अलावा आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण, वैयक्तिक ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण शामिल हैं. इन उत्पादों की आवधिक समीक्षा की जाती है और ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए वर्तमान उत्पादों में आशोधन/नवोन्मेष/अनुकूलीकरण किया जाता है. साथ ही, बैंक नियमित रूप से नए उत्पाद भी शुरू करता है.

आपके बैंक ने कोविड-19 महामारी द्वारा प्रस्तुत बाह्य अनिश्चतता के कारण किसी भी प्रकार के अतिरिक्त दबाव से बचने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लिया तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रिटेल आस्ति बही में संयत संवृद्धि का लक्ष्य रखा. तदनुसार, बैंक ने पिछले चार वर्षों के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक संवृद्धि दर (सीएजीआर) 10.99% संवृद्धि के साथ वार्षिक आधार पर 2.74% के आसपास संरचित रिटेल आस्ति (एसआरए) बही संवृद्धि दर्ज किया. आपके बैंक ने कम-से-कम गिरावट के साथ मजबूत संरचित रिटेल आस्ति पोर्टफोलियो कायम रखना जारी रखा.

सकेंद्रित पद्धति से उच्चतर वृद्धि प्राप्त करने के लिए आपके बैंक ने अलग से एसआरए वर्टिकल का निर्माण किया. नए एसआरए वर्टिकल के अधीन रिटेल आस्ति केंद्र (आरएसी), आरएसी से अलग हुए सेल्स संबंधी कार्यों के साथ समर्पित ऋण एवं परिचालन इकाई के रूप में कार्य करेगा. इससे ऋण गुणवत्ता और उन्नत प्रचालन क्षमता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

महामारी द्वारा लादी गई चुनौतियों का सामना और अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने संरचित रिटेल आस्ति उत्पादों के अंतर्गत विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

- कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट के संदर्भ में, सरकार/आरबीआई द्वारा लागू अधिस्थगन सहायता पैकेज का कार्यान्वयन ईमानदारी से किया गया. इसके अंतर्गत बैंक ने यथा 01 मार्च 2020 को बकाया ऋण के संबंध में सभी पात्र एसआरए मीयादी ऋण ग्राहकों के लिए अधिस्थगन मंजूर किया, जब तक कि उन्होंने स्वयं विशेष रूप से इससे बाहर रहने का विकल्प नहीं चुना. किस्त भुगतान के लिए अधिस्थगन 31 अगस्त 2020 तक उपलब्ध था.
- सरकार द्वारा लागू गारंटीकृत आपातकालीन ऋण सीमा (जीईसीएल)) योजना के अधीन, आपके बैंक ने कारोबार के प्रयोजन से पूर्व में ऋण ले चुके एमएसएमई/कारोबार उद्यमों और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को कार्यशील पूँजी मीयादी ऋण के रूप में अतिरिक्त निधीयन किया.
- आरबीआई के निर्देशों के अनुरूप, आपके बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय दबाव वाले एसआरए उधारकर्ताओं के लिए ऋण समाधान योजना लागू की थी.
- प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के जरिए किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की *'सबके लिए आवास'* पहल के अनुरूप आपके बैंक ने बहुत से आवास ऋण उधारकर्ताओं को पीएमएवाई-सीएलएसएस सब्सिडी का लाभ प्रदान किया है.

क्रेडिट कार्ड

आपका बैंक तीन अलग-अलग नेटवर्क योजनाओं के अंतर्गत पाँच तरह के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराता है, अर्थात (i) रुपे योजना- विनिंग सिलेक्ट; (ii) वीजा योजना - रॉयल सिग्नेचर, अस्पायर प्लेटिनम एवं इम्पीरियम प्लेटिनम और (iii) मास्टरकार्ड योजना- यूफोरिया वर्ल्ड. इन कार्ड के प्रकारों द्वारा ग्राहकों के प्रोफाइल और उनकी जरूरतों के आधार पर विभिन्न ग्राहक खंडों को लक्ष्य किए जाते हैं.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने को-ब्रांडेड क्रेडिट काड्र्स शुरू करने के लिए एलआईसी कार्ड्स सर्विसेस लिमिटेड (एलआईसीसीएसएल) के साथ करार किया. बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशनों, अर्थात गो मोबाइल+, अभय कार्ड कंट्रोल और साथ ही क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग सुविधा में कई नए क्रेडिट कार्ड फीचर जोड़े गए. उत्सवों के सीजन के दौरान क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आपके बैंक ने अक्तूबर 2020 से जनवरी 2021 तक फ़ेस्टिव डिलाइट अभियान शुरू किया था. आपके बैंक ने अपने कार्डधारकों को विभिन्न प्रकार के डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, पेटीएम मॉल, स्वीगी, ईज माइ ट्रिप (ईएमटी), अकबर ट्रावेल्स आदि जैसे विभिन्न मर्चेन्ट के साथ रणनीतिक गठजोड़ किया. कोविड-19 और उसके कारण लॉकडाउन/ प्रतिबंधों की वजह से अपने ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने विनियामकीय और सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप पात्र ग्राहकों को अधिस्थगन सुविधा, समाधान ढाँचा और अनुग्रहपूर्वक अदायगी की सुविधा प्रदान की.

डिजिटल बैंकिंग

कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटल बैंकिंग चैनलों के प्रयोग में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि ग्राहक ने संपर्क रहित और सुविधा को ध्यान में रख कर इस पद्धति को तरजीह दी है. आपके बैंक ने बाधारहित, सुविधाजनक

और *'कभी भी, कहीं से भी'* सुरक्षित बैंकिंग अनुभव के लिए अपने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में बदलाव और इसे सुदृढ़ करना जारी रखा.

आपका बैंक सरकार के डिजीधन मिशन के अनुरूप विभिन्न डिजिटल बैंकिंग उत्पादों यथा- डेबिट कार्ड (भौतिक और वर्चुअल दोनों), मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, बिक्री केंद्र (पीओएस), डिजिटल पीओएस, इंटरनेट भुगतान गेटवे को बढ़ावा देने और उनके वितरण में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं. महामारी के दौरान आपके बैंक ने डिजिटल लेनदेनों में 42% की और मोबाइल बैंकिंग प्रयोक्ताओं की संख्या में 47% की वृद्धि दर्ज की.

आपके बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप *'गो मोबाइल+'* में एलआईसी प्रीमियम भुगतान, ऑनलाइन डिमैट अकाउंट खोलने, प्रादेशिक भाषा संबंधी विकल्प, डील्स-एन-डिलाइट (ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म) की शुरुआत, कार्ड रहित नकदी आहरण, यूपीआई 2.0 का कार्यान्वयन, आदि जैसी कई नई सुविधाएं उपलब्ध कराईं.

आपके बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग में रिटेल प्रयोक्ताओं के लिए तत्काल ऑनलाइन पंजीकरण, पॉजिटिव पे सिस्टम का कार्यान्वयन, कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए 24 घंटे आरटीजीएस प्रणाली, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफ़एमएस) एजेंसियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस का ऑनलाइन सत्यापन, ई-अधिदेश पंजीकरण, आदि जैसी अतिरिक्त विशेषताओं को भी सक्रिय किया है.

आपके बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) को सफलतापूर्वक जारी किया है. आपके बैंक ने सभी तीन कार्ड का निर्गम नेटवर्क, अर्थात वीजा, मास्टरकार्ड और रुपे पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जारी किया है.

आपके बैंक ने ईएमवी-चिप के साथ तथा साथ ही पेवेव (टैप-न-गो) लेनदेन सुविधा के साथ सभी नकदी एवं गिफ्ट कार्ड को सक्रिय किया है. आपके बैंक ने *'शगुन'* ब्रांड नाम के साथ को-ब्रांडेड गिफ्ट कार्ड जारी करने के लिए एलआईसी कार्ड्स सर्विसेस लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं.

आपके बैंक ने लेनदेन की सुरक्षा में सुधार और लेनदेन की द्रुत प्रोसेसिंग के लिए अपने एटीएम स्विच को अद्यतन किया है. साथ ही, इंटरचेंज आय को बढ़ाने के लिए एटीएम की संख्या को तर्कसंगत बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं. इसके साथ ही, आपके बैंक ने एटीएम में ईएमवी चिपवाले कार्ड को स्वीकार करने, स्कीमिंग रोधी उपकरण, वन टाइम कांबिनेशन लॉक (ओटीसी) बदलने, टर्मिनल सुरक्षा समाधान जैसे उन्नत सुरक्षा उपाय कार्यान्वित किए हैं.

अन्य पक्ष उत्पाद तथा पूंजी बाजार उत्पाद

आपके बैंक का अन्य पक्ष उत्पाद (टीपीडी) खंड अपने ग्राहकों के जोखिम प्रोफ़ाइल तथा वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मूल्य-योजित उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करता है. चूंकि, टीपीडी कारोबार पूंजी मुक्त है, अतः इस खंड पर उचित बल दिया जाता है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपके बैंक ने शुल्क आधारित आय बढ़ाने और स्वस्थ बिक्री संस्कृति के संवर्धन पर विशेष जोर देने के लिए विभिन्न अभियान चलाए. आपका बैंक भारत सरकार के बांड, भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बांड, सॉवरिन गोल्ड बांड (एसजीबी) योजना और न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को प्रोत्साहित करने और इससे जुड़ी सेवाएं प्रदान प्रदान करने के लिए कार्य करता रहा है.

आपके बैंक द्वारा वितरित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- जीवन बीमा उत्पाद अपने जीवन बीमा साझेदारों के माध्यम से, अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम और एजीस फेडरल लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड.
- जनरल और एकल स्वास्थ्य बीमा अपने चैनल साझेदारों के माध्यम से, अर्थात न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस और मैक्स बुपा हेल्थ इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड.
- म्यूचुअल फंड विभिन्न आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के माध्यम से, अर्थात आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड तथा अन्य आस्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी).
- उच्च मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई) और अल्ट्रा एचएनआई ग्राहकों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पीएमएस) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड (आईसीएमएस) की साझेदारी में.
- पूंजी बाजार उत्पाद, अर्थात डिमैट खाते, 3-इन-1 खाते (जिसमें बचत एवं डिमैट खाते ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते से लिंक्ड होते हैं), 2-इन-1 खाते (बचत एवं डिमैट खाते), अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित एप्लिकेशन्स (एएसबीए) और प्रतिभूतियों पर ऋण (एलएएस).
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस).
- बांड, अर्थात सरकारी बांड- एफ़आरएसबी 2020 (टी) बांड, कैपिटल गेन बोण्ड्स (भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफ़सी), सॉवरिन गोल्ड बांड (एसजीबी) आदि.

31 मार्च 2021 के अनुसार, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान अपने ग्राहकों को 82,500 से भी अधिक एलआईसी पॉलिसी प्रति-विक्रय किए. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपके बैंक ने जीवन बीमा खंड में कुल ₹ 955 करोड़ प्रीमियम राशि के लगभग 96,500 पॉलिसी बिक्री की. बैंक ने जनरल और स्वास्थ्य बीमा खंड में कुल ₹ 124 करोड़ प्रीमियम राशि के 2 लाख से भी अधिक पॉलिसी बिक्री की. इन सभी पहल कार्यों से बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 115 करोड़ की शुल्क आधारित अर्जित की.

इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से म्यूचुअल फंड की बिक्री और साथ ही डिमैट और ट्रेडिंग खातों से शुल्क आय बढ़ाने पर भी ध्यान देता है. चूंकि, इक्विटी में निवेश के मामले में बैंक के कई ग्राहक नए हैं, अतः आपका बैंक उनके लिए बिचौलिया सलाहकार के रूप में कार्य कर इस खंड में

वृद्धि में मदद करता है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 29,000 खाते के अधिग्रहण के साथ बैंक के डिमैट खाता अधिग्रहण में वार्षिक आधार पर 75% की वृद्धि हुई.

डिजिटल प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए बैंक ने निम्नलिखित पहल किए हैं :

- बैंक के ग्राहकों को डिजिटल/कागज रहित जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री की पेशकश के लिए एलआईसी द्वारा आनंदा मॉड्यूल शुरू किया गया है.
- एपीआई एकीकरण के माध्यम से बैंक के नेट और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के जरिए म्यूचुअल फंड और अन्य टीडीपी उत्पादों की बिक्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के निर्माण हेतु बैंक ने एक तकनीकी साझेदार नियुक्त किया है. इस प्लेटफॉर्म के अधीन शाखा बिक्री टीम के लिए अलग से एक रिलेशनशिप प्रबन्धक रिलेशनशिप अधिकारी (आरएमआरओ) मॉड्यूल की योजना भी बनाई गई है.
- बैंक ने अपने वर्तमान ग्राहकों के लिए वर्तमान केवाईसी के आधार पर अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन गो मोबाइल+ के माध्यम से डिमैट खाता खोलना आरंभ किया है.

आपका बैंक समय-समय पर जारी सभी विनियामकीय और सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुपालन में निर्देशपरक आधार पर टीडीपी सेल्स और वितरण कारोबार की व्यवस्था करता है.

एलआईसी के साथ तालमेल

जनवरी 2019 में एलआईसी द्वारा आपके बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी अर्जित किए जाने के बाद, दोनों ही संस्थाओं के बीच सहक्रियाओं के माध्यम से संभावित कारोबार को बढ़ाने के लिए कई पहल कार्य किए गए हैं. आपके बैंक ने अपने सर्वोत्कृष्ट उत्पाद और सेवाओं के माध्यम से सहक्रिया वाले क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्रवाई योग्य बिंदुओं की पहचान की है. विशेष रूप से बैंक का उद्देश्य बैंकाश्यूरेंस चैनल के अंतर्गत एलआईसी के कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कारोबार जुटाने के लिए अपने वितरण चैनल/संपर्क केंद्रों के दक्षतापूर्वक और अधिकतम उपयोग के साथ कम कीमत वाली जमा बही के निर्माण, अर्थात चालू खाता बही, बचत खाता बही और रिटेल एसेट बही पर ज़ोर देना है. आपका बैंक अपनी शाखाओं/डिजिटल चैनलों के माध्यम से एलआईसी के विभिन्न कार्यालयों के संग्रहण/भुगतान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेनदेन बैंकिंग सेवाएँ भी प्रदान करता रहा है.

यद्यपि आपका बैंक सहयोग के क्षेत्रों के माध्यम से सभी कारोबारी खंडों में महत्त्वपूर्ण लाभ अर्जित करता रहा है, यह भी अनुमान लगाया जाता है कि कारोबार की वर्तमान तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हुए और साथ ही एलआईसी और इसकी सहायक संस्थाओं के साथ सहक्रिया के माध्यम से आपका बैंक बहुमुखी विकास जारी रखेगा तथा इससे ग्राहकों तक पहुँच बनाने में और अधिक मदद मिलेगी. इसके परिणामस्वरूप बैंक के सभी हितधारकों के लिए संवर्धित मूल्य प्रस्ताव में वृद्धि होगी.

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को किफायती लागत पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में नीति-निर्माताओं के साथ भागीदारी करने में तत्पर रहा है. वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) शीर्ष स्तर पर प्रतिबद्धता के साथ वित्तीय समावेशन के लिए संरचित और योजनाबद्ध नजरिया प्रदान करती है.

आपका बैंक प्रमुख तीन क्षेत्रों में यथा - उपयुक्त वित्तीय उत्पाद ऑफर करने, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने में दखल देकर वित्तीय समावेशन के अजेंडे को सक्रियतापूर्वक बढ़ावा देता रहा है.

प्रधान मंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

आपका बैंक सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, अर्थात प्रधानमंत्री जनधन योजना में तथा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, अर्थात दुर्घटना बीमा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), जीवन बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा वृद्धावस्था में पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है.

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ)

आपके बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी पहुँच बढ़ाने के प्रयासों के अधीन व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ताओं (बीएफ) के अपने नेटवर्क को बढ़ाया है और इससे बेहतर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ है तथा साथ ही बैंक के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) व्यवसाय को भी अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला है. बीसी (जिन्हें बैंक मित्र भी कहा जाता है) के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें हैंड-हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं जिनमें रुपे कार्ड स्वीकार करने तथा आधार-आधारित लेनदेन करने की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं. इसके साथ ही, कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं के कौशल को बढ़ाने और इस प्रकार से उन्हें आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और अर्थक्षम बनने के लिए तैयार करने हेतु आपके बैंक ने देशभर में विभिन्न स्थानों पर सभी बीसी/ बीएफ के लिए गहन प्रशिक्षण सत्रों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया है. इसके अलावा, आपके बैंक ने कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं को बैंकिंग लेनदेन करने हेतु प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों पर कार्य करने के लिए उनके तकनीकी कौशल को विकसित करने हेतु काम के दौरान प्रशिक्षण भी प्रदान किया.

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता को प्रभावी वित्तीय समावेशन के लिए और साथ ही पीएमजेडीवाई के अभिन्न अंग के रूप में भी, पूर्व आवश्यकता के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है, क्योंकि यह लाभार्थियों को उन्हें उपलब्ध करायी जा रही वित्तीय सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने में सक्षम बनाती है. आपके बैंक ने अपनी ग्रामीण शाखाओं में *'वित्तीय साक्षरता जानकारी केंद्र'* नामक डेस्क स्थापित किए हैं जिन्हें शाखा से बाहर आयोजित साक्षरता कैम्पों के ज़रिए विभिन्न बैंकिंग उत्पादों तथा भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी दी गई है. आपके बैंक ने दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के बीच विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए हैं. आपके बैंक का महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित आईडीबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) भी ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम अर्थात् डेयरी फ़ार्मिंग करने और जैविक खाद बनाने, घर में अगरबत्ती बनाने, भेड़/बकरी पालने, मोमबत्ती बनाने, सिलाई करने, ब्यूटी पार्लर प्रबंधन आदि के लिए निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण आयोजित करता है ताकि वे स्व-रोजगार हेतु सक्षम हो सकें.

अन्य पहल कार्य

आपका बैंक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ आधार नामांकन के लिए पंजीयक के रूप में पंजीकृत है. आपके बैंक ने केंद्रीय/राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लाभ योजना में सक्रियता से सहभागिता की है. इसके अलावा आपका बैंक अपने बीसी चैनल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण भी कर रहा है.

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र बैंकिंग

आपका बैंक आरबीआई के अधिदेश के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) को उधार देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सूक्ष्म उद्यमियों, प्रत्यक्ष कृषि गैर-कॉरपोरेट (डीएएनसी) तथा लघु व सीमांत कृषकों (एसएफ़एमएफ़) के वित्तपोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिया है. बैंक ने गैर-वैयक्तिक कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ़) चैनल के माध्यम से अपनी पहुँच को बढ़ाने के प्रयास जारी रखे हैं और अब तक 30 से भी अधिक गैर वैयक्तिक कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ़) के साथ गठजोड़ किया है.

वर्ष के दौरान बैंक ने सामूहिक प्रयासों और साथ ही प्रतिभूतीकरण एवं प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के माध्यम से औसत आधार पर उप-क्षेत्रों सहित पीएसएल के लिए अपने सभी विनियामकीय लक्ष्यों को हासिल किया है.

भारत सरकार की योजनाओं/ निर्देशों के अनुसार, आपका बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्राइम मिनिस्टर वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम एसवीए निधि), स्टैंड अप इंडिया आदि और साथ ही अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा) सहित अल्पसंख्यक समुदायों एवं कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करता रहा है.

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्य पहल कार्य

वर्ष 2020-21 के दौरान आपके बैंक द्वारा अपने पीएसएल पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहल की गई हैं :

- शाखा चैनल के माध्यम से कारोबार को बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने नियमित रूप से उत्पाद विशेष अभियान अर्थात् एमएसएमई मॉनसून बोनान्ज़ा, कॉमोडिटि सुपर किंग्स, एमएसएमई पॉवर, एग्री प्रीमियर लीग, मुद्रा मैजिक कैम्पेन, एमएसएमई उठान, एग्री इन्फ्रा कैम्पेन, केसीसी कैम्पेन, डेरी लोन कैम्पेन चलाए. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने स्वर्ण ऋण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और भी कई अभियान, अर्थात गोल्ड विंटर लीग, गोल्ड रिपब्लिक लीग, गोल्ड फरवरी फ्रंटियर्स, मेगा फेसिलिटेशन और गोल्ड चैंपियन, आदि चलाए.

- आपके बैंक ने कोविड-19 महामारी द्वारा प्रभावित एमएसएमई इकाइयों/ कारोबार उद्यमों और मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए एक नया उत्पाद गारंटीकृत आपातकालीन ऋण सीमा (जीईसीएल) शुरू किया है. दो अन्य उत्पादों, अर्थात आईडीबीआई सरल व्यापार और आईडीबीआई सुलभ व्यापार ऋण का विलय कर व्यापारियों के लिए एक नया उत्पाद सहज व्यापार आरंभ किया गया. सरकार की घोषणा के अनुरूप, आपके बैंक ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम एसवीए निधि) लागू की जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर ₹ 10,000 ऋण के लिए पात्र हैं. दबावग्रस्त एमएसएमई को वैयक्तिक ऋण प्रदान करने के लिए गौण ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) लागू की गई. इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपने कृषि संबंधी उत्पादों के समूह में दो नए उत्पाद, अर्थात पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि के अधीन वित्तपोषण और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर निधि के अधीन वित्तपोषण शामिल किए.

- बैंक ने द्रुत कार्रवाई समय सुनिश्चित करने के लिए ₹ 50 लाख तक एमएसएमई ऋणों के लिए अपने वर्तमान फॉर्मेट को सरलीकृत किया है.

- आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, आपके बैंक ने मझोले उद्यमों के लिए 01 अप्रैल 2020 से बाह्य बेंचमार्क दर, अर्थात रेपो सम्बद्ध दर प्रदान किया है.

- बैंक ने ई-मेलर्स भेज कर *'अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस'* मनाया जिसमें आरबीआई द्वारा मंजूर कोविड-19 विनियामकीय पैकेज के अंतर्गत प्रदत्त अधिस्थगन, जीईसीएल आदि के अधीन कार्यशील पूँजी

मीयादी ऋण की उपलब्धता आदि सहित विभिन्न उत्पादों/सेवाओं का उल्लेख किया गया था. इसके अतिरिक्त, शाखाओं ने फोन/विडियो कॉल के माध्यम से नए प्रस्तावों की जानकारी दी थी.

- बैंक ने महान चिकित्सक डॉ. विधान चन्द्र रॉय के सम्मान में तथा चिकित्सकों द्वारा समाज को दी गई मूल्यवान सेवाओं को याद करते हुए *'डॉक्टर दिवस'* मनाया. इस अवसर पर फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में कोविड-19 से लड़ाई में चिकित्सकों के अथक प्रयास और प्रतिबद्धता को स्वीकारते हुए ग्राहकों को इ-मेलर्स भेजे गए.
- बैंक ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में किसानों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को याद करते हुए भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर 2020 को 'किसान दिवस' मनाया. इस अवसर पर समाज के लिए कृषक समुदाय की भूमिका और योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए तथा साथ ही इस क्षेत्र के लिए झंझटमुक्त वित्तपोषण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए बैंक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, आदि पर व्यापक रूप से विडियो संदेश प्रसारित किए गए. इस अवसर पर बैंक से जुड़े लगभग 10 लाख किसानों को एसएमएस भी भेजे गए.
- बैंक ने कृषि और एमएसएमई उत्पादों के लिए ऋण प्रोसेसिंग प्रणाली (एलपीएस) शुरू की है जोकि सम्पूर्ण समाधान प्रस्तुत करेगा.

कॉरपोरेट बैंकिंग

आपके बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग खंड में मध्यम कॉर्पोरेट समूह (एमसीजी) और बृहत् कॉर्पोरेट समूह (एलसीजी) शामिल है.

अपने कॉरपोरेट बैंकिंग समूह के माध्यम से आपका बैंक पूरे उद्योग में औषधीय उत्पाद, एफ़एमसीजी, ऑटो पार्ट और इसके अनुषंगी, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रोसेसिंग, चीनी, सेरामिक्स, रासायनिक द्रव्य, निर्माण-कार्य, टेक्सटाइल, इस्पात, प्लास्टिक, दूरसंचार, सीमेंट, चमड़ा उत्पाद, कागज और कागज उत्पाद, रबर, धातु, पर्यटन, आतिथ्य, शिक्षा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी), खान एवं खदान, इंजीनीयरिंग, विद्युत संबंधी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरण, विद्युत शक्ति, तेल और गैस, कृषि एवं उससे संबंधित कार्यकलाप, परिवहन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उससे संबंधित कार्यकलाप, आईटी कार्यकलाप एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण, आदि सहित विनिर्माताओं, व्यापारियों, वेंडरों के लिए उत्पाद और सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है.

आपका बैंक निधि-आधारित एवं गैर निधि आधारित कार्यशील पूँजी सीमाओं, अर्थात नकदी ऋण, निर्यातकों को निर्यात ऋण, बिल पुनर्भुनाई, साख पत्र (एलसी), बैंक गारंटी (बीसी), स्टैंडबाई साख पत्र (एसबीएलसी), क्रेता की साख पर उधार (बीसी), एलसी समर्थित बिल पुनर्भुनाई (एलसीबीडी), ऋण सुविधाओं के रूप में अल्पावधि और दीर्घावधि वित्तीय सहायता प्रदान करता है. ऋण सुविधाएं पूरी तरह से आवश्यकता आधारित हैं तथा इन्हें उचित सम्यक सावधानी बरतने और ग्राहक की वित्तीय अर्थक्षमता निर्धारित करने के बाद प्रदान किया जाता है.

मध्यम कॉर्पोरेट समूह

आपके बैंक का एमसीजी ₹ 250 करोड़ से अधिक और ₹ 750 करोड़ तक (एक्सपोजर पर ध्यान दिए बिना) के कुल कारोबार वाले मध्यम कॉर्पोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है. इसमें कुल कारोबार पर ध्यान दिए बिना ₹ 250 करोड़ से कम कारोबार वाले में ₹ 15 करोड़ से अधिक कोई भी एक्सपोजर शामिल होगा. प्रभावी परिचालन के लिए देश भर में एमसीजी को 20 शाखाओं और 5 डेस्क के साथ 6 अंचलों में संगठित किया गया है. इस प्रकार का परिचालनगत ढाँचा बैंक को ग्राहकों पर बेहतर तरीके से फोकस करने, बेहतर गुणवत्ता वाले पोर्टफोलियो के निर्माण, अधिकतम पहुँच की सुविधा, सकेंद्रीकरण जोखिम से बचने और अपसेलिंग और प्रति-बिक्रय के माध्यम से बहु-उत्पाद पहुँच को सुनिश्चित करता है.

बृहत् कॉर्पोरेट समूह

एलसीजी सात अलग-अलग लोकेशनों से परिचालन करता है तथा बड़े कॉर्पोरेट/कॉर्पोरेट समूहों का ध्यान रखता है.

कॉर्पोरेट बैंकिंग की सीमा के भीतर चैनल वित्तपोषण और कॉर्पोरेट के डीलर/वेंडर के लिए वेंडर वित्तपोषण जैसे उत्पादों को ऑफर कर आपका बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र पर भी उचित बल देता है. आपके बैंक की एलसीजी टीम उपयुक्त उत्पादों को विकसित करने और उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करने के लिए रिटेल बैंकिंग, लेनदेन बैंकिंग, ट्रेजरी, आदि जैसे अन्य विशेषीकृत टीमों के साथ मिल कर ध्यानपूर्वक कार्य करती है ताकि कॉर्पोरेट ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.

अपने कायापलट रणनीति के अनुरूप, आपका बैंक अपने कॉर्पोरेट ऋण बही में संवृद्धि के संबंध में चयनशील रहेगा ताकि कैपिटल लाइट मॉडेल पर ज़ोर दिया जा सके और साथ ही अपने कारोबार पोर्टफोलियो संमिश्र में जोखिम को कम किया जा सके. इसके लिए आपका बैंक बेहतर मूल्यांकित कॉर्पोरेट खातों के फ्रेश अधिग्रहण और साथ ही 'ए' और उससे अधिक मूल्यांकन वाले ग्राहकों के लिए उपयोग बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करेगा. इसी प्रकार बैंक मंजूर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सीमाओं के उपयोग और प्रति विक्रय में सुधार पर ध्यान केन्द्रित कर ब्याज और शुल्क आय संवृद्धि पर ध्यान देता है. बैंक दबावग्रस्त और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के मामलों को अपग्रेड करने/समाधान को समय पर कार्यान्वित करने का प्रयास भी कर रहा है ताकि मानक अग्रिम बही में संवर्धन के साथ-साथ प्रावधान के रिवर्सल, यदि कोई हो, का लाभ उठाया जा सके.

आस्ति गुणवत्ता

आपके बैंक ने नई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की रोकथाम पर और मौजूदा ह्रासित आस्तियों से अधिकतम वसूली पर ज़ोर देना जारी रखा. मार्च 2021

के अंत में आपके बैंक की सकल अग्रिमों में 77.63% अर्जक आस्तियां, जबकि 22.37% अनर्जक आस्तियां थीं. बैंक द्वारा किए गए केंद्रित प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2019-20 के 6.35% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नए एनपीए को रोकने में मदद मिली है और यह सकल अग्रिमों का केवल 1.91% रही.

वर्ष के दौरान ह्रासित आस्तियों से वसूली और अनर्जक आस्तियों के अर्जक आस्तियों के रूप में अपग्रेड ₹ 5,300 करोड़ की रही जिससे 31 मार्च 2021 तक बैंक को अंतिम स्तर पर एनपीए को ₹ 36,212 करोड़ तक कम करने में सहूलियत हुई.

मौजूदा विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में आपके बैंक ने प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) को 31 मार्च 2020 के 93.74% से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 में 96.90% कर दिया है.

आपके बैंक के पास खाता विशेष आधारित समाधान रणनीतियों और कॉरपोरेट एनपीए की गहन निगरानी के लिए संकेंद्रित और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने हेतु समर्पित वर्टिकल अर्थात् एनपीए प्रबंधन समूह (एनएमजी) है.

आपके बैंक ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन आने वाले मामलों के लिए समर्पित केंद्रित डेस्क की स्थापना की है. यह समर्पित टीम विभिन्न टीमों के फील्ड से जुड़े तथा विभिन्न जटिलताओं का सामना करने में आए अनुभवों को अंगीकार करने और उन्हें साझा करने में सक्रिय भूमिका निभाती रही है जिससे बैंक इन मामलों को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम हुआ है.

यथा 31 मार्च 2021 को कुल मिला कर ₹ 44,652 करोड़ (अनर्जक आस्तियों/तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गई (टीडब्ल्यूओ) आस्तियों सहित) मूलधन बकायों के साथ कुल 245 मामले दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अधीन कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत थे. आपका बैंक इनमें से अधिकांश मामलों को निपटाने में सफल रहा और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल ₹ 1,133 करोड़ की वसूली की गई. इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य मामलों के 2021-22 में समाधान होने की संभावना है.

आपके बैंक के पास एक बेहतरीन *'एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रबंधन प्रणाली'* उपलब्ध है जो बैंक वेबसाइट के माध्यम से वसूली की निगरानी करने सहित ओटीएस प्रस्ताव की प्रोसेसिंग को शुरू से अंत तक सक्षम बनाने के साथ ही ओटीएस आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी प्रदान करती है.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने ₹ 1,126.05 करोड़ की सकल मूल बकाया राशि के नौ खातों (तीन एनपीए खाते और छः टीडब्ल्यूओ खाते) की ₹ 408.74 करोड़ के प्रतिफल हेतु आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को सम्पूर्ण नकदी आधार पर बिक्री की. इन ₹ 408.74 करोड़ की वसूली में से आपके बैंक को ₹ 214.84 करोड़ एनपीए खातों में और ₹ 193.90 करोड़ टीडब्ल्यूओ खातों में प्राप्त हुए. वर्ष के दौरान बट्टे खाते से कुल ₹ 547 करोड़ की वसूली की गई.

आपके बैंक ने लागू कानूनों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) के अधीन प्रवर्तन कार्रवाई, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) /न्यायालयों के साथ निरंतर फॉलो-अप को भी बनाए रखा जिसके लिए समर्पित नोडल अधिकारी की तैनाती शामिल है ताकि बिना किसी विलंब के वसूली प्रमाणपत्र/डिक्री प्राप्त की जा सके और उसका निष्पादन हो सके.

आपके बैंक ने 279 मामलों का वर्गीकरण इरादतन चूककर्ता के रूप में किया है तथा ऐसे उधारकर्ताओं/प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की पहल की है. 31 मार्च 2021 के अनुसार बैंक ने नौ मामलों में असहयोगी उधारकर्ताओं की घोषणा की है.

रिटेल वसूली

आपके बैंक ने रिटेल एनपीए मामलों में संकेंद्रित दृष्टिकोण के लिए एक अलग वर्टिकल अर्थात रिटेल संग्रहण एवं वसूली की भी स्थापना की है. आपके बैंक ने एनपीए/टीडब्ल्यूओ खातों के द्रुत समाधान हेतु ₹ 10 करोड़ तक के सकल मूलधन बकाया (जीपीओ) रिटेल एवं कॉर्पोरेट एनपीए खातों हेतु गैर-पक्षपातपूर्ण और गैर-विवेकपूर्ण एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना, अर्थात सरल कर्ज भुगतान योजना-II (एसकेबीवाई-II) शुरू की है. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने रिटेल वसूली प्रक्रिया, अर्थात ऋण वापसी नोटिस निर्गमन, सरफेसी कार्रवाई-13(2) एवं 13(4), मुकदमा फ़ाइलिंग, जो कार्यान्वयन के अधीन है, के अंकीकरण की शुरुआत की है.

ऋण निगरानी समूह

आपके बैंक ने मई 2017 में एक ऋण निगरानी समूह (सीएमजी) की स्थापना की थी. सीएमजी का मुख्य उद्देश्य दबाव के आरंभ होने की निगरानी, ऋण प्रशासन मानदंडों की निगरानी और ऋण की संरचित समीक्षा करना है.

सीएमजी विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए), संभावित अनर्जक खातों और नियमित खातों की पहचान करता है जो दबाव के संबंध में आरंभिक चेतावनी संकेत दर्शाते हैं. आपके बैंक ने दिसंबर 2019 में बैंक-व्यापी एक पूर्ण स्वचालित और व्यापक 'ईडब्ल्यूएस प्रणाली' सफलतापूर्वक लागू की है जिसमें बैंक की आंतरिक प्रणालियों और बाह्य फीड से फीड डेटा हासिल करने का सामर्थ्य है. सभी कॉरपोरेट और रिटेल खातों के मामले में प्रारंभिक सीमा के साथ उच्च/मध्यम/कम जोखिम के अधीन जोखिम बकेटिंग की गई है जिससे उच्च जोखिम वाले खातों और एसएमए पूर्व स्थिति में आरंभिक दबाव के लक्षण दर्शाने वाले खातों को पहचानने में बैंक की क्षमता में वृद्धि हुई है. ईडब्ल्यूएस प्रणाली के माध्यम से आपके बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर रिटेल पोर्टफोलियो के संबंध में आवश्यक बाजार विश्लेषण और अंतर-बैंक तुलना की जाती है.

एनपीए के रूप में इन खातों गिरावट को रोकने के लिए गहन अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी की जाती है. सीएमजी के पास अतिरिक्त विशेषताओं सहित आस्ति निगरानी टूल *'सजग'* और *'एसएमए ऐक्शन ट्रैकर'* है जो वास्तविक

समय आधार पर शाखाओं को एसएमए, संभावित एनपीए, ईडब्ल्यूएस खातों, अत्यंत जोखिम वाले खातों तथा अनुपालन के लिए लंबित ऋण प्रशासन मानदंडों (सीएपी) के विवरण प्रदान करता है. फील्ड स्टाफ द्वारा वसूली कार्रवाइयां एसएमए ऐक्शन ट्रैकर द्वारा कैप्चर की जाती हैं तथा सीएपी अद्यतन कार्रवाइयां *'सजग'* द्वारा कैप्चर की जाती हैं जो वास्तविक समय के आधार पर इन खातों की निगरानी को सक्षम बनाता है.

बैंक ने फरवरी 2021 में समर्पित रिटेल संग्रहण एवं रिटेल वसूली वर्टिकल की स्थापना कर अपने संग्रहण प्रयासों को तेज किया है. यह वर्टिकल कॉल सेंटर और संग्रहण एजेंसियों का व्यापक स्तर पर उपयोग कर रहा है तथा इससे संग्रहण एवं वसूली के संबंध में समाधान दर अधिक होने की संभावना है. एक एकीकृत डिजिटल संग्रहण मॉड्यूल भी विकसित किया जा रहा है जो बैंक को दबाव की पहचान में सहायता करेगा तथा संसाधनों (आंतरिक/बाह्य एजेंसियां) को प्रभावी रूप से नियोजित करेगा. भविष्यसूचक मॉडेलों से प्रकट होने वाले अधिक जोखिम वाले खाते संग्रहण वर्टिकल द्वारा संकेंद्रित संग्रहण के लिए तथा फील्ड स्टाफ द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं.

ऋण मंजूरी की प्रभावकारिता के संबंध में समय पर फीडबैक तथा पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में गिरावट की पहचान, आरंभिक चेतावनी सिग्नल का पता लगाने और ऋण प्रशासन मानदंडों के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु संरचित ऋण समीक्षा विधि (एलआरएम) का प्रयोग किया जाता है.

इन पहल कार्यों के कारण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आरंभिक दबाव को कम करने एवं गिरावट को रोकने, सीएपी के अनुपालन और ऋण गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है.

व्यापार वित्त

आपके बैंक का व्यापार वित्त (टीएफ) बृहत् और मध्यम कॉर्पोरेट को अधिकतम किफ़ायती कीमत पर उत्पादों और सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है. उत्पादों की श्रृंखला में सामान्य रूप से सर्वाधिक प्रयुक्त आवक/जावक विप्रेषण, साख-पत्र (एलसी), बैंक गारंटी (बीजी), जटिल घरेलू और सीमा आर-पार व्यापार उत्पाद के लिए आपाती साख पत्र जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के लिए आयात-निर्यात, लदान पूर्व और लदान पश्चात् निर्यात वित्तपोषण, अल्पावधि आयात व्यापार ऋण (क्रेता की साख पर उधार और आपूर्तिकर्ता की साख पर उधार), संरचित व्यापार वित्त (एसटीएफ़), मर्चेंटिंग व्यापार, पूँजी खाता लेनदेन, अर्थात विदेश में प्रत्यक्ष वित्त (ओडीआई), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई), विलयन और अधिग्रहण, विदेश में कार्यालय खोलना आदि शामिल हैं.

अपनी रूपान्तरण योजना के भाग के रूप में आपके बैंक ने अपने को एक केन्द्रीकृत व्यापार प्रोसेसिंग प्रणाली के रूप में परिवर्तित किया है जो तीन मुख्य केन्द्रों, अर्थात मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में हब और स्पोक मॉडेल के रूप में परिचालन करता है. केंद्रीकृत व्यापार प्रोसेसिंग प्रणाली बैंक के 12 अंचलों में स्थित सभी शाखाओं की जरूरतों का ध्यान रखता है तथा इस प्रकार मानकीकृत प्रोसेसिंग, सक्षम संचार और तीव्रतम प्रतिवर्तन काल (टीएटी) की सुविधा प्रदान करता है. आपके बैंक के पास, एडी श्रेणी 1 बैंक के रूप में 39 समर्पित टीएफ़ (व्यापार वित्त) केंद्र हैं जो सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत हैं. आपके बैंक का कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रत्येक लेनदेन के लिए मेकर और चेकर के दो व्यक्ति अनुमोदन सिद्धान्त पर काम करता है. बैंक अत्यधिक प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों को अधिकतम विदेशी मुद्रा दर प्रदान करता है और वायदा करार जैसे सामान्य बचाव टूल्स के जरिए अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का बचाव करता है.

बैंक अपने ग्राहकों को हमेशा उच्च मानकों वाली ग्राहक सेवा देने और समयबद्ध सुपुर्दगी का प्रयास करता है. आपका बैंक अपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म को निरंतर विकसित और इसमें सुधार करता रहा है तथा साथ ही ग्राहक सम्बन्ध को बढ़ाने के लिए अंकीकृत व्यापार प्रोसेसिंग भी प्रदान करता है ताकि व्यापार परिचालन प्रक्रिया के प्रत्येक कदम को बाधारहित और सुविधाजनक बनाया जा सके. लेनदेन संबंधी कार्यनिष्पादन को त्रुटि रहित और और तेज करने के लिए बैंक ने कई आईटी पहल कार्य शुरूकिए हैं. बैंक के पास एक ई-व्यापार वित्त (आईडीबीआई ईट्रेड) प्लेटफॉर्म है जो 24X7 आधार पर बहुत ही जरूरी लचीलापन प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने विनियामकीय एवं सांविधिक मानकों और विनियमों तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में नीतियाँ/प्रक्रियाएँ/मानकीकृत परिचालनगत कार्यविधि, परिचालन-संहिताएँ तथा व्यापक निगरानी प्रक्रिया निर्धारित की है.

आपके बैंक ने 24 घंटे धोखाधड़ी निगरानी के लिए सक्रिय, उपयुक्त परिचालनगत/अनुपालन एलर्ट्स तैयार किया है. आपका बैंक धन शोधन निवारक (एएमएल)/अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश, व्यापक व्यापार आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) रेड फ्लैगिंग प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए यूएस/ईयू द्वारा प्रतिबंधों का निरंतर अनुपालन करता है. आपका बैंक सिद्धांत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ब्यूरो (आईएमबी) के जरिए प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचलन, मर्चेन्ट व्यापार, श्रृंखला बिक्रियों, समुद्री चोरी का सत्यापन करता है. बैंक साख रिपोर्टों/डन एंड ब्राडस्ट्रीट रिपोर्टों के माध्यम से विदेशी पार्टियों के पूर्ववृत्तों, प्रमुख कार्यकलापों, कारोबार स्तर और भुगतान गति का सत्यापन करता है ताकि सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके.

आपके बैंक की संशोधित बिल वित्त नीति साख पत्र समर्थित बिल भुनाई और इन्वाइस भुनाई पर विशेष जोर देते हुए भारतीय रुपये (आईएनआर) और विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) में किए गए व्यापार से उत्पन्न होने वाले सभी वास्तविक बिलों की खरीद/भुनाई/ मोल-भाव को कवर करती है.

बैंक का स्विफ्ट परिचालन अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों और निर्बाध प्रक्रिया (एसटीपी) जिसकी सफलता दर लगभग 97% है, के साथ अत्यंत सुरक्षित परिवेश में की जानेवाली मेसेजिंग का कार्य देखने के लिए मुंबई में केंद्रित है. बैंक ने स्विफ्ट वैश्विक भुगतान नवाचार (जीपीआई) के लिए भी अभिदान किया है जो ग्राहकों को वास्तविक समय आधार पर अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है.

बैंक ने द्विपक्षीय संपर्क प्रबंध एप्लीकेशन (आरएमए) के जरिए विश्व भर में लगभग 800 बैंकों के साथ प्रतिनिधि बैंकिंग व्यवस्थाओं का बहुव्यापी नेटवर्क विकसित किया है जिसके फलस्वरूप वह विश्व भर में व्यापारिक और गैर-व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है. बैंक ने सीवाई करेंसी/एफएक्स4कैश प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग कर विश्व भर में 160 से अधिक मुद्राओं में धन प्रेषणों को संभालने के लिए प्रतिनिधि बैंकों के साथ व्यवस्था की है. बैंक निजी विनिमय केंद्रों के जरिए अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के कम मूल्य के अंतरणों को सुगम बनाता है.

आपके बैंक ने द्विपक्षीय रुपया भुगतान व्यवस्था (आरपीएम) के अंतर्गत इंडो-ईरान व्यापार लेनदेन निपटानों की देखेरेख करनेवाले नामित बैंकों में से एक बैंक के रूप में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में समर्पित व्यापार कक्षों की स्थापना की है ताकि सभी लेनदेनों की जांच-पड़ताल की जा सके. आपके बैंक ने विदेशी आस्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) विनियम, कार्यपालक आदेशों (ईओ) तथा मंजूर शिपिंग व्यवस्थाओं सहित विशेष रूप से निर्दिष्ट राष्ट्रों की सूची को ध्यान में रखते हुए सुपरिभाषित मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) और 'क्या करें, क्या न करें' दिशा-निर्देश लागू किए हैं. प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक मई 2019 से तेल आयात नहीं करता है और वर्तमान में मानवीय महत्व की वस्तुओं से संबंधित व्यापार लेनदेनों को ही देखता है. इसके साथ ही बैंक ने सभी ईरानी लेनदेनों को समवर्ती लेखापरीक्षा के दायरे में रखा है. ईरानी बैंकों के वोस्त्रो खातों में धारित भारतीय रुपये शेष का उपयोग केवल अनुमेय निर्यात निपटानों के लिए ही किया जाता है. इस संबंध में बैंक के प्रतिनिधि बैंकों को पारदर्शी प्रकटनों के साथ अद्यतित रखा जा रहा है. आपके बैंक ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारतीय रुपये में कार्यों एवं निपटान को स्पष्ट रूप से विभाजित कर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया है और इसके परिणामस्वरूप नियमित व्यापार/गैर-व्यापार लेनदेन निपटानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

आपके बैंक ने समयबद्ध निर्यात ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में निर्यात कारोबार में लगे अपने सभी ग्राहकों को भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बैंकों के लिए समग्र टर्नओवर निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) पॉलिसियों के अंतर्गत कवर किया है. बैंक ने ईसीजीसी फैक्टर के बिलों को निपटाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की है जिससे ईसीजीसी के साथ हमारे संबंध मजबूत होने और शुल्क आय अर्जित होने की आशा है.

देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त परिचालन के क्षेत्र में गहरी पकड़ और विशेषज्ञता रखनेवाले योग्य, सुप्रशिक्षित और उच्च रूप से प्रेरित कार्यबल के समूह की मौजूदगी और साथ ही साथ तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण से आपके बैंक को अपने समग्र व्यवसाय में वृद्धि लाने और व्यापार वित्त सुविधा के जरिए गैर-ब्याज आय को बढ़ाने में सहायता मिली है. बैंक इस व्यवसाय क्षेत्र में लगे अपने समूचे कार्यबल को बाहरी प्रशिक्षण दिलाने के अलावा व्यापार वित्त प्रशिक्षण के दो स्तरों का अनुसरण करता रहा है. प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रकार की यथार्थपरक स्थितियों से अवगत कराया जाता है तथा विषय से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यबल अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों और विद्यमान सामयिक मुद्दों से भलीभाँति अवगत है.

यह प्रशंसनीय है कि सेवा में कमी, व्यापार के संबंध में विवाद या देश या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में क़ानूनों के उल्लंघन से संबन्धित कोई भी विधिक विवाद आपके बैंक के विरुद्ध नहीं रहा है.

सरकारी कारोबार

आपका बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंध करने हेतु उनके लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है. आपका बैंक केंद्र सरकार के करों जैसे कि प्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्क और साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की वसूली के लिए प्राधिकृत है. आपका बैंक 14 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य प्राप्तियों की वसूली के लिए सक्रिय है. आपका बैंक कर भुगतानों के लिए 24x7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है.

आपके बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से संबंधित देयों की ऑनलाइन वसूली करने के लिए परिचालन शुरू किया है. आपका बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से भारत सरकार द्वारा छोटी बचत योजनाओं अर्थात् लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना (एसएसए) ऑफर करने के लिए भी प्राधिकृत है. आपका बैंक केंद्रीय सिविल, डिफेंस और रेलवे पेंशन के संवितरण करने के लिए भी प्राधिकृत है.

नकदी प्रबंध सेवाएं

आपका बैंक कंपनियों को उनके संग्रहण में तेजी लाने, उनके थोक भुगतानों को दक्षता के साथ संभालने और उनके निधि-प्रवाह को सुचारू बनाए रखने हेतु अत्याधुनिक नकदी प्रबंधन सेवाएँ (सीएमएस) प्रदान करने की दिशा में प्रतिबद्ध है. कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुरूप आपका बैंक सीएमएस संग्रहण और भुगतान एवं संव्यवहार समाधानों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है तथा उन्हें उनकी नकदी स्थिति का पूर्ण नियंत्रण करने में सक्षम रखता है. आपका बैंक विविध समाधान जैसे राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच), वर्चुअल खाता सुविधा, उपयोगिता भुगतान, प्रत्यक्ष नामे सुविधाएं और अन्य ग्राहकोनुकूल ई-समाधान उपलब्ध कराता है जिन्हें ग्राहक प्रणालियों के साथ तकनीकी रूप से एकीकृत (होस्ट-टू-होस्ट) किया गया है. आपका बैंक भी भारतीय रेलवे के ई-भाड़ा भुगतान प्रणाली में भाग लेने के लिए अधिकृत है और रेलवे के 12 अंचलों में ई-भाड़े की वसूली कर रहा है.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने फास्टैग जैसे नये सीएमएस उत्पाद आरंभ किए हैं जो टोल तथा पार्किंग शुल्कों के स्वचालित भुगतान के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित स्टिकर है. इसके अलावा आपके बैंक ने आईडीबीआई बैंक फास्टैग अधिप्राप्ति प्रणाली का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल शुल्कों की वसूली के लिए टोल प्लाजा परिचालकों के लिए फास्टैग अधिप्राप्ति व्यवसाय भी शुरू किया है. ये भविष्यलक्षी उत्पाद हैं जो सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप शुरू किए गए हैं और इनसे बैंक के लिए राजस्व का

एक नया स्रोत जुडेगा और बैंक के लाभ में वृद्धि होगी. इसके अलावा आपके बैंक ने बिलरों के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) बिलर मॉड्यूल भी प्रारंभ किया है. इस प्रकार का पहला गठजोड़ हरियाणा सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के साथ किया गया और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 25 दिसंबर 2020 को लांच किया गया. यह प्रणाली पीएचईडी के लिए बीबीपीएस प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकरण कर जल और सीवरेज बिलों की ऑनलाइन भुगतान सुविधा को सुगम बनाएगी. आपके बैंक ने बीबीपीएस लेनदेनों की संख्या और उसके परिणामस्वरुप राजस्व को बढ़ाने के लिए फिनटेक कंपनियों और सहभागी बैंकों के साथ और अधिक गठजोड़ करने के लिए बीबीपीएस एजेंट मॉड्यूल भी प्रारंभ किया है ताकि बैंक के लाभ में वृद्धि हो.

आपका बैंक अगस्त 2020 से वास्तविक समय खाता विधिमान्यकरण के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस आधारित सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम पर लाइव हो गया है. आपका बैंक ऐसे पहले नौ बैंकों में से एक है जो इस प्रकार की सेवाओं के लिए अब एनपीसीआई पर लाइव हैं.

आपका बैंक भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम), प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (पीएम-एल वी एम/ एनपीएस-ट्रेडर्स) के लिए एकमात्र प्रायोजक बैंक के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है और मार्च 2021 तक लगभग 60 लाख अधिदेशों को पंजीकृत किया है.

एलआईसी के लिए सीएमएस सुविधा

आपके बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं:

- एलआईसी पॉलिसीधारक अपनी नवीकरण प्रीमियम आपके बैंक की किसी भी रिटेल शाखा में और साथ ही साथ इसकी मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के जरिए अदा कर सकते हैं. इससे पॉलिसीधारकों को कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के समय भी अपनी नवीकरण प्रीमियम को आसानी से जमा करने में मदद मिली है.
- चुनिंदा एलआईसी एजेंट बैंक की रिटेल शाखाओं में नवीकरण प्रीमियम से एकत्र राशि जमा कर सकते हैं.

आपका बैंक एलआईसी के पॉलिसीधारकों की वार्षिकी अदायगी और अन्य प्रबंध व्ययों के लिए उसके मंडल कार्यालयों, पेंशन एवं समूह योजनाओं (पी एंड जीएस) तथा वैयक्तिक पेंशन पॉलिसी (आईपीपी) कार्यालयों को सीएमएस सेवाएं उपलब्ध कराता है. आपका बैंक एलआईसी शाखाओं के लिए सीएमएस वसूली सुविधाएं भी प्रदान करता है.

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक के ट्रेजरी परिचालनों में मुख्य रूप से मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा-विनिमय, डेरिवेटिव और इक्विटी से संबंधित कार्य किए जाते हैं. ट्रेजरी विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुपालन जैसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर), सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर), चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आदि को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है.

सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

विनियामकीय सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) 18.25% से कम होकर 11 अप्रैल 2020 से 18.00% हो गया. रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को यह विशेष छूट दी गई है कि वे परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) सीमा को 31 मार्च 2023 तक अपनी निवल मांग एवं आवधिक देयताओं (एनडीटीएल) के 22% तक बढ़ा सकते हैं, बशर्ते यह आधिक्य 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2022 के बीच अर्जित की गईं एसएलआर प्रतिभूतियों के कारण हुआ हो. आपके बैंक द्वारा एसएलआर रखरखाव विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप रहा है. एसएलआर बही के ब्याज दर जोखिम का सक्रिय रूप से प्रबंधन न केवल जोखिम को रोकने के लिए बल्कि साथ ही पूंजी प्रतिलाभ बुक करने के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाने के लिए भी किया गया है.

चलनिधि एवं आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) प्रबंध

आपके बैंक का ट्रेजरी चलनिधि के सक्रिय प्रबंधन के लिए रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), दीर्घावधि पुनर्वित्त रेपो परिचालन (एलटीआरओ) सहित मीयादी रेपो और खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) जैसे विभिन्न लिखतों और साथ ही त्रिपक्षीय रेपो डीलिंग प्रणाली (टीआरईपीएस), क्लीयरक्रॉप रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) तथा मांग एवं सूचना पर देय अन्य बाजार लिखतों/ प्लेटफॉर्म का प्रयोग करता है. अधिशेष चलनिधि को जमा प्रमाणपत्र (सीडी), चलनिधि म्यूचुअल फंड, मांग/सूचना पर देय/मीयादी राशि आदि विभिन्न अल्पावधि लिखतों में नियोजन किया जाता है. आपके बैंक ने विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखा.

कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई ने दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ) तथा लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) जैसे विभिन्न उपाय लागू किए थे. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम माह के दौरान एलटीआरओ विंडो में सहभागिता की थी और बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एलटीआरओ उधारों की बकाया राशि का समय-पूर्व भुगतान कर दिया गया. ग्राहकों के लिए 24x7x365 एनईएफ़टी और आरटीजीएस सुविधा के लागू किए जाने के अनुसरण में आपके बैंक ने चौबीसों घंटे उपलब्धता आधार पर चलनिधि के प्रभावी प्रबंधन के लिए यथोचित कदम उठाए हैं.

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के संबंध में बासेल III ढांचे का अनुपालन किया है तथा उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की पहचान के लिए बिक्री योग्यता परीक्षण किया है.

बैंक ने उच्च लागत वाली थोक जमाराशियों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सचेत प्रयास किए हैं. आपके बैंक ने ऐसी जमाराशियों

से संबंधित ग्राहक आधार में विविधता और विघटन को भी सुनिश्चित किया है.

प्राथमिक डीलर (पीडी)

पीडी कार्यकलापों के एक भाग के रूप में आपका बैंक अतरल / अर्ध-तरल सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में बाजार तैयार करने संबंधी गतिविधियों में शामिल रहा है. बैंक की ट्रेजरी ने बैंक के पास खाताधारी गिल्ट खाताधारकों को ग्राहकों की सहायक खाताबही (सीएसजीएल) सेवा भी उपलब्ध कराई. ट्रेजरी ने सीएसजीएल एवं गैर-सीएसजीएल ग्राहकों की तरफ से भारत सरकार/ राज्य विकास ऋण (एसडीएल) की प्राथमिक नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लिया. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आपका बैंक द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए गिल्ट खाताधारकों को वेब आधारित तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान सेगमेंट (एनडीएस-ओएमएस) मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करता है. बैंक के *'आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक'* पोर्टल ने रिटेल निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों को ऑनलाइन और एटीएम के माध्यम से खरीदने की सुविधा प्रदान करना जारी रखा.

फॉरेक्स इंटरबैंक और डेरिवेटिव

आपके बैंक की ट्रेजरी के पास एक सक्रिय फॉरेक्स इंटरबैंक और डेरिवेटिव डेस्क है. फॉरेक्स इंटरबैंक डेस्क अपने ग्राहकों को अधिकतम संभव बेहतर फॉरेक्स दर उपलब्ध कराता है. डेरिवेटिव डेस्क बैंक के ग्राहकों की हेजिंग संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए नवोन्मेषी समाधान उपलब्ध कराता है.

ट्रेजरी बिक्री

आपके बैंक की ट्रेजरी देश भर के 18 केंद्रों पर विदेशी मुद्रा, निश्चित आय और डेरिवेटिव उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए एक सेल्स टीम द्वारा समर्थित है. यह बिक्री टीम अपने कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करती है तथा मुद्राओं और ब्याज दरों में उनके एक्सपोजर का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने हेतु समाधान प्रदान करने के लिए उनके साथ लगातार संपर्क करती है. आपके बैंक ने विदेशी मुद्रा व्यापार को बढ़ाने, मौजूदा संबंधों में प्रगाढ़ता लाने और साथ ही नए ग्राहको को जोड़ने के लिए कई अभियान चलाए हैं. आंतरिक हितधारकों और ग्राहकों के बीच ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आपके बैंक ने आईडीबीआई फॉरेक्स फेस्ट, ट्रेजरी एंड ट्रेड फेस्ट जैसी विभिन्न पहलें भी की हैं. कोविड-19 जनित प्रतिबंधों के चलते व्यापक रूप से ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए और साथ ही उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए फॉरेक्स एवं ब्याज दर हेजिंग उत्पादों के दायरे और पहुँच को विस्तारित करने हेतु वेब कॉल आयोजित किए गए. बैंक की अनुकूलता एवं उपयुक्तता नीति के अनुसार ग्राहकों को डेरिवेटिव उत्पादों की पेशकश की जाती है.

वित्तीय संस्था समूह (एफ़आईजी)

आपका बैंक एक समर्पित वित्तीय संस्था समूह (एफ़आईजी) स्थापित कर रहा है ताकि देशी और विदेशी वित्तीय संस्थाओं (एफ़आई) को बैंक के विभिन्न उत्पादों/ सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा सके. यह समूह व्यापार, नकदी प्रबंध सेवाएँ, भुगतान, ट्रेजरी, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, मुद्रा बाजार एवं पूँजी बाजार तथा रिटेल बैंकिंग से संबंधित उत्पादों/सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए कवरेज समूह के रूप में कार्य करेगा. एफ़आईजी कवरेज के क्षेत्र को बढ़ाने और वित्तीय संस्था कारोबार को विस्तारित करने के लिए भी कार्य करेगा.

कारोबार निरंतरता योजना

आपका बैंक सीबीडी बेलापुर, मुंबई में ट्रेजरी कारोबार निरंतरता केंद्र का संचालन करता है. केंद्र के पास एकीकृत परिचालन की सुविधा है जिसमें विविध बाजार खंड शामिल हैं जो ट्रेजरी के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारु रूप से संचालित कर सकते हैं. ट्रेजरी ने कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कार्य करना जारी रखा और निर्बाध ग्राहक सेवा सुनिश्चित की.

बेंचमार्क्स का प्रस्तुतीकरण

ट्रेजरी परिचालन में सक्रिय खिलाड़ी होने के कारण, आपका बैंक एफबीआईएल पोल्ड टर्म माईबोर एवं एफबीआईएल पोल्ड एफसी-रुपी ऑप्शन वोलेटिलिटी के लिए फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) के प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना रहा.

सीमा पार शाखाएँ

आपके बैंक की एक समुद्रपारीय शाखा दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में है और एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर, गुजरात में है.

डीआईएफसी, दुबई में स्थित आपके बैंक की विदेश शाखा ने परिचालन के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं. डीआईएफसी शाखा अपने भारतीय ग्राहकों के भारतीय परिचालन और साथ ही सीमा पार उद्यमों की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाओं और व्यापार वित्त उत्पादों की श्रृंखला प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है. इसके अतिरिक्त डीआईएफसी शाखा, यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) से बाहर और अन्य गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) देशों से परिचालन करने वाले स्थानीय उद्यमियों को कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है. समुद्रपारीय परिचालनों को तर्कसंगत बनाने हेतु सरकार के निदेशों के आधार पर आपका बैंक समुद्रपारीय परिचालनों को तर्कसंगत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है.

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर में स्थित भारत के पहले और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में आपके बैंक की आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू), ने 6 मई 2016 से अपना परिचालन शुरू किया. आईबीयू, जीआईएफटी के विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के अंतर्गत आता है और इसका कामकाज अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफ़एससीए) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अभिशासित होता है.

ऋण रेटिंग

आपका बैंक देशी तथा विदेशी मुद्रा उधार दोनों के लिए ऋण की रेटिंग प्राप्त करता है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रेटिंग में कार्रवाई यथा 31 मार्च 2021 को रुपया संसाधनों के लिए वर्तमान रेटिंग के साथ निम्नानुसार है :

रुपया उधार के लिए रेटिंग

श्रेणी निर्धारित लिखत	क्रिसिल	इक्रा	इंडिया रेटिंग	केयर
रेटिंग संबंधी कार्रवाई	फरवरी-2021	सितंबर-2020@	अगस्त-2020	दिसंबर-2020
सावधि जमाराशियाँ	एफएए / स्टेबल	एमएए- / स्टेबल	इंड टीए/ निगेटिव	-
अल्पावधि उधार राशियाँ (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	[इक्रा] ए1+^	इंड ए1	केयर ए1+
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टियर II बांड))	क्रिसिल ए+/स्टेबल	[इक्रा] ए/ स्टेबल	इंड ए निगेटिव #	-
हाइब्रिड अपर टियर II बांड	क्रिसिल ए- / स्टेबल	[इक्रा] बीबीबी+/ स्टेबल	-	-
हाइब्रिड - आईपीडीआई (बासेल II)	क्रिसिल ए- / स्टेबल	वापस लिया गया	-	-
टियर II बांड (बासेल III)	क्रिसिल ए+ / स्टेबल	[इक्रा] ए (हाइब्रिड)/ स्टेबल	इंड ए/ निगेटिव	केयर ए+/स्टेबल

टिप्पणी :

@ - आउटलुक निगेटिव से अपग्रेड कर स्टेबल कर दिया है

^ - रेटिंग को अपग्रेड कर A1 से A1+ किया गया है

 # - लोअर टियर II बांडों की रेटिंग वापस ले ली गई है

आपके बैंक की विदेशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग दो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात् फिच रेटिंग्स (फिच) तथा एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स (एस एंड पी) द्वारा की जाती है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रेटिंग और आधारभूत क्रेडिट मूल्यांकन (बीसीए)/ अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर) तथा स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी) में परिवर्तन और यथा 31 मार्च 2021 को वर्तमान रेटिंग निम्नानुसार हैं :

विदेशी मुद्रा उधार राशियों के लिए रेटिंग

श्रेणी निर्धारित लिखत	फिच रेटिंग - रेटिंग संबंधी कार्रवाई		
	अप्रैल 2020	जून 2020	दिसंबर 2020
दीर्घावधि निर्गमकर्ता चूक रेटिंग	बीबी+/ निगेटिव	बीबी+/ निगेटिव	बीबी+/ निगेटिव
अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर)	सीसीसी	सीसीसी	सीसीसी+&

टिप्पणी :

& - अपग्रेड कर सीसीसी+ कर दिया गया है.

विदेशी मुद्रा उधारों के लिए रेटिंग

श्रेणी निर्धारित लिखत	एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग - रेटिंग संबंधी कार्रवाई		
	अप्रैल 2020	जून 2020	अक्तूबर 2020
निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग (सीआर)	बीबी/निगेटिव	बीबी/निगेटिव	बीबी/ निगेटिव
स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी)	बी-	बी-	बी-

टिप्पणी:

विदेशी रेटिंग एजेंसियों (अर्थात् एसएंडपी तथा फिच रेटिंग) द्वारा रेटिंग किए हुए एमटीएन बांड 30 नवंबर 2020 को पूर्णतः पुनः अदा कर दिए गए थे. इस प्रकार बैंक 21 मई 2021 को एमटीएन बांड कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न निगमों के किए गए रेटिंग अनुबंध / करार समाप्त कर दिए. तदनुसार, विदेशी मुद्रा उधारियों की रेटिंग वापस ले ली गई है.

दीर्घावधि रुपया उधार राशियाँ

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने कुल ₹ 2,101.20 करोड़ के तीन ऋण पूंजी लिखतों के संबंध में परिपक्वता से पूर्व क्रय विकल्प का प्रयोग किया. बैंक ने परिपक्वता तारीख को ₹ 40 करोड़ के एक ऋण पूंजी लिखत का मोचन किया.

विदेशी मुद्रा संसाधन

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अल्पावधि चलनिधि और निधीयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा (एफसी) में सफलतापूर्वक अल्पावधि उधार राशियों को जुटाया.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 985.13 मिलियन यूएस डॉलर की दीर्घावधि विदेशी मुद्रा उधार राशियों का सफल मोचन किया जिसमें 750.63 मिलियन यूएस डॉलर के मध्यम अवधि नोट (एमटीएन) बांड / पुनर्वित्त द्विपक्षीय ऋण और 234.50 मिलियन यूएस डॉलर के एक्जिम बैंक पुनर्वित्त ऋण और सिडबी पुनर्वित्त ऋण की समयपूर्ण अदायगी शामिल हैं.

लंदन अंतर- बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) परिवर्तन

2017 में, यूके वित्तीय संचालन प्राधिकरण (एफ़सीए) ने दिसंबर 2021 की समाप्ति तक लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) को समाप्त करने की अपनी इच्छा की घोषणा की थी. अपनी इस घोषणा के अग्रक्रम में एफ़सीए ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उन पाँच मुद्राओं में, जिनमें लाइबोर प्रकाशित की जाती है, सभी 35 लाइबोर सेटिंग के लिए भावी समापन तारीखों की घोषणा की.

लाइबोर के दायरे से निकलकर वैकल्पिक संदर्भ दरों की ओर मुड़ने की संक्रमण स्थिति से निपटने के लिए आपके बैंक ने बोर्ड अनुमोदित नीति कार्यान्वित की है जिसमें लाइबोर से जुड़े एक्सपोजरों के मूल्यांकन और इस संक्रमण की स्थिति से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए नियोजित कार्रवाइयों को स्पष्ट किया गया है. अभिशासन ढाँचे के एक भाग के रूप में और साथ ही लाइबोर संक्रमण कार्यक्रम को मार्गदर्शन देने और उसका निरीक्षण करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है. बकाया डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर लाइबोर की समाप्ति से पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए आपके बैंक ने 13 जनवरी 2021 को इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स असोसिएशन (आईएसडीए) द्वारा जारी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं.

जोखिम प्रबंध

आपके बैंक की जोखिम प्रबंध रणनीति तीन बुनियादी बातों अर्थात् पहचान, मापन और निगरानी पर अनिवार्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है. पहचान प्रक्रिया जहाँ आगे के विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए समर्थ बनाती है वहीं मापन बैंक को जोखिमों को स्वीकार करने, उससे बचने, उन्हें कम अथवा अंतरित करने में सक्षम बनाता है. इस रणनीतिक दृष्टिकोण ने जोखिम प्रबंधन साधनों के माध्यम से आपके बैंक को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाया है तथा उसमें विश्वास पैदा किया है. उचित सीमाओं और प्रक्रियागत पहलुओं को दर्शानेवाली एक सुपरिभाषित नीति की रूपरेखा बैंक की समग्र रूप से जोखिम वहन करने की क्षमता के अंतर्गत बैंक को जोखिम कम करने और इसका प्रबंधन करने में मदद करती है. कारोबार सक्रियता के मूल तत्वों, बैंकिंग नवोन्मेष और विनियामकीय परिवर्तनों को समझते हुए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में और अधिक सुधार को सुनिश्चित करने के लिए नीति को आवधिक रूप से अद्यतित किया जाता है. आपका बैंक सभी वर्टिकलों में जोखिम के प्रति जागरूकता फैला कर और निर्णय लेने में इसे एक अत्यावश्यक मानदंड बना कर अपनी जोखिम प्रबंध संस्कृति में लगातार सुधार का प्रयास करता है. जहां निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) पर समग्र जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारी है, वहीं दिन-प्रति-दिन की गतिविधियों का संचालन जोखिम अभिशासन संरचना के आधार पर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है. जोखिम प्रबंधन प्रणाली और इसकी प्रक्रियाओं को विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार लगातार अद्यतित किया जाता है. एक सुदृढ़ और तकनीकी रूप से उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन आर्किटेक्चर (आईआरएमए) लागू किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान, अर्थात् जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएएम) और व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (सीओआरई) शामिल हैं. आईआरएमए ऋण और परिचालनगत जोखिमों की पहचान और मापन में मदद करता है जिससे उपयुक्त जोखिम प्रबंधन रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है. इसके अलावा आपके बैंक में उसके आस्ति एवं देयता प्रबंध (एएलएम), निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एफटीपी), लाभप्रदता प्रबंध (पीएफटी) और ऋण जोखिम प्रबंध (एलआरएम) आवश्यकताओं के लिए सुस्थापित ऑरेकल वित्तीय सेवाएं विश्लेषण एप्लीकेशन (ओएफएसएए) भी कार्यान्वित है जिसे मापन तथा उत्पाद विशेषताओं की सूक्ष्म बारीकियों को कैप्चर करने लिए समुन्नत बनाया जा रहा है.

बासेल मानकों का कार्यान्वयन

आपका बैंक बासेल-III ढांचे के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पिलर-I दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता की तिमाही आधार पर गणना करता है. इसके अलावा, बैंक मासिक आवधिकता पर जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए पूंजी की आवाजाही पर भी कड़ी नजर रखता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों के लिए 31 मार्च 2016 से चरणबद्ध तरीके से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखना अनिवार्य है. रिज़र्व बैंक की दिनांक 29 सितम्बर 2020 की अधिसूचना के अनुसार बासेल-III पूंजी विनियमनों की परिवर्ती व्यवस्थाओं की समीक्षा कर 31 मार्च 2021 को प्रयोज्य सीसीबी 1.875% विनिर्दिष्ट किया गया. तद्नुसार यथा 31 मार्च 2021 को आपके बैंक की 'कुल पूंजी + पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)' का अनुपात न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा के अनुरूप 10.875% रहा. 31 मार्च 2021 को आपके बैंक का 'कुल पूंजी+सीसीबी' अनुपात 15.59% रहा. इसी प्रकार, आपके बैंक का 'सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) + सीसीबी' अनुपात 7.375% की विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 13.06% रहा. 31 मार्च 2021 को आपके बैंक का 'टियर 1 + सीसीबी' अनुपात 8.875% की विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 13.06% रहा. यथा 31 मार्च 2021 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 3.50% की लागू न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 6.08% रहा.

आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर 2 मानदंडों के अनुरूप आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है. यह नीति बैंक को पिलर-I में शामिल नहीं किए गए जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन करने और उनका परिमाण निर्धारित करने और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिमों का प्रबंध करने और उन्हें कम करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने में समर्थ बनाती है. आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक व्यापक दबाव परीक्षण की रूपरेखा कार्यान्वित की है. यह दबाव परीक्षण रूपरेखा आपके बैंक को असाधारण लेकिन संभाव्य घटनाक्रमों में अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए उपयुक्त अग्रसक्रिय रणनीति बनाने में सक्षम बनाती है. इस रूपरेखा में परिस्थिति विश्लेषण और प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण को भी शामिल किया गया है. परिदृश्य विश्लेषण में बैंक की पूंजी और लाभप्रदतता के संदर्भ में सकल एनपीए के और अधिक बढ़ने, एनपीए की गैर निधि आधारित सुविधाओं एवं तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों के क्रिस्टलीकरण और गैर तरल प्रतिभूतियों का प्रभाव शामिल है. आपके बैंक ने अपनी ऋण सहायता वाले विभिन्न क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी के कारण पड़ने वाले उन हानिकारक प्रभावों का आरंभिक आकलन करने के लिए भी अलग से परिदृश्य तैयार किए हैं, जो बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं. इस रूपरेखा में प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण प्रणाली शामिल की गई है ताकि पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले दबाव के स्तर का पता लगा कर इसे पूर्व-निर्धारित स्तर पर लाया जा सके. आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के अंतर्गत पिलर 3 अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटन नीति अपनाई है. तदनुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर प्रकटनों को आपके बैंक की वेबसाइट पर रखा जाता है, जो उच्च स्तरीय पारदर्शिता प्रदर्शित करता है. आपका बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना हेतु मूलभूत सांकेतिक दृष्टिकोण (बीआईए) अपनाता है. प्रभावी नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारोबार खंडों में प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और जोखिम व नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) की व्यापक

रूपरेखा लागू की गई है. आपका बैंक बाजार जोखिम के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) अपनाता है.

ऋण जोखिम

आपके बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में ऋण प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए जोखिम आकलन मॉडल (आरएएम) और पूंजी पर्याप्तता निर्धारण के स्वचालन के लिए पूंजी निर्धारण मॉडल (सीएएम) शामिल है. आरएएम/अंक आधारित आंतरिक रेटिंग के अतिरिक्त, बैंक ने उच्च मूल्य वाले कॉरपोरेट और एमएसएमई ऋणों के जोखिम वर्गीकरण के लिए मात्रात्मक जोखिम स्कोरिंग मैट्रिक्स भी विकसित किया है. ऋण नीति दस्तावेज की बदलते कारोबारी उद्देश्यों तथा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप समीक्षा की जाती है. यह कारोबारी वर्टिकलों के लिए मार्गदर्शक साधन है.

बाजार जोखिम

कार्य तथा कारोबार स्थितियों के संदर्भ में आपके बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति तथा निवेश नीति में परिभाषित नीतिगत ढांचे के अनुरूप परिचालित होता है. सामान्यतः ये नीतियां जोखिमों व अपवादों के मापन, रिपोर्टिंग तथा वृद्धि के आकलन के लिए जोखिम वहन क्षमता के उपयुक्त स्तरों तथा कार्यान्वयन प्रणालियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं. इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के कार्यान्वयन के साथ, आपके बैंक की निगरानी और रिपोर्टिंग को कवर करने वाले बाजार जोखिम प्रबंधन प्रभावकारिता को और मजबूत किया गया है. ट्रेजरी के मिड ऑफिस द्वारा सभी निर्धारित सीमाओं तथा सभी प्रक्रियाओं की गहन निगरानी की जाती है जो ट्रेजरी के फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस से स्वतंत्र है. ट्रेजरी मिड-ऑफिस ने एक मजबूत गैर-एसएलआर बॉन्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन-हाउस आंतरिक रेटिंग आधारित मॉडल के विकास के माध्यम से गैर-एसएलआर बांडों की आंतरिक रेटिंग शुरू की है.

चलनिधि प्रबंध

बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंध ढाँचा है. बैंक की आस्ति-देयता प्रबंध समिति (आल्को) व्यवसाय रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की निगरानी और प्रबंध करती है. चलनिधि विश्लेषण और प्रबंध सहित आस्ति-देयता प्रबंध कार्यकलाप कार्यात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आल्को सहयोग समूहों जैसे तुलन-पत्र प्रबंध, ट्रेजरी फ्रंट कार्यालय, बजट एवं आयोजना आदि के बीच समन्वय के जरिए संपन्न किए जाते हैं. आल्को निर्देश तथा एएलएम कार्रवाइयाँ व्यवसाय समूहों और वर्टिकलों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं. विनियामिकीय दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2017 से बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है. वित्त वर्ष 2020 -21 के दौरान बैंक का औसत एलसीआर 155.59% था.

परिचालनगत जोखिम

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) है जिसमें एक समर्थकारी संगठनात्मक व्यवस्था के तहत निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), जोखिम प्रबंधन विभाग में ओआरएम अनुभाग तथा विभिन्न कार्यों/विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हैं. परिचालनगत जोखिम की परिचालन प्रक्रिया बोर्ड अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित है जिसका लक्ष्य बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े परिचालनगत जोखिमों की पहचान, निगरानी, आकलन तथा प्रबंधन करना है.

आपके बैंक में विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों/परिचालनों में अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं हैं. यह मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) तथा जोखिम नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) अभ्यासों के ज़रिए परिचालनगत जोखिमों का प्रबंधन करता है और इस संबंध में हुई प्रगति से निदेशक मंडल की ओआरएमसी और आरएमसी को आवधिक रूप से अवगत कराता है. पूरे बैंक से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं को समेकित किया जाता है और मूल कारणों के विश्लेषण के साथ ओआरएमसी को प्रस्तुत किया जाता है. परिचालगत जोखिम हानि संबंधी आंकड़ें तिमाही आधार पर रिजर्व बैंक को भी प्रस्तुत किए जाते हैं.

आपका बैंक उपार्जन और पूंजी पर दबावग्रस्त परिचालनगत जोखिम संबंधी हानियों के मूल्यांकन के लिए अर्ध वार्षिक आधार पर दबावग्रस्त परीक्षण कार्रवाई भी करता है. इसके साथ ही परिचालनगत जोखिम के लिए बोर्ड अनुमोदित जोखिम वहन सीमा में किसी उल्लंघन का मापन और रिपोर्टिंग भी की जाती है. वर्तमान में परिचालनगत जोखिम विनियामकीय पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए बैंक ने मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन

आपके बैंक के पास कारोबारी व्यवधानों तथा जीवन संबंधी जोखिमपूर्ण स्थितियों को कम करने के लिए सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रियाएं हैं. आपके बैंक को कारोबार निरंतरता प्रबंधन के बैंक व्यापी कवरेज के लिए आईएसओ 22301:2012 प्रमाणन से सम्मानित किया गया है.

बीसीएम के एक भाग के रूप में मूल तथा सहायता कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) कार्यान्वित की गई है. इस योजना का उद्देश्य कारोबार व्यवधान/आपदा के बावजूद ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है. इसके अलावा आपदा के दौरान मानव जीवन की रक्षा करने और मूल्यवान आस्तियों के नुकसान को कम करने के लिए अपनी प्रमुख स्थापनाओं के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी लागू की गई है. इन बीसीपी तथा डीएमपी की आघात सहनशीलता का बीसीपी परीक्षण अभ्यास, संपूर्ण ड्रिल और मॉक इवैक्यूएशन ड्रिलों सहित आपदा बहाली के माध्यम से

आवधिक परीक्षण किया जाता है. बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली एक स्वचालित घटना रिपोर्टिंग टूल अर्थात् एकीकृत आपदा और कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (आई-डीएबी) से सुसज्जित है.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

आपके बैंक ने अपने आईटी जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. आपके बैंक ने अपने परिचालनों में गोपनीयता के साथ-साथ बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नवी मुंबई स्थित अपने डेटा केंद्र और चेन्नई स्थित आपदा रिकवरी (डीआर) साइट पर एक अत्याधुनिक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है. 24X7 कार्यरत रहने वाला एसओसी, बैंक के सम्मानित ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बैंक के उद्देश्य को पूरा करने के अलावा साइबर अपराधों से निपटने के लिए और बैंक की सूचना सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक कमान केंद्र के रूप में कार्य करता है. इसके अलावा, एसओसी के माध्यम से आपका बैंक केंद्रीकृत रूप से सुरक्षा साधनों जैसे फायरवाल्स, राऊटर्स, इंट्रूज़न डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) डिवाइस/ इंट्रूज़न प्रिवेंशन सिस्टम (आईपीएस) डिवाइस, विशेषाधिकारकृत पहचान प्रबंध (पीआईएम), एंटीवायरस, फिशिंग/मालवेयर प्रयासों आदि की निगरानी करता है और सुधारात्मक उपाय करता है. आपका बैंक बाह्योन्मुख एप्लीकेशनों अर्थात् फिनेकल ई-बैंकिंग एप्लीकेशन (एफ़ईबीए), मोबाइल बैंकिंग, मेल मैसेजिंग आदि के लिए नियमित रूप से भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) करता है.

आपके बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों के संबंध में रिजर्व बैंक की सिफ़ारिशों और बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के साइबर सुरक्षा ढांचे को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. आपके बैंक ने दिशानिर्देशों में अनुशंसित रूप में उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है जिसमें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), जो बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करते हैं, के नेतृत्व में एक विशेष सूचना सुरक्षा समूह का गठन शामिल है.

ग्राहक डेटा की सुरक्षा करने, बाह्य आक्रमणों को रोकने तथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने के लिए कई सूचना सुरक्षा समाधान जैसे विशेषाधिकार प्राप्त पहचान एक्सेस प्रबंधन, नैक्सट-जेनरेशन - फायरवाल समाधान, मोबाइल युक्ति प्रबंधन, हनीपॉट समाधान, पैच प्रबंधन समाधान, सक्रिय डायरेक्टरी, वेब/ मेल गेटवे, इंड पॉइंट एवं यूएसबी एनक्रिप्शन, डेटा लीकेज प्रिवेंशन (डीएलपी) सॉल्यूशन, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट (एपीटी), नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएस), वेब-एप्लिकेशन फायरवाल (डब्ल्यूएएफ) आदि कार्यान्वित किए गए हैं.

आपके बैंक ने एक सुस्पष्ट साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू की है जो साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का समाधान करने के लिए प्रबंधन के इरादे तथा दिशा को स्पष्ट करती है. बैंक ने साइबर सुरक्षा जोखिम निगरानी समिति (सीएसआरएमसी) का गठन किया है जो वीएपीटी/एपसेक प्रक्रिया के माध्यम से पहचानी गई किसी भी सुभेद्यता को जारी रखने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करती है. इसके साथ ही, आपका बैंक अपने सूचना सुरक्षा ढाँचे की जाँच करने और उसे प्रभावी बनाए रखने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली साइबर ड्रिलों, टेबल-टॉप अभ्यासों, फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यासों और इसकी सूचना सुरक्षा सेट-अप के स्वास्थ्य की जांच करने और ब्रीच रेडिनेस अभ्यासों में भी सहभागिता करता है और साथ ही ऐसे अभ्यासों को आयोजित भी करता है. सूचना सुरक्षा जागरूकता को बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए प्रवेश कार्यक्रम में अनिवार्य सत्र के रूप में शामिल किया गया है. बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों ने इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी) में आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम कार्यक्रम में भाग लिया. कर्मचारियों के लिए नियमित सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ-साथ, ग्राहकों को सुरक्षा भंग करने के प्रयासों को कम करने/ विफल करने के लिए मेल, एसएमएस, एटीएम और पोस्टरों के जरिए विभिन्न सूचना सुरक्षा सावधानियों को भी सूचित किया जाता है. परिमाप और अंतिम बिंदु दोनों स्तरों पर समाधानों को शामिल करते हुए मजबूत सूचना सुरक्षा ढांचे के भीतर सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और प्रणालियों को कार्यान्वित किया गया है. आपके बैंक का डेटा सेंटर (डीसी), आपदा रिकवरी केंद्र (डीआर) के साथ-साथ नजदीकी डीआर केंद्र (एनडीआर) नवीनतम आईएसओ 27001 : 2013 सूचना सुरक्षा मानकों के साथ प्रमाणित हैं. आपके बैंक का नजदीकी डीआर केंद्र महत्वपूर्ण संव्यवहार प्रणालियों के लिए शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करता है. बैंक की सूचना सुरक्षा संचालन समिति (आईएसएससी) सूचना प्रणालियों में आईटी जोखिम को कम करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करती है. साइबर सुरक्षा की दशा, विभिन्न सुरक्षा घटनाएं और नीतियां आवश्यक निर्देशों के लिए बोर्ड की आईटी रणनीति समिति (आईटीएससीबी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं. नीतियों को आईटीएससीबी द्वारा अनुमोदन के लिए बोर्ड को अनुशंसित किया जाता है.

प्रबंधन, नियंत्रण और प्रणालियां

मानव संसाधन

ज्ञानार्जन एवं विकास

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 से प्रेरित प्रतिबंधों के बावजूद आपके बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् जवाहरलाल नेहरू बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद और इसके 10 अंचल प्रशिक्षण केन्द्रों ने 490 वर्चुअल इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और विभिन्न वर्टिकलों के 11,718 प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों यथा - रिटेल बैंकिंग, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम और कृषि ऋण, ग्रामीण ऋण वितरण एवं निगरानी, एनपीए प्रबंधन, संरचित रिटेल आस्तियां (ऋण/ बिक्री/ संग्रहण/ परिचालन), लेखा परीक्षा, साइबर सुरक्षा, दस्तावेजीकरण, भूमिका आधारित रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, रिटेल संग्रहण, व्यापार वित्त, ट्रेजरी, जोखिम, वित्त एवं लेखा, नेतृत्व/ व्यवहारिक प्रशिक्षण और अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किए गए.

बैंक ने यौन उत्पीड़न (पीओएसएच) रोकथाम, डिजिटल बैंकिंग, सतर्कता निवारक, साइबर सुरक्षा, फिनेकल आदि के मॉड्यूलों में मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक सेवा कार्यक्रम, महिला अधिकारियों, राजभाषा, बैंक प्रतिनिधि और कारोबार सुलभकर्ताओं के लिए टियर II प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

बैंक के स्वतंत्र निदेशकों में से छः निदेशकों तथा आपके बैंक के एक निदेशक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मेनेजमेंट (एनआईबीएम), इंस्टीट्यूट फॉर डेवलेपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) आदि के द्वारा आयोजित पांच कार्यक्रमों यथा- जोखिम अभिशासन संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम, तालमेल बनाने, नवोन्मेषण और स्केल के लिए बैंकों और फिनटेक की अभिरूपता पर वेबिनार, सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम और स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम, में नामित किया गया.

आपके बैंक ने अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों में अपेक्षित एक्सपोजर प्रदान करने के लिए 904 अधिकारियों को 83 बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया. शाखा बैंकिंग/ संचालन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल), क्रेडिट प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, व्यापार वित्त, ट्रेजरी, फोरेक्स, डीलिंग रूम, निर्यात वित्त और व्यापार अनुपालन, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल उधार, कॉरपोरेट अभिशासन एवं अनुपालन, लेखा परीक्षा, एचआर एनालिटिक्स, प्रबंधन में महिला, धोखाधड़ी प्रबंधन एवं एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग और मशीनी अध्ययन, साइबर सुरक्षा, आईटी परियोजना प्रबंधन, सेवा उद्यम, मेंटरशिप, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण आदि विषयों पर प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे, एनआईबीएम, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी)- पुणे, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ), एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए), आईडीआरबीटी, क्रिसिल, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई), नेशनल एकेडमी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (एनएएचआरडी), इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट-अहमदाबाद (आईआईएम-ए), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईआईटी), मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज, इंटरटेक (इं) प्रा. लि., टीम लीज, एएलएमयूएस रिस्क कंसल्टिंग एलएलपी, एशियन कॉलेज ऑफ टीचर्स, आदि जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया गया.

ज्ञानार्जन संस्कृति के भाग के तौर पर बैंक अपनी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली यथा ओजस के माध्यम से ई-लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है ताकि कर्मचारियों को शिक्षण के लिए लागत प्रभावी ढंग से अतिरिक्त चैनल उपलब्ध कराए जा सकें. ओजस में विभिन्न प्रकार के बैंकिंग संबंधी विषयों को शामिल करते हुए लगभग 300 अद्यतित ई-लर्निंग मॉड्यूल रखे गए हैं जिसमें व्यवहार-कौशल संबंधी विषय और हिंदी में कार्यात्मक मॉड्यूल भी शामिल हैं. सभी अनिवार्य ई-लर्निंग प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों को ग्रेड एफ (मुख्य महाप्रबंधक) तक के अधिकारियों के लिए आई-पेस प्रणाली में पांच अंकों का प्रावधान रखते हुए वार्षिक मूल्यांकन से भी जोड़ा गया है. समग्र रूप से वर्ष के दौरान 13,261 अधिकारियों ने ई-लर्निंग प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों को पूरा किया है.

जेएनआईबीएफ और जेडटीसी ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप प्राइवेट लि., भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों, एआरसीआई इंडिया लिमिटेड, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन-पश्चिम बंगाल, माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ यूपी, ओडिशा स्टेट एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल इनक्लूजन आदि जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिए 17 बाह्य कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 425 प्रतिभागियों ने सहभागिता की.

कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों के लिए पहल कार्य

- **प्रोत्साहन का भुगतान:** आपके बैंक ने कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपनी सभी पारंपरिक और भौतिक शाखाओं के साथ-साथ वैकल्पिक बैंकिंग चैनलों के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करते हुए हमारे सम्मानित ग्राहकों को निर्बाध बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं. निरंतर सेवाएं प्रदान करने के अपने समर्पित प्रयासों में, बैंक के आठ स्टाफ सदस्यों ने भी महामारी के कारण अपना अमूल्य जीवन खो दिया. आपके बैंक ने अथक सेवाएं प्रदान करने के लिए सराहना के रूप में, उन कर्मचारियों को जिन्होंने अप्रैल-जुलाई 2020 में लॉकडाउन की शीर्ष अवधि के दौरान काम किया था, विशेष मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान कर पुरस्कृत किया.

- **कोविड-19 के कारण होने वाली कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में परिवार को मुआवजे की मंजूरी:** चूंकि बैंक कर्मचारी दिन-प्रति-दिन आधार पर सामान्य रूप से जनता के साथ व्यवहार करते हैं, इसलिए उन पर वायरस से संक्रमित होने का खतरा बना रहता है. लॉकडाउन की अवधि खत्म होने और सामान्य स्थिति फिर से शुरू होने के बाद भी संक्रमण के जोखिम/संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने सेवा के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को समग्र रूप से ₹ 20 लाख का मुआवजा प्रदान किया है.

- **विशेष छुट्टी की मंजूरी:** आपका बैंक ऐसे कर्मचारियों को विशेष छुट्टी मंजूर कर रहा है जो ड्यूटी के दौरान कोविड-19

पॉजिटिव पाए गए अथवा जिन्हें क्वारंटीन रहने के लिए निर्देश दिए गए.

- **चिकित्सा व्यय का भुगतान:** हालांकि नई बीमारी होने के कारण कोविड-19 के इलाज के खर्च को बैंक की चिकित्सा अनुसूची के तहत कवर नहीं किया गया था, आपके बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है.

- **क्वारंटीन सुविधा:** आपके बैंक ने कोविड-19 पॉजिटिव लक्षण वाले और बिना लक्षण वाले (जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है) कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों, जो आमतौर पर कर्मचारी के साथ रहते हैं, के लिए क्वारंटीन सुविधा प्रदान करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल के साथ करार किया है. इस सुविधा के अंतर्गत, आपका बैंक उन कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति प्रदान कर रहा है जो इस समझौते के तहत अपोलो अस्पताल द्वारा अभिनिर्धारित होटलों में क्वारंटीन सुविधा का लाभ उठाते हैं. चूंकि यह सुविधा केवल प्रमुख शहरों में उपलब्ध है, इसलिए आपका बैंक, बैंक के चिकित्सा अधिकारी/डॉक्टर/स्थानीय प्राधिकारियों की लिखित सलाह पर अन्य शहरों में सरकार/राज्य/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित केंद्रों/संस्थानों/होटलों/हॉलों में क्वारंटीन सुविधा का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों को भी प्रतिपूर्ति कर रहा है.

कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर छात्रवृत्ति प्रदान की है.

अधिकारियों की तैनाती और नियोजन

कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक के पास संगठनात्मक और विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुदृढ़ स्थानांतरण व्यवस्था है. स्थानांतरण का उद्देश्य कारोबार और सहयोगी क्षेत्रों के कार्यात्मक पहलुओं से अच्छी तरह परिचित कराने के साथ-साथ अधिकारियों के लिए स्थानीय एक्सपोजर प्रदान करना है. कर्मचारियों के नियोजन का उद्देश्य व्यापक और विशाखीकृत परिचालन क्षेत्रों के एक्सपोजर के माध्यम से अधिकारियों की दक्षता और कौशल को विकसित करना है. यह कार्य क्षमता निर्माण ढांचे के माध्यम से भी किया जाता है जिसमें ज्ञान उन्नयन और मौजूदा कौशल सेटों में वृद्धि के जरिए विशेष हस्तक्षेप के द्वारा व्यक्तिगत कौशलों में इष्टतम वृद्धि की परिकल्पना की गई है. इसके अतिरिक्त, संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों सहित अधिकारियों का स्थानांतरण सामान्यतः अधिकारियों की तैनाती और नियोजन नीति के अनुसार किया जाता है.

औद्योगिक संबंध

आपके बैंक में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध का वातावरण सामान्यतः मैत्रीपूर्ण रहा है तथा अधिकांश समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण रूप से कर लिया गया है. अधिकारियों/ कर्मचारियों की शिकायतों को समझने और उनका समाधान निकालने हेतु रचनात्मक संवाद स्थापित करने के अपने प्रयासों के तौर पर बैंक ने संघों और यूनियनों के साथ बैठकें की हैं. यूनियन और संघ भी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय और तत्पर रहे हैं.

आई-पेस - नई कार्य-निष्पादन प्रबंध प्रणाली

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से पुनः संरचित कार्य-निष्पादन प्रबंध प्रणाली (पीएमएस) लागू की है तथा इसे और अधिक विशिष्ट, मापनीय, हासिल करने योग्य, सुसंगत एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से इसे आई-पेस (आईडीबीआई बैंक- कार्य निष्पादन निर्धारण एवं सतत मूल्यांकन) जैसा सटीक नाम दिया गया है. नए पीएमएस का उद्देश्य अधिकारियों के प्रदर्शन को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना और बैंक के रणनीतिक व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ सभी स्तरों पर कार्य निष्पादन आधारित संस्कृति को बढ़ावा देना है. आई-पेस में एक समान भूमिकाओं के लिए मानकीकृत मुख्य परिणाम क्षेत्र (केआरए), मानकीकृत केआरए के लिए समान महत्व देना तथा अधिकांश मापनीय केआरए के लिए सिस्टम/ डैशबोर्ड से सीधी सहबद्धता शामिल है. इसे लागू किए जाने के बाद से आपका बैंक आई-पेस तुलनात्मसक रैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत अपने अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहा है, जिसका उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ अधिकारियों के प्रदर्शन को संरेखित करना और बैंक के रणनीतिक व्यावसायिक उद्देश्यों पर ध्यान-केंद्रण, दिशा-निर्धारण और सामान्य समझ के साथ सभी स्तरों पर कार्य निष्पादन आधारित संस्कृति को बढ़ावा देना है.

आरक्षण नीति

यथा 31 मार्च 2021 को बैंक की कुल श्रमशक्ति संख्या में अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा)/ अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आरूक) का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

श्रेणी	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस
अधिकारी	3,929	2,183	968	69
एक्जीक्यूटिव	361	131	66	48
लिपिक	49	68	26	-
अधीनस्थ स्टाफ	116	132	47	-
कुल	**4,455**	**2,514**	**1,107**	**117**

आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाओं पर लागू होने वाली भारत सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन करता है. आपके बैंक ने अजा/अजजा/अपिव तथा दिव्यांगों (पीडबल्यूडी) के लिए क्रमशः महाप्रबंधक तथा उप महा प्रबंधक स्तर के मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) तथा अंचल संपर्क अधिकारियों (ज़ेडएलओ) की नियुक्ति की है. सीएलओ और ज़ेडएलओ आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा उनकी शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करते हैं. आपका बैंक अजा/अजजा/अपिव के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु अजा/अजजा/अपिव कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकें (तिमाही) आयोजित करता है. आपके बैंक ने अजा/अजजा/आपिव वर्ग के कर्मचारियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को दर्ज करने के लिए शिकायत रजिस्टर भी बनाया है और इन शिकायतों के समाधान के लिए समुचित कार्रवाई की जाती है. आपके बैंक ने आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण रजिस्टर/रोस्टर बनाए हैं. बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अलग आरक्षण रोस्टर भी बनाया है.

नए पहल कार्य

- **ऑनलाइन मोड के माध्यम से भर्ती:** महामारी के कारण आपके बैंक ने कैम्पस भर्ती और ऑनलाइन मोड के माध्यम से विभिन्न संवर्गों में स्पेशलिस्ट अधिकारियों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की.
- **वर्क फ्रॉम होम:** कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान और ऐसे समय में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या पर लगे प्रतिबंध के कारण आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा आरंभ की ताकि इस विकट समय के दौरान कार्यालय का काम बाधित न हो.

उत्तराधिकार योजना नीति (एसपीपी)

आपके बैंक ने मुख्य महा प्रबन्धकों और महा प्रबंधकों के कतिपय संवेदनशील पदों पर उत्तराधिकार योजना आरंभ की. यह नीति वरिष्ठ पदों के लिए लीडरशिप प्रक्रिया के सृजन के लिए समग्र ढांचा उपलब्ध कराती है ताकि जब चिन्हित महत्वपूर्ण पद खाली हो तो कारोबार निरंतरता सुनिश्चित की जा सके,

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

आपके बैंक ने अवांछनीय घटना के घटित होने पर पीड़ित महिला को तुरंत सहायता देने और अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न झेलनेवाली महिला की शिकायत सीधे समिति के सदस्यों के पास दर्ज कराने के लिए एसएमएस/ई-मेल आधारित शिकायत प्रणाली कार्यान्वित की है.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

आपके बैंक ने सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण को सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए दो आंतरिक शिकायत समितियां बनाई हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक को इस संबंध में 7 (सात) शिकायतें प्राप्त हुई जबकि पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त 4 (चार) शिकायतों पर निष्कर्ष लंबित था. संबन्धित आंतरिक समितियों ने शिकायतों का समाधान किया और यथा 31 मार्च 2021 को 4 (चार) शिकायतों पर निष्कर्ष लंबित था.

कर्मचारियों को विधिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना

बैंक के कामकाज को सद्भावपूर्वक निष्पादित करने से उत्पन्न मामलों पर बाहरी व्यक्तियों/ सरकारी एजेंसियों/ निजी पक्षों द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ जानबूझकर की गई झूठी शिकायतों से कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने उक्त योजना लागू की है जो निदेशकों/अधिकारियों/ कर्मचारियों को वित्तीय और विधिक सहायता उपलब्ध कराती है.

निदेशक एवं अधिकारी देयता बीमा पॉलिसी (डी एंड ओ पॉलिसी)

आपके बैंक ने डी एंड ओ पॉलिसी खरीदी है जिसका उद्देश्य वास्तविक या तथाकथित 'गलत कार्य', जो सद्भावपूर्वक कर्तव्य निर्वहन के दौरान निर्णयों और कार्रवाई से हुआ हो, के परिणाम के प्रति निदेशकों और अधिकारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

भर्ती और स्टाफिंग

यथा 31 मार्च 2021 को आपके बैंक के पास कुल स्टाफ संख्या 17,319 था. कर्मचारियों का श्रेणीवार अलग-अलग विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल
लिपिकीय स्टाफ	503
एक्ज़ीक्यूटिव	942
अधिकारी*	15,327
अधीनस्थ स्टाफ	547
कुल	**17,319**

नोट अधिकारियों की संख्या के अंतर्गत एमडी व सीईओ, डीएमडी (2), मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी तथा संविदागत कर्मचारी (ट्रेजरी प्रमुख, डेटा एनालिटिक्स प्रमुख, मुख्य तकनीकी अधिकारी, सलाहकार चिकित्सक ,बैंक चिकित्सा अधिकारी (3) शामिल हैं)*

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विभिन्न श्रेणियों में 551 व्यक्तियों की भर्ती की जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ग्रेड	कुल
अधिकारी ग्रेड ए	316
अधिकारी ग्रेड बी	17
अधिकारी ग्रेड डी	1
लिपिकीय $	5
अधीनस्थ स्टाफ $	3
एक्जीक्यूटिव	208
संविदा पर सलाहकार चिकित्सक	1
कुल	**551**

नोट: $ - लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग में भर्ती अनुकंपा नियुक्ति के रूप में की गई है.

बुनियादी संरचना प्रबंधन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अनेक प्रमुख सिविल परियोजनाएं हाथ में लीं. आपके बैंक ने एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड से ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली में 36 आवासीय फ्लैटों और 150 कार पार्किंग के साथ 1,22,088 वर्ग फुट क्षेत्रफल के वाणिज्यिक परिसर का अर्जन किया है. इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 36 आवासीय फ्लैटों सहित 150 कार पार्किंग स्थल बैंक को सौंप दिया गया है. 1,22,088 वर्ग फुट के वाणिज्यिक परिसर में से 99,662 वर्ग फुट जगह बैंक को सौंपी गयी है और इसके इंटीरियर फर्निशिंग का कार्य आरंभ कर दिया गया है. एनबीसीसी (इंडिया) ने बाकी वाणिज्यिक स्थान (22,426 वर्ग फुट) को कुछ विशिष्ट जनहित याचिका (पीआईएल) के लंबित निर्णय के कारण अभी तक बैंक को नहीं सौंपा है.

आपके बैंक का नया अंचल कार्यालय जिसका लखनऊ में परिचालन वित्तीय वर्ष 2019-20 में आरंभ हो चुका था अब इसे अपने पूर्ववर्ती स्थान से नए पट्टे परिसर में शिफ्ट किया गया है.

आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपने मौजूदा 12 अंचलों की संख्या में वृद्धि करते हुए पटना और भोपाल में दो और अंचल शामिल करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए वर्तमान में पट्टे पर परिसर के चयन की प्रक्रिया चल रही है.

आंतरिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक का एक समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और साथ ही यह बैंक के भीतर आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन और अभिशासन की प्रभाविकता सुनिश्चित करता है. लेखापरीक्षा कार्यकलाप के अंतर्गत जोखिम विभिन्न कारोबार एवं सपोर्ट वर्टिकलों, अंचल कार्यालयों (अंका), क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षेका), शाखाओं और गैर-शाखा खंडों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की लेखापरीक्षा और जोखिम आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को अपनाया गया. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी), बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के दिशानिर्देशों तथा देख-रेख में कार्य करता है.

आईएडी के कार्य (i) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति; (ii) समवर्ती लेखापरीक्षा नीति; (iii) सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा नीति द्वारा अभिशासित हैं. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के हिस्से के रूप में लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न लेखापरीक्षा अर्थात् शाखा लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा का आयोजन करता है. शाखाओं की लेखापरीक्षा पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने और अनुवर्तन कार्यों को पर्याप्त और प्रभावी रूप से पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु आपके बैंक में अपने सभी अंचलों में अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (जेडएओ) बनाए गए हैं. लेखापरीक्षा गतिविधियों को एक वेब आधारित एप्लिकेशन-लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली के जरिये संपन्न किया जाता है, जिसे लेखापरीक्षा इकाइयों के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालनों की निगरानी हेतु तत्काल आधार पर एक्सेस किया जाता है. आईएडी (i) धोखाधड़ी निगरानी समूह (ii) सतर्कता प्रणाली (iii) स्टाफ जवाबदेही समिति सचिवालय (iv) लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) और (v) वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी कार्य का भी प्रबंध करता है.

उपयुक्त रूप से अर्हता प्राप्त और कौशलपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य जहां कहीं भी आवश्यक हो परिचालनगत प्रक्रियाओं और सेवा गुणवत्ता में सुधार हेतु शिफ़ारिशें भी करता है और प्रबंधन को समय रहते ही फीडबैक उपलब्ध कराता है ताकि सुधारात्मक कारवाई की जा सके.

लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर)

लेखा परीक्षा विभाग सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा (एसबीए) और बैंक की शाखाओं के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) को अंतिम रूप देने के लिए संकलित और साझा करता रहा है. शाखाओं द्वारा जानकारी/डेटा इनपुट करने और प्रधान कार्यालय में एससीए द्वारा उपयोग के लिए समेकित रिपोर्ट जेनरेट करने हेतु आईएडी द्वारा एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित कर लागू की गई है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (इफको-एफआर)

लेखा परीक्षा विभाग (i) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता; और (ii) ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता तथा सभी सक्रिय मुद्दों को समय पर और प्रभावी रूप से बंद करने की सुनिश्चितता सत्यापित करने

के प्रयोजन से नियुक्त किए गए बाहरी परामर्शदाता द्वारा चिन्हित किए गए जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स के परीक्षण के लिए समन्वय व पर्यवेक्षण कर रहा है. संबंधित कार्यकलापों को नियमित आधार पर सुग्राही बनाया जा रहा है ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी सक्रिय मुद्दों को बंद करने के प्रयास में नियंत्रणों के लिए पर्याप्त जांच की गई है.

सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा

सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नए पहल कार्य शुरू किए गए जिसमें लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र के विस्तार सहित अन्य बातों के साथ-साथ बढ़ती साइबर सुरक्षा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा के कवरेज की लेखापरीक्षा का कार्य शामिल है. इसके अलावा लेखापरीक्षा योजना में लेखापरीक्षा इकाई के अंतराल को नियत करने के लिये टियर आधारित एप्लिकेशनों पर विचार किया गया ताकि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किये जा सके. लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को बंद करने के लिये निगरानी प्रक्रिया को मजबूत किया गया और समय-समय पर उच्च प्रबंधन तंत्र को इसकी स्थिति से अवगत कराया गया.

आईएस लेखापरीक्षा के दौरान टिप्पणियों/सिफ़ारिशों संबंधी सुझावों ने आईटी प्रणालीगत नियंत्रणों की प्रभावोत्पादकता और सक्षमता को बढ़ाया है ताकि वे प्रबंधन को इस संबंध में उपयुक्त आश्वासन दे सकें कि बैंक में कारोबारी/परिचालनगत प्रक्रियाओं सहित नियोजित आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर सूचना प्रणाली अपने ध्येय को प्रभावी रूप से पूरा करते हैं तथा आईटी प्रणालियों में जोखिमों का पूर्ण समाधान कर लिया गया था अथवा वे स्वीकार्य सीमाओं के भीतर थे.

ऑफसाइट निगरानी प्रणाली (ओएमएस)

ऑफ साइट निगरानी प्रणाली (ओएमएस) शाखाओं और नियंत्रणाधीन कार्यालयों को दैनंदिन परिचालनों में वर्तमान नीतियों/प्रक्रियाओं से विचलन होने पर सावधान करने तथा उनमें तत्काल सुधार/अनुपालन करने का एक महत्वपूर्ण साधन है. मौजूदा ऑफ साइट निगरानी प्रणाली अपवाद नियमों पर संबंधित वर्टिकलों के साथ चर्चा कर वार्षिक समीक्षा की गयी. प्राप्त फीडबैक/सुझावों और आंतरिक समीक्षा के आधार पर ऑफ साइट निगरानी प्रणाली को मजबूत करने हेतु विभिन्न श्रेणियों में छह नए नियम शामिल किए गए जबकि 12 वर्तमान नियमों में संशोधन किया गया.

समवर्ती लेखापरीक्षा

समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) प्रणाली अनियमितताओं/चूकों का पता लगाने के लिए बैंक की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडबल्यूएस) का भाग है जो जोखिमों को नियंत्रित रखने में आंतरिक और विनियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघनों की रोकथाम करने और धोखाधड़ी वाले लेनदेनों को रोकने में सहायता करती है. समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली दरअसल एक नियंत्रण प्रक्रिया है जो मजबूत आंतरिक लेखांकन प्रणालियों और प्रभावी नियंत्रणों की स्थापना हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारतीय रिज़र्व बैंक के सम्बद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा शाखाओं/ अन्य गैर शाखा इकाइयों जैसे ट्रेज़री, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई (सीपीयू) और खुदरा आस्ति केन्द्रों (आरएसी) में की जाती है, जिनकी पहचान जोखिम बोध और कारोबार की मात्रा के आधार पर होती है. इसके अलावा, प्रधान कार्यालय के अभिनिर्धारित कार्यपरक प्रभागों की भी समवर्ती लेखापरीक्षा होती है तथा सभी व्यापार वित्त केंद्रों को समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है. बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित समवर्ती लेखापरीक्षा नीति के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा को रिज़र्व बैंक द्वारा जमाओं के न्यूनतम 50% और अग्रिमों के न्यूनतम 50% को कवर करने संबंधी मानदंड की तुलना में बैंक की जमाओं के 70% और अग्रिमों के 70% भाग को कवर करना आवश्यक है. तदनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीए के अंतर्गत लगभग 767 लेखापरीक्षित इकाइयां (रिटेल व कॉर्पोरेट शाखाएं, आरएसी, ट्रेड फ़ाइनेंस केंद्र, करेंसी चेस्ट, ऋण समाधान केंद्र, गैर शाखा खंड आदि) कवर की गईं और इसके लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों की सेवाएं ली गई थीं. रिपोर्ट की गुणवत्ता तथा समय पर प्रस्तुति हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन पर अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय और कॉर्पोरेट सेंटर लगातार गहन निगरानी रखते हैं.

ऋण लेखापरीक्षा

आपके बैंक ने वार्षिक आधार पर चुनिंदा खातों की विस्तृत समीक्षा के लिए ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली कार्यान्वित की है. निम्नलिखित परिभाषित मानदंडों के आधार पर समीक्षाधीन अवधि के दौरान मंजूर किए गए नए प्रस्तावों में से उधारकर्ता खाते ऋण लेखापरीक्षा के लिए अभिनिर्धारित किए जाते हैंः (i) कार्यकलाप के आकार के आधार पर निर्दिष्ट सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक की मंजूरी सीमा वाले सभी नए प्रस्ताव (संवितरण की तारीख से 3-6 महीने के अंदर) और सीमाओं के नवीकरण/नवीकरण-सह- वृद्धि के प्रस्ताव; (ii) बचे हुए प्रस्तावों में से बिना किसी क्रम से चुने गए (5%) प्रस्ताव; (iii) निवेश ग्रेड से नीचे (यदि वित्तीय वर्ष के दौरान निवेश ग्रेड से परिवर्तित हुए हों); और (iv) कार्यकलाप के आकार के आधार पर निर्दिष्ट सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक की मंजूरी सीमा वाले अधिग्रहण संबंधी मामले.

छानबीनपरक लेखापरीक्षा अथवा विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षा (आईए/एसआईए)

वर्ष 2020-21 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न शाखाओं/आरएसी में कुल 83 छानबीनपरक लेखापरीक्षा अथवा विशेष छानबीनपरक लेखा परीक्षाएं की गईं. इन एसआईए से प्राप्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों, आईएडी की परामर्शी सूचनाओं और उन पर किए गए सुधारात्मक उपायों की रिपोर्टिंग कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीई) और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को की गई. आईएडी द्वारा की गई जांच, नीतियों, उत्पाद संबंधी दिशानिर्देशों, कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं में प्रणालीगत सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और नियंत्रणों की बहाली तथा शाखाओं की बेहतर समग्र निगरानी सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं. आईए/एसआईए

द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रारंभिक संकेतकों ने अंचल कार्यालयों को समय पर वसूली/कानूनी कार्रवाई आरंभ करने में तथा खातों को एनपीए बनने से रोकने में सहायता की.

एसआईए/आईए से सामने आई चूक/कमियों को शाखाओं और साथ ही नियंत्रण इकाइयों के साथ साझा किया जाता है ताकि ऐसी चूक की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और न केवल शाखा स्तर पर बल्कि पर्यवक्षीय स्तर पर अनुपालन प्रक्रिया को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके.

धोखाधड़ी निगरानी

आपके बैंक ने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) के अंतर्गत एक समर्पित धोखाधड़ी निगरानी समूह (एफ़एमजी) के माध्यम से धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था कार्यान्वित की है. धोखाधड़ी निगरानी समूह धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपराचारात्मक कार्रवाइयों की प्रभावोत्पादकता की भी समीक्षा करता है और साथ ही इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक परामर्श देता / परिपत्र भी जारी करता है. इस प्रकार की कार्रवाई में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाना और आवश्यकता आधारित उपचारात्मक उपाय लागू करना शामिल है. धोखाधड़ियों का समयपूर्व पता लगाने, उनकी रोकथाम करने, रिपोर्टिंग, निगरानी और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विस्तृत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित की गई है. धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी के मामलों की समय सीमा के अंतर्गत रिपोर्टिंग हेतु विभिन्न आंतरिक परिपत्र जारी किए गए जिनमें रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की समय पर रिपोर्टिंग करने के महत्व को दोहराया गया.

आपके बैंक ने धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए ₹ 1 करोड़ और उससे ऊपर के सभी ऋण और बंधक संबंधी दस्तावेजों की विधिक लेखा-परीक्षा /सम्यक जांच-पड़ताल करता है और लेखापरीक्षा संबंधी अपनी टिप्पणियों को संबन्धित टीमों/ वर्तिकलों/विभागों के साथ साझा करता है ताकि विधिक लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयी कमियों /विसंगतियों को नोट किया जाए और बैंक के हितों की रक्षा करने के लिये सुधारात्मक उपायों के संबंध में अपेक्षित मार्गदर्शन भी देता है.

अप्राधिकृत इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग लेन-देन (यूईबीटी) के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति ने अंचल परिचालन प्रबन्धकों को ₹ 2 लाख की डीओपी निर्धारित की है ताकि वे उपयुक्त मामलों में शीघ्रता से शैडो क्रेडिट उपलब्ध करा सकें.

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक में धोखाधड़ी प्रबंधन समूह (एफआरएमजी) है जो उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित रखता है और ईएफआरएमएस प्रणाली के जरिये नियमों को तैयार कर विभिन्न प्रणालियों द्वारा किए गए संदिग्ध लेन-देनों पर निगरानी रखता है. मोबाइल और रिटेल नेट बैंकिंग के लिये अनुकूल प्रमाणीकरण समाधान का कार्यान्वयन का कार्य पूरा हो चुका है और आपका बैंक कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग के समाधान के कार्यान्वयन को पूरा करने के अग्रिम चरण में है. वर्ष के दौरान आपका बैंक डेबिट कार्ड के संदिग्ध लेन-देनों नेटवर्क टूल के जरिये 24x7 आधार पर निगरानी रख रहा है और बैंक ने इस चैनल को कवर करने के लिये अपनी ईएफ़आरएमएस प्रणाली भी आरंभ की है. आपका बैंक क्रेडिट कार्ड लेन-देनों को कवर करने के लिये ईएफआरएमएस समाधान के कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है. बैंक वेंडरों द्वारा उपलब्ध कराये गए निगरानी तंत्रों का प्रयोग कर मर्चेंट संस्थापना (एमई) लेनदेन पर भी निगरानी रखता है और प्रायोगिक आधार पर नेटवर्क टूल का प्रयोग कर यूनीफाईड पेमेंट इंटरफ़ेस पर निगरानी रखना भी आरंभ किया है.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में पूर्ण रूप से गठित सतर्कता विभाग परिचालनरत है जिसके विभागाध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं. आपके बैंक ने अंचल स्तर पर सतर्कता गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने और बेहतर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अंचल सतर्कता ढांचे को गठित किया है.

आपके बैंक के सीवीओ द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यकलापों का व्यापक कार्यक्षेत्र/ दायरा है तथा इसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गये अथवा संभवतः किए जाने वाले भ्रष्ट कार्यों के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्रित करना शामिल है. सीवीओ, बैंक के सतर्कता मामलों से संबंधित सभी कार्यों को करते/ देखते हैं जिनमें (i) सतर्कता मामलों पर कार्यवाही करना, सतर्कता इंगित करने वाली और सत्यापन किए जाने लायक आरोपों से संबद्ध शिकायतों की जांच करना; (ii) छानबीन रिपोर्टों पर कार्यवाही करना जिन्हें आगे अनुशासनात्मक प्राधिकारी के विचारार्थ भेजा जाए; (iii) जहां कहीं भी आवश्यकता हो मामलों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को उनके विचारार्थ/ सूचना हेतु भेजना; (iv) भ्रष्टाचार/ कदाचार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना और; (v) विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय और संपर्क करना शामिल हैं.

आपके बैंक के इंट्रानेट पर सतर्कता विभाग का समर्पित वेबपेज है जिस पर विभाग के कार्यों की जानकारी, बैंक की सभी शाखाओं/ कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाने वाले सीवीसी के मानक नोटिस के प्रारूप, सीवीसी व सीवीसी के मुख्य तकनीकी निरीक्षक संगठन (सीटीईओ) द्वारा तथा आपके बैंक द्वारा समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण परिपत्र/ दिशानिर्देशों और निवारक सतर्कता के लिए 'क्या करें और क्या न करें' जैसी जानकारी दी गई है. इससे आपके बैंक को अपने अधिकारियों के बीच सतर्कता जागरुकता के स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है.

सतर्कता कार्य में *'निवारक सतर्कता'* और *'दंडात्मक सतर्कता'* दोनों अंश शामिल हैं. निवारक सतर्कता एक सतत प्रक्रिया है जो मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के प्रयास द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि सेट प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, विवेक का कम उपयोग किया जा रहा है,

और सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों के साथ-साथ बैंक के हितधारकों के बीच जागरूकता लाना सुनिश्चित करता है.

आपके बैंक द्वारा अपनाए गए कुछ सतर्कता निवारक उपायों में विभिन्न शाखाओं में अनाचार, यदि कोई हो, का पता लगाने और स्थापित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अस्पष्ट अनुपालन की जांच हेतु ऑफ़साइट/ औचक सतर्कता दौरे (एसवीवी) तथा स्वतः संज्ञान आधार (स्टाफ/ बाह्य तत्वों द्वारा किसी भी संदिग्ध अनुचित कार्यों की जानकारी प्राप्त होने पर) पर निरीक्षण करना शामिल है. इसके अलावा, बैंक अधिकारियों के आस्ति व देयताओं की विवरणियों (एआरएएल) की जांच, बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों आदि की जांच भी सतर्कता विभाग द्वारा किए जाते हैं.

भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों के तहत साथ ही साथ सीवीसी के निदेशों द्वारा जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, आपके बैंक ने 27 अक्टूबर 2020 से 02 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2020 को *'सतर्क भारत, समृद्ध भारत'* विषय के रूप में मनाया था. इस अवसर पर, आपके बैंक ने स्टाफ के सदस्यों के लाभ के लिए एक विशेष ई-पत्रिका जारी की और स्टाफ सदस्यों तथा उनके बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे लेख-लिखना, ऑनलाइन क्विज़, कॉइन-ए-कैप्शन, हास्य-चित्र आदि जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया. इसके अतिरिक्त, फील्ड अधिकारियों के लाभ हेतु टेंडरिंग/ ई-टेंडरिंग पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया. आम जनता/ नागरिकों के बीच जागरुकता फैलाने के लिए, आपके बैंक के अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं और अन्य ग्राहक-संपर्क प्लेटफॉर्मों पर प्रमुख स्थानों पर वीएडब्लू 2020 बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए.

विनियामकीय अनुपालन

आपका बैंक आंतरिक नियंत्रणों की संरचित प्रणाली और विभिन्न स्तरीय समीक्षा के ज़रिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य विनियामक/ सांविधिक निकायों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. कार्यपालक निदेशक पद के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के रूप में नामित एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में स्थित अनुपालन विभाग संचालित होता है. विभाग सभी वैधानिक और विनियामक दिशानिर्देशों के प्रसार और आंतरिकीकरण का समन्वय करता है. आपके बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक अनुपालन नीति लागू की है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. आपके बैंक में अनुपालन कार्य के संबंध में प्रत्येक टियर के लिए भूमिका व जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है. बोर्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों / एजेंसियों से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं / दिशानिर्देशों के संबंध में मासिक अंतराल से अवगत कराया जाता है. आपके बैंक ने *'सर्मो+'* नामक उन्नत तकनीकी एप्लिकेशन के कार्यान्वयन द्वारा निचले स्तर तक आंतरिक अनुपालन पद्धति को मजबूत बनाया. आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की जाने वाली अनुपालन रिपोर्टिंग प्रणाली को भी स्वचालित कर दिया है जिससे समय पर अनुपालन प्रस्तुति और उपयुक्त डेटा प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

आपके बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों का त्वरित उत्तर देने के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए हैं. इसके अलावा, सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने और उन्हें नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने असंतुष्ट आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य महा प्रबंधक श्रेणी के एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक श्रेणी का एक पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किया गया है. बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है. आपके बैंक ने भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.gov.in) के साथ भी संबद्धता स्थापित की है जिसके ज़रिए नागरिक आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकते हैं और अपील दायर कर सकते हैं.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपके बैंक ने भारत सरकार के निदेशों के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा अधिनियम व नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु संगठित प्रयास किए. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके बैंक के सभी वर्टिकलों, विभागों, अंचल कार्यालयों और शाखाओं द्वारा नियमित रूप से विशेष प्रयास किए गए. बैंक की वेबसाइट पर आपके बैंक के उत्पादों एवं योजनाओं के बारे में हिन्दी में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए वर्ष के दौरान अपने प्रयास निरंतर जारी रखे. आपके बैंक के मोबाइल एप्लिकेशन जैसे अभय, पेएप्ट और एमपासबुक हिंदी का विकल्प प्रदान करते हैं. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा डिजिटल बैंकिंग से संबंधित विभिन्न अभियान हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किए गए. ग्राहकों को सूचना देने के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर, बैनर तथा अन्य तथ्यपरक सामग्रियों को हिंदी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रदर्शित किया गया. भारत सरकार की प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं जैसे - अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) आदि से संबंधित प्रचार अभियानों में हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया.

आपके बैंक ने दैनंदिन कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अपने इंट्रानेट पर द्विभाषी रूप में टेम्पलेट पत्र, फॉर्म, शब्दकोश, नोटिंग और अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री अपलोड की है. कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने हेतु स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गईं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. आपके बैंक के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपके बैंक द्वारा सभी क्षेत्रों में राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न अपेक्षाओं और हिंदी यूनिकोड के प्रयोग से स्टाफ सदस्यों को परिचित कराया गया. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अपनाए गए सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने अपने अधिकांश राजभाषा कार्यक्रमों, बैठकों, कार्यशालाओं, निरीक्षणों आदि का आयोजन ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया.

आपका बैंक का प्रयास दैनंदिन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है और इसके कारोबार की विभिन्न मंचों पर प्रशंसा हुई है तथा वर्ष के दौरान पुरस्कार भी प्राप्त हुए है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आपके बैंक की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका *'विकास प्रभा'* को वर्ष के दौरान एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स (एबीसीआई) द्वारा तीन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. जब कि बैंक ने *'आंतरिक पत्रिका'* श्रेणी में गोल्ड ट्राफी प्राप्त की, इसने *'विशेष कॉलम (भाषा)'* में रजत तथा *'फीचर्स (भाषा)'* श्रेणी में कांस्य जीता.
- भारत सरकार के राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने अपने निरीक्षणों के दौरान आपके बैंक में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की सराहना की.

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन

अपने सभी हितधारकों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने की अपनी परिकल्पना को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और *अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संचालित* वित्तीय समाधानों के व्यापक समूह पर जोर दिया है.

आपके बैंक के पास एक समर्पित 24x7 ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी) है, जो सीबीडी-बेलापुर, नवी मुंबई और हैदराबाद में स्थित है, ताकि ग्राहकों के प्रश्नों का समाधान और विभिन्न चैनलों से प्राप्त ग्राहक शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा सके. हमारे ग्राहकों की विविधता का सम्मान करते हुए और उन्हें स्वीकार कर उनके साथ संवाद को निजीकृत करने का प्रयास के उद्देश्य से हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, ग्राहक सेवा केंद्र 10 क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान करता है. विविध और अनगिनत ग्राहक सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, ग्राहक सेवा केंद्र कारोबार सृजन गतिविधियों को सक्रिय रूप से करता है और आपके बैंक के वसूली प्रयासों को सुविधाजनक और पूर्ण भी करता है. प्रासंगिक बने रहने और तेजी से बदलते माहौल में अपने आप को ढालने और ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिए आपका बैंक समय-समय पर अपनी नीतियों जैसे ग्राहक सेवा नीति, शिकायत निवारण नीति और ग्राहक अधिकार नीति की समीक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां अद्यतन घटनाक्रम के अनुरूप हैं. ग्राहकों की शिकायतों का उचित और समय पर निवारण और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चत करना बैंक का मूल ध्येय है. ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक बोर्ड-अनुमोदित शिकायत निवारण नीति कार्यान्वित की है जो शिकायत समाधान और ग्राहक सेवा सुपुर्दगी के प्रति इसके दृष्टिकोण को दर्शाती है. सभी चैनलों से प्राप्त शिकायतों पर इस नीति के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है जिसमें एक समय-आधारित एस्केलेशन मैट्रिक्स भी शामिल है जिसके तहत यदि शिकायत का समाधान एक तय समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसे अगले उच्च अधिकारी के पास प्रेषित कर दिया जाता है. इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने अपने 12 अंचल कार्यालयों में से प्रत्येक में शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) और प्रधान कार्यालय में एक प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) को पदनामित किया है. इसके अलावा, आंतरिक लोकपाल योजना 2018 के अनुसार, ऐसी शिकायतें, जिन्हें बैंक अस्वीकार करने /आंशिक रूप से समाधान करने का प्रस्ताव करता है, उन्हें ग्राहक को जवाब देने से पहले आंतरिक लोकपाल (आईओ) के पास भेज दिया जाता है. बैंक की अपनी मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) है, जो प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने, निगरानी और उनका समय पर समाधान करती है. विभिन्न ग्राहक संपर्क बिन्दुओं और नियामकों से प्राप्त शिकायतों की प्रविष्टि इस सिस्टम में की जाती है और एक एसएमएस के माध्यम से ग्राहक को इसकी सूचना भेजी जाती है. इस सिस्टम में पूर्व-निर्धारित टर्नएराउंड टाइम (टीएटी) के अनुसार ऑटो अलर्ट तंत्र सहित इनबिल्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स है. ग्राहक बैंक के वैबसाइट/ नजदीकी शाखा/ संपर्क केंद्र के माध्यम से अपनी शिकायत की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकता है. शिकायत समाधान में विलंब के मामले में, बैंक एसएमएस अलर्ट के जरिये ग्राहक को इसकी सूचना देता है. इसके अलावा अनधिकृत इलेक्ट्रानिक बैंकिंग लेन-देनों को रोकने/कम करने के लिए आपके बैंक के पास ऐसे कई विभिन्न माध्यम हैं जिनके द्वारा ग्राहक ऐसे लेन-देनों की रिपोर्ट तत्काल और 24x7 आधार पर कर सकता है. सुविधाजनक बैंकिंग के अपने प्रयासों और ग्रीन पहल के अंतर्गत बैंक ने विभिन्न चैनलों जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पोंस (आईवीआर) के जरिए डेबिट कार्ड पिन सृजन की सुविधा दी है ताकि इससे ग्राहकों को बेहतर सहूलियत हो सके.

आपके बैंक ने ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) एवं बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) जैसी वरिष्ठ स्तर की दो समितियां स्थापित की हैं, जो हर तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करती हैं. ये समितियां बैंक के विभिन्न चैनलों द्वारा ग्राहकों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के फीडबैक की समीक्षा करती हैं. ये समितियां ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों और फीडबैक की भी समीक्षा करती हैं और इनके समाधान में तत्परता के लिए आवश्यक निर्देश भी प्रदान करती हैं और ग्राहक सेवा सुधार की प्रक्रिया में बदलाव भी करती हैं.

आपका बैंक नियमित आधार पर ग्राहक से फीडबैक प्राप्त करता है तथा ग्राहकों की खुशी के लिए प्रक्रियाओं/उत्पादों में सुधार हेतु इसका प्रयोग करता है. बैंक वार्षिक आधार पर जमाकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण भी करता है और निष्कर्षों का

मूल्यांकन कर इससे प्राप्त जानकारी का उपयोग उत्पाद/ प्रक्रिया/ सिस्टम में सुधार के लिए करता है. अपने ग्राहकों को दी गयी ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आपका बैंक सभी शाखाओं में गुप्त खरीददारी कार्यकलाप भी आयोजित करता है.

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राहक सेवा के क्षेत्र में कई पहल कार्य किये हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **डोरस्टेप बैंकिंग:** बैंक 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग जनों को डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है. इन सेवाओं में नगदी पिक-अप और डिलीवरी करना, लिखत / एनईएफटी/ आरटीजीएस अनुरोध पिक-अप, मांग ड्राफ्ट (डीडी) / जमा प्रमाणपत्र/ चेक बुक की सुपुर्दगी और केवाईसी दस्तावेजों और जीवन प्रमाणपत्र की प्रस्तुति शामिल है.
- **पुन: -केवाईसी के लिए ऑनलाइन सुविधा:** कम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में जहां उनकी पहचान और पते की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, आरबीआई इस आशय के लिए स्व-प्रमाणन को पुन:-केवाईसी के रूप में पर्याप्त होने की अनुमति देता है. उपर्युक्त के अनुपालन में, आपके बैंक ने ऐसे कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए समय-समय पर पुष्टि और केवाईसी के अद्यतन के लिए अतिरिक्त सुविधाएं अर्थात् बैंक से प्राप्त एसएमएस या ई-मेल लिंक के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं.
- **संपर्क केंद्र के माध्यम से विवरण के विकल्प के लिए अनुरोध:** जिन ग्राहकों ने खाता खोलने के समय पासबुक का विकल्प चुना था, लेकिन ईमेल विवरण मोड पर माइग्रेट करना चाहते हैं, उन्हें इस अनुरोध के लिए शाखा में जाना आवश्यक था. ग्राहक को और अधिक सुविधा देने के लिए, यदि ग्राहक की ई-मेल आईडी बैंक के रिकॉर्ड में अद्यतित है, तो आपका बैंक संपर्क केंद्र के माध्यम से ई-मेल विवरण मोड में माइग्रेशन का अनुरोध करने की सुविधा प्रदान करता है.
- **व्हाट्सएप बैंकिंग:** बैंकिंग अनुभव को 24x7 सुचारू बनाने के लिए, आपके बैंक ने 13 अक्टूबर 2020 को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है, जिसमें खाता शेष पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, शाखा / एटीएम लोकेटर, ब्याज दरें, चेक बुक और ई-मेल स्टेटमेंट अनुरोध जैसी सेवाएं शामिल हैं.
- **वीडियो केवाईसी (वी-केवाईसी) सुविधा:** ग्राहक को बैंक की किसी भी शाखा में गए बिना या व्यक्तिगत रूप से बैंक के किसी कर्मचारी से मिले बिना ही वीडियो केवाईसी (वी-केवाईसी) के माध्यम से खाता खोलने की अनुमति होगी. इस सुविधा के तहत आपका बैंक अपने कर्मचारिके साथ लाइव विडियो सत्र के जरिए पूर्ण केवाईसी खाता खोलने की सहूलियत प्रदान करता है.
- **आई-क्विक खाता खोलने की सुविधा:** बैंक ने नए खातों के लिए आई-क्विक खाता खोलने की सुविधा आरंभ की है, जो लोगों को ग्राहक के पैन और आधार कार्ड को सत्यापित कर संपर्क रहित और कागज रहित मोड के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा देता है. यह प्रतिबंधों सहित सीमित केवाईसी खाता है. ग्राहक को 12 महीनों के भीतर पूर्ण केवाईसी पूरा करने और खाते को किसी भी नियमित स्कीम कोड में अपग्रेड करने की आवश्यकता है.

कॉरपोरेट संप्रेषण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपके बैंक के विज्ञापन प्रयासों में इसकी सकारात्मक, न्यू नॉर्मल में स्थिर छवि को बनाए रखने और अपने उत्पादों और सेवाओं के रिकॉल मूल्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विज्ञापन और प्रचार संबंधी पहल कार्यों में आवास ऋण, ऑटो ऋण जैसे प्रमुख खुदरा उत्पादों के साथ-साथ आई-क्विक और फास्टैग जैसे नवोन्मेषी उत्पादों की विशेषताओं को उजागर करने वाले अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया था. इन अभियानों में उत्पादों की विशिष्ट विशेषताओं पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया और यह लागत प्रभावी माध्यमों जैसे अस्थायी ओओएच (घर से बाहर) प्रदर्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, रेडियो, आदि द्वारा किए गए. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए सूचना सुरक्षा जागरूकता पर एक छोटा वीडियो-आधारित अभियान चलाया.

विश्वसनीय ब्रांड, रीडर्स डाइजेस्ट 2020 ने आपके बैंक को *'निजी बैंक श्रेणी'* में उपभोक्ता सर्वेक्षण के आधार पर *'ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड'* से सम्मानित किया.

विज्ञापन क्षेत्र की ही तरह आपके बैंक ने जनसंपर्क (पीआर) क्षेत्र में भी कई पहल कार्य किए. आपके बैंक के जन संपर्क अभियानों का उद्देश्य समाचारों के सकारात्मक पहलू को बनाए रखना और मीडिया में बैंक की छवि को बढ़ाने के साथ ही साथ हितधारकों की अनुभूति को सुदृढ़ करना भी था. आपके बैंक को प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और डिजिटल मीडिया में अपने पहल कार्यों के लिए सकारात्मक प्रतिसाद मिला. आपके बैंक ने महामारी प्रभावित अवधि के दौरान त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा के लिए पहली बार सुरक्षित वातावरण में मीडिया के साथ बातचीत के लिए वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट, 'idbibankofficial' के लॉन्च द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया. बैंक ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपनी गतिविधियों को जारी रखा और फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब पर अपने आधिकारिक ब्रांड पेज / हैंडल के माध्यम से संचार किया.

आंतरिक संप्रेषण

आपके बैंक के आंतरिक संप्रेषण का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण गतिविधियों सहित, लेकिन यहीं तक ही सीमित नहीं, विचारों के प्रभावी आदान-

प्रदान पर ध्यान केंद्रित करना था. इससे बैंक के विभिन्न विभागों और शाखाओं के बीच पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित किया गया ताकि कर्मचारियों के बीच सामुदायिक भावना को जागृत किया जा सके और सामूहिक लक्ष्य के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से भरोसे के स्वस्थ संबंध को विकसित किया जा सके.

कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और उनके साथ जुड़ने के लिए विभिन्न पहल कार्य किए गए. इसमें, अन्य बातों के साथ- साथ, बैंक के इंट्रानेट पर शीर्ष प्रबंधन के संदेशो को प्रदर्शित करना और विशेष अवसरों, जैसे - स्थापना दिवस / नव वर्ष / दीपावली आदि पर कर्मचारियों को ईमेलर प्रेषित करना आदि शामिल हैं. अन्य पहेलों में आपके बैंक के डिजिटल समाचार पत्र *'अभ्युदय'* का मासिक परिचालन शामिल था. इसके माध्यम से कर्मचारियों को बैंक की विभिन्न गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया तथा, साथ ही कर्मचारियों को शीर्ष प्रबंधन से संदेश/ मेलर्स भी पहुंचाए गए. आपके बैंक ने एक डिजिटल अवतार के रूप में अपनी त्रैमासिक गृह पत्रिका *'श्री वयम्'* भी प्रकाशित की, जो वर्तमान कर्मचारियों और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न विषयों पर उनके अनुभवों और विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करती है. सोशल मीडिया समुदाय को बड़ा और मजबूत बनाने की दृष्टि से आपके बैंक ने सभी कर्मचारियों के लिए एक कर्मचारी समर्थक कार्यक्रम, *'आईडीबीआई बैंक सोशल मीडिया चैंपियन अभियान'* शुरूकिया.

सूचना प्रौद्योगिकी

विगत वर्ष आपके बैंक ने, न केवल कोविड-19 महामारी के कारण तकनीकी चुनौतियों का सामना किया, बल्कि तकनीकी-आधारित सेवाओं की गति, सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर के उन्नयन और इसके संवर्धन को भी बनाए रखा. आपके बैंक ने अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे को तेजी से जुटाकर नियमित बैंकिंग सेवाओं में महामारी संबंधी बाधाओं का पूर्वानुमान कर उसे कम करने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए अपने घर से ही निर्बाध रूप से अपना कार्य निष्पादन करने में सक्षम बनाया. आपके बैंक की समय पर पहल, जैसे कि अपने कर्मचारियों को लैपटॉप का शीघ्र आबंटन, कर्मचारियों को आधिकारिक ई-मेल उपलब्ध कराना और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नियंत्रण सहित बैंक के सिस्टम का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन)/वर्चुअल डेस्कटॉप इन्फ्रास्ट्रक्चर (वीडीआई) आधारित एक्सेस प्रदान कर यह सुनिश्चित किया गया कि अपने ग्राहकों के पास अत्यावश्यक बैंकिंग सेवाओं और कार्यात्मकताओं की निर्बाध पहुंच हो. आपके बैंक ने ई-टेंडरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस-आधारित बोली प्रक्रियाओं में स्विच ओवर और इसे अपनाते हुए आईटी से संबंधित खरीद में निरंतरता सुनिश्चित की.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक की प्रमुख उपलब्धियों में मुख्य डेटा केंद्र (डीसी) स्थान पर सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) का उन्नयन और चेन्नई में आपदा सुधार (डीआर) स्थान पर एक एसओसी की स्थापना, डोमेन-आधारित संदेश प्रमाणीकरण कार्यान्वयन, ईमेल स्पूफिंग का पता लगाने और रोकने के लिए रिपोर्टिंग और अनुरूपता (डीएमएआरसी) एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, बैंक के सिस्टम के अनधिकृत उपयोग के प्रयासों का पता लगाने, हटाने और उसके रोकथाम के लिए हनी पॉट समाधान के कार्यान्वयन, शाखा नेटवर्क उपकरणों/लिंक्स पर केंद्रीकृत निगरानी और उससे संबन्धित मुद्दों के समाधान को सक्षम करने के लिए एक एंटरप्राइज नेटवर्क मॉनिटरिंग सॉल्यूशन (ईएनएमएस) का कार्यान्वयन, उच्चतम शुद्धता के साथ नेटवर्क में कंप्यूटर घड़ी के समय के सिंक्रनाइज़ेशन के लिए सैटेलाइट/जीपीएस आधारित नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (एनटीपी) समाधान का कार्यान्वयन और उन्नयन विनियामक अनुपालन और बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त करने के लिए बैंक का एटीएम स्विच संस्करण शामिल है. एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू) परियोजना के तहत, विभिन्न ऋण उत्पादों के लिए एनपीए पूर्वानुमान, कृषि/ एमएसएमई के पोर्टफोलियो के लिए मंथन पूर्वानुमान, क्रॉस-सेल/अप-सेल मॉडल, ग्राहक प्रोफाइलिंग और विभाजन, आदि के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक / पूर्वानुमान वाले मॉडल बनाए गए थे. इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न कारोबारी कार्यों के लिए डेटा सेट बनाए गए, जिससे वे चलते-फिरते वांछित रिपोर्ट बना सकते हैं.

एप्लिकेशन नवोन्मेष डोमेन के भीतर, आपके बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने के लिए विभिन्न लिनक्स और विंडोज आधारित एप्लिकेशनों को आरंभ किया है. इन एप्लिकेशनों में वीडियो केवाईसी खाता खोलना (वीएओ) शामिल है, जिसमें ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार सीधे अपने घर या कार्यालय से बिना कोई भौतिक फॉर्म भरे या बिना किसी शाखा में गए, बैंक में अपना बचत खाता खोल सकते हैं और व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा जो बैंक के ग्राहकों को व्हाट्सएप एप्लिकेशन के माध्यम से विभिन्न आवश्यक बैंकिंग सेवाओं जैसे खाता शेष की जानकारी, अंतिम पाँच लेन-देन का विवरण, ब्याज दरों के साथ-साथ बैंक की आस-पास की शाखाओं/एटीएम के विवरण का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है. आपके बैंक ने पूर्ण रूप से डिजीटल ऋण प्रोसेसिंग प्रणाली (एलपीएस) भी शुरू की है जोकि पूरी तरह से स्वचालित और पूर्ण रूप से एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को विभिन्न एमएसएमई और कृषि ऋण उत्पादों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाता है. इन एप्लिकेशन को न्यूनतम भौतिक हस्तक्षेप से निर्बाध और सीधे तरीके से संसाधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप शीघ्र टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) और महत्वपूर्ण लागत की बचत होगी.

आपका बैंक कई प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों/संवर्द्धन को लागू करने के अग्रिम चरण में है, जिसमें वॉयस वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) और एसएमएस-आधारित ओटीपी के विकल्प के रूप में सॉफ्टवेयर टोकन-आधारित प्रमाणीकरण का कार्यान्वयन, मोबाइल / इंटरनेट बैंकिंग जैसे कारोबार महत्वपूर्ण एप्लिकेशन की सक्रियता से निगरानी के लिए एप्लिकेशन कार्यनिष्पादन निगरानी समाधान का कार्यान्वयन, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), कृत्रिम आसूचना (एआई) जैसे क्षेत्रों में नवोन्मेषण का पता लगाने के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रबंधन (एपीआईएम) का कार्यान्वयन और 24x7 ग्राहक सहायता के लिए चैट बॉट सुविधा और डीसी एवं डीआर दोनों स्थानों पर अगली पीढ़ी के एसओसी के निर्माण के लिए सुरक्षा व्यवस्था, स्वचालन और प्रतिक्रिया (एसओएआर), नेटवर्क व्यवहार विसंगति खोज (एनबीएडी), पैकेट कैप्चर (पीसीएपी), उपयोगकर्ता एवं इकाई व्यवहार विश्लेषण (यूईबीए) और आशंका आसूचना प्लेटफ़ार्म (टीआईपी)

जैसे नयी पीढ़ी सुरक्षा तकनीकियों की उपयोगिता की खोज का कार्यान्वयन शामिल है.

डेटा शोधन और संवर्धन के क्षेत्र में, आपके बैंक ने स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ़) एप्लिकेशन को सफलतापूर्वक लागू किया और भौतिक हस्तक्षेप को हटाते हुए रिटर्न सृजन की प्रक्रिया को लगातार परिष्कृत कर रहा है. आरबीआई ने विनियामक प्रस्तुतियों के लिए सिस्टम-से-सिस्टम दृष्टिकोण के माध्यम से बैंकों के डेटा को एकत्रित करने के लिए एकल रेपोजिटॉरी बनाने के उद्देश्य से केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) आरंभ की है. आपका बैंक आरबीआई द्वारा लिए गए 45 रिटर्न के एडीएफ आउटपुट को एक्सबीआरएल फॉर्मेट में बदलने की प्रक्रिया में है. आपके बैंक ने अत्याधुनिक उद्यम-व्यापी डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू) के निर्माण द्वारा समर्थित डेटा-अनुकूल निर्णय लेने वाले संगठन होने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की है. ईडीडब्ल्यू के भाग के रूप में, आपके बैंक ने (i) 150 से अधिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तथा डैशबोर्ड को हैंडहेल्ड डिवाइस पर सक्रिय करके शीर्ष प्रबंधन के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया है, (ii) 600 से अधिक रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाए हैं जो बैंक भर में विभागों के पास उपलब्ध हैं, (iii) यात्रा के दौरान फील्ड अधिकारियों के लिए ग्राहकों की जानकारी एक्सेस करने हेतु उनके डेस्कटॉप और मोबाइल पर 360° ग्राहक व्यू के साथ-साथ ग्राहक संपर्क प्रबंधन (सीआरएम) जारी किया है. आपके बैंक ने निर्णय लेने के लिए उपलब्ध डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ईडीडब्ल्यू परियोजना के अंतर्गत *आईक्लीन* नामक एक केंद्रीकृत डेटा-क्लींजिंग एप्लिकेशन की शुरुआत की है जो अनुचित /अवैध महत्वपूर्ण डेटा तत्वों की पहचान करता है और उन त्रुटियों को सुधारने के लिए एक सरल इंटरफ़ेस प्रदान करता है. विपणन अभियान अब केंद्रीकृत सीआरएम प्रणाली के माध्यम से चलाए जा रहे हैं. चूक होने वाले उधारकर्ताओं को अब पूर्वानुमानीय एनालिटिक्स के माध्यम से पहचाना जा रहा है और न्यूनतम गिरावट सुनिश्चित करने के लिए उनका पालन किया जा रहा है. इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ईएएसई सुधार के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ग्राहक सेवा चैनल, एसएमएस बैंकिंग और मिस्ड कॉल बैंकिंग सहित सभी चैनलों के माध्यम से डिजिटल पहल को आपके बैंक में सीआरएम एप्लिकेशन के जरिये कार्यान्वित किया गया है. आपके बैंक के पास डेटा एनालिटिक्स के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र है, जो कारोबारी क्षेत्रों, निर्णय रणनीतियों, पूर्वानुमान मॉडल और रूल इंजनों के लिए काम करता है. आपका बैंक आनेवाले ग्राहकों, ग्राहकों के सूक्ष्म विभाजन, उनके व्यावहारिक स्वरूप, सुचारु और निर्बाध लेनदेन, व्यय-व्यवहार, जोखिम पोर्टफोलियो आदि की गहरी अंतरदृष्टि के लिए प्रौद्योगिकी और एनालिटिक्स को उन्नत करता रहा है ताकि इसके डिजिटल प्रभाव को बढ़ाया जा सके और इसके डिजिटल अभियान को अधिक प्रभावी, तीव्र एवं किफायती बनाया जा सके. पूर्वानुमान मॉडल, बकाया भुगतान क्षमता के संबंध में उधारकर्ताओं के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में आपके बैंक की मदद कर रहे हैं. अत्याधुनिक एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए, आपका बैंक एनालिटिक्स-आधारित पूर्व-अर्हता और पूर्व-अनुमोदित प्रस्ताव पेश कर रहा है. आपका बैंक कारोबार क्षमता और ऋण जोखिम का विश्लेषण-आधारित मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है. संविभाग गुणवत्ता सूचकांक आपके बैंक को केंद्रित दृष्टिकोण के साथ वास्तविक समय के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद करेगा.

केंद्रीकृत परिचालन

आपके बैंक के पास एक केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई (सीपीयू) है जहां विभिन्न परिचालनगत गतिविधियां होती हैं जैसे मीयादी जमाराशियों के ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस), नगदी आहरण एवं उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत टीडीएस, जमा शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ़), डेबिट कार्ड/ प्रीपेड कार्ड/ पिन मेलर/ चेक बुक /वेल्कम किट/ खाता विवरण तथा ग्राहकों की अन्य सुपुर्दगियों की प्रस्तुति और वितरण. सीपीयू केंद्रीकृत रूप से बैंक के इंटरनेट बैंकिंग संचालन का कार्य भी देखता है. डीमैट खाता खोलने, अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (अस्बा), सिंडिकेट अस्बा और प्रतिभूति पर ऋण (एलएएस) आदि जैसे परिचालन सीपीयू में केंद्रीकृत हैं. अन्य बैंकों के साथ वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) सामंजस्य और समन्वय का कार्य सीपीयू द्वारा नियंत्रित किया जाता है.

इसी प्रकार, आपके बैंक की छह क्षेत्रीय प्रोसेसिंग इकाइयाँ (आरपीयू) हैं जो बचत बैंक खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाते खोलने और रखरखाव जैसी गतिविधियों को देखती हैं. उक्त आरपीयू वर्तमान में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद में कार्यरत हैं.

इन विविध गतिविधियों का केंद्रीकरण आपके बैंक को टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) घटाने और लागत के युक्तिकरण के साथ-साथ ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए निर्बाध सेवाओं को सुनिश्चित करने में मदद करता है.

खुदरा आस्ति परिचालन

आपके बैंक के पास सीपीयू के अंतर्गत एक खुदरा आस्ति परिचालन (आरएओ) विभाग है जो संरचित खुदरा आस्ति (एसआरए) ऋण खातों और इसके प्रकारों के लिए बैकएंड परिचालन का कार्य देखता है. यह विभाग सभी ऋणोत्तर संवितरण गतिविधियों को संभालता है, जिसमें भौतिक फ़ाइलों की सुरक्षा, प्रलेखीकरण और वित्तीय मापदंडों के लिए फाइलों की जांच और सभी खातों की रखरखाव गतिविधियां शामिल हैं. आपके बैंक द्वारा अपने खुदरा ऋण क्षेत्र पर दिए गए जोर को ध्यान में रखते हुए और साथ ही इसकी बढ़ी हुई मात्रा को संभालने के लिए, बैंक ने दो नए खुदरा आस्ति परिचालन केंद्र खोले हैं और देश के विभिन्न स्थानों पर अन्य तीन खुदरा आस्ति परिचालन केंद्र खोलने की प्रक्रिया जारी है. आपके बैंक ने तेजी से और त्रुटि मुक्त निष्पादन के लिए खुदरा आस्ति परिचालन में कई मौजूदा प्रक्रियाओं को स्वचालित भी किया है.

शाखा परिचालन सहायता एवं नीति

आपका बैंक कर्मचारियों को बैंकिंग परिचालनों, सेवाओं आदि की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनके दैनंदिन परिचालनों के संबंध में ज्ञान प्रदान करने में सबसे आगे है. यह सुनिश्चित करता है कि आपके बैंक के कार्यबल

ने बैंक के सभी हितधारकों को उत्पादों, परिचालनों और सेवाओं पर अद्यतन जानकारी से सेवा प्रदान किया है.

आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुपालन में और अपनी सभी शाखाओं में नोट छँटाई / नोट अधिप्रमाणन करने वाली मशीनें लगाई हैं. वर्ष के दौरान, बैंक ने हुबली में एक नया करेंसी चेस्ट (सीसी) खोला है. इसी के साथ, बैंक के देश भर में 24 सीसी हैं. ये सीसी सभी संबद्ध शाखाओं से प्राप्त नकदी संसाधित करते हैं और एटीएम के माध्यम से तथा शाखाओं के माध्यम से वितरण के लिए स्वच्छ नोट उपलब्ध कराते हैं.

देशी भुगतान तथा विप्रेषण सेवाएं (डीपीआरएस)

आपका बैंक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से कागज-आधारित भुगतान लिखत के भुगतान एवं संग्रह और निधि अंतरण के प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करता है. चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के माध्यम से समाशोधन गतिविधियों के कार्य को संभालने के लिए तीन केंद्रीकृत समाशोधन ग्रिड केंद्र हैं. सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और विप्रेषण सेवाओं की परिचालनगत गतिविधियों का कार्य देखने के लिए मुंबई से एक केंद्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रोसेसिंग केंद्र (ईटीपीसी) कार्य करता है. किसी भी ग्रिड केंद्र या ईटीपीसी में आपातकालीन स्थिति के दौरान निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने के लिए, लागत-प्रभावी कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) लागू की गई है.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

चूंकि आपके बैंक के पिछले तीन वर्षों का औसत निवल लाभ (सीएसआर उद्देश्य के लिए) हानि दर्शाता है, कंपनी अधिनियम, 2013 में दिये गए व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार आपके बैंक को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत किसी भी राशि के व्यय की आवश्यकता नहीं है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक की सभी प्रस्तावित सीएसआर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर शून्य रहा.

Management Discussion and Analysis

Business Environment

The coronavirus pandemic, which initially emerged as a health crisis, translated into a severe economic and social challenge not only over the course of the Calendar Year (CY) 2020 but also continued well into CY 2021 with the emergence of *'second wave'* of the COVID-19 pandemic. Major economies experienced their sharpest deceleration in economic growth during this period. However, proactive measures by the policymakers such as expansionary fiscal policy, use of monetary policy tools to boost liquidity in the financial system, rollout of mass vaccination drive, among others, have aided in abating risks to economic recovery in the near future to some extent.

On the domestic front, the economic impact of the pandemic was apparent in the growth readings. As per the Provisional Estimates of National Income, 2020-21, India's real Gross Domestic Product (GDP) contracted by 7.3% in FY 2020-21 as compared to a growth of 4.0% in FY 2019-20. The Gross Value Added (GVA) at basic price, which captures sectoral performance, also contracted by 6.2% in FY 2020-21 as compared to a growth of 4.1% in FY2019-20 due to contraction in both Industry and Services sector which offset the growth evidenced in the Agriculture sector.

Against this backdrop, the Government of India (GoI) and the Reserve Bank of India (RBI) adopted an all-inclusive and co-ordinated policy approach to address the growth concerns confronting the economy. Various fiscal and monetary measures such as the AatmaNirbhar Bharat Abhiyaan, wide-ranging announcements in the Union Budget 2021-22, accommodative monetary policy stance, deployment of unconventional monetary policy tools, among other measures, have aided in providing the necessary impetus to growth.

Going forward, factors such as strengthening and broad-basing of growth impulses, mass rollout of vaccination programme, sector-specific budget announcements, increase in budgeted capital expenditure, continued thrust on investment in infrastructure sector, etc. are expected to improve India's near-term growth outlook. Additionally, a moderate inflation outlook may enable the RBI to maintain an accommodative policy stance to support growth, mitigate the adverse impact of the pandemic and return the economy to a higher growth path. The need for a concerted policy intervention – both fiscal and monetary – to propel the economy to a higher growth trajectory on a sustainable basis cannot be overstated.

Business Review

The year just past brought about unprecedented challenges across the globe as the effects of the COVID-19 pandemic disrupted not just regular business operations but also everyone's day-to-day lives. Like many other companies across all sectors of the economy, your Bank too felt the impact of the coronavirus pandemic in multiple ways. Despite the challenges that persisted, the Bank continued to forge ahead, and the financial results posted by your Bank are a testimony to its commitment to excellence and the hard work and dedication put in by the Management Team and staff across the board. There were valuable lessons learnt as the year progressed, as everyone at your Bank was forced to change the way things worked. While facilitating remote working for majority of its staff, your Bank strived to maintain highest levels of service quality for its customers, in consonance with its perspective of ensuring the well-being of its stakeholders and their families without compromising on the service standards. The Bank's business continuity protocol were also put to test and the fact that it was business as usual for all our stakeholders bears witness to the robustness of these protocols.

Notwithstanding the changed operating environment, the broad contours of the Bank's business strategy remained similar. Seeking to cement its position as a retail-focussed bank, the Bank continued to strategically augment its business in retail and priority sector segments, even as it pruned its corporate exposure. Accordingly, the Bank undertook initiatives to ensure growth in its Retail, Agri and MSME (RAM) asset book, which are inherently granular in nature, in order to achieve a more stable and diversified asset mix. On the liability front, your Bank focussed on scaling up its low-cost deposit base, i.e. CASA deposits, while reducing reliance on institutional deposits in order to become more competitive by driving down the cost of deposits and cost of funds. The fundamental thought behind the Bank's strategy is to establish a strategic framework that would allow it to expand its business operations in a risk-calibrated and granular manner.

Being in the extremely competitive domain of banking, the Bank has constantly endeavoured to remain relevant. Thus, during the year, the Bank introduced an array of new offerings as well as revamped the existing bouquet of products and services, keeping in view the changing preferences/ priorities of its customer base. Forging strong long-term relationship with its customers has been one of the basic tenets of the Bank's strategy. Towards this end, the Bank has been committed to ensure seamless customer experience by taking steps such as increasing touchpoints, increased digitalisation of processes, adding to the functionality of its mobile/ internet/ phone banking services etc. In terms of physical presence, as

on March 31, 2021, your Bank served its customers through its network of 1,886 branches, comprising 426 branches at metro centres, 464 branches at urban centres, 585 branches at semi–urban centres and 409 branches at rural centres (including 255 Financial Inclusion branches) across India, one overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and one International Banking Unit (IBU) at Gujarat International Finance Tec–City (GIFT), Gandhinagar. Further, the network comprised 3,388 ATMs and 58 e-lounges. Furthermore, the Bank has been leveraging data analytics and Customer Relationship Management (CRM) module to gain better insights into customer requirements to offer customised financial solutions.

Post majority stake acquisition by the Life Insurance Corporation of India (LIC) in January 2019, your Bank has identified specific actionable points and implemented several measures to leverage the potential business synergies between the two entities. This has helped the Bank in garnering business in crucial areas such as low-cost deposit book, viz. CASA book as well as retail asset book. By acting as a Corporate Agent of the LIC, the Bank has been leveraging its distribution channel/ touchpoints to promote the LIC's insurance products as well as to provide collection/ payments related requirements to various offices of the LIC through its branch/ digital channels.

According utmost priority to addressing its asset quality issues, your Bank has been taking various measures to ensure expeditious resolution and recovery of NPAs. Besides setting up two separate verticals, viz. NPA Management Group (NMG) for corporate cases and Retail Collection & Recovery for retail cases, your Bank has also set up a centralised dedicated desk for cases under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) to ensure maximum recovery from the exisiting impaired cases. To ensure better asset quality in future, the Bank has set up a dedicated Credit Monitoring Group (CMG) with the objective of identifying Special Mention Accounts (SMAs), probable Non-Performing Accounts (NPAs) and regular accounts showing Early Warning Signals (EWS) of stress in order to prevent slippage of these accounts into NPA by ensuring intensive follow-up and monitoring of these accounts.

The strategic measures taken by the Bank enabled it to turn around its financials during the year. Consequentially, based on the Bank's commitment to comply with the norms of minimum regulatory capital, Net Non-Performing Asset (NNPA) and Leverage ratio on an on-going basis and its compliance to the parameters defined in the Prompt Corrective Action (PCA) framework, the Reserve Bank of India (RBI), vide its letter dated March 10, 2021, decided to lift the restrictions imposed on the Bank under the PCA framework, subject to certain conditions and continuous monitoring.

The road ahead for the Bank seems promising, albeit still challenging. Your Bank has achieved a growth momentum which must not only be sustained but built further. The exit from the PCA framework has opened up the possibility for the Bank to undertake a wide range of banking activities, which may aid in further boosting its business performance. The Bank has also undertaken organisational restructuring to provide the necessary thrust on critical areas. While the Bank will continue to place emphasis on growing the share of the retail and small & medium-sized enterprises, it may explore avenues to grow the corporate credit book, especially in mid-size units, in a risk-calibrated manner. The Bank remains cognisant of the challenges posed by the COVID-19 pandemic and is continually re-assessing and re-aligning its operational strategies as it continues to serve its customers. Your Bank will continue to accord due importance to ensuring a robust risk management, compliance and corporate governance structure to maintain its reputation and win the trust of all its stakeholders. These strategic endeavours are aimed at helping the Bank to carve a niche for itself as one of the most trusted banks in the banking space. Your Bank believes that commitment and excellence is integral when commencing a journey. The Bank has embarked on a new journey on notional terms as it has exited the PCA framework. The tenacity showed by the Bank over the years is expected to stand it in good stead as it forges ahead on its growth path, based on the foundations of its commitment to its stakeholders and excellence in banking standards.

Retail Banking

Retail Liability Products

Your Bank has undertaken a host of initiatives to digitise all possible customer journeys in response to the changed consumer needs and behaviour, especially in the aftermath of the COVID-19 pandemic.

As part of this endeavour, your Bank has launched WhatsApp banking services, Account Opening/ Re-KYC through Video KYC (VAO) and online account opening through Mobile Application (I-Quick). These Digital-to-Customer (D2C) initiatives are in line with your Bank's vision of completely contactless and paperless modes of banking, which would facilitate the customers to undertake routine transactions remotely without the need to physically visit the branches.

In line with the trend observed in the industry, your Bank continued to rationalise its cost of deposits by effecting progressively downward interest rate revision on savings and term deposits during the year. Your Bank also revised charges for a few facilities offered in savings bank account, current account and overdraft account.

NRI Services

Your Bank offers a wide range of products across the broad spectrum of deposits, investments, remittances and loans services to meet the banking and financial needs of the Indian Diaspora globally. Your Bank continued to undertake product/ process enhancements for boosting its Non-Resident Indian (NRI) business and enhancing remote service delivery in overseas locations.

Your Bank also continued to engage with its NRI clients through the quarterly newsletter, viz. *NRI Sampark,* which showcases its bouquet of products and services.

Retail Assets

Your Bank continues to target a progressively larger retail business portfolio to facilitate a more balanced business mix, in keeping with its intended positioning as a full-service new generation commercial bank. Pursuant to the same, your Bank offers a bouquet of retail asset products primarily aimed to meet the needs of retail customers. Retail asset products on offer include housing loans, Loan Against Property (LAP), personal loans, education loans, auto loans, among others. While these products are periodically reviewed, and modifications/ innovations/ customisations are added to the features of the existing products, the Bank also introduces new products on a regular basis.

Your Bank targeted a moderate growth in retail asset book during FY 2020-21 as a conscious decision with a view to avert any additional stress due to external uncertainties brought about by the COVID-19 pandemic. Accordingly, the Bank registered a Structured Retail Asset (SRA) book growth of around 2.74% on an annualised basis with a Compound Annual Growth Rate (CAGR) growth of 10.99% over the past four years. Your Bank continued to maintain a robust structured retail asset portfolio with minimal slippages.

In order to achieve higher growth in a focussed manner, your Bank has formed a separate SRA vertical. Under the new SRA vertical, the Retail Asset Centres (RACs) will function as dedicated Credit & Operations unit with sales function delinked from the RACs, which will help in ensuring credit quality and improved operational efficiencies.

To meet the challenges posed by pandemic and divergent needs of its customers, your Bank undertook various measures under structured retail asset products, some of which are given hereunder:

- In response to the economic crisis due to the COVID-19 pandemic, the moratorium relief package rolled out by the GoI/ RBI was implemented in true spirit, wherein your Bank granted moratorium to all the eligible SRA term loan customers outstanding as on March 1, 2020, unless a borrower specifically opted out of it. The moratorium for payment of installments was available till August 31, 2020.
- Under the Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) scheme rolled out by the Government, your Bank extended additional funding by way of working capital term loan to MSMEs/ business enterprises and individual borrowers who had availed loans earlier for business purpose.
- In line with the RBI directive, your Bank introduced loan resolution plan for SRA borrowers having financial stress on account of the COVID-19 pandemic.
- In line with *'Housing for All'* initiative of the Government for promoting affordable housing, IDBI Bank extended sudsidy benefit under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) - Credit-Linked Subsidy Scheme (CLSS) to numerous home loan borrowers.

Credit Cards

Your Bank offers five credit card variants under three different network schemes, viz. (i) RuPay Scheme - Winning Select, (ii) Visa Scheme - Royale Signature, Aspire Platinum & Imperium Platinum and (iiii) Mastercard Scheme - Euphoria World. These card variants are targeted at different customer segments depending on their profile and needs.

During the year, your Bank entered into an agreement with LIC Cards Services Ltd. (LICCSL) to launch co-branded credit cards. Various new credit card features were added in the Bank's mobile banking applications, viz. GO Mobile+, Abhay Card Control as well as the credit card net banking facility. To promote the usage of credit cards during the festive season, your Bank had launched Festive Delight campaign during the October 2020-January 2021 period. Your Bank entered into strategic tie-ups with various merchants, viz. Flipkart, Tata Cliq, PayTM Mall, Swiggy, Ease My Trip (EMT), Akbar Travels etc. to extend various discounts and cashback offers to incentivise card usage by the cardholders. In view of the plausible financial stress on its customer base on account of the COVID-19 induced lockdown/ restrictions, your Bank extended the moratorium facility, resolution framework and ex-gratia payment for eligible customers in line with the regulatory and statutory guidelines.

Digital Banking

The COVID-19 pandemic saw an exponential growth in digital banking channels as customers exhibited preference for this mode on account of being contactless and convenient. Your Bank continued to revamp and strengthen its digital infrastructure for smooth, convenient, safe and secure *'Anytime, Anywhere'* banking experience.

Your Bank is committed to significantly promoting and enhancing the distribution of various digital products, viz. debit cards (both physical and virtual), mobile banking, internet banking, Point of Sale (PoS), Digital PoS, internet payment gateway, in line with the DigiDhan Mission of the Government.

During the year under review, your Bank achieved several important milestones. Your Bank saw 42% growth in its digital transactions and 47% growth in the mobile banking users during pandemic.

Your Bank has updated its mobile banking app *'GO Mobile+'* by adding new functionalities such as LIC premium payment, online demat account opening, option of regional languages, introduction of Deals-n-Delight (an online marketplace platform), card-less cash withdrawal, implementation of UPI 2.0 etc.

Your Bank has also enabled additional features in its internet banking facility such as instant online registration for retail users, implementation of positive pay system, round-the-clock RTGS system for corporate customers, online verification of electronic payment advice for Public Financial Management System (PFMS) agencies, e-mandate registration, etc.

Your Bank has successfully launched the National Common Mobility Card (NCMC). Your Bank has also launched virtual debit card on all three card issuance networks, viz. Visa, Mastercard and RuPay.

Your Bank has enabled all cash and gift cards with EMV-chip as well as with PayWave (Tap-n-Go) transaction facility. Your Bank has signed an agreement with LIC Cards Services Ltd. for issuance of co-branded gift cards with the brand name *'Shagun'*.

Your Bank has upgraded its ATM Switch to improve transaction security and faster transaction processing. Also, steps have been taken to rationalise the number of ATMs to maximise interchange income. Further, your Bank has implemented enhanced security measures such as acceptance of EMV chip card, anti-skimming devices, replacement of One Time Combination (OTC) locks and terminal security solution at ATMs.

Third Party Products and Capital Market Products

The Third Party Product (TPD) segment of your Bank offers various value-added products and services to customers, keeping in view their risk profile and financial goals. Since the fee income generated from TPD business is capital-free, this segment is given due emphasis. During FY 2020-21, the Bank launched various campaigns for imparting necessary thrust in enhancing fee income and fostering healthy sales culture. Your Bank has also been working towards promotion and servicing of the GoI bonds, Rural Electrification Corporation of India (REC)/ National Highway Authority of India (NHAI)/ Indian Railway Finance Corporation (IRFC) bonds, Sovereign Gold Bond (SGB) scheme and the New Pension Scheme (NPS).

The major products that are distributed by your Bank include:

- Life Insurance products through its life insurance partners, viz. Life Insurance Corporation of India (LIC) and Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.
- General and standalone health insurance through its channel partners, viz. New India Assurance Co. Ltd., TATA AIG General Insurance and Max Bupa Health Insurance Co. Ltd.
- Mutual Fund through various Asset Management Companies (AMCs) such as IDBI Asset Management Ltd., LIC Mutual Fund Asset Management Ltd., and other Asset Management Companies (AMCs).
- Portfolio Management Service (PMS) for High Networth Individual (HNI) and ultra HNI customers in partnership with IDBI Capital Markets & Securities Ltd. (ICMS).
- Capital market products such as demat account, 3-in-1 account (wherein savings & Demat account are linked to the Online Trading account), 2-in-1 account (savings & Demat account), Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) and Loan Against Securities (LAS).
- National Pension System (NPS)
- Bonds such as GoI Bonds – FRSB 2020 (T) bond, capital gain bonds (Rural Electrification Corporation of India (REC), National Highway Authority of India (NHAI), Indian Railway Finance Corporation (IRFC), Sovereign Gold Bond (SGB) etc.

As on March 31, 2021, your Bank has cross-sold over 82,500 LIC policies to its customers during the year. During FY 2020-21, your Bank sold approximately 96,500 policies in the life insurance segment with total premium amounting to ₹ 955 crore. The Bank also sold more than two lakh policies in the general and health insurance segment with total premium amounting to ₹ 124 crore. Your Bank, from all the above initiatives, has earned a fee-income of ₹ 115 crore for the financial year.

Further, the Bank also envisages augmenting fee income from the sale of mutual funds from its branches as well as from demat and trading accounts. Since many customers of the Bank are new to equity investment, your Bank acts as an intermediary advisor to them and thereby, help in driving growth in this segment. The Bank's demat account acquisition grew by 75% on an annualised basis with acquisition of approximately 29,000 accounts during FY 2020-21.

Leveraging the digital platforms, the Bank undertook the following initiatives:

- ANANDA module has been launched by the LIC for offering digital/ paperless sale of life insurance products to the Bank's customers.
- The Bank has on-boarded a technical partner for building a digital platform for sale of mutual fund and other TPD products via your Bank's net and mobile banking application through API integration. A separate Relationship Manager Relationship Officer (RMRO) module for the branch sales team is also planned out under this platform.
- The Bank has launched demat account opening through its mobile banking application, viz. *IDBI GO Mobile+* for its existing customers on the basis of existing KYC.

Your Bank undertakes the TPD sales and distribution business under referral basis in compliance with all the regulatory and statutory guidelines issued from time-to-time.

Synergies with the LIC

Since the LIC acquired majority stake in your Bank in January 2019, numerous initiatives have been taken to leverage the potential business synergies between the two entities. Your Bank has identified specific actionable points in order to garner business in synergy areas through its best-in-class products and services especially in order to build low-cost deposit book, viz. current account book & savings account book as well as retail asset book along with efficient and optimal utilisation of its distribution channel/ touchpoints to source business as a Corporate Agent of the LIC under the Bancassurance channel. Your Bank has also been extending transaction banking services to meet collection/ payments related requirements of various offices of the LIC through its branch/ digital channels.

While your Bank has been reaping significant benefits in all major business segments through the areas of collaboration, it is also anticipated that, going forward, with the current intensity of engagement as well as synergies with the LIC and its subsidiaries, your Bank will continue to witness multi-dimensional growth, which will help in further increasing customer reach. This will lead to enhanced value proposition for all the stakeholders of the Bank.

Financial Inclusion

Your Bank has been proactive in partnering with the policymakers to further the objective of financial inclusion by ensuring access to financial products and services to the vulnerable sections of the society at an affordable cost in a fair and transparent manner. The Financial Inclusion Plan (FIP) provides a structured and planned approach to financial inclusion with a commitment at the highest echelon.

Your Bank has been actively promoting the agenda of financial inclusion with interventions in three key areas, viz. offering appropriate financial products, making extensive use of technology and enhancing financial literacy.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and Social Security Schemes

Your Bank has been proactively involved in promoting the Government's financial inclusion programme, viz. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and the Government's social security schemes, viz. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) for accident insurance cover, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) for life insurance cover and Atal Pension Yojana (APY) for old-age pension.

Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs)

Your Bank has leveraged its network of Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) in an effort to increase banking penetration in rural and semi-urban areas and thereby, ensure greater financial inclusion as also to provide an added impetus to its Priority Sector Lending (PSL) business. To provide facility of payments through the BCs (also referred to as Bank Mitras), hand-held devices have been provided to them which are enabled with the facilities to accept RuPay cards and carry out Aadhaar-based transactions. Furthermore, to enhance the skill sets of the BCs/ BFs and thereby, enable them to become confident, self-sufficient and viable, the Bank has conducted extensive training sessions/ workshops for all the BCs/ BFs at various locations across the country. Besides, your Bank has also provided on-the-job training to the BCs/ BFs to develop their technical skills to operate on technology platforms for conducting banking transactions.

Financial Literacy

Financial literacy has been identified as a pre-requisite for effective financial inclusion and an integral part of PMJDY in order to let the beneficiaries make best use of the financial services being made available to them. Your Bank has set up desks known as *'Vittiya Sakhsharta Jankari Kendras'* in its rural branches which have been entrusted with the responsibility of spreading awareness on various banking products and the Government's social security schemes by conducting outdoor literacy camps. Your Bank also conducts street plays in interior areas of the country to spread awareness among rural populace about various banking services. Your Bank's

Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) in the Satara district of Maharashtra also conducts free residential training programme in job-oriented courses, viz. dairy farming and vermicompost making, home-made agarbatti, sheep/ goat rearing, candle making, tailoring, beauty parlour management etc. for rural youth to empower them to become self-employed.

Other Initiatives

Your Bank is registered with Unique Identification Authority of India (UIDAI) as a Registrar for Aadhaar enrolments. Your Bank has actively participated in Direct Benefit Scheme of the Central/ State Governments. Further, your Bank has continued with the distribution of social security pension through its BC channel.

Priority Sector Banking

The Bank has been contributing significantly to the objective of Priority Sector Lending (PSL) as mandated by the RBI. As per the regulatory requirement, your Bank has primarily focused on financing to Micro Enterprises, Direct Agri Non-Corporate (DANC) and Small & Marginal Farmers (SFMFs) during the year. Your Bank also continued its effort to extend its reach through non-individual BC/ BF channel which saw it entering into tie-ups with over 30 non-individual BCs/ BFs so far.

During the year, the Bank achieved all its regulatory targets for PSL, including sub-sectors on average basis, by making concerted efforts as also through securitisation and Priority Sector Lending Certificates (PSLC) transactions.

In terms of the Government schemes/ directions, your Bank has been extending loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Prime Minister Street Vendor AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi), Stand-up India, etc. as also to minority communities and weaker sections including Scheduled Caste (SCs)/ Scheduled Tribes (STs).

Major initiatives undertaken to boost PSL

Some of the major initiatives taken by your Bank during FY 2020-21 to augment its PSL portfolio are as follows:

- To ramp up business through branch channel, your Bank launched product specific campaigns, viz. MSME Monsoon Bonanza, Commodity Super Kings, MSME Power, Agri Premier League, Mudra Magic campaign, MSME Uthaan, Agri Infra campaign, KCC campaign, Dairy Loan Campaign on a regular basis. During the year, your Bank also ran several campaigns, viz. Gold Winter League, Gold Republic League, Gold February Frontiers, Mega Felicitation, & Gold Champion, etc., for promoting its Gold Loan product.
- Your Bank has launched a new product, Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) for MSME units/ business enterprises and Mudra borrowers who were impacted by the COVID-19 pandemic. A new product for traders, viz. Sahaj Vyapar, was introduced by merging two other products, viz. IDBI Saral Vyapar and IDBI Sulabh Vyapar Loan. In line with the Government's announcement, your Bank introduced PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) whereby street vendors in urban areas are eligible for loans up to ₹ 10,000. A Credit Guarantee Scheme for Subordinated Debt (CGSSD) was launched to provide personal loans to stressed MSMEs. Besides, your Bank added two new products, viz. Financing under Animal Husbandry Infrastructure Development Fund and Financing under Agriculture Infrastructure Fund, to its bouquet of agriculture-related products.
- The Bank has simplified its existing appraisal formats for MSME loans up to ₹ 50 lakh to ensure faster turnaround time.
- In compliance with the RBI guidelines, the Bank has extended the external benchmark rate, i.e. Repo-linked rate for Medium Enterprises, with effect from April 1, 2020.
- The Bank celebrated *'International MSME Day'* by sending e-mailers outlining various products/ services offered by it, including the moratorium offered under the COVID-19 regulatory package granted by the RBI, availability of working capital term loan under the GECL etc. Moreover, branches promoted the new offerings for MSME to the customers through phone/ video calls.
- The Bank observed *'Doctors' Day'* on July 1, 2020 as a mark of respect to the legendary physician, Dr. Bidhan Chandra Roy, and to commemorate the valuable services rendered by doctors in the society. On the occasion, e-mailers were sent to customers acknowledging the relentless efforts and commitment of doctors in fighting the COVID-19 pandemic as frontline warriors.
- The Bank celebrated *'Kisan Diwas (Farmers' Day)'* on December 23, 2020 in commemoration of former Prime Minister of India, Late Shri Choudhary Charan Singh, on his birth anniversary to signify the substantial role played by farmers in socio-economic development of the country. On the occasion, a video message was widely circulated on the Bank's social media platforms, viz. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram etc. to express gratitude towards the farming community for their role and contribution to the society as also encapsulating

the Bank's commitment towards ensuring hassle-free financing for the farm sector. SMSes were also sent to about 10 lakh farmers associated with the Bank on the occasion.

- The Bank has launched Loan Processing System (LPS) for Agri and MSME products which will be an end-to-end solution.

Corporate Banking

The corporate banking segment of your Bank comprises of the Mid Corporate Group (MCG) and the Large Corporate Group (LCG).

Through its corporate banking groups, your Bank provides an entire gamut of products and services to manufacturers, traders and vendors across the spectrum of industries including pharmaceuticals, FMCG, auto components & anciliary, automobiles, food processing, sugar, ceramics, chemicals, construction, textiles, steel, plastics, telecom, cement, leather products, paper & paper products, rubber, metals, tourism, hospitality, education, Non-Banking Financial Companies (NBFCs), mining & quarrying, engineering, electrical machinery, electronics & electrical equipment, power, oil & gas, agriculture & allied activities, transport, computer software & related activities, IT services & technology, energy generation & distribution, etc.

Your Bank offers short-term and long-term financial assistance by way of fund based and non-fund based working capital limits, viz. cash credit, export credit to exporters, bill discounting, Letter of Credit (LC), Bank Guarantee (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Buyers' Credit (BC), LC Backed Bill Discounting (LCBD). Credit facilities are strictly need-based and extended after proper due diligence and on determining the financial viability of the customer.

Mid Corporate Group

The MCG of your Bank caters to the requirements of mid corporate clients with turnover above ₹ 250 crore and up to ₹ 750 crore (irrespective of exposure). This also includes any exposure above ₹ 15 crore, irrespective of turnover being less than ₹ 250 crore. For effective operationalisation, the MCG has been organised into six Zones with 20 branches and five desks on a pan-India basis. Such an operational structure helps the Bank in ensuring better customer focus, building higher quality portfolio, facilitating deeper penetration, avoiding concentration risk and aiming for multi-product penetration through upsell and cross-sell.

Large Corporate Group

The LCG operates from seven different locations and caters to the requirements of large corporates/ corporate groups. Within the ambit of corporate banking, your Bank also places due emphasis on PSL by offering products such as channel financing and vendor financing for dealers/ vendors of corporates. The LCG team of your Bank works closely with other specialised teams such as in Retail Banking, Transaction Banking, Treasury, etc. to develop suitable products and devise appropriate solutions which would fulfill specific needs of the corporate clients.

In alignment with its turnaround strategy, your Bank would be selective with respect to growth in its corporate loan book, thereby striving to maintain a capital light model while simultaneously de-risking its business portfolio mix. Towards this end, your Bank will focus on fresh acquisition of well-rated corporate accounts as well as improving utilisation in 'A' and above rated clients. Similarly, the Bank envisages growth in interest and fee income by focusing on improvement in utilisation of sanctioned fund based and non-fund based limits and cross sell. The Bank is also endeavoring to upgrade/ implement timely resolution in stressed and Non-Performing Asset (NPA) cases, thereby benefiting from reversal of provision, if any, along with augmentation of standard advances book.

Asset Quality

Your Bank continued to focus its efforts towards containment of fresh Non-Performing Assets (NPAs) and maximising recovery from the existing impaired assets. As at end-March 2021, 77.63% of your Bank's Gross Advances were Performing Assets, whereas 22.37% were NPAs. The focussed efforts by the Bank have aided in containing fresh accretion to NPAs to only 1.91% of Gross Advances in FY 2020-21 as against 6.35% in FY 2019-20.

The recovery from impaired assets and upgradation of NPAs to Performing Assets during the year amounted to ₹ 5,300 crore which helped the Bank to reduce its end-level NPAs to ₹ 36,212 crore as on March 31, 2021.

Adequate provisions were made in conformity with extant regulatory guidelines and as a prudential approach, your Bank has increased the Provision Coverage Ratio (PCR) from 93.74% as on March 31, 2020 to 96.90% as on March 31, 2021.

Your Bank has set up a dedicated vertical, viz. NPA Management Group (NMG), for focussed and aggressive approach towards resolution and recovery with account-specific resolution strategies and close monitoring of corporate NPAs.

Your Bank has set-up a centralised dedicated desk for cases under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP). This dedicated desk has been playing a proactive role in providing an overall view by internalisation of learning from the field

and dissemination across teams for navigating through the complexities, thereby enabling the Bank to successfully handle these cases.

As of March 31, 2021, a total of 245 cases with an aggregate gross principal outstanding of ₹ 44,652 crore (including Standard Assets/ NPAs/ Technically Written-Off (TWO) Assets), were undergoing CIRP within the ambit of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016. Your Bank was able to resolve majority of these cases and recover a sum of ₹ 1,133 crore during FY 2020-21. Furthermore, few other cases are expected to be resolved in FY 2021-22.

Your Bank has a *'One Time Settlement (OTS) Management System'* which facilitates submission of an OTS application through the Bank's website as also enables end-to-end processing of an OTS proposal, including tracking of recovery.

During the year, your Bank also sold nine accounts (three NPA accounts and six TWO accounts) on all cash basis with Gross Principal Outstanding (GPO) of ₹ 1,126.05 crore for consideration of ₹ 408.74 crore to Asset Reconstruction Companies (ARCs) for recovery. Out of the recovery of ₹ 408.74 crore, your Bank has received ₹ 214.84 crore in NPA accounts and remaining ₹ 193.90 crore from TWO accounts. A total recovery of ₹ 547 crore was made from written-off accounts during the year.

Your Bank has been diligently pursuing legal actions under the applicable laws, enforcement actions under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, following up with Debt Recovery Tribunals (DRTs)/ courts on continuous basis including posting dedicated legal officers as nodal officers so as to minimise the delays in obtaining recovery certificates/ decrees and execution thereof.

Your Bank has classified 279 cases as willful defaulters with punitive actions initiated against such borrowers/ promoters/ directors and declared nine cases as Non-Cooperative Borrowers as on March 31, 2021.

Retail Recovery

Your Bank has also formed a separate vertical, viz. Retail Collection and Recovery, for focussed approach in case of retail NPAs. Your Bank has launched a non-discriminatory and non-discretionary One Time Settlement (OTS) scheme, viz. Saral Karj Bhugtan Yojna-II (SKBY-II), for retail and corporate NPA accounts with Gross Principal Outstanding (GPO) up to ₹ 10 crore for expeditious resolution of NPAs/ TWO accounts. During the year, your Bank initiated digitisation of retail recovery process, i.e. issuance of loan recall notice, SARFAESI action -13(2) & 13(4) and suit filing, which is under implementation.

Credit Monitoring Group

Your Bank has set up a Credit Monitoring Group (CMG) in May 2017. The main objective of the CMG is monitoring of onset of stress, monitoring of credit administration parameters and structured review of loans.

The CMG identifies Special Mention Accounts (SMAs), probable delinquent accounts and regular accounts showing Early Warning Signals (EWS) of incipient stress. Your Bank has successfully implemented an automated and comprehensive bank-wide EWS system since December 2019, which has the ability to source data from the Bank's internal systems and external feeds. Risk bucketing under High/ Medium/ Low risk is carried out in respect of all corporate and retail accounts with threshold limit, which has augmented the capability of the Bank to identify high-risk accounts and accounts showing early signs of stress in pre-SMA stage. Through EWS system, your Bank undertakes required market analysis and inter-bank comparison of its retail portfolio at regular intervals.

To prevent slippages of these accounts into NPA, intensive follow-up and monitoring of these accounts is undertaken. Asset Monitoring tools of CMG viz. *'SAJAG'* and *'SMA Action Tracker'* have been enabled for the branches on a real-time basis with additional features which provide details of SMAs, probable NPAs, EWS accounts, high-risk accounts and Credit Administration Parameters (CAP) pending for compliance. The collection actions by field functionaries are captured by the SMA Action Tracker and CAP updation are captured by *'SAJAG'* which enables monitoring of these accounts on a real-time basis.

The Bank has ramped up its collection efforts by putting in place a dedicated Retail Collection and Retail Recovery vertical in February 2021. The vertical is making extensive use of Call Centre and Collection Agencies and is expected to achieve higher resolution rates on collection and recovery. An Integrated Digital Collection Module is also being developed which will assist the Bank to identify the stress and deploy resources (in-house/ external agencies) effectively. High-risk accounts emanating from the predictive models are being used for focused collection by Collection Vertical and remedial measure by the field functionaries.

Structured Loan Review Mechanism (LRM) is used to provide timely feedback on the effectiveness of credit sanction and follow-up to identify incipient deterioration in quality of the portfolio, track early warning signals and compliance with credit administration parameters.

These initiatives have resulted in reduction of incipient stress and containment of slippages on a year-on-year basis, compliance with CAP and improvement in credit quality.

Trade Finance

The Trade Finance (TF) Department of your Bank offers a wide range of products and services to its large/ mid corporate and retail customers at the most competitive pricing. The products range from the most commonly used inward/ outward remittances, Letters of Credit (LCs), Bank Guarantees (BGs), Standby Letters of Credit (SBLCs) to complex domestic and cross-border trade products involving Import/ Export of goods and services, pre-shipment and post-shipment export finance, short-term import trade credits (buyer's credit and supplier's credit), Structured Trade Finance (STF), merchanting trade, capital account transactions, viz. Overseas Direct Investments (ODIs), External Commercial Borrowings (ECBs), Foreign Direct Investments (FDIs), mergers and acquisitions, opening of overseas offices etc.

As a part of its transformation plan, your Bank has transitioned to a centralised trade processing system, which operates on a hub-and-spoke model at three major metro centres, viz. Mumbai, Chennai and Delhi. The centralised trade processing system caters to the needs of all the branches located in the Bank's 12 Zones and thus, facilitates standardised processing, efficient communication and fastest turnaround time (TAT). Your Bank, as an Authorised Dealer (AD) Category I bank, has 39 dedicated TF centres, which are authorised to handle all types of foreign exchange transactions. Your Bank's Core Banking Solution (CBS) operates vide the four eyes principle of maker checker for each transaction. The Bank, being aware of the intense competition, offers best foreign exchange rate to its customers and hedges their foreign currency exposures with simple hedging tools such as forward contracts.

The Bank always endeavours to deliver high standard of customer service and time-bound delivery. Your Bank has been constantly evolving and improving its core banking platform as also offering digitised trade processing to increase customer engagements to make every step of the trade operation process seamless and convenient. The Bank has taken up various IT initiatives to make the transactional executions error-free and faster. The Bank has an internet based eTrade Finance (IDBI eTRADE) platform which gives customers much-needed flexibility to transact on a 24x7 basis. The Bank has developed systems for document embedding and e-presentation. Furthermore, your Bank has laid down policies/ processes/ Standard Operating Procedures (SoPs), operating manuals and robust monitoring mechanisms in compliance with regulatory and statutory norms and regulations as well as international trade practice guidelines.

Your Bank has put in place appropriate operational/ compliance alerts enabled with round-the-clock fraud monitoring. Your Bank diligently follows Anti-Money Laundering (AML)/ Know Your Customer (KYC) guidelines, robust Trade-Based Money Laundering (TBML) red flagging procedures and the US/ EU sanctions screening for international payments. Your Bank, as a matter of principle, verifies each international cargo movement, merchanting trade, string sells and maritime piracy through International Maritime Bureau (IMB). The Bank verifies the credentials, core activities, business scale and payment velocity of overseas parties through credit reports/ Dun & Bradstreet reports to safeguard the interests of all stakeholders.

Your Bank's revised bill finance policy covers purchase/ discount/ negotiation of all genuine bills arising out of trade in Indian Rupee (INR) and Foreign Currency (FCY) with thrust on LC-backed bill discounting and invoice discounting.

The SWIFT operation of the Bank has been centralised at Mumbai to handle the international payments and messaging in a highly secured environment with Straight Through Processing (STP) that has a success rate of around 97%. The Bank has also subscribed to SWIFT Global Payments Innovation (GPI) which allows customers to track international payments on a real-time basis.

The Bank has developed a widespread network of correspondent banking arrangements with around 800 banks across the globe through bilateral Relationship Management Application (RMA) and consequently is able to render trade and non-trade services across the world. The Bank has put in place arrangement with correspondent banks to handle remittances in more than 160 currencies across the globe using the Cy currency / FX4Cash platform. The Bank facilitates small value money transfer from Non Resident Indians (NRIs) through private exchange houses.

Your Bank, as one of the nominated banks to handle Indo-Iran trade transaction settlements under Bilateral Rupee Payment Mechanism (RPM), has set up dedicated trade cells at Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata and Ahmedabad to screen all transactions. Your Bank has put in place a well-defined Standard Operating Procedure (SoP), Do's and Don'ts, keeping in mind Office of Foreign Assets Control (OFAC) regulation, Executive Orders (EOs) and list of Specially Designated Nationals (SDNs) including sanctioned shipping lines. Your Bank, in view of sanctions, does not handle oil import since May 2019 and presently handles trade transactions relating to goods of humanitarian importance. Further, the Bank has kept all Iran transactions under concurrent audit purview and Indian Rupee balance held in the Vostro Accounts of Iranian banks are strictly used only for permissible export settlements. The Bank's correspondent banks have been kept updated with transparent disclosures on the same. Your Bank has ensured strict compliance, clearly demarcated functions and settlement in Indian Rupee, in conformity with the GoI guidelines, and consequently, there

have been no impact on regular trade/ non-trade transaction settlements.

Your Bank, as a part of its commitment to ensure timely export credit, has covered all its clients who are engaged in export business, under Whole Turnover Export Credit Insurance for Banks (ECIB) policies offered by Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC). The Bank has in principle agreed to handle bills of ECGC factor, which is expected to strengthen the relationship with the ECGC and earn a fee income.

A pool of qualified, well-trained, highly motivated workforce possessing core competence and expertise in the area of domestic and international trade finance operation as well as growing digitalisation has enabled your Bank to add to its overall business growth and non-interest income through trade finance facility. The Bank has been following two levels of trade finance training besides imparting external training to its entire workforce engaged in this domain. Trainees are given various simulations and relevant case studies are discussed to ensure that the workforce is apprised of international operations and prevailing current issues.

It is commendable that there has not been a single legal dispute against your Bank with regard to any deficiency of service, trade disputes or violation of law in domestic or international courts.

Government Business

Your Bank acts as an agent for the Central Government and State Governments to manage their receipts and payments. Your Bank is authorised to collect Central Government Taxes, viz. Direct Taxes, Customs Duty and Goods & Services Tax. Your Bank is active in collection of State Receipts in 14 States and two Union Territories. Your Bank provides 24x7 internet banking facilities for tax payments.

Your Bank has enabled online collection of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC) dues. Your Bank is also authorised by the Government to offer Small Savings Schemes, viz. Public Provident Fund (PPF), Senior Citizens' Savings Scheme (SCSS) and Sukanya Samriddhi Account Scheme (SSA) through its branches. Your Bank is also authorised to disburse Central Civil, Defence and Railway Pensions.

Cash Management Services

Your Bank is committed towards providing state-of-the-art Cash Management Services (CMS) to help corporates accelerate their collections, handle their bulk payments efficiently and smoothen their flow of funds. Your Bank offers comprehensive range of CMS collections, payment and transaction banking solutions to suit the needs of corporates and put them in complete control of their cash position. Your Bank offers various solutions like National Automated Clearing House (NACH), Virtual Account Facility, utility payments, direct debit facilities and other customised e-solutions that have been technologically integrated (Host-to-Host) with client systems. Authorised to participate in e-Freight payment system of Indian Railways, your Bank has been collecting e-Freight in 12 Zones of the Railways.

During the year, your Bank added new CMS products such as FASTag, which is a Radio-frequency identification (RFID) based sticker for automated payment of toll and parking charges. In addition, your Bank has also launched FASTag Acquiring Business for toll plaza operators to electronically collect the toll charges using IDBI Bank FASTag Acquiring System. These are futuristic products which have been rolled out in line with Digital India Mission of the Government and would add a new revenue stream for the Bank. Further, your Bank has also launched Bharat Bill Payment System (BBPS) Biller Module for billers. The first such tie-up was done with Haryana Government Public Health & Engineering Department (PHED) and was launched on December 25, 2020 by the Hon'ble Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal Khattar. This system will facilitate the online payment facility of Water and Sewerage Bills by integration with the BBPS platform for PHED. Your Bank has also launched BBPS Agent Module to facilitate more tie-ups with fintechs and partner banks in order to increase the BBPS transaction count and the resultant revenue thereof.

Your Bank, from August 2020, went live on the National Payments Corporation of India (NPCI) for Application Programming Interface (API) based services for real-time account validation. Your Bank is among the first nine banks which are now live on the NPCI for such services.

Your Bank is also empanelled as the sole Sponsor Bank for Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana (PM-SYM), Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana (PMKMY) and Pradhan Mantri Laghu Vypari Maan-Dhan Yojana (PM-LVM/ NPS-Traders) of the Government and has registered approximately 60 lakh mandates till March 2021.

CMS facility for the LIC

Your Bank has facilitated the following for the LIC:

- LIC policyholders may pay their renewal premium at any of your Bank's retail branches as well as through its mobile banking and internet banking services. This helped the policyholders to smoothly deposit their renewal premiums even during the COVID-19 induced lockdown.

- Select LIC agents may deposit collected renewal premium at the Bank's retail branches.

Your Bank provides CMS services to the Divisional Offices, Pension and Group Schemes (P & GS) Offices and Individual Pension Policy (IPP) Offices of the LIC for making payment to their policyholders towards annuity payment and other management expenses. Your Bank also provides CMS collection facilities to the LIC branches.

Treasury Operations

The major activities of the Treasury operations of your Bank cover money market, fixed income, foreign exchange, derivatives, Primary Dealer and equities. The Treasury is responsible for adherence to regulatory requirements like maintaining Cash Reserve Ratio (CRR), Statutory Liquidity Ratio (SLR), Liquidity Coverage Ratio (LCR) etc.

Statutory Liquidity Ratio (SLR)

The regulatory Statutory Liquidity Ratio (SLR) during FY 2020-21 was decreased from 18.25% to 18.00% with effect from April 11, 2020. Banks have been granted a special dispensation by the RBI of enhanced Held to Maturity (HTM) limit up to 22% of Net Demand & Time Liabilities (NDTL) until March 31, 2023, provided such excess is on account of SLR securities acquired between September 1, 2020 and March 31, 2022. The SLR maintenance by your Bank has been in line with the regulatory requirements. The interest rate risk of the SLR book has been actively managed not only to contain risk but also to take advantage of market movement to book capital gains.

Liquidity & Cash Reserve Ratio (CRR) Management

Your Bank's Treasury uses various instruments such as Liquidity Adjustment Facility (LAF), Marginal Standing Facility (MSF), Term Repo including Long Term Repo Operation (LTRO) and Open Market Operation (OMO) of the RBI as well as other market instruments/ platforms such as Tri-party Repo Dealing System (TREPS), Clearcorp Repo Order Matching System (CROMS) and Call & Notice money to manage liquidity. Surplus liquidity is deployed in various short-term instruments like Certificates of Deposit (CDs), Liquid Mutual Funds, Call/ Notice/ Term Money, etc. Your Bank maintained Cash Reserve Ratio (CRR) in line with regulatory requirements.

To mitigate the impact of the COVID-19 pandemic, the RBI introduced various measures like Long-Term Repo Operations (LTRO) and Targeted Long-Term Repo Operations (TLTRO). Your Bank had participated in the LTRO window during the last month of FY 2019-20 and the outstanding LTRO borrowings were prepaid by the Bank during FY 2020-21. Pursuant to introduction of 24x7x365 NEFT and RTGS facility for customers, your Bank has taken due steps to manage liquidity effectively on round-the-clock basis.

In accordance with the RBI guidelines, your Bank has complied with the Basel III framework on Liquidity Coverage Ratio (LCR) and conducted saleability test for identified High Quality Liquid Assets (HQLA).

The Bank made conscious efforts to reduce the high-cost bulk deposits during the year. Your Bank further ensured diversification and granularity in the customer base of such bulk deposits.

Primary Dealer (PD)

As part of the Primary Dealer (PD) activity, your Bank is involved in market making activities in respect of illiquid/ semi-liquid Government Securities (G-Secs). The Bank's Treasury also provides Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) service to Gilt Account Holders (GAHs) having accounts with your Bank. The Treasury actively participates in primary auction of Government of India/ State Development Loans (SDL) securities on behalf of CSGL & non-CSGL clients. Your Bank, in line with the RBI directives, provides the facility of web-based Negotiated Dealing System - Order Matching Segment (NDS-OMS) module to GAHs for online trading of G-Secs in the secondary market. The Bank's *'IDBI Samriddhi G-Sec'* portal continues to provide facility to retail investors to buy G-Sec online and through ATMs.

Forex Interbank and Derivatives

Your Bank's Treasury has an active forex interbank and derivatives desk. Forex interbank desk provides best possible forex rates to clients. The derivatives desk provides innovative solutions to meet hedging requirements of the Bank customers.

Treasury Sales

Your Bank's Treasury is supported by a pan-India sales team across 18 centres for effective marketing of foreign exchange, fixed income and derivative products. The sales team caters to corporate and retail customers of the Bank and proactively interacts with them to provide solutions to effectively manage their exposures in currencies and interest rates. Your Bank launched several campaigns to augment the forex business, deepen the existing relationships and also acquire new clients. Your Bank also undertook various initiatives like IDBI Forex Fest, Treasury & Trade Fest etc. to create awareness about its treasury and forex products among internal stakeholders and customers. In the wake of COVID-19 induced restrictions, web calls were conducted with customers extensively to connect with them as well as

to introduce derivative products to broaden the scope and reach of forex & interest rate hedging products tailored to meet their requirements. The derivative products are offered to the customers as per the Suitability & Appropriateness Policy of the Bank.

Financial Institutions Group (FIG)

Your Bank is setting up a dedicated Financial Institutions Group (FIG) to focus on domestic and foreign Financial Institutions (FIs) for offering various products/ services of the Bank. This group shall act as a coverage group for offering products/ services relating to trade, cash management services, payments, treasury, forex, derivatives, money market & capital markets and retail banking. The FIG shall also engage with the FIs for increasing the breadth of coverage and deepen the FI business.

Business Continuity Plan

Your Bank operates a Treasury Business Continuity Centre at CBD-Belapur, Navi Mumbai. The Centre has integrated operations covering various market segments and can handle all the critical functions of Treasury. Treasury continued to function during the COVID-19 induced lockdown and ensured uninterrupted customer service.

Submission to Benchmarks

Being an active player in treasury operations, your Bank continues to be one of the submitters to Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) for FBIL Polled Term MIBOR and FBIL Polled FC-Rupee Options Volatility.

Cross-Border Branches

Your Bank has one overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and one international branch at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gandhinagar, Gujarat.

Your Bank's overseas branch at the DIFC, Dubai has completed eleven years of operations. The DIFC branch is authorised to extend a range of corporate banking services and trade finance products to meet Indian clients' fund requirements for their Indian operations as well as overseas ventures, in addition to providing corporate banking services to local entrepreneurs operating out of United Arab Emirates (UAE) and other Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Based on the Government's directive of rationalisation of overseas operations, your Bank is undertaking necessary steps to rationalise its overseas operations.

Your Bank's IFSC Banking Unit (IBU), at India's first and only International Financial Services Centre (IFSC) at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT) in Gandhinagar, Gujarat, commenced its operations from May 6, 2016. The IBU comes under the Special Economic Zone (SEZ) of GIFT and its functioning is governed by the guidelines issued by International Financial Services Centres Authority (IFSCA) from time-to-time.

Credit Rating

Your Bank obtains credit ratings for both its domestic and foreign currency borrowings. The rating action during FY 2020-21 along with current ratings for the Rupee resources as on March 31, 2021 are as under:

Ratings for Rupee Borrowings

Rated Instruments	CRISIL	ICRA	India Rating	CARE
Rating action in	Feb-21	Sep-20@	Aug-20	Dec-20
Fixed Deposit	FAA/ Stable	MAA- / Stable	IND tA/ Negative	-
Short Term Borrowings (Certificate of Deposit)	CRISIL A1+	[ICRA] A1+^	IND A1	CARE A1+
Long Term Rupee Bond (Senior and Lower Tier II Bonds)	CRISIL A+/ Stable	[ICRA] A / Stable	IND A/ Negative#	-
Hybrid Upper Tier II Bonds	CRISIL A- / Stable	[ICRA] BBB+/ Stable	-	-
Hybrid – IPDI (Basel II)	CRISIL A- / Stable	Withdrawn	-	-
Tier II Bonds (Basel III)	CRISIL A+ / Stable	[ICRA] A (hyb) / Stable	IND A/ Negative	CARE A+/ Stable

Note:

@ - Outlook upgraded to Stable from Negative
^ - Rating upgraded to A1+ from A1
 # - Rating of Lower Tier II bonds has been withdrawn

The foreign currency borrowings of your Bank are rated by two international rating agencies, viz. Fitch Ratings (Fitch) and S&P Global Ratings (S&P). The changes in long-term Foreign Currency Ratings, Baseline Credit Assessment (BCA)/ Viability Rating (VR) & Stand-alone Credit Profile (SACP) during FY 2020-21 and current ratings as on March 31, 2021 are as follows:

Ratings for Foreign Currency Borrowings

Rated Instruments	Fitch Ratings - Rating action in		
	Apr-20	Jun-20	Dec-20
Long Term Issuer Default Rating	BB+/ negative	BB+/ negative	BB+/ negative
Viability Rating (VR)	ccc	ccc	ccc+&

Note:

& - Upgraded to ccc+

Ratings for Foreign Currency Borrowings

Rated Instruments	S&P Global Ratings – Rating action in		
	Apr-20	Jun-20	Oct-20
Issuer Credit Rating (CR)	BB/ Negative	BB/ Negative	BB/ Negative
Stand-alone Credit Profile (SACP)	b-	b-	b-

Note:

The MTN Bonds rated by foreign rating agencies (viz. S&P and Fitch Rating) were fully repaid on November 30, 2020. Hence, the Bank had terminated the rating engagements/ agreement with them on May 21, 2021, for various issues made under the MTN Bond Programme. Accordingly, the ratings for Foreign Currency Borrowings stands withdrawn.

Long Term Rupee Borrowings

During the year, your Bank exercised call options before maturity for three debt capital instruments aggregating ₹ 2,101.20 crore. The Bank redeemed one debt capital instrument of ₹ 40 crore on maturity date.

Foreign Currency Resources

During the year, your Bank successfully managed to raise short-term borrowings in Foreign Currency (FC) to meet the short-term liquidity and funding requirements.

During the year, your Bank successfully retired long-term FC borrowings amounting to US$ 985.13 million, including scheduled repayments of US$ 750.63 million on maturity of Medium Term Note (MTN) bonds / Refinance Bilateral Loans and prepayment of US$ 234.50 million of EXIM Bank Refinance loan and SIDBI Refinance Loan.

London Interbank Offered Rate (LIBOR) Transition

In 2017, the UK Financial Conduct Authority (FCA) announced its intention on cessation of London Interbank Offered Rate (LIBOR) by the end of December 2021. In continuation of its announcement, during FY 2020-21, the FCA announced future cessation dates for all 35 LIBOR settings across five currencies in which LIBOR is published.

To deal with the transition away from LIBOR to Alternate Reference Rates (ARRs), your Bank has put in place a Board-approved policy outlining an assessment of exposures linked to the LIBOR and the steps planned to be taken to address risks arising from the transition. As part of governance structure as well as to guide and oversee the LIBOR transition programme, a Steering Committee has been set up. To address the impact of cessation of LIBOR on outstanding derivatives portfolio, your Bank signed the protocol issued by International Swaps & Derivatives Association (ISDA) on January 13, 2021.

RISK MANAGEMENT

Risk management strategy of your Bank essentially focusses on the fundamental tripod, viz. identification, measurement and monitoring. While identification enables the Bank for further analysis and assessment, measurement empowers the Bank to accept, avoid, mitigate or transfer risks. This strategic approach has allowed your Bank to attain improved decision-making and confidence therein through available risk management tools. A well-defined policy framework outlining appropriate limits and procedural aspects enables the Bank to mitigate and manage risk within its overall risk appetite. Periodic policy updates attempt to ensure further refinement in risk management practices by capturing the essence of business dynamics, banking innovations and regulatory changes. Your Bank constantly endeavours to improve its risk management culture by spreading risk awareness across all its verticals and making it an integral decision-making criterion. While the Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors is responsible for overall risk management, the day-to-day activities are conducted at various levels based on the risk governance structure. The risk management systems and processes are continuously upgraded, in alignment with the regulatory requirements. Your Bank has implemented Integrated Risk Management Architecture (IRMA) comprising software solutions, viz. Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) for more robust and technologically advanced risk management system. IRMA helps to identify and measure credit and operational risks, which, in turn, facilitates formulation of suitable risk management strategies. Further, your Bank has a well-established Oracle Financial Services Analytical Application (OFSAA) for its Asset & Liability management (ALM), Fund Transfer Pricing (FTP), Profitability Management (PFT) and Loan Risk Management (LRM) requirements, which is being upgraded to capture finer nuances of measurement and product characters.

Implementation of Basel Norms

In adherence to the Pillar 1 guidelines of the RBI under Basel III framework, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a quarterly basis. In addition, the Bank also keeps a close watch on the movement of Capital to Risk Weighted Asset Ratio (CRAR) at a monthly periodicity. As per the Basel guidelines, banks in India are mandated to maintain Capital Conservation Buffer (CCB) in a phased manner commencing from March 31, 2016. In line with the RBI's notification dated September 29, 2020 whereby the transitional arrangements of Basel III capital regulations were reviewed, the applicable CCB for March 31, 2021 was stipulated at 1.875%. Accordingly, the minimum regulatory requirement of *'Total Capital + CCB'* was 10.875% as on March 31, 2021. Your Bank's *'Total Capital + CCB'* ratio was 15.59% as on March 31, 2021. Similarly, your Bank's *'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB'* ratio was 13.06% as against the regulatory requirement of 7.375%. Your Bank's *'Tier 1 + CCB'* ratio stood at 13.06%

as on March 31, 2021 as against the regulatory requirement of 8.875%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2021 was 6.08% against the applicable minimum regulatory requirement of 3.50%.

Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered under Pillar 1 as well as to develop appropriate strategies to manage and mitigate risks under normal and stressed conditions. Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework in line with the RBI guidelines. The stress testing framework enables your Bank to assess its performance under exceptional but plausible events and facilitates appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies. The framework also includes scenario analysis and reverse stress testing. Scenario analysis covers a study on impact of further increase in GNPAs, crystallisation of non-fund facilities in NPAs & TWO accounts and impact of illiquid securities on capital and profitability of the Bank. Your Bank also separately created scenarios to make a preliminary assessment of the detrimental impact of the COVID-19 pandemic on various sectors where the Bank has an exposure since such an event would adversely affect its profitability. The mechanism of reverse stress testing was added to the framework to find the level of stress which may adversely impact the capital to take it to a pre-determined floor level. Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms. Accordingly, disclosures as at the end of each quarter are hosted on your Bank's website, thereby exhibiting high degree of transparency. Your Bank follows the Standardised Approach under credit risk for computation of capital charge. Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for operational risk. A comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) framework was rolled out across different business segments for ensuring effective control mechanism. For market risk, your Bank uses Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital requirements.

Credit Risk

The credit risk management system in your Bank includes the Risk Assessment Model (RAM) for credit rating of proposals and Capital Assessment Model (CAM) for automation of capital adequacy assessment. In addition to RAM/ score-based internal rating, the Bank has developed quantified risk scoring matrix for risk-categorisation of high-value Corporate and MSME loans. The credit policy document is reviewed in line with changing business objectives and economic environment and forms the guiding tool for the business verticals.

Market Risk

Market risk management in your Bank, in terms of functions and business positions, operates in line with the policy framework defined in the Market Risk & Derivative Policy and Investment Policy. These policies, in general, outline appropriate levels of risk appetite and implementation mechanisms for measurement, reporting and escalation of risks and exceptions. With the implementation of Integrated Treasury Management System (ITMS), market risk management efficacy of your Bank covering monitoring and reporting, has been strengthened further. All the prescribed limits and all the procedures are monitored closely by the Treasury Mid-office, which is independent of the Front-office and the Back-office of Treasury. The Treasury Mid-office has initiated carrying out internal rating of non-SLR Bonds through development of in-house internal rating based model in order to create a robust non-SLR bond portfolio.

Liquidity Management

The Bank has a well-organised liquidity risk management structure as enumerated in the Board-approved Asset Liability Management (ALM) Policy. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors and manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis and management is conducted through co-ordination amongst various ALCO support groups in the functional areas such as Balance Sheet Management, Treasury Front-office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the concerned business groups and verticals. As per regulatory guidelines, Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Bank is computed on a daily basis from January 1, 2017. The average LCR of the Bank remained at 155.59% for FY 2020-21.

Operational Risk

Your Bank has a robust Operational Risk Management Framework (ORMF) which includes an organisational set-up comprising the Board of Directors, the Risk Management Committee (RMC) of the Board, the Operational Risk Management Committee (ORMC), the ORM section in Risk Management department and nodal officers of various functions/ departments. The operating procedures for operational risk are guided by the Board-approved Operational Risk Management Policy which aims at identifying, monitoring, measuring and managing operational risks associated with banking activities.

Your Bank has robust internal systems and procedures for mitigation of inherent risks spread across various business activities/ operations. It manages the operational risks through Key Risk Indicators (KRIs) and Risk Control Self-Assessment (RCSA) exercises and periodically updates these outcomes to the ORMC and the RMC of the Board. Operational risk loss events from across the Bank are collated and presented to the ORMC along with the root cause analysis. The operational risk loss data is also submitted to the RBI on a quarterly basis.

Your Bank also conducts stress testing exercises on a half-yearly basis in order to study the impact of stressed operational risk losses on earnings and capital. This is aided by measurement and reporting of any breach in the Board-approved Risk Appetite limits for operational risk. At present, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach (BIA) for computation of Operational Risk Regulatory Capital and Risk Weighted Assets.

Business Continuity Management

Your Bank has robust Business Continuity Management (BCM) processes to mitigate business disruptions and life-threatening events. Your Bank has been awarded ISO 22301:2012 certification for its bank-wide coverage of the BCM.

As a part of the BCM, a well-defined Business Continuity Plan (BCP) has been put in place for core and support functions. This is intended to provide continuity in services to customers even in case of business disruption/ disaster. Besides, a comprehensive Disaster Management Plan (DMP) is deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimise damage to valuable assets during disaster. The resilience of these BCPs and DMPs is tested periodically through BCP testing exercises, disaster recovery including holistic drill and mock evacuation drills. The Bank's Business Continuity Management System is well-equipped with an automated incident reporting tool, viz. Integrated Disaster and Business Continuity Management System (i-DaB).

Information Technology Risk

Your Bank has taken a series of steps to improve its IT risk management and control. Your Bank has set up a state-of-the-art Security Operation Centre (SOC) at its Data Centre (DC) at Navi Mumbai and at Disaster Recovery (DR) site at Chennai to ensure availability of banking services as well as confidence in its operations. The 24x7 SOC is a Command Centre for countering cyber threats and ensuring compliance with the Bank's Information Security Policy and Cyber Security Policy besides fulfilling the Bank's objective of providing safe and secure banking to its esteemed customers. Further, through the SOC, your Bank centrally monitors security devices like firewalls, routers, Intrusion Detection System (IDS) devices/ Intrusion Prevention System (IPS) devices, Privileged Identity Management (PIM), antivirus, phishing/ malware attempts and takes corrective actions. Your Bank regularly conducts Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) of external applications viz. Finacle E-Banking Application (FEBA), mobile banking, mail messaging etc.

Your Bank has made significant progress in implementing the RBI's recommendations pertaining to Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds and the RBI's Cyber Security Framework for banks. Your Bank has put in place an appropriate organisational framework, as recommended in the guidelines, which includes an exclusive Information Security Group headed by Chief Information Security Officer (CISO) who reports to the Chief Risk Officer (CRO) of the Bank.

Several information security solutions have been implemented like Privileged Identity Access Management, Next-Generation - Firewall Solution, Mobile Device Management, Honeypot Solution, Patch Management Solution, Active Directory, Web/ Mail Gateways, Endpoint and USB encryption, Data Leakage Prevention (DLP) solution, Advanced Persistent Threat (APT), Network Access Control (NAC), Web Application Firewall (WAF) etc. to protect customer data, prevent external attacks as well as strengthen internal controls.

Your Bank has put in place a distinct Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan which articulate management intent and direction for addressing cyber security risks. The Bank has constituted Cyber Security Risk Monitoring Committee (CSRMC) that provides direction on continuation of any vulnerability identified through VAPT/ AppSec process. Further, your Bank conducts and participates in various types of cyber drills, table-top exercises, phishing simulation exercises and breach readiness exercises to check and maintain the health of its information security set-up. Information Security Awareness has been included as a mandatory session in the Induction Programme for all employees joining the Bank. The members of the senior Management of the Bank attended IT Risk programme at Institute for Development & Research in Banking Technology (IDRBT). Apart from conducting regular information security awareness programme for the employees, various information security precautions are also communicated to customers through mailers, SMSes, ATMs and posters, to minimise/ thwart the attempts of security breach. IT infrastructure and systems have been implemented within a robust information security framework including solutions on both perimeter and end-points. Your Bank's Data Centre (DC), Disaster Recovery Centre (DR) as well as Near DR Centre (NDR) are certified with the latest ISO 27001:2013 information security standards. Your Bank's Near DR ensures zero data loss for critical transaction systems. The Information Security Steering Committee (ISSC) of the Bank provides directions

and guidance for mitigating IT risk in the information systems. The cyber security posture, various security incidents and the policies are placed before the IT Strategy Committee of the Board (ITSCB) for necessary directions. The policies are recommended by the ITSCB to the Board for approval.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

Human Resources

Learning and Development

During FY 2020-21, despite the COVID-19 induced restrictions, your Bank's Apex training Institute, viz., Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF), Hyderabad and its 10 Zonal Training Centres conducted 490 virtual In-house training programs and trained 11,718 participants of various verticals and across multiple subjects, viz., retail banking, Medium, Small and Micro Enterprise and agricultural credit, rural credit delivery & monitoring, NPA Management, Structured Retail Assets (credit/ sales/ collections/ operations), audit, cyber security, documentation, role-based refresher courses, retail collections, trade finance, treasury, risk, finance and accounts, leadership/ behavioral trainings & mandatory trainings. The Bank has also started blended training programs in the modules of Prevention of Sexual Harassment (POSH), Digital Banking, Preventive Vigilance, Cyber Security, Finacle etc. As per the Government directives, programme on Customer Service, Women Officers, Rajbhasha, Tier II Training on Bank Correspondent and Business Facilitator were also conducted.

Six of the Bank's Independent Directors and one Director of your Bank were nominated for five programs, viz. Risk Governance Framework, Programme in IT and Cyber Security, Webinar on Convergence of Banks & Fintechs to Build Synergies, Innovation & Scale, Orientation Program for Directors of Listed Companies and Familiarisation Program for Independent Directors, organised by National Institute of Bank Management (NIBM), Institute for Development & Research in Banking Technology (IDRBT), National Institute of Securities Markets (NISM), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) etc.

Your Bank nominated 904 officers for 83 external training programs in order to provide requisite exposure in their respective areas of work. Training on branch banking/ operations, Priority Sector Lending (PSL), credit management, risk management, trade finance, treasury, forex, dealing room, export finance & trade compliance, digital banking, digital lending, corporate governance & compliance, audit, HR analytics, women in management, fraud management & analytics, data mining & machine learning, cyber security, IT project management, service enterprises, mentorship, Train The Trainer etc., were imparted through reputed institutions like NIBM, College of Agriculture Banking (CAB)-Pune, Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI), Indian Institute of Banking & Finance (IIBF), Administrative Staff College of India (ASCI), Indian Banks' Association (IBA), IDRBT, CRISIL, State Bank of India (SBI), Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI), National Academy of Human Resource Development (NAHRD), Institute of Company Secretaries of India (ICSI), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Indian Institute of Management-Ahmedabad (IIM-A), Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA), NISM, National Institute of Information Technology (NIIT), Manipal Global Edu Services, Intertek (I) Pvt. Ltd., Team Lease, ALMUS Risk Consulting LLP, Asian College of Teachers, etc.

As part of the learning culture, the Bank has been promoting e-learning through its Learning Management System, viz. OJAS, to provide additional channels of learning to its employees in a cost-effective manner. OJAS has about 300 e-learning modules encompassing topics on banking, behavioural skills and also functional modules in Hindi. The completion of all mandatory e-learning certifications has also been linked with Annual Appraisal by assigning five marks in I-Pace for officers up to Grade F (Chief General Manager). In totality, 13,261 officers completed e-learning certifications during the year.

JNIBF and the ZTCs conducted 17 external programs with 425 participants for reputed organisations like IDBI Trusteeship Pvt. Ltd., Small Industries Development Bank of India (SIDBI), small finance banks, cooperative banks, ARCI India Ltd., Association of Micro Finance Institution-West Bengal, Micro Finance Association of UP, Odisha State Association of Financial Inclusion etc.

Employee initiatives during the COVID-19 pandemic

- **Payment of Incentive:** Your Bank has provided uninterrupted banking services to its esteemed customers by ensuring seamless working of all its brick & mortar branches as well as alternate banking channels during the nationwide lockdown in the wake of the ongoing COVID-19 pandemic. In their sincere efforts to provide continuous services, eight of the Bank's staff members also lost their invaluable lives to the pandemic. As a small gesture of appreciation for the tireless services rendered, your Bank rewarded employees who worked during the peak lockdown period in April - July 2020 with a special monetary incentive.

- **Grant of compensation to the family in case of unfortunate demise of an employee due to COVID-19:** As bank employees deal with public at large on a day-to-day basis, they are exposed to the risk of being infected with the virus. Even after the lockdown period and resumption of normalcy, the risk / likelihood of the infection cannot be ruled out. Considering the same, your Bank extended a total compensation of ₹20 lakh to the legal heirs of an employee in case of his/ her unfortunate death on account of the COVID-19 pandemic while in service.

- **Grant of special leave:** Your Bank's employees, who while executing their duty, test positive for COVID-19, are granted special leave or are instructed to quarantine themselves.

- **Payment of medical expenses:** While expenses towards the treatment of COVID-19 are not covered under the Bank's medical schedule as it is a new illness, your Bank has decided to provide reimbursement of medical expenses to the employees and their dependent family members who are affected with COVID-19.

- **Quarantine Facility:** Your Bank has tied up with Apollo Hospital for providing quarantine facility for COVID-19 positive asymptomatic and symptomatic (who do not require hospitalisation) employees and their dependent family members who are ordinarily residing with the employee. Under the facility, your Bank has been providing reimbursement to the employees who avail quarantine facility at the hotels identified by Apollo Hospitals under the tie-up. Since this facility is available only in major cities, your Bank is also reimbursing employees for availing quarantine facility in other cities on written advice of the Bank's Medical Officer/ doctor/ local authorities at centres/ institution/ hotels/ halls approved by government/ state/ local authority.

Scholarship for wards of employees

Your Bank extended Dr. B. R. Ambedkar Scholarship to the children of Class III & IV employees falling under Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs) category for FY 2020-21.

Posting and Placement of officers

Your Bank has a robust transfer mechanism for facilitating the organisational and statutory requirements while keeping in view employees' interest as well. The movement is to provide wider exposure in functional aspects of the business and support areas as also locational exposure to the officers.

The placement of employees is intended at developing competencies and skills of officers through exposure to wider and diverse operational areas. This is also facilitated through the capacity building framework which envisages optimising skills of individuals through specific intervention by way of knowledge upgradation and enhancing existing skill sets. Further, movement of officers including officers holding sensitive positions is generally as per the Officers' Placement and Transfer Policy.

Industrial Relations

The industrial relations climate in your Bank has been generally cordial during the year with most of the issues having been resolved amicably. The Bank held meetings with the Associations and Unions in its endeavor to have constructive dialogue for understanding and addressing grievances of officers/ employees. The Associations and Unions have also been responsive and proactive while addressing various issues.

i-PACE - New Performance Management System

Your Bank has introduced a redesigned Performance Management System (PMS) from FY 2019-20, christened as IDBI Bank-Performance Assessment and Continuous Evaluation (i-PACE), with a view to making it more specific, measurable, achievable, relevant and time-bound. The new PMS is aimed at aligning officers' performance with the organisational targets and to foster performance-oriented culture at all levels attuned with the Bank's strategic business objectives. i-PACE includes standardised Key Result Areas (KRAs) for similar roles, uniform weightage for the standardised KRAs and direct system/ dashboard linkages for most of the measurable KRAs. Since its introduction, your Bank has been conducting performance appraisal of its officers under i-PACE's comparative ranking system, which is aimed to align officers' performance with organisational targets and to foster performance-oriented culture at all levels with focus, direction and common understanding on Bank's strategic business objectives.

Reservation policy

As on March 31, 2021, representation of Scheduled Castes (SCs) / Scheduled Tribes (STs) / Other Backward Classes (OBCs) / Economic Weaker Sections (EWSs) in your Bank's total manpower is as follows:

CLASS	OBC	SC	ST	EWS
Officers	3,929	2,183	968	69
Executives	361	131	66	48
Clerical	49	68	26	-
Subordinate	116	132	47	-
Total	**4,455**	**2,514**	**1,107**	**117**

Your Bank is fully compliant with the extant policy of the Government on reservation in services as applicable to the Public Sector Banks (PSBs). Your Bank has appointed Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison Officers (ZLOs) in the rank of General Manager and Deputy General Manager, respectively for SCs/ STs/ OBCs and Persons with Disabilities (PWDs). The CLOs and ZLOs ensure compliance with various guidelines pertaining to reserved category employees and effective redressal of their grievances. Your Bank conducts periodical meetings (quarterly) with the representatives of the SC/ ST/ OBC Welfare Association to discuss issues relating to SC/ ST/ OBC employees. Your Bank also maintains a complaint register for recording grievances received from SC/ ST/ OBC employees and suitable action is initiated to redress these grievances. Your Bank maintains Reservation Registers/ Rosters with a view to ensuring proper implementation of the reservation guidelines. The Bank also maintains separate reservation roster for PWD employees as per the Government guidelines.

New Initiatives

- **Recruitment through Online Mode:** Owing to the pandemic, your Bank conducted the campus placements and selection process for recruitment of specialists across various grades through online mode.
- **Work from Home (WFH):** During the nationwide lockdown in the country due to the spread of COVID-19 and with the restriction on the number of employees attending office during such times, your Bank has introduced the work from home facility for its employees to ensure that work was not affected during these unprecedented times.

Succession Planning Policy (SPP)

Your Bank has put in place a policy for succession planning in certain identified critical positions at Chief General Manager and General Manager levels. The policy provides a holistic framework for creating leadership pipeline for senior positions to ensure business continuity when such posiitions fall vacant.

Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)

With the aim of providing quick assistance and the much desired immediate support to the aggrieved women at the occurrence of an untoward incident, a SMS/ e-mail based grievance mechanism has been put in place by the Bank which can be used by a female employee to lodge complaints of sexual harassment at the workplace directly to the members of the Committee.

Disclosures under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

With the objective of creating a safe and friendly work environment and ensuring prevention of sexual harassment at workplace, your Bank, in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, has set up two Internal Complaints Committees to redress the complaints received regarding sexual harassment of women at workplace. During the year, your Bank received 7 (seven) complaints while 4 (four) complaints of prior period was pending conclusion. These complaints were attended to by the respective Internal Complaints Committee and as on March 31, 2021, 4 (four) complaints were pending for conclusion.

Extending legal and financial support to employees

With an objective to safeguarding the interest of employees against whom motivated false complaints have been made by outsiders/ government agencies/ private parties on matters arising out of bonafide execution of its work, your Bank has put in place the said scheme which provides financial and legal assistance to Directors/ Officers/ Employees of the Bank.

Directors' and Officers' Liability Insurance Policy (D & O Policy)

Your Bank has procured a D & O Policy with an aim to providing financial protection to its Directors/ Officers/ employees against the consequences of actual or alleged 'wrongful act' which may arise from the decisions and actions taken within the scope of bonafide execution of duty.

Recruitment and Staffing

As on March 31, 2021, your Bank had total staff strength of 17,319. The category-wise break up of employees is as follows:

Class	Total
Clerical	503
Executives	942
Officers*	15,327
Subordinate	547
Total	**17,319**

*Note: * - Officers count includes MD & CEO, two Deputy Managing Directors, Chief Customer Service Officer & Contract employees (Head Treasury, Head Data Analytics, Chief Technology Officer, Consultant Physician, three Bank Medical Officers).*

During the year, your Bank recruited 551 individuals in various ranks as given below:

Grade	Total
Officer Grade A	316
Officer Grade B	17
Officer Grade D	1
Clerical[$]	5
Subordinate[$]	3
Executives	208
Consultant Physician on Contract	1
Total	**551**

Note: $ - Appointment of Clerical and Subordinate is Compassionate Appointment

Infrastructure Management

During the year under review, your Bank undertook several major civil projects. Your Bank had acquired commercial space admeasuring 1,22,088 sq. ft. along with 36 residential flats and 150 car parking space from NBCC (India) Ltd. at its project coming up at East Kidwai Nagar, New Delhi. The construction has been completed and all 36 residential flats along with 150 car parking space have been handed over to the Bank. Out of 1,22,088 sq. ft., commercial space area of 99,662 sq. ft. have been handed over to the Bank and process for interior furnishing works of the space has been initiated. The NBCC Ltd. is yet to hand over the balance commercial area (22,426 sq. ft.) due to pending decision on Public Interest Litigation (PIL).

The new Zonal Office of your Bank, which started operations in Lucknow in FY 2019-20, has now been shifted to a new leased premise, from its prior location.

Your Bank is also planning to add two more Zones to its existing number of 12 Zones in FY 2021-22 at Patna and Bhopal, respectively, for which selection of leased premises is currently in progress.

Internal Audit

Your Bank has a dedicated Internal Audit Department, which evaluates the adherence to internal policies, procedures and regulatory guidelines as also provides objective assurance on the effectiveness of internal controls, risk management and governance processes within the Bank and suggest improvements. The Audit function has adopted the Risk Based Audit approach and audits activities undertaken by various business and support verticals, the Zonal Offices, the Regional Offices, branches and non-branch segments. The Audit Department functions under the guidance and supervision of the Audit Committee of the Board (ACB).

The Audit function is governed by (i) Risk Based Internal Audit Policy; (ii) Concurrent Audit Policy; and (iii) Information Systems Audit Policy. As part of the Risk Based Internal Audit Policy, the Audit Department conducts various audits, viz. branch audits, credit audit, Information Systems audit, Concurrent Audit etc. A Zonal Audit Office (ZAO) structure has been created in order to ensure focussed attention on branch audits and for effective follow up. The audit process is undertaken through a web-based application, the Audit Management System, which can be accessed by respective officers of auditee units on real-time basis for monitoring of compliances. The Audit Department also manages the functions of: (i) Fraud Monitoring Group (ii) Vigil Mechanism; (iii) Staff Accountability Committee Secretariat (iv) Long Form Audit Report and (v) Internal Financial Controls over Financial Report.

The Audit function, suitably qualified and skilled, proactively recommends improvements in operational processes and service quality to mitigate operational risks, wherever deemed fit and provides timely feedback to the Management for corrective actions.

Long Form Audit Report (LFAR)

The Audit Department has been compiling and sharing information submitted by the Statutory Branch Auditors (SBAs) and the bank branches with the Statutory Central Auditors (SCAs) for finalisation of the Long Form Audit Report (LFAR). An online system has been developed for input of information/ data by the bank branches and generation of consolidated reports for use by the SCAs at the Bank's Head Office.

Internal Financial Control over Financial Reporting (IFCO-FR)

The Audit Department also co-ordinates and supervises the testing of the Risk Control Matrix identified by an external consultant appointed for the purpose to verify (i) that adequate internal financial control systems are in place; and (ii) the operating effectiveness of such controls as well as to ensure timely and effective closure of all open issues. An on-going exercise is undertaken to sensitise concerned business functions to ensure that adequate testing is done for the controls in an effort to close all open issues.

Information Systems Audit

New initiatives have been undertaken to improve the quality of Information Systems audit function, including widening the scope of the Audit function to, inter alia, include audit coverage of cyber security in view of the increasing cyber incidents. Further, tier rating of applications has been considered for assigning the frequency of the audit unit in the Audit Plan in order to factor in the criticality from the security perspective. The monitoring process for closing of pending

audit observations has been strengthened and status reported to the Top Management periodically.

The observations/ recommendations suggested by the IS Audit has enhanced the effectiveness and efficiency of IT systemic controls to provide reasonable assurance to the Management that the IT infrastructure deployed in the Bank together with the business/ operational processes is able to accomplish Information System goals effectively and that the risks in the IT systems were addressed adequately or were within acceptable limits.

Offsite Monitoring System

Offsite Monitoring System (OMS) is a useful tool in alerting the branches as well as the Controlling Offices regarding deviations from the existing policies/ procedures in day-to-day operations for immediate rectification/ compliance. Annual review was conducted of the existing OMS exception rules by discussing with the concerned verticals. On the basis of the feedback/ suggestions received and internal review, six new rules have been added while 12 rules have been modified across various categories to further strengthen the OMS.

Concurrent Audit

The Concurrent Audit (CA) system is a part of the Bank's Early-Warning System to detect irregularities/ lapses, which helps in checking violations of the internal and regulatory guidelines in controlling risks and in preventing fraudulent transactions. The CA system is essentially a control process which is integral to the establishment of sound internal accounting systems and effective controls. As per the relevant RBI guidelines, the CA is carried out in the branches/ other non-branch units like Treasury, the Central Processing Unit (CPU), and the Retail Asset Centres (RACs) identified based on risk perception and volume of business handled. Further, identified functional divisions at the Bank's Head Office and all Trade Finance Centres are also subjected to the CA. As per the Board-approved CA Policy of the Bank, the CA is required to cover 70% of deposits and 70% of advances of the Bank, as against the RBI's stipulation for coverage at minimum of 50% of deposits and 50% of advances. Accordingly, for FY 2020-21 the Bank has covered around 767 auditee units under Concurrent Audit (including Retail & Corporate Branches, RACs, Trade Finance Centres, Currency Chests, Credit Solution Centres, Non-branch Segments, etc.) by engaging the services of empanelled external firms of Chartered Accountants. The Concurrent Auditors' performance is closely monitored by the Zonal Audit Offices and the Corporate Centre on a continuous basis for qualitative reports and timely submission.

Credit Audits

Your Bank has a system of credit audit for detailed review of selected accounts on an annual basis. Borrower accounts for credit audit are identified from the new proposals sanctioned during the review period on the basis of defined criteria: (i) all fresh proposals (within three to six months from the date of disbursement) and proposals for renewal/ renewal-cum-enhancement of limits, with sanction limits equal to or above a cut-off depending upon the size of activity; (ii) randomly selected (5%) proposals from the rest of the portfolio; (iii) Below Investment Grade (if migrated from Investment Grade during a financial year); and (iv) takeover cases with sanction limits equal to or above the cut-off, depending upon the size of the activity.

Investigative Audits or Special Investigative Audits (IA/ SIAs)

In FY 2020-21, a total of 83 Investigative Audits or Special Investigative Audits (IA/ SIAs) were carried out by the Audit Department at various branches/ RACs based on various triggers. Significant observations emerging out of these SIAs, advisories issued and corrective steps taken thereon are being reported to the Audit Committee of Executives (ACE) and the Audit Committee of Board (ACB) periodically. Investigations carried out by the Audit Department play a vital role in bringing about systemic improvements, improvements in policies, product guidelines, processes and procedures, helping in strengthening the controls and drawing attention to better overall monitoring of the Branches. An early trigger provided by IAs/ SIAs have helped the Zones to initiate timely recovery/ legal actions and to arrest slippage of accounts into NPAs.

Lapses/ gaps emerging out of SIAs/ IAs are shared with branches as well as with the controlling units in order to avoid reoccurrence of such lapses with a focus on strengthening the compliance culture not only at branch level but also at Supervisory level.

Fraud Monitoring

Your Bank has put in place a fraud monitoring mechanism through a dedicated Fraud Monitoring Group (FMG) within the Internal Audit Department. The Group reviews efficacy of the remedial actions taken to prevent reoccurrence of frauds and also issues necessary advisories/ circulars from time-to-time aimed towards strengthening of internal control and putting in place need-based remedial measures. A detailed Fraud Risk Management Policy is in place for early detection, prevention, reporting, monitoring and follow-up of frauds. Various internal circulars on prompt reporting of

frauds and timelines for reporting of fraud incidents have been issued reiterating the importance of the timely reporting of frauds to the RBI.

Your Bank conducts Legal Audit/ Due Diligence of cases where its credit exposure is ₹ 1 crore & above and the audit observations are shared with the concerned dealing teams/ verticals/ departments to note the shortcomings/ discrepancies observed during the Legal Audit with requisite guidance to facilitate corrective measures to safeguard and protect the Bank's interest.

In view of higher incidence of Unauthorised Electronic Banking Transaction (UEBT) fraud, the Fraud Risk Management Policy stipulates a Delegation of Power (DoP) of ₹ 2 lakh to the Zonal Operations Manager so as to speedily provide shadow credit in applicable cases.

Fraud Risk Management

Your Bank has a Fraud Risk Management Group (FRMG) which focuses on implementation of Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) for monitoring of suspicious transactions carried out in various systems by building rules through the EFRMS system. The implementation of Adaptive Authenticated solution for Mobile Banking and Retail Net Banking was completed and your Bank is in an advanced stage of implementation of solution for Corporate Net Banking. During the year, the Bank initiated monitoring of suspicious transactions on Debit Cards on a 24x7 basis by using network tool and also rolled out its own EFRMS to cover this channel. Your Bank is in an advanced stage of implementing an EFRMS solution covering Credit Card transactions. The Bank also monitors Merchant Establishment (ME) transactions using monitoring tools provided by a vendor and has also initiated monitoring Unified Payments Interface (UPI) transactions using network tool on a pilot basis.

Vigilance Mechanism

Your Bank has a full-fledged Vigilance Department, which is headed by a Chief Vigilance Officer (CVO), at its Head Office in Mumbai. Your Bank has also set up a zonal vigilance structure in order to achieve better control and ensure monitoring of vigilance activities at the zonal level.

Your Bank's CVO performs vigilance functions which have wide scope/ coverage and includes collecting intelligence about corrupt practices committed or likely to be committed by the employees of the Bank. The CVO performs/ oversees all functions relating to vigilance matters in the Bank including (i) processing of vigilance cases, investigating or causing investigations into complaints with vigilance overtones and verifiable allegations; (ii) processing of investigation reports for further consideration of the Disciplinary Authority; (iii) referring the matters, wherever necessary, to the Central Vigilance Commission (CVC) for their consideration/ advice; (iv) taking steps to prevent commission of malpractices/ misconduct; and (v) co-ordination and liaising with various law enforcement agencies.

Your Bank's Intranet has a webpage dedicated to the Vigilance Department which provides an overview of its functions, format of Standard Notice of CVC which is to be displayed at the Bank's branches/ offices, important circulars/ guidelines issued from time-to-time by the CVC, Chief Technical Examiner's Organisation (CTEO) of the CVC, as also by your Bank and Do's and Don'ts of Preventive Vigilance. This has helped your Bank in enhancing the level of vigilance awareness amongst its officers.

The vigilance function comprises both *'Preventive Vigilance'* and *'Punitive Vigilance'* elements. Preventive Vigilance is a continuous process which strives to review the existing guidelines, ensure that set systems and procedures are being followed, reduce use of discretion, and ensure sensitisation of/ create awareness amongst the employees as well as the stakeholders of the Bank on vigilance matters.

Some of the preventive vigilance measures adopted by your Bank include undertaking of Offsite Monitoring / Surprise Vigilance Visits (SVVs) and inspections on suo moto basis (on receiving information of any suspected wrong-doing by staff/ outside elements) of various branches to detect malpractices, if any, and gauge adherence to the laid down systems and procedures. Apart from this, scrutiny of Annual Return of Assets & Liabilities (ARAL) of the officers of the Bank, scrutiny of Audit Reports of the Bank, etc. is also undertaken by the Vigilance Department.

As a part of efforts to combat corruption as well as to enhance and spread public awareness in line with the directives of the CVC, your Bank observed Vigilance Awareness Week (VAW) 2020 from October 27, 2020 to November 2, 2020 with *'Vigilant India, Prosperous India'* as the theme. On the occasion, your Bank released a special e-souvenir for the benefit of staff members and also conducted various competitions like article writing, online quiz, coin-a-caption, caricature, etc. for staff members and their children. Further,

a webinar also was organised on tendering/ e-tendering for benefit of field functionaries. For spreading awareness among general public/ citizens, VAW 2020 banners, posters were displayed at prominent locations at your Bank's Zonal Offices, Regional Offices, branches and also at places with public interface.

Regulatory Compliance

Your Bank ensures compliance of various statutory and regulatory guidelines laid down by the GoI, the RBI, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory/ statutory bodies through a structured system of internal controls and tiered review. The Compliance Department of your Bank operates out of its Head Office and is headed by a senior official in the rank of an Executive Director designated as Chief Compliance Officer (CCO). The Department co-ordinates dissemination and internalisation of all the statutory and regulatory guidelines. Your Bank has put in place an extensive Board-approved Compliance Policy as per the RBI guidelines and reviews it annually. The role and responsibility with regard to the compliance function, is clearly defined for every tier in your Bank. The Board is apprised at monthly intervals about important communications/ guidelines received from the RBI and other regulators/ agencies. Your Bank has strengthened its internal compliance culture at granular level by implementing advanced technology application called *'Cermo+'*. Your Bank has also automated the compliance reporting system to the RBI, which enables timely submission of compliance and ensures proper data management.

Right to Information (RTI) Act

Your Bank has designated Central Public Information Officers (CPIOs) for responding promptly to requests for information pertaining to various functional areas. In addition, all branch heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications under the Right to Information (RTI) Act to CPIOs. Your Bank has designated a senior officer in the rank of Chief General Manager as First Appellate Authority (FAA) for dealing with appeals of aggrieved applicants. A Transparency Officer, in the rank of Executive Director, has been designated for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link for the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbibank.in). Your Bank has also aligned with the Government of India's RTI online portal, whereby citizens can seek the information and raise appeals under the RTI Act through the portal (https://rtionline.gov.in).

Progressive use of Hindi

During the year under review, your Bank made concerted efforts to increase usage of the Official Language Hindi and implementing the various provisions of Official Language Act and Rules of the GoI. Your Bank's offices and branches made continuous efforts to achieve the targets prescribed in the Annual Programme and other directives issued by Official Language Department, Ministry of Home Affairs, GoI. Continuous efforts were made during the year to provide in-depth information about your Bank's products and schemes in Hindi on the Bank's website. Your Bank's mobile applications, viz. Abhay, PayApt and M-Passbook, offer the language option for Hindi. Various campaigns relating to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) and digital banking were organised in Hindi and other regional languages. Various posters, banners and other publicity material were displayed in Hindi as well as in regional languages for the benefit of the customers. Hindi and other regional languages were used in advertising campaigns for the GoI's Social Security Schemes viz. Atal Pension Yojana (APY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) etc.

Your Bank has updated template letters, forms, dictionaries, notings and other relevant reference materials in bilingual form on its Intranet to promote usage of Hindi. Various incentive schemes were implemented and several competitions were organised to encourage staff members to use Hindi in their day-to-day official work. In order to progressively increase the usage of Hindi in various offices of your Bank, Hindi workshops were organised across all the regions of the Bank to familiarise staff members with the various requirements of Official Language implementation and encourage use of Hindi Unicode. In view of the safety measures to be adopted with the outbreak of the COVID-19 pandemic, your Bank organised most of its Rajbhasha programmes, meetings, workshops, inspections, etc. through online mode.

Your Bank's endeavor to promote use of Hindi in the day-to-day work and in its business found due recognition in various forums and received awards during the year, which include the following:

- Your Bank's in-house quarterly Hindi Magazine *'Vikas Prabha'* was conferred three awards from Association of Business Communicators of India (ABCI) during the year. While the Bank received Gold Trophy in *'Internal Magazine'* category, it bagged Silver in *'Special Column (Language)'* and Bronze in *'Features'* (Language) categories.

- Officials from Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, appreciated implementation of Hindi in your Bank during their inspections.

Customer Service and Complaints Management

Your Bank, in adhering to the spirit of its vision of being the most preferred and trusted bank for all its stakeholders, has adopted a customer-centric approach focusing on delightful customer experience and a comprehensive bouquet of state-of-the-art technology-driven financial solutions.

Your Bank has a dedicated 24x7 Customer Care Centre (CCC), located at CBD-Belapur, Navi Mumbai and Hyderabad, to address customer queries and swiftly redress customer grievances received from multiple channels. Respecting and acknowledging diversity of our customers and striving to personalise their interactions, apart from Hindi and English, the Customer Care Centre offers services in 10 regional languages. In addition to catering to varied and myriad customer service requirements, the Customer Care Centre proactively undertakes business generation activities as also facilitates and complements your Bank's recovery efforts. In order to remain relevant, to respond to a fast changing environment and to empower its customers, your Bank periodically reviews its policies such as Customer Care Policy, Grievance Redressal Policy and Customer Rights Policy and ensures that policies are in sync with the latest developments. The fair & timely handling of grievances and ensuring customer satisfaction is the fundamental ethos of your Bank. To ensure prompt resolution of customer grievances, the Bank has put in place a Board-approved Grievance Redressal Policy which outlines its approach towards complaint resolution and customer service delivery. Complaints received from all channels are handled in consonance with this Policy which also includes a time-based escalation matrix wherein if the complaint is not resolved within the stipulated time, the same is escalated to the next level of authority. For this purpose, the Bank has designated Grievance Redressal Officers (GROs) at each of its 12 Zonal Offices and a Principal Nodal Officer (PNO) at the Head Office. Further, in line with the Internal Ombudsman Scheme 2018, the complaints, which the Bank proposes to reject/ provide partial resolution, are referred to the Internal Ombudsman (IO) prior to responding to the customer. Your Bank has put in place a Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS), which facilitates recording, monitoring and timely resolution of the complaints received. The complaints received from various customer touchpoints and regulators are entered in the system and a communication is sent to the customer through an SMS. The system has an in-built escalation matrix with auto alert mechanism as per a pre-defined turnaround time (TAT). The customer has flexibility of tracking status of his/ her registered complaint through the Bank's website/ nearest branch/ Contact Centre. In case of any delay in complaint resolution, the Bank proactively communicates the same to the customer through an SMS alert. Further, to prevent/ minimise unauthorised electronic banking transactions, the Bank has put in place several mediums through which customers can report such transactions in real time and on 24x7 basis. In its endeavour towards offering convenient banking and as a green initiative, the Bank facilitates debit card PIN generation through various channels like ATM, Internet Banking and Interactive Voice Response (IVR) to enhance customer convenience.

Your Bank has established two senior level customer service committees, i.e. Standing Committee on Customer Service (SCCS) and Customer Service Committee of the Board (CSCB), both of which are convened on a quarterly basis. These Committees are entrusted with the task of evaluating feedback on quality of customer service rendered by the various channels of the Bank. The Committees also evaluate complaints and feedback received from customers and provide necessary directions to increase efficiency of resolution and also change in process for service improvement.

Your Bank captures customer feedback on an ongoing basis and uses it towards improvement of processes/ products to delight customers. The Bank also conducts a depositor satisfaction survey on an annual basis and findings are evaluated and the insights derived are incorporated to improve products/ processes/ systems. The Bank also conducts mystery shopping activities across the branches in order to evaluate quality of customer service rendered to its customers.

You Bank has taken various initiatives in the area of customer service in FY 2020-21 which include:

- **Doorstep Banking:** The Bank is offering doorstep banking services to senior citizens above the age of 70 years and differently-abled persons. These services include pick-up and delivery of cash, pick-up of instruments/ NEFT/ RTGS requests, delivery of Demand Drafts (DDs)/ Certificates of Deposit/ cheque books and submission of KYC documents and Life Certificate.
- **Online facility for Re-KYC:** In case of low-risk customers where there is no change in status with respect to their identities and addresses, the RBI allows self-certification to this effect to suffice as Re-KYC. In compliance with the above, your Bank has

enabled additional facilities for periodic confirmation and update of KYC for such low-risk customers i.e. through SMS or e-mail link received from the Bank or through internet banking.

- **Request for opting for statement through Contact Centre:** Customers who had opted for passbook at the time of account opening but wished to migrate to email statement mode were required to visit the branch to place a request for the same. For greater customer convenience, your Bank offers the facility of requesting migration to e-mail statement mode through the Contact Centre if a customer's e-mail ID is updated in the Bank's records.
- **Whatsapp Banking:** To make banking experience smooth 24x7, your Bank has launched WhatsApp Banking service on October 13, 2020 which is enabled with services such as account Balance enquiry, mini statement, branch/ ATM locator, interest rates, cheque book and e-mail statement request.
- **Video KYC (V-KYC) facility:** A customer shall be permitted to open an account without visiting any branch of the Bank or meeting any employee of the Bank in person through its video KYC (V-KYC) facility. Under this facility, your Bank provides opening of full KYC account via a live video session with a bank employee.
- **I-Quick Account opening facility:** The Bank has launched I-Quick account opening facility for new accounts, which allows individuals to open accounts through contactless and paperless mode by validating a customer's PAN and Aadhaar Card. This is a limited KYC account with restrictions. The customer needs to complete full KYC within 12 months and upgrade the account to any regular scheme code.

Corporate Communications

During FY 2020-21, your Bank's advertising efforts were focussed on maintaining its positive, stable image in the new normal and to enhance the recall value of its products and services.

The advertising and publicity initiatives undertaken by your Bank during the year focused on campaigns highlighting the flagship retail products like home loan, auto loan as well as the newly launched innovative products like I-Quick, and FASTag. The campaigns focused on highlighting the distinguishing features of the products and were carried out vide cost-effective mediums like Transient OOH (Out of Home) display, digital platforms, radio, etc. During the year, your Bank undertook a short video-based campaign on information security awareness for educating the customers on the precautions to be taken while using digital platforms.

The Reader's Digest Trusted Brand, 2020 conferred your Bank with the *'Trusted Brand Award'* in the *'Private Banks category'* based on a consumer survey.

As in the advertising arena, several initiatives were undertaken by your Bank in the Public Relations (PR) domain also. The overlying accent of the PR initiatives was aimed at maintaining positive tonality of news and enhancing your Bank's profile in the media, while simultaneously striving to reinforce stakeholder perception. Your Bank found numerous positive mentions of its initiatives in print, electronic and digital media. Your Bank, for the first time, conducted Virtual Press Conferences for the Quarterly Financial Results during the year for interacting with media in a safe environment during the pandemic affected period.

During the year, your Bank extended its social media presence by launching its official Instagram account, *'idbibankofficial'.* The Bank continued to undertake engagement activities on various social media platforms and communicated through its official brand pages/ handles on Facebook, LinkedIn, Twitter and YouTube.

Internal Communications

Your Bank's internal communication agenda was focussed on enabling effective exchange of important ideas including, but not limited to, developments in the field of banking. It ensured permeation across various departments and branches of the Bank to foster a sense of belonging amongst the employees and cultivate a healthy relationship of trust, to work towards a collective goal.

Various initiatives were undertaken to motivate and engage with the employees. These, inter alia, included hosting of messages from the Top Management on the home page of the Bank's intranet and emailers to employees on special occasions, viz. Foundation Day/ New Year/ Diwali etc. Other initiatives included monthly circulation of your Bank's digital newsletter *'Abhyudaya'* which apprised employees about various developments in the Bank, as also carried messages/ mailers from the Top Management to the employees. Your Bank also published its quarterly in-house journal *'Shree Vayam'* in a digital avatar, allowing existing as well as retired employees and their family members to share their experiences and thoughts on diverse topics. An employee advocacy program, the *'IDBI Bank Social Media Champion Campaign'* was rolled out for all employees of your Bank with a view to making the Bank's social media community bigger and stronger.

Information Technology

In the year gone by, your Bank not only braved the technological challenges thrown up by the COVID-19 pandemic but also maintained the pace of tech-led services, up-gradation and augmentation of software/ hardware. Your Bank anticipated and mitigated the pandemic related disruptions to the regular banking services by swiftly mobilising its state-of-the-art infrastructure for its employees to enable them to perform their duties seamlessly from the confines of their homes. Your Bank's timely initiatives such as an expeditious allocation of laptops to its employees, making official e-mail available on-the-go to the employees and providing them with Virtual Private Network (VPN)/ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) based access to the Bank's systems with adequate security controls, ensured that its customers had an uninterrupted access to most of essential banking services and functionalities. Your Bank ensured continuity in IT-related procurement by switching over and adapting to e-tendering and video conference-based bidding procedures.

During the year, the major accomplishments of your Bank included up-gradation of the Security Operations Centre (SOC) at the Main Data Center (DC) location and setup of a SOC at the Disaster Recovery (DR) location in Chennai, implementation of a Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) analytics platform to detect and prevent email spoofing, implementation of Honey Pot solution to detect, deflect and counteract attempts at unauthorised use of the Bank's systems, implementation of an Enterprise Network Monitoring Solution (ENMS) to enable centralised monitoring of the health of branch network devices/ links and resolution of issues thereof, implementation of Satellite/ GPS-based Network Time Protocol (NTP) solution for synchronisation of computer clock times in a network with high accuracy and upgrade of the Bank's ATM switch version to achieve regulatory compliance and improved customer experience. Under the Enterprise Data Warehouse (EDW) project, various analytical/ predictive models were built for NPA prediction for various loan products, churn prediction for portfolio of Agri/ MSME, cross-sell/ up-sell model, customer profiling and segmentation, etc. Further, data sets for various business functions have been created for the users, enabling them to create desired reports on-the-go.

Within the application innovation domain, your Bank has introduced various Linux and Windows based applications to enhance its customers' digital experience. These applications include Video KYC Account Opening (VAO) wherein customers can open their savings account with the Bank directly from the convenience of their home or office without having to fill-in any physical forms or visit a branch and WhatsApp banking facility which enables the Bank's customers to avail various essential banking services such as account balance information, details of last five transactions, interest rates as well as details of the Bank's branches/ ATMs in the vicinity through the WhatsApp application. Your Bank also launched a fully digitised Loan Processing System (LPS) which is a totally automated and fully integrated platform that enables the customers to apply online for various MSME and Agri loan products. These applications are processed in seamless and straight through manner with minimal manual intervention, resulting in quicker turnaround time (TAT) and significant cost savings.

Your Bank is in the advanced stage of implementing many technology-based solutions/ enhancements, which include implementation of Voice One-time Password (OTP) and software token-based authentication as an alternate to SMS-based OTP, implementation of an Application Performance Monitoring solution for proactively monitoring business critical applications like mobile/ internet banking, implementing Application Programming Interface Management (APIM) solution for exploring innovation in areas such as blockchain, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) and implementation of chat bot facility for 24x7 customer assistance and exploring the usage of new age security technologies like Security Orchestration, Automation & Response (SOAR), Network Behavior Anomaly Detection (NBAD), Packet Capture (PCAP), User & Entity Behavior Analytics (UEBA) and Threat Intelligence Platform (TIP) for building a Next Generation SOC at both DC & DR locations.

On the data refinement and enrichment front, your Bank has successfully implemented Automated Data Flow (ADF) application and is continuously refining the process of return generation by removing manual intervention. The RBI has launched Centralised Information Management System (CIMS) for the purpose of creating a single repository for collating banks' data through system-to-system approach for regulatory submissions. Your Bank is in the process of converting ADF output into XBRL format for 45 returns as taken up by the RBI. Your Bank has started its journey towards being a data-driven decision making organisation backed by state-of-the-art Enterprise Data Warehouse (EDW) setup. As part of the EDW, your Bank has (i) augmented decision-making capabilities of the Top Management by enabling over 150+ critical reports and dashboards on their hand-held devices, (ii) made 600+ reports and dashboards available to

various departments across the Bank, (iii) released Customer Relationship Management (CRM) along with 360° customer view for field functionaries on their desktops as well as mobiles for accessing of customer information on-the-go. In order to enhance the quality of data available for decision making, your Bank has introduced a centralised data-cleansing application called as *'iClean'* under the EDW project which identifies inappropriate/ invalid critical data elements and provides a simple interface to rectify the errors. Marketing campaigns are now being run through the centralised CRM system. Borrowers likely to default are now being identified through predictive analytics and being followed up to ensure minimum slippages. Further, as per the requirement under EASE Reforms of the Ministry of Finance, GoI, digital initiation of leads through all channels including mobile banking, internet banking, customer care channel, SMS banking & Missed Call banking have been implemented in your Bank through the CRM application. Your Bank has a dedicated Centre of Excellence for Data Analytics which works across business areas, decision strategies, forecasting models and rule engines. Your Bank has been leveraging technology and analytics for deeper insights into customer on-boarding, micro segmentation of customers, behavioural pattern, smooth and frictionless transaction, spending behaviour, risk portfolio etc. to maximise its digital impact and make its digital campaigns more intelligent, sharp and cost-efficient. Forecasting models are helping your Bank in predicting the borrowers' behaviour with regard to dues payment capability. Using cutting-edge analytics, your Bank offers analytics-based pre-qualified and pre-approved offers. Your Bank is in the process of carrying out an analytics-based assessment of business potential and credit risk. Portfolio Quality Index would help your Bank in taking corrective action on a real-time basis with a focussed approach.

Centralised Operations

Your Bank has set up a Central Processing Unit (CPU), which undertakes different operational activities like Tax Deducted at Source (TDS) on interest on term deposits, cash withdrawal & TDS under Liberalised Remittance Scheme (LRS), Deposit Education & Awareness Fund (DEAF), production & delivery of debit cards/ prepaid cards/ PIN mailers/ cheque books/ welcome kits/ account statements & other deliverables to customers. The CPU also handles the Bank's internet banking operation centrally. Demat account opening, Operations such as Application Supported by Blocked Amount (ASBA), Syndicate ASBA and Loan Against Securities (LAS), etc. are centralised at the CPU. The Goods & Service Tax (GST) reconciliation and co-ordination with other banks are handled by the CPU.

Similarly, your Bank has six Regional Processing Units (RPUs) which look after the activities such as opening and maintenance of savings bank account, current account and fixed deposit accounts. The RPUs are currently operational at Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Pune and Ahmedabad.

The centralisation of these varied activities helps your Bank in reducing the turnaround time (TAT) and rationalising the cost as well as in ensuring uninterrupted services to enhance customer convenience.

Retail Asset Operations

Your Bank has a Retail Asset Operations (RAO) Department under the CPU which handles the back-end operations for Structured Retail Asset (SRA) loan accounts and its variants. This Department handles all post-loan disbursement activities including safekeeping of physical files, scrutiny of files for documentation and financial parameters and all account maintenance activities. Keeping in view the emphasis given by your Bank on its retail loan segment as also to handle increased volumes, the Bank has opened two new Retail Asset Operation Centres and is in the process of opening three others at different locations in the country. Your Bank has also automated many existing processes in Retail Asset Operations to achieve faster and error-free execution.

Branch Operations Support and Policy

Your Bank is at the forefront in disseminating knowledge to the staff with respect to their day-to-day operations by equipping them with latest information on banking operations, services etc. This ensures all stakeholders of the Bank are served by the workforce who possess updated knowledge about products, operations and services.

Your Bank is in compliance with the Clean Note Policy of the RBI and has deployed Note Sorting/ Note Authentication machines in its branches. During the year under review, the Bank opened one Currency Chest (CC) at Hubli. With this, the Bank has 24 CCs across the country. These CCs process cash from all linked branches and provide clean notes for dispensing through ATMs and through branches.

Domestic Payment and Remittance Services (DPRS)

Your Bank facilitates payment and collection of paper-based payment instruments and processing of fund transfer through various electronic payment systems. There are three Centralised Clearing Grid Centers for handling

clearing activities through Cheque Truncation System (CTS) at Chennai, Delhi and Mumbai. A centralised Electronic Transaction Processing Centre (ETPC) functions from Mumbai to handle operational activities of all electronic payment and remittance services. In order to ensure seamless operations during emergency situation at any of the grid centers or ETPC, a cost-effective Business Continuity Plan (BCP) has been put in place.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Since the average net profit of your Bank for the preceding three years worked out to a loss (for CSR purpose), there was no requirement for your Bank to incur any spends under CSR during the year under review in consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013. Further, all the proposed CSR projects of your Bank have been completed. Thus, CSR spends during FY 2020-21 stood at nil.

कॉरपोरेट अभिशासन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

के एस अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ - 7, लक्ष्मी मिल,
शक्ति मिल लेन,
(डॉ. ई. मोसेस रोड के पास)
महालक्ष्मी,
मुंबई - 400 011.

एम पी चितले एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पहली मंजिल, हमाम हाउस
अंबालाल दोशी मार्ग,
फोर्ट,
मुंबई - 400001

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण,

1. हम **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (जिसे इसमें आगे ''बैंक'' कहा जाएगा), जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400 005 में स्थित है तथा जिसकी दिनांक 03 मई 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी गई है, उसके संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक हैं. हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 यथा संशोधित ''सेबी सूचीबद्धता विनियम'' के विनियम 17 से 27 में और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी और ई में निर्दिष्टानुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. सेबी सूचीबद्धता विनियम में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है.
4. हमने बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं के अनुपालन पर समुचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक के खाता-बहियों तथा अन्य संबधित अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है.
5. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानक जो कि इस प्रमाणन के उद्देश्य के लिए लागू हैं तथा रिपोर्टों पर मार्गदर्शी नोट अथवा आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों हेतु प्रमाणपत्र जिसके द्वारा यह अपेक्षित है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें, के अनुसार संबंधित अभिलेखों की जांच की है.
6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, लेखा परीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना की समीक्षा और अन्य आश्वासन व सम्बद्ध सेवा वचनबद्धताओं के लिए लागू अपक्षाओं का अनुपालन किया है.

अभिमत

7. हमारे अभिमत एवं हमारी सर्वोतम जानकारी में तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऊपर उल्लिखित सेबी सूचीबद्धता विनियम में यथा निर्धारित रूप में कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

अन्य मामले

8. हम आगे उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन है.

प्रयोग पर प्रतिबंध

9. यह रिपोर्ट बैंक के सदस्यों को कॉरपोरेट अभिशासन के संबंधित विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में सूचीबद्धता विनियम के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन करने के एकमात्र उद्देश्य से बैंक के सदस्यों को संबोधित और उपलब्ध कराई गई है तथा इसका प्रयोग किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार हम बिना हमारी लिखित पूर्वसहमति के किसी अन्य उद्देश्य के लिए अथवा किसी अन्य पक्ष को यह दिखायी जाने पर अथवा किसी अन्य को उपलब्ध हो जाने पर कोई देयता अथवा सावधानी संबंधी कर्तव्य का दायित्व स्वीकार अथवा मान्य नहीं करते हैं. इस रिपोर्ट की तारीख के बाद घटित होनेवाली घटनाओं और परिस्थितियों को अद्यतित करने के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है.

कृते **के एस अय्यर एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार,
फ़र्म पं. सं. 100186W

सतीश केलकर
साझेदार
सदस्यता सं. 038934
यूडीआईएन: 21038934AAAACK2709

कृते एम पी चितले एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
फ़र्म पं. सं. 101851W

आशुतोष पेडणेकर
साझेदार
सदस्यता सं. 041037
यूडीआईएन: 21041037AAAACW6095

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 जून 2021

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता पर बैंक के दर्शन का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इसकी नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने अंशधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व आपके बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों पर है जिन्हें विधिक एवं विनियामकीय प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित उत्कृष्ट कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखें, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना और निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग बैंक के अन्य नीतिगत दिशा-निर्देश हैं. बैंक बोर्ड को निर्बाध रूप से सभी संबद्ध सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 [एलओडीआर विनियम] में यथावर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से शासित होता है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

i. विचारार्थ विषय

- शेयरधारकों से उनके शेयरों पर अप्रदत्त धनराशि के संबंध में मांग करना;
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के तहत प्रतिभूतियों की वापसी खरीद को प्राधिकृत करना;
- भारत में या भारत से बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभूतियों को जारी करना;
- धन उधार लेना;
- बैंक की निधियों का निवेश करना;
- वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट अनुमोदित करना.
- बैंक के कारोबार में विविधता लाना;
- समामेलन, विलयन या पुनर्निर्माण को अनुमोदित करना;
- किसी कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रक या पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को नियुक्त करना या हटाना;
- आंतरिक लेखा-परीक्षकों और सचिवीय लेखा-परीक्षक को नियुक्त करना;
- राजनीतिक योगदान देना;
- निदेशकों के हित और शेयरधारिता के प्रकटन को नोट करना;
- बैंक द्वारा धारित निवेशों (व्यापार निवेशों के अलावा) का क्रय-विक्रय जिसमें निवेशक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत या उससे अधिक चुकता शेयर पूंजी और निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं;
- यथास्थिति तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों या वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करना;
- गैर अनुपालन के मामलों में सुधार करने के लिए बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के साथ बैंक पर लागू सभी कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा करना;

- निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार करना;
- बैंक के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना, कार्यान्वयन करना और निगरानी सुनिश्चित करना;
- स्वतंत्र निदेशकों, सभी अन्य निदेशकों, बोर्ड की समितियों और संपूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना;
- कॉरपोरेट रणनीति, कार्रवाई की प्रमुख योजनाओं, जोखिम नीति, वार्षिक बजट और कारोबार योजना की समीक्षा और मार्गदर्शन, कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों की स्थापना, कार्यान्वयन और कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन की निगरानी, और प्रमुख पूंजी व्यय, अधिग्रहण और विनिवेशों का निरीक्षण करना;
- बैंक के अभिशासन वाले कार्यों की प्रभावशीलता की निगरानी और उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का चयन, मुआवज़ा, निगरानी, और जब आवश्यक हो, उनका प्रतिस्थापन और उत्तराधिकार योजना का निरीक्षण करना;
- बैंक और उसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों के साथ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और निदेशकों के पारिश्रमिक को सुमेलित करना;
- निदेशक मंडल में विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और लिंग की विविधता के साथ निदेशक मंडल के लिए पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना;
- कॉरपोरेट आस्तियों के दुरुपयोग और संबंधित पक्ष लेनदेनों के गलत उपयोग के साथ-साथ प्रबंधन, निदेशक मंडल के सदस्य और शेयरधारकों के हितों के संभावित टकरावों की निगरानी और प्रबंध करना;
- स्वतंत्र लेखा-परीक्षा सहित बैंक की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और यह देखना कि नियंत्रण की उचित प्रणाली, मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन, वित्तीय और परिचालनगत नियंत्रण प्रणाली सुव्यवस्थित है तथा यह देखना कि कानून और प्रासंगिक मानदंडों के अनुपालन की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है;
- प्रकटन और संचार प्रक्रिया की देखरेख;
- निदेशक मंडल की मूल्यांकन संरचना की निगरानी और समीक्षा;
- बैंक को रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना और बैंक और शेयरधारकों के लिए जवाबदेह होना;
- कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य निर्धारित करना जिसके अनुसार समूह के सभी कार्यपालकों को आचरण करना होगा;
- पूर्ण जानकारी के आधार पर, सद्भावना में, समुचित सावधानी और देखभाल के साथ बैंक और शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना;
- निदेशक मंडल के सदस्यों को अद्यतित जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना;
- सभी शेयरधारकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना;
- उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना और अंशधारकों के हितों का ध्यान रखना;
- कॉरपोरेट मामलों के बारे में वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय का निष्पादन करना;
- जहां हितों के टकराव की संभावना हो, वहाँ निदेशक मंडल को कार्य करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त गैर-कार्यपालक सदस्यों को नामित करने पर विचार करना;
- रणनीति, रणनीतिक पहल (जैसे कि अधिग्रहण), जोखिम क्षमता, एक्सपोज़र और बैंक के ध्यान देने योग्य मुख्य क्षेत्रों जैसी अंतर्निहित धारणाओं की चुनौती से कार्यपालक प्रबंधन की सहायता करने के लिए पीछे हटने की क्षमता.
- निदेशक मंडल की समितियों के अधिदेश, संरचना और कार्य प्रणाली को परिभाषित और प्रकट करना;
- निदेशक मंडल के एक सदस्य के रूप में और निदेशक मंडल की समिति के एक सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सुविधा प्रदान करना; और
- विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं द्वारा समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. *31 मार्च 2021 को निदेशक मंडल की संरचना (शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल/ विशेषज्ञता सहित)*

निदेशक का नाम	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर-स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
		अध्यक्ष		
श्री एम.आर. कुमार	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी. एससी.	एचआर, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन .
		प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी		
श्री राकेश शर्मा	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, लघु उद्योग, एचआर , व्यवसाय प्रबंधन , प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
		उप प्रबंध निदेशक		
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बीई (ऑनर्स), एमबीए	लेखाशास्त्र, बैंकिंग, व्यवसाय प्रबंधन, एचआर , जोखिम, वित्त, आईटी, मार्केटिंग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री सुरेश खटनहार	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	एम. कॉम, सीएआईआईबी एवं आईसीडब्ल्यूए	लेखाशास्त्र, बैंकिंग, वित्त, जोखिम, कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं लघु उद्योग, व्यवसाय प्रबंधन , प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
		नामिती निदेशक		
श्री राजेश कंडवाल (एलआईसी)	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	एम. एससी (बॉटनी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंशयुरेन्स के फैलो सदस्य, इंडस्ट्रियल रिलेशन एवं पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा तथा इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, दिल्ली द्वारा सर्टिफाइड कॉरपोरेट डायरेक्टर	लेखाशास्त्र, वित्त, एचआर , जोखिम, व्यवसाय प्रबंधन , प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
सुश्री मीरा स्वरूप (भारत सरकार)	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	स्नातकोत्तर (राजनीति विज्ञान)	लेखाशास्त्र एवं वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री अंशुमन शर्मा (भारत सरकार)	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	स्नातकोत्तर	लेखाशास्त्र एवं वित्त, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, लॉ, मार्केटिंग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
		स्वतंत्र निदेशक		
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी. एससी. (ऑनर्स), एम. एससी . (फिजिक्स), विकास परियोजनाओं के प्रबंध एवं कार्यान्वयन (एमआईडीपी) में मास्टर्स प्रोग्राम, एवं वित्तीय प्रबंध में पीजी डिप्लोमा	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, लघु उद्योग, जोखिम, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी कॉम एवं सीएआईआईबी	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन

निदेशक का नाम	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर-स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
श्री समरेश परिदा	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	सनदी लेखाकार, कॉस्ट अकाउंटेंट एवं एमबीए	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, आईटी, व्यवसाय प्रबंधन, रणनीतिक आयोजना, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री एन. जंबुनाथन	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी, प्रबंधन में डिप्लोमा	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, आईटी, भुगतान एवं निपटान, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री दीपक सिंघल	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बीए, एमबीए , सीएआईआईबी, पीजीडीआरएम	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, एचआर, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री संजय जी. कल्लापुर	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी कॉम., एम. एम. एस., व्यवसाय अर्थशास्त्र में पीएचडी, एसीएमए	लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, वित्त, जोखिम, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्रीमती पी. वी. भारती	गैर-कार्यपालक	महिला स्वतंत्र	बी एससी, एमए (अर्थशास्त्र), बीएड , सीएआईआईबी, बैंकिंग एवं वित्त में एकीकृत पाठ्यक्रम (एनआईबीएम)	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, जोखिम, अर्थशास्त्र, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन

वर्तमान में बोर्ड में 14 (चौदह) निदेशकों की संख्या संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 114(ए) के अंतर्गत प्रदान की गई अपेक्षाओं को पूरा करती है.

बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग)बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

बैंक की स्वतंत्र निदेशक डॉ. आशिमा गोयल ने 08 दिसंबर 2020 से बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है, चूंकि उनके पास कई नई गतिविधियां थीं जिनके लिए उन्हें समय निकालने की आवश्यकता थी और उनके लिए आईडीबीआई बैंक के बोर्ड के साथ न्याय करने के लिए समय निकालना मुश्किल था और इस्तीफे के लिए त्याग-पत्र में उल्लेखित के अलावा कोई अन्य कारण नहीं था.

iii. निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

(i) बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक का किसी अन्य निदेशक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध नहीं है.

(ii) आरबीआई द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा के अनुसार बैंक के किसी भी निदेशक की आयु सत्तर वर्ष नहीं है.

(iii) बैंक के अध्यक्ष एक गैर-कार्यपालक निदेशक हैं और वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित 'रिलेटिवट शब्द की परिभाषा के अनुसार बैंक के एमडी एवं सीईओ से संबंधित नहीं हैं.

iv. बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई अथवा तीन (3) निदेशक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा बशर्ते कि इनमें कम से कम एक निदेशक एलआईसी का नामिती और एक स्वतंत्र निदेशक हो.

v. बोर्ड की बैठकों की बारंबारता

बोर्ड की बैठक आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी तथा बोर्ड की लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए.

vi. आयोजित बैठकों की संख्या :

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021) के दौरान बोर्ड की कुल 16 बैठकें 08 अप्रैल 2020, 18 मई 2020, 30 मई 2020, 26 जून 2020, 28 जुलाई 2020, 29 अगस्त 2020, 02 सितंबर 2020, 29 सितंबर 2020, 23 अक्तूबर 2020, 29 अक्तूबर 2020, 26 नवंबर 2020, 05 दिसंबर 2020, 30 दिसंबर 2020, 28 जनवरी 2021, 12 फरवरी 2021 और 26 मार्च 2021 को संपन्न हुईं. कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बैठकें आयोजित की गईं और आपके बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा नीचे तालिका 1 में दिया गया है.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और वार्षिक महा सभा में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	17 अगस्त 2020 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
		गैर-कार्यपालक अध्यक्ष			
श्री एम आर कुमार (डीआईएन-03628755)	(16/15)	उपस्थित	5	शून्य	1. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. - नामिती निदेशक एवं अध्यक्ष 2. एसीसी लि. - गैर-कार्यपालक निदेशक
		पूर्णकालिक निदेशक			
श्री राकेश शर्मा (डीआईएन-06846594)	(16/16)	उपस्थित	2	शून्य	शून्य
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन-02262530) [20.09.2019 से प्रभावी]	(16/16)	उपस्थित	3	1	शून्य
श्री सुरेश खटनहार (डीआईएन-03022106)	(16/16)	उपस्थित	1	शून्य	शून्य
		गैर-कार्यपालक निदेशक			
श्री राजेश कंडवाल (डीआईएन- 02509203)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री सुधीर श्याम (डीआईएन-08135013) [08.06.2020 तक)	(03/03)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएन- 07459492)	(16/14)	उपस्थित	2	शून्य	शून्य
श्री अंशुमन शर्मा (डीआईएन-07555065) [11.06.2020 से प्रभावी]	(13/09)	अनुपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	17 अगस्त 2020 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
		स्वतंत्र निदेशक			
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन - 00603925)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. आशिमा गोयल (डीआईएन - 00233635) [08.12.2020 तक)	(12/12)	उपस्थित	1	शून्य	1. एडल्वेसिस फाइनेंशियल सर्विसेस लि. - निदेशक
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन - 06713850)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री समरेश परिदा (डीआईएन - 01 853823)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन - 05126421)	(16/14)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपक सिंघल (डीआईएन - 08375146)	(16/16)	उपस्थित	1	शून्य	शून्य
श्री संजय जी कल्लापुर (डीआईएन - 08377808)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएन - 06519925) [14.01.2021 से प्रभावी]	(03/03)	लागू नहीं	1	1	शून्य

बैंक के किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास बैंक द्वारा जारी शेयर या संपरिवर्तनीय लिखत धारित नहीं है.

बोर्ड की समितियां

बोर्ड की कुल 13 समितियां हैं, यथा -

- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- अंशधारक संबंध समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति
- कार्यपालक समिति
- धोखाधड़ी निगरानी समिति
- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति

ए. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

i. विचारार्थ विषय

- संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण सहायता, अर्थात् (क) पूंजी बाजार, और (ख) रियल इस्टेट की समीक्षा
- अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारक (केवाईसी / एएमएल) दिशा-निर्देश -
  i. कार्यान्वयन की समीक्षा;
  ii. शाखाओं में केवाईसी/ एएमएल दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की समीक्षा;

- हाउस कीपिंग की समीक्षा - विशेषकर लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों उचंत/ विविध/ देय अथवा प्रदत्त ड्राफ्ट/ मार्गस्थ निधियाँ/ समाशोधन/ सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल)/ संघटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों का संतुलन और समाधान;
- रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के संबंध में अनुपालन की समीक्षा. (जब तक बैंक पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता, एसीबी को निरंतर आधार पर इसकी समीक्षा करनी चाहिए. एसीबी को रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में दर्शायी गयी कमियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए);
- लेखा-परीक्षा योजना और इसकी उपलब्धियों की स्थिति की समीक्षा;
- महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों/निम्नलिखित लेखा-परीक्षाओं में पायी गयी आंतरिक नियंत्रण कमियों की उसके अनुपालन सहित समीक्षा- (i) लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) (ii) संगामी लेखा-परीक्षा (iii) आंतरिक निरीक्षण (iv) डाटा सेंटर और अन्य विभागों की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा (v) ट्रेज़री और डेरिवेटिव (vi) नियंत्रक कार्यालयों/ प्रधान कार्यालय में प्रबंधन लेखा-परीक्षा (vii) सेवा शाखाओं की लेखा-परीक्षा (viii) करेंसी चेस्ट (ix) विदेशी मुद्रा विनिमय में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) लेखा-परीक्षा आदि;
- एसीबी/ बोर्ड/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट;
- समुद्रपारीय शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों में विनियामकों की विनियामकीय अपेक्षाओं पर अनुपालन रिपोर्ट;
- प्रबंधन चर्चा, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण की कमियों के बारे में जारी पत्रों/प्रबंधन पत्रों सहित तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा;
- विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघन संबंधी जानकारी की समीक्षा;
- उधारकर्ता कंपनियों में उनकी प्रदत्त पूंजी के 30% से अधिक की इक्विटी शेयर धारिता के संबंध में जानकारी;
- मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के दौरान रिपोर्ट किए गए सभी धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा;
- संबद्ध पक्षों के साथ लेन-देनों और संबंधित पक्ष लेनदेन तथा संबद्ध पक्ष लेनदेन में अनुवर्ती संशोधन, कोई हो के लिए पूर्वानुमोदन की समीक्षा,
- (क) जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा नीति, (ख) संगामी लेखा-परीक्षा नीति और (ग) आईएस लेखा-परीक्षा नीति की समीक्षा;
- बैंक के लेखों में अधिक पारदर्शिता लाने और लेखांकन मानकों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक की लेखांकन नीतियों/ प्रणालियों की समीक्षा; वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन और उसके परिणाम की समीक्षा. इस आशय की पुष्टि कि लेखांकन नीतियां, मानकों और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखा-परीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा;
- बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा;
- बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य निष्पादन, देशी और समुद्रपारीय परिचालनों दोनों के लिए लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा;
- निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुति से पूर्व एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग सी के बिन्दु ए (4) में दर्शाई गयी (क) से (छ) की मदों के विशेष संदर्भ में वार्षिक लेखों/ वित्तीय विवरणों और इन पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए लेखा-परीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान का अनुमोदन करना;
- लेखा-परीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा साथ ही चिंताजनक विषयों का पता लगाने के लिए लेखा-परीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श;
- विभिन्न कानूनों और संविधियों के तहत बैंक पर लगाए गए दंडों/ दंडात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए की गयी कार्रवाई;
- आंतरिक/ बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा पता लगाई गई राजस्व हानि की रिपोर्ट और इसकी वसूली की स्थिति की समीक्षा- कमतर राजस्व के कारण और राजस्व हानियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई;
- ऑफर दस्तावेज़ों और निधियों के सार्वजनिक निर्गम (सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित) के ज़रिये जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग पर रिपोर्ट और साथ ही साथ, (i) विनियमावली 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी रिपोर्ट सहित विचलन(नों) के तिमाही

विवरण और (ii) एलओडीआर विनियमावली के विनियम 32(7) के अनुसार ऑफर दस्तावेज़ में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिये उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण;

- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में वास्तविक चूक के कारणों की समीक्षा;
- असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए विशेष निवेशों सहित वित्तीय विवरणियों की समीक्षा;
- पहली बार हुए एनपीए (एफ़टीएनपीए) की समीक्षा;
- ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के नकारे गए चेक;
- संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा;
- वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना का अनुमोदन;
- आउटसोर्स वेंडरों की लेखा-परीक्षा की वार्षिक समीक्षा;
- सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली (पूर्व में विसिल ब्लोअर तंत्र) की समीक्षा;
- (i) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (ii) मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक और (iii) मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन;
- सूचीबद्ध संस्थाओं के उपक्रमों और आस्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो;
- बैंक के लेखों को प्रभावित करने वाले रिज़र्व बैंक के परिपत्र;
- अनुपालन स्थिति सहित पिछली बैठकों में एसीबी/ एसीबी अध्यक्ष द्वारा दिये गए विशेष निदेश;
- अंगीकार करने के उद्देश्य से वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) को रिपोर्ट किए गए एनपीए/वसूली संबंधित मामले;
- सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा;
- होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक संस्था में ₹ 100 करोड़ से अधिक या सहायक संस्था के आस्ति भाग के 10%, से मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित जो भी कम हो, के निवेश की ऋण और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा,
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एसीबी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को एसीबी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से चार सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात श्री समरेश परिदा, अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी.वी. भारती, अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी).

श्री सुरेश खटनहार, उप प्रबंध निदेशक, सुश्री मीरा स्वरूप एवं श्री अंशुमन शर्मा, भारत सरकार के नामित निदेशक एसीबी बैठकों के स्थाई विशेष आमंत्रिती हैं.

iii. एसीबी बैठकों के लिए कोरम एवं बारंबारता

एसीबी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, इनमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे.

iv. एसीबी बैठकों की बारंबारता

एसीबी की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी और एसीबी की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

v. एसीबी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एसीबी की 14 बैठकें 16 अप्रैल 2020, 18 मई 2020, 30 मई 2020, 25 जून 2020, 28 जुलाई 2020, 28 अगस्त 2020, 28 सितंबर 2020, 23 अक्तूबर 2020, 28 अक्तूबर 2020, 25 नवंबर 2020, 29 दिसंबर 2020, 28 जनवरी 2021, 11 फरवरी 2021 और 25 मार्च 2021 को संपन्न हुईं.

बी. कार्यपालक समिति (ईसी)

i. विचारार्थ विषय

- 250 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले उच्च मूल्य ऋण प्रस्तावों की मंजूरी;
- कार्यपालक समिति द्वारा मंजूरी संबंधी बनाए गए निबंधनों और शर्तों में संशोधन;
- ऋण समितियों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग;
- समझौता / एकबारीय निपटान (ओटीएस) हेतु प्रस्तावों की मंजूरी;
- निम्नलिखित को ₹ 25 लाख से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी:
  - अन्य बैंकों के निदेशक (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सहित);
  - कोई फर्म जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों; और
  - कोई कंपनी जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों;
- निम्नलिखित को ₹ 25 लाख से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी :
  - बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों या अन्य बैंकों के निदेशकों के कोई संबंधी,
  - अन्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के कोई संबंधी,
  - कोई फर्म जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों, और
  - कोई कंपनी जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों,
- प्रतिभूतिकरण पोर्टफोलियो की मंजूरियों की रिपोर्टिंग;
- कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित मामलों के संबंध में प्रतिभूति सृजन की स्थिति की समीक्षा और रिपोर्टिंग;
- देय और प्राप्य राशियों के निवेश लिखत(तों) में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. ईसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को ईसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं. समिति के अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ हैं तथा सदस्य श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक.

iii. ईसी बैठकों के लिए कोरम

ईसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा ईसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. ईसी बैठकों की बारंबारता

ईसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. ईसी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कार्यपालक समिति की कुल 25 बैठकें हुईं जो 16 अप्रैल 2020, 29 अप्रैल 2020, 16 मई 2020, 29 मई 2020, 15 जून 2020, 25 जून 20020, 15 जुलाई 2020, 27 जुलाई 2020, 12 अगस्त 2020, 28 अगस्त 2020, 14 सितंबर 2020, 28 सितंबर 2020, 16 अक्तूबर 2020, 28 अक्तूबर 2020, 11 नवंबर 2020, 25 नवंबर 2020, 14 दिसंबर 2020, 29 दिसंबर 2020, 13 जनवरी 2021, 29 जनवरी 2021, 11 फरवरी 2021, 25 फरवरी 2021, 15 मार्च 2021, 25 मार्च 2021 और 30 मार्च 2021 को संपन्न हुईं.

सी हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

i. विचारार्थ विषय

हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियमावली के विनियम 20 तथा अनुसूची II के भाग डी के अंतर्गत उपबंधित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है.

एसआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :

- शेयरों के अंतरण/हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए /डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, महा सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित शेयरधारकों, बांडधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान;
- उपर्युक्त में दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए एसआरसी अपनी प्रत्येक बैठक में इक्विटी सर्विसिंग और बांड सर्विसिंग रिपोर्टों पर विचार तथा उनकी समीक्षा करेगी और जरूरी होने पर इस संबंध में निदेश जारी करेगी;
  - इक्विटी सर्विसिंग संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा;
  - फ्लेक्सीबॉण्डों की सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट;
  - शेयर पूँजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समाधान की रिपोर्टिंग;
  - स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निवेशकों की शिकायतों के विवरणों की रिपोर्टिंग;
  - शेयरधारकों द्वारा वोटिंग अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपाय की समीक्षा;
  - रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा दी गई विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा;
  - अदावी लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वारंट /वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समयबद्ध प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपाय और पहल कार्यों की समीक्षा;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एसआरसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को एसआरसी में चार सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं. समिति के अध्यक्ष श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक हैं और अन्य सदस्य हैं - श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक.

श्री पवन अग्रवाल, बैंक के कंपनी सचिव ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य किया.

iii. एसआरसी बैठक के लिए कोरम

एसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा एसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. ***एसआरसी बैठकों की बारंबारता***

एसआरसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. ***एसआरसी की बैठकें***

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एसआरसी की चार बैठकें दिनांक 29 मई 2020, 29 अगस्त 2020, 26 नवंबर 2020 और 12 फरवरी 2021 को संपन्न हुईं.

vi. *i.* ***अनुरोध/ शिकायतों की संख्या (इक्विटी और बांड)***

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त शेयरधारकों/ बान्डधारकों की शिकायतों की संख्या	**5,819**
जिन शिकायतों का समाधान शेयरधारकों/ बान्डधारकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया गया उनकी संख्या	**शून्य**
लंबित शिकायतों की संख्या	**280**

डी. धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)

i. ***विचारार्थ विषय***

₹ 1 करोड़ तथा इससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए एक विशेष समिति के रूप में धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) का गठन किया गया है. इसका गठन धोखाधड़ी का पता लगाने, उन पर निगरानी रखने और उनसे निपटने के लिए किया गया है.

एफएमसी की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- प्रणालीगत कमी, यदि कोई है, जिससे धोखाधड़ी संभव हुई हो, की पहचान करना तथा उसे रोकने के लिए उपाय सुझाना;
- धोखाधड़ी, यदि कोई है, का पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान करना तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन और रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना;
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)/पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी करना;
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही की जांच हो तथा बिना समय गँवाए तत्काल कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, पूरी हो;
- धोखाधड़ी की पुनर्रावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता, जैसे आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, की समीक्षा करना;
- रेड फ्लैग खातों तथा बकाया रेड फ्लैग खातों के बारे में की गई उपचारात्मक कार्रवाई/दिए गए जांच आदेश की स्थिति की समीक्षा करना;
- धोखाधड़ी के मामलों में स्टाफ जवाबदेही प्रक्रिया के पूरा होने और उस पर की गई कार्रवाई को नोट करना;
- सीबीआई, पुलिस आदि द्वारा जांच किए जा रहे मामलों से वसूली सहित धोखाधड़ी मामलों में वसूली की स्थिति;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. ***एफएमसी की संरचना***

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को एफएमसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं. समिति के अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ हैं तथा सदस्य श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी वी भारती अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी) हैं.

iii. ***एफएमसी बैठकों के लिए कोरम***

एफएमसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा एसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. *एफएमसी बैठकों की बारंबारता*

₹ 1 करोड़ और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामले जब कभी भी प्रकाश में आने पर धोखाधड़ी निगरानी समिति की बैठक आयोजित करना अपेक्षित होता है और उसमें मामले की समीक्षा की जाती है.

v. *एफएमसी की बैठकें*

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एफएमसी की पांच बैठकें दिनांक 24 जून 2020; 29 अगस्त 2020; 29 अक्तूबर 2020; 30 दिसंबर 2020; और 25 मार्च 2021 को संपन्न हुईं.

ई. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

i. *विचारार्थ विषय*

बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करने, उनमें कमी लाने का प्रयास करने, आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का भी समाधान करने और साथ ही बैंक की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है.

आरएमसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:

- चलनिधि जोखिम सहित बैंक के समक्ष आने वाले सभी जोखिमों का मूल्यांकन करना;
- अन्य जोखिमों के साथ चलनिधि जोखिम के संभाव्य प्रभाव को आरएमसी द्वारा निवारण किए जा रहे जोखिमों में भी शामिल किया जाए;
- नकदी प्रवाह के अनुमानों की रिपोर्टिंग, और चलनिधि जोखिम, प्रयुक्त धारणाओं का मापन;
- बोर्ड को नीतियों यथा ऋण नीति, वसूली नीति, निधि प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता नीति, परिचालनगत जोखिम तथा कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर एवं बीसीएम) नीति, डीआईएफसी शाखा एएलएम नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, बाजार जोखिम तथा डेरिवेटिव नीति, देशी जोखिम प्रबंधन नीति एवं देशी जोखिम सीमाएं, निवेश नीति आदि की सिफ़ारिश करना;
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली/ एएलएम एवं जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा;
- परिचालनगत जोखिम एवं कारोबार निरंतरता प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा;
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा;
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बाजार जोखिम रिपोर्ट की समीक्षा;
- दबाव परीक्षण के परिणामों की समीक्षा;
- जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा;
- आंतरिक रेटिंग के मायग्रेशन और चूक का विश्लेषण;
- आस्ति देयता प्रबंधन समीक्षा;
- बासेल III कार्यान्वयन तथा जोखिम प्रबंधन विभाग के अन्य कार्यकलापों की समीक्षा;
- संपार्श्विक प्रबंधन तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) तकनीक पर नीति;
- प्रणाली, उत्पाद अनुमोदन एवं समीक्षा समिति (स्पार्क) I एवं II के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग;
- बासेल II तथा III के लिए तैयारी की स्थिति की समीक्षा;
- प्रतिपक्षकार बैंक सीमाओं एवं घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिए सीमाओं के आबंटन पर नीति;
- ऋण एक्सपोजर - मानदंडों की समीक्षा तथा उनका अनुपालन;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन को प्राप्त करने के उद्देश्य से नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ समन्वय में कार्य करना;
- बैंक में साइबर सुरक्षा कार्य की निगरानी; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. ***आरएमसी की संरचना***

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को आरएमसी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री अंशुमन शर्मा, सरकार के नामिती निदेशक, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, समिति की अध्यक्ष के रूप में अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी).

iii. ***आरएमसी बैठकों के लिए कोरम***

आरएमसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा आरएमसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. ***आरएमसी बैठकों की बारंबारता***

आरएमसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. ***आरएमसी की बैठकें***

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान आरएमसी की छह बैठकें दिनांक 16 मई 2020; 15 जून 2020; 12 अगस्त 2020; 28 अगस्त 2020; 11 नवंबर 2020 और 25 फरवरी 2021 को संपन्न हुईं.

एफ. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)

i. ***विचारार्थ विषर्य***

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति तैयार कर बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिये गए क्षेत्रों और विषयों के अनुसार बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी गई हो;
- उपर्युक्त खंड में दिए गए कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;
- बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर की निगरानी करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. ***सीएसआरसी की संरचना***

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को सीएसआरसी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी).

iii. ***सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम***

सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सीएसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. ***सीएसआरसी बैठकों की बारंबारता***

सीएसआरसी की बैठकें छमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. ***सीएसआरसी की बैठकें***

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान सीएसआरसी की दो बैठकें दिनांक 18 मई 2020 और 26 नवंबर 2020 को संपन्न हुईं.

जी. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

i. ***विचारार्थ विषय***

बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक संरक्षण तथा सेवाओं के लिए अभिशासन संरचना को मजबूत बनाने और साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां बनाने और उनके आंतरिक अनुपालन का आकलन करने के लिए ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया है.

सीएससी की व्यापक भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहक की शिकायतों पर ध्यान देना तथा ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना;
- व्यापक जमा नीति तैयार करना;
- जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उनके खाते के परिचालन जैसे मुद्दों का समाधान;
- उपयुक्तता तथा सटीकता के उद्देश्य से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया;
- जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण;
- ऐसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा;
- विभिन्न राज्यों के बैंकिंग लोकपाल द्वारा समाधान की जा चुकी शिकायतों के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाना;
- बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए सभी निर्णयों पर ध्यान देना;
- तीन माह से अधिक समय तक कार्यान्वित नहीं किए गए सभी निर्णयों की कारणों सहित समीक्षा करना;
- बैंक में ग्राहक सुरक्षा एवं सेवा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;
- भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) संहिता अनुपालन रेटिंग;
- शिकायत निवारण नीति का संशोधन;
- प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों की जांच करना.
- आंतरिक लोकपाल की गतिविधियों की समीक्षा; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. सीएससी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को सीएससी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, सुश्री मीरा स्वरूप, सरकार की नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक.

iii. सीएससी बैठकों के लिए कोरम

सीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. सीएससी बैठकों की बारंबारता

सीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. सीएससी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान सीएससी की चार बैठकें दिनांक 24 जून 2020, 29 सितंबर 2020, 30 दिसंबर 2020 और 25 मार्च 2021 को संपन्न हुईं.

एच. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक में प्रभावी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया गया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न आईटी समर्थकारी सेवाएं प्रदान करना, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना तथा नए आईटी उत्पाद लांच करने में सहायता देना और तत्संबंधी सेवाएं प्रदान करना और साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी करना है.

आईटीएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- बोर्ड को प्रस्तावित आईटी बजट की संस्तुति;
- आईटी बजट के उपयोग की समीक्षा;
- बैंक के ग्राहकों के लिए विभिन्न उत्पादों तथा आईटी आधारित सेवाओं के प्रारंभ की समीक्षा
- आंतरिक अथवा बाहर से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के विकास, अधिप्राप्ति और परिचालनों की समीक्षा करना और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने अथवा अन्य क्रियाविधि के लिए प्रक्रियाएँ तैयार करना;
- सिस्टम और प्रक्रियाओं के निष्पादन, कार्यान्वयन और परिचालन की देखरेख करना.
- प्रौद्योगिकी के ज़रिए शाखाओं के एकीकरण और बैंक के लिए एमआईएस के विकास का निरीक्षण करना;
- प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर की अद्यतन स्थिति और की गईं प्रमुख आईटी पहलों की समीक्षा करना;
- सूचना सुरक्षा संबंधी घटनाओं की समीक्षा;
- डिजिटल बैंकिंग और अभिनव भुगतान प्रणालियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा;
- सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा;
- आईटी नीति की समीक्षा;
- साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारी का मूल्यांकन;
- साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी;
- साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. आईटीएससी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को आईटीएससी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक, श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री अंशुमन शर्मा, सरकार के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम

आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा आईटीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. आईटीएससी बैठकों की बारंबारता

आईटीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी तथा किन्हीं दो बैठकों के मध्य चार माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

v. आईटीएससी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान आईटीएससी की सात बैठकें दिनांक 08 अप्रैल 2020, 29 अप्रैल 2020, 12 अगस्त 2020, 27 अगस्त 2020 11 नवंबर, 2020, 11 फरवरी 2021 और 15 मार्च 2021 एवं 17 मार्च 2021 (स्थगित बैठक) को संपन्न हुईं.

आई. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

i. विचारार्थ विषय

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- निदेशक के लिए अर्हताओं, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों व अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;

- बोर्ड, उसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए, या तो बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा, स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा निष्पादन की रीति को निर्दिष्ट करना और उनके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा करना.
- स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त हैं तथा जो वरिष्ठ प्रबंधन में मानदंडों के अनुरुप नियुक्ति की पात्रता रखते हों तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति एवं हटाने की सिफारिश करना;
- अर्हता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा, 'उपयुक्त और उचितट मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता (यदि लागू हो) तथा स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/नियुक्ति को जारी रखने की योग्यता को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया पर कार्य करना तथा उससे संबंधित मानदंड को तैयार करना
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति बनाना;
- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को भुगतान किए जाने वाले सभी पारिश्रमिकों, चाहे वे किसी भी रूप में हों, की सिफारिश करना;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन प्राप्त करने के संबंध में जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय कार्य; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एनआरसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को एनआरसी में छह सदस्य शामिल थे, सभी सदस्य गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, अर्थात श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, सुश्री मीरा स्वरूप, सरकार की नामिती निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक और श्री अंशुमन शर्मा, सरकार के नामिती निदेशक.

iii. एनआरसी बैठकों के लिए कोरम

एनआरसी बैठकों के लिए कोरम एनआरसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा एनआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

iv. एनआरसी बैठकों की बारंबारता

वर्ष में कम से कम एक बार एनआरसी की बैठक आयोजित की जाएगी.

v. एनआरसी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एनआरसी की चार बैठकें दिनांक 16 मई 2020, 29 मई 2020, 28 सितंबर 2020 और 13 जनवरी 2021 को संपन्न हुईं.

vi. स्वतंत्र निदेशकों के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन मानदंड

स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन एक तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है जिसमें बोर्ड में उपस्थिति, बैठक के दौरान भागीदारी, निदेशकों के योगदान का स्तर, ज्ञान की गुणवत्ता और विषय की समझ, पारदर्शिता का स्तर आदि कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंड शामिल हैं. इसकी प्रश्नावली पहले ही निदेशकों को विचार करने और मूल्यांकन के बारे में अपनी राय बनाने के लिए परिचालित कर दी जाती है. स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन जिस निदेशक का मूल्यांकन किया जा रहा है, उन्हें छोड़कर पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है. मूल्यांकन में उपर्युक्त मानदंडों पर निदेशकों का कार्य-निष्पादन और स्वतंत्र मानदंडों को पूरा करना शामिल है. इसके अलावा मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है.

जे. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

i. विचारार्थ विषय

मानव संसाधन संबधी मामलों को देखने और मानव संसाधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु एचआरएससी का गठन किया गया है.

एचआरएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- भर्ती, प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां बनाना;
- कार्य-निष्पादन प्रबंधन, क्षतिपूर्ति और कैरियर विकास पहलों की समीक्षा;
- प्रबंधन नियोजन एवं विकास और उत्तराधिकार नियोजन पर विचार करना;
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना;
- कार्मिक की नियुक्ति, मानवशक्ति मूल्यांकन, पदोन्नति आदि सहित विभिन्न एचआर मामलों पर विचार और अनुमोदन प्रदान करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एचआरएससी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को एचआरएससी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, सुश्री मीरा स्वरूप, सरकार की नामिती निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एचआरएससी समिति की बैठकों के लिए कोरम

एचआरएससी बैठकों के लिए कोरम एचआरएससी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा एचआरएससी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. एचआरएससी बैठकों की बारंबारता

एचआरएससी की बैठक आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएगी.

v. एचआरएससी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एचआरएससी की आठ बैठकें दिनांक 08 अप्रैल 2020; 16 मई 2020; 25 जून 2020; 28 अगस्त 2020; 29 सितंबर 2020; 25 नवंबर 2020; 29 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 को संपन्न हुईं.

के. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

i. विचारार्थ विषय

भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एनपीए, दबावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, सरकारी परिसमापक (ओएल) मामलों, ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) मामलों आदि से वसूली की समीक्षा करने के लिए और वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने तथा अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए आरआरसी का गठन किया गया है.

आरआरसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- अनर्जक आस्तियों (एनपीए)/ बट्टे खाते डाले गए खातों के वसूली कार्यनिष्पादन की समीक्षा;
- दबावग्रस्त संरचित रिटेल आस्तियों (एसआरए) और शीघ्र अनर्जक होने वाली आस्तियों वाले मामलों की समीक्षा;
- बैंक की शीर्ष 100 अनर्जक आस्तियों की समीक्षा;
- कॉरपोरेट वर्टिकलों के दबावग्रस्त खातों की समीक्षा;

- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के संबंध में स्थिति रिपोर्ट;
- विशेष उल्लेखवाले खातों (एसएमए) की समीक्षा;
- वाद दायर किए गए मामलों की समीक्षा;
- प्रथम बारीय एनपीए (एफटीएनपीए)/ इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा;
- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की तिमाही समीक्षा; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. *आरआरसी की संरचना*

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को आरआरसी में सात सदस्य शामिल थे, जिसमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, सुश्री मीरा स्वरूप, सरकार की नामिती निदेशक, श्री अंशुमन शर्मा, सरकार के नामिती निदेशक, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी).

iii. *आरआरसी बैठकों के लिए कोरम*

आरआरसी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा आरआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. *आरआरसी बैठकों की बारंबारता*

आरआरसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. *आरआरसी की बैठकें*

31 मार्च 2021 तक आरआरसी की 4 बैठकें दिनांक 24 जून 2020; 14 सितंबर 2020; 14 दिसंबर 2020 और 15 मार्च 2021 को संपन्न हुईं.

एल. असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी)

i. *विचारार्थ विषय*

असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी) की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- ऋणकर्ता को असहयोगी ऋणकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित आंतरिक असहयोगी ऋणकर्ता समिति के आदेशों/निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. *एनसीबीआरसी की संरचना*

असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी) का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया.

31 मार्च 2021 को एनसीबीआरसी में अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ तथा सदस्यों के रूप में श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी और श्री दीपक सिंघल स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

iii. *एनसीबीआरसी की बैठकों के लिए कोरम*

एनसीबीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगा.

iv. *एनसीबीआरसी बैठकों की बारंबारता*

बैंक की आंतरिक असहयोगी उधारकर्ता समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को 'असहयोगी उधारकर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो एनसीबीआरसी को बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होगा.

v. *एनसीबीआरसी की बैठकें*

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 तक एनसीबीआरसी की दो बैठकें दिनांक 26 जून 2020 और 15 मार्च 2021 को संपन्न हुई.

एम. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डबल्यूडीआरसी)

i. विचारार्थ विषय

इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डबल्यूडीआरसी) की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- ऋणकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में आंतरिक इरादतन चूककर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. डब्ल्यूडीआरसी की संरचना

इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी) का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया.

31 मार्च 2021 को इस समिति में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, अध्यक्ष के रूप में और श्री एन. जंबुनाथन और श्री भुवनचंद्र बी जोशी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे.

iii. डब्ल्यूडीआरसी की बैठकों के लिए कोरम

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगा.

iv. डब्ल्यूडीआरसी बैठकों की बारंबारता

बैंक की इरादतन चूककर्ता संबंधी आंतरिक समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो डब्ल्यूडीआरसी के लिए बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होता है.

v. डब्ल्यूडीआरसी की बैठकें

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को डब्ल्यूडीआरसी की छह बैठकें दिनांक 18 मई 2020; 26 जून 2020; 09 जुलाई 2020; 27 अगस्त 2020; 29 जनवरी 2021 और 20 फरवरी 2021 को संपन्न हुई.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक की इस समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण तालिका 2 में दिया गया है.

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक (आईडीएम)

i. विचारार्थ विषय

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV, एलओडीआर विनियमावली के विनियम 25 के निबंधनों के अनुसार और भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिव मानक-1 के प्रावधानों का स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अनुपालन किया जाता है.

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक की भूमिका:

- गैर-स्वतंत्र निदेशकों की और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए बैंक के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- बैंक के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड के कर्तव्यों के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक है; और
- जहां कहीं भी लागू हों सेबी विनियमों के तहत अनुपालन करना.

ii. स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों की संरचना

31 मार्च 2021 को स्वतंत्र निदेशकों की समिति में सात सदस्य अर्थात् श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री भुवनचंद्र बी जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय जी. कल्लापुर और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

स्वतंत्र निदेशक प्रत्येक बैठक में अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं.

iii. स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों के लिए कोरम

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशक आईडीसी की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे.

iv. स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों की बारंबारता

स्वतंत्र निदेशकों बैठकें वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होंगी.

v. स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

यथा 31 मार्च 2021 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की तीन बैठकें दिनांक 29 अप्रैल 2020 तथा 15 मई 2020 (स्थगित बैठक); 06 जुलाई 2020 और 12 फरवरी 2021 को संपन्न हुईं.

बोर्ड की क्यूआईपी समिति (क्यूआईपी समिति)

बैंक के निदेशक मंडल ने 29 अक्तूबर 2020 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के प्रयोजन हेतु 'क्यूआईपी समिति' नाम से बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया. इस समिति का गठन केवल क्यूआईपी प्रक्रिया के निर्बाध संचालन के लिए किया गया.

उक्त क्यूआईपी समिति में श्री सैम्युअल जोसेफ, डीएमडी, श्री अंशुमन शर्मा, सरकारी नामिती निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री समरेश परिदा, एसीबी के अध्यक्ष और श्री बी. बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे. उक्त बैठकों में भाग लेने के लिए सदस्यों को बैठक शुल्क का भुगतान किया गया.

क्यूआईपी समिति की पाँच बैठकें दिनांक 15 दिसंबर 2020 (2 बैठकें); 18 दिसंबर 2020 (2 बैठकें) और 19 दिसंबर 2020 को संपन्न हुईं. समिति के सभी सदस्यों ने सम्पन्न सभी बैठकों में हिस्सा लिया.

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

क्र. सं.	निदेशक का नाम	एसीबी		ईसी		एसआरसी		एफएमसी		आरएमसी		सीएसआरसी		सीएससी		आईटीएससी		एनआरसी		एचआर एससी		आआरसी		एनसीबी आरसी		डब्ल्यू डीआरसी	
		आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ
1.	श्री एम. आर. कुमार (डीआईएन: 03628755)																										
2.	श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: 06846594)			25	25			05	05	06	06	02	02	04	04	07	07			08	08	04	04	02	02	06	06
3.	सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन: 02262530)	14	14	25	25	04	04	05	05	06	06	02	02	04	04	07	07			08	08	04	04				
4.	श्री सुरेश खटनहार (डीआईएन: 03022106)			25	24	04	04	05	05	06	06	02	02	04	04	07	07			08	08	04	04				
5.	श्री राजेश कंडवाल* (डीआईएन: 02509203)	12	12															04	04	08	08						
6.	श्री सुधीर श्याम (डीआईएन: 08135013) [08.06.2020 तक]									01	01	01	01			02	02										
7.	सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएन: 07459492)													04	02			04	04	08	05	04	02				
8.	श्री अंशुमन शर्मा (डीआईएन: 07555065)									04	03					05	03	02	01			03	01				
9.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन: 00603925)	14	14					05	05					04	04	07	07	04	04	05	05						
10.	डॉ. आशिमा गोयल (डीआईएन: 00233635) [08.12.2020 तक]	10	10			03	03					02	02									02	02				
11.	श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन: 06713850)			25	24					06	06							04	03					02	02	06	06
12.	श्री समरेश परिदा (डीआईएन: 01853823)	14	14									01	01			07	07			03	03	04	04				
13.	श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन: 05126421)			25	21	04	03									07	06	04	04							06	06
14.	श्री दीपक सिंघल (डीआईएन: 08375146)			25	25			05	05											08	08			02	02		
15.	श्री संजय जी. कल्लापुर (डीआईएन: 08377808)	14	14			01	01	04	04	06	06			04	04												
16.	श्रीमती पी. वी. भारती (डीआईएन: 06519925) [14.01.2021 से]	02	02					01	01	01	01	00	00									01	01				

** श्री राजेश कंडवाल 29 दिसंबर 2020 और 28 जनवरी 2021 को आयोजित 2 एसीबी बैठकों के लिए स्थाई विशेष आमंत्रित थे. वे एसीबी की सभी शेष बैठकों के लिए सदस्य के रूप में थे.*

31 मार्च 2021 को निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता के निर्धारण की मैट्रिक्स और ऐसे कौशल रखने वाले निदेशकों के नाम नीचे तालिका में दिए गए हैं;

	लेखा शास्त्र	कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था	बैंकिंग	सहयोग	अर्थ शास्त्र	वित्त	विधि	लघु उद्योग	मानव संसाधन	जोखिम	सूचना प्रौद्योगिकी	भुगतान और निपटान	व्यापार प्रबंधन	प्रशासन	कॉरपोरेट अभिशासन
श्री एम. आर. कुमार									√					√	√
श्री राकेश शर्मा	√	√	√		√			√	√				√	√	√
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	√		√			√			√	√	√		√	√	√
श्री सुरेश खटनहार	√	√	√			√		√		√			√	√	√
सुश्री मीरा स्वरूप	√				√									√	√
श्री अंशुमन शर्मा	√		√		√	√	√							√	√
श्री राजेश कंडवाल	√					√			√	√			√	√	√
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी		√				√		√	√	√				√	√
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी		√	√			√		√						√	√
श्री समरेश परिदा	√	√				√					√		√	√	√
श्री एन. जंबुनाथन		√	√					√			√	√		√	√
श्री दीपक सिंघल		√	√						√				√	√	√
श्री संजय जी. कल्लापुर	√				√	√				√				√	√
श्रीमती पी. वी. भारती		√	√		√			√		√				√	√

वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(क) और धारा 92(3) के अनुसरण में बैंक की वार्षिक विवरणी बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp पर रखी जाती है.

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर प्रकथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. के स्वतंत्र निदेशकगण श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय कल्लापुर और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक ने 1 अप्रैल 2021 को यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में और विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (बी), एलओडीआर विनियम के उप-विनियम 17(10) तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 10ए में उल्लिखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और वे किसी भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या यथोचित रूप से प्रत्याशित है, जो वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय के साथ और किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता को ह्रासित करते हैं या प्रभावित कर सकते हैं. वार्षिक प्रकटीकरण के साथ श्री एन. जंबुनाथन [जिनके लिए 12 मार्च 2021 को स्वतंत्र निदेशक डाटाबैंक को एक अभ्यावेदन दिया गया है, जिसके बाद डाटाबैंक में अपना नाम शामिल करने हेतु (जो गैर-नवीकरण के कारण 10 मार्च 2021 से समाप्त हो गया है) नवीनीकरण आवेदन दाखिल करने के लिए अनुमति देने हेतु अनुरोध करते हुये 19 मार्च 2021 को एमसीए को पत्र लिखा गया है ताकि उपरोक्त नियमों का पालन किया जा सके. डाटाबैंक/एमसीए के निर्णय की प्रतीक्षा है] को छोड़कर निदेशकों ने यह भी पुष्टि की है कि उन्होंने डाटाबैंक में पंजीकरण और उसके नवीकरण के संबंध में कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2019 के पांचवें संशोधन के नियम 6 के उप नियम 1 और 2 के प्रावधानों का अनुपालन किया है. आईआईसीए ने सूचित किया है कि समाप्त हुए खातों के नवीकरण के लिए नये नियमों को शीघ्र ही एमसीए द्वारा अधिसूचित किए जाने की आशा है. उक्त को निदेशक मंडल द्वारा 15 अप्रैल 2021 को नोट किया गया था और इसकी सत्यता का सही आकलन करने के बाद इसी पर बोर्ड की राय थी कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं. इसके अलावा, बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक सभी प्रयोज्य विधियों तथा बैंक की नीतियों के अधीन अपेक्षित आवश्यक निष्ठा, अनुभव, विशेषज्ञता और प्रवीणता रखते हैं.

एमसीए ने 18 जून 2021 की अपनी अधिसूचना द्वारा कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटाबैंक का सृजन एवं अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2021 में संशोधन करते हुए स्वतंत्र निदेशकों को डाटाबैंक में अपनी सदस्यता का नवीकरण करने की अनुमति दी है. इस संशोधन के फलस्वरूप श्री एन. जंबुनाथन ने 22 जून 2021 को डाटाबैंक में अपनी सदस्यता का नवीकरण कर लिया है.

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति

निदेशकों की नियुक्ति और मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में बैंक की नीति https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp लिंक के अंतर्गत इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.कंपनी का लाभांश वितरण नीति

कंपनी की लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण पर बैंक की नीति https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp लिंक के अंतर्गत इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.

सचिवीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों यथा एसएस-1 (बोर्ड बैठकों पर सचिवीय मानक) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक) को अंगीकृत किया है. बैंक ने अपनी बोर्ड, समिति और सामान्य बैठकों का आयोजन इन मानकों के अनुसार तथा इनका अनुपालन करते हुए किया है.

आंतरिक लेखापरीक्षक:

बैंक का अपना एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है जो आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्य करता है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार श्री एम. वी. फडके, कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक को मुख्य लेखा-परीक्षा अधिकारी नामित किया गया है.

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरुप बैंक ने आंतरिक लेखा-परीक्षा नीति अपनाई है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार श्री सुनित सरकार, कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को मुख्य लेखा-परीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

दिवाला एवं शोधन अक्षमता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत शुरू की गई कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पर प्रकटीकरण

बैंकिंग कंपनियों के लिए प्रावधान लागू नहीं है.

अपनी रिपोर्ट लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए प्रत्येक संप्रेक्षण, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा दावात्याग पर बोर्ड की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसे संप्रेक्षण, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा दावात्याग नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणियों की आवश्यकता हो. इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12)के अनुसार, बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा बैंक में की गई धोखाधड़ी की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों के विवरण

उप-धारा (1) को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान, सामान्य कारोबार के दौरान बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, गारंटी अथवा प्रतिभूति पर लागू नहीं होते हैं. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा किए गए निवेश के ब्योरे वित्तीय विवरणों को अनुसूची 8 में प्रकट किए गए हैं.

निर्धारित फॉर्म पर संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार के विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार, यदि कोई हो, के विवरण निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में रिपोर्ट के साथ अनुबंध-ए के रूप में संलग्न किए गए हैं.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर रिपोर्ट

बैंक की सीएसआर नीति की रूपरेखा https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp. लिंक के अंतर्गत वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है. बैंक द्वारा पूरे किए गए सीएसआर कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध-बी** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक एक विस्तृत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतित किया जाता है. बोर्ड की एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन सहित बैंक के जोखिम से संबंधित पहलुओं की

नियमित रूप से समेकित रूप से समीक्षा करती है. बैंक का निदेशक मंडल भी आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही न्यूनीकरण प्रक्रियाओं और साथ ही बासेल III मानदंडों के अंतर्गत बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करता है.

बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके की सूचना का विवरण

कंपनी (लेखा) विनियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) स्वतंत्र निदेशकों ने दिनांक 27 अप्रैल 2021 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड की बैठकों के अध्यक्ष सहित सभी गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन और समग्र रूप से बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया.

(ii) बोर्ड ने दिनांक 03 मई 2021 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, स्वयं के कार्य-निष्पादन का तथा साथ ही बोर्ड की समितियों के कार्यनिष्पादन का भी मूल्यांकन किया. सभी वैयक्तिक निदेशकों का मूल्यांकन संपूर्ण बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के संबंध में (क) बैठकों में उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा और (ख) कंपनी अधिनियम 2013 और एलओडीआर विनियम में विनिर्दिष्ट स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करना तथा उनकी प्रबंधन से स्वतंत्रता के आधार पर मूल्यांकन भी शामिल है. बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किए जा रहे ऐसे संबंधित निदेशकों ने अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान बैठक में भाग नहीं लिया.

स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वैयक्तिक निदेशकों, बोर्ड की समितियों और बोर्ड के संबंध में खाली मूल्यांकन शीटें ईमेल के माध्यम से वैयक्तिक निदेशकों को अग्रिम रूप में प्रेषित की गईं ताकि वे पहले से ही अपना अभिमत बना सकें और संबंधित बैठकों में मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सहायता मिल सके. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के अध्यक्ष और बोर्ड द्वारा प्राधिकृत एमडी एवं सीईओ ने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के पश्चात् क्रमशः स्वतंत्र निदेशकगण और बोर्ड की ओर से मूल्यांकन शीटों पर हस्ताक्षर किए. बोर्ड के अध्यक्ष कों एमडी एवं सीईओ की शीट पर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत किया गया.

कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 मार्च 2021 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कुछ शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन आईडीबीआई बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से हटाने का निर्णय लिया.

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

निदेशक का नाम	पदनाम	परिवर्तन का स्वरूप	दिनांक
श्री सुधीर श्याम	सरकारी नामिती निदेशक	सेवा समाप्ति	08.06.2020
श्री अंशुमन शर्मा	सरकारी नामिती निदेशक	नियुक्ति	11.06.2020
डॉ. आशिमा गोयल	स्वतंत्र निदेशक	त्याग पत्र	08.12.2020
श्रीमती पी. वी. भारती	स्वतंत्र श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक	नियुक्ति	14.01.2021
श्री पवन अग्रवाल	कंपनी सचिव	सेवा समाप्ति	15.04.2021
श्रीमती ज्योति बिजू नायर	कंपनी सचिव	नियुक्ति	16.04.2021
श्री अजय शर्मा	सी एफ ओ	सेवा समाप्ति	31.05.2021
श्री पी. सीताराम	सी एफ ओ	नियुक्ति	01.06.2021

निदेशकों के पारिश्रमिक

आईडीबीआई बैंक के 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र का बैंक बन जाने से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक एवं परिलब्धियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जाती हैं. एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध/लेनदेन नहीं रहे हैं.

एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक के घटक	
वेतन और भत्ते	**श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ -** वेतन 2,24,400/- प्रति माह और लागू महंगाई भत्ता (वर्तमान 17%) ₹ 38,148/- कुल ₹ 2,62,548/-. **श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी -** वेतन ₹ 1,93,200/- प्रति माह और लागू महंगाई भत्ता 17% की दर से ₹ 32,844/- कुल ₹ 2,26,044/-. **श्री सुरेश खटनहार -** वेतन ₹ 1,93,200/- प्रति माह और लागू महंगाई भत्ता 17% की दर से ₹ 32,844/- कुल ₹ 2,26,044/-.
परिवर्तनीय वेतन	घटकः रिज़र्व बैंक द्वारा 4 नवंबर 2019 को डब्ल्यूटीडी को क्षतिपूर्ति के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार डब्ल्यूटीडी परिवर्तनीय वेतन के पात्र हैं. तदनुसार निदेशक मंडल ने 15 मई 2021 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डब्ल्यूटीडी हेतु क्षतिपूर्ति का अनुमोदन किया है तथा यह क्षतिपूर्ति रिजर्व बैंक से अनुमोदन मिलने के बाद लागू की जाएगी.
आतिथ्य	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक, दोनों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹ 6,000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक आतिथ्य (क्लब की सदस्यता उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर समायोज्य).
आवास	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक दोनों को किराया-मुक्त सुसज्जित आवास.
वाहन व्यय	कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए बैंक की कार का निःशुल्क उपयोग.
छुट्टी यात्रा रियायत	एमडी एवं सीईओ और डीएमडी दोनों के लिए आधिकारिक दौरे हेतु लागू पात्रता श्रेणी के अनुसार स्वयं एवं परिवार के लिए भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए 2 वर्षों के ब्लॉक में एक बार.
पेंशन	बैंक, जहां वे कैरियर पद पर रहे थे, के नियमों और विनियमों के अनुसार कैरियर पद में (बोर्ड स्तर से नीचे) स्वीकार्य पेंशन, यदि कोई है, प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.
ग्रेच्युटी	एमडी एवं सीईओ / डीएमडी के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष अथवा 6 माह से अधिक की सेवा के लिए आधे माह के वेतन की दर से.
कार्यकाल	**श्री राकेश शर्मा -** पूर्व में भारत सरकार की दिनांक 5 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना सं. एफ.सं. 4/2/2015--बीओ. आई द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए थे. श्री राकेश शर्मा ने आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में 10 अक्तूबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था. एलआईसी ने 51% हिस्सेदारी के अर्जन के परिणामस्वरूप दिनांक 18 जनवरी 2019 के अपने पत्र द्वारा यह सूचित किया कि श्री राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ के रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक एलआईसी बैंक के बोर्ड में नए एमडी एवं सीईओ को नामित नहीं करती है. इसके बाद, एलआईसी ने 13 फरवरी 2019 के अपने पत्र द्वारा श्री राकेश शर्मा को बैंक के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(ii) के अंतर्गत 3 वर्षों के नए कार्यकाल के लिए आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में नामित किया है. आरबीआई अनुमोदन प्राप्ति के बाद बोर्ड ने श्री राकेश शर्मा की नियुक्ति को 19 मार्च 2019 से अनुमोदित किया है. 20 अगस्त 2019 को संपन्न वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की गई थी. **श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज -** बोर्ड द्वारा 19 सितंबर 2019 को आयोजित अपनी बैठक में 4 सितंबर 2019 के आरबीआई के पत्र में निर्दिष्ट पारिश्रमिक तथा नियमों और शर्तों पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज ने 20 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया. 17 अगस्त 2020 को संपन्न वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की गई थी. **श्री सुरेश खटनहार -** बोर्ड द्वारा 15 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी बैठक में 9 जनवरी 2020 के आरबीआई के पत्र में निर्दिष्ट पारिश्रमिक तथा नियमों और शर्तों पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री सुरेश खटनहार ने 15 जनवरी 2020 को कार्यभार ग्रहण किया. 17 अगस्त 2020 को संपन्न वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की गई थी.

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के लिए मानदंडः

सरकार के नामिती निदेशकों को छोड़कर सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है. बोर्ड की बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 40,000/- (बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 10,000/- प्रति बैठक अतिरिक्त) और बोर्ड समिति बैठकों के लिए ₹ 20,000/- प्रति बैठक (बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 5,000/- प्रति बैठक अतिरिक्त) की दर से बैठक शुल्क अदा किया जाता है. एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को उपर्युक्त पारिश्रमिक और गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक फीस के अलावा आपके बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर और कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री एम. आर. कुमार, गैर कार्यपालक अध्यक्ष (एलआईसी को अदा की जा रही है)	7,50,000
श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक	12,60,000
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक	15,00,000
डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक (08.12.2020 तक)	8,80,000
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक	17,05,000
श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक	14,55,000
श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक	14,70,000
श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक	15,40,000
श्री संजय कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक,	13,75,000
श्रीमती पी. वी. भारती, अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी) (14.01.2021 से)	2,45,000

कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अधीन प्रकटन

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के तहत आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जाता है. बैंक ने प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, उप प्रबंध निदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए लागू वेतनमान को जारी रखा है.उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किए अनुसार बोर्ड के अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) अर्थात् मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू पारिश्रमिक मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन बैंक के कार्यनिष्पादन सहित कई कारकों पर निर्भर है. बैंक ने कोई अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) जारी नहीं किया है, अतः बैंक के शेयरों के बाजार कोटेशन की कोई तुलना संभव नहीं है. तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक के शेयरों के बाजार मूल्य, वित्तीय अनुपात आदि का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है. डब्ल्यूटीडी को छोडकर कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कोई परिवर्ती वेतन अवधारणा लागू नहीं है. रिजर्व बैंक द्वारा 4 नवंबर 2019 को डब्ल्यूटीडी को क्षतिपूर्ति के संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार परिवर्तनीय वेतन बैंक के तात्विक जोखिम लेने वाले एवं नियंत्रण कार्य स्टाफ पर लागू होगा तथा यह निदेशक मंडल एवं रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जोकि प्राप्त किया जाएगा.

कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) की शर्तों में अन्य विवरण नीचे दिये गए हैं:

बैंक के रोल पर नियमित कर्मचारियों की संख्या;	17,319 (इनमें से 950 कर्मचारी संविधा आधार पर और अन्य सभी कर्मचारी नियंत्रित थे)
कंपनी के कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक और प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात;	

कार्यपालक निदेशक का नाम	सभी कर्मचारियों की माध्यिका में पारिश्रमिक का अनुपात
श्री राकेश शर्मा, डीएमडी एवं सीईओ	3.05
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी	2.70
श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी	2.65

वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक के पारिश्रमिक में वृद्धि प्रतिशत, यदि कोई हो;

पदनाम	प्रतिशत वृद्धि
एमडी एवं सीईओ	-4% वित्तीय वर्ष 2020-21 में मौद्रिक सुविधाएं कम होने के कारण अंतर है.
डीएमडी	चूंकि आपकी नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 के बीच में हुई थी, इसलिए पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि की तुलना नहीं की जा सकती.
सीएफओ	-8% वित्त वर्ष 2019-20 में वेतन संशोधन की बकाया राशि प्राप्त होने से यह अंतर आया.
सीएस	-9% वित्त वर्ष 2019-20 में वेतन संशोधन की बकाया राशि प्राप्त होने से यह अंतर आया.

वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक में वृद्धि प्रतिशत;	5%
पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से हुई औसत वृद्धि तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि के साथ इसकी तुलना एवं इसका औचित्य तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए हुई असाधारण परिस्थितियों यदि कोई हों का उल्लेख;	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के गैर-प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में 5% की वृद्धि हुई और बैंक के प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में -7% की (ऊपर स्पष्ट किए अनुसार) वृद्धि हुई.
अभिवचन है कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है.	हाँ

महासभा की बैठकें

ए. बैंक की पिछली तीन वार्षिक महासभाओं का आयोजन निम्नानुसार हुआ है:-

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण	
Location and time of the last three AGMs.	1) 13 अगस्त 2018 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 14वीं वार्षिक महासभा). 2) 20 अगस्त 2019 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 15वीं वार्षिक महासभा). 3) 17 अगस्त 2020 को अपराह्न 3.30 बजे विशेष रूप से वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से (बैंक की 16वीं वार्षिक महासभा).
पिछली तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान और समय	➢ **14वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 13 अगस्त 2018 को संपन्न 14वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को ₹ 5,000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकल या एक से अधिक श्रृंखला में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, बासेल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड/ अतिरिक्त टीयर I बॉन्ड के रूप में ₹ 5,000 करोड़ तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए. ➢ **15वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 20 अगस्त 2019 को संपन्न 15वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को 11,000/- करोड़ रु (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) श्री ज्ञान पी जोशी (डीआईएन: 00603925) को 28 अगस्त 2019 से चार वर्षों की दूसरी पारी के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए. ➢ **16वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 17 अगस्त 2020 को संपन्न 16वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को ₹ 11,000/- करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) बैंक के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.
क्या गत वर्ष डाक मतपत्र के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पद्धति का ब्योरा	नहीं
व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	लागू नहीं

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण	
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतदान के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है.	नहीं
डाक मतदान की प्रक्रिया	चूंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई डाक मतदान संचालित नहीं किया गया था इसलिए यह मद लागू नहीं.

सूचना के साधन

बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित निदेशक-मंडल की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणाम प्रकाशित करता है. इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र अर्थात् फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र अर्थात् लोकसत्ता में प्रकाशित किया जाता है और यह विज्ञापन शेयर बाजार को सूचित किए जाते हैं. उपर्युक्त जानकारी अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के साथ बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp पर भी उपलब्ध कराई गई है. आम शेयरधारकों के लिए सूचना आम शेयरधारकों के लिए सूचना

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

आम शेयरधारकों के लिए सूचना		
i.	एजीएम की तारीख, समय और स्थान	मंगलवार, 10 अगस्त 2021 को अपराह्न 2.00 बजे विशेष रूप से वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से
ii.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021
iii.	कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित एलओडीआर विनियमावली के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग अवधि.	ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 5 अगस्त 2021 को पूर्वाह्न 9.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) से प्रारंभ होगी और सोमवार, 9 अगस्त 2021 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) समाप्त होगी.
iv.	लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	4 अगस्त 2021 से 10 अगस्त 2021 तक (दोनों दिनों सहित)
v.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान की पुष्टि	1. **बीएसई लि. (बीएसई)** पता : 25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई -400001. 2. **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.** पताः (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051.. घरेलू बाजार में जारी किए गए बॉंड़ों में निजी तौर पर नियोजित बांड शामिल थे जो बीएसई/एनएसई पर सूचीबद्ध हैं. लागू सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया है.
vi.	स्टॉक कोड/ प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई - आईडीबीआई
vii.	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	**केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड** यूनिट : आईडीबीआई इक्विटि, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500032

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

viii.	शेयर अंतरण प्रणाली	बैंक के जो शेयर अनिवार्य रूप से डिमटेरियलाइज्ड स्वरुप में हैं वे डिपाजिटरी प्रणाली के माध्यम से अंतरणीय हैं. शेयर प्रमाणपत्र के अंतरण / स्थानांतरण / डुप्लीकेट शेयर जारी करने के कार्य कार्यपालक निदेशक/ मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं. 1 अप्रैल 2020 के अनुसार शिकायत निवारण के लिए दो निवेशक शिकायत लंबित थी और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट को शेयरधारकों/ निवेशकों से कुल 5819 निवेशक शिकायतें प्राप्त हुई. वर्ष के दौरान 5541 शिकायतों का निपटान किया गया और 31 मार्च 2021 को शिकायत निवारण के लिए 280 निवेशक शिकायत लंबित थीं. शेयरों के संबंध में 1 अप्रैल 2020 को अंतरण से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं था. 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान शेयरों के अंतरण के लिए केवल एक अनुरोध (1 अप्रैल 2019 के पहले के अस्वीकृत मामले जो सुधार के बाद प्राप्त हुए) आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट द्वारा प्राप्त हुआ जिस पर कार्रवाई की गई. 31 मार्च 2021 को कोई अनुरोध लंबित नहीं था. सेबी सूचीबद्धता विनियमनों के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से जब तक शेयर डिमटेरियलाइज्ड स्वरुप में ना हो, उसके अंतरण पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.
ix.	वित्तीय कैलेंडर	**1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021** तिमाही परिणाम निम्नलिखित तारीखों को अनुमोदित किए गए थे:

के परिणाम	बोर्ड की बैठकें
जून 2020	28 जुलाई 2020
सितंबर 2020	23 अक्तूबर 2020
दिसंबर 20202	28 जनवरी 2021
मार्च 2021	03 मई 2021

x.	शेयरों और चलनिधि का डिमेटेरिलाइजेशन	कंपनी के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में अनिवार्य रूप से अमूर्त रूप में ट्रेड किया जाना चाहिए. 31 मार्च 2021 तक अमूर्त और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों की संख्या इस प्रकार है:

	शेयरों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का %
एनएसडीएल में डिमेटरियलाइज्ड से रखे गए	5678873747	52.82
सीडीएसएल में डिमेटरियलाइज्ड से रखे गए	5064819377	47.10
भौतिक	8709051	0.08
कुल	**10752402175**	**100.00**

xi.	ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता	बैंक द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां बीएसई/एनएसई लिमिटेड ऋण खंड पर सूचीबद्ध हैं.
xii.	डिबेंचर न्यासी	➢ **एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,** दि रूबी, दूसरी मंजिल, एसडब्ल्यू, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई- 400 028. फोन नंबर: 022-62300451 ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी debenturetrustee@axistrustee.com
		➢ **एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड,** मिस्त्री भवन,4 थी मंजिल,दिनशा वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई -400020. फोन नंबर: 022-43025500/5566. ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी anupama.naidu @sbicaptrustee.com

आम शेयरधारकों के लिए सूचना		
xiii.	बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर)/ अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर)/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक लि. ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट आदि जारी नहीं किए हैं.
xiv.	प्लांट का स्थान	लागू नहीं. तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थान के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट, (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.
xv.	पत्राचार के लिए पता	आईडीबीआई बैंक लि. सीआईएन - L65190MH2004GOI148838 इक्विटी कक्ष- बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., 22वीं मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 फोन- 022 - 66553062/2711/3147/3336 ई-मेल - idbiequity@idbi.co.in वेबसाइट - www.idbibank.in रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032 टोल फ्री नंबर: 1-800-3454 001 वेबसाइट: www.kfintech.com ईमेल : einward.ris@kfintech.com
xvi.	बैंक द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची	क्रेडिट रेटिंग के विवरण प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिये गए हैं
xvii.	बाज़ार मूल्य डेटा	तालिका i देखें
xviii.	बीएसई संसेक्स आदि व्यापक सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन.	तालिका ii देखें
xix.	शेयरधारिता का वितरण	तालिका iii देखें

तालिका i

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव : अप्रैल 2020 - मार्च 2021

(₹)

	एनएसई		बीएसई			एनएसई		बीएसई	
माह	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	माह	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल 2020	22.45	19.30	22.45	19.30	अक्तूबर 2020	39.75	33.55	39.75	33.60
मई 2020	20.80	19.35	20.85	19.35	नवंबर 2020	38.10	35.85	38.10	35.85
जून 2020	44.10	24.45	43.80	24.35	दिसंबर 2020	42.50	30.85	42.50	30.90
जुलाई 2020	53.55	36.85	53.10	36.90	जनवरी 2021	32.30	26.85	32.30	26.80
अगस्त 2020	43.30	38.55	43.25	38.55	फरवरी 2021	32.35	28.85	32.35	28.80
सितं 2020	39.50	32.85	39.50	32.85	मार्च 2021	42.00	31.45	42.00	31.45

तालिका ii :

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान बीएसई सेंसीटिव इंडेक्स (सेंसेक्स) की तुलना में आईडीबीआई बैंक के इक्विटी शेयर का प्रदर्शन निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है:

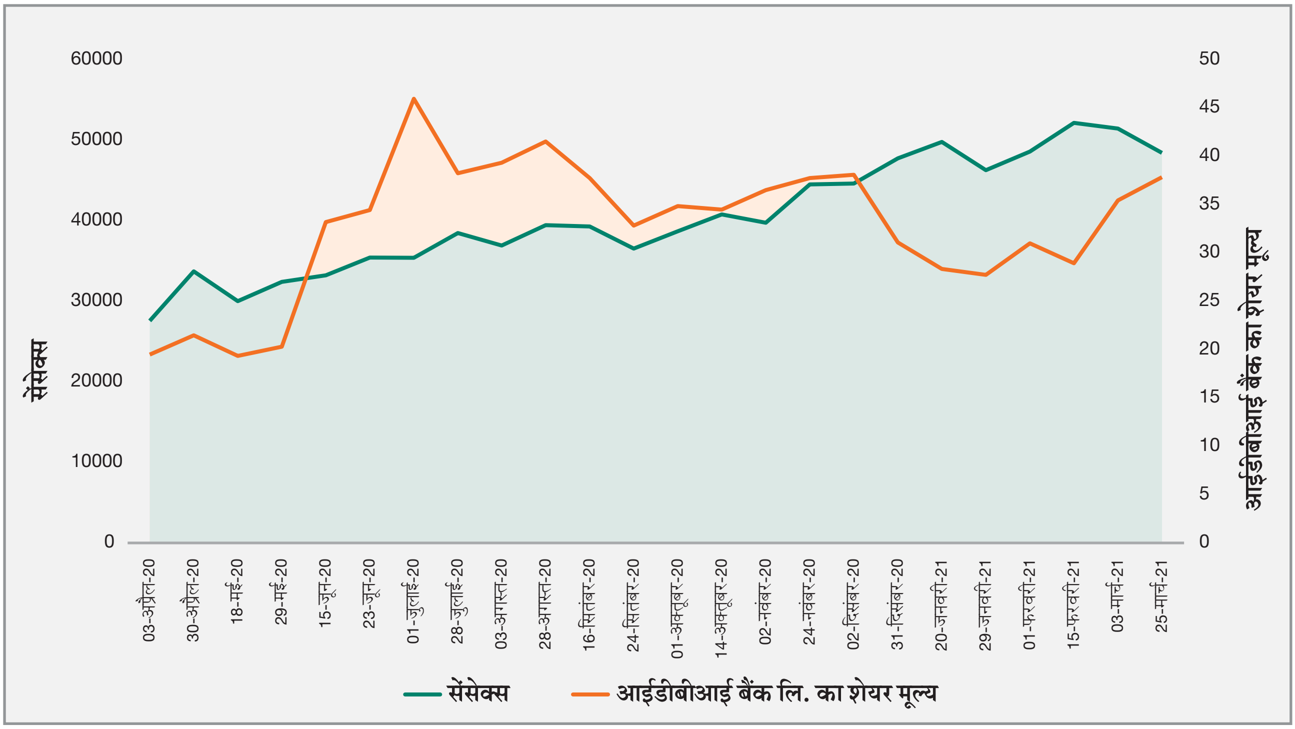

तालिका iii :

मार्च 2021 के अंत में बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता के ब्योरे और वितरण अनुसूची नीचे दी गई है :

31 मार्च 2021 को शेयरधारिता का स्वरूप

शेयर धारकों की श्रेणी		धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
	भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रबंधन नियंत्रण के साथ प्रमोटर)	5294102939	49.24
	भारत सरकार (बिना प्रबंधन नियंत्रण के साथ सह- प्रमोटर)	4889871903	45.48
	कर्मचारी	719466	0.01
	जनता	313051471	2.91
	हिन्दू अविभाजित परिवार	13466284	0.13
	कॉरपोरेट निकाय	23736537	0.22
	संस्थाएं		
अ)	बैंक	148051718	1.38
आ)	विदेशी संस्थागत निवेशक	9619298	0.09
इ)	राज्य वित्त निगम	6476683	0.06
ई)	वित्तीय संस्थाएं	2590673	0.02
उ)	म्यूचुअल फंड	3974966	0.04
	सोसायटी	24800	0.00
	न्यास	381860	0.00

शेयर धारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
बीमा कंपनियां	12778869	0.12
अनिवासी भारतीय	10915624	0.10
निदेशक, केएमपी एवं उनके रिश्तेदार		
(i) श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	4400	0.00
(ii) श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी	24200	0.00
(iii) श्री अजय शर्मा, सीएफओ	120	0.00
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	16710219	0.15
एनबीएफसी	25745	0.00
आईईपीएफ	5874400	0.05
कुल योग	**10752402175**	**100.00**

31 मार्च 2021 को वितरण अनुसूची

क्र. सं.	श्रेणी से	श्रेणी तक	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों में %	राशि (₹)	कुल राशि में %
1	1	5000	532472	98.42	1839885000.00	1.71
2	5001	10000	4772	0.88	363911780.00	0.34
3	10001	20000	2079	0.38	300359190.00	0.28
4	20001	30000	622	0.11	157269520.00	0.15
5	30001	40000	293	0.05	103824350.00	0.10
6	40001	50000	213	0.04	98906320.00	0.09
7	50001	100000	290	0.05	209784060.00	0.20
8	100001 एवं अधिक		257	0.05	104450081530.00	97.14
कुल			**540998**	**100.00**	**107524021750.00**	**100.00**

अन्य प्रकटन -

i. कंपनी अधिनियम, 2013 के चैप्टर V के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों से संबंधित विवरण और उन जमाराशियों का विवरण जो अधिनियम के चैप्टर V की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के प्रावधान के अनुसार, इस उप-खंड में कुछ भी बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगा और इसलिए, आईडीबीआई बैंक पर उपरोक्त विवरण के प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है.

ii. विनियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो चल रही स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित कर रहे हैं

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विनियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया जो चल रही स्थिति और आईडीबीआई बैंक के संचालन को प्रभावित कर सके.

iii. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या समाप्त हो गई हैं

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोई नई अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम (जेवी) या सहयोगी कंपनियों का गठन नहीं किया गया है. उक्त वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोई भी अनुषंगी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां समाप्त नहीं की गई हैं.

iv. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को नियमित रूप से बैंक के व्यवसाय, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और नियामक वातावरण में परिवर्तन के अनुसार बैंक में अनुपालन आवश्यकताओं से परिचित कराया जा रहा है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों को नामित/प्रतिनियुक्त किया गया था.

इस संबंध में विस्तृत स्थिति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in)पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है : https://www.idbi.com/secretarial-disclosures.asp

v. विजिल तंत्र की स्थापना

बैंक ने सांविधिक/विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में एक बोर्ड अनुमोदित विजिल तंत्र की स्थापना की है. विजिल तंत्र की रिपोर्ट बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया था. विजिल तंत्र की स्थापना के विवरण देने वाली विजिल तंत्र की नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in)पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

vi. महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 46 की आवश्यकताओं के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है : https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

vii. संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवहार पर नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और एलओडीआर विनियमावली के विनियम 23 के प्रावधानों के आधार पर बैंक ने संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवहार पर नीति तैयार की है.

संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवहार से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in)पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है. https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

viii. मूर्त रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण जिनका व्यापक स्तर पर सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो.

एलओडीआर विनियमावली की सूची V के साथ पठित विनियम 34 के संबंध में में यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक द्वारा मूर्त रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो सकता हो.

ix. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जानकारी

यौन उत्पीड़न के खिलाफ बैंक की एक नीति है तथा उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया है. उक्त नीति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप है. बैंक ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग)बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में संशोधन के अनुसार, वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या से संबंधित विवरण नीचे प्रदान किया गया है:

अ	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई शिकायतों की संख्या	07
आ	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	07
इ	वित्तीय वर्ष में अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	04

x. पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा और पण्य हेजिंग गतिविधियों का प्रकटन

बैंक पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा और पण्य हेजिंग गतिविधियों, यदि कोई हों, के संबंध में विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है.

xi. लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण

एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के संदर्भ में यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्धारित लेखा मानकों से अलग कोई व्यवहार नहीं किया गया है, लेखा मानकों का पालन किया गया है और इसलिए, इस संबंध में प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है.

xii. प्रकटीकरण, कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकार्ड का रखरखाव कंपनी द्वारा आवश्यक है और तदनुसार ऐसे खाते और रिकार्ड बनाए और रखे जाते हैं.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी होने के कारण इस पर लागत रिकार्ड के रखरखाव के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

xiii. प्रकटन

क) निम्नलिखित को छोडकर 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021 के दौरान ऐसी किसी कंपनी को वित्तीय सहायता नहीं दी गई जिसमें बैंक के किसी निदेशक की हितबद्धता होः

(i) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि (आईएएमएल)- श्री राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के निदेशक मंडल में हैं. तथापि, आईडीबीआई बैंक लि. की सहायक संस्था है अतः संबंद्ध उधार प्रावधानों के संबंध में इसे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत छूट प्राप्त है.

(ii) एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया- श्री राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ एक्सिम बैंक के निदेशक मंडल में थे. तथापि,एक्सिम बैंक को नकदी प्रवाह के असंतुलनों को पूरा करने हेतु इंटरा डे/ओवरड्राफ्ट की मंजूरी दी गयी है अतः संबंद्ध उधार प्रावधानों के संबंध में इसे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत छूट प्राप्त है.

(iii) आईडीबीआई इंटेक लि.- श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी आईडीबीआई इंटेक लि. के निदेशक मंडल में हैं. तथापि, चूंकि यह आईडीबीआई बैंक लि. की सहायक संस्था है अतः संबंद्ध उधार प्रावधानों के संबंध में इसे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत छूट प्राप्त है.

ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, कटु आलोचना के विवरण निम्नानुसार हैंः

वि.व 2018-19	शून्य. तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने (i) आरबीआई द्वारा आय अभिनिर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) पर जारी निर्देश के गैर अनुपालन पर बैंक पर दिनांक 09 अप्रैल 2018 को ₹ 3 करोड़ (ii) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर आरबीआई के विनियामक निर्देश के गैर अनुपालन के लिए दिनांक 04 फरवरी 2019 को ₹ 20 लाख और (iii) स्विफ्ट संबंधी परिचालन नियंत्रणों को मजबूत करने और समयबद्ध कार्यान्वयन पर आरबीआई के विनियामक निर्देशों के उल्लंघन के लिए दिनांक 25 फरवरी 2019 को ₹ 01 करोड़ का दंड लगाया था.
वि.व 2019-20	शून्य
वि.व 2020-21	शून्य

ग) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूओपी) के माध्यम से 19 दिसंबर 2020 को 44 पात्र क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के जरिये ₹ 1,435,18 करोड़ का फंड जुटाया था. प्राप्त राशि का पूरी तरह से बैंक की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया है.

घ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एलओडीआर विनियमावली, के विनियम 32(4) के अनुसार महासभा के नोटिसों के व्याख्यात्मक विवरण में उल्लेखित उद्देश्यों से प्राप्त की गई राशियों के उपयोग के संबंध में कोई विचलन नहीं किया गया है.

ङ) मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव (सीपी सं. 1774) से दिनांक 12 मई 2021 का इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कंपनी कार्य मंत्रालय अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा

कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा बने रहने के लिए विवर्जित अथवा निरर्हित नहीं किया गया है. यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट से संलग्न है.

च) बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट में वे सभी प्रकटन किए हैं जो एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V (वार्षिक रिपोर्ट) कॉरपोरेट अभिशासन खंड के उप-पैरा (2) से (10) के संदर्भ में आवश्यक थे.

छ) बैंक ने एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियमन (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

ज) बैंक ने एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अंतर्गत दी गई अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और निर्धारित समय सीमाओं के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित प्ररूपों में कॉरपोरेट अभिशासन पर तिमाही/छमाही/वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है.

झ) ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की ऐसी किसी सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं किया हो जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो, अतः इस संबंध में किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है.

ञ) एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों को दी जाने वाली सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क ₹ 325 लाख (एलएफएआर, प्रमाणीकरण शुल्क, कर लेखापरीक्षा शुल्क, एसआरए लेखापरीक्षा आदि सहित) और ₹ 24 लाख आउट ऑफ पैकेट खर्च का भुगतान किया गया है.

ट) **सहायक कंपनियाँ:** 31 मार्च 2021 को बैंक की 5 सहायक संस्थाएं यथा- आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि., आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कं. लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. थीं. बैंक के निदेशक मंडल के किसी स्वतंत्र निदेशक को उसकी किसी सहायक संस्था के बोर्ड में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सहायक संस्थाओं में से कोई भी संस्था एलओडीआर विनियमावली के विनियम 16 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार भौतिक गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है. एलओडीआर विनियमावली के विनियम 24 के अनुपालन में बैंक की लेखा परीक्षा समिति गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से उनके द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा करती है. गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त नियमित रूप से बैंक के बोर्ड की बैठकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं.

ठ) **दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति:** सेबी (एलओडीआर) के विनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने बोर्ड अनुमोदित दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति कार्यान्वित की है.

ड) **डीमैट उचंत खाता/ अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटन:** एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार आपका बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरे रिपोर्ट करता है:

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	दिनांक 1 अप्रैल 2020 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	169	32,986
(ख)	दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए आपके बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	0	0
(ग)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	0	0
(घ)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 एवं 125 के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित शेयरों की संख्या	152	29,706
(ङ)	दिनांक 31 मार्च 2021 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	17	3,280
(च)	इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरोधित (फ्रीज) रहेगा जब तक इन शेयरों के वैध स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते.		

ढ) **निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) के संबंध में प्रकटन**

क) वर्ष के दौरान आईईपीएफ में किए गए अंतरण/अंतरणों के विवरण :

क्रमांक	विवरण	शेयर	राशि (₹ में)
(i)	अदावी/अप्रदत्त लाभांश और संबंधित शेयरों की राशि	1600155	39148656.00
(ii)	अधिमानी शेयरों की मोचन राशि	लागू नहीं	0
(iii)	बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए उपचित ब्याज के साथ परिपक्व जमा की राशि	लागू नहीं	0
(iv)	उपचित ब्याज के साथ परिपक्व डिबेंचर राशि	लागू नहीं	0
(v)	किसी भी प्रतिभूति के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि तथा धन वापसी के लिए उपचित ब्याज सहित देय राशि	लागू नहीं	0
(vi)	बोनस शेयर के जारी होने, विलय और अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले आंशिक शेयरों की बिक्री राशि	लागू नहीं	0

ख) आईईपीएफ को पहले ही अंतरित शेयरों से उत्पन्न परिणामी लाभ के विवरण - शून्य

ग) अदावी/अप्रदत्त लाभांश की वर्ष-वार राशि जो वर्ष के अंत में अप्रदत्त खाते में पड़ी है तथा ऐसे शेयर जो आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं व ऐसे अंतरण के लिए देय दिनांक का विवरण:

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	अप्रदत्त लाभांश	शेयरों की संख्या	आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय दिनांक
i.	वि.व 2013-14 (अंतिम)	3238620.00	64184	06.08.2021
ii.	वि.व 2014-15	8427251.00	60905	18.09.2022

घ) आईईपीएफ को कंपनी द्वारा दिये गए दान की राशि, यदि कोई हो शून्य

ङ) वर्ष के दौरान आईईपीएफ को अंतरित ऐसी अन्य राशि, यदि कोई हो नीचे दी गयी तालिका के अनुसार

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (पूर्ववर्ती आईडीबीआई) संसद के एक विशेष अधिनियम, अथर्त आईडीबीआई अधिनियम, 1964 के तहत गठित एक सांविधिक निगम था. इसे वर्ष 2004 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया था जिसका वर्तमान में नाम आईडीबीआई बैंक है.

1995 में आईपीओ के संबंध में धन-वापसी के लिए देय आवेदन राशि और कंपनी बनने से पहले पूर्ववर्ती -आईडीबीआई द्वारा घोषित अदावी लाभांश आईडीबीआई बैंक के पास पड़े थे. सचिवीय लेखा परीक्षकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, इस मामले में एमसीए/आईईपीएफ प्राधिकरण से सलाह लेने का सुझाव दिया गया था. तदनुसार, आईडीबीआई बैंक ने इस संबंध में सलाह लेने के लिए एमसीए/आईईपीएफ प्राधिकरण को पत्र लिखे हैं.

इसके जवाब में, आईईपीएफ प्राधिकरण ने दिनांक 01 फरवरी, 2021 के पत्र द्वारा आईडीबीआई बैंक को पूर्ववर्ती आईडीबीआई से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को आईईपीएफ को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया. पूर्वोक्त निर्देश के अनुसार, आईडीबीआई बैंक ने आईईपीएफ को निम्नलिखित पूर्व-निगमन अवधि की राशि अंतरित की.

वित्तीय वर्ष	विवरण	रुपये में अंतरित राशि	आईईपीएफ में फ़ाइल करने की तारीख
1995-96	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	6435618.00	22.03.2021
1996-97	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	7210523.00	23.03.2021
1997-98	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	10312830.00	23.03.2021
1998-99	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	9761505.00	23.03.2021
1999-00	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	9768570.00	23.03.2021
2000-01	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	12221578.00	23.03.2021
2001-02	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	7693565.00	23.03.2021
2002-03	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	7136880.00	23.03.2021
1995-96	पूर्ववर्ती आईडीबीआई के आईपीओ (वि व 1995-96) के संबंध में अदावी/ अप्रदत्त धन-वापसी आदेश	605766.00	31.03.2021

विनियम 27 की विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग उ में दी गई विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवेकपूर्ण अपेक्षाएं	स्थिति
1.	गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए पात्र होंगे और उनको अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी जाएगी.	बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 116(1) (i) के अनुसार एलआईसी के अध्यक्ष श्री एम.आर.कुमार को 13 मई 2019 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का गैर-कार्यपालक गैर पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. बैंक ने आईडीबीआई टावर, कफ परेड, मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष के कार्यालय की व्यवस्था की है. एलआईसी की ओर से एम.आर.कुमार द्वारा बोर्ड बैठकों में उपस्थिति के लिए एलआईसी को बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.
2.	शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को पिछले छः महीनों के दौरान उल्लेखनीय कार्यक्रमों के सार सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा भेजी जाए.	तिमाही और साथ ही अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजी जाती है.
3.	कंपनी आशोधित लेखा परीक्षा अभिमत वाले वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो.	बैंक लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है.
4.	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करें.	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे एसीबी को रिपोर्ट करते हैं.

आचार एवं सदाचार संहिता

बैंक के निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार एवं सदाचार संहिता को अपनाया है. एलओडीआर विनियमावली के अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

राकेश शर्मा
(डीआईएन - 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक:07 मई 2021

सीईओ/सीएफ़ओ का स्पष्टीकरण

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार वित्तीय विवरणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में एमडी एवं सीईओ और सीएफ़ओ से प्रमाणन प्राप्त किया गया है और उसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है.

अनुबंधन-अ

एओसी -2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत किए गए कुछ स्वतंत्र संव्यवहार सहित की गई संविदाओं/ व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

i. स्वतंत्र आधार के न होते हुए की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था या संव्यवहार मूल्य सहित, यदि कोई हो, की प्रमुख शर्तें	इस प्रकार की संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख
शून्य								

ii. स्वतंत्र आधार पर महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार मूल्य सहित, यदि कोई हो, की प्रमुख शर्तें:	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खें), यदि कोई हो :	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो :
शून्य						

राकेश शर्मा
(डीआईएन-06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक: 07 मई 2021

अनुबंधन-आ

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित वर्ग में व्याप्त विभेदों की पहचान कर उनकी बेहतरी के लिए आवश्यकता आधारित योगदान करते हुए उनके लिए मूर्त, दृश्य तथा स्थायी बदलाव लाना है.बैंक इसे प्रत्यक्ष दखल तथा विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए तथा हिताधिकारियों के साथ भागीदारी निर्मित करते हुए हासिल करना चाहता है.

बैंक की सीएसआर नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यावरणीय स्थायित्व, आजीविका के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग और दखल से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है.

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक	पदनाम	वर्ष के दौरान उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों में उपस्थिति
1	श्री राकेश शर्मा	डीएमडी एवं सीईओ - समिति के अध्यक्ष	02	02
2	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	उप प्रबंध निदेशक	02	02
3	श्री सुरेश खटनहार	उप प्रबंध निदेशक	02	02
4	श्री सुधीर श्याम (8.06.2020 तक)	सरकारी नामिती निदेशक	01	01
5	डॉ. आशिमा गोयल (8.12.2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	02	02
6	श्री समरेश परिदा (26.06.2020 से)	स्वतंत्र निदेशक	01	01
7	श्रीमति पी.वी. भारती (28.01.2021 से)	अपर स्वतंत्र निदेशक	00	00

3. वेबलिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है : सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों का वेब-लिंक है https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें) : लागू नहीं

5. **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो:** लागू नहीं

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
		शून्य	

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 18, वित्तीय वर्ष 19 और वित्तीय वर्ष 20 में बैंक का औसत निवल हानि का जोड़ रु 9,941.18 करोड़ हानि रहा है.

7. क. धारा 135(5) अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: लागू नहीं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार बैंक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 18, वित्तीय वर्ष 19 और वित्तीय वर्ष 20 के लिए रु 9,941.18 करोड़ की औसत निवल हानि उठाई है.

ख. **वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो:** लागू नहीं

ग. **वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग):** लागू नहीं

8. क. **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:** चूंकि पिछले तीन वर्षों के लिए औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा है इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सीएसआर व्यय बैंक के लिए अनिवार्य नहीं है.

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि। (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि.		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि.		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
			शून्य		

ख. **वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:** लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	कार्यान्वयन का स्वरूप- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का स्वरूप	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
						शून्य						

ग. **वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:** लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुये में)	कार्यान्वयन का स्वरूप- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का स्वरूप	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
						शून्य			

घ) **प्रशासनिक उप-शीर्ष में खर्च की गई राशि:** लागू नहीं

ङ) **प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो:** लागू नहीं

च) **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ):** लागू नहीं

छ) **समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:** लागू नहीं

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(i)	धारा 135(5) अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	लागू नहीं
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	लागू नहीं
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों के गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	लागू नहीं

9. अ. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: लागू नहीं**

क्रम सं.	गत वित्त वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				फंड का नाम	राशि (₹ में)	हस्तांतरण की तिथि	
शून्य							

आ. **पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :** लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना प्रारंभ की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति - पूर्ण/चल रहा है
शून्य								

10. **पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण):** लागू नहीं

(क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : लागू नहीं

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि : लागू नहीं

(ग) उस इकाई या लोक प्राधिकारी या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि : लागू नहीं

(घ) सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (यों) (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें : लागू नहीं

11. **कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है:** कंपनी अधिनियम 2013 में दिये गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप आईडीबीआई बैंक को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत कोई व्यय उपगत करने की आवश्यकता नहीं है.

राकेश शर्मा
(डीआईएन -06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
सीएसआर समिति अध्यक्ष
15 मई 2021

फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

प्रति,

सदस्यगण,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,

कफ परेड, मुंबई - 400005.

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् 'बैंक' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार संचालित की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है.

बैंक की बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही, बैंक ने इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, वर्णित रीति से और उसके अध्यधीन उपयुक्त बोर्ड- प्रक्रियाएँ और अनुपालन-प्रणाली लागू की हैं.

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियमावली तथा उप-विधियों;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमन - लागू नहीं, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली कोई घटना नहीं है;

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश:-

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 - लागू नहीं, क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान उक्त विनियम के अंतर्गत कुछ भी रिपोर्ट योग्य नहीं है;

   ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;

   च. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ संव्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम,1993 - लागू नहीं, क्योंकि बैंक समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है;

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 - लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी स्टाक एक्सचेंज से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध नहीं किया है/ असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं किया है;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 2018 - लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति की वापसी-खरीद नहीं की है/ वापसी-खरीद का प्रस्ताव नहीं किया है;

झ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015.

vi. प्रबंधन ने बैंक पर विशिष्ट रूप से लागू निम्नलिखित विधियों की पहचान तथा पुष्टि की है:

1. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं मार्गदर्शन;
2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934;
3. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002;
4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007;
5. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881.

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और महा सभा (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानक;

(ii) बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करार.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है:

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

➢ बैंक के निदेशक मंडल का कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक के समुचित संतुलन के साथ विधिवत गठन किया गया है, जोकि रिपोर्ट में अन्यत्र की गई टिप्पणियों के अधीन है*. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.

➢ केवल ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट बैठक से सात दिन से कम समय पहले भेजने के लिए निदेशकों की सहमति प्राप्त हुई थी, सभी निदेशकों को बोर्ड /समिति बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त समय पहले सूचना दी जाती है और कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए हैं;

➢ बैठकों से पहले कार्य-सूची की मदों पर अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने तथा लेने के लिए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए व्यवस्था मौजूद है.

➢ बोर्ड तथा समिति की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिये गए हैं.

* बैंक के स्वतंत्र निदेशक श्री जंबुनाथन नारायणन, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा प्रबंधित स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में अपने पंजीयन का नवीकरण निर्धारित अवधि में नहीं करा पाए थे, जिसके चलते डेटाबैंक में उनका पंजीयन दिनांक 8 फरवरी 2021 से समाप्त हो गया है. हमें यह सूचित किया गया है कि उनका नाम पुनः शामिल करने हेतु उक्त मामले को आईआईसीए और कंपनी मामलों के मंत्रालय के समक्ष रखा गया है. रिपोर्ट तैयार करने तक उनकी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. श्री जंबुनाथन द्वारा किए गए प्रकटन तथा बैंक द्वारा की गई पुष्टि के आधार पर हम यह नोट करते हैं कि औचित्य और बेहतर अभिशासन के तहत जब तक श्री जंबुनाथन का नाम डेटाबैंक में पुनः शामिल नहीं हो जाता, वे बोर्ड/ समितियों की बैठक में अनुपस्थिति के लिए छुट्टी की अनुमति लेते रहेंगे.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा स्थापित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा और विभिन्न प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक (कों) में दर्ज किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र(त्रों) के आधार पर हमारा अभिमत है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के पास प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं और बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप प्रणालियों और प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहा है.

➢ बैंक ने सूचित किया है कि उसने विभिन्न सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिसों का उचित उत्तर दिया है और जहां आवश्यक पाया गया है वहाँ सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई की गई है.

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुसरण के कारण निम्न गतिविधियों/कार्रवाइयों का बैंक के कार्य पर प्रमुख प्रभाव पड़ाः

- बैंक नेः
  1. 19 दिसंबर 2020 को अहर्ताप्राप्त संस्थागत नियोजन के आधार पर अहर्ताप्राप्त संस्थागत खरीदारों को 37,18,08,177 इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए.
  2. कुल मिलाकर ₹ 2,141.40 करोड़ की ऋण प्रतिभूतियों (कॉल विकल्प सहित) का उनकी संबंधित देय तारीखों को मोचन किया गया.
- दिनांक 17 अगस्त 2020 को हुई वार्षिक महासभा में सदस्यों ने विशेष संकल्पों के माध्यम से निम्न कार्य सम्पन्न किएः
  1. एक अथवा अधिक विधियों के जरिए ₹ 11,000 करोड़ तक की निधियाँ जुटाने के लिए निदेशक मण्डल को प्राधिकृत किया.
  2. संस्था के अंतर्नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के बैंक के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए इनमें परिवर्तनों का अनुमोदन किया जो सांविधिक / विनियमकीय और सदस्यों के अनुमोदन के अधीन होगा.
- निदेशक मण्डल ने अपनी 12 फरवरी 2021 को सम्पन्न बैठक में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित विवरणों में यथा उल्लिखित प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा राशि का संचित हानि के निपटान के लिए पूर्णतः अथवा यथासंभव अधिकतम उपयोग करने हेतु पूंजी में कमी की योजना का अनुमोदन किया.

रिपोर्ट हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ी जाए जो कि अनुबंध अ में इस रिपोर्ट के एक अभिन्न अंग के रूप में यहाँ संलग्न की गई है.

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नं. P1991MH040400
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र नं.ः 606 /2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफ़सीएसः 4206 | सीओपी नं. 1774
आईसीएसआई यूडीआईएनः F004206C000280537
दिनांक : 12 मई 2021 | ठाणे

अनुबंध-अ

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई-400005

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सम दिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

1. यह बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करे, लागू सभी विधियों तथा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां तैयार करें और सुनिश्चित करें कि प्रणालियां पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से परिचालन करें.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों, सचिवीय अनुपालनों के संबंध में बैंक द्वारा अनुसरण किए गए मानकों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अपनी राय प्रकट करना है.

3. हमारा विश्वास है कि बैंक प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारियां हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त हैं.

4. जहां भी आवश्यक हुआ है, हमने विधियों, नियमों व विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के बारे में प्रबंधन से प्रकथन प्राप्त किया है.

डिस्क्लेमर

5. कोविड-19 के कारण हुई महामारी और सरकार द्वारा लागू किए लॉकडाउन/जनता के आवागमन पर प्रतिबंध के कारण इस रिपोर्ट को जारी करने के प्रयोजन से हमने अपना लेखापरीक्षा कार्य बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और सूचनाओं के आधार पर दूरस्थ रूप में किया है.

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कामकाज को संचालित करने की प्रबंधन की क्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है.

7. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की परिशुद्धता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नं. P1991MH040400
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र नं.: 606 /2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफ़सीएस: 4206 | सीओपी नं. 1774
आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206C000280537
दिनांक : 12 मई 2021 | ठाणे

निदेशकों के गैर-अपात्रता संबंधी प्रमाण पत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) और विनियमन 34(3) के अनूरूप (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई-400005

हमने निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच की है:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 164 के तहत अपेक्षित गैर-निरर्हता की घोषणा;

ii) अधिनियम की धारा 184 के तहत अपेक्षित प्रतिष्ठान तथा हितों का प्रकटन; (इसके उपरांत 'संबंधित दस्तावेजों' के रूप में उल्लेखित)

सीआईएन: L65190MH2004GOI148838 धारित आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (कंपनी), जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड, मुंबई - 400005 है, के निदेशकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के निदेशक बोर्ड ('बोर्ड') को प्रस्तुत किए अनुसार तथा कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए संबंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, फॉर्मों और रिटर्न को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के खंड (10) (i) के पैरा सी की अनुसूची V के साथ पठित विनियमन 34(3) के अनुपालन में यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से हमारे पास उपलब्ध कराये गए हैं.

यह निदेशकों की ज़िम्मेदारी है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित दस्तावेज़ संपूर्ण एवं सटीक जानकारी के साथ प्रस्तुत करें.

कोविड 19 महामारी तथा सरकार द्वारा लॉकडाउन/ लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन से हमने अपना सत्यापन कार्य कंपनी द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर किया है.

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/ निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक का दायित्व है. हमारा दायित्व अपने सत्यापन के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है.

हमारी उपरोक्त उल्लिखित जांच और उचित एवं आवश्यकता के अनुसार हमारे द्वारा किए गए अन्य सत्यापनों (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) सहित) के आधार पर, हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान तथा कंपनी, इसके अधिकारियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे दी गई सूची में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी बोर्ड का कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण से नियुक्ति या कंपनी निदेशक के रूप में बने रहने से विवर्जित या अयोग्य घोषित नहीं हैं.

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख
1.	श्री ज्ञान प्रसाद जोशी	00603925	28/08/2015	लागू नहीं
2.	डॉ आशिमा गोयल	00233635	28/04/2017	08/12/2020
3.	श्री भुवनचन्द्र बालकृष्ण जोशी	06713850	09/10/2017	लागू नहीं
4.	श्री समरेश परिडा	01853823	19/05/2018	लागू नहीं
5.	श्री जंबुनाथन नारायणन *	05126421	19/05/2018	लागू नहीं
6.	श्री सुधीर श्याम	08135013	16/05/2018	08/06/2020
7.	श्री राकेश शर्मा	06846594	10/10/2018	लागू नहीं
8.	श्री राजेश कंडवाल	02509203	21/01/2019	लागू नहीं

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख
9.	श्री दीपक सिंघल	08375146	28/02/2019	लागू नहीं
10.	श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर	08377808	05/03/2019	लागू नहीं
11.	श्री मंगलम रामसुब्रमणियन कुमार	03628755	13/05/2019	लागू नहीं
12.	सुश्री मीरा स्वरूप	07459492	20/08/2019	लागू नहीं
13.	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	02262530	20/09/2019	लागू नहीं
14.	श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार	03022106	15/01/2020	लागू नहीं
15.	श्री अंशुमन शर्मा	07555065	11/06/2020	लागू नहीं
16.	श्रीमती पी.वी. भारती	06519925	14/01/2021	लागू नहीं

*दिनांक 19 मई 2018 से बैंक के स्वतंत्र निदेशक श्री जंबुनाथन नारायणन (डीआईएन 0512642) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन प्रस्तुत अपने प्रकटीकरण में प्रकट किया है कि वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा प्रबंधित स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में अपने पंजीयन का नवीकरण निर्धारित अवधि में नहीं करा पाए थे, जिसके चलते डेटाबैंक में उनका पंजीयन दिनांक 8 फरवरी 2021 से समाप्त हो गया है.

हमें यह सूचित किया गया है कि उनका नाम पुनः शामिल करने हेतु उक्त मामले को आईआईसीए और कंपनी कार्य मंत्रालय के समक्ष रखा गया है. रिपोर्ट तैयार करने तक उनकी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. श्री जंबुनाथन द्वारा किए गए प्रकटन तथा बैंक द्वारा की गई पुष्टि के आधार पर हम यह नोट करते हैं कि औचित्य और बेहतर अभिशासन के तहत जब तक श्री जंबुनाथन का नाम डेटाबैंक में पुनः शामिल नहीं हो जाता, वे बोर्ड/ समितियों की बैठक में अनुपस्थिति के लिए छुट्टी की अनुमति लेते रहेंगे.

यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के मामले संचालित करने में उनकी दक्षता अथवा प्रभाविता का आश्वासन देता है.

यह प्रमाणपत्र, 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में प्रकटीकरण हेतु कंपनी के अनुरोध पर जारी किया गया है

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.**
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड P1991MH040400
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र नं.: 606/2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफ़सीएस 4206 सी पी नं. 1774
आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206C000280614
दिनांक : 12 मई 2021 | ठाणे

INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

K S Aiyar & Co.
Chartered Accountants
F-7, Laxmi Mills,
Shakti Mills Lane,
(Off Dr. E Moses Rd),
Mahalaxmi,
Mumbai - 400 011.

M P Chitale & Co.
Chartered Accountants
1st Floor, Hamam House,
Ambalal Doshi Marg,
Fort,
Mumbai – 400 001

To,
The Members of **IDBI Bank Limited**

1. We are the Joint Statutory Auditors of **IDBI Bank Limited** (hereinafter referred to as "the Bank"), having its registered office at IDBI Towers, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005, for which the audit report dated May 03, 2021 has been issued. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by the Bank for the year ended March 31, 2021, as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46 (2) and paragraphs C, D and E of Schedule V to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations").

Management's Responsibility

2. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. This responsibility also includes the design, implementation and maintenance of internal control and procedures to ensure the compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the SEBI Listing Regulations.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is limited to examining the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
4. We have examined the books of account and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purposes of providing reasonable assurance on the compliance with Corporate Governance requirements by the Bank.
5. We have carried out an examination of the relevant records of the Bank in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of the Chartered Accountants of India ("the ICAI"), the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, in so far as applicable for the purpose of this certificate and as per the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the ICAI which requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank, has in all material respects, complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI Listing Regulations for the year ended March 31, 2021.

Other Matters

8. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

Restriction on Use

9. This report is addressed to and provided to the members of the Bank solely for the purpose of enabling it to comply with its obligations under the Listing Regulations with reference to compliance with the relevant regulations of Corporate Governance and should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this report for events and circumstances occurring after the date of this report.

For K S Aiyar & Co
Chartered Accountants,
Firm Reg. No.100186W

Satish Kelkar
Partner
Membership No. 038934
UDIN: 21038934AAAACK2709

For M P Chitale & Co
Chartered Accountants,
Firm Reg. No. 101851W

Ashutosh Pednekar
Partner
Membership No. 041037
UDIN: 21041037AAAACW6095

Place: Mumbai
Date: June 22, 2021

Corporate Governance Report

Brief Statement on the Bank's philosophy on Code of Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of corporate governance in its operations. Its policies and practices are not only in line with the statutory requirement, but also reflect its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high governance standards lies with the Bank's Board of Directors and various Board Committees, which are empowered to monitor implementation of the best corporate governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, the Bank is committed to ensure that its Board of Directors continues to be constituted according to the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. Besides, the other policy directives of the Bank are to establish a strategic control framework and continuously review its efficacy as well as to set up clearly documented and transparent management processes to develop, implement and review policies, take decisions, monitor, control and report. The Bank provides free access of relevant information and resources to the Board, enabling it to carry out its role effectively.

BOARD OF DIRECTORS

The Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of Corporate Governance, as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [LODR Regulations]. The Bank's Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas.

i. Terms of reference

- To make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;
- To authorise buy-back of securities under Section 68 of Companies Act, 2013;
- To issue securities, including debentures, whether in or outside India;
- To borrow monies;
- To invest the funds of the Bank;
- To approve financial statements and the Board's report of the Bank;
- To diversify the business of the Bank;
- To approve amalgamation, merger or reconstruction;
- To take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company;
- To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP);
- To appoint Internal Auditors and Secretarial Auditor;
- To make political contributions;
- To take note of the disclosure of Directors' interest and shareholding;
- To buy and sell investments held by the Bank (other than trade investments), constituting five percent or more of the paid up share capital and free reserves of the investee company;
- To approve quarterly, half-yearly and annual financial statements or financial results as the case may be;
- To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Bank, prepared by the Bank as well as steps taken by the Bank to rectify instances of non-compliances;
- To lay down a code of conduct for all members of Board of Directors and senior management of the Bank;
- To ensure framing, implementing and monitoring the risk management plan for the Bank;

- To undertake performance evaluation of Independent Directors, all other Directors, Committees of the Board and Board as a whole;
- To review and guide corporate strategy, major plans of action, risk policy, annual budgets and business plans, to set performance objectives, to monitor implementation and corporate performance, and to oversee major capital expenditures, acquisitions and divestments;
- To monitor the effectiveness of the Bank's governance practices and making changes as needed;
- To select, compensate, monitor and, when necessary, replace Key Managerial Personnel (KMP) and overseeing succession planning;
- To align remuneration of KMP and Directors with the longer term interests of the Bank and its shareholders;
- To ensure a transparent nomination process to the Board to achieve diversity of thought, experience, knowledge, perspective and gender in the Board of Directors;
- To monitor and manage potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions;
- To ensure the integrity of the Bank's accounting and financial reporting systems, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards;
- To oversee the process of disclosure and communications;
- To monitor and review the Board of Directors' evaluation framework;
- To provide strategic guidance to the Bank, ensure effective monitoring of the management and shall be accountable to the Bank and the shareholders;
- To set a corporate culture and the values by which the Executives throughout the group shall behave;
- To act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interest of the Bank and the shareholders;
- To encourage continual Directors' training to ensure that the members of Board of Directors are kept up to date;
- To treat all shareholders fairly;
- To maintain high ethical standards and take into account the interests of stakeholders;
- To exercise objective independent judgement on corporate affairs;
- To consider assigning a sufficient number of non-executive members of the Board of Directors capable of exercising independent judgment to tasks where there is a potential for conflict of interest;
- To be able to step back to assist executive management by challenging the assumptions underlying: strategy, strategic initiatives (such as acquisitions), risk appetite, exposures and the key areas of the listed entity's focus.
- To define and disclose the mandate, composition and working procedures of the committees of the Board of Directors;
- To facilitate the Independent Directors to perform their role effectively as a member of the Board of Directors and also as a member of a Committee of the Board of Directors; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. ***Composition (including Educational Qualifications and Skills/ Expertise) of the Board of Directors as on March 31, 2021***

Name of the Director	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non-Independent Director	Educational Qualification	Expertise
		Chairman		
Shri M. R. Kumar	Non-Executive	Non-Independent	B.Sc.	HR, Administration and Corporate Governance.
		Managing Director and Chief Executive Officer		
Shri Rakesh Sharma	Executive	Non-Independent	Post Graduate in Economics, CAIIB	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Small Scale Industry, HR, Business Management, Administration and Corporate Governance.
		Deputy Managing Directors		
Shri Samuel Joseph Jebaraj	Executive	Non-Independent	BE (Hons.), MBA	Accountancy, Banking, Business Management, HR, Risk, Finance, IT, Marketing, Administration and Corporate Governance.
Shri Suresh Khatanhar	Executive	Non-Independent	M.Com, CAIIB & ICWA	Accountancy, Banking, Finance, Risk, Agriculture & Rural Economy and Small Scale Industry, Business Management, Administration and Corporate Governance.
		Nominee Directors		
Shri Rajesh Kandwal (LIC)	Non-Executive	Non-Independent	M.Sc (Botany), Fellow Member of Insurance Institute of India and Diploma in Industrial Relation and Personnel management, Certified Corporate Director by Institute of Directors, Delhi.	Accountancy, Finance, HR, Risk, Business management, Administration and Corporate Governance.
Ms. Meera Swarup (GoI)	Non-Executive	Non-Independent	MA (Political Science)	Accountancy & Finance, Administration and Corporate Governance.
Shri Anshuman Sharma (GoI)	Non-Executive	Non-Independent	Post Graduate	Accountancy & Finance, Banking, Economics, law, Marketing, Administration and Corporate Governance.
		Independent Directors		
Shri Gyan Prakash Joshi	Non-Executive	Independent	B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Physics), Master's Programme on Management and Implementation of Development Projects (MIDP) & PG Diploma in Financial Management	Agriculture & Rural Economy, Finance, Small Scale Industry, Risk, Administration and Corporate Governance.

Name of the Director	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non-Independent Director	Educational Qualification	Expertise
Shri Bhuwanchandra B. Joshi	Non-Executive	Independent	B.Com and CAIIB	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Administration and Corporate Governance.
Shri Samaresh Parida	Non-Executive	Independent	Chartered Accountant, Cost Accountant and MBA	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Finance, IT, Business Management, Strategic Planning, Administration and Corporate Governance.
Shri N. Jambunathan	Non-Executive	Independent	Post Graduate in statistics, CAIIB, Diploma In Management	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, IT, Payment & Settlement, Administration and Corporate Governance.
Shri Deepak Singhal	Non-Executive	Independent	B.A., MBA, CAIIB, PGDRM	Agriculture & Rural Economy, Banking, HR, Business Management, Administration and Corporate Governance.
Shri Sanjay G. Kallapur	Non-Executive	Independent	B.Com, M.M.S, Ph. D in Business Economics and ACMA	Accountancy, Economics, Finance, Risk, Administration and Corporate Governance.
Smt. P. V. Bharathi	Non-Executive	Woman Independent	B Sc., MA (Economics), B.Ed., CAIIB , Integrated course in banking and finance (NIBM)	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Risk, Economics, Administration and Corporate Governance

The present strength of 14 (fourteen) Directors on the Board meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association of the Bank.

In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfill the conditions specified in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and are independent of the management.

Dr. Ashima Goyal, Independent Director of the Bank, resigned from the Board of the Bank with effect from December 08, 2020 since she had a number of new activities for which she needed to make time and it would have been difficult for her to find time to do justice to IDBI Bank's Board and confirmed that there were no other material reasons other than those provided in her resignation letter.

iii. Relationship between Directors inter-se

(i) None of the Directors on the Bank's Board are related in any manner, directly or indirectly, to any other Director.

(ii) None of the Directors of the Bank have attained the age of seventy years as prescribed by the RBI as upper age limit for private sector banks.

(iii) Chairperson of the Bank is a Non-Executive Director and he is not related to the MD & CEO of the Bank as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013.

iv. Quorum for the Board Meetings

The quorum for Board Meetings shall be one third of the total strength or three (3) Directors, whichever is higher, subject to at least one director being a nominee of the LIC and one Independent Director.

v. Frequency of the Board Meetings

Meetings of the Board shall ordinarily be held at least six times in a year and at least once in every quarter and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive Board meetings.

vi. Number of the Board Meetings held

During the period under review (April 1, 2020 to March 31, 2021), 16 meetings of the Board of Directors were held on April 08, 2020; May 18, 2020; May 30, 2020; June 26, 2020; July 28, 2020; August 29, 2020; September 02, 2020; September 29, 2020; October 23, 2020; October 29, 2020; November 26, 2020, December 05, 2020; December 30, 2020, January 28 , 2021, February 12, 2021 and March 26, 2021. In view of the COVID-19 pandemic, all meetings were held via video conferencing as provided by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities & Exchange Board of India (SEBI), from time-to-time, and details regarding attendance at the Board meetings, attendance at the last Annual General Meeting (AGM), directorships in other companies and memberships of committees, in respect of each Director of the Bank, are given below in Table 1.

Table 1: Directors' Attendance at the Board Meetings and the AGM, their Directorships and Committee Memberships

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on August 17, 2020	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in Committes of other Companies (only ACB & SRC)	Names of the other listed entities where the person is a director and the category of directorship
1	2	3	4	5	6
	NON-EXECUTIVE CHAIRMAN				
Shri M. R. Kumar (DIN:03628755)	(16/15)	Present	5	NIL	1. LIC Housing Finance Ltd. - Nominee Director & Chairman; 2. ACC Ltd.- Non-Executive Director
	WHOLE-TIME DIRECTORS				
Shri Rakesh Sharma (DIN:06846594)	(16/16)	Present	2	NIL	NIL
Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN:02262530)	(16/16)	Present	3	1	NIL
Shri Suresh Khatanhar (DIN:03022106)	(16/16)	Present	1	NIL	NIL
	NON-EXECUTIVE DIRECTORS				
Shri Rajesh Kandwal (DIN:02509203)	(16/16)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Sudhir Shyam (DIN:08135013) [up to 08.06.2020]	(03/03)	NA	NIL	NIL	NIL
Ms Meera Swarup (DIN:07459492)	(16/14)	Present	2	NIL	NIL

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on August 17, 2020	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in Committes of other Companies (only ACB & SRC)	Names of the other listed entities where the person is a director and the category of directorship
1	2	3	4	5	6
Shri Anshuman Sharma (DIN:07555065) [w.e.f. 11.06.2020]	(13/09)	Not Present	NIL	NIL	NIL
	INDEPENDENT DIRECTORS				
Shri Gyan Prakash Joshi (DIN:00603925)	(16/16)	Present	NIL	NIL	NIL
Dr. Ashima Goyal (DIN:00233635) [up to 08.12.2020]	(12/12)	Present	2	NIL	1. Edelweiss Financial Services Ltd. - Director
Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN:06713850)	(16/16)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Samaresh Parida (DIN:01853823)	(16/16)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri N. Jambunathan (DIN:05126421)	(16/14)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Deepak Singhal (DIN:08375146)	(16/16)	Present	1	NIL	NIL
Shri Sanjay G. Kallapur (DIN:08377808)	(16/16)	Present	NIL	NIL	NIL
Smt. P. V. Bharathi (DIN:06519925) [w.e.f. 14.01.2021]	(03/03)	NA	1	1	NIL

None of the Non-Executive Directors of the Bank hold shares or convertible instruments issued by the Bank.

Committees of Board

The Board has constituted total of 13 Committees namely–

- Audit Committee of the Board
- Stakeholders' Relationship Committee
- Risk Management Committee
- Customer Service Committee
- Nomination & Remuneration Committee
- Recovery Review Committee
- Wilful Defaulters Review Committee
- Executive Committee
- Frauds Monitoring Committee
- Corporate Social Responsibility Committee
- Information Technology Strategy Committee
- HR Steering Committee
- Non - Cooperative Borrowers' Review Committee

A. AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB)

i. Terms of Reference

- Review of exposure to sensitive sectors, i.e., (a) Capital market; and (b) Real estate;
- Know Your Customer/ Anti Money Laundering (KYC/ AML) Guidelines –
  - i. Review of implementation;
  - ii. Review of compliance of Concurrent Audit reports with respect to adherence to KYC/ AML guidelines at branches;

- Review of housekeeping - particularly balancing and reconciliation of long outstanding entries, Suspense/ Sundries/ Drafts payable or paid/ Funds in Transit/ Clearing/ Subsidiary General Ledger (SGL)/ Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts;
- Review of compliance in respect of the Annual Financial Inspection conducted by the RBI (the ACB should review this on ongoing basis till the Bank furnishes full compliance. The ACB should closely monitor persisting deficiencies pointed out in RBI Inspection Reports);
- Review of Audit Plan and status of achievement thereof;
- Review of significant audit findings/ internal control weakness of the following audits along with the compliance thereof - (i) Long Form Audit Report (LFAR), (ii) Concurrent Audit, (iii) Internal Inspection, (iv) Information System Audit of Data Centre and other Departments, (v) Treasury and Derivatives, (vi) Management Audit at controlling offices/ Head Office, (vii) Audit of service branches, (viii) Currency Chest (ix) Foreign Exchange Management Act (FEMA) Audit of branches authorised to deal in foreign exchange, etc.;
- Compliance report on directives issued by the ACB/ the Board / the RBI;
- Report on compliance of regulatory requirement of regulators in host countries in respect of overseas branches;
- Review of financial results for the quarter including management discussion, analysis of financial condition, management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the Statutory Auditors;
- Review of information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers;
- Information in respect of equity shareholdings in borrower companies more than 30% of their paid up capital;
- Review of all fraud cases reported during the quarters ending March, June, September and December;
- Review of transactions with related parties and prior approval to related party transactions and subsequent modifications, if any, in related party transactions;
- Review of (a) Risk Based Internal Audit Policy, (b) Concurrent Audit Policy and (c) IS Audit Policy;
- Review of accounting policies/ systems of the Bank with a view to ensuring greater transparency in the Bank's accounts and adequacy of accounting standards; review of any change during the year and their impact. A confirmation that accounting policies are in compliance with accounting standards and the RBI guidelines;
- Review of adequacy of the internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit;
- Review of the Bank's Internal Financial Controls;
- Review of the Bank's Risk Management Systems;
- Appointment of Statutory Auditors, reviewing and monitoring the auditor's independence, performance, effectiveness of audit process both for domestic and overseas operations;
- Review of annual accounts/ financial statements of the Bank and auditor's report thereon before submission to the Board for approval with particular reference to items (a) to (g) as indicated in Point A(4) of Part C of Schedule II of LODR regulations;
- Approval of payment to Statutory Auditors for any other services rendered by the Statutory Auditors;
- Discussion with Statutory Auditors before the audit commences about the nature and scope of audit as well as post audit discussion to ascertain any area of concern;
- Penalties imposed/ penal action taken against the Bank under various laws and statutes and action taken for corrective measures;
- Review of report on revenue leakage detected by Internal/ External Auditors and status of recovery thereof - reasons for undercharges and steps taken to prevent revenue leakage;
- Report on end-use of funds raised through offer documents and public issue-funds (certified by Statutory Auditors) as well as (i) quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency in terms of Regulations 32(1)

and (ii) annual statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document in terms of Regulation 32(7) of LODR Regulations;

- Review of the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;
- Review of financial statements including particular investments made by Unlisted Subsidiaries;
- Review of First Time Non-Performing Assets (FTNPAs);
- Dishonour of cheques amounting to ₹ 1 crore & above;
- Annual review of Concurrent Audit System;
- Approval of Annual Audit Plan;
- Annual review of Outsourced Vendors' Audit;
- Review the functioning of Vigil Mechanism (formerly Whistle Blower Mechanism) ;
- Approval of appointment of (i) Chief Financial Officer; (ii) Chief Internal Auditor and (iii) Chief Compliance Officer;
- Valuation of undertakings or assets of the listed entity wherever it is necessary;
- RBI circulars having impact on Bank's accounts;
- Specific direction of ACB/ ACB Chairman in earlier meetings along with the compliance status;
- NPA/ recovery-related matters reported in Recovery Review Committee (RRC) for adoption purpose;
- Reviewing annually the compliance of the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- Reviewing the utilisation of loans and/ or advances from/ investment by the holding company in the subsidiary exceeding ₹ 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans/ advances/ investments; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the ACB

As on March 31, 2021, the ACB comprised six members, out of whom four members are Independent Directors, viz. Shri Samaresh Parida, Independent Director as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Additional Director (Independent Category).

Shri Suresh Khatanhar, DMD, Ms. Meera Swarup and Shri Anshuman Sharma, GoI Nominee Directors are permanent Special Invitees for the ACB meetings.

iii. Quorum & frequency for the ACB Meetings

The quorum for the ACB meetings shall be one-third of the total strength or two members of the ACB, whichever is higher, with at least two Independent Directors.

iv. Frequency of the ACB Meetings

The ACB shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive ACB meetings

v. Meetings of the ACB

During the year ended March 31, 2021, 14 meetings of the ACB were held on April 16, 2020; May 18, 2020; May 30, 2020; June 25, 2020; July 28, 2020; August 28, 2020; September 28, 2020; October 23, 2020; October 28, 2020; November 25, 2020; December 29, 2020; January 28, 2021; February 11, 2021 and March 25, 2021.

B. EXECUTIVE COMMITTEE (EC)

i. Terms of Reference

- Sanction of high-value credit proposals with exposure of more than ₹ 250 crore;
- Modification in terms and conditions of sanctions made by the EC;
- Reporting of the minutes of the Credit Committees;
- Sanction of proposals for Negotiated/ One Time Settlements (OTS);
- Sanction of proposals with exposure of more than ₹ 25 lakh to:
  - Directors (including the Chairman/ Managing Director) of other banks;
  - Any firm in which any of the directors of other banks is interested as a partner or guarantor; and
  - Any company in which any of the directors of other banks holds substantial interest or is interested as a director or as a guarantor.
- Sanction of proposals with exposure of more than ₹ 25 lakh to:
  - Any relative of the Chairman/ Managing Directors or other Directors of the Bank;
  - Any relative of the Chairman/ Managing Director or other directors of other banks;
  - Any firm in which any of the relatives as mentioned above is interested as a partner or guarantor; and
  - Any company in which any of the relatives as mentioned above holds substantial interest or is interested as a director or as a guarantor;
- Reporting of sanctions of securitisation portfolios;
- Review and reporting of status of security creation in respect of EC approved cases;
- Proposal for conversion of dues and receivables into investment instrument(s); and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the EC

As on March 31, 2021, the EC comprised six members out of which three members are Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri N. Jambunathan, Independent Director and Shri Deepak Singhal, Independent Director.

iii. Quorum for the EC Meetings

The quorum for the EC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the EC, whichever is higher.

iv. Frequency of the EC Meetings

The EC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. *Meetings of the EC*

During the year ended March 31, 2021, 25 meetings of the EC were held on April 16, 2020; April 29, 2020; May 16, 2020; May 29, 2020; June 15, 2020; June 25, 2020; July 15, 2020; July 27, 2020; August 12, 2020; August 28, 2020; September 14, 2020; September 28, 2020; October 16, 2020; October 28, 2020; November 11, 2020; November 25, 2020; December 14, 2020; December 29, 2020; January 13, 2021; January 29, 2021; February 11, 2021; February 25, 2021; March 15, 2021; March 25, 2021 and March 30, 2021.

C. STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE (SRC)

i. *Terms of Reference*

The Stakeholders' Relationship Committee (SRC) functions are as per the terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 read with Part D of Schedule II of the LODR Regulations.

The broader roles and responsibilities of SRC are as under:

- Resolving the grievances of the shareholders, bondholders and other security holders including complaints relating to transfer/ transmission of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings, etc.;
- Towards achieving the mandate as given above, the SRC will consider and review the equity servicing as well as bonds servicing reports of the Bank in each of its meetings and give directions, wherever deemed necessary, as follows:
    - Review of the report on equity servicing ;
    - Report on servicing of flexibonds;
    - Reporting of Reconciliation of Share Capital Audit Report;
    - Reporting of details of investors' complaints submitted to stock exchanges;
    - Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders;
    - Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent;
    - Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ Annual Reports/ statutory notices by the shareholders of the company; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of the SRC*

As on March 31, 2021, the SRC comprised four members out of which two of them are Independent Directors. The Chairperson of the Committee is Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director and the other members are Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD and Shri N. Jambunathan, Independent Director.

Shri Pawan Agrawal, the Company Secretary of the Bank, was the Compliance Officer for FY 2020-21.

iii. *Quorum for the SRC Meetings*

The quorum for the SRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the SRC, whichever is higher.

iv. *Frequency of the SRC Meetings*

The SRC meetings shall be held on quarterly basis.

v. *Meetings of the SRC*

During the year ended March 31, 2021, four meetings of the SRC were held on May 29, 2020; August 29, 2020; November 26, 2020 and February 12, 2021.

vi. *Number of Requests/ Complaints (Equity & Bonds)*

Number of shareholders'/ bondholders' complaints received in FY 2020-21	**5,819**
Number not solved to the satisfaction of shareholders'/bondholders'	**Nil**
Number of pending complaints	**280**

D. FRAUDS MONITORING COMMITTEE (FMC)

i. *Terms of Reference*

The Frauds Monitoring Committee (FMC) has been constituted as a special committee for monitoring and following up on fraud cases of ₹ 1 crore and above. It has been set up to detect, monitor and address frauds.

The broader roles and responsibilities of FMC are as under:

- Identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same;
- Identify the reasons for delay in detection of fraud, if any, in reporting to top management of the Bank and the RBI;
- Monitor progress of Central Bureau of Investigation (CBI)/ police investigation and recovery position;
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all cases of frauds and action, if required, is completed quickly without loss of time;
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls;
- Review the Red Flagged Accounts and the status of remedial action taken/ investigation ordered in the outstanding Red Flagged Accounts;
- To take note of completion of staff accountability exercise in fraud cases and the action taken thereon;
- Status of recovery in fraud cases including recovery from cases being investigated by CBI, police, etc.; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of the FMC*

As on March 31, 2021, the FMC comprised six members out of whom three members were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director, Shri Deepak Singhal, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Additional Director (Independent Category).

iii. *Quorum for the FMC Meetings*

The quorum for the FMC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the FMC, whichever is higher.

iv. *Frequency of the FMC Meetings*

The FMC is required to meet and review as and when a fraud involving an amount of ₹ 1 crore and above comes to light.

v. *Meetings of the FMC*

During the year ended March 31, 2021, five meetings of the FMC were held on June 24, 2020; August 29, 2020; October 29, 2020; December 30, 2020 and March 25, 2021.

E. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

i. *Terms of Reference*

The Risk Management Committee (RMC) has been constituted to assess various risks associated with the Bank's business, their mitigation, address the issues relating to asset liability mismatch and also monitor and review the Risk Management Plan of the Bank.

The broader roles and responsibilities of the RMC are as under:

- Evaluating the overall risks faced by the Bank, including liquidity risk;
- The potential interaction of liquidity risk with other risks should also be included in the risks addressed by the RMC;
- Reporting of projections of cash flows and measuring liquidity risk, assumptions used;
- Recommendation of policies, viz., Credit Policy, Recovery Policy, Fund Management Policy, Risk Management Policy, Asset Liability Policy, Operational Risk and Business Continuity Management (OR & BCM) Policy, DIFC Branch ALM Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Market Risk and Derivative Policy, Country Risk Management Policy & Country Risk Limits, Investment Policy, etc. to the Board;
- Review of progress in implementation of Risk Management System/ ALM & Risk Based Supervision;
- Review of progress report on Operational Risk & Business Continuity Management;
- Review of progress in implementation of Risk Based Internal Audit;
- Review of market risk report of trading portfolio;
- Review of results of stress test;
- Review of activities undertaken in Risk Management Department;
- Migration and default analysis of Internal Ratings;
- Asset Liability Management Review;
- Review of Basel III implementation and other activities undertaken in Risk Management Department;
- Policy on Collateral Management and Customer Relationship Management (CRM) Techniques;
- Reporting of minutes of Systems Product Approval & Review Committee (SPARC) I & II;
- Review of status of preparedness for Basel II and III;
- Policy on counter-party bank limits and allocation of limits for domestic & international banks;
- Credit Exposure – review and compliance of norms;
- To work in co-ordination with Nomination and Remuneration Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks;
- To monitor cyber security functions in the Bank; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the RMC

As on March 31, 2021, the RMC comprised seven members of whom three members were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Anshuman Sharma, Government Nominee Director, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Additional Director (Independent Category) as Chairperson of the committee.

iii. Quorum for the RMC Meetings

The quorum for the RMC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the RMC, whichever is higher.

iv. Frequency of the RMC Meetings

The RMC meetings shall be held on quarterly basis.

v. Meetings of the RMC

During the year ended March 31, 2021, six meetings of the RMC were held on May 16, 2020; June 15, 2020; August 12, 2020; August 28, 2020; November 11, 2020 and February 25, 2021.

F. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE (CSRC)

i. Terms of Reference

- To formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility (CSR) Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Bank in areas or subject, specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013;
- To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in above clause;
- To monitor the CSR Policy of the Bank from time-to-time; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the CSRC

As on March 31, 2021, the CSRC comprised five members of whom two are Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Additional Director (Independent Category).

iii. Quorum for the CSRC Meetings

The quorum for the CSRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the CSRC, whichever is higher.

iv. Frequency of the CSRC Meetings

The CSRC meetings shall be held on half-yearly basis.

v. Meetings of the CSRC

During the year ended March 31, 2021, two meetings of the CSRC were held on May 18, 2020 and November 26, 2020.

G. CUSTOMER SERVICE COMMITTEE (CSC)

i. Terms of Reference

The Customer Service Committee (CSC) has been constituted to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the governance structure for customer protection and service in the banking system and also to bring about on-going improvements in the quality of customer service provided by the Bank.

The broader roles and responsibilities of the CSC are as under:

- To look into the customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment;
- Formulation of a Comprehensive Deposit Policy;
- Issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his/ her account;
- Product approval process with a view to suitability and appropriateness;
- Annual survey of depositor satisfaction;
- Triennial audit of such services;
- To play a more pro-active role with regard to complaints/ grievances resolved by Banking Ombudsman of various States;
- To take note of all the awards given by the Banking Ombudsman;
- To review all the awards remaining unimplemented for more than three months with the reasons thereof;
- Review of measures taken for Customer Protection & Service in the Bank;
- Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) Code Compliance Rating;
- Revision of Grievance Redressal Policy;
- To examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered;
- To review the activities of Internal Ombudsman; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the CSC

As on March 31, 2021, the CSC comprised six members of whom two were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Ms. Meera Swarup, Government Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director.

iii. Quorum for the CSC Meetings

The quorum for the CSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the CSC, whichever is higher.

iv. Frequency of the CSC Meetings

The CSC meetings shall be held on quarterly basis.

v. Meetings of the CSC

During the year ended March 31, 2021, four meetings of CSC were held on June 24, 2020; September 29, 2020; December 30, 2020 and March 25, 2021.

H. INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC)

i. Terms of Reference

The Information Technology Strategy Committee (ITSC) has been constituted to put in place an effective technology platform in the Bank. The objectives are to render various IT-enabled services to customers; to help in streamlining the approach, to assist in launching new IT products and to provide related services and to monitor the implementation of Cyber Security Management Plans and monitor Cyber Security Policies.

The broader roles and responsibilities of ITSC are as under:

- Recommendation of proposed IT budget to the Board;
- Review of IT budget utilisation;
- To review launch of various products and IT-enabled services to the Bank's customers;
- To review development, procurement and operations of various software/ hardware either in-house or purchased from outside and to formulate procedures for inviting tenders or other process for selection of technology;
- Overseeing the execution, implementation and operations of systems and procedures;
- To oversee integration of branches through technology and development of MIS for the Bank;
- To review update of technology architecture and major IT initiatives undertaken;
- Review of Information Security Incidents;
- Review of performance of Digital Banking and Emerging Payments;
- Review of Information Security Policy;
- Review of IT Policy;
- Assessing cyber security preparedness;
- Monitoring the implementation of Cyber Security Management Plans;
- Monitoring Cyber Security Policies; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of the ITSC*

As on March 31, 2021, the ITSC comprised seven members of which three members are Independent Directors, viz., Shri N. Jambunathan, Independent Director as Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Anshuman Sharma, Government Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director and Shri Samaresh Parida, Independent Director.

iii. *Quorum for the ITSC Meetings*

The quorum for the ITSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the ITSC, whichever is higher.

iv. *Frequency of the ITSC Meetings*

The ITSC meetings shall be held on quarterly basis and not more than four months shall elapse between two meetings.

v. *Meetings of the ITSC*

During the year ended March 31, 2021, seven meetings of the ITSC were held on April 08, 2020; April 29, 2020; August 12, 2020; August 27, 2020; November 11, 2020; February 11, 2021 and March 15, 2021 & March 17, 2021 (adjourned meeting).

I. NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

i. *Terms of Reference*

The broader roles and responsibilities of the Nomination & Remuneration Committee (NRC) are as under:

- Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board of Directors a policy relating to the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees;

- To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual directors to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;
- Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- Devising a policy on diversity of Board of Directors;
- To identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down, and recommend to the board of directors their appointment and removal;
- To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment/ continuing to hold appointment as a director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors including Independent Directors and formulate the criteria relating thereto;
- Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc;
- Recommend to the Board, all remuneration, in whatever form, payable to the senior management;
- To work in co-ordination with Risk Management Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the NRC

As on March 31, 2021, the NRC comprised six members all of whom are Non-Executive Directors including three Independent Directors, viz., Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director as Chairman, Ms. Meera Swarup, Government Nominee Director, Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri N. Jambunathan, Independent Director and Shri Anshuman Sharma, Government Nominee Director.

iii. Quorum of the NRC Meetings

The quorum for the NRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the NRC, whichever is higher, including at least one Independent Director in attendance.

iv. Frequency of the NRC Meetings

The NRC shall meet at least once in a year.

v. Meetings of NRC

During the year ended March 31, 2021, four meetings of NRC were held on May 16, 2020; May 29, 2020; September 28, 2020 and January 13, 2021.

vi. Performance Evaluation criteria for Independent Directors

The performance evaluation of all Directors including Independent Directors is done on the basis of the questionnaire prepared which covers the Corporate Governance parameters such as Board attendance, participation during the meeting, level of Directors contribution, quality of knowledge and familiarity with the subject, level of transparency, etc. The questionnaire is circulated in advance to the Directors to consider and form their opinion about the evaluations. The performance evaluation of Independent Directors is being done by the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated. The evaluation includes performance of the Directors on above parameters and fulfillment of independence criteria. Further on the basis of results of evaluation, extension of term of Independent Director is considered.

J. HR STEERING COMMITTEE (HRSC)

i. *Terms of Reference*

The HR Steering Committee (HRSC) has been constituted to deal with the matters relating to human resources and to discuss critical issues in HR.

The broader roles and responsibilities of HRSC are as under:

- Making policies pertaining to recruitment and training;
- Review of performance management, compensation and career development initiatives;
- Consider management planning, development and succession planning;
- Alignment of the HR strategy to the business strategy and plan;
- To consider and approve various other HR matters including appointment of personnel, manpower assessment, promotions, etc.; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of the HRSC*

As on March 31, 2021, the HRSC comprised seven members of whom two members are Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Ms. Meera Swarup, Government Nominee Director, Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director and Shri Deepak Singhal, Independent Director.

iii. *Quorum for the HRSC Meetings*

The quorum for the HRSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the HRSC, whichever is higher.

iv. *Frequency of the HRSC Meetings*

The HRSC shall meet as per the need.

v. *Meetings of the HRSC*

During the year ended March 31, 2021, eight meetings of the HRSC were held on April 08, 2020; May 16, 2020; June 25, 2020; August 28, 2020; September 29, 2020; November 25, 2020; December 29, 2020 and March 26, 2021.

K. RECOVERY REVIEW COMMITTEE (RRC)

i. *Terms of Reference*

According to the Government of India directives/ the Board's recommendation, the Recovery Review Committee (RRC) has been constituted for reviewing recovery from NPAs, stressed accounts, written-off cases, Official Liquidator (OL) cases, Debt Recovery Tribunal (DRT) cases, etc. and to monitor the progress of recovery and so on.

The broader roles and responsibilities of the RRC are as under:

- Review of recovery performance of Non-performing Assets (NPAs)/ written-off accounts;
- Review of stressed Structured Retail Assets (SRA) and Quick Mortality assets cases;
- Review of top 100 NPAs of the Bank;
- Review of stressed accounts of the corporate verticals;

- Status report on Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest (SARFAESI) Act, 2002;
- Review of Special Mention accounts (SMA);
- Review of suit filed cases;
- Review of First Time NPAs (FTNPAs)/ Wilful Defaulters;
- Quarterly Review of NPAs; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. ***Composition of the RRC***

As on March 31, 2021, the RRC comprised seven members of whom two members are Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Ms. Meera Swarup, Government Nominee Director, Shri Anshuman Sharma, Government Nominee Director, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Additional Director (Independent Category).

iii. ***Quorum for the RRC Meetings***

The quorum for the RRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the RRC, whichever is higher.

iv. ***Frequency of the RRC Meetings***

The RRC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. ***Meetings of the RRC***

As on March 31, 2021, four meetings of the RRC were held on June 24, 2020; September 14, 2020; December 14, 2020 and March 15, 2021.

L. NON-COOPERATIVE BORROWERS' REVIEW COMMITTEE (NCBRC)

i. ***Terms of Reference***

The broader roles and responsibilities of Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NCBRC) are:

- To review the internal Non-Cooperative Borrowers' Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as non-cooperative borrower; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. ***Composition of the NCBRC***

The Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NCBRC) was constituted comprising MD & CEO and two Independent Directors.

As on March 31, 2021, the NCBRC consisted of Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Bhuwanchandra B. Joshi and Shri Deepak Singhal, Independent Directors as members.

iii. ***Quorum for the NCBRC Meetings***

The presence of all members shall form the quorum for the NCBRC Meetings.

iv. ***Frequency of the NCBRC Meetings***

The NCBRC is required to meet and review on a half-yearly basis the status of non-cooperative borrowers.

v. ***Meetings of the NCBRC***

As on March 31, 2021, two meetings of the NCBRC were held on June 26, 2020 and March 15, 2021.

M. WILFUL DEFAULTERS REVIEW COMMITTEE (WDRC)

i. Terms of Reference

The broader roles and responsibilities of the Wilful Defaulters Review Committee (WDRC) are:

- To review the internal Wilful Defaulters Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as wilful defaulter; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the WDRC

The Wilful Defaulters Review Committee (WDRC) was constituted comprising MD & CEO and two Independent Directors.

As on March 31, 2021, the WDRC consisted of Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri N. Jambunathan and Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Directors as members.

iii. Quorum for the WDRC Meetings

The presence of all members shall form the quorum for the WDRC meetings.

iv. Frequency of the WDRC Meetings

The WDRC is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as 'Wilful Defaulter', is taken by internal Wilful Defaulters Committee of the Bank.

v. Meetings of the WDRC

As on March 31, 2021, six meetings of the WDRC were held on May 18, 2020; June 26, 2020; July 09, 2020; August 27, 2020; January 29, 2021 and February 20, 2021.

Details of attendance of Directors at Committee Meetings of the Bank for the FY 2020-21 are given at table 2.

INDEPENDENT DIRECTORS' MEETING (IDM)

i. Terms of Reference

The Independent Directors' comply with the provisions of Schedule IV of the Companies Act, 2013, Regulation 25 of the LODR Regulations and Secretarial Standards-1 on Meetings of the Board of Directors issued by the Institute of Company Secretaries of India.

Role of the Independent Directors' meeting:

- Review the performance of Non-Independent Directors and the Board as a whole;
- Review the performance of the Chairperson of the Bank, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors;
- Assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank's management and the Board which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties; and
- To carry out compliances as per SEBI Regulations, wherever applicable.

ii. Composition of Independent Directors' Meetings

As on March 31, 2021, there were seven Independent Directors namely Shri Gyan Prakash Joshi, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay G. Kallapur and Smt. P. V. Bharathi, Independent Directors.

The Independent Directors elect one of themselves as Chairman at every meeting.

iii. Quorum for Independent Directors' Meetings

As per Schedule IV of the Companies Act, 2013 and Regulation 25 of the LODR Regulations, all Independent Directors shall strive to be present at the Independent Directors' meetings.

iv. *Frequency of Independent Directors' Meetings*

Independent Directors' meetings shall be held at least once in a financial year.

v. *Meetings of Independent Director*

As on March 31, 2021, three meetings of Independent Directors were held on April 29, 2020 & May 15, 2020 (adjourned meeting); July 06, 2020 and February 12, 2021.

QIP COMMITTEE OF THE BOARD (QIP COMMITTEE)

Board of Directors of the Bank at their meeting held on October 29, 2020 constituted a sub-committee of the Board namely "QIP Committee" for the purpose of the Qualified Institutional Placement (QIP) of the Bank. The committee was constituted only for the smooth functioning of the QIP process.

The QIP Committee was constituted consisting of Shri Samuel Joseph, DMD, Shri Anshuman Sharma, Government Nominee Director, Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, Shri Samaresh Parida, ACB Chairman and Shri B. B. Joshi, Independent Director. The Directors were paid sitting fees for attending the said meetings.

Five meetings of the QIP Committee were held on December 15, 2020 (2 meetings); December 18, 2020 (2 meetings) and December 19, 2020. All the members of the committee attended all the meetings held.

Table 2: Attendance of Directors at Committee Meetings for the FY 2020-21

SN	Names of Directors	ACB		EC		SRC		FMC		RMC		CSRC		CSC		ITSC		NRC		HRSC		RRC		NCBRC		WDRC	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
1.	Shri M. R. Kumar (DIN: 03628755)																										
2.	Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594)			25	25			05	05	06	06	02	02	04	04	07	07			08	08	04	04	02	02	06	06
3.	Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN: 02262530)	14	14	25	25	04	04	05	05	06	06	02	02	04	04	07	07			08	08	04	04				
4.	Shri Suresh Khatanhar (DIN- 03022106)			25	24	04	04	05	05	06	06	02	02	04	04	07	07			08	08	04	04				
5.	Shri Rajesh Kandwal* (DIN- 02509203)	12	12															04	04	08	08						
6.	Shri Sudhir Shyam (DIN:08135013) [up to 08.06.2020]									01	01	01	01			02	02										
7.	Ms. Meera Swarup (DIN- 07459492)													04	02			04	04	08	05	04	02				
8.	Shri Anshuman Sharma (DIN:07555065)									04	03					05	03	02	01			03	01				
9.	Shri Gyan Prakash Joshi (DIN:00603925)	14	14					05	05					04	04	07	07	04	04	05	05						
10.	Dr. Ashima Goyal (DIN:00233635) [upto 08.12.2020]	10	10			03	03					02	02									02	02				
11.	Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN:06713850)			25	24					06	06							04	03					02	02	06	06
12.	Shri Samaresh Parida (DIN:01853823)	14	14									01	01			07	07			03	03	04	04				
13.	Shri N. Jambunathan (DIN:05126421)			25	21	04	03									07	06	04	04							06	06
14.	Shri Deepak Singhal (DIN:08375146)			25	25			05	05											08	08			02	02		
15.	Shri Sanjay G. Kallapur (DIN:08377808)	14	14			01	01	04	04	06	06			04	04												
16.	Smt. P. V. Bharathi (DIN:06519925) [w.e.f. 14.01.2021]	02	02					01	01	01	01	00	00									01	01				

** Shri Rajesh Kandwal was a Permanent Special Invitee for two ACB meetings held on December 29, 2020 and January 28, 2021. He was a member of the ACB for the all the remaining meetings.*

MATRIX SETTING OUT SKILLS/ EXPERTISE/ COMPETENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AS ON MARCH 31, 2021 AND NAMES OF THE DIRECTORS WHO POSSESS SUCH SKILL ARE MENTIONED IN THE TABLE BELOW:

	Accountancy	Agriculture and Rural Economy	Banking	Co-operation	Economics	Finance	Law	Small-scale industry	HR	Risk	IT	Payment and Settlement	Business Management	Administration	Corporate governance
Shri M. R. Kumar									√					√	√
Shri Rakesh Sharma	√	√	√		√			√	√				√	√	√
Shri Samuel Joseph Jebaraj	√		√			√			√	√	√		√	√	√
Shri Suresh Khatanhar	√	√	√			√		√		√			√	√	√
Ms. Meera Swarup	√					√								√	√
Shri Anshuman Sharma	√		√		√	√	√							√	√
Shri Rajesh Kandwal	√					√			√	√			√	√	√
Shri Gyan Prakash Joshi		√				√		√		√				√	√
Shri Bhuwanchandra B. Joshi		√	√					√						√	√
Shri Samaresh Parida	√	√				√					√		√	√	√
Shri N. Jambunathan		√	√					√			√	√		√	√
Shri Deepak Singhal		√	√						√				√	√	√
Shri Sanjay G. Kallapur	√				√	√				√				√	√
Smt. P. V. Bharathi		√	√		√			√		√				√	√

ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 134(3)(a) and Section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Annual Return of the Bank is disclosed on the Bank's website at https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

STATEMENT ON DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTORS

In terms of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, Shri Gyan Prakash Joshi, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay G. Kallapur and Smt. P. V. Bharathi, Independent Directors of the Bank have given declaration on April 01, 2021, that they meet the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Clause (b) of Sub-regulation (1) of Regulation 16, 17(10) of LODR Regulations and Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and that they are not aware of any circumstance or situation, which exist or may be reasonably anticipated, that could impair or impact their ability to discharge their duties with an objective independent judgment and without any external influence. The Directors along with the annual disclosures also provided a confirmation stating that they have complied with the provisions of Sub-rule 1 and 2 of Rule 6 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2019 regarding registration in the Independent Directors Databank and renewal thereof except Shri N. Jambunathan, for whom a representation is made to Independent Directors' Databank on March 12, 2021 followed by communication dated March 19, 2021 to the MCA requesting to allow filing renewal application for inclusion of his name in the Databank (which had expired w.e.f. March 10, 2021 due to non-renewal), to be able to comply with the above rules. IICA has informed that the MCA is expected to notify the new rules for renewal of expired accounts very soon. The same was noted by the Board of Directors on April 15, 2021 and after undertaking due assessment of the veracity of the same, the Board was of the opinion that, the Independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the Management. Further, in the opinion of the Board, the independent directors possess the requisite integrity, experience, expertise and proficiency required under all applicable laws and the policies of the Bank.

MCA vide notification dated June 18, 2021 amended the Companies (Creation and Maintenance of databank of Independent Directors) Amendment Rules, 2021 allowing Independent Directors to renew their membership in the databank. Pursuant to the amendment, Shri N. Jambunathan renewed his membership in the databank on June 22, 2021.

COMPANY'S POLICY ON DIRECTORS' APPOINTMENT AND REMUNERATION

The Bank's Policy on Directors' Appointment and Evaluation and Remuneration Policy are available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

COMPANY'S DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

The Bank's Policy on Dividend Distribution is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp.

COMPLIANCE WITH SECRETARIAL STANDARDS

The Bank has adopted the Secretarial Standards namely SS-1 (Secretarial Standard on Board Meetings) and SS-2 (Secretarial Standards on General Meetings) issued by The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and notified under the Companies Act, 2013. The Bank has conducted its Board, Committee and General Meetings in accordance with these standards and is in compliance with the same.

INTERNAL AUDITOR:

The Bank has an in-house Internal Audit Department which carries out the Internal Audit functions. Shri M. V. Phadke, Executive Director, IDBI Bank Ltd. was designated as Chief Audit Officer in terms of Section 138 of the Companies Act, 2013.

In line with the RBI's guidelines on Risk Based Internal Audit (RBIA), the Bank has also adopted a robust Internal Audit Policy.

With effect from June 01, 2021, Shri Sunit Sarkar, Executive Director, IDBI Bank Ltd. has been designated as Chief Audit Officer in terms of Section 138 of Companies Act, 2013.

DISCLOSURE ON CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS INITIATED UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 (IBC)

The provisions are not applicable for banking companies.

BOARD'S COMMENTS ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE BY THE AUDITORS OR SECRETARIAL AUDITORS IN THEIR REPORT

There are no qualifications, reservation or adverse remarks or disclaimers either in the Statutory Auditors' Report or in the Secretarial Auditors' Report which require Board's comments thereon in terms of Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013. Further, pursuant to Section 143(12) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of the Bank have not reported any instances of frauds committed in the Bank by its officers or employees.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

The provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of business. The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the financial statements as per the applicable provisions of Banking Regulation Act, 1949.

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES IN THE PRESCRIBED FORM

In terms of Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars of contracts or arrangements, if any, with Related Parties are in the prescribed Form AOC-2 which is annexed to the report as **Annexure-A**.

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY

The CSR Policy framework of the Bank is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp. The Annual Report on the CSR activities undertaken by the Bank is annexed to the Report as **Annexure-B.**

RISK MANAGEMENT POLICY

The Bank follows a detailed and comprehensive risk management system which is constantly updated based on the RBI's regulatory guidelines issued in this regard from time-to-time. A dedicated Risk Management Committee of the Board regularly reviews comprehensively the risk matters of the Bank, the risk-related aspects of the Bank including the implementation of Basel III norms in the Bank. The Board of Directors of the Bank also periodically review the risk assessment and minimisation procedures followed in the Bank as well as the capital requirement of the Bank under Basel III norms.

STATEMENT INDICATING THE MANNER OF FORMAL ANNUAL EVALUATION OF BOARD, ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the details on the captioned matter are furnished herein below

(i) Independent Directors' at their meeting held on April 27, 2021 evaluated the performance of all Non-Independent Directors including the Chairman of the Board as well as the performance of the Board as a whole.

(ii) The Board, at its meeting held on May 03, 2021, evaluated the performance of all Directors on the Board including Independent Directors, its own performance as well as the performance of committees of the Board. The evaluation of all individual Directors was done by the entire Board, which apart from Corporate Governance parameters also included evaluation of Independent Directors on (a) review of their performance in meetings and (b) fulfillment of the independence criteria as specified in the Companies Act, 2013 and LODR Regulations and their independence from the management. The Director concerned being evaluated by the Board did not participate in the meeting during the process of his/ her own evaluation.

For the purpose of annual evaluation by Independent Directors and the Board, blank evaluation sheets in respect of individual Directors, Board Committees and the Board were circulated in advance to individual Directors through e-mails to enable the Directors to form their opinion in advance and help finalise the evaluation process at the respective meetings. The Chairman of Independent Directors' meeting and MD & CEO authorised by Board, signed the evaluation sheets on behalf of Independent Directors' and the Board respectively after finalisation of the evaluation. Chairman of the Board was authorised to sign the evaluation sheet of MD & CEO.

CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY

During the period of review, the Bank continued to carry on the business of banking and there was no change in the nature of its business. The RBI, vide its press release dated March 10, 2021, decided to remove IDBI Bank out of the Prompt Corrective Action (PCA) Framework, subject to certain conditions and continuous monitoring.

CHANGE IN DIRECTORS/ KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Name of Director	Designation	Nature of Change	Date
Shri Sudhir Shyam	Government of India Nominee Director	Cessation	08.06.2020
Shri Anshuman Sharma	Government of India Nominee Director	Appointment	11.06.2020
Dr. Ashima Goyal	Independent Director	Resignation	08.12.2020
Smt. P. V. Bharathi	Additional Director in Independent Category	Appointment	14.01.2021
Shri Pawan Agrawal	Company Secretary	Cessation	15.04.2021
Smt. Jyothi Biju Nair	Company Secretary	Appointment	16.04.2021
Shri Ajay Sharma	CFO	Cessation	31.05.2021
Shri P. Sitaram	CFO	Appointment	01.06.2021

REMUNERATION OF DIRECTORS

IDBI Bank, being a Private Sector Bank w.e.f. January 21, 2019, remuneration and perquisites of the MD & CEO and DMDs are approved by the RBI as per Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949. The details of remuneration paid to MD & CEO and DMDs is given in the table below. There have been no pecuniary relationships/ transactions of Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the period under review.

Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs	
Salary & Allowances	**Shri Rakesh Sharma, MD & CEO** – Pay ₹ 2, 24,400/- p.m. and applicable DA (presently 17%) ₹ 38,148/- Total ₹ 2,62,548/-. **Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD** - Pay ₹ 1,93,200/- p.m. and DA @ 17% ₹ 32,844/- Total ₹ 2,26,044/-. **Shri Suresh Khatanhar, DMD** - Pay ₹ 1,93,200/- p.m. and DA @ 17% ₹ 32,844/- Total ₹ 2,26,044/-.
Variable Pay	As per the Guidelines on Compensation of WTDs issued by RBI on November 4, 2019, WTDs are eligible for Variable Pay. Accordingly, the Board of Directors at their meeting held on May 15, 2021 approved the Compensation of WTDs for the FY 2020-21 and the said Compensation shall be effective on receipt of approval of RBI.
Entertainment	Actual entertainment subject to ceiling of ₹ 6,000 p.a. (membership of club adjustable within the above ceiling) in respect of both MD & CEO and DMDs.
Housing	Rent-free furnished accommodation in respect of both MD & CEO and DMDs.
Conveyance	Entitled to free use of the Bank's car for official purpose.
Leave Travel Concession	For self and family once in a block of two years for visiting any place in India as per entitled class as applicable for official tour in respect of both MD & CEO and DMDs.
Pension	Entitled to draw pension, if any, admissible in the career post (below board level) as per the rules and regulations of the Bank where the career post was held.
Gratuity	At the rate of half month's pay for every completed year of service or more than six months of service as MD & CEO/DMDs.
Tenure	**Shri Rakesh Sharma** – Earlier appointed as MD & CEO vide Government of India's Notification F.No.4/2/2015-BO.I dated October 05, 2018 for a period of six months with effect from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier. Shri Rakesh Sharma assumed the charge as MD & CEO of IDBI Bank w.e.f. October 10, 2018. Consequent upon the acquisition of 51% controlling stake, LIC, vide its letter dated January 18, 2019, conveyed that Shri Rakesh Sharma will continue as MD & CEO till such time as LIC makes fresh nomination of MD & CEO on the Board of IDBI Bank. Subsequently, LIC, vide its letter dated February 13, 2019 nominated Shri Rakesh Sharma as MD & CEO of IDBI Bank for the fresh term of three years, under Article 116(1)(ii) of the Articles of Association of the Bank. The Board approved the appointment of Shri Rakesh Sharma w.e.f. March 19, 2019 after receipt of RBI approval. The approval of shareholders was obtained at the 15th AGM held on August 20, 2019. **Shri Samuel Joseph Jebaraj** - Appointed as DMD by the Board at its meeting held on September 19, 2019 for a period of three years w.e.f. the date of taking over the charge of the post on such remuneration and terms & conditions as specified in the RBI letter dated September 4, 2019. Shri Samuel Joseph Jebaraj took charge on September 20, 2019. The approval of shareholders was obtained at the last AGM held on August 17, 2020. **Shri Suresh Khatanhar** - Appointed as DMD by the Board at its meeting held on January 15, 2020 for a period of three years w.e.f. the date of taking over the charge of the post on such remuneration and terms & conditions as specified in the RBI letter dated January 9, 2020. Shri Suresh Khatanhar took charge on January 15, 2020. The approval of shareholders was obtained at the last AGM held on August 17, 2020.

CRITERIA FOR MAKING PAYMENTS TO NON-EXECUTIVE DIRECTORS

All the Non-Executive Directors except the Government Nominee Directors are only paid sitting fees. The rate of sitting fees for Board is ₹ 40,000/- per meeting (plus ₹ 10,000/- per meeting for chairing the meetings) and ₹ 20,000/- per meeting for all Board committee meetings (plus ₹ 5,000/- per meeting for chairing the meetings). Apart from the remuneration to MD & CEO and DMDs and sitting fees to the Non-Executive Directors as above, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by the Bank.

Aggregate amount of sitting fees paid to Non-Executive Directors including Independent Directors for FY 2020-21 is as detailed below:

Name of the Non-Executive Director	Sitting fees paid for FY 2020-21 (₹)
Shri M. R. Kumar, Non-Executive Chairman (being paid to LIC)	7,50,000
Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director	12,60,000
Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director	15,00,000
Dr. Ashima Goyal, Independent Director (up to 08.12.2020)	8,80,000
Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director	17,05,000
Shri Samaresh Parida, Independent Director	14,55,000
Shri N. Jambunathan, Independent Director	14,70,000
Shri Deepak Singhal, Independent Director	15,40,000
Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director	13,75,000
Smt. P. V. Bharathi, Additional Director(Independent Category) (w.e.f. 14.01.2021)	2,45,000

DISCLOSURE UNDER RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

Appointment and Remuneration of the MD & CEO and the DMDs is approved by the RBI under Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949 after the same is recommended by Nomination & Remuneration Committee and approved by Board. The Bank has continued the pay scales applicable to Public Sector Banks (PSBs) for MD & CEO, DMDs and other employees. Other Directors on the Board do not get any remuneration except the sitting fees for attending meetings as mentioned in the paragraph above. The other employees of the Bank including Key Managerial Personnel (KMPs), i.e., Chief Financial Officer and Company Secretary, get remuneration as applicable to the similar grade officials of the Bank. Periodical revision in the pay scales of employees including KMPs does have relationship with many factors including the Bank's performance. The Bank has not made any Follow-on Public Offer (FPO) and hence, no comparison in market quotation of the Bank's shares is possible. However, market price of the Bank's shares for FY 2020-21, financial ratios, etc. are disclosed in the Annual Report. No variable pay concept is applicable at present in the Bank in respect of remuneration of employees except WTDs. As per RBI circular dated November 4, 2019, variable pay would also be applicable to Material Risk Takers and Control Function staff of the Bank, subject to approval of Board of Directors and RBI to be sought in this regard.

The details in terms of Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is given below:

<table>
<tr><td>The number of regular employees on the rolls of the Bank;</td><td colspan="2">17,319 (out of which 950 employees were on contract basis and all other employees were regular)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">The ratio of the remuneration of each Director to the median remuneration of the employees of the company;</td><td>Name of the Executive Director</td><td>Ratio of remuneration to the median of all employees</td></tr>
<tr><td>Shri Rakesh Sharma, MD & CEO</td><td>3.05</td></tr>
<tr><td>Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD</td><td>2.70</td></tr>
<tr><td>Shri Suresh Khatanhar, DMD</td><td>2.65</td></tr>
<tr><td rowspan="5">The percentage increase in remuneration of each Director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year;</td><td>Designation</td><td>Percentage Increase</td></tr>
<tr><td>MD & CEO</td><td>-4%
[The difference is due to lesser monetary perks in the FY 2020-21]</td></tr>
<tr><td>DMDs</td><td>Not applicable as the percentage increase cannot be compared to the previous year as their appointment in FY 2019-20 was for part of the year.</td></tr>
<tr><td>CFO</td><td>-8%
[Arrears of pay revision received in FY 2019-20 and hence the difference]</td></tr>
<tr><td>CS</td><td>-9%
[Arrears of pay revision received in FY 2019-20 and hence the difference]</td></tr>
</table>

The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year;	5%
Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration;	Average remuneration increase for non-managerial personnel of the Bank during FY 2020-21 was 5% and the average remuneration increase for the managerial personnel of the Bank was -7% (as clarified above).
Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the company.	Yes

GENERAL BODY MEETINGS

A. The last three Annual General Meetings (AGMs) of the Bank were held as under:

Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.	
Location and time of the last three AGMs.	1) August 13, 2018 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (**14th AGM** of the Bank). 2) August 20, 2019 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (**15th AGM** of the Bank). 3) August 17, 2020 exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 3:30 p.m. (**16th AGM** of the Bank)
Whether Special Resolutions were passed in previous three AGMs	➢ **For 14th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 5,000 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard and (ii) taking shareholders' approval u/s 42 of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to mobilise in one or more tranches up to ₹ 5,000 crore comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement/ Public Issue were passed at the 14th AGM of the Bank held on August 13, 2018. ➢ **For 15th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 11,000 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard and (ii) taking shareholders' approval u/s 149 of the Companies Act, 2013 for appointment of Shri Gyan Prakash Joshi (DIN: 00603925) as Independent Director of the Bank for the second term of four years w.e.f. August 28, 2019 were passed at the 15th AGM of the Bank held on August 20, 2019. ➢ **For 16th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 42, 62(1)(c) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 11,000 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard and (ii) Amendment to the Articles of Association of the Bank, were passed at the 16th AGM held on August 17, 2020.
Whether any special resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern	No.
Person who conducted the postal ballot exercise	Not applicable

Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.	
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	No
Procedure for Postal Ballot	Not applicable since there was no postal ballot conducted during the FY 2020-21.

MEANS OF COMMUNICATION

Apart from providing detailed Annual Report on the Bank's working, consisting of the Board's Report as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 and Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders. These are published in one English language newspaper, viz., the Financial Express, having nationwide circulation and in one regional language newspaper viz., Loksatta and these advertisements are intimated to the Stock Exchanges. The aforesaid information is also displayed on the Bank's website https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp along with the official press release and presentations made to institutional investors and analysts.

GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION

General Shareholders' Information		
i.	Date, time and venue of AGM	Tuesday, August 10, 2021, 2:00 p.m., exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM).
ii.	Financial Year	April 1, 2020 to March 31, 2021
iii.	E-voting period in terms of Regulation 44 of LODR Regulations and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014	E-voting period commences on and from Thursday, August 5, 2021 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Monday, August 9, 2021 at 5.00 P.M (IST).
iv.	Book closure date	August 4, 2021 to August 10, 2021 (both days inclusive)
v.	Listing on Stock Exchanges and confirmation of payment of Annual listing fee	1. **Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)** Address: 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 2. **National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)** Address: Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C / 1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051. The bonds issued in domestic market comprised privately placed bonds and are listed on the BSE/ NSE. Listing fees as applicable have been paid.
vi.	Stock code/ Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI
vii.	Registrar and Share Transfer Agents	**KFin Technologies Private Ltd.** Unit : IDBI Equity, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032

General Shareholders' Information

viii.	Share Transfer system	The Bank's shares which are in dematerialised form are transferable through the depository systems. Requests for issue of duplicate share certificates/ transmission/transposition w.r.t. shares in physical form are approved by an internal committee comprising Executive Director/ Chief General Manager. As on April 1, 2020, two investor grievances were pending for redressal and from April 1, 2020 to March 31, 2021, 5,819 grievances were received from shareholders/ investors by the Bank's Registrar & Transfer Agents. During the year, 5,541 grievances were redressed and 280 grievances were pending for redressal on March 31, 2021. In respect of shares, no cases of transfers were pending on April 1, 2020. Between April 1, 2020 and March 31, 2021, only one request for transfer of shares was received and processed (being the rejected cases prior to April 1, 2019, received after rectifications) by the Bank's Registrar & Transfer Agents. No requests were pending as on March 31, 2021. As per the amended SEBI Listing Regulations, with effect from April 01, 2019, any requests for share transfer shall not be processed unless the shares are held in dematarialised form.
ix.	Financial Calendar	**April 1, 2020 to March 31, 2021** Quarterly Results were approved on:

Results as on	Board Meeting
June 2020	July 28, 2020
September 2020	October 23, 2020
December 2020	January 28, 2021
March 2021	May 03, 2021

x.	Dematerialisation of shares & Liquidity	The Bank's shares are required to be compulsorily traded in the stock exchanges in dematerialised form. The number of shares held in dematerialised and physical mode as on March 31, 2021 is as under:

	No. of shares	% of total Capital issued
Held in dematerialised form in NSDL	5678873747	52.82
Held in dematerialised form in CDSL	5064819377	47.10
Physical	8709051	0.08
Total	**10752402175**	**100.00**

xi.	Listing of Debt Securities	The debt securities issued by the Bank are listed on the debt segment of the BSE and the NSE.
xii.	Debenture Trustee	➢ **Axis Trustee Services Ltd.,** The Ruby, 2nd Floor, SW, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai – 400028. **Telephone number :** 022-62300451 **E-mail ID of the Principal officer of the Trustee–** debenturetrustee@axistrustee.com
		➢ **SBICAP Trustee Company Ltd.,** Mistry Bhavan, 4th Floor, 122 Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 **Telephone number** : 022 4302 5500/ 5566 **E-mail ID of the Principal officer of the Trustee–** anupama.naidu@sbicaptrustee.com

General Shareholders' Information

xiii.	Outstanding Global Depository Receipts (GDRs)/ American Depository Receipts (ADRs)/ warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank Ltd. has not issued GDRs/ ADRs/ Warrants, etc.
xiv.	Plant Locations	Not applicable. However, information about locations of the Bank's branches is available on its website (www.idbibank.in).
xv.	Address for correspondence	**IDBI Bank Ltd.** **CIN – L65190MH2004GOI148838** Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 22nd floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 **Phone** – 022-66553062/ 2711/ 3147/3336 **E-mail** – idbiequity@idbi.co.in **Website** – www.idbibank.in **Registrar & Transfer Agents** **KFin Technologies Private Ltd.** Selenium Tower B, Plot. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 **Toll Free Number:** 1-800-3454-001 **Website:** www.kfintech.com **E-mail:** einward.ris@kfintech.com
xvi.	List of Credit Rating obtained by the Bank	Credit Rating details are provided in Management Discussion and Analysis Report
xvii.	Market price data	Refer Table i
xviii.	Performance in comparison to broad-based indices such as BSE Sensex, etc	Refer Table ii
xix.	Distribution of shareholding	Refer Table iii

Table i

IDBI Bank Ltd.'s Share Price Movement on the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) & BSE Ltd.(BSE) : April 2020 – March 2021

(₹)

	NSE		BSE			NSE		BSE	
Month	**High**	**Low**	**High**	**Low**	**Month**	**High**	**Low**	**High**	**Low**
April 2020	22.45	19.30	22.45	19.30	**Oct 2020**	39.75	33.55	39.75	33.60
May 2020	20.80	19.35	20.85	19.35	**Nov 2020**	38.10	35.85	38.10	35.85
June 2020	44.10	24.45	43.80	24.35	**Dec 2020**	42.50	30.85	42.50	30.90
July 2020	53.55	36.85	53.10	36.90	**Jan 2021**	32.30	26.85	32.30	26.80
Aug 2020	43.30	38.55	43.25	38.55	**Feb 2021**	32.35	28.85	32.35	28.80
Sept 2020	39.50	32.85	39.50	32.85	**Mar 2021**	42.00	31.45	42.00	31.45

Table ii:

The performance of IDBI Bank equity share relative to the BSE Sensitive Index (Sensex) during the period April 1, 2020 to March 31, 2021 is given in the following chart -

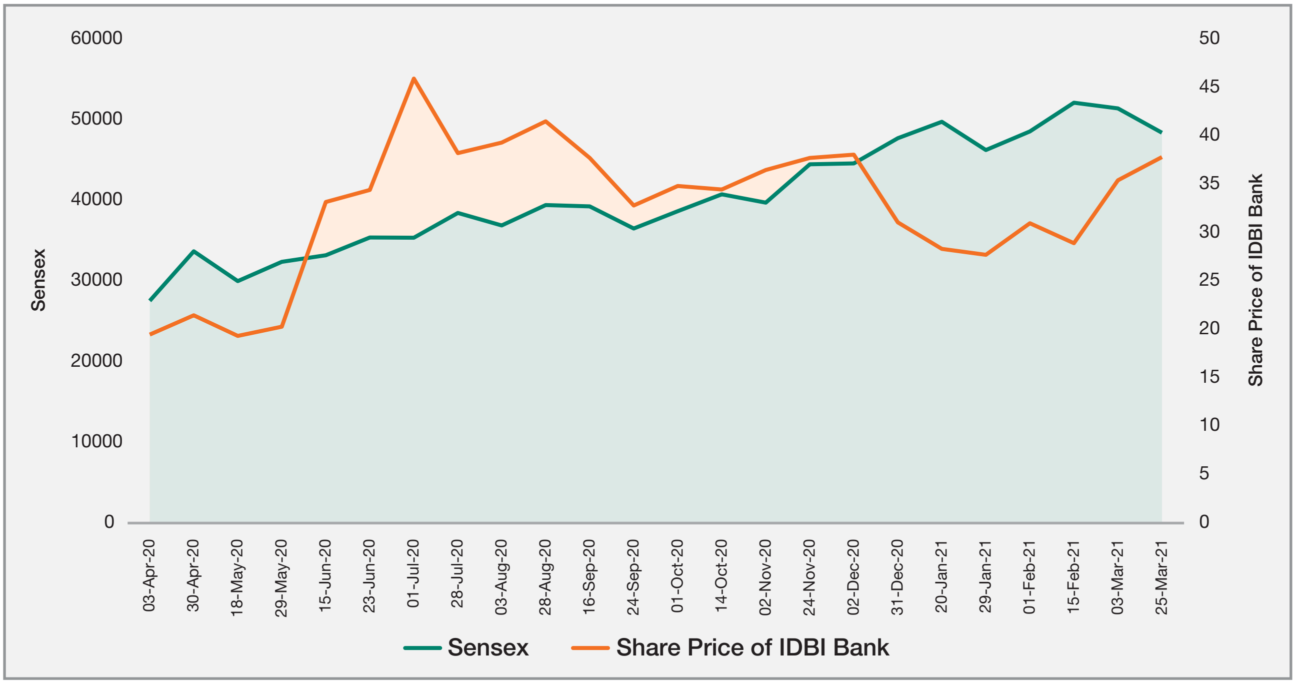

Table iii:

The details of shareholding in the Bank by major categories of shareholders and distribution schedule as at end-March 2021 is presented below:

Shareholding Pattern as at March 31, 2021

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Life Insurance Corporation of India (Promoter with Management control)	5294102939	49.24
Government of India (co-promoter without Management control)	4889871903	45.48
Employees	719466	0.01
Public	313051471	2.91
Hindu Undivided Family	13466284	0.13
Bodies corporate	23736537	0.22
Institutions		
A) Banks	148051718	1.38
B) Foreign Institutional Investors	9619298	0.09
C) State Finance Corporations	6476683	0.06
D) Financial Institutions	2590673	0.02
E) Mutual Funds	3974966	0.04
Societies	24800	0.00
Trusts	381860	0.00

Category of Shareholders		No. of Shares Held	% to Total
Insurance Companies		12778869	0.12
NRIs		10915624	0.10
Directors, KMPs & Relatives			
(i)	Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	4400	0.00
(ii)	Shri Suresh Khatanhar, DMD	24200	0.00
(iii)	Shri Ajay Sharma, CFO	120	0.00
NSDL (transit)		16710219	0.15
NBFC		25745	0.00
IEPF		5874400	0.05
GRAND TOTAL		**10752402175**	**100.00**

Distribution Schedule as at March 31, 2021

Sl. No.	Category		No. of shareholders	% to total shareholders	Amount (₹)	% to total Amount
	From	To				
1	1	5000	532472	98.42	1839885000.00	1.71
2	5001	10000	4772	0.88	363911780.00	0.34
3	10001	20000	2079	0.38	300359190.00	0.28
4	20001	30000	622	0.11	157269520.00	0.15
5	30001	40000	293	0.05	103824350.00	0.10
6	40001	50000	213	0.04	98906320.00	0.09
7	50001	100000	290	0.05	209784060.00	0.20
8	100001 & above		257	0.05	104450081530.00	97.14
Total			**540998**	**100.00**	**107524021750.00**	**100.00**

OTHER DISCLOSURES–

i. DETAILS RELATING TO DEPOSITS COVERED UNDER CHAPTER V OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND DETAILS OF DEPOSITS WHICH ARE NOT IN COMPLIANCE OF THE REQUIREMENTS OF CHAPTER V OF THE ACT

In terms of proviso to Section 73(1) of the Companies Act, 2013, nothing in this Sub-section shall apply to banking company and hence, the requirement of disclosure of captioned details is not applicable to IDBI Bank.

ii. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

There were no orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals during FY 2020-21 which could impact the going concern status and IDBI Bank's operations in future.

iii. THE NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR

No new subsidiaries, Joint Ventures (JVs) or Associate Companies have been formed during FY 2020-21. No subsidiaries, JVs or Associate Companies have ceased to be the same during FY 2020-21.

iv. FAMILIARISATION PROGRAMME FOR INDEPENDENT DIRECTORS

The Independent Directors are being regularly familiarised with the business of the Bank, their duties and responsibilities and compliance requirements in the Bank as per the changes in the regulatory environment. Further, Independent Directors were nominated/ deputed to various training programmes during FY 2020-21.

The detailed status in this regard is provided on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

v. ESTABLISHMENT OF VIGIL MECHANISM

The Bank has established a Board-approved Vigil Mechanism in compliance with the statutory/ regulatory requirements. The report on Vigil Mechanism is submitted to the Board on a regular basis. During FY 2020-21, no personnel were denied access to the Audit Committee. The Policy on Vigil Mechanism giving details of establishment of Vigil Mechanism has been disclosed by the Bank on its website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

vi. POLICY FOR DETERMINING MATERIAL SUBSIDIARIES

In terms of the requirement of Regulation 46 of the LODR Regulations, the policy for determining material subsidiaries is available on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

vii. POLICY ON DEALING WITH RELATED PARTY TRANSACTIONS

In terms of the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of LODR Regulations, the Bank has formulated a policy on dealing with Related Party Transactions.

The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

viii. DISCLOSURE ON MATERIALLY SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS THAT MAY HAVE POTENTIAL CONFLICT WITH THE INTEREST OF LISTED ENTITY AT LARGE

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, during FY 2020-21, the Bank has not undertaken any materially significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the Bank.

ix. INFORMATION UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013

The Bank has a policy against sexual harassment and a formal process for dealing with complaints of harassment or discrimination. The said policy is in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. The Bank has complied with provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the said Act. Pursuant to the amendment to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details pertaining to number of complaints during the year has been provided below:

A	Number of complaints filed during the financial year	07
B	Number of complaints disposed of during the year	07
C	Number of complaints pending as at end of the financial year	04

x. DISCLOSURE OF COMMODITY PRICE RISKS OR FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY HEDGING ACTIVITIES

The Bank is in compliance with the relevant provisions in respect of commodity price risks or foreign exchange and commodity hedging activities as per the guidelines, if any, prescribed by Regulators.

xi. DISCLOSURE OF ACCOUNTING TREATMENT

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, in preparation of financial statements, no treatment different from that prescribed in an Accounting Standard has been followed and hence, no explanation from the Management is required to be given in this regard.

xii. DISCLOSURE, AS TO WHETHER MAINTENANCE OF COST RECORDS AS SPECIFIED BY THE CENTRAL GOVERNMENT UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 148 OF THE COMPANIES ACT, 2013, IS REQUIRED BY THE COMPANY AND ACCORDINGLY SUCH ACCOUNTS AND RECORDS ARE MADE AND MAINTAINED

IDBI Bank Ltd., being a banking company, provisions of maintenance of cost records is not applicable to it.

xiii. DISLOSURES

a) No company was assisted during April 1, 2020 – March 31, 2021, in which any of the Directors of the Bank was interested except as under:

(i) IDBI Asset Management Ltd. (IAML) - Shri Rakesh Sharma, MD & CEO is on the Board of IAML. However, it being a subsidiary of IDBI Bank Ltd. is exempted under the RBI guidelines on connected lending provisions.

(ii) Export Import Bank of India (EXIM Bank) - Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, was on the Board of EXIM Bank. However, EXIM Bank has been sanctioned intra-day/overdraft facility to meet cash flow mismatches which is exempted under RBI Guidelines on connected lending provisions

(iii) IDBI Intech Ltd. - Shri Suresh Khatanhar, DMD is on the Board of IDBI Intech Ltd. However, it being a subsidiary of IDBI Bank Ltd., is exempted under the RBI guidelines on connected lending provisions.

b) Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any statutory authority, on any matter relating to capital markets, during the last three years are:

FY 2018-19	Nil. However, the RBI had imposed penalty of (i) ₹ 3 crore on the Bank for non-compliance with the directions issued by it on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) norms on April 9, 2018, (ii) ₹ 20 lakh for non-compliance with regulatory directions of the RBI on Know Your Customer (KYC)/ Anti Money Laundering (AML) standards on February 4, 2019 and (iii) ₹ 1 crore for contravention of regulatory directions of the RBI on time-bound implementation and strengthening of SWIFT related operational controls on February 25, 2019.
FY 2019-20	Nil
FY 2020-21	Nil

c) During the FY 2020-21, the Bank had raised funds through Qualified Institutional Placement (QIP) aggregating to ₹ 1,435.18 crore (inclusive of premium amount) issued to 44 eligible Qualified Institutional Buyers (QIBs) on December 19, 2020. The proceeds from the QIP have been fully utilised for augmenting the capital adequacy of the Bank.

d) During the FY 2020-21, there has been no deviation in the use of proceeds from the objects stated in the explanatory statement to the notices for General Meeting in terms of Regulation 32(4) of LODR Regulations.

e) A certificate dated May 12, 2021 obtained from Shri S. N. Ananthasubramanian (CP No. 1774) of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the SEBI/ the MCA or any such statutory authority is annexed to this Report.

f) The Bank has made all the disclosures in the Annual Report that were required in terms of sub-paras (2) to (10) of the corporate governance section of Schedule V (Annual Report) of LODR Regulations.

g) The Bank has complied with the corporate governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Sub-regulation (2) of Regulation 46 of LODR Regulations.

h) The Bank has complied with all the mandatory requirements given under Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations and has been submitting quarterly/ half-yearly/ annual compliance report on Corporate Governance in the prescribed formats to the stock exchanges within the prescribed time-lines.

i) There has been no instance where the Board had not accepted any recommendation of any Committee of the Board which is mandatorily required and hence no disclosure in this regard is required.

j) In terms of Schedule V of LODR Regulations, total fees for all services paid by the Bank to the Statutory Central Auditors during FY 2020-21 is ₹ 325 lakh (including LFAR, Certification Fees, Tax Audit Fees, SRA Audit, etc.) and out of pocket expenses capped at ₹ 24 lakh.

k) **Subsidiary Companies:** As on March 31, 2021, the Bank had five subsidiaries, viz., IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Markets & Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Co. Ltd. and IDBI Trusteeship Services

Ltd. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries are material subsidiary companies as defined under Regulation 16 of LODR Regulations. In compliance of the requirements of Regulation 24 of the LODR Regulations, the Bank's Audit Committee reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at the Bank's Board meetings.

l) **Document Handling and Retention Policy**

In terms of Regulation 9 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank has in place a Board-approved Document Handling and Retention Policy.

m) **Disclosures with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account**

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, the Bank reports the following details in respect of equity shares lying in the unclaimed suspense account:

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on April 01, 2020	169	32,986
(b)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Account during April 01, 2020 to March 31, 2021	0	0
(c)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Account during April 01, 2020 to March 31, 2021	0	0
(d)	Number of shares transferred to IEPF Authority as per 124 & 125 of the Companies Act, 2013	152	29,706
(e)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on March 31, 2021	17	3,280
(f)	The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.		

n) **Disclosures in respect of Investors Education and Protection Fund (IEPF)**

a) Details of the transfer/s to the IEPF made during the year :

Sl. No.	Description	Shares	Amount (in ₹)
(i)	Amount of unclaimed/unpaid dividend and the corresponding shares	1600155	39148656.00
(ii)	Redemption amount of preference shares	NA	0
(iii)	Amount of matured deposits, for companies other than banking companies, along with interest accrued thereon	NA	0
(iv)	Amount of matured debentures along with interest accrued thereon	NA	0
(v)	Application money received for allotment of any securities and due for refund along with interest accrued	NA	0
(vi)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation	NA	0

b) **Details of the resultant benefits arising out of shares already transferred to the IEPF - NIL**

c) **Year-wise amount of unpaid/unclaimed dividend lying in the unpaid account up to the Year and the corresponding shares, which are liable to be transferred to the IEPF, and the due dates for such transfer:**

Sl. No.	Financial Year	Unpaid dividend	No. of shares	Due Date for transfer to IEPF
i.	FY 2013-14 (Final)	3238620.00	64184	06.08.2021
ii.	FY 2014-15	8427251.00	60905	18.09.2022

d) **The amount of donation, if any, given by the company to the IEPF** **Nil**

e) **Such other amounts transferred to the IEPF, if any, during the year** As mentioned in the table below.

Industrial Development Bank of India (e-IDBI) was a Statutory Corporation constituted under a special Act of Parliament, i.e., the IDBI Act, 1964. It was converted into a Bank in the present name of IDBI Bank constituted as a Company under the Companies Act, 1956 in the year 2004.

The amount of application money due for refund in respect of IPO in 1995 and unclaimed dividends declared by e-IDBI prior to becoming a Company were lying with IDBI Bank. As per the legal opinion obtained from the Secretarial Auditors and Statutory Auditors, it was suggested to seek advice from MCA/ IEPF Authority in the matter. Accordingly, IDBI Bank had been writing to MCA/ IEPF Authority to seek advice in this regard.

In response, IEPF Authority, vide letter dated February 01, 2021 directed IDBI Bank to transfer the unpaid dividends pertaining to e-IDBI to IEPF. Pursuant to aforesaid direction, IDBI Bank transferred following pre-incorporation period amounts to IEPF –

Financial Year	Particulars	Amount transferred in Rupees	Date of filing with IEPF
1995-96	Unclaimed / unpaid dividend	6435618.00	22.03.2021
1996-97	Unclaimed / unpaid dividend	7210523.00	23.03.2021
1997-98	Unclaimed / unpaid dividend	10312830.00	23.03.2021
1998-99	Unclaimed / unpaid dividend	9761505.00	23.03.2021
1999-00	Unclaimed / unpaid dividend	9768570.00	23.03.2021
2000-01	Unclaimed / unpaid dividend	12221578.00	23.03.2021
2001-02	Unclaimed / unpaid dividend	7693565.00	23.03.2021
2002-03	Unclaimed / unpaid dividend	7136880.00	23.03.2021
1995-96	Unclaimed / unpaid refund orders in respect of IPO (FY 1995-96) of e-IDBI	605766.00	31.03.2021

STATUS OF COMPLIANCE OF DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF REGULATION 27

The status of discretionary requirements given under Part E of Schedule II of the LODR Regulations is as follows:

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status
1.	A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the Company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/ her duties	In terms of Article 116(1) (i) of the Articles of Association of the Bank, Shri M. R. Kumar, Chairman of LIC, has been appointed as Non-Executive Non-Whole Time Chairman of IDBI Bank Ltd. w.e.f. May 13, 2019. The Bank has provided for a Chairman's office at its Head Office located at IDBI Tower, Cuffe Parade, Mumbai. Sitting fees is paid to the LIC for the Board Meetings attended by Shri M. R. Kumar on behalf of LIC.
2.	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six months may be sent to each household of shareholders	Quarterly as well as half-yearly financial results are published in the newspapers as well as disseminated to the stock exchanges immediately after Board approval for information of shareholders and other stakeholders.
3.	Company may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank is constantly working in this direction.
4.	The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal Auditor reports directly to the ACB.

CODE OF CONDUCT AND ETHICS

The Bank's Board of Directors has adopted a Code of Conduct and Ethics for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, a declaration signed by the Managing Director & CEO about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of the Bank is given below:

DECLARATION BY MD & CEO

Pursuant to the provisions of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2020-21.

Rakesh Sharma
(DIN-06846594)
Managing Director & CEO
Dated: May 07, 2021

CEO/ CFO CERTIFICATION

In terms of Regulation 17(8) of the LODR Regulations, the certification by MD & CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

Annexure-A

AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3)of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto

i. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

Sl. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any:	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188
NIL								

ii. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

Sl. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any:	Date(s) of approval by the Board, if any:	Amount paid as advances, if any:
NIL						

Rakesh Sharma
(DIN -06846594)
MD & CEO
Dated: May 07, 2021

Annexure-B

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR FY 2020-21

1. Brief outline on CSR Policy of the Company

The Bank's CSR objective is to make material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of society by identifying gaps and extending need-based contribution for their betterment. The Bank seeks to achieve this through direct intervention as well as acting as a catalyst for development and creating a partnership with the beneficiaries.

The Bank's CSR policy, inter alia, provides the platform for undertaking interventions in areas such as healthcare, education, gender equality and socio-economic empowerment, environmental sustainability, enhancement of livelihood opportunities and rural development projects.

2. The Composition of the CSR Committee:

Sr. No.	Directors	Position	Number of meetings held during the year during their tenure	Number of Meetings attended during the year during their tenure
1	Shri Rakesh Sharma	MD & CEO – Chairman of the Committee	02	02
2	Shri Samuel Joseph Jebaraj	Dy. Managing Director	02	02
3	Shri Suresh Khatanhar	Dy. Managing Director	02	02
4	Shri Sudhir Shyam (up to 08.06.2020)	Government Nominee Director	01	01
5	Dr. Ashima Goyal (up to 08.12.2020)	Independent Director	02	02
6	Shri Samaresh Parida (w.e.f. 26.06.2020)	Independent Director	01	01
7	Smt. P.V. Bharathi (w.e.f. 28.01.2021)	Additional Director (Independent Category)	00	00

3. Provide the weblink where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company : The web-link to the CSR policy and projects or programs is https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp

4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report): Not applicable

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any: Not applicable

Sl. No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs)	Amount required to be set- off for the financial year, if any (in ₹)
		NIL	

6. Average net profit of the company as per section 135(5): The Bank incurred average net loss (for CSR purpose) of ₹ 9,941.18 crore for the last three financial years i.e. FY18, FY19 & FY20.

7. a. **Two percent of average net profit of the company as per section 135(5):** Not applicable

In terms of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013, the Bank has incurred average net loss (for CSR purpose) of ₹ 9,941.18 crore for the last three financial years i.e. FY18, FY19 and FY20.

b. **Amount required to be set off for the financial year, if any:** Not applicable

c. **Total CSR obligation for the financial year (7a+7b- 7c):** Not applicable

8. a. **CSR amount spent or unspent for the financial year:** CSR budget was not mandatory for FY 2020-21 as the average net profit for last three years was negative.

Total Amount Spent for the Financial Year. (in ₹)	Amount Unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
NIL					

b. **Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:** Not applicable

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/No)	Location of the project		Project duration	Amount allocated for the project (in ₹).	Amount spent in the current financial Year (in ₹).	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6)	Mode of Implementation-Direct (Yes/No)	Mode of Implementation Through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration number
NIL												

c. **Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:** Not applicable.

1	2	3	4	5		6	7	8	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/No)	Location of the project		Amount spent for the project (in ₹).	Mode of Implementation-Direct (Yes/No)	Mode of Implementation Through Implementing Agency	
				State	District			Name	CSR Registration number
NIL									

d. **Amount spent in Administrative Overheads:** Not applicable.

e. **Amount spent on Impact Assessment, if applicable:** Not applicable.

f. **Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e):** Not applicable.

g. **Excess amount for set off, if any:** Not applicable.

Sl. No.	Particulars	Amount (In ₹)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	Not applicable
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	Not applicable
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	Not applicable
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Not applicable
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	Not applicable

9. a. **Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:** Not applicable

Sl. No.	Preceding Financial Year	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135(6) (In ₹)	Amount spent in the reporting Financial Year (in ₹)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years.
				Name of the Fund	Amount (in ₹)	Date of transfer	
NIL							

b. **Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):** Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Project Duration	Total amount allocated for the project (In ₹)	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs).	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in ₹)	Status of the project - Completed / Ongoing.
NIL								

10. **In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (Asset-wise details):** Not applicable.

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s) : Not applicable.

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset : Not applicable.

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc. : Not applicable.

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset) : Not applicable.

11. **Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5):** In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, there is no requirement for IDBI Bank to incur any spends under CSR during FY 20-21.

Rakesh Sharma
(DIN: 06846594)
MD & CEO
Chairman of CSR Committee
May 15, 2021

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN:L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower,WTC Complex,
Cuffe Parade,Mumbai – 400005.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by IDBI Bank Limited (hereinafter called 'the Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the Financial Year ended 31st March, 2021, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2021 according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings – Not applicable as no reportable event during the year under review;

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act,1992 ('SEBI Act'):

   a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations,2015;

   c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

   d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations,2014 –Not applicable as there was no reportable event during the year under review;

   e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

   f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations,1993 regarding the Companies Act and dealing with client – Not applicable as the Bank is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the financial year under review;

   g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 – Not applicable as the Bank has not delisted/proposed to delist its equity shares from any stock exchange during the financial year under review;

h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 – Not applicable as the Bank has not bought back/proposed to buy back any of its securities during the financial year under review; and

i. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

vi. The management has identified and confirmed the following laws as specifically applicable to the Bank:

1. The Banking Regulation Act, 1949 and Rules, Notifications, Circulars and Guidance issued by the Reserve Bank of India from time to time;
2. The Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934;
3. Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002;
4. The Payment and Settlement Systems Act, 2007;
5. The Negotiable Instruments Act, 1881.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards with regard to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;

(ii) Listing Agreements entered into with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations,Guidelines,Standards etc. mentioned above.

We further report that:

➢ The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Directors and Woman Independent Director subject to the comment made elsewhere in the report*. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

➢ Adequate notice is given to all Directors pertaining to the schedule of the Board/Committee Meetings and agenda & detailed notes on agenda were sent atleast seven days in advance except where consent of Directors was received for circulation of the notice, Agenda and notes on Agenda less than seven days before the meeting.

➢ A system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

➢ All decisions of the Board and Committee meetings were carried with requisite majority.

*Mr. Jambunathan Narayanan, an Independent Director (ID) of the Bank was unable to renew his registration as an Independent Director in the Independent Directors' Databank (Databank) maintained by Institute of Corporate Affairs (IICA) within stipulated period, due to which his registration has expired from the Databank with effect from 8th February, 2021. We have been informed that the matter has been taken up with IICA and Ministry of Corporate Affairs for re-inclusion of his name in the databank. There has been no change in status till the date of this report. We note from the disclosure made by Mr. Jambunathan and as also confirmed by the Bank, as a matter of propriety and good governance, Mr Jambunathan has been seeking and will continue to seek leave of absence from attending the Meetings of the Board/ Committees till re-inclusion of his name in the Databank.

We further report that based on the review of the compliance mechanism established by the Bank and on the basis of Compliance Certificate(s) issued by various authorized officials and taken on record by the Board of Directors at their meeting(s) we are of the opinion that the Bank has systems and processes in place and is taking efforts to further strengthen them so as to make them commensurate with the size and operations of the Bank, to monitor and ensure compliance with all applicable laws, rules, regulations and guidelines.

➢ As informed, the Bank has responded appropriately to notices received from various statutory/regulatory authorities by initiating actions for corrective measures, wherever necessary.

During the Audit period the following events/ actions having a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards referred to above have taken place:

- The Bank has:

    1. Issued and allotted 37,18,08,177 equity shares to Qualified Institutional Buyers pursuant to Qualified Institutions Placement on 19th December, 2020;

    2. Redeemed Debt Securities (including call options) aggregating to ₹ 2,141.20 crore on their respective due dates.

- The Members at the Annual General Meeting held on 17th August, 2020 by way of with Special Resolutions

    1. authorised the Board of Directors to raise funds by way of issue of equity shares through one or more modes, upto ₹ 11,000 crore;

    2. approved the alteration of Articles of Association to bring them in line with Reserve Bank of India guidelines for Private Sector Banks issued by RBI.

- The Board of Directors at their meeting held on 12th February, 2021, accorded approval to the Scheme of Reduction of Capital by setting off accumulated losses in full or to such extent as may be possible by utilizing the balance standing to the credit of Securities Premium Account as indicated in the Audited Financial Statements of the Bank for the Financial Year ending 31st March, 2021 subject to Statutory/Regulatory and Member's approval.

The Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure – A hereto and forms an integral part of this report.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P1991MH040400
Peer Review Cert. No.: 606/2019

S. N. Ananthasubramanian
Partner
FCS: 4206 | COP No.: 1774
ICSI UDIN: F004206C000280537
May 12, 2021 | Thane

Annexure – A

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai – 400005.

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended 31st March, 2021 of even date is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the Bank to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Bank with respect to secretarial compliances.
3. We believe that audit evidence and information obtained from the Bank's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
4. Wherever required, we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer

5. Due to the pandemic caused by COVID-19 and prevailing lockdowns/ restrictions on movement of people imposed by the Government, for the purpose of issuing this report we have conducted our audit remotely based on the records and information made available to us by the Bank electronically.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.
7. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P1991MH040400
Peer Review Cert. No.: 606/2019

S. N. Ananthasubramanian
Partner
FCS: 4206 | COP No.: 1774
ICSI UDIN: F004206C000280537
May 12, 2021 | Thane

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C Clause (10)(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members of
IDBI BANK LIMITED
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower WTC Complex, Cuffe Parade
Mumbai - 400005

We have examined the following documents:

i) Declaration of non-disqualification as required under Section 164of Companies Act, 2013 ('the Act');

ii) Disclosure of concern or interests as required under Section 184 of the Act;

(hereinafter referred to as 'relevant documents')

as submitted by the Directors of IDBI Bank Limited ('the Bank') bearing CIN: L65190MH2004GOI148838 and having its registered office at IDBI Tower WTC Complex Cuffe Parade Mumbai 400005, to the Board of Directors of the Company ('the Board') for the Financial Year 2020-2021 and Financial Year 2021-2022 and relevant registers, records, forms and returns maintained by the Company and as made available to us for the purpose of issuing this Certificate in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. We have considered non-disqualification to include non-debarment by Regulatory/ Statutory Authorities.

It is the responsibility of Directors to submit relevant documents with complete and accurate information in accordance with the provisions of the Act.

Due to the pandemic caused by COVID – 19 and prevailing lockdowns / restrictions on movement of people imposed by the Government, for the purpose of issuing this certificate, we have conducted our verification remotely based on the records and information made available to us by the Company electronically.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

Based on our examination as aforesaid and such other verifications carried out by us as deemed necessary and adequate (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in), in our opinion and to the best of our information and knowledge and according to the explanations provided by the Company, its officers and authorized representatives, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank, as listed hereunder for the Financial Year ending 31st March, 2021, have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies by Securities and Exchange Board of India/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Sr. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Date of Appointment	Date of cessation
1.	Mr. Gyan Prakash Joshi	00603925	28/08/2015	NA
2.	Dr. Ashima Goyal	00233635	28/04/2017	08/12/2020
3.	Mr. Bhuwanchandra Balkrishna Joshi	06713850	09/10/2017	NA
4.	Mr. Samaresh Parida	01853823	19/05/2018	NA
5.	Mr. Jambunathan Narayanan*	05126421	19/05/2018	NA
6.	Mr. Sudhir Shyam	08135013	16/05/2018	08/06/2020
7.	Mr. Rakesh Sharma	06846594	10/10/2018	NA
8.	Mr. Rajesh Kandwal	02509203	21/01/2019	NA
9.	Mr. Deepak Singhal	08375146	28/02/2019	NA

Sr. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Date of Appointment	Date of cessation
10.	Mr. Sanjay Gokuldas Kallapur	08377808	05/03/2019	NA
11.	Mr. Mangalam Ramasubramanian Kumar	03628755	13/05/2019	NA
12.	Ms. Meera Swarup	07459492	20/08/2019	NA
13.	Mr. Samuel Joseph Jebaraj	02262530	20/09/2019	NA
14.	Mr. Suresh Kishinchand Khatanhar	03022106	15/01/2020	NA
15.	Mr. Anshuman Sharma	07555065	11/06/2020	NA
16.	Mrs. P. V. Bharathi	06519925	14/01/2021	NA

*Mr. Jambunathan Narayanan (DIN 0512642) Independent Director with effect from 19th May, 2018, in his disclosure submitted under Section 149 (7) of the Companies Act disclosed that he was unable to renew his registration as an Independent Director in the Independent Directors' Databank (Databank) maintained by Institute of Corporate Affairs (IICA) within stipulated period, due to which his registration has expired from the Databank with effect from 8th February, 2021.

We have been informed that the matter has been taken up with IICA and Ministry of Corporate Affairs for re-inclusion of his name in the databank. There has been no change in status till the date of this report.We note from the disclosure made by Mr. Jambunathan N. and as also confirmed by the Bank, as a matter of propriety and good governance, Mr. Jambunathan N has been seeking and will continue to seek leave of absence from attending the Meetings of the Board/ Committees till re-inclusion of his name in the Databank.

This Certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

This Certificate has been issued at the request of the Bank to make disclosure in its Corporate Governance Report of the Financial Year ended 31st March, 2021.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO.
Company Secretaries
ICSI Unique Code P1991MH040400
Peer Review Cert. No. 606/2019

S. N. Ananthasubramanian
Partner
FCS : 4206 I COP No. : 1774
ICSI UDIN : F004206C000280614
May 12, 2021 I Thane

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2021 के तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं. इन एकल वित्तीय विवरणों में दुबई स्थित विदेश शाखा से संबन्धित 31 मार्च 2021 वर्ष के लिए विवरणी शामिल है जिसकी लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षा फर्म द्वारा की गई है.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 और साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2021 को बैंक के कार्यों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के उसके लाभ तथा नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत लेखापरीक्षा पर विनिर्दिष्ट मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों (एसए) के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है. हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है.

महत्वपूर्ण विषय

हम टिप्पणी 18(ए) (एक्स)(15) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें सार्स-सीओवी-2 वायरस (कोविड-19) के प्रकोप के कारण कारोबारी अनिश्चितताओं का उल्लेख किया गया है. इन अनिश्चितताओं को देखते हुए बैंक के परिणामों पर प्रभाव मुख्यतः भावी परिवर्तनों पर निर्भर करेगा.

इस मामले में हमारे अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया हैः

To,
The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2021, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these Standalone Financial Statements are the returns of the foreign branch at Dubai for the year ended March 31, 2021, which has been audited by a local audit firm.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, as well as the Companies Act, 2013 ("the Act") and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with rules made thereunder, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2021, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 18 (A)(X)(15) which describes the business uncertainties due to the outbreak of SARS-CoV-2 virus (COVID-19). In view of these uncertainties, the impact on the Bank's Standalone Financial Statements is significantly dependent on future developments.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का जवाब
आस्थगित कर आस्ति की पहचान और मापन	
बैंक ने यथा 31 मार्च 2021 को ₹ 14,440.91 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जिसमें वर्ष के दौरान ₹ 1,308.68 करोड़ का निवल विपर्यय शामिल है. आस्थगित कर आस्ति के निर्धारण और मापन, वस्तुनिष्ठ अनुमान के अलावा भविष्य में लाभों की उपलब्धता और दृश्यता के संबंध में निर्णय और विविध अनुमानों और साथ ही कोविड -19 महामारी के संभावित प्रभाव पर निर्भर है. आस्थगित कर आस्ति की अभिनिर्धारित राशि में विस्तारित अवधि में लाभ की उपलब्धता की संभावना पूर्वानुमानित की गई है, जिससे अनिश्चितता और उक्त आस्ति में निहित अनुपयुक्त निर्धारण का जोखिम बढ़ा है.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रयोज्य कर कानूनों और बैंक पर लागू संबंधित विनियमों को समझना शामिल था. हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूरी कीं: • एएस 22 आय पर कर के लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई नीतियों का मूल्यांकन; • कोविड-19 के संभावित प्रभाव सहित प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त अन्य मापदंडों और अनुमानों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से बैंक, निदेशक मंडल द्वारा एकल वित्तीय विवरण स्वीकार करते समय नोट किए गए पूर्वानुमानों के संदर्भ में भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर सकेगा. • प्रयोज्य कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया.
अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण	
कृपया गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तन के संबंध में आस्ति गुणवत्ता संबंधी तथा गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) संबंधी प्रावधानों एवं प्रकटनों विषयक टिप्पणी क्रमशः सं. 18 (ए) (x) (I) एवं 18 (ए) (v) (2) और साथ ही कोविड-19 महामारी के संभावित प्रभाव के कारण किए गए प्रावधानों के संबंध में टिप्पणी सं. 18 (ए)(x)(15) भी देखें.	हमारे लेखापरीक्षित दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है. इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं: • हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में आरबीआई

Key Audit Matters	Auditor's Response
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset	
The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 14,440.91 Crores as on March 31, 2021, including net reversal of ₹ 1,308.68 Crores during the year. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future and also considering probable impact of Covid-19 pandemic. The amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.	Our audit procedures involved gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including: • evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • assessed the probability of the availability of profits based on assumptions and other parameters used by the Management including the probable impact of Covid-19 pandemic against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Board of Directors while adopting the Standalone Financial Statements. • assessed the method for determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.
Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms	
Please refer to Note nos. 18(A)(X)(1) and 18(A)(V)(2) relating to Asset Quality in respect of movement of Non-Performing Assets (NPAs) and related provisions and disclosures with regard to Non Performing Investments (NPI) respectively as also Note no. 18(A)(X)(15) regarding the provisions made due to the probable impact of Covid-19 pandemic.	Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular: • we have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant

अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के साथ-साथ निवेशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला है क्योंकि इसमें तात्विकता तथा बैंक की मौजूदा प्रक्रियाएँ निहित हैं जिनके लिए मानवीय हस्तक्षेप, प्रबंधन अनुमान एवं निर्णय अपेक्षित होते हैं.	दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन कर उसे समझा है; • हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में मानवीय प्रक्रिया और मानवीय नियंत्रणों सहित प्रमुख आईटी प्रणालियों/एप्लीकेशनों, उनकी डिजाइन और कार्यान्वयन तथा संबंधित नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है; • हमने अभिलिखित राशि की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण की जांच करने के लिए अग्रिमों का परीक्षण किया है. हमने रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार खातों के विवरण, हानि संकेतकों, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए हानि प्रावधानों तथा अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के अनुपालनों की जांच की है; • हमने प्रबंधन निर्णय की पुरानी प्रवृत्तियों, अभिशासन प्रक्रिया और हानि प्रावधान गणनाओं के समीक्षात्मक नियंत्रण का मूल्यांकन किया है तथा बैंक के शीर्ष तथा वरिष्ठ प्रबंधन से किए गए प्रावधानों पर विमर्श किया है.
आईटी प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण	
बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर इतनी ज्यादा निर्भर	• हमने बैंक की आईटी प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए ही लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं व नमूना जांच को नियोजित, निर्मित और निष्पादित किया

Compliance of relevant prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances as well as those pertaining to investments is a key audit matter due to materiality involved and the current processes at the Bank which requires manual interventions, management estimates and judgement.	RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments; • we have tested key IT systems/ applications used and their design and implementation as well as operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments; • we have test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, indicators of impairment, impairment provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines; • we have evaluated the past trends of management judgement, governance process and review controls over impairment provision calculations and discussed the provisions made with the top and senior Management of the Bank.
IT Systems and controls over financial reporting	
The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking and Treasury Solutions and other supporting software and	• We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT

हैं कि आईटी नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रेकॉर्ड्स के तात्विक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है. इसलिए उपयुक्त आईटी नियंत्रण अपेक्षित है ताकि आईटी एप्लिकेशन योजना के अनुसार कार्य करते रहें और किए जाने वाले परिवर्तनों पर उचित रूप से नियंत्रण रहे. इस प्रकार के नियंत्रण से आउटपुट डेटा के गलत होने के जोखिम को कम स्तर पर रखने में सहायता मिलती है. लेखापरीक्षा के परिणाम आईटी नियंत्रण व प्रणाली पर निर्भर करते हैं.	है. हमारी राय में हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ आईटी नियंत्रण की पर्याप्तता का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं. इस परिपेक्ष्य में हमने बैंक के आईटी परिवेश को समझा है. • हमने ट्रेजरी तथा आईआरएसी के क्षेत्र में प्रणालियों के एकीकरण के संबंध में प्रबंधन से विमर्श किया ताकि उनकी पर्याप्तता का आकलन किया जा सके. • इसके अलावा हमने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा तथा सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा संचालित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भी भरोसा किया है. • हमने प्रमुख ऑटोमोटेड व मानवीय कारोबार चक्र नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा से संबंधित सिस्टम जनरेटेड रिपोर्टों के तर्क का परीक्षण भी किया है, साथ ही प्रतिकारी नियंत्रण का परीक्षण करने के अलावा वैकल्पिक प्रक्रियाएँ भी अपनाई हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या किसी ऐसे आईटी जोखिम पर कार्रवाई तो नहीं छूट गई, जो वित्तीय विवरणों पर तात्कालिक प्रभाव डाले.

कोविड - 19 महामारी के कारण अनिवार्य राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर निर्भरता और ऑडिट प्रक्रियाओं का निर्वहन

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने और उनकी लेखा परीक्षा करने के लिए आवश्यक जानकारी को रिकॉर्ड करने और संग्रहीत करने की बैंक की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल प्रक्रियाओं का संयोजन है. अनिवार्य राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण बैंक के परिसर का दौरा किए बिना इन प्रक्रियाओं का हमारे द्वारा दूर	हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा कर प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पुष्टि की है: • भौतिक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में बदलने के लिए लागू किए गए नियंत्रणों के बारे में प्रबंधन

hardware controls such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. Appropriate IT controls are required to ensure that the IT applications perform as planned and the changes made are properly controlled. Such controls contribute to risk mitigation of erroneous output data. The audit outcome is dependent on the extent of IT controls and systems.	systems of the Bank. The procedures adopted by us are, in our opinion, adequate to provide reasonable assurance on the adequacy of IT controls in place. Towards this end, we obtained an understanding of Bank's IT environment. • We discussed with Management regarding integration of systems in the areas of treasury and IRAC to evaluate their adequacy. • In addition, we have also relied on IS audit conducted by internal audit department, and also the audit of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants. • We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the Standalone Financial Statements.

Placing reliance on electronic evidence and performing of audit procedures during the mandatory national lockdown due to the Covid-19 pandemic

The Bank's procedures of recording and storing information necessary for preparation of Standalone Financial Statements and having them audited is combination of electronic and manual processes. These processes were required to be audited by us remotely without visiting	We have carried out the validation of the electronic evidence provided by the Management by performing the following procedures: • Inquiring with the Management of the controls they have implemented to convert

से ऑडिट किया जाना आवश्यक था. नतीजतन, हमने ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमें उपलब्ध कराए गए डेटा और रिकॉर्ड की पूर्णता और सटीकता पर विश्वास किया है. वर्ष के दौरान बैंक ने हमें एक सुरक्षित आभासी निजी नेटवर्क कनेक्शन उपलब्ध कराया जिसके माध्यम से हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तथा अन्य सॉफ्टवेयरों और कॉमन ड्राइवों पर साझा किए गए इलेक्ट्रॉनिक डेटा/जानकारी/कागजात एक्सेस कर सके. यदि हम शारीरिक रूप से कंपनी के परिसर में मौजूद होते, तो हमने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भौतिक प्रतियों को सत्यापित कर लिया होता और भौतिक प्रतियों में लेखा परीक्षण के साक्ष्य एकत्रित किया होता.	से पूछताछ और उन्हें समझना. • कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ट्रेजरी सॉफ्टवेयर, आईआरएसी सॉफ्टवेयर, अचल आस्तियां एवं परिचालन व्यय, वित्तीय रिपोर्टिंग और सीआरएआर कम्प्यूटेशन सॉफ्टवेयर सहित विभिन्न सॉफ्टवेयरों से जानकारी निकालने के तरीके के बारे में प्रबंधन से पूछताछ करना और यह समझना कि प्रबंधन कैसे पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करता है. • संगतता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विभिन्न विशेषताओं का परस्पर तालमेल देखना. • जहाँ भी आवश्यक हो प्रबंधन से रिप्रेज़ेंटेशन प्राप्त करना.

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध सहित निदेशकों की रिपोर्ट (सामूहिक रूप से 'अन्य जानकारी' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं लेकिन इनमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के तहत पिलर III के प्रकटन (बासेल III प्रकटन) शामिल नहीं हैं. उपर्युक्त अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं देते हैं.

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें उपलब्ध कराए जाने पर ऊपर निर्दिष्ट अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती है. अन्य जानकारी का अध्ययन करने पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को उसकी सूचना देना आवश्यक है.

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की एकल वित्तीय विवरणों के प्रति जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित

the Bank's premises due to the mandatory national lockdown and thereafter. Consequently, we have placed reliance on the completeness and accuracy of the data and records made available to us electronically through e-mail. During the year the Bank provided us a secure virtual private network connection through which we could access the core banking solution and other softwares and the electronic data / information / documents shared on common drives. Had we been physically present at the Company premises, we would have otherwise verified the physical copies of critical documents and we would have collected the audit evidence in physical copies.	physical documents into electronic versions and understanding them • Inquiring with the Management the method and controls used to extract information from its various softwares including Core Banking Solution, Treasury, IRAC, , fixed assets & operating expenses, financial reporting and the CRAR computation softwares and understanding how the Management ensures completeness and accuracy • Correlating various attributes of the electronic evidence obtained to ensure consistency and integrity. • Obtaining representa-tions from the Management wherever necessary.

Information Other Than Standalone Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of information other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon. The Other Information comprises the Management Discussion and Analysis, Directors' Report including Annexures to Directors' Report (collectively called as "Other Information") but does not include the Standalone Financial Statements and our auditor's report thereon and the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures). The Other information as above is expected to be made available to us after the date of this Auditors' report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the

मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 और बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन मंडल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

बैंक का प्रबंधन मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है.

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे ठोस तब माना जाता है जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने की जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझ कर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

Act") with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cashflows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities, selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, Management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Bank's Management is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करना और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त है.

- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना.

- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित तात्विक अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तात्विक अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती हैं.

- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या एकल वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.

  हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों तथा लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को वक्तव्य भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधों और उन मामलों जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अन्य मामले

हमने बैंक के एकल वित्तीय परिणामों में शामिल दुबई स्थित विदेशी शाखा की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसकी वित्तीय जानकारी यथा 31 मार्च 2021 को ₹ 1,066.21 करोड़ की कुल आस्ति और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 74.73 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाती है जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में लिया गया है. इस शाखा की लेखापरीक्षा स्थानीय शाखा लेखा परीक्षक द्वारा की गई

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management.

- Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

We did not audit the financial statements of the foreign branch in Dubai included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of ₹ 1,066.21 Crores as at March 31, 2021 and total revenue of ₹ 74.73 Crores for the year ended on that date. This branch has been audited by a local branch

है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है, और अब तक इस शाखा के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 133 के साथ पठित अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.

   ख. बैंक के जो लेन-देन हमारे ध्यान में लाए गए, वे बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

   ग. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने 27 शाखाओं का दौरा किया है ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से ऐसी शाखाओं में बनाए गए रिकॉर्ड की जांच कर सकें. जैसा कि ऊपर दिए गए मुख्य लेखा परीक्षा मामलों पर हमारे पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, स्थानीय लॉकडाउन के कारण शेष लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को दूरस्थ रूप से आयोजित किया गया था. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, जिसमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी शामिल है, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गयी है.

3. अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विषय के संबंध में:

   बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैंक को एक बैंकिंग कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है. तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के तहत निर्धारित अपेक्षाएं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी(2ए) के आधार पर लागू नहीं होती हैं.

4. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ उचित और पर्याप्त विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं;

   ग) बैंक की दुबई शाखा के लेखों की अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है और इस पर उचित रूप से विचार किया गया है;

   घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र और लाभ-हानि विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

   ङ) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट

auditor whose report has been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this branch, is based solely on the report of such branch auditor.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.

2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

   a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

   b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

   c. During the course of our audit we have visited 27 branches to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit. As mentioned in our paragraph on Key Audit Matters above, due to the local lockdowns, the remainder audit procedures were conducted remotely. The returns received from the offices and branches of the Bank as supplemented with the information furnished by the Management have been found adequate for the purpose of our audit.

3. With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under section 197(16) of the Act:

   The Bank is a banking company as defined under Banking Regulation Act, 1949. Accordingly, the requirements prescribed under Section 197 of the Companies Act, 2013 do not apply by virtue of Section 35B(2A) of the Banking Regulation Act, 1949.

4. Further, as required by section 143(3) of the Act, we report that:

   a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us;

   c) the report on the accounts of the Dubai branch of the Bank audited by other auditor has been forwarded to us and the same has been appropriately dealt with;

   d) the Balance Sheet, and the Profit and Loss Account, dealt with by this report are in agreement with the books of account;

   e) in our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and Rules made

लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं;

च) यथा 31 मार्च 2021 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है;

छ) बैंक के एकल वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध ए' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें;

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमें जानकारी उपलब्ध कराई गई है;

i) बैंक ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का अवधार्य/अभिनिश्चेय सीमा तक प्रकटन किया है. एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(बी)(11) (सी) का संदर्भ लें.

ii) बैंक ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है. एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(बी)(11) (बी) का संदर्भ लें.

iii) बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है. एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(सी)(VII) का संदर्भ लें.

thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

f) on the basis of written representation received from the directors as on March 31, 2021 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors are disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013;

g) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";

h) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

i) The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Standalone Financial Statements to the extent determinable/ascertainable. – Refer Schedule 18(B)(11)(C) to the Standalone Financial Statements.

ii) The Bank has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts. Refer Schedule 18(B)(11)(B) to the Standalone Financial Statements.

iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank. Refer Schedule 18(C)(VII) to the Standalone Financial Statements.

कृते के एस अय्यर एंड कं.
For K S Aiyar & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या / FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar

साझेदार / Partner
(स. सं. 038934) / (Membership No. 038934)
यूडीआईएन / UDIN: 21038934AAAACA3835

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक :03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

कृते एम पी चितले एंड कं.
For M P Chitale & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या / FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar

साझेदार / Partner
(स. सं. 041037) / (Membership No. 041037)
यूडीआईएन / UDIN: 21041037AAAACJ2843

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट' ('मार्गदर्शी नोट') में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में बनाए गए आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों ('एसए') के अनुसार की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय विवरणियों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिमों का आकलन शामिल है.

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") as at March 31, 2021 in conjunction with our audit of the financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") and the Standards on Auditing ("the SAs"), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

हमें विश्वास है कि बैंक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. वित्तीय विवरणो पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित ब्योरे एवं परिशुद्धता के साथ बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;

(2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारी राय में, बैंक को मध्यवर्ती/ नियंत्रण लेखों के समाधान और संवीक्षा के प्रबंध परीक्षण और अपनी समीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है. हमारी राय में बैंक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system with reference to financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial control with reference to financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. Bank's internal financial control with reference to financial statements includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the Bank; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Bank needs to strengthen its review process and management testing of scrutiny and reconciliations of intermediary/ control accounts. In our opinion, the Bank has in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to financial statements and such internal financial controls with reference to financial statements were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit

वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2021 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय विवरणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित विदेशी शाखा का संबंध है, यह संबंधित शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है जो हमारे पास भेजी गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका उचित रूप से उपयोग किया गया है.

of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Financial Statements insofar as it relates to the overseas branch audited by the branch auditors is based on the report of the branch auditor which has been sent to us and has been properly dealt with by us in preparing this report.

कृते के एस अय्यर एंड कं.
For K S Aiyar & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या / FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar

साझेदार / Partner
(स. सं. 038934) / (Membership No. 038934)
यूडीआईएन / UDIN: 21038934AAAACA3835

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक :03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

कृते एम पी चितले एंड कं.
For M P Chitale & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या / FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar

साझेदार / Partner
(स. सं. 041037) / (Membership No. 041037)
यूडीआईएन / UDIN: 21041037AAAACJ2843

तुलन-पत्र 31 मार्च 2021 को
Balance Sheet as at March 31, 2021

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2021 को Asa t March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10380 59 40
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	26058 66 64	23643 77 27
जमाएं / Deposits	3	230898 40 76	222424 12 51
उधार राशियां / Borrowings	4	15908 05 32	36748 85 61
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	14146 54 72	6730 75 25
कुल / TOTAL		**297764 07 66**	**299928 10 04**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13012 80 33	10538 83 41
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	22209 38 59	19891 57 14
निवेश / Investments	8	81022 56 27	81780 41 54
अग्रिम / Advances	9	128149 94 14	129841 78 87
अचल आस्तियां / Fixed assets	10	7827 41 74	8129 17 96
अन्य आस्तियां / Other assets	11	45541 96 59	49746 31 12
कुल / TOTAL		**297764 07 66**	**299928 10 04**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	220709 68 75	117113 22 03
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		9648 34 43	9870 72 91
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के एस अय्यर एंड कं.
For K S Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)/Partner (M.No. 038934)

कृते एम पी चितले एंड कं.
For M P Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2021

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	19931 75 82	20825 11 37
	अन्य आय / Other Income	14	4625 17 65	4470 36 38
	कुल / TOTAL		**24556 93 47**	**25295 47 75**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	11414 20 66	13847 30 41
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	6051 94 66	6336 16 02
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		5731 31 74	17999 34 43
	कुल / TOTAL		**23197 47 06**	**38182 80 86**
III	**लाभ / PROFIT**			
	अवधि के लिए निवल लाभ/ (हानि) / Net Profit / (Loss) for the period		1359 46 41	(12887 33 11)
	आगे ले जाया गया लाभ / (हानि) / Profit/(Loss) brought forward		(45586 16 74)	(32512 92 62)
	कुल / TOTAL		**(44226 70 33)**	**(45400 25 73)**
IV	**विनियोजन / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		339 86 60	-
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		285 00 39	185 91 01
	सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		-	-
	निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) Investment Fluctuation Reserve(IFR)		544 61 04	-
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई राशि Balance carried over to balance sheet		(45396 18 36)	(45586 16 74)
	कुल / TOTAL		**(44226 70 33)**	**(45400 25 73)**

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2021

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(आ)(7) 18(B)(7)		
मूल / Basic		1.30	(14.48)
न्यूनीकृत / Diluted		1.30	(14.48)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account			

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के एस अय्यर एंड कं.
For K S Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)/Partner (M.No. 038934)

कृते एम पी चितले एंड कं.
For M P Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 2500 00 00 000 (2500 00 00 000) इक्विटी शेयर 2500 00 00 000 (2500 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	25000 00 00	25000 00 00
	25000 00 00	**25000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त 1075 24 02 175 (1038 05 93 998) इक्विटी शेयर (अनुसूची 18 सी I देखें) 1075 24 02 175 (1038 05 93 998) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (Refer Schedule 18 C I)	10752 40 22	10380 59 40
कुल / TOTAL	**10752 40 22**	**10380 59 40**

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	2474 74 70	2474 74 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	339 86 60	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां/ / Deductions during the year	-	-
		2814 61 30	**2474 74 70**
II	**पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	2726 08 03	2540 17 02
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	285 00 39	185 91 01
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3011 08 42	**2726 08 03**
III	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6503 36 63	6727 69 15
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	221 91 90	224 32 52
		6281 44 73	**6503 36 63**
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	49668 89 71	43013 19 62
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1063 37 14	6655 70 09
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	12 52 03	-
		50719 74 82	**49668 89 71**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
V राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve		
(क)/(a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	6284 49 90	6060 17 38
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	4 57 85	-
पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरण / Transferred from Revaluation Reserve	221 91 90	224 32 52
लाभ-हानि लेखे से अंतरण / Transferred from Profit & Loss Account	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	6510 99 65	**6284 49 90**
(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व **(b) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	6 35 04	**6 35 04**
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व **(c) Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	1566 00 00	**1566 00 00**
(घ) निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि **(d) Investment Fluctuation Reserve**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	544 61 04	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	544 61 04	-
VI लाभ-हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss account	(45396 18 36)	(45586 16 74)
कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	26058 66 64	23643 77 27

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
अ / A				
I.	मांग जमाराशियां / Demand Deposits			
	(i)	बैंकों से / From banks	9738 03 10	14120 37 19
	(ii)	अन्य से / From others	30862 70 90	26409 46 57
			40600 74 00	**40529 83 76**
II.	बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits		75890 52 52	65658 14 51
III.	सावधि जमाराशियां / Term Deposits			
	(i)	बैंकों से / From banks	8808 16 14	10173 56 34
	(ii)	अन्य से / From others	105598 98 10	106062 57 90
			114407 14 24	**116236 14 24**
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)		**230898 40 76**	**222424 12 51**
आ / B				
	(i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां / Deposits of branches in India	230865 05 24	222383 04 81
	(ii)	भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	33 35 52	41 07 70
	कुल / TOTAL		**230898 40 76**	**222424 12 51**

अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I.	भारत में उधार राशियां / Borrowings in India			
	(i)	भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	-	10912 00 00
	(ii)	अन्य बैंक / Other banks	945 15 00	1098 85 00
	(iii)	टीयर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	-	245 10 00
	(iv)	अपर टीयर II बांड / Upper Tier II bonds	-	1000 00 00
	(v)	अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	4641 40 00	5537 50 00
	(vi)	बासेल III ओम्नी टीयर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	2645 00 00	2645 00 00
	(vii)	अन्य* / Others*	6557 92 02	6776 33 75
II.	भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India		1118 58 30	8534 06 86
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)		**15908 05 32**	**36748 85 61**

उपर्युक्त I एवं II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियाँ ₹ 147 73 74 हजार (पिछले वर्ष ₹ 11278 44 91 हजार).
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 147 73 74 Thousand (Previous year ₹ 11278 44 91 Thousand).

** इसमें ₹ 850 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 850 00 00 हजार) का बेमियादी ऋण लिखत शामिल हैं जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं हैं*
** Included Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 Thousand (Previous year ₹ 850 00 00 Thousand) which does not qualify for CRAR.*

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I.	देय बिल / Bills Payable	1542 49 94	956 09 10
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	2 54 11
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	501 92 95	725 60 34
IV.	अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	2998 32 51	1159 59 87
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	406 55 49	412 94 33
	(ग) देय लाभांश तथा लाभांश कर (c) Dividend and dividend tax payable	-	-
	(घ) (विविध लेनदार) (d) Sundry Creditors	108 95 09	118 03 44
	(ङ) देय सेवा कर/टीडीएस/अन्य कर (e) Service tax/TDS/Other taxes payable	79 66 20	76 25 56
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	17 28 60	46 23 21
	(छ) अन्य प्रावधान (g) Other provisions	3656 63 74	2949 02 83
	(क) विविध (h) Miscellaneous	4834 70 20	284 42 46
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**14146 54 72**	**6730 75 25**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	3092 14 69	2139 85 11
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	9920 65 64	8398 98 30
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**13012 80 33**	**10538 83 41**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ '000 में / ₹ in '000)

				यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	भारत में / In India				
	(i)	बैंकों के पास शेष / Balance with banks			
		(क) (a)	चालू खातों में in Current Accounts	177 46 88	109 61 67
		(ख) (b)	अन्य जमा खातों में in Other Deposit Accounts	6639 88 00	902 75 80
	(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice			
		(क) (a)	बैंकों के पास with banks	499 86 24	-
		(ख) (b)	अन्य संस्थाओं के पास with other Institutions	14175 00 00	11200 00 00
				21492 21 12	**12212 37 47**
II	भारत से बाहर / Outside India				
	(i)	चालू खातों में / in Current Accounts		502 41 10	7618 65 53
	(ii)	अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts		79 71 25	-
	(iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		135 05 12	60 54 14
				717 17 47	**7679 19 67**
		कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)		**22209 38 59**	**19891 57 14**

अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I		भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in		
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां* / Government Securities*	75729 32 86	76864 80 84
	(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii)	शेयर / Shares	509 83 55	630 66 91
	(iv)	डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	1376 96 32	1919 57 88
	(v)	सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	509 03 82	688 47 82
	(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी) Others (CPs, Units in MFs, SRs,PTCs)	2713 89 16	835 25 47
			80839 05 71	**80938 78 92**
II		भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in		
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	183 50 56	841 62 62
	(ii)	सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	-	-
	(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (shares)	-	-
			183 50 56	**841 62 62**
		कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**81022 56 27**	**81780 41 54**
III		भारत में निवेश / Investments in India		
		निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	85318 65 93	83853 58 04
		घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	4479 60 22	2914 79 12
		निवल निवेश / Net investments	80839 05 71	80938 78 92
IV		भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India		
		निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	183 50 56	841 62 62
		घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास / Less:Aggregate provision / depreciation	-	-
		निवल निवेश / Net investments	183 50 56	841 62 62

** गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 12438 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों सहित.*
** Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.*

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
अ / A			
(i)	खरीदे और भुनाए/ पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	622 24 57	631 12 73
(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	34242 49 65	37464 21 65
(iii)	मीयादी ऋण* / Term loans*	93285 19 92	91746 44 49
	कुल / TOTAL	**128149 94 14**	**129841 78 87**
आ / B			
(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत** / Secured by tangible assets**	121394 67 99	123495 37 63
(ii)	बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित*** Covered by Bank / Government guarantees***	705 74 63	72 33 62
(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	6049 51 52	6274 07 62
	कुल / TOTAL	**128149 94 14**	**129841 78 87**
इ / C			
I	**भारत में अग्रिम / Advances in India**		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	63839 62 20	61543 41 59
(ii)	सरकारी क्षेत्र / Public sector	1601 43 53	-
(iii)	बैंक / Banks	281 48 03	111 48 28
(iv)	अन्य / Others	60227 49 38	63185 89 67
	कुल / TOTAL	**125950 03 14**	**124840 79 54**
II	**भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India**		
(i)	बैंकों से प्राप्य / Due from banks	-	-
(ii)	अन्य से प्राप्य / Due from others:		
	(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	-	-
	(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	396 79 90	898 65 04
	(ग) अन्य (c) Others	1803 11 10	4102 34 29
	कुल / TOTAL	**2199 91 00**	**5000 99 33**
	कुल जोड़ (इ I तथा इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**128149 94 14**	**129841 78 87**

** शून्य हजार (पिछले वर्ष ₹ 755 00 00 हजार) की निवल अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल है.*
** Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) ₹ Nil Thousand (Previous Year ₹ 755 00 00 Thousand)*

*** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं*
*** Includes advances against book debts*

**** बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं*
**** Includes advances against letter of credit issued by banks.*

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी आ.2 देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note B.2)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (at cost)	7223 54 33	7145 27 95
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	30 01 71	78 67 40
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	13 43 78	41 02
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	469 31 04	236 98 88
		6770 81 22	**6986 55 45**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्स्चर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2129 61 84	2005 67 39
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	113 07 17	439 46 53
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	37 98 64	315 52 08
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1618 09 21	1474 01 99
		586 61 16	**655 59 85**
III	**पट्टे पर दी गईं आस्तियां / Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	469 99 36	487 02 66
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**7827 41 74**	**8129 17 96**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)		73 59	2 51
II	उपचित ब्याज / Interest accrued		2103 24 20	2450 14 07
III	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)		6490 82 37	5927 41 53
IV	लेखन सामग्री और स्टांप / Stationery and stamps		16 13	16 45
V	दावों की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर)* Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)*		791 98 93	791 98 93
VI	अन्य / Others			
	(क) (a)	आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred Tax Asset (net)	14440 90 58	15749 58 45
	(ख) (b)	आबंटन के लिए लंबित शेयर/बांड Shares / Bonds Pending allotment	-	-
	(ख) (c)	विविध जमाराशियां व अग्रिम Sundry deposit and advances	447 78 24	188 88 04
	(घ) (d)	प्राप्य दावे Claims receivable	316 67 15	330 20 92
	(ङ) (e)	दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	149 31 85	142 90 32
	(च) (f)	विविध** Miscellaneous**	20800 33 55	24164 99 90
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)		**45541 96 59**	**49746 31 12**

* *प्रावधानों की निवल बकाया राशि ₹ 78 38 93 हजार (पिछले वर्ष ₹ 78 38 93 हजार) है*
* *Amount outstanding net of provisions is ₹ 78 38 93 Thousand (Previous year ₹ 78 38 93 Thousand)*

** *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 18037 39 45 हजार (पिछले वर्ष ₹ 23831 46 08 हजार) का निवेश शामिल है*
** *Includes Investment in Priority sector deposit ₹ 18037 39 45 Thousand (Previous year ₹ 23831 46 08 Thousand)*

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	318 39 21	167 06 33
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	158173 95 82	44359 37 15
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	37651 82 42	40889 66 85
	(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	802 56 19	946 84 43
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	9904 65 41	7429 04 89
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	10824 76 32	20225 07 79
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative contracts	423 31 87	696 10 69
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	2383 36 58	2215 14 29
VIII	अन्य / Others	226 84 93	184 89 61
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**220709 68 75**	**117113 22 03**

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	11821 16 98	13092 90 03
II	निवेशों से आय / Income on investments	5160 61 55	5780 60 85
III	रिजर्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	644 32 11	453 76 14
IV	अन्य / Others	2305 65 18	1497 84 35
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**19931 75 82**	**20825 11 37**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1745 33 64	1875 63 82
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	1722 18 40	886 25 02
III	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(42 06)	(4 76 34)
IV	विनिमय लेन-देनों/ डेरिवेटिव पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	376 02 63	548 69 73
V	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और/ या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	8 25 00	66 47 52
VI	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	547 43 59	826 56 25
VII	विविध आय / Miscellaneous Income	226 36 45	271 50 38
	कुल (I से VII) / TOTAL (I to VII)	**4625 17 65**	**4470 36 38**

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	9255 23 22	11096 49 81
II	रिजर्व बैंक/ अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज / Interest on RBI / inter bank borrowings	553 58 57	492 81 97
III	अन्य / Others	1605 38 87	2257 98 63
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**11414 20 66**	**13847 30 41**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	3089 01 76	3230 93 47
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	472 23 75	451 06 93
III	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	34 07 66	42 38 09
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	23 82 63	33 79 75
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on bank's property	392 93 26	390 67 66
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	1 21 21	1 02 57
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 48 47	2 32 24
VIII	विधि प्रभार / Law charges	15 16 52	19 06 57
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	74 20 76	86 92 49
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	85 49 57	76 93 96
XI	बीमा / Insurance	259 07 85	203 66 46
XII	अन्य / Others		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	127 00 07	111 17 61
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	289 67 79	397 16 85
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	27 48 65	9 39 88
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	3 42 84	4 85 02
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	576 11 26	610 69 61
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	139 37 14	100 14 78
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	1 23 58	14 55 57

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
(ज) (h)	यात्रा और वाहन प्रभार Travelling and conveyance charges	16 32 71	29 97 33
(झ) (i)	ट्रेजरी व्यय Treasury expenses	5 31 26	4 23 84
(ञ) (j)	उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय Fee and other expenses for borrowing	71 12	77 97
(ट) (k)	अन्य व्यय Other expenditure	415 54 80	514 37 37
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)		**6051 94 66**	**6336 16 02**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 तैयार करने का आधार / Basis of Preparation:

वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अधीन बनाए नियमों के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों (एएस), अधिनियम के प्रावधानों (अधिसूचित सीमा तक) और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतया प्रचलित पद्धतियों के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय विधि, सिवाय कि जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, और परम्परागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है.

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rules made there under, provisions of the Act (to the extent notified) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2 अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान व धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान और धारणाएं तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं. तथापि वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3 राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंकों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकेगा.
Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामले में जहां इसे रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है.
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र (एलसी) /बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/ बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होती है.
Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है. गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश प्राप्त हो जाने के बाद हिसाब में लिया जाता है.
For listed companies, dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established. For unlisted companies dividend is booked as and when received.

vi. अनर्जक अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.
In case of non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the Bank.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4 अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिये किए गए प्रावधानों को घटाकर निवल आधार पर दिखाया जाता है.
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का कम से कम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.
Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/ created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as `Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति के संदर्भ में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ-हानि लेखे में आय के रूप में लिया जाता है.
Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Profit and Loss account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.
The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित/पुनर्निधारित ऋणों और अग्रिमों पर प्रावधान बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से पिछले वर्षों में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण बफर बनाया था जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमाओं और परिस्थितियों के भीतर उपयोग किया जा सकता है.
The Bank had made countercyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, in earlier years, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

5 निवेश / Investments

अ. वर्गीकरण
A. Classification

निवेश वर्गीकरण व मूल्यांकन के बारे में रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता हैः
In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as:

i. परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and

iii. ट्रेडिंग के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है
Investments under each category are further classified as

i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities

iii. शेयर / Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड / Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आ. वर्गीकरण का आधार:
B. Basis of Classification

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलत: फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
b) Investments that are held principally for sale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'ट्रेडिंग लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली और मूल्यांकन रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को सामान्यत: 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, किन्तु इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं, जिनकी आवश्यकता आधारित समीक्षा कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित किया जाता है. सहयोगी कंपनियों में निवेश का वर्गीकरण इसके अधिग्रहण के समय किया जाता है.
e) Investment in subsidiaries and joint venture are normally classified as 'Held To Maturity' except in case, on need based reviews, which are shifted to 'Available for Sale' category as per RBI guidelines. The classification of investment in associates is done at the time of its acquisition.

इ. मूल्यांकन
C. Valuation

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में: / In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से अधिगृहीत इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.
b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.
c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है और ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी कंपनियों में किए गए निवेशों सहित निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.
Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments, including those in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates, under this category is provided for each investment individually.

iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.
Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

क) बट्टाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.
a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ख) ट्रेड/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर तथा अनुद्धृत / ट्रेड न की गई सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर किया जाता है.

c) Quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL).

घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी आधार पर निकाला जाता है और म्यूचुअल फंड के यूनिटों का मूल्य रिज़र्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है.

d) Unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at Re. 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.

ङ) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर व वाईटीएम दरों को भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों पर लागू किया जाता है.

e) Unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL.

च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए प्राप्त निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.

छ) उद्धृत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / ट्रेड न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता उपयुक्त प्रतिलाभ आधार पर मूल्यांकित किया जाता है.

g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

ज) तनावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) में किए गए निवेश को परिपक्वता पर धारित श्रेणी में वर्गीकृत कर लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. सितंबर 2024 तक अंतिम वसूली में अनुमानित कमी के लिए प्रावधान रखा गया है.

h) Investment in Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) is categorized as Held To Maturity and valued at cost. Provision is made for estimated shortfall in eventual recovery by September 2024.

झ) एचटीएम श्रेणी में धारित वीसीएफ निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है तथा जो एएफएस श्रेणी में धारित हैं, उन्हें निधि गृहों से प्राप्त एनएवी के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है.

i) VCF investments held in HTM category are valued at Carrying Cost and those held in AFS category are valued on NAVs received from Fund Houses.

ञ) पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एएफएस श्रेणी में धारित किए गए हैं तथा इनका मूल्यांकन परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर केंद्र सरकार की समतुल्य परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की वाईटीएम दरों पर उचित कीमत-लागत अंतर प्रभावी कर एवं एनबीएफसी बॉन्ड पर लागू कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाता है. इस प्रकार के कीमत-लागत अंतर तथा वाईटीएम दरें भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ' (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक दरों के आधार पर लागू की जाती हैं.

j) PTC investments are presently held only under AFS category and are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity and the spreads applicable are that of NBFC bonds. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL. MTM Provision is done on monthly basis.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है. / Investments are stated net of provisions.

ई. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन
D. Repo and reverse repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः उधार लेने व उधार देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

6 डेरिवेटिव लेन-देन / Derivative Transactions

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में: / In Transactions designated as 'Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन-देनों पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.
b) On premature termination of hedge swaps, any profits/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.
c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में: / In Transactions designated as 'Trading':

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंडों में ट्रेडिंग के रूप में नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन्स और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माहांत निपटान की तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित किया जाता है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

7 अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets and Depreciation:

i. अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि के रूप में दर्शाया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iii. पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

iv. अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

v. पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

vi. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition.

vii. गोचर आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित रूप में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान विनिधानित किया जाता है. उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.

viii. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए लगाया जाता है.
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.

x. अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:
The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति **Asset**	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) **Useful Life (in Years)**
स्वयं के स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन / Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3

आस्ति Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर एवं फिक्सचर a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

x. पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease.

xi. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 6 वर्ष से अनधिक अवधि तक इसके उपयोगी जीवनकाल पर पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है.
Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 lacs is capitalized and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

8 प्रतिभूतीकरण लेन-देन: / Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं ('एसपीवी') को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक, बिक्री के समय ही होने वाली हानि को तुरंत हिसाब में लेता है और बिक्री के परिणामस्वरूप हुए लाभ/प्रीमियम को उस एसपीवी द्वारा, जिसे आस्तियां बेची गई हैं, जारी की जाने वाली अथवा जारी की गई प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.
Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control over the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold.

9 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:

Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है.
Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

आस्तियों की बिक्री, जिसके लिए पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है अर्थात् तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की गणना बैंक की निवेश बही में एक रुपये मान कर की जाती है.
In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् धारित प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य) से कम मूल्य पर है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे किया जाता है. एनपीए की बिक्री में कोई कमी होने पर अर्थात् बिक्री एनबीवी से कम मूल्य पर होने की स्थिति में बैंक रिजर्व बैंकी अनुमति से उस कमी को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय/ अस्थिर प्रावधानों का भी प्रयोग करता है.
In case the sale value is at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provision held), the shortfall is be debited to the profit and loss account of that year. The Bank also uses, with permission of RBI, countercyclical/floating provisions for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक हो तो आधिक्य प्रावधान को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जाता है जिसमें नकद राशि प्राप्त हुई हो. तथापि आधिक्य प्रावधान का ऐसा प्रतिवर्तन प्राप्त नकदी के आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक होने की सीमा तक सीमित रहता है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

10 विदेशी मुद्रा लेन-देन / Foreign Currency Transactions:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.
Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.
Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का फेडाई की बंद दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्य निर्धारण फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.
Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, are recognized on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.
Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेश स्थित शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और आय और व्यय मदें तिमाही औसत दरों पर रूपांतरित की जाती हैं. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Operations of foreign branch are classified as `Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

11 कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान, जब अंशदान देय हैं, को वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जिसमें वे घटित होते हैं.
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

12 खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

बैंक तीन खंडों अर्थात् होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण लेखा मानक-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.
The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जो आस्तियां एवं देयताएं ज्ञात खंडों में विनिधानीत नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अविनिधानीत आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया गया है.
Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

13 आयकर / Income Tax

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.
Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार परिकलित अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है.
Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के लिए बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उनकी भविष्य में वसूली की उचित निश्चितता हो.
Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित मूल्यह्रास/ हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी हिसाब में ली जाती हैं जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.
Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.
Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

v. आईडीबीआई बैंक ने कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 के जरिये आयकर अधिनियम, 1961 की नई जोड़ी गई धारा 115बीएए के अनुसार न्यूनतम कर दर का विकल्प चुना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि न्यूनतम कर का चयन करने वाली घरेलू कंपनियों के लिए एमएटी लागू नहीं होगा.
IDBI Bank has opted for the lower tax rate as per Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendments) Act, 2019 which provides, inter alia, that MAT would not be applicable for the domestic companies opting for the lower tax.

14 प्रति शेयर उपार्जन / Earnings Per Share

i. बैंक लेखामानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.
The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding at the year end.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

15 आस्तियों का ह्रासित होना / Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-लागत वसूलीयोग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों के ह्रासित होने की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से कर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां ह्रासित मानी गई हों तो उस ह्रास को उस आस्ति की रखाव लागत से उसके अनुमानित वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. लेखा मानक 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब बैंक यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

   In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

   Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

   Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

   Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

SCHEDULE 18 - लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS

अ. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रकटन
A. DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

I. पूंजी / Capital

बासेल III के अनुसार / As per Basel III

क्रम. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
1	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात (%) + सीसीबी Common Equity Tier 1 capital ratio (%)+CCB	13.06%	10.54%
2	सीआरएआर- टीयर I पूंजी (%) / CRAR - Tier I Capital (%)	13.06%	10.57%
3	सीआरएआर - टीयर 2 पूंजी (%) / CRAR - Tier II Capital (%)	2.53%	2.74%
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) / Total Capital ratio (CRAR) (%)	15.59%	13.31%
5	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	45.48%	47.11%
6	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि (₹ करोड़) * Amount of equity capital raised (₹ Crores) *	1,435	9,300
7	भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि (₹ करोड़) Amount of share application money received from GoI (₹ Crores)	शून्य Nil	शून्य Nil
8	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर I पूंजी की राशि; जिसमें से Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which		
	पीएनसीपीएस: / PNCPS:	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	पीडीआई: / PDI:	शून्य / Nil	शून्य / Nil
9	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि; / Amount of Tier 2 capital raised;	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	जिसमें से- / of which		
	क) ऋण पूंजी लिखत: a) Debt capital instrument:	शून्य / Nil	745
	ख) अधिमानी शेयर पूंजी लिखत: [स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ मोचन-योग्य गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/ मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)] b) Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	शून्य / Nil	शून्य / Nil

** ₹ 372 करोड़ की शेयर पूंजी (पिछले वर्ष ₹ 2,644 करोड़) और ₹ 1,063 करोड़ का शेयर प्रीमियम (पिछले वर्ष ₹ 6,656 करोड़) शामिल*

** Includes Share Capital of ₹ 372 Crores (Previous Year: ₹ 2,644 Crores) and Share Premium of ₹ 1,063 Crores (Previous Year: ₹ 6,656 Crores)*

आरबीआई ने दिनांक 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83 /21.06.201/ 2015/16 के द्वारा सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए पूनर्मूल्यांकन रिज़र्व / डीटीए पर विचार करने हेतु बैंकों को विवेकाधिकार दिया है. बैंक ने उपर्युक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

RBI vide circular no DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015/16 dated March 01, 2016 has given discretion to Banks to consider Revaluation Reserve / DTA for purpose of computation of capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

बैंक 'पात्र वित्तीय अनुबंधों का द्विपक्षीय नेटिंग- विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन' पर 30 मार्च 2021 के आरबीआई परिपत्र का अनुपालन करने की प्रक्रिया में है.

Bank is in process of complying RBI circular dated March 30, 2021 on 'Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts-Amendments to Prudential Guidelines'

II. निवेश / Investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.			मदें Items	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
(1)			निवेश का मूल्य / Value of Investments		
	(i)		निवेश का सकल मूल्य / Gross Value of Investments		
		(क) (a)	भारत में In India	85,318.66	83,853.58
		(ख) (b)	भारत से बाहर Outside India	183.51	841.63
	(ii)		मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provisions for Depreciation		
		(क) (a)	भारत में In India	4,479.60	2,914.79
		(ख) (b)	भारत से बाहर Outside India	0.00	0.00
	(iii)		निवेशों का निवल मूल्य / Net Value of Investments		
		(क) (a)	भारत में In India	80,839.06	80,938.79
		(ख) (b)	भारत से बाहर Outside India	183.51	841.63
(2)			निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में घट - बढ़ Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i)		प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2,914.79	3,656.39
	(ii)		जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान Add: Provisions made during the year	2,284.63	2,522.80
	(iii)		घटायें: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित किये गये आधिक्य प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	719.82	3,264.40
	(iv)		अंतिम शेष Closing balance	4,479.60	2,914.79

III. निवेश संबंधी उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर):

Investment Fluctuation Reserve (IFR):

दिनांक 2 अप्रैल 2018 के आरबीआई के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 के अनुसार आईएफआर उस राशि के साथ बनाया जाना है जो वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ या वर्ष के लिए शुद्ध लाभ से अनिवार्य विनियोग घटाने के बाद की राशि से कम न हो, जब तक कि आईएफ़आर की राशि निरंतर आधार पर एचएफ़टी और एएफ़एस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत न हो.

As per RBI circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 IFR is to be created with an amount which is not less than lower of net profit on sale of investments during the year or net profit for the year less mandatory appropriations until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को बैंक ने ₹ 544.61 करोड़ (पिछले वर्ष:₹ शून्य) का आईएफ़आर बनाए रखा है जो एचएफटी और एएफ़एस पोर्टफोलियो के 2 प्रतिशत के समतुल्य हैं.

As on March 31, 2021, the Bank is maintaining an IFR of ₹ 544.61 Crores (Previous Year: ₹ Nil), which is equivalent to 2 percent of the HFT & AFS portfolio.

IV. रेपो लेन-देन / Repo Transactions

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण: / Disclosure for the year ended March 31, 2021:

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए त्रिपक्षीय रेपो/रिवर्स रेपो विवरण (प्रतिभूति की अंकित मूल्य शर्तों में) को छोड़कर रेपो/रिवर्स रेपो का विवरण:

Details of Repo /Reverse repo details excluding Triparty Repo/Reverse Repo (In face value terms of Security) done during the year ended March 31, 2021:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
	रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under repo (Face Value)				
i.	सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	0.97	10,636.68	4,866.42	शून्य Nil
ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii.	कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under reverse repo (Face Value)				
i.	सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	3,192.88	25,719.61	16,354.82	13,057.76
ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii.	कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

त्रिपक्षीय रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन ऐसे रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन हैं जहां एक त्रिपक्षीय एजेंट लेनदेन अवधि के दौरान संपार्श्विक चयन, भुगतान तथा निपटान तथा अभिरक्षा और प्रबंधन जैसी सेवा की सुविधा के लिए रेपो/रिवर्स के लिए दो पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए त्रिपक्षीय रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन का विवरण नीचे दिया गया है. उधार ली गई या उधार दी गई धनराशि की गणना नीचे दी गई तालिका के प्रयोजन के लिए की गई है.

Triparty Repo/Reverse repo transaction are repo /reverse repo transaction where a triparty agent acts as an intermediary between the two parties to the repo /reverse to facilitate service such as a collateral selection, payment and settlement and custody and management during the life of transaction. The details of triparty repo /reverse repo transaction undertaken by the Bank during the year ended March 31, 2021 are given below. Amount of funds borrowed or lent have been reckoned for the purpose of the below table:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under repo (Face Value)				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	474.88	17,071.70	8,138.19	शून्य Nil
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under reverse repo (Face Value)				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	1.00	2,340.71	114.22	499.86
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण: / Disclosure for the year ended March 31, 2020:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under repo (Face Value)					
i.	सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	1.00	10,912.00	1,447.63	10,912.00
ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii.	कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under reverse repo (Face Value)				
i.	सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	100.00	27,065.00	6,573.06	11,200.00
ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii.	कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

V. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / Non-SLR Investment Portfolio

1. यथा 31 मार्च 2021 को गैर-एसएलआर निवेश की निर्गमकर्ता संरचना
Issuer composition of Non-SLR investments as at March 31, 2021

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of 'below investment grade' securities #	'बिना- रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा @ Extent of 'unrated' securities @	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम **/ PSUs**	13,008.54	102.17	शून्य Nil	12,467.28	29.28
2	वित्तीय संस्थाएं / FIs	31.12	31.12	12.50	31.12	31.12

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of 'below investment grade' securities #	'बिना- रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा @ Extent of 'unrated' securities @	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	बैंक / Banks	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
4	निजी कॉरपोरेट Private corporates	3,816.98	2,204.41	2,541.25	2,677.37	3,196.79
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / JV	507.54	489.77	शून्य / Nil	507.54	507.54
6	अन्य* / Others*	6,445.95	शून्य / Nil	1,300.67	4,090.86	4,090.86
	सकल कुल / Gross Total	**23,810.13**	**2,827.46**	**3,854.42**	**19,774.17**	**7,855.60**
7	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान Prov. held towards Dep.	4,427.16				
	अ / Net Total	**19,382.97**	**2,827.46**	**3,854.42**	**19,774.17**	**7,855.60**

** अन्य में एसएएसएफ, एसआर, सीपी, सीडी, म्यूचुअल फंड में निवेश तथा डीआईएफ़सी द्वारा निवेश शामिल है.*

** Others include investment in SASF, SR, CP, CD, Mutual Fund and investment by DIFC.*

*** गैर एसएलआर होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 12,438 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण बांड को पीएसयू के रूप में वर्गीकृत किया गया है.*

*** The Recapitalisation Bonds issued by GOI of ₹ 12,438 Crores being Non SLR has been classified as PSU.*

@इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियों के रूप में माना गया है.

@ Investment in Equities are treated as unrated securities

 # इक्विटी/अधिमान्य शेयरों तथा राज्य स्तरीय बॉण्डों में एनपीआई निवेश को निवेश ग्रेड से नीचे माना गया है.

 # NPI Investments in equity/preference shares and state level bonds have been considered as below investment grade.

यथा 31 मार्च 2020 को गैर-एसएलआर निवेश की निर्गमकर्ता संरचना

Issuer composition of Non-SLR investments as at March 31, 2020

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of 'below investment grade' securities #	'बिना- रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा @ Extent of 'unrated' securities @	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	13,118.50	102.17	0.00	12,467.28	29.28
2	वित्तीय संस्थाएं / FIs	130.79	31.12	12.50	31.12	31.12

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of 'below investment grade' securities #	'बिना- रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा @ Extent of 'unrated' securities @	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	बैंक / Banks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	निजी कॉरपोरेट Private corporates	3,854.15	2,106.71	2,480.40	2,317.83	3,006.79
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / JV	676.54	658.77	0.00	676.54	676.54
6	अन्य* / Others*	5,030.15	0.00	1,297.57	2,841.73	4,188.52
	सकल कुल / Gross Total	**22,810.13**	**2,898.76**	**3,790.47**	**18,334.51**	**7,932.26**
7	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान Prov. held towards Dep.	2,914.79				
	निवल कुल / Net Total	**19,895.34**	**2,898.76**	**3,790.47**	**18,334.51**	**7,932.26**

** अन्य में एसआर, एसएएसएफ तथा दुबई और गिफ्ट सिटी शाखाओं द्वारा किए गए निवेश शामिल.*

** Others include SR, SASF and investment held by Dubai and GIFT city branches.*

@ इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियों के रूप में माना गया है.

@ Investment in Equities are treated as unrated securities.

 # आईडीबीआई बैंक की निवेश नीति के अनुसार अवरोध दर से नीचे के निवेश सहित इक्विटी/अधिमान्य शेयरों तथा राज्य स्तरीय बॉण्डों में एनपीआई निवेश को निवेश ग्रेड से नीचे माना गया है.

 # NPI Investments in equity/preference shares and state level bonds have been considered as below investment grade along with investment rated below hurdle rate as per Investment Policy of IDBI Bank

2 अनर्जक गैर- एसएलआर निवेश
Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1,517.71	1,262.16
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1,303.55	2,123.76
वर्ष के दौरान कमी* / Reductions during the year *	837.61	1,868.21
अंतिम शेष / Closing balance	1,983.65	1,517.71
एनपीआई के लिए धारित कुल प्रावधान / Total provisions held toward NPI	1,941.64	1,223.35

** ₹ 19.98 करोड़ के अवलेखित निवेश (पिछले वर्ष ₹ 1,815.89) और ₹ 697.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.32 करोड़) के बट्टे खाते/बिक्री/ निपटान सहित निवेश उन्मोचन तथा ₹ 120.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 50.00 करोड़) के निवेश अपग्रेडेशन सहित.*

** Includes Investment written down of ₹ 19.98 Crores (Previous Year: ₹ 1,815.89 Crores) and Investment Redemption including write off / Sale / Settlement of ₹ 697.53 Crores (Previous Year: ₹ 2.32 Crores) and Upgradation of Investment of ₹ 120.10 Crores (Previous Year: ₹ 50.00 Crores).*

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VI. प्रतिभूतियों की परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/को विक्रय व अंतरण
Sales and transfers of securities to/from Held to Maturity (HTM) category

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से/को की गई बिक्री और अंतरण के मूल्य से लेखा वर्ष के प्रारंभ में बैंकों को अनुमत निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जानेवाला एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों के एकबारीय अंतरण को छोड़कर और पूर्व घोषित खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) नीलामियों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को की गई बिक्री वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है. यह एसएलआर आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के संबंध में है.

During the year ended March 31, 2021, the value of sales and transfers of securities to/from HTM category excluding onetime transfer to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year and sale to RBI under pre-announced Open Market Operation (OMO) auctions has not exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year. The same is in regard to RBI extant guidelines for compliance with SLR requirements.

वर्तमान वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों में उतार-चढ़ाव की स्थिति निम्नानुसार है:-

The movement of Investments held in HTM Category during the current year is as under:-

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिभूतियों का अंतरण Shifting of securities during FY 2020-21	अंकित मूल्य Face value	बही मूल्य Book value
एचटीएम से एएफ़एस / From HTM to AFS	5,971.09	6,030.51
एचटीएम से एचएफ़टी / From HTM to HFT	350.00	340.30
एएफ़एस से एचटीएम / From AFS to HTM	1,745.72	1,832.10
कुल / TOTAL	**8,066.81**	**8,202.91**

पिछले वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों में उतार-चढ़ाव की स्थिति निम्नानुसार है:-

The movement of Investments held in HTM Category during the previous year is as under:-

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिभूतियों का अंतरण Shifting of securities during FY 2019-20	अंकित मूल्य Face value	बही मूल्य Book value
एचटीएम से एएफ़एस / From HTM to AFS	2,541.54	2,614.71
एचटीएम से एचएफ़टी / From HTM to HFT	2,652.91	2,690.06
एएफ़एस से एचटीएम / From AFS to HTM	6,475.06	6,558.50
कुल / TOTAL	**11,669.51**	**11,863.27**

यथा 31 मार्च 2021 को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत स्टॉक निम्नानुसार है:

The stock under HTM category as on March 31, 2021 is as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास Appreciation/ Depreciation
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां / Central Government Securities	20,270.47	21,088.26	817.79
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां / State Government Securities	22,476.94	23,463.13	986.19
एसएएसएफ / SASF	2,751.73	2,751.73	शून्य / Nil
विशिष्ट गैर-अंतरणीय जीओआई बांड Special Non-Transferrable GOI bonds	12,438.00	12,438.00	शून्य / Nil

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास Appreciation/ Depreciation
ट्रेजरी बांड / Treasury Bonds	150.52	161.98	11.46
इक्विटी / Equity	175.50	524.11	348.61
जोखिम पूंजी / Venture Capital	8.49	8.49	शून्य / Nil
कुल / TOTAL	**58,271.65**	**60,435.70**	**2,164.05**

यथा 31 मार्च 2020 को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत स्टॉक निम्नानुसार है:
The stock under HTM category as on March 31, 2020 is as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास Appreciation/ Depreciation
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां Central Government Securities	26,111.74	27,462.44	1,350.70
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां State Government Securities	15,267.17	16,101.60	834.43
एसएएसएफ / SASF	2,841.73	2,841.73	0.00
विशिष्ट गैर-अंतरणीय जीओआई बांड Special Non-Transferrable GOI bonds	12,438.00	12,438.00	0.00
इक्विटी / Equity	688.48	1,159.61	471.13
जोखिम पूंजी / Venture Capital	11.60	11.60	0.00
कुल / TOTAL	**57,358.72**	**60,014.99**	**2,656.27**

रिज़र्व बैंक के दिनांक 10 जून 2019 के परिपत्र सं आरबीआई/2018-19/204डीबीआर.न.बीपी.बीसी.46/21.04.141/2018-19 के अनुसार प्रकटन:
Disclosure as per RBI Circular No: RBI/2018-2019/204DBR.No.BP.BC.46/21.04.141/2018-19 dated June 10, 2019:

यथा 31 मार्च 2021: / As on March 31, 2021:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	बाजार मूल्य पर बही मूल्य का आधिक्य Excess of Book Value over Market Value	धारित प्रावधान Provision Held
एचटीएम श्रेणी में निवेश / Investment in HTM category	58,271.65	60,435.70	(2,164.05)	1,100.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

यथा 31 मार्च 2020: / As on March 31, 2020:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	बाजार मूल्य पर बही मूल्य का आधिक्य Excess of Book Value over Market Value	धारित प्रावधान Provision Held
एचटीएम श्रेणी में निवेश / Investment in HTM category	57,358.72	60,014.99	(2,656.27)	300.00

VII. एसजीएल बाऊंसिंग की घटना पर प्रकटन / Disclosure on instance of SGL bouncing

चालू और पिछले वर्ष के दौरान बैंक के पास एसजीएल के बाउंस होने की कोई घटना नहीं है.
The Bank does not have any instance of SGL bouncing during the current and the previous year.

VIII. डेरिवेटिव / Derivatives

1. वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप * / Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap*

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021		यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन* The notional principal of swap agreements*	शून्य Nil	8,117.33	5,296.55	10,805.88
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टी अपने दायित्व के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	शून्य Nil	104.31	2.91	174.21
(iii)	स्वैप निष्पादित करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the Bank upon entering into swaps	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेद्रण (नीचे (क) देखें) Concentration of credit risk arising from the swaps (refer (a) below)	शून्य Nil	नीचे (क) देखें Refer (a) Below	शून्य Nil	नीचे (क) देखें Refer (a) Below
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	शून्य Nil	(10.88)	0.47	(13.95)

* इसमें समुद्रपारीय शाखा के आंकड़े भी शामिल हैं. / * The figures include overseas branch also.

क. 31 मार्च 2021 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक के लिए वर्तमान ऋण एक्सपोजर) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण एक्सपोजर का 100% (₹ 0.78 करोड़) है. 31 मार्च 2020 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक के लिए वर्तमान ऋण एक्सपोजर) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण एक्सपोजर का 100% (₹ 1.01 करोड़) है.

a. Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2021 is at 100% of the total current exposure (₹ 0.78 Crores.) from Corporate Clients to the Bank. Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2020 was at 100% of the total current exposure (₹ 1.01 Crores) from Corporate Clients to the Bank.

ख. यथा 31 मार्च 2021 को स्वैप का स्वरूप और इसकी शर्तों के निम्नानुसार हैं:

b. The nature and terms of the Swaps as on March 31, 2021 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in Crores)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग / Trading	81	2,283.69	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	77	2,014.77	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	2	50.00	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	2	50.00	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	2	1,859.43	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	2	1,859.43	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	0	-	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	0	-	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

ग. यथा 31 मार्च 2020 को स्वैप का स्वरूप और शर्तें निम्नानुसार हैं:

c. The nature and terms of the Swaps on March 31, 2020 are set out below :

स्वरूप Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in Crores)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग / Trading	116	3,422.04	मिबोर-ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	128	3,352.22	मिबोर-ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	3	75.00	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	3	75.00	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	2	1,940.81	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

स्वरूप Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in Crores)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग / Trading	2	1,940.81	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	0	-	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	0	-	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
हेज (डीआईएफसी) Hedge (DIFC)	4	5296.55	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

2. **एक्सचेंज में ट्रेड किए गए वाले ब्याज दर डेरिवेटिव / Exchange Traded Interest Rate Derivatives**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2021 को Ason March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को Ason March 31, 2020
(i)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise) ending March 31, 2021		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	27,170.38	30,708.75
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	31.91	63.49
	ग) विकल्प c) Options	शून्य Nil	शून्य Nil
(ii)	31 मार्च 2021 को एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivativesou tstandingas on Mar ch31,2021 (in strumentwis e)		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	292.36	520.10
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य Nil	शून्य Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य Nil	शून्य Nil
(iii)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो 'उच्च प्रभावी' नहीं हैं, की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य Nil	शून्य Nil

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य Nil	शून्य Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य Nil	शून्य Nil
(iv)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया तथा जो 'उच्च प्रभावी' नहीं हैं, ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य (लिखत वार) Mark-to market value of exchange traded interest derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य Nil	शून्य Nil
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य Nil	शून्य Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य Nil	शून्य Nil

3. **डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - गुणात्मक प्रकटन**
Disclosures on risk exposure in derivatives-Qualitative disclosures

(i) बैंक हेजिंग साथ ही, ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरेवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं.
The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc.

(ii) बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रमुख कार्यपालक निदेशक हैं तथा जिन्हें मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है. जोखिम प्रबंध ग्रुप, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनायमक दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. आस्ति देयता प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत जोखिम का प्रबंध किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है.
The Bank has a well-defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organization, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by an Executive Director designated also as Chief Risk Officer. The Risk Management Group is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of Asset Liability Management Committee with periodic reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.

(iii) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरेवेटिव लेन-देनों में ऋण जोखिम का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरेवेटिव लेन-देन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम, अनुमोदित सीमा के भीतर हो तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ हो. बाजार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, अंतराल, ग्रीक्स, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Risk exposures in derivatives transactions are measured/ assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, gaps, Greeks, stop loss etc. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

(iv) डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ''बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों'' में दिये गए हैं.
The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

4. डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - मात्रात्मक प्रकटन
Disclosures on risk exposure in derivatives- Quantitative disclosures

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष (मार्च 2020-21) Current Year (March 31, 2021)		पिछले वर्ष (मार्च 2019-20) Previous Year (March 31, 2020)	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amt.)				
	(क) हेजिंग के लिए (a) For hedging	21.45	शून्य / Nil	21.98	5296.55
	(ख) ट्रेडिंग के लिए (b) For trading	2,689.85	8,117.33	4,276.68	10,805.88
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट पोजीशन Marked to Market Positions				
	(क) आस्तियां (+) (a) Asset(+)	286.50	104.31	470.29	177.12
	(ख) देयताएं (-) (b) Liability (-)	(283.12)	(115.19)	(466.58)	(190.60)
(iii)	ऋण जोखिम / Credit Exposure				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	5.55	शून्य / Nil	7.64	29.39
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	523.72	172.43	772.39	267.02

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष (मार्च 2020-21) Current Year (March 31, 2021)		पिछले वर्ष (मार्च 2019-20) Previous Year (March 31, 2020)	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) on hedging derivatives	0.34	शून्य Nil	0.48	6.44
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) on trading derivatives	शून्य Nil	1.10	शून्य Nil	0.13
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम* Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year *				
	(क) हेजिंग पर (a) on hedging				
	- अधिकतम / Maximum	0.47	2.89	0.64	50.31
	- न्यूनतम / Minimum	0.33	शून्य Nil	0.48	6.44
	(ख) ट्रेडिंग पर (b) on trading				
	- अधिकतम / Maximum	0.00340	1.96	0.01	17.73
	- न्यूनतम / Minimum	0.00082	0.0087	0.00261	0.0627

** चूंकि संव्यवहार आस्ति-देयता पोर्टफोलियो में ब्याज दर और मुद्रा विनिमय दर से जुड़े जोखिमों से बचाव व्यवस्था के लिए किए जाते हैं, अतः बैंक अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 की गणना दैनिक आधार पर नहीं करता है.*

** Since the transaction are undertaken to hedge the interest rate and currency risks in the asset-liability portfolio, the bank is not calculating the maximum and minimum of 100*PV01 on daily basis.*

5. **बैंक के पास निवल ओवरनाइट खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा है जो 01 नवंबर 2017 से ₹ 400 करोड़ निर्धारित है. वर्ष के दौरान खुली स्थिति अनुमोदित सीमा के भीतर थी तथा औसत उपयोग ₹ 122.69 करोड़ था. वर्ष दौरान अधिकतम उपयोग 11 दिसंबर 2020 को ₹ 185.13 करोड़ था.**

   The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹ 400 Crores w.e.f November 01, 2017. During the year the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 122.69 Crores. The maximum utilization during the year was at ₹ 185.13 Crores on December 11, 2020.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

IX. ऋण चूक स्वैप / Credit Default Swaps

चालू और पिछले वर्षों के दौरान बैंक ने कोई सीडीएस लेनदेन नहीं किया है.
During the current and the previous years, the Bank did not enter into any CDS transactions.

X. आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

1. अनर्जक आस्ति (ऋण एवं अग्रिम) / Non-Performing Asset (Loans & Advances)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	मदें Particulars	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
(i)	**निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) Net NPAs to Net Advances (%)**	1.97	4.19
(ii)	**एनपीए में उतार - चढ़ाव (सकल) / Movement of NPAs (Gross)**		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	47,272.37	50,027.94
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (b) Addition during the year	2,631.66	11,021.99
	(ग) वर्ष के दौरान कमी (c) Reduction during the year	13,692.08	13,777.56
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	36,211.95	47,272.37
(iii)	**निवल एनपीए में उतार - चढ़ाव / Movement of Net NPAs**		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	5,439.49	14,837.44
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (एफ़टीएनपीए) (b) Addition (FTNPA) during the year	1,363.80	4,825.34
	(ग) वर्ष के दौरान कमी (निवल) (c) Reduction (net) during the year	4,283.91	14,223.29
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	2,519.38	5,439.49
(iv)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार - चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)**		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	41,832.89	35,190.49
	(ख) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान (b) Provisions made during the year	6,038.41	20,079.29

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	मदें Particulars		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
	(ग) (c)	प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर में अंतरित Transferred to Countercyclical Prov. Buffer	शून्य Nil	शून्य Nil
	(घ) (d)	बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान Write-off/write back of excess provision	14,178.73	13,436.89
	(ङ) (e)	अंतिम शेष Closing balance	33,692.57	41,832.89
(v)	**रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलिक प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात (टीडब्ल्यूओ सहित) Provisioning Coverage Ratio (including TWO) computed in accordance with the RBI guidelines**		**96.90%**	**93.74%**

2. **एनपीए में उतार - चढ़ाव / Movement of NPAs**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
विवरण वर्ष के 01 अप्रैल के अनुसार सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष) Gross NPAs as on 1st April of particular year (Opening Balance)		47,272.37	50,027.94
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year		2,631.66	11,021.99
उप - जोड़ (अ) / Sub-total (A)		**49,904.03**	**61,049.93**
घटाएँ:- / Less:-			
(i)	अपग्रेडेशन / Upgradations	782.14	1,286.02
(ii)	वसूली (अपग्रेड खाते से हुई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	4,518.14	6,555.63
(iii)	तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Technical/ Prudential Write-offs	6,342.54	3,878.29
(iv)	उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए Write-offs other than (iii) above	2,049.26	2,057.62
उप - जोड़ (आ) / Sub-total (B)		**13,692.08**	**13,777.56**
आगामी वर्ष के 31 मार्च के अनुसार सकल एनपीए (अंतिम शेष) (अ-आ) Gross NPAs as on 31st March of following year (closing balance) (A-B)		**36,211.95**	**47,272.37**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. **तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए स्टॉक और उनसे संबंधित वसूली**
Stock of technical/ Prudential write-offs and the recoveries made thereon

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
01 अप्रैल के अनुसार तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खाते में प्रारंभिक शेष Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at 01st April	39,066.35	36,435.66
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए ADD: Technical/ Prudential write-offs during the year	6,342.54	3,878.29
उप - जोड़ (अ) / Sub-total (A)	**45,408.89**	**40,313.95**
घटाएँ: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खाते में हुई वसूली/बदलाव(विनिमय अंतर निवल) (आ) Less: Recoveries/ changes (exchange differences net) in previously Technical/ Prudential written-off accounts during the year (B)	1,630.89	1,247.60
31 मार्च के अनुसार अंतिम शेष (अ-आ) Closing Balance as at 31st March (A-B)	43,778.00	39,066.35

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नितियाँ
SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

4. यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को संरचित खातों संबधि प्रकटीकरण
Disclosure of Restructured Accounts as on March 31, 2021

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्र. सं. Sr. No.	पुनर्संरचना का प्रकार → / Type of Restructuring → आस्ति का वर्गीकरण → / Asset Classification → ब्योरे ↓ / Details ↓		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
			मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	यथा 01 अप्रैल 2020 को पुनर्संरचित खाते * Restructured Accounts as on 1 April 2020	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	10	0	7	4	21	0	0	0	0	0	1393	177	2515	102	4187	1403	177	2522	106	4208
		बकाया राशि* Amount outstanding*	216.59	0.00	1563.67	111.53	1891.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.58	8.28	6677.45	339.80	7821.11	1012.17	8.28	8241.12	451.33	9712.90
		उस पर प्रावधान[2] Provision thereon[2]	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86	0.23	1.24	0.00	13.33	15.10	0.23	1.24	0.00	16.57
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचनाएं Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3973	201	19	4	4197	3973	201	19	4	4197
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1613.18	6.40	10.81	1.60	1631.99	1613.18	6.40	10.81	1.60	1631.99
		उस पर प्रावधान[2] Provision thereon[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.59	0.25	0.28	0.00	48.12	47.59	0.25	0.28	0.00	48.12
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	(3)	(18)	0	0	21	(3)	(18)	0.00	0
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	(0.71)	(0.02)	0.00	0.000	0.73	(0.71)	(0.02)	0.00	0.00
		उस पर प्रावधान[2] Provision thereon[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	(0.04)	0.00	0.00	0.000	0.040	(0.040)	0.000	0.00	0.00
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिस पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्च प्रावधानीकरण और / या अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद हो गया, अत: इन्हे अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाया जाना आवश्यक नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	0.00				0.00	0				0	0.00				0.00	0.00				0
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
		उस पर प्रावधान[2] Provision thereon[2]	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को डाउनग्रेड करना Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	(2)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	(491)	17	470	4	0	(493)	17	472	4	0
		बकाया राशि Amount outstanding	(67.58)	0.00	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(28.02)	2.28	25.72	0.02	0.00	(95.60)	2.28	93.30	0.02	0.00
		उस पर प्रावधान[2] Provision thereon[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1.01)	0.11	0.90	0.00	0.00	(1.01)	0.11	0.90	0.00	0.00
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्संरचित खाते Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	2	0	2	1	5	0	0	0	0	0	301	19	550	21	891	303	19	552	22	896
		बकाया राशि Amount outstanding	8.77	0.00	1457.56	67.14	1533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.02	0.14	780.35	17.20	895.71	106.79	0.14	2237.91	84.34	2429.18
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आकड़े*)[1] Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)[1]	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	6	0	6	4	16	0	0	0	0	0	4595	218	2590	90	7493	4601	218	2596	94	7509
		बकाया राशि Amount outstanding	107.37	0.00	159.74	53.47	320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2182.17	8.68	5870.19	324.14	8385.18	2289.54	8.68	6029.93	377.61	8705.76
		उस पर प्रावधान[2] Provision thereon[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.32	0.36	2.26	0.00	60.94	58.32	0.36	2.26	0.00	60.94

* मानक पुनर्संरचित अग्रिम जिन पर उच्चतर प्रावधान करने या जोखिम भार लगाने की जरूरत नहीं है, के आंकड़ों को छोड़कर (यदि लागू हों).

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

1. ₹ 2,429.18 करोड़ बकाया के 896 मामले बट्टे खाते में डाले गए/ वापस लिए गए/ चुकाए गए/ पुनर्संरचना असफल हुई/ऋण का आवंटन आदि. 31 मार्च 2021 को मौजूदा मामलों में शेष में परिवर्तन के कारण बकाया शेष राशि में ₹ 209.95 करोड़ की निवल गिरावट आई.
   896 Cases with outstanding ₹ 2,429.18 Crores were written off / revoked / repaid / restructuring failed / assignment of debt etc . There is net decrease in outstanding balance of ` 209.95 Crores due to movement in balances in existing cases as on March 31, 2021.
2. उन पर प्रावधान केवल उचित मूल्य में ह्रास के लिए किए गए प्रावधान को प्रतिबिंबित करता है.
   Provision thereon represents only provision made for diminution in fair value.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

5. **रिज़र्व बैंक के दिनांक 10 नवंबर 2016 के परिपत्र आरबीआई/2016-17/122 डीबीआर.सं. बीपी. बीसी. 34/21.04.132/2016-17 के अनुसार प्रकटन**
Disclosures as per RBI circular RBI/2016-17/122 DBR.No.BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated November 10, 2016

i. **मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन**

Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष और 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के दौरान लचीली संरचना का कोई मामला नहीं था.
There were no cases of flexible structuring during the year ended March 31, 2021 and the previous year ended March 31, 2020.

ii. **रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में गतिरोध अवधि के अंतर्गत हैं)**
Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना खातों का कोई ऐसा मामला नहीं था जो वर्तमान में 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 के दोनों अवधियों के गतिरोध अवधि के अंतर्गत हो.
There were no cases of strategic debt restructuring accounts which are currently under stand still period as on both, March 31, 2021 and March 31, 2020

iii. **एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन के संबंध में प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में गतिरोध अवधि के अधीन हैं)**
Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

एसडीआर योजना खातों से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन से संबन्धित कोई भी ऐसा मामला नहीं था जो वर्तमान में 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 के दोनों गतिरोध अवधियों के अंतर्गत हो.
There were no cases of change in ownership outside SDR scheme accounts which are currently under stand still period as on both, March 31, 2021 and March 31, 2020.

iv. **कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के संबंध में प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में गतिरोध अवधि के अधीन हैं)**
Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन से संबन्धित कोई भी ऐसा मामला नहीं था जो वर्तमान में 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 के दोनों गतिरोध अवधियों के अंतर्गत हो.
There were no cases of change in ownership of projects under implementation which are currently under stand still period as on both, March 31, 2021 and March 31, 2020.

v. **दबावग्रस्त आस्तियों की वहनीय संरचना (एस4ए) के लिए योजना पर प्रकटन**
Disclosures on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)

यथा 31 मार्च 2021 को: / As on March 31, 2021:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

आस्ति वर्गीकरण Asset Classification	खातों की संख्या जहां एस4ए योजना लागू है Number of Accounts- where S4A scheme has been applied	कुल बकाया राशि Aggregate Amount O/s	बकाया राशि Amount O/s		31 मार्च 2021 के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as on March 31, 2021
			भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक खाते / Standard Accounts	2	506.25	226.02	279.93	258.34
एनपीए / NPAs	2	699.67	447.30	252.37	699.67
कुल / TOTAL	**4**	**1,205.92**	**673.32**	**532.30**	**958.01**

सकल बकाया राशि में मानक आस्तियों के लिए ₹ 356.54 करोड़ और एनपीए के लिए ₹ 550.56 करोड़ की एनएफबी बकाया शामिल नहीं है.

The aggregate amount outstanding does not include NFB outstanding of ₹ 356.54 Crores for Standard Assets and ₹ 550.56 Crores for NPAs.

यथा 31 मार्च 2020 को: / As on March 31, 2020:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

आस्ति वर्गीकरण Asset Classification	खातों की संख्या जहां एस4ए योजना लागू है Number of Accounts- where S4A scheme has been applied	कुल बकाया राशि Aggregate Amount O/s	बकाया राशि Amount O/s		31 मार्च 2020 के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as on March 31, 2020
			भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक खाते Standard Accounts	3	884.85	381.82	503.03	374.32
एनपीए / NPAs	4	634.50	422.46	212.04	627.53
कुल / TOTAL	**7**	**1,519.35**	**804.28**	**715.07**	**1,001.85**

सकल बकाया राशि में मानक आस्तियों के लिए ₹ 1,036.50 करोड़ और एनपीए के लिए ₹ 171.21 करोड़ की एनएफबी बकाया शामिल नहीं है.

The aggregate amount outstanding does not include NFB outstanding of ₹ 1,036.50 Crores for Standard Assets and ₹ 171.21 Crores for NPAs.

6. **एमएसएमई क्षेत्र-अग्रिम समाधान योजनाओं की पुनर्संरचना लागू की गई**
MSME Sector-Restructuring of Advances Resolution Plans Implemented

एमएसएमई अग्रिमों के पुनर्संरचना से संबंधित आरबीआई के दिनांक 01 जनवरी 2019 के परिपत्र डीबीआर नं. बीपी. बीसी.18/21.04.048/2018-19 और दिनांक 11 फरवरी 2020 के आरबीआई / 2019-20/160/डीओआर.नं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 एवं दिनांक 06

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अगस्त 2020 के परिपत्र आरबीआई/2020-21/17 डीओआर. सं. बीपी.बीसी./4/21.04.048/2020-21 के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च 2021 तक ₹ 272.52 करोड़ (पिछले वर्ष: 31 मार्च 2020 तक ₹ 50.75 करोड़) की राशि के 3120 खातों (पिछले वर्ष: 502 खातों) को पुनर्संरचित किया.

In accordance with the RBI circular DBR No BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019 and RBI/2019-20/160 DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 & RBI/2020-21/17 DOR. No. BP.BC./4/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 on Restructuring of MSME Advances, the Bank has restructured 3120 accounts (Previous Year: 502 accounts) amounting to ₹ 272.52 Crores upto March 31, 2021 (Previous Year: ₹ 50.75 Crores upto March 31, 2020).

7. **दिनांक 07 जून 2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2018-2019/203डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार 'दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा' पर प्रकटन:**

Disclosure as per RBI Circular on 'Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets' Circular No: RBI/2018-2019/203DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 07, 2019

यथा 31 मार्च 2021: / As on March 31, 2021:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	आरपी कार्यान्वयन की स्थिति Status of RP Implementation	मामले Cases	बकाया शेष (एफ़बी) O/S Balance (FB+NFB)	कुल धारित प्रावधान Total Provision Held	विलंबित कार्यान्वयन हेतु प्रावधान (यदि कोई हो) Provision for Delayed Implementation (if any)
1	कार्यान्वित / Implemented	13	3,153.25	708.23	176.56
2	गैर-कार्यान्वित / Non implemented	19	12,208.40	11,265.66	502.41
	कुल / TOTAL	**32**	**15,361.65**	**11,973.89**	**678.97**

चालू वर्ष के प्रकटन में एनएफबी राशियां तथा एनएफबी राशि के प्रति प्रावधान शामिल हैं.

Current year disclosure includes NFB amounts and provision held against NFB amount.

यथा 31 मार्च 2020: / As on March 31, 2020:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	आरपी कार्यान्वयन की स्थिति Status of RP Implementation	मामले Cases	बकाया शेष (एफ़बी) O/S Balance (FB+NFB)	कुल धारित प्रावधान Total Provision Held	विलंबित कार्यान्वयन हेतु प्रावधान (यदि कोई हो) Provision for Delayed Implementation (if any)
1	कार्यान्वित / Implemented	11	3,979.00	843.00	0.00
2	गैर-कार्यान्वित / Non implemented	26	12,435.86	10,134.25	419.74
	कुल / TOTAL	**37**	**16,413.27**	**10,976.45**	**419.74**

8. **खरीदी / बेची गई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) (श्रेणी वार) का ब्योरा:**
Details of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) (category-wise) purchased/sold

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान: / During the year ended March 31, 2021:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	खरीदी गई राशि Purchased Amount	बेची गई राशि Sold Amount
पीएसएलसी - छोटे व सीमांत किसान (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	6,300.00	300.00
पीएसएलसी-कृषि / PSLC-Agriculture	200.00	5,400.00
पीएसएलसी-आम / PSLC-General	0.00	13,100.00
पीएसएलसी-माइक्रो इंटरप्राइझेस / PSLC-Micro Enterprises	0.00	3,601.50
कुल / TOTAL	**6,500.00**	**22,401.50**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान: / During the year ended March 31, 2020:

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	खरीदी गई राशि Purchased Amount	बेची गई राशि Sold amount
पीएसएलसी - छोटे व सीमांत किसान (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	9,800.00	0.00
पीएसएलसी-कृषि / PSLC-Agriculture	0.00	10,975.00
पीएसएलसी-आम / PSLC-General	2,738.50	11,000.00
पीएसएलसी-माइक्रो इंटरप्राइझेस / PSLC-Micro Enterprises	3,181.00	5,000.00
कुल / TOTAL	**15,719.50**	**26,975.00**

9. **प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में किए गए निवेश के बही मूल्य का प्रकटन**
Disclosure of Book Value of Investment in Security Receipts (SRs)

रिजर्व बैंक के दिनांक 1 सितंबर 2016 के परिपत्र आरबीआई/2016-17/56 डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.9/21.04.048/2016-17 के अनुसार बैंक द्वारा प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का प्रकटन निम्नानुसार है :

The following disclosures pertaining to investments in security receipts by the Bank as per RBI Circular RBI/2016-17/56 DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 1, 2016 is shown below.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटन: / Disclosure for year ended March 31, 2021:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	विवरण Particulars	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर SRs issued within past 5 years	5 वर्ष से अधिक समय पहले किन्तु पिछले 8 वर्षों के अंदर जारी किए गए एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्ष से अधिक समय पहले जारी किए गए एसआर SRs issued more than 8 years ago	कुल 31 मार्च 2021 Total March 31, 2021
(i)	बैंक द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	217.64	502.86	618.63	1,339.13
	(i) के प्रति धारित प्रावधान Provision held against (i)	143.14	407.31	618.63	1,169.08
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other Banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) के प्रति धारित प्रावधान Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (i) + (ii) / TOTAL (i) + (ii)	**217.64**	**502.86**	**618.63**	**1,339.13**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटन: / Disclosure for year ended March 31, 2020:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	विवरण Particulars	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर SRs issued within past 5 years	5 वर्ष से अधिक समय पहले किन्तु पिछले 8 वर्षों के अंदर जारी किए गए एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्ष से अधिक समय पहले जारी किए गए एसआर SRs issued more than 8 years ago	कुल 31 मार्च 2021 Total March 31, 2021
(i)	(i) बैंक द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	221.46	509.09	616.24	1,346.79
	(i) के प्रति धारित प्रावधान Provision held against (i)	124.78	340.10	616.24	1,081.12

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	विवरण Particulars	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर SRs issued within past 5 years	5 वर्ष से अधिक समय पहले किन्तु पिछले 8 वर्षों के अंदर जारी किए गए एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्ष से अधिक समय पहले जारी किए गए एसआर SRs issued more than 8 years ago	कुल 31 मार्च 2021 Total March 31, 2021
(ii)	(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other Banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) के प्रति धारित प्रावधान Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (i) + (ii) / TOTAL (i) + (ii)	**221.46**	**509.09**	**616.24**	**1,346.79**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	बैंक द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other Banks/ financial institutions/ non-Banking financial companies as underlying		कुल Total	
	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य Book value of investments in security receipts	1,339.13	1,346.79	शून्य Nil	शून्य Nil	1,339.13	1,346.79

10. आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
(i)	खातों की संख्या / No. of Accounts	9	3
(ii)	एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	97.73	शून्य Nil
(iii)	सकल प्रतिफल / Aggregate Consideration	408.74	210.43

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	15.53	7.07
(iv)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ /(हानि) Aggregate gain/(loss) over net book value	326.54	217.50

एनपीए की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा ₹ 311.01 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 210.43 करोड़) है.

The quantum of excess provision reversed to the Profit and Loss Account on account of sale of NPAs is ₹ 311.01 Crores (Previous Year: ₹ 210.43 Crores).

11. अन्य बैंक से खरीदी गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा
Details of non-performing financial assets purchased from other Banks

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.		मदें Items	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
(i)	(क) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं. No. of accounts purchased during the year	शून्य Nil	शून्य Nil
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil
(ii)	(क) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य Nil	शून्य Nil
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil

12. अन्य बैंकों को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे
Details of non-performing financial assets sold to other Banks

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	मदें Items	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
(i)	बेचे गए खातों की संख्या / No. of accounts sold	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ii)	कुल बकाया राशि / Aggregate outstanding	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iii)	प्राप्त कुल प्रतिफल / Aggregate consideration received	शून्य / Nil	शून्य / Nil

13. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision on Standard Asset

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

मदें Items	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
वर्ष के लिए मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provisions towards Standard Assets for the year	1,839.23	(727.67)

यथा 31.03.2021 के अनुसार संचयी प्रावधान बकाया (समुद्रपारीय शाखाओं के विनिमय अंतर सहित) ₹ 2,998.32 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 1,159.60 करोड़) है.

Cumulative provision outstanding (including exchange difference of Overseas Branches) as on March 31, 2021 is ₹ 2,998.32 Crores (Previous Year: ₹ 1,159.60 Crores).

14. रिज़र्व बैंक के 18 अप्रैल 2017 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.63 / 21.04.018 / 2016-17 और 01 अप्रैल 2019 के परिपत्र सं. आरबीआई / 2018-19 / 157 / डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32 / 21.04.018 / 2018-19 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन

Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs as per RBI Circular DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017 & RBI Circular No: RBI/2018-19/157 DBR.BP.BC. No.32/21.04.018/2018-19 Dated April 01, 2019

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां कहीं भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित अधिकतम सीमा से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त मूल्यांकित प्रावधानीकरण /अतिरिक्त एनपीए अधिक हो, बैंकों को अपने वित्तीय विवरणों के लिए लेखा नोटों में, भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक पर्यवेक्षकीय प्रक्रिया को ध्यान में रख कर, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का खुलासा करना जरूरी होता है. प्रावधान करने के लिए अधिकतम सीमा संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ का 10 प्रतिशत है या रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक है.

In terms of the RBI guidelines, banks are required to disclose the divergence in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever the additional provisioning assessed / additional gross NPAs identified by RBI exceeds the threshold specified by RBI. The threshold for provisioning is 10 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period or additional gross NPAs identified by RBI exceed 15 per cent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

उपर्युक्त के आधार पर 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में कोई रिपोर्ट करने योग्य विचलन नहीं था.

Based on the above, there was no reportable divergence in asset classification and provisioning for NPAs for the year ended March 31, 2021.

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटनः / Disclosure for the year ended March 31, 2020:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	राशि Amount
1	यथा 31 मार्च 2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	50,027.94
2	यथा 31 मार्च 2019 को रिजर्व बैंक द्वारा आकलित सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	51,043.94
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1) / Divergence in Gross NPAs (2-1)	1,016.00
4	यथा 31 मार्च 2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	14,837.44
5	यथा 31 मार्च 2019 को रिजर्व बैंक द्वारा आकलित निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	15,474.95
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4) / Divergence in Net NPAs (5-4)	637.51
7	यथा 31 मार्च 2019 को बैंक द्वारा एनपीए के लिए रिपोर्ट किए गए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	35,190.49
8	यथा 31 मार्च 2019 को रिजर्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	35,568.98
9	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7) Divergence in provisioning (8-7)	378.49
10	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात् निवल लाभ/ (हानि) Reported Net Profit /(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2019	(15,116.29)
11	प्रावधानीकरण में विचलन को गणना में शामिल करने के बाद 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात् समायोजित (आनुमानिक) निवल लाभ /(हानि) # Adjusted (notional) Net Profit/(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2019 after taking into account the divergence in provisioning	(15,362.52)

15. आरबीआई के कोविद -19 विनियामक पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान विषयक दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. आरबीआई / 2019-20 / 220 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.63 / 21.04.048 / 2019-20 के अनुसार प्रकटीकरण:

Disclosure as per RBI circular No. RBI/2019-20/220 DOR.No.BP.BC.63/ 21.04.048 / 2019-20 dated April 17, 2020 on Covid-19 Regulatory package - Asset classification and provisioning:

कोविड-19 के लिए जिम्मेदार एसएआरएस-कोव 2 वायरस के परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय बाजारों और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट और अस्थिरता आई है. लॉकडाउन के कार्यान्वयन और इसकी अवधि बढ़ाने से व्यवसाय और आम जीवन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है. बैंक

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ग्राहकों की संभावित चूकों में वृद्धि और प्रावधानीकरण आवश्यकताओं में वृद्धि की संभावना सहित कोविड द्वारा लगाई गई चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी मोर्चों पर अपनी तैयारी कर रहा है. मार्च 2021 के मध्य से कोविड की दूसरी लहर फिर से कई राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के संकेत दे रही है, जहां महामारी अधिक गंभीर है और स्थिति में सुधार न होने की स्थिति में लॉकडाउन के बढ़ने की संभावना है. बैंक की पूंजी और तरलता की स्थिति मजबूत है और इस अवधि के दौरान बैंक के लिए यह फोकस क्षेत्र बना रहेगा.

The SARS-CoV2 virus responsible for COVID-19 has resulted in a significant decline and volatility in global and Indian markets and economic activity. Implementation of lockdown and its extensions have resulted in disruptions of business and common life. The Bank is gearing itself on all fronts to meet the challenges imposed by COVID including the likelihood of rise in customer defaults and an increase in provisioning requirements. The second wave of COVID from mid of March 2021 is again threatening to disrupt the economic activities in many states, where the pandemic is more severe with possibilities of lockdown getting extended in case the situation does not improve. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank during this period.

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दिनांक 17 अप्रैल 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन निम्नानुसार है:

The disclosures as required under RBI circular dated April 17, 2020 for the year ended March 31, 2021 is given below:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशि, जहां पैराग्राफ 2 और 3 के संदर्भ में अधिस्थगन/स्थगन बढ़ाया गया था (यथा 31 मार्च 2020)[1] Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended, in terms of paragraph 2 and 3 (As on March 31, 2020)[1]	4,930.00
(ii)	संबंधित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान गया है[2] Respective amount where asset classification benefits is extended[2]	1,372.99
(iii)	31 मार्च 2021 तक किए गए प्रावधान[3] / Provisions made as on March 31, 2021[3]	363.00
(iv)	पैरा 6 के अनुसार संबंधित लेखा अवधि के दौरान गिरावट के प्रति समायोजित प्रावधान और शेष प्रावधान. Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions in terms of paragraph 6.	शून्य Nil
(v)	उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 6 के अनुसार 31 मार्च 2021 तक शेष प्रावधान Residual provisions as of March 31, 2021 in terms of paragraph 6 of the circular	363.00

1. उन उधारकर्ताओं को दर्शाता है जो 29 फरवरी 2020 को अतिदेय लेकिन मानक थे और 31 मार्च 2020 तक अतिदेय बने रहे.
   Represents borrowers which were overdue but standard at February 29, 2020 and continued to be overdue till March 31, 2020.
2. यथा 30 सितंबर 2020 की स्थिति. / As on September 30, 2020.
3. 31 मार्च 2021 को कोविड-19 से संबंधित ₹ 863 करोड़ के प्रावधान धारित हैं जिसमें से ₹ 363 करोड़ अधिस्थगन के तहत ऋण के प्रावधान के रूप में हैं.
   Total COVID-19 related provision held at March 31, 2021: ₹ 863 Crores of which ₹ 363 Crores represents provision for loans under moratorium

16. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र डीओआर.सं.बीपी. बीसी.62/21.04.048/2019-20 के अनुसार यथा 31 मार्च 2021 की स्थिति का प्रकटन

Disclosures as per the RBI circular DOR. No.BP.BC.62/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 as on March 31, 2021

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

(i)	उन खातों की संख्या जिनमें समाधान अवधि बढ़ाई गई थी No. of accounts in which resolution period was extended	4
(ii)	निधि आधारित बकाया राशि Fund Based Amount O/s	830.81

17. **'कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र सं. आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं.बीपी.बीसी/ 3/21.04.048/2020-21 के अनुसार प्रकटन**

Disclosure as per RBI circular No. RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 on 'Resolution Framework for COVID-19 related stress'

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

उधारकर्ता प्रकार Type of Borrower	(अ) उन खातों की संख्या जहां इस विंडो के तहत समाधान योजना लागू की गई है (A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	(आ) योजना के कार्यान्वयन से पहले (अ) में उल्लिखित खातों के प्रति एक्सपोजर (B) Exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan	(इ) (आ) में से ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था (C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities	(ई) योजना लागू करने और कार्यान्वयन के बीच सहित अतिरिक्त निधीयन की मंजूरी, यदि कोई हो (D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	(उ) समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में हुई वृद्धि (E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	3,335	734.01	Nil	Nil	73.40
कॉरपोरेट व्यक्ति * Corporate Persons*	1	1,500.00	Nil	1.80	3.00
इनमें से Of which					
एमएसएमई / MSMEs	-	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-	-
कुल / **TOTAL**	**3,356**	**2,234.01**	**Nil**	**1.80**	**76.40**

** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में दी गई परिभाषा के अनुसार*
**As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016*

18. **'कोविड -19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय पहचान' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 अप्रैल 2021 के परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 के अनुसार प्रकटन**

Disclosure as per RBI circular No. RBI/2021-22/17 DOR.STR.REC.4/21.04.048/2021-22 dated April 07, 2021 on 'Asset Classification and Income Recognition following the expiry of Covid-19 regulatory package'

आरबीआई की दिनांक 7 अप्रैल 2021 की अधिसूचना डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4 / 21.04.048 / 2021-22 के अनुसार, बैंक को 'ब्याज पर ब्याज' की राशि को उधारकर्ताओं को वापस/समायोजित करना होगा. ब्याज पर ब्याज की इस तरह की गणना के लिए कार्यप्रणाली हाल ही में भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित की गई है. बैंक इसे लागू करने की प्रक्रिया में है. 31 मार्च 2021 को बैंक ने अनुमानित ब्याज वापसी के प्रति ₹ 188.94 करोड़ की देनदारी सृजित की और इसे ब्याज आय से घटा दिया गया है.

In accordance with the RBI notification DOR.STR.REC.4/21.04.048 /2021-22 dated April 7, 2021, the Bank is required to refund / adjust 'interest on interest' to borrowers. The methodology for calculation of such interest on interest has been recently circulated by Indian Bank's Association. The Bank is in process of implementing the same. At March 31, 2021 the Bank has created liability of ₹ 188.94 Crores towards estimated interest refund and reduced same from interest income.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XI. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण / Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs

1. जमाराशियों का संकेंद्रण / Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	19,336	19,944
बैंक की कुल जमाराशियां / Total Deposits of the Bank	2,30,898	2,22,424
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	8.37%	8.97%

2. अग्रिमों का संकेंद्रण / Concentration of Advances

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	42,000	43,693
कुल अग्रिम / Total Advances	2,10,922	2,19,023
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	19.91%	19.95%

3. एक्सपोजर का संकेंद्रण * / Concentration of Exposures*

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	46,802	50,422
कुल एक्सपोजर / Total Exposure	2,72,811	2,89,944
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	17.16%	17.39%

** 1 जुलाई 2015 के आरबीआई एक्सपोजर मानदंडों के आधार पर*

** Based on RBI Exposure Norms dated July 1, 2015*

4. एनपीए का संकेंद्रण / Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
चार शीर्ष एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर* Total Exposure to top four NPA accounts*	13,392	13,848

** उपरोक्त आंकड़ों में ब्याज की अतिदेय राशि शामिल नहीं है.*

** Above figures do not include interest overdue amount.*

XII. क्षेत्र-वार अग्रिम / Sector-wise Advances

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021 कुल सकल अग्रिम Total Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	31 मार्च 2020 March 31, 2020 कुल सकल अग्रिम Total Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
अ A	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector**						
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	17,929	1,786	9.96%	16,649	1,638	9.84%
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उधार के लिए पात्र औद्योगिक क्षेत्रों को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	6,376	1,170	18.35%	7,240	1,295	17.89%
3	सेवाएं / Services	20,720	1,922	9.28%	19,385	1,870	9.65%
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	21,982	231	1.05%	21,380	241	1.13%
	कुल योग (अ) Sub-total (A)	**67,007**	**5,109**	**7.62%**	**64,654**	**5,045**	**7.80%**
आ B	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector**						
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	72	22	30.56%	63	22	34.74%
2	उद्योग क्षेत्र में अग्रिम Advances to industries sector	50,321	23,168	46.04%	60,942	34,070	55.91%
3	सेवाएं / Services	6,334	4,155	65.60%	7,549	4,311	57.11%
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	30,912	449	1.45%	28,560	370	1.30%
5	अन्य / Others	7,255	3,309	45.61%	9,921	3,455	34.82%
	कुल योग (आ) Sub-total (B)	**94,894**	**31,103**	**32.78%**	**1,07,036**	**42,228**	**39.45%**
	कुल (अ+आ) TOTAL (A+B)	**1,61,901**	**36,212**	**22.37%**	**1,71,690**	**47,273**	**27.53%**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XIII. समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए और राजस्व / Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
कुल आस्तियां / Total Assets	2,650.56	9,605.84
कुल एनपीए (निवल) / Total NPAs (Net)	1,497.94	1,837.74
कुल राजस्व / Total Revenue	197.79	550.38

उपर्युक्त आंकड़े डीआईएफसी (यूएई) तथा गिफ्ट सिटी शाखाओं के हैं.
The above figures are of DIFC (UAE) & GIFT City branches.

XIV. अंतर-समूह एक्सपोजर / Intra-Group Exposure

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sl. No.	मदें Items	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
(क) (a)	अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of intra-group exposures	3,054.23	2,971.43
(ख) (b)	शीर्ष 20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि* Total amount of top-20 intra-group exposures*	3,054.23	2,971.43
(ग) (c)	ऋणदाताओं/ ग्राहक पर बैंक के कुल एक्सपोजर के प्रति अंतर समूह एक्सपोजर का प्रतिशत ** Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers**	1.12%	1.02%
(घ) (d)	अंतर-समूह एक्सपोजर पर सीमा उल्लंघन का वर्णन और इस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	शून्त Nil	शून्य Nil

** आईडीबीआई बैंक की 10 समूह संस्थाएं हैं जिनमें आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर धारिता 20% से अधिक है.*
** Total Group entities of IDBI Bank are 10 where IDBI Bank is holding more than 20% equity shareholding.*

*** बैंक का कुल एक्सपोजर ₹ 2,72,811.29 करोड़ है (पिछले वर्ष: ₹ 2,89,943.90 करोड़).*
***Total committed exposure of Bank is ₹ 2,72,811.29 Crores (Previous Year: ₹ 2,89,943.90 Crores).*

XV. कारोबार अनुपात / Business Ratios

क्रम सं. Sl. No.	मदें Items	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय$ Interest income as a percentage to working funds$	6.72%	6.88%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	1.56%	1.48%
3	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ$ Operating profit as a percentage to working funds$	2.39%	1.69%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्रम सं. Sl. No.	मदें Items	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
4	आस्तियों पर प्रतिलाभ@ / Return on assets@	0.46%	(4.26%)
5	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशियां तथा अग्रिम)# [₹ करोड़ में] Business (Deposits plus advances) per employee# [₹ in Crores]	19.66	18.51
6	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) [₹ करोड़ में] Profit/ (loss) per employee [₹ in Crores]	0.08	(0.73)

$ कार्यशील निधियों की गणना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान रिपोर्ट किए गए के औसत (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हों) तथा दुबई शाखा की कुल आस्तियों के औसत (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हों) द्वारा की जाती है.

$ Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year and average of total assets (excluding accumulated losses, if any) of Dubai branch.

@आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् कुल आस्तियां, इनमें संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के संदर्भ में है.

@ Return on Assets is with reference to working funds (i.e. average of total assets excluding accumulated losses, if any)

 # प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां एवं अग्रिम) की गणना के प्रयोजन के लिए अंतर बैंक जमाराशियां छोड़ दी गई हैं.

 # For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances) interbank deposits are excluded.

XVI. आस्ति देयता प्रबंध / Asset Liability Management

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप यथा 31 मार्च 2021

Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on March 31, 2021

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	कुल Total
जमाराशि [1] Deposits [1]	2,084	7,115	6,373	5,786	5,581	3,984	15,622	27,413	131,964	12,201	12,775	230,898
अग्रिम [1] Advances [1]	653	1,347	1,653	709	1,905	3,943	5,682	7,692	44,882	11,576	48,108	128,150
निवेश Investments	17,343	9,505	6	7	380	520	430	629	1,819	3,994	46,391	81,023
उधार [1] Borrowings [1]	-	933	12	-	439	22	484	3,308	1,759	6,350	2,601	15,908
विदेशी मुद्रा आस्तियां [2] Foreign Currency assets [2]	702	8,340	1,011	7,193	3,102	20,198	34,646	4,836	1,503	51	2,928	84,510
विदेशी मुद्रा देयताएं [3] Foreign Currency Liabilities [3]	11	6,990	84	8,729	1,285	21,763	41,623	6,189	659	423	10,765	98,522

1. इनमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.
Includes foreign currency balances.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं।
Includes foreign currency-Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.
3. इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया विक्रय- क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं।
Includes foreign currency-Rupee sell–buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप यथा 31 मार्च 2020
Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on March 31, 2020

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन से व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	कुल Total
जमाराशि [1] Deposits [1]	2,591	8,356	5,632	5,448	7,370	6,499	15,080	27,684	1,19,837	10,637	13,291	2,22,424
अग्रिम [1] Advances [1]	617	901	1,053	695	1,104	3,378	3,647	7,813	49,679	15,129	45,824	1,29,842
निवेश Investments	16,700	8,781	6	19	22	162	279	678	377	2,094	52,663	81,780
उधार [1] Borrowings [1]	-	1,088	11	2,675	204	461	758	5,792	12,966	4,385	8,409	36,749
विदेशी मुद्रा आस्तियां [2] Foreign Currency assets [2]	15,077	6,122	465	6,903	1,782	2,705	2,577	4,915	3,272	447	1,588	45,853
विदेशी मुद्रा देयताएं [3] Foreign Currency Liabilities [3]	16	11,674	36	5,453	5,293	4,878	5,692	6,987	2,003	694	15,373	58,098

1. इनमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं।
Includes foreign currency balances.
2. इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं।
Includes foreign currency-Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.
3. इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया विक्रय-क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं।
Includes foreign currency-Rupee sell–buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

XVII. एक्सपोजर / Exposure

1. संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर / Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

श्रेणी Category	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
1. प्रत्यक्ष ऋण सहायता / Direct exposure	59,631.60	59,359.69
(क) (a) आवासीय बंधक - Residential Mortgages –	57,889.06	57,729.33
आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	57,889.06	57,729.33
उपर्युक्त में से ₹ 20 लाख तक के वैयक्तिक ऋण Of above individual having loans upto ₹ 20 Lakh	13,878.77	15,643.59

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

श्रेणी Category		31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
(ख) (b)	वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र - Commercial Real Estate –	1,742.54	1,630.36
	वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lendings secured by mortgages on commercial real estates	1,189.29	1,089.22
	उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	271.67	251.67
(ग) (c)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण सहायता- Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –	शून्य Nil	शून्य Nil
	क. आवासीय, a. Residential,	शून्य Nil	शून्य Nil
	ख. वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र b. Commercial Real Estate	शून्य Nil	शून्य Nil
2.	अप्रत्यक्ष ऋण सहायता / Indirect Exposure	1,722.79	2,181.66
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सहायता Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) of the above Non-fund based exposures on	1,704.85	2,150.32
	उपर्युक्त में से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर गैर-निधि आधारित ऋण सहायता National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	शून्य Nil	शून्य Nil
	कोई अन्य-अप्रत्यक्ष एक्सपोजर / Any other - Indirect Exposure	17.94	31.34
	कुल / TOTAL	**61,354.39**	**61,541.35**

2. **पूंजी बाज़ार में एक्सपोजर / Exposure to Capital Market**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	311.38	311.75
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या अप्रतिभूत आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	295.51	319.97

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	शून्य Nil	शून्य Nil
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है; Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	1.75	2.00
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	120.10	105.00
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर अथवा अप्रतिभूत आधार पर कॉरपोरेट को मंजूर ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter`s contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	शून्य Nil	शून्य Nil
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	शून्य Nil	शून्य Nil
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	शून्य Nil	शून्य Nil
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	शून्य Nil	शून्य Nil
(x)	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में सभी एक्सपोजर इक्विटी के समान समझे जाएंगे. अतः पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, दोनों) के अनुपालन के लिए इनको हिसाब में लिया जाएगा. All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceiling (both direct and indirect)	89.00	115.03

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
(xi)	स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में अभिरक्षक बैंकों द्वारा जारी अप्रतिसंहरणीय भुगतान वचनबद्धताएं Irrevocable Payment Commitments issued by custodian Banks in favour of stock exchanges.	शून्य Nil	शून्य Nil
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर Total Exposure to Capital Market	**817.74**	**853.75**

पूंजी बाजार एक्सपोजर पर विनियामकीय सीमा /पाबंदी से छूट प्राप्त ऋणों की इक्विटी में संपरिवर्तन के कारण इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण का प्रकटन
Disclosure of Acquisitions of Equity Shares due to conversion from Debt to Equity exempted from Regulatory Ceilings/Restrictions on Capital Market Exposure Position

	पुनर्संरचना प्रकार Types of Restructuring	पुनर्संरचना के अधीन (सीडीआर तंत्र) Under Restructuring (CDR Mechanism)
यथा 31 मार्च 2021 तक पुनर्संरचित किए गए खाते Restructured Accounts as on March 31, 2021	उधारकर्ताओं की संख्या Number of Borrowers	33
	बकाया राशि (₹ करोड़ में) Amount Outstanding (₹ in Crores)	196.67
यथा 31 मार्च 2020 तक पुनर्संरचित किए गए खाते Restructured Accounts as on March 31,2020	उधारकर्ताओं की संख्या Number of Borrowers	40
	बकाया राशि (₹ करोड़ में) Amount Outstanding (₹ in Crores)	299.62

3. **जोखिम श्रेणी-वार देश में एक्सपोजर**
Risk Category Wise Country Exposure

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2021 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2021	31 मार्च 2021 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2021	31 मार्च 2020 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2020	31 मार्च 2020 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2020
निम्न / Insignificant	2,045.95	शून्य / Nil	2,815.75	शून्य / Nil
मध्यम / Low	1,987.91	शून्य / Nil	2,969.46	शून्य / Nil
मध्यम / Moderate	41.16	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
उच्च / High	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अति उच्च / Very High	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
नियंत्रित / Restricted	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ऑफ-क्रेडिट / Off-credit	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / TOTAL	**4,075.02**	**शून्य / Nil**	**5,785.21**	**शून्य / Nil**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. **विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं / Prudential Exposure Limits**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटनः / Disclosure for the year ended March 31, 2021:

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के एकल उधारकर्ताओं और संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के एक्सपोजरों के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ. एकल उधारकर्ताओं और समूह उधारकर्ताओं के संबंध में बैंक का एक्सपोजर, पात्र पूंजी आधार अथार्त् रिजर्व बैंक के बड़े एक्सपोजर मानदंडों (निवल लेखांकन मूल्य अवधारणा) के अंतर्गत निर्धारित टियर I पूंजी निधि का 20% से 30% के विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के भीतर रहा.

During the year ended March 31, 2021, there were no breaches in respect of single borrowers and group of connected counterparties exposures of the Bank. Exposures to single counterparty borrower and group of connected counterparties were within the prudential exposure limits of 20% and 30% of eligible capital base i.e. Tier I Capital as prescribed under the Large Exposure norms (net accounting value concept) of RBI.

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटनः / Disclosure for the year ended March 31, 2020:

अ) एनबीएफसी (स्वर्ण ऋण कंपनियों को छोड़कर) :

A) NBFC (Excluding Gold Loan Companies) :

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. / Nil breaches during the year ended March 31, 2020.

आ) सामान्य:

B) General :

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ताओं और समूह उधारकर्ताओं के संबंध में बैंक का एक्सपोजर, निम्न उल्लिखित मामलों को छोड़कर पात्र पूंजी आधार अथार्त् रिजर्व बैंक के बड़े एक्सपोजर मानदंडों के अंतर्गत निर्धारित टियर I पूंजी निधि का 20% से 25% के विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के भीतर रहाः

During the year ended March 31, 2020, the Bank's exposure to single borrower and group borrowers were within the prudential exposure limits of 20% and 25% of eligible capital base i.e. Tier I Capital as prescribed under the Large Exposure norms of RBI, except in the below mentioned cases :

	एकल / समूह उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower/ group	कुल प्रतिबद्ध एक्सपोजर टियर I कैपिटल के % में Total Committed Exposure as % of Tier I Capital	कुल बकाया टियर I कैपिटल के % में Total Outstanding as % of Tier I Capital
(i)	एकल उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower		
	वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स लिमिटेड * / Videocon Oil Ventures Limited*	27.60%	27.36%
	एस्सार स्टील लिमिटेड * / Essar Steel Limited*	22.99%	13.26%
	जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड * / Jaypee Infratech Limited*	22.38%	22.38%
	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड / Bharat Heavy Electrical Limited	20.46%	19.65%
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड / Rashtriya Ispat Nigam Limited	20.31%	6.24%
	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड / Steel Authority of India Limited	20.29%	1.92%
	लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड * / Larsen & Toubro Limited*	20.27%	18.12%
(ii)	समूह का नाम / Name of the group		
	वीडियोकॉन ग्रुप * / Videocon Group*	55.75%	51.54%
	जयप्रकाश समूह * / Jaiprakash Group*	44.78%	42.99%
	एस्सार ग्रुप * / Essar Group*	40.29%	21.50%
	रिलायंस (मुकेश) ग्रुप * / Reliance (Mukesh) Group*	34.27%	24.66%

** वर्ष के दौरान पाए गए बहु उल्लंघनों के मामलों में, अधिकतम पाए गए उल्लंघनों और तदनुरूपी बकाया प्रतिशत के बारे में रिपोर्ट की गयी है.*

** In case of multiple breaches observed during the year, the maximum breach observed and corresponding outstanding percentage have been reported.*

XVIII. लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गये 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विवरण

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
निवेश पर मूल्यह्रास का प्रावधान Provision for depreciation on Investment	2,077.75	1,696.73
एनपीए की ओर प्रावधान / Provision towards NPA	(2,570.53)	9,483.03
मानक संपत्ति की ओर प्रावधान Provision towards Standard Asset	1,839.23	(727.67)
पुनर्गठन परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान (एफ़आईटीएल सहित) Provision for Restructured Assets (including FITL)	38.40	(176.98)
करों के लिए किए गए प्रावधान / Provision made towards Taxes	(299.52)	0.00
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	1,308.68	3,919.90
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	2,888.19	2,740.16
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं* / Other Provision and Contingencies *	449.12	1,064.17
कुल / TOTAL	**5,731.32**	**17,999.34**

** अन्य प्रावधान और आकस्मिकताओं में अन्य बातों के साथ-साथ गैर-निधि आधारित सीमा पर आईसीए (एनपीए मामलों) के लिए ₹ 285.18 करोड़ (पिछले वर्षः ₹ शून्य) का प्रावधान शामिल है.*

** Other Provision and Contingencies inter alia includes provision for ICA (NPA cases) on Non fund based limit ₹ 285.18 Crores (Previous Year: ₹ Nil)*

XIX. अप्रतिभूत अग्रिम / Unsecured Advance

उन अग्रिमों की कुल राशियाँ जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं ₹ शून्य (पिछले वर्षः ₹ शून्य) है तथा दिनांक 31 मार्च 2021 तक अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य ₹ शून्य (पिछले वर्षः ₹ शून्य) है.

Total amount of unsecured advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken is ₹ Nil (Previous Year: ₹ Nil) and the estimated value of intangible security as on March 31, 2021 is ₹ Nil (Previous Year: ₹ Nil).

XX. अस्थायी प्रावधान / Floating Provisions

बैंक ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों और निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं किया है. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, अस्थायी प्रावधान की राशि ₹ शून्य (पिछला वर्षः ₹ शून्य) है.

The Bank has not made any floating provision for bad and doubtful advances and investments during the current year and previous year. As on March 31, 2021, the balance of floating provision held is ₹ Nil (Previous Year: ₹ Nil).

XXI. वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले और किए गए प्रावधान:

Fraud Reported and Provision made during the Year :

दिनांक 18 जनवरी 2016 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर.नंबर.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 के अनुसार प्रावधान मानदंडों में संशोधन के कारण धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान.

Provisioning pertaining to fraud accounts due to amendment in provisioning norms as per RBI Circular no. RBI/2015-16/376 DBR. No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated January 18, 2016.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटन: / Disclosure for the year ended March 31, 2021:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या No. of Fraud cases reported during the FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी में शामिल राशि Amount involved in fraud reported during the FY 2020-21	31 मार्च 2021 को प्रावधान की मात्रा* Quantum of Provision as on March 31, 2021*	अन्य आरक्षित निधियों से नामे किए गए गैर-परिशोधित प्रावधानों की मात्रा Quantum of Un-amortised Provisions debited from other reserves
उधारकर्ता / Borrower	202	6588.58	6536.50	NA
गैर-उधारकर्ता / Non-Borrower	1883	26.79	20.12	NA
कुल / TOTAL	**2085**	**6615.37**	**6556.62**	**NA**

** राशि यथा 31 मार्च 2021 को बकाया मूलधन शेष पर धारित कुल प्रावधान को दर्शाती है.*

**Amount indicates total provision held on o/s principal balance as on March 31, 2021*

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटन: / Disclosure for the year ended March 31, 2020:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या No. of Fraud cases reported during the FY 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी में शामिल राशि Amount involved in fraud reported during the FY 2019-20	31 मार्च 2020 को प्रावधान की मात्रा* Quantum of Provision as on March 31, 2020*	अन्य आरक्षित निधियों से नामे किए गए गैर-परिशोधित प्रावधानों की मात्रा Quantum of Un-amortised Provisions debited from other reserves
उधारकर्ता / Borrower	214	9,233.33	9,174.04	लागू नहीं / NA
गैर-उधारकर्ता / Non-Borrower	1,904	17.31	5.86	लागू नहीं / NA
कुल / TOTAL	**2,118**	**9,250.64**	**9,179.90**	**लागू नहीं / NA**

** राशि यथा 31 मार्च 2020 को बकाया मूलधन शेष पर धारित कुल प्रावधान को दर्शाती है.*

**Amount indicates total provision held on o/s principal balance as on March 31, 2020*

XXII. आरक्षित निधि से आहरण / Draw Down from Reserves

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sl. No.	आरक्षित निधि Reserves	2020-21	2019-20	उद्देश्य Purpose
1	सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserve	शून्य / Nil	शून्य / Nil	लागू नहीं / NA

XXIII. शिकायतों/पुरस्कारों का प्रकटन: / Disclosure of Complaints/Awards:

'बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना' पर दिनांक 27 जून 2021 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2020-21/87 सीईपीडी.सीओ.पीआरडी. सीआईआर.सं.01 /13.01.013 /2020-21 के अनुसार प्रकटन

Disclosure as per RBI Circular No. RBI/2020-21/87 CEPD.CO.PRD. Cir.No. 01 / 13.01.013/ 2020-21 dated Jan 27, 2021 on 'Strengthening of Grievance Redress Mechanism in Banks'

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

नीचे दिए गए प्रकटन समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित किए गए हैं
The below disclosures have been attested by the concurrent auditors.

ग्राहकों से और बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों (ओबीओ) से बैंक को प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी:
Summary information on complaints received by the Bank from customers and from the Offices of Banking Ombudsman (OBOs):

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particular	चालू वर्ष 31 मार्च 2021 Current Year March 31, 2021	पिछला वर्ष 31 मार्च 2020 Previous Year March 31, 2020
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें **Complaints received by the bank from its customers**		
1	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	285	1618
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	74,063	1,00,642
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	73,458	1,01,975
	3.1 जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	678	332
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	890	285
	ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें **Maintainable complaints received by the bank from OBOs**		
5	ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the Bank from OBOs	2,813	1,855
	5.1 5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	2,236	1,637
	5.2 5 में से, बीओ द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/ advisories issued by BOs	577	218
	5.3 5 में से, बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank	शून्य Nil	शून्य Nil
6	निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील वाले मामलों के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	शून्य Nil	शून्य Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार:

Top five grounds of complaints received by the Bank from customers:

शिकायतों के आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित थीं) **Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)**	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या **Number of complaints pending at the beginning of the year**	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या **Number of complaints received during the year**	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या के % में वृद्धि / कमी **% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year**	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या **Number of complaints pending at the end of the year**	कॉलम 5 में से, 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहीं शिकायतों की संख्या **Of 5, number of complaints pending beyond 30 days**
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21) / Current Year (FY 2020-21)					
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	98	55,202	-32.36	373	शून्य Nil
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/mobile/Electronic Banking	78	6,543	-5.71	44	शून्य Nil
खाता खोलना/खातों के परिचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of accounts	61	4,040	-25.07	77	शून्य Nil
ऋण और अग्रिम Loans and advances	31	2,851	50.29	87	शून्य Nil
बिना किसी पूर्व सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क/फोरक्लोज़र शुल्क Levy of charges without prior notice/excessive charges/ foreclosure charges	7	335	7.03	11	शून्य Nil
अन्य / Others	10	5,092	17.25	298	शून्य / Nil
कुल / TOTAL	**285**	**74,063**	**-26.41**	**890**	**शून्य / Nil**
पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20) Previous Year (FY 2019-20)					
एटीएम/डेबिट कार्ड / ATM/Debit Cards	1,461	81,614	-8.69	98	1
खाता खोलना/खातों के परिचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of accounts	46	5,392	-3.66	61	2
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/mobile/Electronic Banking	33	6,939	73.22	78	शून्य Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

शिकायतों के आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित थीं) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या के % में वृद्धि / कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	कॉलम 5 में से, 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहीं शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
ऋण और अग्रिम Loans and advances	33	1,897	48.20	31	1
चेक/ड्राफ्ट/बिल Cheques/drafts/bills	12	457	-29.80	1	शून्य / Nil
अन्य / Others	33	4,343	-27.53	16	1
कुल / TOTAL	**1,618**	**1,00,642**	**-5.86**	**285**	**5**

उपरोक्त सारांश में आयकर, सीबीआई और सतर्कता विभाग से प्राप्त शिकायतें शामिल नहीं हैं. इसके अलावा, ग्राहक सेवा पर आरबीआई मास्टर सर्कुलर के अनुसार, अगले कार्य दिवस के भीतर समाधान की गई शिकायतों को उपरोक्त सारांश में शामिल नहीं किया जाता है. बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के संबंध में 27 जनवरी 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार डेटा को संरेखित किया गया है.
The above summary does not include complaints from Income Tax, CBI, and Vigilance. Further, as per RBI master circular on Customer Service, complaints resolved within the next working day are excluded from the above summary. The data has been aligned according to the circular issued by Reserve Bank of India on January 27, 2021 regarding Strengthening of Grievance Redress Mechanism in Banks.

एटीएम लेनदेनों के संबंध में ग्राहक शिकायतें / Customer Complaints on Account of ATM Transactions

नीचे दिए गए प्रकटन समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित किए गए हैं:
The below disclosures have been attested by the concurrent auditors

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
I	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	83	1,427
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	56,302	78,652
iii	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	56,033	79,996
iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	352	83

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXIV. प्रायोजित तुलन-पत्र बाह्य एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है)
Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटनः / Disclosure for the year ended March 31, 2021:

प्रायोजित एसपीवी का नाम / Name of the SPV sponsored	
देशी/ Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य / Nil	शून्य / Nil

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटनः / Disclosure for the year ended March 31, 2020:

प्रायोजित एसपीवी का नाम / Name of the SPV sponsored	
देशी/ Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य / Nil	शून्य / Nil

XXV. प्रतिभूतीकरण / Securitisation

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particular	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2021 सं. / राशि No. / Amount	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2020 सं. / राशि No. / Amount
1.	प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या* No of SPVs sponsored by the Bank for securitisation transactions*	शून्य Nil	शून्य Nil
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total Amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	शून्य Nil	शून्य Nil
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमएमआर के अनुपालन के संबंध में बैंक द्वारा धारित कुल एक्सपोजर राशि Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य Nil	शून्य Nil
	क) a) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर Off balance Sheet Exposure	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रथम हानि / /First Loss	शून्य/ /Nil	शून्य / Nil
	अन्य / Others	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ख) b) तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर On-balance sheet exposures	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रथम हानि / /First Loss	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	अन्य / Others	शून्य / Nil	शून्य / Nil

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particular	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2021 सं. / राशि No. / Amount	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2020 सं. / राशि No. / Amount
4.	एमएमआर से इतर प्रतिभूति लेनदेन में एक्सपोजर राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	शून्य Nil	शून्य Nil
	क) a) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर Off-balance sheet exposures	शून्य Nil	शून्य Nil
	i) अपने प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to own securitizations	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रथम हानि / /First Loss	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	अन्य / Others	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations	शून्य / Nil	शून्य Nil
	प्रथम हानि / /First Loss	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	अन्य (द्वितीय हानि ऋण सुविधा) Others (second loss credit facility)	शून्य Nil	शून्य Nil
	ख) b) तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर On-balance sheet exposures	शून्य Nil	शून्य Nil
	i) अपने प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to own securitisations	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रथम हानि / /First Loss	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	अन्य / Others	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रथम हानि / First Loss	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	अन्य (चलनिधि सुविधा) / Others (liquidity facility)	शून्य / Nil	शून्य / Nil

** यहाँ केवल बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी की रिपोर्टिंग की गई है.*
**Only the SPVs relating to outstanding securitisation transactions are reported here*

XXVI. बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त चालू वर्ष और 31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है.

The Bank has not issued letter of comfort during the current year ended March 31, 2021 and the previous year ended March 31, 2020.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXVII. बैंक बीमा कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क तथा पारिश्रमिक: Fees and Remuneration in respect of Bancassurance Business:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particular	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.*	14.79	26.04
भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	61.73	40.04
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	शून्य / Nil	4.41
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड TATA AIG General Insurance Co. Ltd.	8.29	5.24
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी / New India Assurance Co.	3.05	1.46
मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस / Max Bupa Health Insurance	4.71	1.75
कुल / TOTAL	**92.57**	**78.94**

(पहले आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।)

(Earlier known as IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.)

XXVIII. दंड का प्रकटन / Disclosure on Penalty

वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा निम्नुसार दंड लगाए गए / During the year following penalties were imposed by RBI:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	विवरण Particular	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
1	चेक संग्रहण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए दंड Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	0.0067	0.012
2	ग्राहक सेवा संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन, सिक्कों एवं कम वर्गमूल्य के नोटों तथा कटे-फटे नोटों को बदलने संबंधी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन के लिए दंड. Penalty for non-compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	0.067	0.085
3	करेंसी चेस्टो द्वारा रिजर्व बैंक को किए गए विप्रेषणों के मामलों में रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट पर लगाए गए दंड. Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	0.0094	0.022
4	ऊपर उल्लेख न किए गए अन्य कारणों के लिए दंड Penalties for other reasons not mentioned above	0.23	0.06
	कुल दंड का भुगतान / Total Penalties Paid	**0.31**	**0.18**

XXIX. जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएएफ)
Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particular	मौजूदा वर्ष 31 मार्च 2021 Current Year March 31, 2021	पिछला वर्ष 31 मार्च 2020 Previous year March 31, 2020
डीईएएफ में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	167.21	138.53
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	43.59	31.18
घटाएँ : दावे के लिए डीईएएफ से प्रतिपूर्ति की राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	2.61	2.50
डीईएएफ को अंतरित अंतिम शेष राशि Closing Balance of amounts transferred to DEAF	208.19	167.21

XXX. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर / Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक जैसा कि इसकी क्रेडिट नीति में वर्णित है अपने ऋणदाताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है तथा अपने ग्राहकों को विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से उनके विदेशी मुद्रा को रक्षित करने के लिए सूचित करता है.

The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation.

बैंक अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में आंतरिक विकसित प्रणाली पर आधारित सूचना आवधिक आधार पर प्राप्त करता है तथा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले संभावित हानि की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का अनुसरण करता है. इस एक्सपोजर के प्रति 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए के लिए प्रावधानीकरण ₹ शून्य (पिछले वर्ष: 31 मार्च 2020 को ₹ 1 करोड़) रहा. इसके जोखिम के प्रति धारित पूंजी 31 मार्च 2021 को ₹ 65.80 करोड़ (पिछले वर्ष: 31 मार्च 2020 को ₹ 30.10 करोड़) रही.

The Bank obtains information on Un-hedged Foreign Currency Exposure from its customers on a periodic basis and maintains the same in an internally developed system and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The incremental provisioning for the year ended March 31, 2021 towards this exposure is Nil (Previous Year: ₹ 1 Crore as on March 31, 2020). The capital held towards the risk stood at ₹ 65.80 Crores as on March 31, 2021 (Previous Year: ₹ 30.10 Crores as on March 31, 2020).

XXXI. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर): / Liquidity Coverage Ratio(LCR) :

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particular	चालू वर्ष 31 मार्च 2021 Current year March 31, 2021		पिछला वर्ष 31 मार्च 2020 Previous year March 31, 2020	
	कुल गैर भारित मूल्य (औसत)* Total Unweighted Value (average)*	कुल भारित मूल्य (औसत)* Total Weighted Value (average)*	कुल गैर भारित मूल्य (औसत)* Total Unweighted Value (average)*	कुल भारित मूल्य (औसत)* Total Weighted Value (average)*
उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां High Quality Liquid Assets				
1 कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		70,879.14		60,756.65

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particular			चालू वर्ष 31 मार्च 2021 Current year March 31, 2021		पिछला वर्ष 31 मार्च 2020 Previous year March 31, 2020	
			कुल गैर भारित मूल्य (औसत)* Total Unweighted Value (average)*	कुल भारित मूल्य (औसत)* Total Weighted Value (average)*	कुल गैर भारित मूल्य (औसत)* Total Unweighted Value (average)*	कुल भारित मूल्य (औसत)* Total Weighted Value (average)*
नकदी बहिर्वाह / Cash Outflow						
2		खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियां जिनमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	118,730.48	11,514.68	1,13,743.33	11,209.82
	(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	7,167.32	358.37	4,023.47	201.14
	(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	1,11,563.16	11,156.31	1,09,719.86	11,008.68
3		अप्रतिभूति थोक निधियन, जिनमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	41,735.93	28,987.15	44,643.05	32,388.04
	(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	40,348.64	27,599.86	44,112.82	31,859.49
	(iii)	अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	1,387.29	1,387.29	530.23	528.55
4		प्रतिभूत थोक निधियन Secured wholesale funding		शून्य Nil		शून्य Nil
5		अतिरिक्त आवश्यकताएं जिनमें से : Additional requirements, of which	1,000.59	696.73	1,270.27	793.95
	(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	662.95	662.97	741.11	741.06
	(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	(iii)	क्रेडिट और चलनिधि Credit and liquidity	337.64	33.76	529.16	52.89

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	विवरण Particular	चालू वर्ष 31 मार्च 2021 Current year March 31, 2021		पिछला वर्ष 31 मार्च 2020 Previous year March 31, 2020	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत)* Total Unweighted Value (average)*	कुल भारित मूल्य (औसत)* Total Weighted Value (average)*	कुल गैर भारित मूल्य (औसत)* Total Unweighted Value (average)*	कुल भारित मूल्य (औसत)* Total Weighted Value (average)*
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व Other contractual funding obligations	2,253.97	2,253.97	2,581.37	2,581.00
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other contingent funding obligations	152,021.12	6,648.69	1,74,425.55	7,723.86
8	कुल नकदी बहिर्वाह Total Cash Outflows		50,101.22		54,696.67
	नकद अंतर्वाह / Cash Inflows				
9	प्रतिभूत ऋण (उदा. रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	17,358.41	शून्य Nil	6,189.78	शून्य Nil
10	पूर्ण निष्पादित एक्सपोजर से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	2,397.69	1,198.84	3,305.62	1,649.55
11	अन्य नकदी अंतर्वाह / Other cash inflows	3,346.74	3,346.74	5,471.38	5,462.30
12	**कुल नकदी अंतर्वाह / Total Cash Inflows**	23,102.84	4,545.58	14,966.78	7,111.85
13	**कुल एचक्यूएलए / TOTAL HQLA**		70,879.14		60,756.65
14	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows**		45,555.64		47,584.82
15	**चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)**		155.59%		127.68%

** औसत भारित और गैर भारित राशियों की गणना कार्य दिवसों के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दैनिक साधारण औसत लेते हुए की जाती है.*

** The average weighted and un-weighted amounts are calculated taking daily simple average from 1st April to 31st March for working days.*

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन:

Qualitative disclosure around Liquidity Coverage Ratio (LCR) :

2007 में शुरूहुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ सुधार के प्रस्ताव रखे थे. इसके लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने जनवरी 2013 में 'बासेल III : चलनिधि व्याप्ति अनुपात और चलनिधि जोखिम निगरानी साधन' और जनवरी 2014 में 'चलनिधि व्याप्ति अनुपात प्रकटीकरण मानक' पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे. तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 09 जून 2014 के अपने परिपत्र के द्वारा चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) पर दिशनिर्देश जारी किए थे.

In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools' in January 2013 and the 'Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards' in January 2014. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated June 09, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

चलनिधि व्याप्ति अनुपात संभावित चलनिधि विघटनों के प्रति बैंक की अल्पावधि आघात-सहनीयता को यह सुनिश्चित करके बढ़ावा देता है कि लगातार 30 दिनों तक बनी रहने वाली विकट दबावग्रत स्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं. चलनिधि व्याप्ति अनुपात मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भारमुक्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि अस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर चलनिधि दबाव वाली स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस की समयावधि हेतु अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सके.

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

चलनिधि व्याप्ति अनुपात की परिभाषा: / Definition of LCR :

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) स्टॉक / Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल निवल नकदी बहिर्वाह / Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} >= 100\%$$

चलनिधि व्याप्ति अनुपात अपेक्षाएं 01 जनवरी 2015 से बैंकों पर आबद्धकर हैं. एलसीआर को 01 जनवरी 2019 से 100% पर बनाए रखा जाना था. तथापि, आरबीआई ने दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अपने परिपत्र (आरबीआई/2019-20/217डीओआर.बीपी.बीसी.सं.65/21.04. 098/2019-20) में कोविड19 महामारी के कारण, बैंकों को निम्न प्रकार से एलसीआर बनाए रखने की अनुमति दी है.

The LCR requirement is binding on banks from January 1, 2015. LCR was to be maintained at 100% from January 01, 2019. However, RBI in its circular dated April 17, 2020 (RBI/2019-20/217 DOR.BP.BC.No.65/21.04.098/2019-20), on account of the Covid19 pandemic, permitted Banks to maintain LCR as under.

विवरण / Particulars	एलसीआर % / LCR %
परिपत्र की तिथि से 30 सितंबर 2020 तक From date of circular to September 30, 2020	80 प्रतिशत 80 per cent
1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 October 1, 2020 to March 31, 2021	90 प्रतिशत 90 per cent

उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए):
High Quality Liquid Assets (HQLA)

इस मानक के अंतर्गत बैंकों के लिए निर्धारित दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिन की अवधि के लिए कुल निवल नकदी बहिर्वाह को शामिल करने के लिए आभारग्रस्त एचक्यूएलए का स्टॉक रखना अनिवार्य है. एचक्यूएलए में पात्र होने के उद्देश्य से दबाव काल के दौरान बाजार में नकदी सुलभ होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में केंद्रीय बैंक के परिचालनों में उपयोग के लिए पात्र होना चाहिए. बैंक की एचक्यूएलए में मुख्यतः अनिवार्य अपेक्षाओं तक और उससे अधिक एसएलआर निवेश, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार (एनडीटीएल का 3%) के माध्यम से उपलब्ध चलनिधि, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एनडीटीएल का 15%) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों अथवा गैर-वित्तीय कॉरपोरेटों द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं.

Under the standard, banks must hold a Stock of unencumbered HQLA to cover the total net cash outflows over a 30-day period under the prescribed stress scenario. In order to qualify as HQLA, assets should be liquid in markets during times of stress and, in most cases, be eligible for use in central bank operations. The HQLA of the Bank mainly comprise of SLR investments over and above mandatory requirement, liquidity available by way of borrowing under Marginal Standing Facility (3% of NDTL), Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (15% of NDTL) & other securities issued by PSEs or non-financial corporates.

कुल निवल नकदी बहिर्वाह : / Total net cash outflows :

कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की बकाया शेष राशियों या देयता के प्रकार तथा तुलन-पत्र बाह्य वचनबद्धताओं में उन दरों का गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके बढ़ने या घटने की आशा है. प्रवाह में कुल प्रत्याशित नकदी की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष में उन दरों को गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके प्रवाहित होने की आशा है.

Total expected cash out-flows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in.

चलनिधि प्रबंधन : / Liquidity Management:

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि मूल्यांकन एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलन-पत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न आल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा आल्को दिशा-निर्देशों तथा कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है.

The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक का औसत एलसीआर 155.59% रहा है.

The average LCR of the Bank for FY2020-21 is at 155.59%.

XXXII. पारिश्रमिक का प्रकटन / Disclosure on Remuneration

गुणात्मक प्रकटन / Qualitative disclosures

(क) **पारिश्रमिक समिति की संरचना और अधिदेश से संबंधित जानकारी:**

(a) **Information relating to the composition and mandate of the Remuneration Committee:**

पारिश्रमिक का ध्यान रखनेवाली मुख्य समिति का नाम, उसकी बनावट और उससे संबंधित अधिदेश:

Name, composition and mandate of the main body overseeing remuneration:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) में छह सदस्य अर्थात इसके अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक और 2 सरकारी नामिती निदेशक, एलआईसी के नामिती निदेशक और अन्य सदस्य के रूप में दो स्वतंत्र निदेशकगण शामिल हैं. समिति, निदेशकों के उपयुक्त और माकूल स्थिति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, एलओडीआर विनियम के विनियम 19 और अनुसूची II के भाग डी और आरबीआई के दिशानिर्देशों में प्रदत अधिदेशों/विचारार्थ विषयों को पूरा करती है जो निम्नानुसार है :

Nomination and Remuneration Committee (NRC) comprises of six members with an Independent Director as its chairman, and 2 Government Nominee Directors, an LIC Nominee Director and two other Independent Directors as other members. The Committee fulfills the mandate/ terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013, Regulation 19 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations and RBI guidelines in respect of fit and proper status of Directors as under :

- निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुणों और स्वतन्त्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों की नियुक्ति और उनके मूल्यांकन से संबंधित एक नीति के लिए बोर्ड से सिफ़ारिश करना;
  Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board of Directors a policy relating to appointment and evaluation of Directors;
- बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए प्रभावी पद्धति विनिर्दिष्ट करना, बोर्ड द्वारा अथवा एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र वाह्य एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जाना और इसके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा करना;
  To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual directors, to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;
- स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मण्डल के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
  Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- निदेशक मण्डल में विविधता के लिए नीति तैयार करना; / Devising a policy on diversity of Board of Directors;
- निदेशक नियुक्ति और मूल्यांकन नीति के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान करना;
  To identify persons who are qualified for appointment as Independent Directors in accordance with Directors' Appointment and Evaluation Policy;

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

- निदेशक नियुक्ति और मूल्यांकन नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बोर्ड से निदेशकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की सिफ़ारिश करना;
  To recommend to the Board the appointment and removal of Directors in accordance with the criteria laid down in the Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- योग्यता, विशेषज्ञता, पिछले कार्यनिष्पादन, सत्यनिष्ठा, 'उपयुक्त और माकूल' मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतन्त्रता (यदि लागू हो) के आधार पर तथा स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक मण्डल संबंधी कार्यनिष्पन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/नियुक्ति को जारी रखने के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाना तथा उसके संबंध में मानदंड तैयार करना;
  To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment / continuing to hold appointment as a director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors including independent directors and formulate the criteria relating thereto;
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार करना;
  Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc.;
- बोर्ड से वरिष्ठ प्रबंधन को देय पारिश्रमिक, चाहे जिस रूप में हो, की सिफारिश करना;
  Recommend to the Board, all remuneration, in whatever form, payable to the senior management;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुसंगतीकरण के लिए जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय के साथ कार्य करना
  To work in co-ordination with Risk Management Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks

यथा 31 मार्च 2021 को एनआरसी के छह सदस्य थे जिसमें श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (स्वतंत्र निदेशक) इसके अध्यक्ष तथा सुश्री मीरा स्वरूप और श्री अंशुमन शर्मा (सरकारी नामिती निदेशक), श्री राजेश कंडवाल (एलआईसी के नामिती निदेशक) और श्री बी. बी. जोशी और श्री एन. जंबुनाथन (स्वतंत्र निदेशकगण) अन्य सदस्य के रूप में शामिल थे.

As on March 31, 2021, the NRC comprised of six members with Shri Gyan Prakash Joshi (Independent Director) as its chairman, Ms. Meera Swarup & Shri Anshuman Sharma (Government Nominee Directors), Shri Rajesh Kandwal (LIC Nominee Director), and Shri B. B. Joshi & Shri N. Jambunathan (Independent Directors) as other members.

बाह्य परामर्शदाता जिनसे परामर्श मांगे गए, संस्था जिनके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था, और पारिश्रमिक प्रक्रिया के क्षेत्र

External consultants whose advice has been sought, the body by which they were commissioned, and in what areas of the remuneration process

04 नवंबर 2019 को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एमडी एवं सीईओ/डबल्यूटीडी की प्रतिकर संरचना को शामिल करने के लिए, आईडीबीआई बैंक ने बैंक के एमडी एवं सीईओ/डबल्यूटीडी को उपलब्ध वर्तमान वेतन, भत्ते और लाभ का अध्ययन करने के लिए एक प्रमुख प्रतिकर परामर्श फ़र्म की सेवाएं ली हैं और उद्योग पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए और आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करते हुए उचित प्रतिकर संरचना की सिफ़ारिश की है. बैंक की संशोधित प्रतिकर नीति का मसौदा तैयार करने में परामर्शदाताओं की सिफारिशों पर विचार किया गया है, जो वर्तमान में आरबीआई के प्रतीक्षित अनुमोदन को देखते हुए कार्यान्वयन के लिए लंबित है.

In order to align the compensation structure of the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) / Whole Time Directors (WTDs) with the guidelines issued by RBI on November 04, 2019, IDBI Bank has engaged the services of a leading compensation consultancy firm, to study the present pay, allowances and benefits available to MD & CEO / WTDs of the Bank and recommend suitable compensation structure, keeping in view industry practices and compliance with the RBI guidelines. The recommendations of the consultants have been considered in drafting the revised Compensation Policy of the Bank, which is currently pending implementation in view of the awaited RBI approval.

विदेश स्थित सहायक संस्थाओं और शाखाओं पर लागू सीमा सहित बैंक की पारिश्रमिक नीति के कार्यक्षेत्र के संबंध में विवरण:

A description of the scope of the Bank's remuneration policy, including the extent to which it is applicable to foreign subsidiaries and branches:

समिति, बोर्ड की तरफ से बैंक की देशी और विदेश स्थित शाखाओं, दोनों के लिए पारिश्रमिक नीति की निगरानी करती है. तथापि, यह बैंक की सहायक संस्थाओं के लिए क्षतिपूर्ति नीति की निगरानी नहीं करती है.

The Committee monitors the remuneration policy for both domestic and overseas branches of the Bank on behalf of the Board. However, it does not oversee the compensation policy for subsidiaries of the Bank.

इसमें शामिल कर्मचारियों के प्रकार का विवरण और ऐसे कर्मचारियों की संख्या:

A description of the type of employees covered and number of such employees:

श्रेणी 1 / Category 1

एमडी एवं सीईओ और डब्ल्यूटीडी: / MD & CEO and WTDs:

इस श्रेणी में एमडी एवं सीईओ और दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) शामिल हैं. डब्ल्यूटीडी के लिए वर्तमान पारिश्रमिक संरचना उसी स्तर पर है, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के डब्ल्यूटीडी को देय है और इसे बोर्ड और आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है.

This category includes MD & CEO and two Deputy Managing Directors (DMDs). The current remuneration structure for WTDs is at the same level, as that payable to WTDs of nationalized banks and the same is approved by Board and RBI.

श्रेणी 2 / Category 2

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए पारिश्रमिक: / Remuneration of Key Managerial Personnel:

मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफ़ओ) और कंपनी सचिव (सीएस) के पद आईडीबीआई बैंक के कैडर अधिकारियों द्वारा धारित किए जाते हैं तथा उनकी वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना आईडीबीआई बैंक द्वारा समानान्तर ग्रेड में अन्य अधिकारियों को ऑफर की जा रही वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना के समतुल्य होगी तथा निदेशक मण्डल के अनुमोदन पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.

The positions of Chief Financial Officer (CFO) and Company Secretary (CS) are held by cadre officers of IDBI Bank and their pay scales and remuneration structure is equivalent to the pay scales and remuneration structure being offered by IDBI Bank to the other parallel grade officers and is finalized by the Bank with the approval of the Board of Directors.

श्रेणी 3 / Category 3

अन्य अधिकारी और कर्मचारी: / Other Officers and Employees:

आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना को बैंक द्वारा अंतिम रूप इस संबंध में निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद दिया जाएगा. चालू नीति के अनुसार वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना एक निर्धारित संरचना है, जो भारतीय बैंक संघ (आईबीए) वेतनमान और संरचना के अनुसार तैयार किया गया है, और 5 वर्ष की अवधि के लिए उद्योग स्तरीय समझौते के साथ समाप्त होती है.

The pay scales and remuneration structure of IDBI Bank's Officers and Employees are finalized by the Bank after obtaining Board of Directors' approval. As per the current policy, the pay scales and remuneration structure is a fixed structure, which is drawn out on the lines of the Indian Banks' Association (IBA) pay scales and structure, and runs co-terminus with the industry level settlements for a period of 5 years.

अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है: / Count of Officers and employees is given below:

ग्रेड / Grade	संख्या / Count
अधिकारी (ग्रेड ए से ईडी) / Officers (Gr A to ED)	15,324
एक्जीक्यूटिव / Executives	942
लिपिकीय / Clerical	503
सहायक / Subordinates	547
कुल योग / Grand Total	**17,316**

(ख) **पारिश्रमिक प्रक्रियाओं के ढांचे और संरचना के संबंध में जानकारी तथा पारिश्रमिक नीति की मुख्य विशेषताएँ और उसके उद्देश्य:**

(b) **Information relating to the design and structure of remuneration processes and the key features and objectives of remuneration policy:**

पारिश्रमिक नीति की मुख्य विशेषताओं और उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण :

An overview of the key features and objectives of remuneration policy:

डब्ल्यूटीडी के लिए वर्तमान वेतनमान, भत्ते और परिलब्धियों की संरचना उसी स्तर पर है, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के डब्ल्यूटीडी को देय है. डब्ल्यूटीडी के लिए निर्धारित वेतनमान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से आनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है.

The current fixed pay of WTDs comprises of pay, allowances and perquisites and it is at the same level, as that payable to WTDs of nationalized banks. Approval of RBI has been obtained for the current fixed pay drawn by WTDs.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, डब्ल्यूटीडी के लिए संशोधित प्रतिकर का प्रस्ताव किया गया है. प्रस्तावित प्रतिकर निश्चित और परिवर्तनीय वेतन का मिश्रण है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डब्ल्यूटीडी के लिए बैंक के प्रदर्शन के आधार पर परिवर्तनीय वेतन प्रस्तावित है और इसे आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लागू किया जाएगा. अन्य कर्मचारियों के लिए, वर्तमान प्रतिकर संरचना आईबीए प्रतिकर संरचना से जुड़ी हुई है.
As per the directives of RBI, the revised compensation has been proposed for WTDs. The proposed compensation is a mix of fixed and variable pay. The variable pay based on the Bank's performance is proposed for WTDs for FY 2020-21 and the same will be implemented after obtaining approval from RBI. For other employees, the current compensation structure is linked to IBA compensation structure.

पारिश्रमिक नीति का उद्देश्य / Objectives of the Remuneration Policy

यह सुनिश्चित करना है कि: / To ensure that:

क) पारिश्रमिक का स्तर और संरचना कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण निदेशकों को आकर्षित करने, बनाए रखने और प्रेरित करने के लिए उचित और पर्याप्त है;
a) the level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, retain and motivate Directors of the quality required to run the Bank successfully;

ख) कार्यनिष्पादन के सापेक्ष पारिश्रमिक का संबंध स्पष्ट है और उपयुक्त कार्यनिष्पादन मानदंडों को पूरा करता है; और
b) relationship of remuneration to performance is clear and meets appropriate performance benchmarks; and

ग) निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन को दिया जाने वाला पारिश्रमिक बैंक और इसके लक्ष्यों के लिए उपयुक्त लघु और दीर्घकालिक कार्यनिष्पादन के उद्देश्यों को दर्शाते हुए निश्चित और प्रोत्साहन वेतन के बीच संतुलन स्थापित करता है:
c) remuneration to Directors, Key Managerial Personnel (KMP) and Senior Management involves a balance between fixed and incentive pay reflecting short and long term performance objectives appropriate to the working of the Bank and its goals:

(ग) पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को कम करने के तरीकों का विवरण. इसमें इन जोखिमों का ध्यान रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों का स्वरूप और प्रकार शामिल होने चाहिए.
(c) Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It includes the nature and type of the key measures used to take account of these risks.

05 मई 2017 को आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए के अंतर्गत रख दिया था और एनपीए तथा बैंक को हो रही हानियों को ध्यान में रखते हुए पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन आधारित किसी प्रकार के प्रोत्साहन की मंजूरी सहित कई प्रतिबंध लगाए थे. 10 मार्च 2021 को आरबीआई द्वारा बैंक को प्रतिबंधात्मक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से बाहर कर दिया गया है.
On May 05, 2017, RBI had put IDBI Bank under PCA and imposed several restrictions including granting any performance linked incentives to the WTDs in view of Non-Performing Assets (NPAs) and losses incurred by the Bank. The Bank has been taken out of the restrictive Prompt Corrective Action (PCA) framework by RBI on March 10, 2021.

वर्तमान में कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ता सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में प्रचलित संरचना के अनुरूप संरेखण में संरचित वेतन मान पर आधारित है. जोखिम और अनुपालन कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र पारिश्रमिक नहीं है. बैंक ने ग्रेड ए (सहायक प्रबंधक) से सी (सहायक महाप्रबंधक) तक के कर्मचारियों के वेतन संरचना में संशोधन के लिए आईबीए को अधिदेश दिया था. 11 नवंबर 2020 को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर से कर्मचारी संघों/संगठनों और भारतीय बैंक संघ के बीच हुए समझौते के आधार पर बैंक के बोर्ड ने 2017-22 की समझौता अवधि के लिए सभी अधिकारियों के वेतन संशोधन को मंजूरी दे दी है.
Pay and allowances for employees is presently based on structured pay scale in alignment with the structure prevailing in Public Sector Banks. There is no independent remuneration for risk and compliance employees. The Bank had given mandate to IBA for revision in the salary structure of officers in Grade A (Assistant Manager) to Grade C (Assistant General Manager). The Board of the Bank has approved the wage revision for all officers for the settlement period of 2017-22 based on the settlement arrived between Indian Banks' Association on behalf of other Public Sector Banks & Private Sector Banks including IDBI Bank Ltd. and employee unions/associations on November 11, 2020.

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के लिए नई प्रतिकर नीति जो बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक दिशानिर्देश प्रदान करती है, को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था. तथापि, नई नीति के कार्यान्वयन के लिए विनियामकीय अनुमोदन की प्रतीक्षा है.
During the FY 2020-21, the new Compensation Policy for the Bank which provides for remuneration guidelines for all employees of the Bank was approved by the Board. However, the regulatory approval for implementation of new policy is awaited.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति के साथ निकट समन्वय में, प्रतिकर और विवेकपूर्ण जोखिम लेने के बीच प्रभावी संरेखण की उपलब्धि की निगरानी करेगी. जोखिम परिणामों के साथ प्रतिकर की संरचना को प्रभावी ढंग से संरेखित करने के उद्देश्य से बैंक के पदाधिकारियों को निम्नलिखित श्रेणियों के तहत क्रमबद्ध किया जाएगाः

The Nomination & Remuneration Committee, in close co-ordination with Risk Management Committee, shall oversee the achievement of effective alignment between compensation and prudent risk-taking. For the purpose of effectively aligning the compensation structure with risk outcomes, the functionaries of the Bank will be arranged under the following categories:

(i) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Managing Director & CEO

(ii) अन्य पूर्णकालिक निदेशक / Other Whole Time Directors

(iii) तात्विक जोखिम लेने वाले (एमआरटी) / Material Risk Takers (MRTs)

(iv) जोखिम नियंत्रण और अनुपालन कार्यों के कर्मचारी / Employees in Risk Control & Compliance Functions

(v) बैंक के अन्य अधिकारी / Other Employees of the Bank

परिवर्तनीय वेतन की सीमा / Limit on Variable Pay

किसी अधिकारी को दिया जाने वाला बैंक/व्यक्तिगत प्रदर्शन से जुडा परिवर्तनीय वेतन कुल निश्चित वेतन के 150% से अधिक नहीं होगा.

The variable pay linked with Bank/individual performance offered to an official would not exceed 150% of the total fixed pay.

विच्छेद वेतन/ गारंटीकृत वेतन / Severance Pay/ Guaranteed Pay

सेवानिवृति लाभों (ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ) के अलावा विच्छेद वेतन और उन मामलों को छोड़कर, जहां किसी भी संविधि के तहत यह अनिवार्य है, बैंक के किसी भी अधिकारी को देय नहीं होगा. केवल प्रथम वर्ष में कार्यग्रहण/साइन-ऑन बोनस के रूप में नए कर्मचारियों के अलावा बैंक द्वारा गारंटीड बोनस नहीं दिया जाएगा. ऐसा कोई गारंटीकृत बोनस, यदि आवश्यक हो, केवल शेयर-लिंक्ड लिखतों के रूप में होगा (अर्थात नकद में नहीं) और आरबीआई द्वारा निर्धारित वेतन और परिवर्तनीय वेतन गणना से बाहर होगा.

Severance pay other than superannuation benefits (Gratuity, Pension & PF) and leave encashment except in cases where it is mandatory under any statue will not be payable to any official of the Bank. Guaranteed bonus will not be awarded by the Bank other than for new hires as joining/sign-on bonus only in the first year. Any such guaranteed bonus, if required shall be in the form of share-linked instruments only (i.e. not in cash) and shall be excluded from RBI fixed pay and variable pay calculations.

हेजिंग / Hedging

कर्मचारियों को उनके प्रतिकर ढांचे के बीमा या हेजिंग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा जो उनके परिवर्तनीय वेतन में निहित नकारात्मक जोखिम का प्रतितुलन कर सकता है (उदाहरण के लिए लिस्टिंग के बाद बैंक के स्टॉक पर कोई शॉर्ट सेलिंग या पुट डेरिवेटिव की अनुमति नहीं है). यदि इस नीति का उल्लंघन किया जाता है, तो बोर्ड संबंधित कर्मचारी को किसी भी बकाया बीमा/हेजिंग लेनदेन को रद्द करने और उसके निर्देश के अनुसार उचित मौद्रिक या गैर-मौद्रिक जुर्माना लगाने के निर्देश दे सकता है.

Employees shall be prohibited from insuring or hedging their compensation structure that may offset the downside risk embedded in their variable pay (e.g. no short selling or put derivatives allowed on the Bank's stock after listing etc.) If this policy is breached, the Board may direct the concerned employee to cancel any outstanding insurance/hedging transaction and also impose an appropriate monetary or non-monetary penalty as per its direction

वित्तीय पेनल्टी (मैलस)/ क्लाबैक / Malus/Clawback

परिवर्तनीय वेतन (नकद आधारित और गैर-नकद आधारित) पर वित्तीय पेनल्टी और क्लाबैक प्रावधान कुछ स्थितियों अर्थात् एनपीए के लिए बैंक के प्रावधान में विचलन, कमजोर या नकारात्मक वित्तीय कार्यनिष्पादन, कदाचार या एनआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मापदंड में अनिहित अवार्ड को कम करने या रद्द करने और पहले भुगतान किए गए प्रतिकर की वसूली करने में मदद करेगा. क्लाबैक व्यवस्था ट्रिगर के प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्षों में दिए गए वार्षिक नकद प्रोत्साहन और एलटीआई पुरस्कारों की वसूली पर लागू होगी.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Malus & Clawback provisions on variable pay (cash based & non-cash based) would enable to reduce or cancel unvested awards and recover previously paid compensation in certain situations viz. divergence in Bank's provisioning for NPAs, subdued or negative financial performance, misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. The clawback arrangements would imply recovery of annual cash incentives paid and LTI awards vested over the last five years from the date of discovery of the applicable trigger.

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित कार्यनिष्पादन से जुड़े परिवर्तनीय वेतन को आरबीआई से विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने पर डब्ल्यूटीडी के लिए लागू किया जाएगा.

The performance linked variable pay proposed for FY 2020-21 shall be implemented for WTDs on receipt of regulatory approval from RBI.

(घ) उन तरीकों का विवरण जिसमें बैंक कार्यनिष्पादन माप अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन को पारिश्रमिक के स्तरों के साथ जोड़ना चाहता है:

(d) Description of the ways in which the Bank seeks to link performance during a performance measurement period with levels of remuneration:

वर्तमान में बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कर्मचारी यूनियन / अधिकारी संगठनों के पराक्रमित निपटानों के जरिये बैंकों की ओर से इंडियन बैंक असोसियेशन द्वारा लाये गए अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चल रहे वेतन और भत्ते की संरचना के संरेखण में, अपने कर्मचारियों के लिए प्रतिकर आधारित संरचित वेतनमान का अनुसरण करता है. वर्तमान में, बैंक में कार्यनिष्पादन से लिंक किए हुए पारिश्रमिक की कोई अवधारणा नहीं है.

Presently, the Bank follows a structured pay scale based compensation for its employees, in alignment with the pay and allowances structure followed in Public Sector Banks, as arrived by Indian Banks' Association on behalf of the Banks through negotiated settlements with workmen unions / officers' associations representing the employees of the member banks. As such, there is no concept of remuneration linked with performance presently in the Bank.

(ड.) परिवर्ती पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित करने के संबंध में बैंक की नीति और निहित करने से पहले और निहित करने के बाद आस्थगित पारिश्रमिक का समायोजन करने के लिए बैंक की नीति और मानदंडों पर चर्चा:

(e) A discussion of the Bank's policy on deferral and vesting of variable remuneration and a discussion of the Bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting:

वर्तमान में, बैंक के कर्मचारियों को लागू प्रतिकर संरचना में परिवर्ती पारिश्रमिक नहीं है. आरबीआई के दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने एमडी एवं सीईओ/डबल्यूटीडी/तात्विक जोखिम लेने वाले और नियंत्रण स्टाफ के लिए प्रतिकर संरचना के बारे में बैंक को सूचित करने हेतु प्रतिकर परामर्श की सेवाएँ ली हैं. बोर्ड ने 29 सितंबर 2020 को संपन्न अपनी बैठक में बैंक के लिए प्रतिकर नीति को मंजूरी दी थी जो बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक दिशानिर्देश प्रदान करता है. बैंक को नई प्रतिकर नीति के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन का इंतजार है.

Presently, there is no variable remuneration in the compensation structure applicable to Bank's employees. In compliance to RBI circular of November 04, 2019, the Bank has engaged services of compensation consultant to advise the Bank about compensation structure for MD & CEO/ WTDs/ Material Risk Takers and control staff. The Board at its meeting dated September 29, 2020 had approved the Compensation Policy for the Bank which provides for remuneration guidelines for all employees of the Bank. The Bank is awaiting approval of the Reserve Bank of India for implementation of the new Compensation Policy

(च) परिवर्ती पारिश्रमिक के विभिन्न प्रकारों (जैसे: नकद, शेयर, ईएसओपी और अन्य प्रकार) जिन्हें बैंक प्रयोग करता है, के विवरण और इन विभिन्न प्रकारों के प्रयोग के लिए औचित्य:

(f) Description of the different forms of variable remuneration (i.e. cash, shares, ESOPs and other forms) that the Bank utilizes and the rationale for using these different forms:

बैंक के कर्मचारियों का पारिश्रमिक वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में लागू अनुसार संरचित वेतन मान के अनुरूप है, जोकि सदस्य बैंकों के इंडियन बैंक असोसिएशन और प्रतिनिधि यूनियन/संघों के जरिये उद्योग स्तरीय वार्ता समझौता के जरिये किया गया है. वर्तमान में, बैंक में परिवर्ती पारिश्रमिक का कोई अन्य प्रकार नहीं है.

Remuneration to employees of the Bank is presently in alignment with the structured pay scales as applicable in Public Sector Banks, which is done by way of industry level negotiated settlements through Indian Banks' Association and representative unions/associations of member Banks. There are currently no other forms of variable remuneration in the Bank.

मात्रात्मक प्रकटन: / Quantitative Disclosures :

(मात्रात्मक प्रकटन में केवल पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अन्य जोखिम लेने वालों की जानकारी शामिल की जानी चाहिए)*
(The quantitative disclosures includes only Whole Time Directors / Chief Executive Officer/ Other Risk Takers)*

			वित्तीय वर्ष FY 2020-21	वित्तीय वर्ष FY 2019-20
(छ) (g)		वित्तीय वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या Number of meetings held by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) during the financial year	4	3
		और / and उन्हें प्रदत्त पारिश्रमिक. (₹ करोड़ में) remuneration paid to its members. (₹ in Crores)	0.0320	0.0255
(ज) (h)	(i)	वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्ती पारिश्रमिक प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या. Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year.	शून्य Nil	शून्य Nil
	(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए गए साइन ऑन पुरस्कारों की संख्या और कुल राशि Number and total amount of sign on awards made during the financial year.	शून्य Nil	शून्य Nil
	(iii)	तैनाती/ साइन ऑन बोनस के रूप में भुगतान किए गए गारंटीकृत बोनस, यदि कोई हो, के विवरण. Details of guaranteed bonus, if any, paid as joining / sign on bonus	शून्य Nil	शून्य Nil
	(iv)	उपचित लाभों के अतिरिक्त सेवाविच्छेद भुगतान, यदि कोई हो, के विवरण. Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	शून्य Nil	शून्य Nil
(झ) (i)	(i)	नकद, शेयर और शेयर से जुड़े लिखत और अन्य प्रकारों में विभक्त बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि. Total amount of outstanding deferred remuneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms.	शून्य Nil	शून्य Nil
	(ii)	वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	शून्य Nil	शून्य Nil
(ञ) (j)		नियत और परिवर्ती, आस्थगित और गैर-आस्थगित घटकों को दिखाने हेतु वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कार राशि का विश्लेषण Breakdown of amount of remuneration awards for the financial year to show fixed and variable, deferred and non-deferred.	शून्य Nil	शून्य Nil
(ट) (k)	(i)	पूर्व सुस्पष्ट और/ अथवा अस्पष्ट समायोजनों के प्रति बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और धारित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments.	शून्य Nil	शून्य Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

			वित्तीय वर्ष FY 2020-21	वित्तीय वर्ष FY 2019-20
	(ii)	पूर्व सुस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्त वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments.	शून्य Nil	शून्य Nil
	(iii)	पूर्व अस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्त वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments.	शून्य Nil	शून्य Nil
		'पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ तात्विक जोखिम उठाने वाले एवं नियंत्रण कार्य स्टाफ को प्रतिकर पर दिशानिर्देश' के संबंध में आरबीआई के 4 नवंबर 2019 के परिपत्र आरबीआई/ 2019-20/ 89/ डीओआर. एपीपीटी. बीसी. सं. 23/ 29.67.001/ 2019-20 के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन Additional disclosure as per RBI Circular on 'Guidelines on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff' RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 Dated November 04, 2019		
(ठ) (l)		पहचान किए गए एमआरटी की संख्या Number of MRTs identified	वित्तीय वर्ष 2021-22 से अन्य कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित कार्य-निष्पादन सम्बद्ध परिवर्तनीय प्रतिकर के संबंध में, बैंक एमआरटी की पहचान करने की प्रक्रिया में है With respect to the performance link variable compensation proposed for other employees from FY 2021-22, the Bank is in the process of identifying MRTs	-
(ड) (m)	(i)	मामलों की संख्या जहां मैलस का प्रयोग किया गया. Number of cases where malus has been exercised.	शून्य Nil	शून्य / Nil
	(ii)	मामलों की संख्या जहां क्लाबैक द्वारा का प्रयोग किया गया. Number of cases where clawback has been exercised.	शून्य Nil	
	(iii)	मामलों की संख्या जहां मैलस और क्लाबैक कराधान दोनों का प्रयोग किया गया. Number of cases where both malus and clawback have been exercised.	शून्य Nil	
(ढ) (n)		समग्र रूप में (सब-स्टाफ को छोड़कर) बैंक का माध्य वेतन (₹ करोड़ में) The mean pay for the Bank as a whole (excluding sub-staff) (₹ in Crores)	0.13	लागू नहीं / NA

	वित्तीय वर्ष FY 2020-21	वित्तीय वर्ष FY 2019-20
निम्नलिखित डबल्यूटीडी के वेतन का माध्य से विचलन: (₹ करोड़ में) The deviation of the pay of each of the following WTDs$ from the mean pay: (₹ in Crores)		
(i) एमडी एवं सीईओ / MD & CEO	0.23	लागू नहीं / NA
(ii) डीएमडी / DMD	0.19	
(iii) डीएमडी / DMD	0.19	

** प्रदान की गई जानकारी पूर्णकालिक निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित है.*
** The information provided is with respect to the Whole Time Directors / Chief Executive Officer.*

$ एमडी और सीईओ के लिए प्रस्तावित निश्चित पारिश्रमिक, जिसे आरबीआई से विनियामक अनुमोदन के अधीन लागू किया जाएगा. इसमें ग्रेच्युटी और छुट्टी के लाभों के लिए किए गए प्रावधान शामिल नहीं हैं क्योंकि वे समग्र रूप से बैंक के लिए बीमांकिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं.
$ Fixed remuneration proposed for MD & CEO, which shall be implemented subject to regulatory approval from RBI. It excludes the provisions made for gratuity and leave benefits as they are determined on actuarial basis for the Bank as a whole

आ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं
B. DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

1. अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)
Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखा नीति में कोई परिवर्तन नहीं.
No change in Accounting Policy for the financial year 2020-21.

2. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (एएस-10) / Fixed Assets (Property, Plant & Equipments) (AS-10)

i. वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर, बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा किए गए मूल्यांकनों के आधार पर पट्टाधृत/ पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि एवं आवासीय/ कार्यालय भवन सहित अपने परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद, 1 अप्रैल 2019 के अनुसार परिसर की निवल एकमुश्त राशि ₹ 7,145.28 करोड़ है.
As at the end of the FY 2018-19, the Bank had re-valued its Premises including leasehold / Freehold Lands & Residential/ Office buildings based on valuations made by independent valuers. Post revaluation, the net block of premises stands at ₹ 7,145.28 Crores as on 1st April, 2019.

ii. 31 मार्च 2021 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में शेष ₹ 6,281.45 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹ 6,503.37 करोड़) है.
The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2021 is ₹ 6,281.45 Crores (Previous Year: ₹ 6,503.37 Crores).

iii. वर्ष के दौरान आवास/ कार्यालय भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर ₹ 0.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.76 करोड़) की निवल हानि राशि को अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है.
Net Loss amounting to ₹ 0.42 Crores (Previous Year: ₹ 4.76 Crores) on account of sale of residential/office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.

3. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोगित): / Employee Benefits (AS-15) (Revised)

अ. कर्मचारी लाभ योजनाएं
A. Employee Benefit Schemes

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

बैंक के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने पेंशन विकल्प चुना है, जिन्होंने 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में सेवा ग्रहण की है, उन्हें भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक ने एक निर्दिष्ट अंशदान तय किया है जो कि मूल वेतन के नियत प्रतिशत के रूप में पीएफएस में जाता है. भविष्य निधि योजना को ठआईडीबीआई बैंक कर्मचारियों भविष्य निधि ट्रस्ट (ट्रस्ट) के न्यासी मंडलड द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फाइनेंस (आईएचएफएल) तथा आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

भविष्य निधि अंशदान मई 2011 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराए गए हैं और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लेखित निधि में किए गए हैं. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 5.55 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 5.96 करोड़) रुपये का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year ₹ 5.55 Crores (Previous Year: ₹ 5.96 Crores) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद कार्यग्रहण किया है उन्हें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड नई पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के तहत कवर किया गया है, जिसमें बैंक वेतन एवं महँगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है. वर्ष के दौरान आईबीएलएनपीएस में ₹ 100.24 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 90.99 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 100.24 Crores (Previous Year: ₹ 90.99 Crores) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.

ii. **निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes**

बैंक कर्मचारियों की ग्रैच्युटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रैच्युटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान देता है.

The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

क. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं, जिसका प्रशासन 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.

a. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ख. इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति से की जाती है.

b. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

आ. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और यथा 31 मार्च 2021 को बैंक के वित्तीय विवरण में दर्शायी गईं राशियों की स्थिति को प्रस्तुत करती है जो एएस-15 (आर) के अनुसार है:

B. The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2021 which is per AS-15(R).

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
क) लाभ दायित्वों में परिवर्तन: **a) Change in benefit obligations:**				
वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	2993.01	931.52	2343.28	787.04
ब्याज लागत / Interest cost	203.23	64.18	182.31	61.23
चालू सेवा लागत / Current Service cost	36.46	40.21	37.68	35.71

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	ग्रैच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	ग्रैच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	-	-	-
अंतरित देयता आगम / (निर्गम) Liability Transferred In/ (Out)				
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(168.18)	(66.95)	(216.01)	(79.11)
बीमांकिक (लाभ) / हानि / Actuarial (gain)/ loss	207.68	(43.92)	0.00	0.00
वित्तीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(66.50)	(0.97)	294.85	70.61
अनुभव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	(15.23)	13.49	350.90	56.04
वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ/दायित्व Projected benefit/ obligation, end of the year	3190.47	937.56	2993.01	931.52
ख) b) **योजना आस्तियों में परिवर्तन :** **Change in plan assets:**				
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	2698.21	879.62	2435.91	708.22
योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	183.21	60.61	189.51	55.10
नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	337.66	130.12	274.68	190.82
अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other Company				
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(168.18)	(66.95)	(216.01)	(79.11)
बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial gain / (loss)	41.11	(0.06)	14.12	4.59
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य **Fair value of plan assets at the end of the year**	3092.01	1003.34	2698.21	879.62
ग) c) **दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान** **Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars		पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	ग्रैच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	ग्रैच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	3190.47	937.56	2993.01	931.52
	भविष्य में अभिनिर्धारित /प्रावधान की जानेवाली संक्रमण कालीन (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/ provided in future				
	लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation	3190.47	937.56	2993.01	931.52
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets	3092.01	1003.34	2698.21	879.62
	अधिशेष/ (कमी) / Surplus/ (Deficit)	(98.46)	65.78	(294.80)	(51.90)
घ) d)	**वर्ष के लिए निवल लागत** **Net cost for the year**				
	सेवा लागत / Service cost	36.46	40.21	37.68	35.71
	ब्याज लागत / Interest cost	203.23	64.18	182.31	61.23
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(183.21)	(60.61)	(189.51)	(55.10)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	84.84	(31.34)	631.63	122.06
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान निर्धारित की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई संक्रमण कालीन देयता Transitional liability recognized during the year	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	उपर्युक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	141.32	12.44	662.11	163.90
	पुनरांकित न की गई बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability not written back	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	ग्रैच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	ग्रैच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
चालू वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	शून्य Nil	शून्य Nil	(92.63)	शून्य Nil
वर्तमान में समायोजित किए गए निवेशों पर एलआईसी द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्याज दर में वृद्धि के कारण ग्रैच्युटी फंड मूल्य में वृद्धि Increase in Gratuity Fund Value due to increase in rate of interest offered by LIC on investments adjusted in current year	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	141.32	12.44	569.48	163.90
ङ) e) आस्तियों की श्रेणी Category of Assets				
भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ State Government Securities	195.84	शून्य Nil	196.21	शून्य Nil
कॉरपोरेट बांड Corporate Bonds	976.02	शून्य Nil	861.74	Nil
विशेष जमा योजना Special Deposits Scheme	39.62	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	1,736.72	1,003.34	1,509	879.62
अन्य / Others	143.81	शून्य Nil	131.26	शून्य Nil
कुल / TOTAL	**3,092.01**	**1,003.34**	**2,698.21**	**879.62**
च) f) लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं Assumptions used in accounting:				
बट्टा दर / Discount rate	6.97%	6.90%	6.79%	6.89%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of return on plan assets	6.97%	6.90%	6.79%	6.89%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
वेतन बढ़ोतरी दर Salary escalation rate	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%
ह्रास दर / Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08% तथा तत्पश्चात 3.50% 3.08% for service less than 5 years and 3.50% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08% तथा तत्पश्चात 3.50% 3.08% for service less than 5 years and 3.50% thereafter
मृत्यु दर / Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से -नियोजन के दौरान वैयक्तिक वार्षिक जीवन मृत्यु तालिका (2012-15) - नियोजन के पश्चात् Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult - **During employment** Individual Annuitant's Mortality Table (2012-15) - After employment	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult.	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से . Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult.	

अनुभव समायोजन: / Experience Adjustments:

(i) **ग्रेच्युटी योजना / Gratuity Plan**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation	937.56	931.52	787.04	709.54	643.70
योजना आस्ति / Plan assets	1003.34	879.62	708.22	641.54	565.28

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
अधिशेष/(कमी) Surplus/(deficit)	65.78	(51.90)	(78.82)	(68.00)	(78.42)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ / (हानि)] Experience adjustments on plan liabilities [Gain / (Loss)]	(13.49)	(56.04)	(44.60)	(16.34)	10.25
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	(0.06)	4.59	(0.05)	8.72	3.13

(ii) **पेंशन योजना / Pension Plan**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation	3190.47	2993.01	2343.28	2111.79	2059.32
योजना संपत्ति / Plan assets	3092.01	2698.21	2435.91	2289.98	2257.56
अधिशेष/(कमी) Surplus/(deficit)	(98.46)	(294.80)	92.63	178.19	198.24
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ / (हानि)] Experience adjustments on plan liabilities [Gain / (Loss)]	15.23	(350.90)	(180.22)	(42.72)	(76.87)
योजना संपत्ति पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	41.11	14.12	57.23	(38.82)	98.10

इ. अन्य दीर्घावधि लाभ
C. Other long term benefits

बैंक के कर्मचारी अपनी अर्जित विशेषाधिकार छुट्टी का संचय करने के लिए पात्र हैं जिसमें अधिकारी अधिकतम 240 दिन और अन्य स्टाफ 300 दिन तक की छुट्टी का संचय कर सकते हैं. प्रति वर्ष अधिकतम 15 दिन की छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है.

Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 240 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.

Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन पूर्वानुमानित यूनिट-क्रेडिट पद्धति से किया गया है और वर्ष के दौरान ₹ 166.25 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 134.62 करोड़) की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है.

Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 166.25 Crores (Previous Year: ₹ 134.62 Crores) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

बैंक के कर्मचारी अशक्तता सहायता के पात्र हैं, जिसे अशक्तता घटित होने पर बैंक वहन करता है.

Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

ई. पेंशन/ ग्रेच्युटी/ छुट्टी नकदीकरण के लिए अतिरिक्त प्रावधान

D. Additional Provision towards Pension / Gratuity / Leave Encashment

नवंबर 2017-अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए संशोधित वेतनमान के कार्यन्वयन के कारण उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त देयता को पूरा करने के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण के लिए एक अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार किया गया है:

An additional provision towards pension, gratuity, leave encashment has been made to meet the additional liability which may arise in effect of implementation of revised pay scale for the period November 2017- October 2022 as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण/ Particular	राशि / Amount
पेंशन / Pension	149.70
ग्रेच्युटी / Gratuity	48.10
छुट्टी नकदीकरण / Leave encashment	88.39
कुल / TOTAL	**286.19**

4. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS-17)

बैंक मुख्य रूप से तीन कारोबारी खंडों में निम्नानुसार परिचालन करता है :

The Bank primarily operates in three business segments as under:

ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाजार परिचालन, व्युत्पन्नों का सौदा, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित वैयक्तिक एवं लघु कारोबार पर केंद्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल/करेंसी कार्ड, अन्य पक्ष वितरण और ट्रांजेक्शन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services.
कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलापों को कवर करने वाले कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी / सिंडिकेशन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन, और ट्रेजरी के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो कवर भी शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particular	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2020
क. a.	**खंड राजस्व Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	10,245	12,093

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particular	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2020
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	27,103	28,905
	ट्रेजरी / Treasury	356	754
	कुल / TOTAL	**37,704**	**41,752**
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	13,147	16,457
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय Net sales / income from operations	**24,557**	**25,295**
ख. b.	**खंड परिणाम- कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results -Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	(654)	(11,309)
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	2,675	1,767
	ट्रेजरी / Treasury	347	575
	कुल / TOTAL	**2,368**	**(8,967)**
	घटाएं: अविनिधानित आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ/ (हानि) / Total profit/ (loss) before tax	2,368	(8,967)
	आय कर / Income taxes	1009	3,920
	निवल लाभ/ (हानि) / Net profit/ (loss)	**1,359**	**(12,887)**
ग. c.	**खंड आस्तियां Segment assets**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	93,413	1,06,428
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	1,82,584	1,71,634
	ट्रेजरी / Treasury	835	175
	अविनिधानित आस्तियां / Unallocated assets	20,932	21,691
	कुल आस्तियां / Total assets	**2,97,764**	**2,99,928**
घ. d.	**खंड देयताएं Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	27,934	53,464
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	2,38,355	2,17,844
	ट्रेजरी / Treasury	945	1,099
	अविनिधानित देयताएं / Unallocated liabilities	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particular	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2020
	कुल देयताएं / Total liabilities	**2,67,234**	**2,72,407**
ङ. e.	**नियोजित पूंजी (खंड आस्तियां - खंड देयताएं)** **Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	65,479	52,964
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	(55,771)	(46,210)
	ट्रेजरी / Treasury	(110)	(924)
	अविनिधानीय / Unallocated	20932	21,691
	कुल / TOTAL	**30530**	**27,521**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरित एफटीपी (निधि अंतरण मूल्य) सिस्टम के तहत गणना किए गए अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं।
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक ने यह माना है कि वह मुख्य रूप से देशी खंड में परिचालन करता है और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है।
  The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments

5. **संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / Related Party Disclosures (AS-18)**

अ. एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची
A. List of related party as per AS-18

I. **प्रमोटर: / Promoter:**
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) / Life Insurance Corporation of India (LIC)

II. **सहायक संस्थाएं: / Subsidiaries:**
- आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. / IDBI Capital Market & Securities Ltd.
- आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.
- आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लि. / IDBI Mutual Fund Trustee Company Ltd.
- आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. / IDBI Asset Management Ltd.
- आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. / IDBI Trusteeship Services Ltd.

III. **संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था: / Jointly controlled entity:**
- एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. (पहले आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।)
  Ageas Federal Life Insurance Co Ltd. (earlier known as IDBI Federal Life Insurance Co Ltd)

IV. **सहायक कंपनियाँ / Associates:**
- बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लिमिटेड / Biotech Consortium India Ltd.
- नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटिज लिमिटेड / National Securities Depository Ltd.

- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड / North Eastern Development Finance Corporation Ltd
- पोंडीचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआईपीडीआईसीएल)
  Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd (PIPDICL)

V. **बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक : / Key Management Personnel of the Bank:**

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.
  Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO.
- श्री सैमुएल जोसफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक.
  Shri Samuel Joseph Jebraj, Deputy Managing Director
- श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक.
  Shri Suresh Kishinchand Khatanhar, Deputy Managing Director
- श्री अजय शर्मा, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी.
  Shri Ajay Sharma, Executive Director & Chief Financial Officer.
- श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव (15 अप्रैल 2021 तक)
  Shri Pawan Agrawal, Company Secretary (upto April 15, 2021)
- श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव (16 अप्रैल 2021 से)
  Smt. Jyothi Nair, Company Secretary (w.e.f. April 16, 2021)

आ). संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण / Details of transactions with Related Parties

I. **संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेषराशियां (वित्तीय वर्ष 2020-21):**
Transactions/ balances with related parties (FY 2020-21):

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

मदें/ संबद्ध पक्षकार Items/ Related Party	प्रवर्तक/ धारक कंपनी Promote/ Holding company	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहायक कंपनियां# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel$	कुल Total
प्राप्त जमाराशियां * / Deposit Received*	1.55	-	-	-	-	1.55
31 मार्च 2020 तक अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding as on March 31, 2020	6,820.00	206.32	18.91	142.19	-	7,187.42
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	9,036.00	263.34	23.38	142.19	-	9,464.91
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	280.49	200.00	36.94	-	517.43
अधिकतम बकाया निवेश Maximum investments Outstanding		280.49	384.00	36.94	-	701.43
प्रदत्त अग्रिम / Advances Given	-	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

मदें/ संबद्ध पक्षकार Items/ Related Party	प्रवर्तक/ धारक कंपनी Promote/ Holding company	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहायक कंपनियां# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel$	कुल Total
बकाया अग्रिम Advances Outstanding	-	10.25	0.78	0.30	-	11.33
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advances due during the Year	-	16.07	0.97	0.30	-	17.34
अग्रिमों पर ब्याज Interest on Advances	-	-	-	-	-	-
अग्रिमों पर उपचित ब्याज Interest accrued on advances	-	-	-	-	-	-
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	10.68	6.49	0.30	4.18	-	21.65
पारिश्रमिक / Remunerations	-	-	-	-	1.73	1.73
अन्य व्यय / Other Expenditure	1.29	69.96	-	0.85	-	72.10
अन्य आय / Other Income	63.64	14.69	5.20	0.00	-	83.53
वर्ष के दौरान लाभ/ हानि का हिस्सा Share of profit/ Loss during the year	-	46.08	33.22	83.46	-	162.75
इक्विटी निवेश / Equity Investment	-	-	-	-	-	-
अचल आस्ति खरीद Fixed asset purchase	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त गारंटी / /Guarantees given	-	-	-	-	-	-
उधार पर ब्याज Interest on borrowing	322.17	-	-	-	-	322.17

** वर्ष के दौरान प्राप्त नई सावधि जमाओं को दर्शाता है.*

** Represents new term deposits received during the year.*

 # सभी सहयोगी campniyon के संबंध में, बैंक को कंपनी से किसी प्रकार के वित्तीय विवरण तथा संव्यवहार विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं अत: उनकी जानकारी उक्त में समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में किए गए निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया है.

 # In respect of all the associates, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the Company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के संव्यवहारों को प्रकट नहीं किया गया है.

$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेषराशियां (वित्तीय वर्ष 2019-20) : / Transactions/ balances with related parties (FY 2019-20):

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

मदें/ संबद्ध पक्षकार Items/ Related Party	प्रवर्तक/ धारक कंपनी Promote/ Holding company	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहायक कंपनियां# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक$ Key Management Personnel$	कुल Total
प्राप्त जमाराशियां * Deposit Received*	2,507.00	132.08		3.96 102.60	-	2,745.64
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	3,040.00	150.89	8.39	-	-	3,199.28
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	5,800.00	150.97	12.70	78.96	-	6,042.63
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	280.80	384.00	38.50	-	703.30
इक्विटी अंशदान / Equity Contributions	4,743.00	-	-	-	-	4,743.00
प्रदत्त अग्रिम / Advances Given	-	-	-	-	-	-
बकाया अग्रिम Advances Outstanding	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advances due during the Year	-	-	-	-	-	-
अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज Interest on Advances	-	-	-	-	-	-
अग्रिमों पर उपचित ब्याज Interest accrued on advances	-	-	-	-	-	-
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	0.00	6.03	1.77	6.42	-	14.23
पारिश्रमिक Remunerations	-	1.50	-	0.02	1.97	3.49
अन्य व्यय Other Expenditure	0.34	66.73	-	0.02	-	67.08
अन्य आय Other Income	40.47	20.85	83.75	0.00	-	145.06
वर्ष के दौरान लाभ/ हानि का हिस्सा Share of profit/ Loss during the year	-	19.51	70.96	28.10	-	118.57

** वर्ष के दौरान प्राप्त नई सावधि जमाओं को दर्शाता है.*

** Represents new term deposits received during the Year.*

 # पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से किसी प्रकार के वित्तीय विवरण तथा लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः इसकी जानकारी उपर्युक्त में समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में किए गए निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया है.

 # In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the Company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के संव्यवहारों को प्रकट नहीं किया गया है.

$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

II. **वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को ₹ 1.73 करोड़ का पारिश्रमिक प्रदान किया गया.**
Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 1.73 Crores.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20
श्री राकेश शर्मा / Shri Rakesh Sharma	0.36	0.37
श्री सैमुएल जोसफ जेबराज / Shri Samuel Joseph Jebaraj	0.32	0.18
श्री सुरेश किशनचंद खटनहार / Shri Suresh Kishanchand Khatanhar	0.31	0.07
श्री अजय शर्मा / Shri Ajay Sharma	0.37	0.40
श्री पवन अग्रवाल / Shri Pawan Agarwal	0.36	0.40
कुल / TOTAL	**1.73**	**1.42**

6. **पट्टे (एएस-19) / Leases (AS-19)**

अ) लीज /किराए आधार पर ली गई संपत्तियों को बैंक के विकल्प पर नवीकृत/रद्द किया जा सकता है.
a) The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

आ) बैंक द्वारा लिए गए लीज, आपसी सहमति से कैलेंडर माह का लिखित में नोटिस देते हुए लीज अवधि के दौरान भी लीज को समाप्त करने के विकल्प सहित सहमत अवधि के लिए है.
b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

इ परिचालनगत लीज के लिए भुगतान किए गए लीज किराए को, इससे संबंधित वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में स्वीकार किया गया था. वर्ष के दौरान स्वीकृत लीज किराया ₹ 369.25 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 339.79 करोड़) है.
c) Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognised during the year is ₹ 369.25 Crores (Previous Year: ₹ 339.79 Crores)

7. **प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20) / Earnings Per Share (EPS) (AS-20)**

विवरण Particular	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ/ हानि (₹ करोड़ में) Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ in Crores)	1,359.46	(12,887.33)
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1048,55,15,210	889,94,97,497
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	-	-
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1048,55,15,210	889,94,97,497
ईपीएस (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	1.30	(14.48)
ईपीएस (न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	1.30	(14.48)
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

8. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / Accounting For Taxes On Income (AS-22)

समय अंतराल के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयता का घटक नीचे दिया गया है :
The components of Deferred Tax Asset and Deferred Tax Liability arising out of timing difference are as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particular	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 2021	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the yeare nded March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 2020
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Asset			
एनपीए तथा अन्य प्रावधानों से संबंधित अस्वीकृत जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं है Disallowance related to NPA and other provisions not allowed under Income Tax Act, 1961	8,754.08	(1,880.08)	10,634.16
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों से संबंधित अस्वीकृति Disallowance as per the provisions of Income Tax Act, 1961	190.32	29.72	160.60
शामिल नहीं किए गए मूल्यह्रास / Unabsorbed depreciation	159.89	42.81	117.08
कारोबार में हानि / Business Loss	5646.43	492.88	5,153.55
कुल (अ) / Total (A)	**14,750.72**	**(1,314.67)**	**16,065.39**
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	2.11	(5.99)	8.10
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	307.71	-	307.71
कुल (आ) / Total (B)	**309.82**	**(5.99)**	**315.81**
आस्थगित कर आस्ति / देयता / (निवल)(अ)-(आ) Deferred tax asset/ (liability) (net) (A) – (B)	**14,440.90**	**1,308.68**	**15,749.58**

कराधान के लिए प्रावधान / Provision of Taxation

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particular	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
आयकर / Income Tax	शून्य* / Nil*	शून्य / Nil

** वित्त वर्ष 2021 के लिए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया. वित्तीय वर्ष 1998, वित्तीय वर्ष 1999 और वित्तीय वर्ष 2000 के लिए किया गया कुल ₹ 299.52 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान आयकर वापसी के रूप में वर्ष के दौरान वापस किया गया.*

** No provision for Income Tax made for the FY 2021. The excess provision for FY 1998, FY 1999 & FY 2000 aggregating to ₹ 299.52 Crores was written back during the year on account of Income tax refund.*

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

9. **परिचालन बंद करना (एएस-24) / Discontinuing Operations (AS-24)**

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान, बैंक ने अपनी किसी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप देयता से मुक्ति मिली हो और आस्तियों की वसूली हुई हो और परिचालन को पूरी तरह से बंद करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे उपर्युक्त प्रभावित हो.

During the period from April 1, 2020 to March 31, 2021 the Bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realisation of the assets and no decision has been finalised to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect.

10. **संयुक्त उद्यम (एएस-27) / Joint Ventures (AS-27)**

निवेशों में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम में बैंक के हित से संबंधित ₹ 200 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 384 करोड़) शामिल है.

Investments include ₹ 200 Crores (Previous Year: ₹ 384 Crores) representing Bank's interest in the following joint venture:

कंपनी का नाम Name of the Company	निवास का देश Country of Residence	31 मार्च 2021 को धारिता Holding as on March 31, 2021	31 मार्च 2020 को धारिता Holding as on March 31, 2020
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं लि.* Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.*	भारत / India	25%	48%

** पहले आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था*

** Earlier known as IDBI Federal Life Insurance Co Ltd.*

एएस 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित सभी आस्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की प्रत्येक की कुल राशियों का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है:

As required by AS-27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entity are disclosed as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particular	31 मार्च 2021 (लेखापरीक्षित) March 31, 2021 (Audited)	31 मार्च 2020 (लेखापरीक्षित) March 31, 2020 (Audited)
देयताएं / Liabilities		
इक्विटी पूंजी / Equity Capital	200.00	384.00
रिजर्व और अधिशेष / Reserves and Surplus	59.65	57.20
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	113.63	45.16
कुल / TOTAL	**373.28**	**486.36**
आस्तियां / Assets		
नकदी और बैंक शेषराशियां / Cash and Bank Balances	24.06	38.91
निवेश / Investments	175.94	134.25
अग्रिम / Advances	2.45	3.59
अचल आस्तियां / Fixed Assets	32.14	64.32
अन्य आस्तियां / Other Assets	138.69	245.29
कुल / TOTAL	**373.28**	**486.36**
पूंजी वचनबद्धताएं / Capital Commitments	4.32	4.59

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particular	31 मार्च 2021 (लेखापरीक्षित) March 31, 2021 (Audited)	31 मार्च 2020 (लेखापरीक्षित) March 31, 2020 (Audited)
अन्य आकस्मिक देयताएं / Other Contingent Liabilities	15.95	31.56
आय / Income		
अर्जित ब्याज / Interest Earned	15.35	19.53
अन्य आय / Other income	25.96	62.20
कुल / TOTAL	**41.31**	**81.73**
व्यय / Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि / Losses from Insurance Business	0.00	0.00
परिचालनगत व्यय / Operating expenses	3.31	4.38
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies	4.78	6.40
कुल / TOTAL	**8.09**	**10.78**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) for the Year	**33.22**	**70.96**

11. अ. आकस्मिक देयताओं का विवरण*

A. Description of Contingent Liabilities*

क्रम सं. Sl. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange ontracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृह्द मूल्य सृजित होता है, जबकि इसका निवल बाजार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्रम सं. Sl. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
III	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its Banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance Banking activities with a view to augment the customers credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.
V	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कॉरपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है.

क्रम सं. Sl. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
		This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income tax, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favourable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.
VIII	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following : क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां और a) the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित राशि- b) the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)- जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को 'रिज़र्व बैंक डीईएएफ निधि' में अंतरित करता है. In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued, if any, from the customer accounts not operated or amounts not claimed for more than 10 years to the RBI DEAF.

आ. दीर्घावधि संविदाएं
B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसी दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.
The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

इ. लंबित मुकदमे
C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियाँ शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

**मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएं देखें.*

**Refer Schedule-12- Contingent Liabilities for quantitative disclosure.*

इ अन्य प्रकटन
C. OTHER DISCLOSURES

I. वर्ष के दौरान अधिमानी आधार पर निम्नानुसार इक्विटी शेयर आबंटित किए गए :
During the year the Equity Shares allotted on preferential basis are as under:

लाभार्थी Beneficiary	आबंटन प्रकार Type of allotment	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crores)	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रत्येक ₹ 10) No. of Shares (Face value ₹ 10 each)	निर्गम मूल्य (₹ में) Issue Price (in ₹)	शेयर प्रीमियम प्रति शेयर (₹ में) Share premium per share (in ₹)	आबंटन की तारीख Date of Allotment
भारत सरकार Government of India	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) Life Insurance Corporation of India(LIC)	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई Any other	क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) Qualified Institutional Placement (QIP)	1,435.18	37,18,08,177	38.60	28.60	19 दिसंबर 2020 December 19, 2020

II. भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ): / Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF):

बैंक को सितंबर 2024 में ट्रस्ट की समाप्ति के समय भारत सरकार द्वारा स्थापित भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) ट्रस्ट में वसूली की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करना होगा. तदनुसार, बैंक ने एसएएसएफ ट्रस्ट द्वारा वसूली में अनुमानित कमी के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 800 करोड़ का प्रावधान किया है. 31 मार्च 2021 तक किया गया कुल प्रावधान ₹ 1,100 करोड़ है.

Bank will be required to meet the shortfall in recovery of Stressed Assets Stabilization Fund (SASF) Trust set up by the Government of India, if any, at the time of termination of the trust in September 2024. Accordingly, Bank has made provision of ₹ 800 Crores, during the year ended March 31, 2021, towards the estimated shortfall in recoveries by SASF Trust. Total provision held as on March 31, 2021 is ₹ 1,100 Crores.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग ने 5 सितंबर 2016 के अपने पत्र के जरिए बैंक को सूचित किया कि वह 2006 में किए गए भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) के आस्ति विनिमय के निवल प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार को ₹ 1064.27 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां अभ्यर्पित करे. तदनुसार 31 मार्च 2021 को एसएएसएफ़ खाते से बट्टे खाते में डाली गयी कुल प्रतिभूतियों की राशि ₹ 1064.27 करोड़ है. इस प्रकार से बट्टे खाते में डाली गयी संपूर्ण राशि को पूरा कर लिया गया है. तथापि, भारत

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

सरकार की अधिसूचना के लंबित होने के कारण इन बट्टे खाते में डाली गयी ये प्रतिभूतियां यथा 31 मार्च 2021 को एसजीएल खाते में दर्शायी गयी है. जिसके परिणामस्वरूप एसजीएल खाते में समान राशि का अंतर आया है.

The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter dated 5th September 2016, advised the Bank to surrender securities of ₹ 1064.27 Crores to the GoI representing net impact of the asset exchange of Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) done by the Bank in 2006. Accordingly as on March 31, 2021, total securities written off from SASF account stands at ₹ 1064.27 cr. Thus the full written off has been completed. However, these written off securities are not reflected in SGL account as on 31.03.2021 due to pending Government notification for redemption, which resulted in difference of the same amount in SGL account.

III. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय नोट : / Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:**

क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशि; ₹ शून्य (पिछले वर्ष: ₹ शून्य)

a. Gross amount required to be spent by the Bank during the year: ₹ Nil (Previous Year: ₹ Nil)

ख. वर्ष के दौरान व्यय राशि:

b. Amount spent during the year:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20
नकद में / In cash	शून्य / Nil	शून्य / Nil
नकद भुगतान किया जाना है / Yet to be paid in cash	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / TOTAL	**शून्य / Nil**	**शून्य / Nil**

IV. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ प्रकटीकरण करना आवश्यक है. बैंक अपने आपूर्तिकर्ताओं से उक्त अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में संबंधित सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन की राय में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज, यदि कोई है, का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने की उम्मीद है.

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

V. पूंजीगत खाते पर निष्पादन के लिए शेष रही संविदाओं के संबंध में अनुमानित पूंजी राशि (अग्रिमों का निवल) और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया ₹ 146.82 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 120.98 करोड़) है.

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 146.82 Crores (Previous Year: ₹ 120.98 Crores).

VI. वेतन संशोधन पर उद्योग व्यापी द्विपक्षीय समझौते के लंबित रहने (नवंबर 2017 से देय) को ध्यान में रखते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान इस मद के लिए अनुमानित आधार पर ₹ 294 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 350 करोड़) की राशि का प्रावधान किया है. यथा 31 मार्च 2021 को संचयी प्रावधान की कुल राशि ₹ 773 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 420 करोड़ थी).

Pending industry wide bipartite settlement on wage revision (due with effect from November 2017), a sum of ₹ 294 Crores (Previous Year: ₹ 350 Crores) has been provided by the Bank during the year on this account on estimated basis. Cumulative provision held as on March 31, 2021 was ₹ 773 Crores (Previous Year: ₹ 420 Crores).

VII. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (पूर्ववर्ती आईडीबीआई) संसद के एक विशेष अधिनियम, अर्थात् आईडीबीआई अधिनियम, 1964 के तहत गठित एक सांविधिक कॉर्पोरेशन था. इसे वर्ष 2004 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनी के रूप में गठित आईडीबीआई बैंक के वर्तमान नाम से एक बैंक में परिवर्तित किया गया था.

Industrial Development Bank of India (eIDBI) was a Statutory Corporation constituted under a special Act of Parliament, i.e., the IDBI Act, 1964. It was converted into a Bank in the present name of IDBI Bank constituted as a Company under the Companies Act, 1956 in the year 2004.

1995 में आईपीओ के संबंध में रिफंड के लिए देय आवेदन राशि और कंपनी बनने से पहले पूर्ववर्ती आईडीबीआई द्वारा घोषित अदावी लाभांश आईडीबीआई बैंक के पास पड़े थे. सचिवीय लेखा परीक्षकों से प्राप्त विधिक राय के अनुसार इस मामले में एमसीए/आईईपीएफ प्राधिकरण से

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

सलाह लेने का सुझाव दिया गया था. तदनुसार, आईडीबीआई बैंक ने इस संबंध में सलाह लेने के लिए एमसीए/आईईपीएफ प्राधिकरण को पत्र लिखा था.

The amount of application money due for refund in respect of IPO in 1995 and unclaimed dividends declared by e-IDBI prior to becoming the Company were lying with IDBI Bank. As per the legal opinion obtained from the Secretarial Auditors, it was suggested to seek advice from MCA/ IEPF Authority in the matter. Accordingly, IDBI Bank had written to MCA/ IEPF Authority to seek advice in this regard.

जवाब में, आईईपीएफ प्राधिकरण ने दिनांक 01 फरवरी 2021 के पत्र द्वारा आईडीबीआई बैंक को पूर्ववर्ती आईडीबीआई से संबंधित अदत्त लाभांश को आईईपीएफ को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया. उक्त निर्देश के अनुसार, आईडीबीआई बैंक ने वित्तीय वर्ष 1995-96 से 2002-03 के लिए ₹ 7.11 करोड़ की राशि आईईपीएफ को हस्तांतरित की है.

In response, IEPF Authority, vide letter dated February 01, 2021 directed IDBI Bank to transfer the unpaid dividends pertaining to eIDBI to IEPF. Pursuant to aforesaid direction, IDBI Bank transferred the amount of ₹ 7.11 Crores for the financial years 1995-96 to 2002-03 to IEPF.

VIII. बैंक को आरबीआई द्वारा एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे (पीसीएएफ) के तहत रखा गया था. बेहतर प्रदर्शन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 10 मार्च 2021 से बैंक को पीसीएएफ़ से बाहर किया गया है.

The Bank had been put under a Prompt Corrective Action Framework (PCAF) by RBI. Considering the improved performance parameters, the RBI has taken out the Bank from the PCAF with effect from March 10, 2021.

IX. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिये गए हैं और चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति से पुष्टि के लिए उन्हें पुनर्समूहित/ पुनर्व्यस्थित किया गया है.

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

लेखों की अनुसूचि '1' से '18' के लिए हस्ताक्षर
Signatures to Schedule '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	(जे. सैम्युअल जोसेफ) (J. Samuel Joseph) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02262530)	(सुरेश खटनहार) (Suresh Khatanhar) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 03022106)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida) निदेशक Director (डीआईएन/DIN: 01853823)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	(ज्योति नायर) (Jyothi Nair) कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के एस अय्यर एंड कं. For K S Aiyar & Co. सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 100186W	कृते एम पी चितले एंड कं. For M P Chitale & Co. सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 101851W
सतीश केलकर Satish Kelkar साझेदार (स. सं. 038934)/Partner (M.No. 038934)	आशुतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar साझेदार (स. सं. 041037)/Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2021

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2021 को समाप्ति वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
अ. A.	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from Operating Activities		
(1)	**कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ Net profit before tax and extra-ordinary items**	2368 62 49	(8967 43 52)
(2)	**गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन: Adjustments for non cash items:**		
-	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	42 06	4 76 34
-	मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिज़र्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	392 93 26	390 67 66
-	प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना / निवेश तथा अन्य प्रावधान Provisions/ Write off of Loans/ Investments and other provisions	4729 52 12	14085 79 10
-	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/(हानि) (Profit)/ Loss on revaluation of Investments	-	-
		7491 49 93	5513 79 58
(3)	**परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
	- निवेश / Investments	(1327 76 56)	9590 39 50
	- अग्रिम / Advances	1335 78 86	4902 44 70
	- अन्य आस्तियां / Other Assets	3009 95 76	(2870 50 36)
	- करों की वापसी / (भुगतान) / Refund/ (payment) of taxes	(263 89 04)	(917 41 77)
(4)	**परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन: Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
-	उधार राशियां / Borrowings	(20840 80 28)	(8538 86 78)
-	जमा राशियां / Deposits	8474 28 23	(4947 59 96)
-	अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5577 06 81	(2541 90 96)
	परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी Net Cash used in/generated from Operating activities	**3456 13 71**	**190 33 95**
आ. B.	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing activities		
-	अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of fixed assets	(87 01 27)	(293 63 35)
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Investing activities	(87 01 27)	(293 63 35)

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2021

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2021 को समाप्ति वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह C. Cash Flow from Financing activities		
- इक्विटी शेयरों का निर्गम* / Issue of Equity Shares*	1422 65 93	9300 00 00
- आबंटन हेतु शेयर आवेदन राशि लंबित Share Application Money pending allotment	-	-
- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and dividend tax paid	-	-
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	**1422 65 93**	**9300 00 00**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	4791 78 37	9196 70 60
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	30430 40 55	21233 69 95
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**35222 18 92**	**30430 40 55**
नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन पत्र मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	13012 80 33	10538 83 41
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	22209 38 59	19891 57 14
कुल / TOTAL	**35222 18 92**	**30430 40 55**

* चालू वर्ष की संख्या में शेयर निर्गम व्ययों को घटा दिया गया है.
* Current year number is net of share issue expenses.

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के एस अय्यर एंड कं.
For K S Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)/Partner (M.No. 038934)

कृते एम पी चितले एंड कं.
For M P Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक), इसकी सहायक संस्थाओं, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम (बैंक और इसकी सहायक संस्थाएं सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट), के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च 2021 के समेकित तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखे, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी की लेखापरीक्षा की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i) आईडीबीआई बैंक लि. के लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 03 मई 2021 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए हमारे द्वारा लेखापरीक्षित किए गए थे.

ii) अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा 05 देशी सहायक संस्थाओं और 01 संयुक्त उद्यम के लेखापरीक्षित लेखे.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 तथा साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2021 को समूह के कार्यों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि तथा नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत लेखापरीक्षा पर विनिर्दिष्ट मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों (एसए) के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है. हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकतों एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है.

महत्वपूर्ण विषय

हम टिप्पणी 18(14) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें सार्स-सीओवी-2 वायरस (कोविद-19) के प्रकोप के कारण कारोबारी अनिश्चितताओं का उल्लेख किया गया है. इन अनिश्चितताओं को देखते हुए समूह के परिणामों पर प्रभाव मुख्यत: भावी परिवर्तनों पर निर्भर करेगा.

इस मामले में हमारे अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी

Independent Auditors' Report

To,
The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited (the Bank) its subsidiaries, associates and joint venture (the Bank and its subsidiary companies together referred to as "the Group") comprising of the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2021, the consolidated Profit and Loss Account, the consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto, in which the following are incorporated:

i) Audited accounts of IDBI Bank Limited, audited by us, vide our audit report dated May 03, 2021.

ii) Audited accounts of 05 domestic subsidiaries and 01 joint venture audited by other auditors.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, as well as the Companies Act, 2013 ("the Act") and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards ("AS") prescribed under Section 133 of the Act, read with rules made thereunder, of the state of affairs of the Group, its associates and jointly controlled entity as at March 31, 2021 and its profit, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 18 (14) which describes the business uncertainties due to the outbreak of SARS-CoV-2 virus (COVID-19). In view of these uncertainties, the impact on the Group's Consolidated Financial Statements is significantly dependent on future developments.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters

राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का जवाब
आस्थगित कर आस्ति की मान्यता और मापन	
बैंक ने यथा 31 मार्च 2021 को ₹ 14,440.91 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जिसमें वर्ष के दौरान ₹ 1,308.68 करोड़ का निवल विपर्यय शामिल है. आस्थगित कर आस्ति के निर्धारण और मापन, वस्तुनिष्ठ अनुमान के अलावा भविष्य में लाभों की उपलब्धता और दृश्यता के संबंध में विविध निर्णयों और अनुमानों और साथ ही कोविद -19 महामारी के संभावित प्रभाव पर निर्भर है. आस्थगित कर आस्ति की अभिनिर्धारित राशि में विस्तारित अवधि में लाभ की उपलब्धता की संभावना पूर्वानुमानित की गई है, जिससे अनिश्चितता और उक्त आस्ति में निहित अनुपयुक्त निर्धारण का जोखिम बढ़ा है.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रयोज्य कर कानूनों और बैंक पर लागू संबंधित विनियमों को समझना शामिल था. हमने अपनी नियंत्रण परीक्षण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूरी कीं: • एएस 22 'आय पर कर के लेखांकन' के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का मूल्यांकन; • कोविद-19 के संभावित प्रभाव सहित प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त अन्य मापदंडों और अनुमानों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से बैंक, निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरण स्वीकार करते समय नोट किए गए पूर्वानुमानों के संदर्भ में भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर सकेगा. • प्रयोज्य कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया.
अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण	
कृपया समेकित वित्तीय विवरणों के अंतर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की आस्ति गुणवत्ता विषयक टिप्पणी सं. 18(16) एवं 18(15) तथा गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के संबंध में प्रावधानों और प्रकटनों साथ ही कोविद-19 महामारी के संभावित प्रभाव के कारण किए गए प्रावधानों के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 18(14) का संदर्भ लें.	हमारे लेखापरीक्षित दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है. इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं: • हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण

described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset	
The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 14,440.91 Crores as on March 31, 2021, including net reversal of ₹ 1,308.68 Crores during the year. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future and also considering probable impact of Covid-19 pandemic. The amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.	Our audit procedures involved gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including: • evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • assessed the probability of the availability of profits based on assumptions and other parameters used by the Management including the probable impact of Covid-19 pandemic against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Board of Directors while adopting the Consolidated Financial Statements. • assessed the method for determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.
Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms	
Please refer to Note nos. 18(16) and 18(15) of Consolidated Financial Statement relating to Asset Quality in respect of movement of Non-Performing Assets (NPAs) and related provisions and disclosures with regard to Non-Performing Investments (NPI) respectively as also Note no. 18(14) regarding the provisions made due to the probable impact of Covid-19 pandemic.	Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular: • we have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant

अग्रिमों के साथ-साथ निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला है, क्योंकि इसमें तात्विकता तथा बैंक की मौजूदा प्रक्रियाएँ निहित हैं जिनके लिए मानवीय हस्तक्षेप, प्रबंधन अनुमान एवं निर्णय आवश्यक है.	के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन कर उसे समझा है. • हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में मानवीय प्रक्रिया और मानवीय नियंत्रणों सहित प्रमुख आईटी प्रणालियों/एप्लीकेशनों, उनकी डिजाइन और कार्यान्वयन तथा संबंधित नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है. • हमने अभिलिखित राशि की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण की जांच करने के लिए अग्रिमों का परीक्षण किया है. हमने रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार खातों के विवरण, हानि संकेतकों, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए हानि प्रावधानों तथा अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के अनुपालनों की जांच की है; और • हमने प्रबंधन निर्णय की पुरानी प्रवृत्तियों, अभिशासन प्रक्रिया और हानि प्रावधान गणनाओं के समीक्षात्मक नियंत्रण का मूल्यांकन किया तथा बैंक के शीर्ष तथा वरिष्ठ प्रबंधन से प्रावधानों पर विमर्श किया है.
आईटी प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण	
बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि आईटी	• हमने बैंक की आईटी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए ही लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं व नमूना जांच को नियोजित, निर्मित और निष्पादित किया है.

Compliance of relevant prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances as well as those pertaining to investments is a key audit matter due to materiality involved and the current processes at the Bank which requires manual interventions, management estimates and judgement.	RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments; • we have tested key IT systems/ applications used and their design and implementation as well as operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments; • we have test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, indicators of impairment, impairment provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines; • we have evaluated the past trends of Management judgement, governance process and review controls over impairment provision calculations and discussed the provisions made with the top and senior Management of the Bank.
IT Systems and controls over financial reporting	
The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking and Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls such that	• We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank.

नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रेकॉर्ड्स के तात्विक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है. उपयुक्त आईटी नियंत्रण अपेक्षित है ताकि आईटी एप्लिकेशन योजना के अनुसार कार्य करते रहें और परिवर्तनों पर उचित रूप से नियंत्रण रहे. इस प्रकार के नियंत्रण से आउटपुट डेटा के गलत होने का जोखिम न्यूनतम रहेगा. लेखापरीक्षा के परिणाम आईटी नियंत्रण व प्रणाली पर निर्भर करते हैं.	• ट्रेजरी और आईआरएसी के क्षेत्र में पर्याप्त मूल्यांकन के लिए हमने प्रणालियों के एकीकरण के संबंध में प्रबंधन से चर्चा की है. • इसके अलावा हमने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा तथा साथ ही सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर संचालित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भी भरोसा किया है. • हमने प्रमुख ऑटोमेटेड व मानवीय कारोबार चक्र नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा से संबंधित सिस्टम जनरेटेड रिपोर्टों के तर्क का परीक्षण भी किया है, साथ ही प्रतिकारी नियंत्रण का परीक्षण करने के अलावा वैकल्पिक प्रक्रियाएँ भी अपनाई हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या किसी ऐसे आईटी जोखिम पर कार्रवाई तो नहीं छूट गई, जो वित्तीय विवरणों पर तात्कालिक प्रभाव डाले.

कोविद -19 महामारी के कारण अनिवार्य राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर निर्भरता और ऑडिट प्रक्रियाओं का निर्वहन

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और उनका ऑडिट करने के लिए आवश्यक जानकारी को रिकॉर्ड करने और संग्रहीत करने की बैंक की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल प्रक्रियाओं का संयोजन है. अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण तथा उसके बाद बैंक के परिसर का दौरा किए बिना इन प्रक्रियाओं का हमारे द्वारा दूर से ऑडिट किया जाना आवश्यक था. बैंक ने हमें सुरक्षित वर्चुअल नेटवर्क कनेशन उपलब्ध कराया जिसके माध्यम से हम कोर बैंकिंग समाधान एवं अन्य सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते थे. इलेक्ट्रोनिक आंकड़े/ जानकारियाँ/ दस्तावेज कॉमन ड्राइव पर शेयर किए गए. यदि हम शारीरिक रूप से कंपनी के परिसर में मौजूद होते, तो हमने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भौतिक प्रतियों	हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा कर प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पुष्टि की है: • भौतिक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में बदलने के लिए लागू किए गए नियंत्रणों के बारे में प्रबंधन से पूछताछ और उन्हें समझना. • कोर बैंकिंग समाधान, ट्रेजरी, आईआरएसी, अचल आस्तियां एवं परिचालन व्यय, वित्तीय रिपोर्टिंग और सीआरएआर कम्प्यूटेशन सॉफ्टवेयर सहित विभिन्न सॉफ्टवेयर्स से जानकारी निकालने के तरीके के बारे में प्रबंधन से पूछताछ

there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. Appropriate IT controls are required to ensure that the IT applications perform as planned and the changes made are properly controlled. Such controls contribute to risk mitigation of erroneous output data. The audit outcome is dependent on the extent of IT controls and systems.	• We discussed with Management regarding integration of systems in the areas of treasury and IRAC to evaluate their adequacy. • In addition, we have also relied on IS audit conducted by internal audit department, and also the audit of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants. • We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the Consolidated Financial Statements.

Placing reliance on electronic evidence and performing of audit procedures during the mandatory national lockdown due to the Covid-19 pandemic

The Bank's procedures of recording and storing information necessary for preparation of Consolidated Financial Statements and having them audited is combination of electronic and manual processes. These processes were required to be audited by us remotely without visiting the Bank's premises due to the mandatory national lockdown and thereafter. Bank provided us a secure virtual private network connection through which we could access the core banking solution and other software and the electronic data / information / documents shared on common drives. Had we been physically present at the Company premises, we would have otherwise	We have carried out the validation of the electronic evidence provided by the Management by performing the following procedures: • Inquiring with the Management of the controls they have implemented to convert physical documents into electronic versions and understanding them • Inquiring with the Management the method and controls used to extract information from its various softwares including Core Banking Solution, Treasury, IRAC, fixed assets & operating expenses, financial

को सत्यापित कर लिया होता और हम भौतिक प्रतियों में लेखा परीक्षण के साक्ष्य एकत्र कर सकते थे.	करना और यह समझना कि प्रबंधन कैसे पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करता है. • संगतता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विभिन्न विशेषताओं का परस्पर तालमेल देखना. • जहाँ भी आवश्यक हो प्रबंधन से रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करना.

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारियों में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट उनके अनुबंध सहित (सामूहिक रूप से 'अन्य जानकारी' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं लेकिन इनमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III प्रकटन) के तहत पिलर III के प्रकटन शामिल नहीं हैं. उपर्युक्त अन्य जानकारियाँ इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं देते हैं.

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि उपलब्ध कराए जाने पर अभिनिर्धारित अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती है. यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य को प्रभारप्राप्त व्यक्तियों को रिपोर्ट करना आवश्यक है.

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 और बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उसे बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति

verified the physical copies of critical documents and we would have collected the audit evidence in physical copies.	reporting and the CRAR computation softwares and understanding how the Management ensures completeness and accuracy • Correlating various attributes of the electronic evidence obtained to ensure consistency and integrity. • Obtaining representations from the Management wherever necessary.

Information Other Than Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of information other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon. The Other Information comprises the Management Discussion and Analysis, Directors' Report including Annexures to Directors' Report (collectively called as "Other Information") but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon and the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures). The Other information as above is expected to be made available to us after the date of this Auditors' report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Group including its associate companies and jointly controlled entity in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and

प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनियों के संबन्धित निदेशक मंडलों को समूह में शामिल किया जाता है. इसकी सहयोगी कंपनियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयां संबन्धित इकाइयों के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

अपनी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों सहित समूह में शामिल संबन्धित निदेशक मण्डल भी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों सहित समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे ठोस तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझकर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करना, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त है.
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन का करना.
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित तात्विक अनिश्चतता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह और इसकी सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें हमारी

maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group, its associate companies and jointly controlled entity are responsible for assessing the ability of respective entities to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the respective Management either intends to liquidate their respective entities or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group including its associate companies and jointly controlled entity is also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group including its associate companies and jointly controlled entity.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Group has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management.
- Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's including its associate companies and jointly

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती है.

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों तथा लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को विवरणी भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधों और उन मामलों जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अन्य मामले

(i) हमने बैंक के समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल दुबई स्थित विदेशी शाखा की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसकी वित्तीय जानकारी यथा 31 मार्च, 2021 को ₹ 1,066.21 करोड़ की कुल आस्ति और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 74.73 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाती है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है. इस शाखा की लेखापरीक्षा स्थानीय शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है, और अब तक इस शाखा के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

(ii) हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है :

(क) 05 देशी सहायक कंपनियों जिनके वित्तीय विवरण के अनुसार यथा 31 मार्च 2021 को समूह की कुल आस्तियां ₹ 839.28 करोड़ थीं तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 315.04 करोड़ और निवल नकदी प्रवाह ₹ 51.99 करोड़ था, जिनकी लेखापरीक्षा उनके संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थीं और उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई थीं तथा हमारी राय महज उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है.

(ख) 01 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी जिसके वित्तीय विवरण के अनुसार यथा 31 मार्च 2021 को कुल आस्तियों में समूह का हिस्सा ₹ 373.28 करोड़ था तथा समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 41.31 करोड़ था, जिसकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी और उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई थी तथा हमारी राय महज उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है.

controlled entity ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group including its associate companies and jointly controlled entity to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication

Other Matters

(i) We did not audit the financial statements of the foreign branch in Dubai included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of ₹ 1,066.21 Crores as at March 31, 2021 and total revenue of ₹ 74.73 Crores for the year ended on that date. This branch has been audited by a local branch auditor whose report has been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this branch, is based solely on the report of such branch auditor.

(ii) We did not audit the financial statements of:

(a) 05 domestic subsidiaries whose financial statements reflect the Group's share of total assets of ₹ 839.28 Crores as at March 31, 2021 and total revenues of ₹ 315.04 Crores and net cash inflows amounting to ₹ 51.99 Crores for the year then ended, which have been audited by their respective auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

(b) 01 jointly controlled entity whose financial statements reflect the Group's share of total assets of ₹ 373.28 Crores as at March 31, 2021 and total revenues of ₹ 41.31 Crores for the year then ended, which has been audited by its respective auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

(iii) समेकित वित्तीय विवरणों में 04 सहयोगी कंपनियों के लाभ/हानि के शेयर शामिल नहीं हैं, क्योंकि इनके वित्तीय विवरण/इनकी वित्तीय जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण इन पर विचार नहीं किया गया है. हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई वित्तीय विवरणो/ वित्तीय जानकारी के अनुसार ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है - टिप्पणी 18(10) देखें.

जहां तक किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में उपर्युक्त मामलों पर हमारे विश्वास का संबंध है, संयुक्त वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, और नीचे के अन्य विधिक एवं विनियामकीय आवश्यकताओं के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 133 के साथ पठित अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सम्पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.

   ख) समूह के जो लेन-देन हमारे ध्यान में लाए गए, वे समूह की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

   ग) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने 27 शाखाओं का दौरा किया है ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से ऐसी शाखाओं में बनाए गए रिकॉर्ड की जांच कर सकें. जैसा कि ऊपर दिए गए मुख्य लेखापरीक्षा मामलों पर हमारे पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, स्थानीय लॉकडाउन के कारण शेष लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को दूरस्थ रूप से आयोजित किया गया था. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, जिसमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी शामिल है, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गयी है.

3. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सम्पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ उचित और और पर्याप्त विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं;

   ग) बैंक की दुबई शाखा के लेखों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है और इस पर उचित रूप से विचार किया गया है;

   घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

   ङ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं;

(iii) The Consolidated Financial Statements do not include share of profit / loss of 04 associates because these have not been considered on account of non-availability of their financial statements / financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements / financial information are not material to the Group – refer note 18(10).

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.

2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

   b) The transactions of the Group, which have come to our notice, have been within the powers of the Group.

   c) During the course of our audit we have visited 27 branches to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit. As mentioned in our paragraph on Key Audit Matters above, due to the local lockdowns, the remainder audit procedures were conducted remotely. The returns received from the offices and branches of the Bank as supplemented with the information furnished by the Management have been found adequate for the purpose of our audit.

3. Further, as required by section 143(3) of Act, we report that:

   a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us;

   c) the report on the accounts of the Dubai branch of the Bank audited by other auditors has been forwarded to us and the same has been appropriately dealt with;

   d) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account;

   e) in our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and Rules made thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

च) यथा 31 मार्च 2021 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त और बैंक के निदेशक मंडल तथा भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के सांविधिक लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों सहित समूह के किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है;

छ) समूह के वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध ए' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें;

ज) हमारी राय और हमारी सम्पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अन्य लेखा परीक्षकों की ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, सहायक कंपनियां एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों, जो हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं हैं, द्वारा वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और अनुसूची V के प्रावधानों के अनुसार था. बैंक के मामले में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन बैंकिंग कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अधीन निर्धारित आवश्यकताएँ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी(2ए) के कारण लागू नहीं हैं.

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सम्पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा 'अन्य मामले' पैराग्राफ में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर नोट किए गए विचारों के आधार पर:

i. समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का अवधार्य/अभिनिश्चेय सीमा तक प्रकटन किया है. - समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(12) (सी) का संदर्भ लें.

ii. समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किए हैं - समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(12) (बी) का संदर्भ लें.

iii. समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(17) (V) का संदर्भ लें.

f) on the basis of written representation received from the directors of the Bank as on March 31, 2021 and taken on record by the Board of Directors of the Bank and the reports of the statutory auditors of its subsidiary companies and jointly controlled entity incorporated in India, none of the directors of the group companies including its jointly controlled entity are disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act 2013;

g) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";

h) in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the report of the other auditors of subsidiaries & jointly controlled entity which was not audited by us, the remuneration paid by the group company and jointly controlled entity to its directors during the year is in accordance with the provisions of Section 197 and Schedule V of the Companies Act, 2013. In case of Bank, being a banking company as defined under Banking Regulation Act, 1949 the requirements prescribed under Section 197 of the Companies Act, 2013 do not apply by virtue of Section 35B(2A) of the Banking Regulation Act, 1949.

i) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors as noted in the "Other Matters" paragraph:

i) The Group and jointly controlled entity has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements to the extent determinable/ascertainable. – Refer Schedule 18(12)(C) to the Consolidated Financial Statements.

ii) The Group and jointly controlled entity has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts. Refer Schedule 18 (12) (B) to the Consolidated Financial Statements.

iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Group and jointly controlled entity. Refer Schedule 18 (17)(V) to the Consolidated Financial Statements.

कृते के एस अय्यर एंड कं.
For K S Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या / ICAI FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार) / Partner
ICAI M. No. 038934
UDIN:21038934AAAACB2165

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक :03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

कृते एम पी चितले एंड कं.
For M P Chitale & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या / ICAI FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार / Partner
ICAI M. No. 041037
UDIN:21041037AAAACK8529

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') और इसकी सहायक संस्थाओं, सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था (बैंक और इसकी सहायक संस्थाएं ''समूह'' के रूप में निर्दिष्ट) के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

संबंधित कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट' ('मार्गदर्शी नोट') में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए संबंधित कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में बनाए गए आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वियन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग में हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों ('मानक') के अनुसार की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") as at March 31, 2021 in conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the Bank and its subsidiaries, associates and jointly controlled entity ((the Bank and its subsidiary companies together referred to as "the Group") for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective company's Management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the respective company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ('the Act').

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Group's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") and the Standards on Auditing ("the SAs"), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to Consolidated Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including

लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

समेकित वित्तीय विवरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. वित्तीय विवरणो पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;

(2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारी राय में, समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों को अपनी समीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध परीक्षण की संवीक्षा एवं मध्यवर्ती/ नियंत्रण लेखों के समाधान को सुदृढ़ करने की जरूरत है. हमारी राय में समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक

the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Group's internal financial controls system with reference to Consolidated Financial Statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

A Bank's internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Group, its associate companies and jointly controlled entity;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Consolidated Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the bank; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the Consolidated Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Group, its associate companies and jointly controlled entity needs to strengthen its review process and management testing of scrutiny and reconciliations of intermediary/ control accounts. In our opinion, the Group , its associate companies and jointly controlled entity has in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to Consolidated

वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2021 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

अन्य मामले

क) समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय विवरणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित विदेशी शाखा का संबंध है, यह संबंधित शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है जो हमारे पास भेजी गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका उचित रूप से उपयोग किया गया है.

ख) समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंध है, यह संबन्धित लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है जो हमारे पास भेजी गई हैं तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका उचित रूप से उपयोग किया गया है.

Financial Statements and such internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Group, its associate companies and jointly controlled entity considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

a) Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements insofar as it relates to the overseas branch audited by the branch auditor is based on the report of the respective branch auditor which has been sent to us and has been properly dealt with by us in preparing this report.

b) Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements insofar as it relates to subsidiary companies and joint venture, is based on the corresponding report of the respective auditors which has been sent to us and has been properly dealt with by us in preparing this report.

कृते के एस अय्यर एंड कं.
For K S Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या / ICAI FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार) / Partner
ICAI M. No. 038934
UDIN:21038934AAAACB2165

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक :03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

कृते एम पी चितले एंड कं.
For M P Chitale & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या / ICAI FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार / Partner
ICAI M. No. 041037
UDIN:21041037AAAACK8529

समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च 2021 को
Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2021

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10380 59 40
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	26875 63 67	24455 13 08
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest		112 98 19	103 57 93
जमाराशियां / Deposits	3	230706 80 59	222213 85 19
उधार राशियां / Borrowings	4	15908 05 32	36748 85 60
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	14296 95 61	6797 05 15
कुल / TOTAL		**298652 83 60**	**300699 06 35**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13013 12 54	10539 17 27
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	22294 99 38	19955 79 23
निवेश / Investments	8	81470 88 10	81995 83 28
अग्रिम / Advances	9	128152 39 27	129845 37 85
अचल आस्तियां / Fixed assets	10	7872 73 06	8206 75 95
अन्य आस्तियां / Other assets	11	45848 71 25	50156 12 77
कुल / TOTAL		**298652 83 60**	**300699 06 35**
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	220742 81 92	117160 21 97
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		9648 34 43	9870 72 91
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के एस अय्यर एंड कं.
For K S Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)/Partner
(M.No. 038934)

कृते एम. पी. चितले एंड कं.
For M P Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2021

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	19955 52 08	20854 18 84
	अन्य आय / Other Income	14	4848 10 97	4631 25 61
	कुल / TOTAL		**24803 63 05**	**25485 44 45**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	11407 50 71	13841 11 92
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	6175 98 96	6447 16 91
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		5771 45 96	18044 55 87
	कुल / TOTAL		**23354 95 63**	**38332 84 70**
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ/ Net Profit for the year		1448 67 42	(12847 40 25)
	जोड़ें : सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा / Add: Share of Profit in Associate		83 45 72	28 10 08
	घटाएं : अल्पसंख्यक हित / Less: Minority Interest		18 16 27	15 93 52
	समूह लाभ / Group Profit		**1513 96 87**	**(12835 23 69)**
	लाभ आगे ले जाया गया / Profit brought forward		(45409 98 53)	(32371 67 30)
	कुल / TOTAL		**(43896 01 66)**	**(45206 90 99)**
IV	**विनियोजन / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		339 86 60	-
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		285 00 39	185 91 01
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		2 19 32	3 51 75
	अंतिम लाभांश पर कर / Tax on Final dividend		-	7 89 32
	अंतरिम/अंतिम लाभांश पर कर / Tax on Interim/Final dividend		-	5 75 46
	निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) Investment Fluctuation Reserve(IFR)		544 61 04	-
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि Balance carried over to balance sheet		(45067 69 01)	(45409 98 53)
	कुल / TOTAL		**(43896 01 66)**	**(45206 90 99)**

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2021

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account			

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के एस अय्यर एंड कं.
For K S Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)/Partner (M.No. 038934)

कृते एम पी चितले एंड कं.
For M P Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 2500 00 00 000 (2500 00 00 000) इक्विटी शेयर 2500 00 00 000 (2500 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	25000 00 00	25000 00 00
	25000 00 00	**25000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 1075 24 02 175 (1038 05 93 998) इक्विटी शेयर (अनुसूची 18 नोट 17 (I) देखें) 1075 24 02 175 (1038 05 93 998) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (Refer Schedule 18 Note 17(I))	10752 40 22	10380 59 40
कुल / TOTAL	**10752 40 22**	**10380 59 40**

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	2474 74 70	2474 74 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	339 86 60	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2814 61 30	**2474 74 70**
II	**पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3035 26 45	2874 87 61
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	316 96 04	160 38 84
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	36 63 36	-
		3315 59 13	**3035 26 45**
III	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष Opening Balance	6503 36 63	6727 69 15
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	221 91 90	224 32 52
		6281 44 73	**6503 36 63**
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	49668 89 70	43013 19 63
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1075 90 43	6655 70 07
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	12 52 03	-
		50732 28 10	**49668 89 70**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
V	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve**		
	(क)/(a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6610 49 09	6319 22 53
	वर्ष के दौरान परिवर्धन (समेकन समायोजन के पश्चात निवल) Additions during the year (Net of Consolidation Adjustments)	6 77 16	1 92 39
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरण / Transferred from Revaluation Reserve	221 91 90	224 32 52
	वर्ष के दौरान अन्य परिवर्धन/ (कटौतियां) Other Additions / (Deductions) during the year	(65 01 65)	65 01 65
		6774 16 50	**6610 49 09**
	(ख) (b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग) (c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
	विलय के फलस्वरूप परिवर्धन / Additions on account of merger	-	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
	(घ) (d) निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि Investment Fluctuation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	544 61 04	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		544 61 04	**-**
VI	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss account**	(45159 42 17)	(45409 98 53)
	कुल (I से VII) / TOTAL (I to VII)	**26875 63 67**	**24455 13 08**

अनुसूची 2 अ - अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	112 98 19	103 57 93
कुल / TOTAL	**112 98 19**	**103 57 93**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
अ / A				
I.	मांग जमाराशियां / Demand Deposits			
	(i)	बैंकों से / From banks	9738 03 10	14120 37 19
	(ii)	अन्य से / From others	30814 17 00	26342 73 82
			40552 20 10	**40463 11 01**
II.	बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits		75890 52 52	65658 14 51
III.	सावधि जमाराशियां / Term Deposits			
	(i)	बैंकों से / From banks	8808 16 14	10173 56 34
	(ii)	अन्य से / From others	105455 91 83	105919 03 33
			114264 07 97	**116092 59 67**
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)		**230706 80 59**	**222213 85 19**
आ / B				
	(i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां / Deposits of branches in India	230673 45 06	222172 77 48
	(ii)	भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	33 35 53	41 07 71
	कुल / TOTAL		**230706 80 59**	**222213 85 19**

अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I.	भारत में उधार राशियां / Borrowings in India			
	(i)	भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	-	10912 00 00
	(ii)	अन्य बैंक / Other banks	945 15 00	1098 85 00
	(iii)	टीयर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	-	245 10 00
	(iv)	अपर टीयर II बांड / Upper Tier II bonds	-	1000 00 00
	(v)	अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	4641 40 00	5537 50 00
	(vi)	बासेल III ओम्नी टीयर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	2645 00 00	2645 00 00
	(vii)	अन्य* / Others*	6557 92 02	6776 33 75
II.	भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India		1118 58 30	8534 06 85
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)		**15908 05 32**	**36748 85 60**

उपर्युक्त I तथा II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 147 73 74 हजार (पिछले वर्ष ₹ 11278 44 91 हजार)

Secured borrowings included in I and II above - ₹ 147 73 74Thousand (Previous year ₹ 11278 44 91 Thousand)

** इसमें ₹ 850 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 850 00 00 हजार) बेमीयादी ऋण लिखत शामिल हैं, जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं हैं*

** Included Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 Thousand (Previous year ₹ 850 00 00 Thousand) which does not qualify for CRAR*

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I.	देय बिल / Bills Payable		1542 49 94	956 09 10
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)		-	2 54 12
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued		498 06 01	713 16 42
IV.	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)**			
	(क) (a)	मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	2998 32 51	1159 59 87
	(ख) (b)	प्राप्त अग्रिम भुगतान Advance payments received	407 74 66	413 51 31
	(ग) (c)	देय लाभांश तथा लाभांश कर Dividend and dividend tax payable	-	-
	(घ) (d)	विविध लेनदार Sundry Creditors	130 42 47	144 23 24
	(ङ) (e)	देय सेवा कर/टीडीएस/अन्य कर Service tax/TDS/Other taxes payable	92 95 88	88 06 97
	(च) (f)	विविध जमाराशियां Sundry Deposits	18 49 23	47 38 46
	(छ) (g)	अन्य प्रावधान Other provisions	3684 78 03	2982 32 83
	(ज़) (h)	विविध Miscellaneous	4923 66 88	290 12 83
		कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**14296 95 61**	**6797 05 15**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)		3092 46 90	2140 18 97
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India			
	(i)	चालू खातों में / in Current Accounts	9920 65 64	8398 98 30
	(ii)	अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)		**13013 12 54**	**10539 17 27**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ '000 में / ₹ in '000)

				यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	भारत में / In India				
	(i)	बैंकों के पास शेष / Balance with banks			
		(क) (a)	चालू खातों में in Current Accounts	203 98 27	140 37 07
		(ख) (b)	अन्य जमा खातों में in Other Deposit Accounts	6698 97 40	936 22 50
	(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice			
		(क) (a)	बैंकों के पास with banks	499 86 24	-
		(ख) (b)	अन्य संस्थाओं के पास with other Institutions	14175 00 00	11200 00 00
				21577 81 91	**12276 59 57**
II	भारत से बाहर / Outside India				
	(i)	चालू खातों में / in Current Accounts		502 41 10	7618 65 53
	(ii)	अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts		79 71 25	-
	(iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		135 05 12	60 54 13
				717 17 47	**7679 19 66**
		कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)		**22294 99 38**	**19955 79 23**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां* / Government Securities*	75834 83 35	77012 20 48
(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
(iii)	शेयर / Shares	1073 92 53	1259 96 61
(iv)	डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	1452 49 35	2025 96 21
(v)	सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	14 07 68	5 90 73
(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी) Others (CPs, Units in MFs, SRs,PTCs)	2912 04 63	850 16 63
		81287 37 54	**81154 20 66**
II	भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	183 50 56	841 62 62
(ii)	सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	-	-
(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (shares)	-	-
		183 50 56	**841 62 62**
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**81470 88 10**	**81995 83 28**
III	भारत में निवेश / Investments in India		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	85806 33 54	84103 58 41
	घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	4518 96 00	2949 37 75
	निवल निवेश / Net investments	**81287 37 54**	**81154 20 66**
IV	भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	183 50 56	841 62 62
	घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास / Less:Aggregate provision / depreciation	-	-
	निवल निवेश / Net investments	**183 50 56**	**841 62 62**

** गैर-एसएलआर-एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 12438 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों सहित*

** Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.*

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
अ / A			
(i)	खरीदे और भुनाए/ पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	622 24 57	631 12 73
(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	34242 49 65	37464 21 65
(iii)	मीयादी ऋण* / Term loans*	93287 65 05	91750 03 47
	कुल / TOTAL	**128152 39 27**	**129845 37 85**
आ / B			
(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत** / Secured by tangible assets**	121397 13 12	123498 96 62
(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित*** Covered by Bank / Government guarantees***	705 74 63	72 33 62
(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	6049 51 52	6274 07 61
	कुल / TOTAL	**128152 39 27**	**129845 37 85**
इ / C			
I	**भारत में अग्रिम / Advances in India**		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	63839 62 20	61543 41 59
(ii)	सरकारी क्षेत्र / Public sector	1601 43 53	-
(iii)	बैंक / Banks	281 48 03	111 48 28
(iv)	अन्य / Others	60229 94 50	63189 48 65
	कुल / TOTAL	**125952 48 26**	**124844 38 52**
II	**भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India**		
(i)	बैंकों से प्राप्य / Due from banks	-	-
(ii)	अन्य से प्राप्य / Due from others:	-	-
	(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	-	-
	(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	396 79 91	898 65 04
	(ग) अन्य (c) Others	1803 11 10	4102 34 29
	कुल / TOTAL	**2199 91 01**	**5000 99 33**
	कुल योग (इ I तथा इ II) / TOTAL (C I and C II)	**128152 39 27**	**129845 37 85**

** ₹ शून्य हजार (पिछले वर्ष ₹ 755 00 00 हजार) की निवल अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल है.*
** Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) ₹ Nil Thousand (Previous Year ₹ 755 00 00 Thousand)*

*** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं*
*** Includes advances against book debts*

**** बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं*
**** Includes advances against letter of credit issued by banks.*

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी (2) देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note (2))**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	7289 30 52	7211 04 14
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	30 01 70	78 67 40
	वर्ष के दौरान किए गए पुनर्मूल्यांकन Revaluation made during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	41 47 01	41 02
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	474 06 93	242 69 15
		6803 78 28	**7046 61 36**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्स्चर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	2233 20 92	2103 14 37
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	117 85 66	447 10 14
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	63 38 10	317 03 59
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1689 37 43	1560 63 33
		598 31 05	**672 57 59**
III	**पट्टे पर दी गईं आस्तियां / Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	-	-
	पट्टा समायोजन खाता / Lease Adjustment account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
		-	-
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	470 63 73	487 57 00
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**7872 73 06**	**8206 75 95**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	73 59	2 51
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2108 71 41	2441 93 60
III	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	6540 19 21	5999 75 97
IV	लेखन सामग्री और स्टांप / Stationery and stamps	16 13	16 46
V	दावों की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर)* Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)*	791 98 93	791 98 93
VI	अन्य / Others		
(क/a)	आस्थगित कर आस्ति (निवल) / Deferred Tax Asset (net)	14448 90 11	15759 54 28
(ख/b)	आबंटन के लिए लंबित शेयर/बांड / Shares / Bonds Pending allotment	-	-
(ग/c)	विविध जमाराशियां व अग्रिम / Sundry deposit and advances	466 69 89	222 45 27
(घ/d)	प्राप्य दावे / Claims receivable	326 50 87	334 83 82
(ङ/e)	दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/ संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	149 31 85	142 90 32
(च/f)	विविध** / Miscellaneous**	21015 49 26	24462 51 61
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**45848 71 25**	**50156 12 77**

* *प्रावधान घटाकर निवल बकाया राशि ₹ 78 38 93 हजार (पिछले वर्ष ₹ 78 38 93 हजार) है*
* *Amount outstanding net of provisions is ₹ 78 38 93 Thousand (Previous year ₹ 78 38 93 Thousand)*

** *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 18037 39 45 हजार (पिछले वर्ष ₹ 23831 46 08 हजार) का निवेश शामिल है*
** *Includes Investment in Priority sector deposit ₹ 18037 39 45 Thousand (Previous year ₹ 23831 46 08 Thousand)*

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims not acknowledged as debts	322 19 50	174 22 16
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	158173 95 82	44359 37 15
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	37655 65 94	40893 62 16
	(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	802 56 19	946 84 43
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	9904 65 41	7429 04 89
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	10824 76 32	20225 07 80
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative contracts	423 31 87	696 10 69
VII	पूंजीगत प्रतिबद्धता Capital commitment	17 90	15 56
VIII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	2408 63 76	2250 45 86
IX	अन्य / Others	226 89 21	185 31 27
	कुल (I से IX) / TOTAL (I to IX)	**220742 81 92**	**117160 21 97**

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	11821 16 98	13092 89 69
II	निवेशों से आय / Income on investments	5160 89 73	5788 09 13
III	रिजर्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	648 74 13	454 20 92
IV	अन्य / Others	2324 71 24	1518 99 10
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**19955 52 08**	**20854 18 84**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1870 01 47	2010 56 51
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	1728 33 85	891 20 92
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	1 37 24	2 90 84
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(42 02)	(4 74 25)
V	विनिमय लेन-देनों/ डेरिवेटिव पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	376 01 26	548 72 27
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और/ या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	-	-
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	547 55 68	828 06 49
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	325 23 49	354 52 83
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**4848 10 97**	**4631 25 61**

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	9248 44 15	11089 61 54
II	रिजर्व बैंक/ अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज / Interest on RBI / inter bank borrowings	553 58 57	492 81 97
III	अन्य / Others	1605 47 99	2258 68 41
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**11407 50 71**	**13841 11 92**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	3223 47 44	3363 71 33
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	478 70 33	456 25 37
III	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	34 64 93	43 32 25
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	26 55 60	37 51 18
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on bank's property	396 84 73	394 37 91
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	1 88 23	1 55 66
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 80 68	2 66 55
VIII	विधि प्रभार / Law charges	15 19 35	19 29 12
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	76 88 73	89 49 88
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	87 27 72	79 63 97
XI	बीमा / Insurance	259 53 61	204 03 49
XII	अन्य / Others		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	127 11 04	111 33 23
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	289 61 29	397 16 85
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	34 98 91	17 02 77
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	3 42 84	4 85 02
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	564 03 03	618 35 21
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	101 17 65	37 76 05
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	1 52 74	15 05 41

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
(ज) (h)	यात्रा और वाहन प्रभार Travelling and conveyance charges	19 68 30	32 91 00
(झ) (i)	ट्रेजरी व्यय Treasury expenses	5 31 26	4 23 84
(ञ) (j)	उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय Fee and other expenses for borrowing	71 12	77 97
(ट) (k)	अन्य व्यय Other expenditure	424 59 43	515 82 85
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)		**6175 98 96**	**6447 16 91**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 तैयार करने का आधार: / Basis of Preparation:

वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी दृष्टि से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इकाई) द्वारा जारी एवं कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों (एएस) उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित, अधिनियम के प्रावधानों (जहाँ तक अधिसूचित हैं) के अनुसार और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः लागू प्रथाओं के अनुरूप हैं. समूह लेखांकन की उपचय पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, को छोड़कर तथा परंपरागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है. लेखांकन नीतियाँ समूह द्वारा लगातार लागू की गई हैं और जब तक कि अन्यथा दर्शाया न गया हो, इन्हें पिछले वर्ष की तरह ही जारी रखा गया है.

The Group's financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) & Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) from time to time, the provisions of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Companies Act , 2013 and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rules made there under, provisions of the Act (to the extent notified) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Group follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention. The accounting policies have been consistently applied by the Group and are consistent with those used in the previous year except where otherwise stated.

2 समेकन तैयार करना: / Preparation of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक एएस-21 'समेकित वित्तीय विवरण', लेखांकन मानक एएस-23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस-27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी - बैंक) और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के लेखे शामिल हैं. समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक अर्थात् 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – "the Bank") and all its Subsidiaries/ Associates /Joint Venture/ as defined in Accounting Standard AS-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 `Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'. The financial statements of the subsidiaries/associates/joint venture used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2021.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है: (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) इसके संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर, विलोपन हिस्सेदारी के समतुल्य आनुपातिक आधार पर किया जाएगा (ग) एएस-23 की इक्विटी प्रक्रिया के अनुसार इसकी सहयोगी संस्थाओं को समेकित कर. अंतः समूह संव्यवहारों को समेकन पर समाप्त कर दिया गया है.

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income and expenses. The elimination has been considered on proportionate basis equivalent to the stake. c) its associates by consolidating as per Equity method as per AS-23. Intra Group transactions have been eliminated on consolidation.

सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरण-पत्रों में साख/पूंजी रिजर्व के रूप में दर्शाया गया है.

The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries/ associates is recognized in the financial statements as goodwill/ capital reserve.

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी की राशि; तथा
(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

(ख) मूल संस्था-सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरों का घट-बढ.
(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :
The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र.सं SN	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
अ) A)	**वित्तीय सहायक संस्थाएं: Financial Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लि. IDBI Capital Market & Securities Limited	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	भारत India	66.67	66.67
आ) B)	**गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं: Non-Financial Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited.	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited	भारत India	100	100
3)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Limited	India	54.70	54.70
इ) C)	**जीवन बीमा संयुक्त उद्यम: Life Insurance Joint Venture:**			
1)	एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Limited	भारत India	25	48
ई) D)	**सहयोगी संस्थाएं: Associate Companies:**			
1)	नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Limited	भारत India	26.10	26.10
2)	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Limited	India	27.93	27.93
3)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	भारत India	25	25
4)	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कोरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Limited (PIPDICL)	भारत India	21.14	21.14

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

3 अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

4 राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition:

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि समूह को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक आस्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.

Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.

Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होता है.

Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.

Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. सूचिबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है. असूचिबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश को प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है.

For listed companies, dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established. For unlisted companies dividend is booked as and when received.

vi. गैर-निष्पादित अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.

In case of Non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the bank

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लि. के मामले में,
B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited,

i. कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मुख्य प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर निवल ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.

ii. तुलन-पत्र तारीख को धारित नियत कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज, खंडित अवधि के लिए कूपन दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.

Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अर्जन लागत पर बिक्री / मोचन आय का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है.
Profit on Sale of Investments is recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with loss on sale of Investments.

iv. कंपनी द्वारा हामीदारी दिए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मूल्य के प्रति समायोजित नहीं किया जाता.
Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to profit and loss account and not netted against the value of investments.

v. सेकंडरी मार्केट परिचालनों पर अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित है. डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है. लाभांश का निर्धारण तब किया जाता है जब तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी के भुगतान प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित किया जाता है. राजस्व में सेवा कर/जीएसटी, जहां भी वसूल किया गया है, शामिल नहीं है.
Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management and other fees are accounted for on accrual basis. Dividend is recognized when the company's right to receive payment is established by the balance sheet date. Revenue excludes Service Tax/GST, wherever recovered.

vi. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों और ट्रेड में स्टॉक प्रकृति वाली अन्य प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को कंपनी की निधियों का टर्नओवर दर्शाने के लिए लाभ और हानि खाते में प्रकटन किया जाता है और इसमें केवल एकमुश्त लेन-देन शामिल हैं. इस उद्देश्य के लिए जब ये प्रतिभूतियाँ परिपक्वता की तारीख तक कंपनी के पास रहती हैं, तो बिक्री में मोचन से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है.
Purchases and sales of dated government securities, treasury bills and other securities in the nature of stock in trade are disclosed in the Profit and Loss Account, with a view to indicating the turnover of funds of the company and include only outright transactions. For this purpose, sales also include redemption proceeds, if any, when these securities are held by the company till the date of maturity.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में,
C. In case of IDBI Asset Management Limited,

i. **निवेश प्रबंधन शुल्क:** निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर सेवा कर/जीएसटी को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो.
Investment Management fees: Investment Management fees are recognized net-off service tax/GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') as amended

ii. **अन्य आय:** ब्याज आय को अवधि आनुपातिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.
Other income: Interest income is accounted for on period proportion basis. The profit/loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

iii. ब्याजयुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कूपन दर पर उपचित होता है. ऐसे निवेशों की खरीद पर, अंतिम ब्याज देय तारीख से खरीद की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान को खरीद की लागत नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूली योग्य ब्याज माना जाता है. इसी प्रकार बिक्री के समय अंतिम ब्याज देय तारीख से बिक्री की तारीख तक की अवधि के लिए प्राप्त ब्याज को बिक्री मूल्य का भाग नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूला गया ब्याज माना जाता है. प्रतिभूतियों पर प्रीमियम/छूट के मामले में इसे सम्पूर्ण अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है.
Interest on interest bearing securities is accrued on the coupon rate. On purchase of such investments, interest paid for the period from the last interest due date up to the date of purchase is not treated as a cost of purchase but is treated as interest recoverable. Similarly, interest received at the time of sale for the period from the last interest due date up to the date of sale is not treated as part of sale value but is treated as interest recovered. In case of premium /discount on securities the same is being amortized over the tenure.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी लि. के मामले में,
D. In case of IDBI MF Trustee Limited,

i. ट्रस्टीशिप शुल्कः ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 (विनियमन) तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए.
Trusteeship fees: Trusteeship fees is recognized on accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.

ii. अन्य आयः निवेशों से आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.
Other income: Income from Investments is accounted on accrual basis. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

उ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में,
E. In case of IDBI Intech Limited,

i. राजस्व मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं और सॉफ्टवेयर उत्पादों के लाइसेंस से प्राप्त होता है. कंपनी कॉल सेंटर सेवाओं से भी राजस्व अर्जित करती है. सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ व्यवस्था या तो एक निश्चित मूल्य पर, या निश्चित समय सीमा या समय और सामग्री के आधार पर होती है. निश्चित मूल्य और निश्चित समयबद्ध संविदाओं के मामले में, जहां माप या प्रतिफल की सामूहिकता के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है, वहाँ इन्हें सेवा पूर्णता और संविदा के मूल्य की पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है. जब माप या अंतिम वसूली के बारे में अनिश्चितता होती है, वहाँ ऐसी अनिश्चितता का समाधान होने तक राजस्व आकलन स्थगित कर दिया जाता है.
Revenue is primarily derived from software development and related services and from the licensing of the software products. The Company also generates revenue from call center services. Arrangement with customers for software development and related services are either on a fixed price, fixed-timeframe or on a time-and-material basis. In case of fixed price and fixed time framed contracts, where there is no uncertainty as to measurement or collectivity of consideration, are recognized using percentages of completion method of value of the contract and completed service. When there is uncertainty to the measurement or ultimate collectivity, revenue recognition is postpone until such uncertainty is resolved.

ii. सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को वस्तु की संपत्ति के हस्तांतरण अथवा प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति पर हिसाब में लिया जाता है.
Revenue from sale of software applications and products are recognized on transfer of property of goods or on achievement of milestone.

iii. वार्षिक प्रौद्योगिकी सेवाओं (एटीएस) से प्राप्त राजस्व को उस अवधि के अनुपात में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं.
Revenue from Annual Technical Services (ATS) are recognized proportionately over the period in which services are rendered.

iv. क्लाइंट प्रशिक्षण, सहायता और सॉफ़्टवेयर उत्पादों की बिक्री के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को संबंधित सेवाओं के निष्पादन के रूप में मान्यता दी जाती है.
Revenue from client training, support and other services arising due to the sale of software products is recognised as the related services are performed.

v. अपूर्ण संविदाओं से अनुमानित नुकसान, यदि कोई हो, का प्रावधान उस अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें वर्तमान अनुमान के आधार पर ऐसे नुकसान संभावित होते हैं. पूर्ण किए गए कार्य के प्रतिशत के संविदा मूल्य में किसी भी संशोधन का प्रभाव उस वर्ष में परिलक्षित होता है जिसमें परिवर्तन ज्ञात होता है. प्रनिष्पादित सेवाओं के अग्रिम में प्राप्त या बिल की गई राशि को अनर्जित राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है. अन्य चालू आस्तियों में शामिल बिल न की गई सेवाएं संविदा की शर्तों के अनुसार बिलिंग से पहले की गई सेवाओं के आधार पर मानी जाती हैं. राजस्व को छूट/प्रोत्साहन घटाने के बाद रिपोर्ट किया जाता है.
Provision for estimated losses, if any, from the incomplete contracts are recorded in the period in which such losses become probable based on the current estimate. The impact of any revision in contract value of the percentage of work completed is reflected in the year in which the change becomes known. Amount received or billed in advance of services performed are recorded as unearned revenue. Unbilled services included in other current assets represents amount recognized based on services performed in advance of billing in accordance with contract terms. Revenue is reported net of discount / incentive.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

vi. कॉल सेंटर से प्राप्त राजस्व इकाई कीमत वाली संविदाओं, समय आधारित संविदाओं, लागत आधारित संविदाओं और वचनबद्ध सेवाओं से प्राप्त होती है. ऐसे राजस्व को संबंधित सेवाओं की पूर्ति पर हिसाब में लिया जाता है और इसे ग्राहक के साथ हुई संविदा की निर्धारित शर्तों के अनुसार बिल में शामिल किया जाता है.
Revenue from call centre arises from unit priced contracts, time based contracts, cost based projects and engagement services. Such revenue is recognised on completion of the related services and is billed in accordance with the specific terms of the contract with the client.

vii. ब्याज आय को अनुपतिक आधार पर दर्शाया जाता है.
Interest Income is recognised on time proportion basis.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि, के मामले में,
F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited,

i. कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर के किराए और बैंक सावधि जमाराशियों और म्यूचुअल फंडों में निवेश से आय के रूप में प्राप्त करती है जिनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है. यदि बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों की आय प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में ली जाती है. ऐसे अनियमित समनुदेशनों के प्रति पिछले वर्ष / वर्षों में बकाया किसी भी राशि को ऐसे निर्धारण वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है. जब अंतिम समाधान अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य व बट्टे खाते डाला गया समझा जाता है
The company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from investments in Bank Fixed Deposit and Mutual Funds, which are accounted for on accrual basis. Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year/s amounts outstanding against such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination. Other Debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.

ii. वर्ष के अंत में एक अशोध्य ऋण प्रावधान की गणना निम्नानुसार तब की जाती है जब यह निश्चित हो जाए कि बकाया राशि की वसूली संदिग्ध है:
A bad debt provision is recognized at the year-end where it is ascertain that the outstanding dues are doubtful of recovery as under:

⇒ 18 माह से अधिक ऋणी - 75%
Debtors over 18 months - 75%

⇒ जहां वसूली की संभावना नगण्य हो वहाँ मामला-दर-मामला आधार पर अतिरिक्त प्रावधान - 100%
Additional provision on case to case basis where chances of recovery is negligible - 100%

iii. निवेश पर ब्याज आय को बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को हिसाब में लेते हुए समयानुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है. इसे अन्य आय में शामिल किया जाता है.
Interest income on investment recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the applicable interest rate. It is included in other income.

ए. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.के मामले में,
G. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited,

(i) **प्रीमियम आय:**
Premium Income:

गैर-संबद्ध कारोबार के लिए, प्रीमियम (सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर घटाकर) को देय होने पर आय के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. व्यपगत पॉलिसियों के प्रीमियम को इन पॉलिसियों के फिर से सक्रिय होने पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. गैर-संबद्ध परिवर्ती बीमा कारोबार के लिए प्रीमियम को प्राप्ति तारीख पर आय माना जाता है. संराशीकृत प्रीमियम को संराशीकरण वर्ष में देय माना जाता है और उसे नवीकरण प्रीमियम माना जाता है. टॉप अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है. संबद्ध कारोबार के लिए, संबद्ध यूनिटों के आबंटन पर प्रीमियम को आय माना जाता है.
For non-linked business, premium (net of Service Tax / goods and services tax) is recognized as income when due. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt. Commuted premium is considered as due in the year of commutation and is considered as renewal premium. Top up premiums are considered as single premium. For linked business, premium is recognized as income when the associated units are allotted.

(ii) **संबद्ध निधि से आय:**
Income from Linked fund:

संबद्ध निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, नीति प्रशासन प्रभार, बीमा की लागत आदि शामिल हैं, को बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूला जाता है और उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, cost of insurance, etc. are recovered from the linked fund in accordance with terms and conditions of policy and are accounted on accrual basis.

(iii) **निवेशों पर अर्जित आय:**
Income Earned on Investments:

निवेशों पर ब्याज आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है. बट्टे का उपचय और ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध प्रीमियम के परिशोधन का निर्धारण सीधी रेखा आधार पर धारिता / परिपक्वता अवधि के बाद किया जाता है. बीमा पॉलिसियों पर ऋण से अर्जित ब्याज आय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है तथा इसे निवेशों पर ब्याज आय में शामिल किया जाता है. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है. वैकल्पिक निवेश फंडों से प्राप्त आय को उस समय निर्धारित किया जाता है जब आय फंड द्वारा वितरित की जाती है. संबद्ध कारोबार के अलावा ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल व परिशोधन लागत के बीच का अंतर होती है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.
Interest income on investments is recognized on accrual basis. Accretion of discount and amortization of premium relating to debt securities is recognized over the holding/maturity period on a straight-line basis. Interest income earned on loan against insurance policies is recognized on accrual basis and is included in interest income on investments. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. Income from Alternative Investment Funds is recognized when the income is distributed by the fund. Profit or loss on sale of debt securities for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

संबद्ध कारोबार के अलावा इक्विटी शेयरों व म्यूचुअल फंडों तथा वैकल्पिक निवेश फंड की यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है तथा इसमें पूर्व में 'उचित मूल्य परिवर्तन खाते' के अंतर्गत निर्धारित उचित मूल्य के संचयी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है. संबद्ध कारोबार के लिए धारित निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है. अवमानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किसी आस्ति के संबंध में आय को उसकी प्राप्ति की तारीख से आय के रूप में माना जाता है.
Profit or Loss on sale of equity shares, mutual funds and alternative investment fund units for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale and includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account". Profit or loss on sale of investment held for linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale. Income in respect of any asset classified as Sub-Standard Assets is recognized as Income on the date of receipt.

(iv) **शुल्क और प्रभार**
Fees and Charges

आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार पॉलिसीधारकों की अदावी राशि से प्रशासन तथा निधि प्रबंधन व्ययों की वसूली का हिसाब उपचित आधार पर किया जाता है.
Recovery towards administration and fund management expenses from the Unclaimed Amount of Policyholders in accordance with IRDAI regulations is accounted on accrual basis

5 अग्रिम और प्रावधान: / Advances and Provisions:

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.
Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/ created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as `Tangible Assets'.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है.
Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Profit and Loss account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.
The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित/ पुनःनिर्धारण ऋणों और अग्रिमों का बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक, बोर्ड के अनुमोदन से प्रावधानीकरण पर संशोधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय बफर बनाता है और इसका उपयोग सीमाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुमत परिस्थितियों के भीतर करता है.
The Bank had made countercyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, in earlier years, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

6 निवेशः / Investments:

अ. आईडीबीआई बैंक के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited

I. वर्गीकरणः / Classification:

निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:
In terms of extant guidelines of the RBI on Investment classification and Valuation, the entire investment portfolio is categorized as:

i. परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and

iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है.
Investments under each category are further classified as:

i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities

iii. शेयर / Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड / Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

II. वर्गीकरण का आधारः / Basis of Classification:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
b) Investments that are held principally for sale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाता है.

d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को सामान्यतः 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, किन्तु इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं, जिनकी आवश्यकता आधारित समीक्षा कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित किया जाता है. सहयोगी कंपनियों में निवेश का वर्गीकरण इसके अधिग्रहण के समय किया जाता है.

e) Investment in subsidiaries and joint venture are normally classified as 'Held To Maturity' except in case, on need based reviews, which are shifted to 'Available for Sale' category as per RBI guidelines. The classification of investment in associates is done at the time of its acquisition.

III. **मूल्यांकन : / Valuation:**

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में : / In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments, including those in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates, under this category is provided for each investment individually.

iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.

Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन बट्टाकृत लिखत होने के कारण रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,

ख) क्रय-विक्रय/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों को मूल्य बाजार कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / क्रय-विक्रय न की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रायवेट लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित कीमत पर किया जाता है.

c) Quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा 1/- रुपये प्रति कंपनी के आधार पर निकाला जाता है और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्य रिज़र्व बैंक के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है.

d) Unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at Re. 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.

ङ) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे मूल्य वृद्धि अंतर व वाईटीएम दरों को फिक्स इंकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) / एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.

e) Unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL.

च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.

छ) उद्धृत अधिमान्य शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / गैर-ट्रेडेड अधिमान्य शेयरों को परिपक्वता पर उचित प्रतिफल द्वारा मूल्यांकित किया जाता है जो रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा.

g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

ज) तनावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) में किए गए निवेश को परिपक्वता पर धारित श्रेणी में वर्गीकृत कर लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. सितंबर 2024 तक अंतिम वसूली में अनुमानित कमी के लिए प्रावधान रखा गया है.

h) Investment in Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) is categorized as Held To Maturity and valued at cost. Provision is made for estimated shortfall in eventual recovery by September 2024.

झ) एचटीएम श्रेणी में धारित वीसीएफ निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है तथा जो एएफएस श्रेणी में धारित हैं, उन्हें निधि गृहों से प्राप्त एनएवी के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है.

i) VCF investments held in HTM category are valued at Carrying Cost and those held in AFS category are valued on NAVs received from Fund Houses.

ञ) पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एएफएस श्रेणी में धारित किए गए हैं तथा इनका मूल्यांकन परिपक्वता प्रतिफल (व्हायटीएम) आधार पर केंद्र सरकार की समतुल्य परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की व्हायटीएम दरों पर उचित कीमत-लागत अंतर प्रभावी कर एवं एनबीएफसी बॉन्ड पर लागू कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाता है. इस प्रकार के कीमत-लागत अंतर तथा व्हायटीएम दरें स्थिर आय मुद्रा बाजार तथा 'निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ' (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक दरों के आधार पर लागू की जाती हैं.

j) PTC investments are presently held only under AFS category and are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity and the spreads applicable are that of NBFC bonds. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/ FBIL. MTM Provision is done on monthly basis.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated,

net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है. / Investments are stated net of provisions.

IV. **रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन: / Repo and reverse repo transactions:**

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत आपाती सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Assets Management Limited,

ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हैं और ऐसे निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किए जाने हैं, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है. तथापि, निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, के संबंध में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है. ऐसे घटाव का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए किया जाता है.

Investments which are readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date, on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as long term investments. Current investments are carried at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investments are carried at cost. However, provision for diminution is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में
C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited,

ऐसे सभी निवेश जो लंबे समय से धारित हैं, उन्हें गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते हैं. दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप से भिन्न कमी को दर्शाया जाता है.
All investments which are held, since a long period, same are classified as Non-Current Investments. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognized, if considered other than temporary.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लि. के मामले में,
D. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited,

क. निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के जरिए आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अर्जित तथा धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अर्जन लागत पर किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश कम लागत या बाजार मूल्य पर किया जाता है. मार्केट मेकर के रूप में बाजार निर्माण प्रक्रिया में अर्जित प्रतिभूतियों को धारिता-अवधि पर ध्यान दिये बिना चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

a. Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as Current Investments irrespective of the period of holding.

अल्पावधि धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है.
Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख. विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को कम लागत या बाजार/ उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सिर्फ एकमुश्त लेन-देनों पर विचार करते हुए भारित औसत प्रणाली का अनुसरण कर लागत निकाली जाती है. बाजार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाजार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर आय-प्राप्ति के संदर्भ में और इक्विटी के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है.

b. Securities held as stock-in-trade category wise are valued at lower of cost or market/fair value. Cost is derived by following the weighted average method considering only outright transactions. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available balance sheet. Each security is valued individually. The depreciation, if any, for each security is provided and the appreciation, if any, is ignored.

ग. निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है..

c. Premium paid on government securities held as investment is amortized over the tenor of the instrument.

ड. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में,
E. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited,

i. बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2016 और आईआरडीए द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं.

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938 as amended by Insurance Law (Amendment) Act, 2015, the IRDAI (Investment) Regulations, 2016, and various other circulars / notifications and amendments issued by the IRDA in this context from time to time.

ii. निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें दलाली तथा कर, यदि कोई हों, शामिल किए जाते हैं और उपचित ब्याज शामिल नहीं किए जाते हैं.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and taxes, if any, and excludes accrued interest.

(क) वर्गीकरण:
(a) Classification:

i. तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीनों में निपटाने के विशेष अभिप्राय से किए गए निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments maturing within twelve months from the balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the balance sheet date are classified as short term investments.

ii. अल्पकालिक निवेशों के अलावा अन्य निवेशों को दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments other than short-term investments are classified as long-term investments.

(ख) मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेश
(b) Valuation - shareholders' investments and non-linked policyholders' investments

i. सभी ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और वे तदनुसार परंपरागत लागत पर दर्शायी जाती हैं जो सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिपक्वता/ धारिता अवधि के दौरान प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट पर वृद्धि के अधीन हैं.

All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

ii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' - प्राथमिक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित किया जाता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे उसके उचित मूल्य पर 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' - द्वितीयक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित माना

जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों को तुलन-पत्र की तारीख को पिछले दिन के शुद्ध आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. तुलन-पत्र की तारीख की वैकल्पिक निधि यूनिटों की मूल्यांकन निधि हाउस में उपलब्ध अंतिम एनएवी के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units as at the balance sheet date are valued at the previous day's net asset values. Alternative investment fund units as at the balance sheet date are valued at last NAV available from the fund house. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision for diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iii. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण न लिए गए लाभ/ हानि को "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" में लिया जाता है और तुलन-पत्र में आगे ले जाया जाता है.

Unrealized gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units are taken to "Fair Value Change Account" and carried forward in the balance sheet.

iv. किसी भी ह्रास हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे में उतना व्यय समझा जाता है, जितना कि प्रतिभूति या निवेश के पुनर्मूल्यांकित उचित मूल्य व राजस्व या लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी भी पूर्व ह्रासित हानि द्वारा कम की गई इसकी अर्जन लागत के बीच का अंतर होता है. पूर्व में अभिनिर्धारित किसी भी ह्रासित हानि के प्रतिवर्तन को राजस्व या लाभ-हानि लेखों में दर्शाया जाता है.

Any impairment loss is recognized as an expense in Revenue or Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security or investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognized as expense in Revenue or Profit and Loss Account. Any reversal of previously recognized impairment loss is recognized in Revenue or Profit and Loss Account.

(ग) मूल्यांकन - संबद्ध कारोबार
(c) Valuation - linked business

i. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों के आधार पर किया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रेटिंग एजेंसी द्वारा दैनिक आधार पर जारी किए जाने वाले प्रतिफल मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए उचित मूल्य आधार पर किया जाता है.

Government Securities are valued at prices obtained from Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Debt Securities other than Government Securities are valued at Fair Value using Yield Matrix for Bonds released by Rating Agency, on a daily basis.

ii. मुद्रा बाजार लिखतों अर्थात् - जमा प्रमाणपत्र, संपार्श्विक उधार तथा उधार लेन-देन संबंधी दायित्व का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जो धारिता/ परिपक्वता अवधि पर सीधी रेखा आधार पर बट्टे की अभिवृद्धि या प्रीमियम के परिशोधन के अधीन होता है. अन्य मुद्रा बाजार लिखतों जैसे - वाणिज्यिक पत्रों, ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुरूप एफआईएमएमडीए से प्राप्त प्रतिफल वक्र मूल्यों पर किया जाता है.

Money Market Instruments i.e. Certificate of Deposit, Collateral Borrowing and Lending Obligation are valued at cost, subject to accretion of discount or amortization of premium over the holding/maturity period on a straight line basis. Other Money Market instruments like Commercial Papers, Treasury Bills are valued based on yield curve / prices obtained from FIMMDA in line with IRDAI guidelines.

iii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर अंकित किया जाता है जो प्राथमिक एक्सचेंज - 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' पर उद्धृत अंतिम भाव होता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो सेकेन्डरी एक्सचेंज - 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' पर उद्धृत बंद भाव को उचित मूल्य माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision of diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iv. निवेश पर न लिए गए लाभ/ हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है.

Unrealized gains/losses on investments are recognized in the respective fund's Revenue Account.

(घ) निवेशों का अंतरण

(d) Transfer of investments

निवेशों का शेयरधारकों की निधि से पॉलिसीधारकों की निधि में अंतरण रखाव राशि या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है. तथापि, ऋण प्रतिभूति के मामले में सभी अंतरण निवल परिशोधनकृत लागत पर किए जाते हैं. यूनिट संबद्ध निधियों के निवेशों में अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाता है.

Transfer of investments from Shareholders' Fund to the Policyholders' Fund is at carrying amount or market price, whichever is lower. However in case of debt securities all transfers are carried out at the net amortized cost. Transfer of investments between unit linked funds is done at market price.

7 डेरिवेटिव लेन-देन: / Derivative Transactions:

अ. 'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में :
A. In Transactions designated as `Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन-देन पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.

b) On premature termination of hedge swaps, any profits/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

आ. 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:
B. In Transactions designated as 'Trading':

'ट्रेडिंग के लिए' नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप,परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ़) खंड में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

इ. वायदा सौदों एवं विकल्प संविदा में लेन-देन
C. Transactions in Futures and Options

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में, / In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited,

i. भावी संविदा करने / विकल्पों की बिक्री के समय देय प्रारंभिक मार्जिन को सावधि जमा, नकद जमा और प्रतिभूतियों के रूप में एक्सचेंजों के साथ जमा के साथ समायोजित किया जाता है.

Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

ii. भावी संविदा में लेन-देन को संविदा के कल्पित व्यापार मूल्य पर खरीद और बिक्री के रूप में माना जाता है. तुलन पत्र की तिथि के अनुसार फ्यूचर्स में अस्थिर ब्याज को इसके कल्पित मूल्य से घटाया जाता है.

Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.

iii. पिछले दिन के निपटान मूल्य या एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य और बाद के दिन के एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य में एक्सचेंज को किए गए या प्राप्त भुगतान अंतर को मार्क टू मार्केट मार्जिन के रूप में माना जाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में बैलेंस, तुलन पत्र की तारीख तक भावी संविदा में अस्थिर ब्याज की कीमतों में बदलाव के आधार पर भुगतान या प्राप्त की गई निवल राशि को दर्शाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में निवल नामे बैलेंस को राजस्व से प्रभारित किया जाता है जबकि निवल जमा बैलेंस को चालू देनदारियों के तहत दिखाया जाता है.

The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.

iv. विकल्पों की खरीद और बिक्री पर भुगतान या प्राप्त प्रीमियम और विकल्पों के प्रयोग पर भुगतान या प्राप्त अंतर को खरीद या बिक्री के रूप में गिना जाता है. तुलन पत्र की तारीख को बेचे गए विकल्पों में खुले ब्याज के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम उन विकल्पों के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक हो जाता है. तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम से अधिक प्राप्त प्रीमियम को मान्यता नहीं दी जाती है. इसी तरह, खरीदे गए विकल्पों के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा विकल्प के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम से अधिक हो जाता है और भुगतान किए गए प्रीमियम पर तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम की अधिकता को उपेक्षित कर दिया जाता है. कई खुली स्थितियों के मामले में, खरीद और बिक्री की स्थिति में शेष राशि को घटाने के बाद प्रावधान किया जाता है या अतिरिक्त प्रीमियम को उपेक्षित कर दिया जाता है.

Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognized. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

ई. ब्याज दर स्वैप
D. Interest Rate Swaps

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में, आस्ति और देयताओं में प्राथमिक डीलरशिप संचालन से संबंधित बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की कल्पित मूल राशि को घटाया जाता है. ब्याज दर स्वैप पर लाभ या हानि संविदा की शर्तों के अनुसार नियत तारीखों पर की जाती है.

In case of IDBI Capital Market Securities Limited, Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

8 अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास: / Fixed Assets and Depreciation:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iii. पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

iv. अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत अथवा आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में पुनर्मूल्यांकित राशियों के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

v. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन-पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

vi. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition.

vii. मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग इ में उपबंधित अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाता है. उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.

viii. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अविध के लिए लगाया जाता है.
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.

ix. अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है: / The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति **Asset**	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) **Useful Life (in Years)**
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन / Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6

आस्ति Asset	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर और फिक्सचर्स a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

x. लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

Leasehold land is amortized over the period of lease.

xi. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 6 वर्ष होती है.

Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 Lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में,
B. In case of IDBI Assets Management Limited,

i. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास और ह्रास को घटाकर अर्जन लागत पर दर्शाया जाता है. लागत मूल्य में आस्तियों के अर्जन एवं संस्थापन से संबंधित मालभाड़ा, शुल्क, कर और प्रासंगिक व्यय शामिल होते हैं. प्रयोग में लाई जा रही आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इन आस्तियों से भविष्य में लाभ/ कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि की संभावना हो. मौजूदा अचल आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव और कलपुर्जों के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है.

Fixed assets are carried at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment. Cost includes freight, duties, taxes, and incidental expenses related to the acquisition and installation of the assets. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. All expenses on existing fixed assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged as revenue in the period in which they are incurred.

ii. मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया जाता है. आस्तियों के मूल्यह्रास की दरें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को विचार में लेने के बाद तय की गई हैं. प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल कम है तो मूल्यह्रास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर उच्च दर पर किया जाता है. इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per schedule II of the Companies Act 2013. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

अचल आस्तियों की श्रेणी Class of Fixed Assets	मूल्यह्रास की दर (% में) - एसएलएम आधार पर (01 अप्रैल 2015 से लागू) Rate of Depreciation (In%)- SLM basis (applicable from April 01, 2015)
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & Fixtures	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	19.00
आईटी हार्डवेयर IT Hardware	33.33
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with Employees	33.33

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से अधिक की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को 5 वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है, एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से कम की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय / अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

Computer software individually costing more than ₹ 2.50 lakhs is capitalized and depreciated over a period of 5 years, Computer software individually costing less than ₹ 2.50 lakhs is fully depreciated in the year of purchase/acquisition.

iv. कंपनी आस्ति के उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्ति के लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है.

The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में,
C. In case of IDBI Intech Limited,

i. अचल आस्ति को उनकी संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अधिग्रहण की लागत को दर्शाया जाता है. लागत में लक्षित प्रयोग के लिए कार्यशील परिस्थितियों में लाने हेतु आस्ति के अधिग्रहण में हुए सभी व्यय शामिल होते हैं.

Fixed assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation / amortization and impairment loss, if any. Cost includes all expenses incurred for acquisition of assets to bring these to working conditions for intended use.

ii. सॉफ़्टवेयर उत्पाद विकास लागतों को व्यय के रूप में तब तक खर्च किया जाता है जब तक कि परियोजना की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता, भविष्य के आर्थिक लाभ, कंपनी के पास सॉफ़्टवेयर को पूरा करने और उपयोग करने या बेचने का इरादा और क्षमता है तथा लागत को विश्वसनीयता के साथ मापने की बात सिद्ध नहीं हो जाती. जिन लागतों को पूंजीकृत किया जा सकता है, उनमें सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष मानव-शक्ति और उपरि लागत शामिल हैं जिसका संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने में प्रत्यक्ष योगदान है.

The intangible assets like softwares, on which propriety rights continue with the company, are capitalized at costs. Research costs are expensed as incurred. Software product development costs are expensed as incurred unless technical and commercial feasibility of the project is demonstrated, future economic benefits are probable, the Company has an intention and ability to complete and use or sell the software, and the costs can be measured reliably. The costs which can be capitalized include the cost of material, direct man-power and overhead costs that are directly attributable to preparing the asset for its intended use.

iii. अचल संपत्तियों की लागत जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, उन्हें पूंजीगत कार्य-प्रगति के रूप में दिखाया गया है.

The cost of the fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date are shown as capital work-in progress.

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. के मामले में
D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

i. अचल आस्तियों को अर्जन की मूल लागत तथा उनके अर्जन के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यह्रास निर्धारित दर पर अवलिखित आधार पर प्रभारित किया जाता है. आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान के लिए ऐसे निपटानों की तारीख तक किया जाता है. कम लागत वाली अलग-अलग आस्तियों (₹ 5000/- से कम राशि में अर्जित) को उनके अर्जन के वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है.

Fixed assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written down Value basis as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired for less than ₹ 5,000/-) are depreciated in the year of acquisition.

ii. लेखांकन मानक एएस-26 के अनुसरण में आस्तियों को संचित परिशोधन घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है. अमूर्त आस्तियों का परिशोधन आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है.

In accordance with Accounting Standards AS-26, Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization. Amortization of intangible assets is provided on Written down Value method on the basis of estimated useful life of the asset.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लि. के मामले में,
E. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited,

i. मूर्त आस्तियों के मामले में संपत्ति की मदें, संयंत्र और उपकरण की पहचान आरंभ में लागत पर की जाती है और तत्पश्चात संचित मूल्यह्रास तथा हानि को घटाकर मूल लागत पर की जाती है. संपत्ति की मदों, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके आकलित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्य ह्रासित राशि पर सीधी रेखा पद्धति के द्वारा निम्नानुसार की जाती है.

In case of Tangible Assets, Items of property, plant and equipment are initially recognized at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation on items of property, plant and equipment is calculated using the straight-line method to allocate their depreciable amounts over their estimated useful lives as specified in Schedule II to the Companies Act as follows:

भवन - 60 वर्ष / Buildings – 60 years

कम्प्यूटर - 3 वर्ष / Computers – 3 years

फर्नीचर एवं फिक्सचर - 10 वर्ष / Furniture& Fixtures – 10 years

कार्यालय उपकरण - 5 वर्ष / Office Equipment's – 5 years

सभी मूर्त आस्तियों को अर्जन के वर्ष में ₹ 5000 से कम मूल्य की एकल आस्तियों तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.

All Tangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

ii. **अमूर्त आस्तियों के मामले में,** अर्जित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंसों को आरंभ में लागत पर पूंजीकृत किया जाता है जिसमें खरीदी मूल्य (किसी भी छूट अथवा रिबेट को घटाकर) और आस्ति को उसके नियत प्रयोग के लिए तैयार करने हेतु लगे अन्य प्रत्यक्ष रोप्य लागत को शामिल किया जाता है. सॉफ्टवेयर की मूल लागत में प्रत्यक्ष व्यय जो कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के कार्यनिष्पादन को बढ़ाता और विस्तारित करता हो और जिसे उसके ब्योरे से से आगे और विश्वसनीय रूप से आँका जा सकता है, को शामिल किया जा सकता है. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के रखरखाव से संबंधित खर्च वहन किए जाने पर उसे व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है.

In case of Intangible Assets, Acquired computer software licences are initially capitalised at cost, which includes the purchase price (net of any discounts and rebates) and other directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Direct expenditure which enhances or extends the performance of computer software beyond its specifications and which can be reliably measured is added to the original cost of the software. Costs associated with maintaining the computer software are recognized as an expense when incurred.

पूंजीकरण हेतु पात्र सॉफ्टवेयर विकास पर व्यय को विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों के रूप में लिया जाता है जहां पर कि ऐसी आस्तियां उनके नियत उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं.

Expenditure on software development eligible for capitalisation are carried as Intangible assets under development where such assets are not yet ready for their intended use.

अमूर्त आस्तियों को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी मूल्य पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधन हेतु प्रयोग अमूर्त आस्तियों का अनुमानित उपयोगी मूल्य है:

Intangible assets are amortized on a straight line basis over their estimated useful lives. The estimated useful lives of intangible assets used for amortization are:

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - 3 वर्ष / Computer Software -3 years

वेब ट्रेडिंग पोर्टल - 3 वर्ष / Web Trading Portal – 3 years

बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज कार्ड - 21 वर्ष / Bombay Stock Exchange Card – 21 years.

प्रबंधन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राइट के आर्थिक मूल्य का अनुमान उसके उपयोग मूल्य के आधार पर लगाता है.

Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use.

सभी अमूर्त आस्तियों को अर्जन के वर्ष में ₹ 5000 से कम मूल्य की एकल आस्तियों तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.

All Intangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. संपत्ति, संयत्र और उपकरण, जिनकी एकल लागत ₹ 5000/- अथवा कम हो, को खरीदी /अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Property, Plant and Equipment, individually costing ₹ 5000/- or less are fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का आंकलित उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा और समायोजन यथा उपयुक्त रूप से प्रत्येक तुलन-पत्र में की जाती है. किसी भी प्रकार के संशोधन के प्रभावों को परिवर्तनों के उत्पन्न होने पर लाभ व हानि विवरणी में दर्शाया जाता है
The residual values and estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted as appropriate, at each balance sheet date. The effects of any revision are recognized in profit or loss when the changes arise.

ऊ. एजिस फ़ेडरल लाइफ इंश्योरेस कंपनी लि. के मामले में,
F. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited,

I. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और उस आस्ति को उसके उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपगत कोई भी लागत शामिल हैं. मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में आस्ति की प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अर्जन की तारीख से / बिक्री की तारीख तक आनुपातिक रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) का प्रयोग करते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है :
Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost includes the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. The Depreciation is provided using Straight Line Method ('SLM') prorated from the date of acquisition/up to the date of sale, based on estimated useful life for each class of asset in the manner specified in Schedule II of the Companies Act, 2013, as stated below:

आस्ति **Asset**	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) **Useful Life (in Years)**
भवन / Building	60
पट्टाधृत उन्नयन / Leasehold improvements	3
संचार नेटवर्क व सर्वर Communication networks and servers	6
कंप्यूटर तथा पेरिफेरल उपकरण Computers and peripheral equipments	3
कार्यालय उपकरण / Office equipment	5
फर्नीचर एवं फिक्सचर / Furniture & fixtures	10
मोटर वाहन / Motor Vehicles	8
बिजली व उपकरण Electrical Installations and Equipments	10

II. सॉफ्टवेयर युक्त अमूर्त आस्तियों को परिशोधन घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. इन्हें इनके उपयोग की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है. सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण उन्नयनों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित होता है कि इस प्रकार का उन्नयन आस्ति को उसके मूल रूप से निर्धारित मानकों से अधिक भावी आर्थिक लाभ उत्पन्न करने में समर्थ बनाएगी और इस प्रकार का व्यय विश्वसनीय ढंग से आंका और आस्ति पर जोड़ा जा सकता है. अनुवर्ती व्ययों का परिशोधन सॉफ्टवेयर के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान किया जाता है. सॉफ्टवेयर के सपोर्ट तथा रख-रखाव के व्ययों को उस अवधि के राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें वे उपगत होते हैं.
Intangible assets comprising software are stated at cost less amortization. These are amortized using Straight Line Method over a period of 3 years from the date of being put to use. Significant improvements to software are capitalized when it is probable that such improvement will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably.

Subsequent expenditures are amortized over the remaining useful life of the software. The expenses for support and maintenance of software are charged to Revenue Account in the period in which they are incurred.

ऋ. आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में,
G. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited,

I. **स्वामित्व वाली आस्ति: / Owned Asset:**

स्वयं के उपयोग के लिए ली गई आस्ति पर उनके संचित मूल्यह्रास और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मूल लागत को दर्शाया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में क्रय मूल्य, शुल्क, कर और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने की स्थिति में लाने से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष लागत शामिल है.

Assets held for own uses are stated at original cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost of Property, plant and equipment comprises purchase price, duties, levies and any directly attributable costs of bringing the assets to its working condition of the intended use.

आस्ति हेतु मूल्यह्रास राशि आस्ति की लागत या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, आंकलित अवशिष्ट मूल्य घटाकर है.

Depreciable amount for asset is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its estimated residual value.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण आंकलित उपयोगी जीवनकाल जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुरूप है और मूल्यह्रास की पद्धति निम्नानुसार उल्लिखित की गई है:

The estimated useful life of Property, plant and equipment which is in line with schedule II to the Companies Act 2013 and the method of depreciation is set out herein below:

आस्ति Assets	उपयोगी जीवनकाल Useful Life	मूल्यह्रास की पद्धति Method of Depreciation
संयंत्र एवं उपकरण Plant & Equipment's	15 वर्ष 15 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method
फर्नीचर एवं फिक्सचर Furniture and Fittings	10 वर्ष 10 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method
विद्युत उपकरण Electrical Equipment's	10 वर्ष 10 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method
वाहन Vehicles	8 वर्ष 8 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method
कार्यालय उपकरण Office Equipment's	5 वर्ष 5 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method
कम्प्यूटर Computers	3 वर्ष 3 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method
मोबाइल फोन Mobile Phones	3 वर्ष 3 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method

II. अमूर्त आस्तियां / Intangible Assets

अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन और ह्सित हानियों से घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है. अमूर्त आस्ति की पहचान, जहां यह संभावना है कि आस्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे और जहां उसकी लागत विश्वसनीय तरीके से मापी गयी हो, की जाती है. अमूर्त आस्तियों की परिशोधन राशि सीधी रेखा पद्धति पर उसके उपयोगी जीवनकाल के सर्वश्रेष्ठ आंकलन पर आबंटित की गयी है.

Intangible Assets are stated at cost of acquisition, less accumulated amortization and impairment losses. An intangible asset is recognized, where it is probable that the future economic benefits attributable to the asset will flow to the enterprise and where its cost can be reliably measured. The amortizable amount of intangible assets is allocated over the best estimate of its useful life on a straight-line basis.

9 प्रतिभूतीकरण लेन-देन: / Securitization Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री की जाती है, जो इसके बदले में निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णत: अमान्य कर दिया जाता

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control over the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold.

10 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री: Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्रतिभूति रसीद (एसआर)/ प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र (पीटीसी) के भुनाई मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य में से निम्नतर आधार पर की गई है.

Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

पूरी तरह से प्रावधान की गई आस्तियों अर्थात संदिग्ध आस्तियों की बिक्री और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की बैंक की निवेश बही में एक रुपये के रूप में गणना की जाती है.

In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य(एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य धारित प्रावधान हटाकर) से कम मूल्य पर किया जाता है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में डेबिट किया जाता है . बैंक अनर्जक आस्तियों की बिक्री में किसी भी कमी अर्थात् जब बिक्री एनबीवी से कम हो, को पूरा करने के लिए आरबीआई की अनुमति से प्रतिचक्रीय/ अस्थायी प्रावधानों का प्रयोग करता है.

In case the sale value is at a price below the Net Book Value(NBV) (i.e., book value less provision held), the shortfall is be debited to the profit and loss account of that year. The Bank also uses, with permission of RBI, countercyclical/floating provisions for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है तो अतिरिक्त प्रावधान को राशि के प्राप्त होने वाले वर्ष में ही प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है. तथापि, आधिक्य प्रावधान का ऐसा प्रत्यावर्तन आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकद राशि तक सीमित है.

In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

11 विदेशी मुद्रा लेन-देन: / Foreign Currency Transactions:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाएं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.

Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, are recognized on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित औसत तिमाही बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as `Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. के मामले में,
B. In case of IDBI Assets Management Limited,

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के दौरान निपटान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण होने वाले विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. Exchange difference, if any, arising out of the foreign exchange transactions settled during the year are recognized in the statement of Profit and Loss.

इ. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में,
C. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited,

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया किया जाता है. विदेशी मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं, यदि कोई हों, का रूपान्तरण वर्ष के अंत में समाप्त दर पर किया जाता है. निपटान/रूपान्तरण पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे, जैसा लागू हो, में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लि. के मामले में,
D. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited,

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जाती है. उन पर उत्पन्न होने वाले तथा विदेशी मुद्रा वसूली/भुगतान पर होने वाले विनिमय अंतर को सम्बद्ध वर्ष के दौरान आय या व्यय के हिसाब में लिया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

उ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में,
E. In case of IDBI Intech Limited,

विदेशी मुद्रा में संव्यवहार, संव्यवहार के समय प्रभावी विनिमय की मूल दर पर दर्ज किए जाते हैं. विदेशी मुद्रा संव्यवहार के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक वस्तुएं तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग कर पुनःस्थापित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले निवल विनिमय अंतर को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currency are recorded at the original rate of exchange in force at the time transactions are effected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss. Monetary items denominated in foreign currency are restated using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting net exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता को कम करने की दृष्टि से, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं निष्पादित करती है. फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और अन्य समान लिखत जो पूर्वानुमानित लेनदेन के संबंध में नहीं हैं, उन्हें लेखांकन मानक ('एएस') 11 यथा 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' में के दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए लेखांकित किया गया है. इन वायदा विनिमय संविदाओं और एएस-11 द्वारा कवर किए गए अन्य समान लिखतों के संबंध में संविदा की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर या तो संविदाओं को रिपोर्टिंग तिथि पर अग्रिम दर/ उचित मूल्य के आधार पर दर्ज किया जाता है, या रिपोर्टिंग तिथि पर स्पॉट विनिमय दर के आधार पर दर्ज किया जाता है.

With a view to minimize the volatility arising from fluctuations in currency rates, the Company enters into foreign exchange forward contracts. Forward exchange contracts and other similar instruments that are not in respect of forecasted transactions are accounted for using the guidance in Accounting Standard ('AS') 11, 'The effects of changes in foreign exchange rates'. For such forward exchange contracts and other similar instruments covered by AS-11, based on the nature and purpose of the contract, either the contracts are recorded based on the forward rate/fair value at the reporting date, or based on the spot exchange rate on the reporting date.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस के मामले में,
F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited,

विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर बहियों में दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में मूल्यवर्गित सभी मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुनः दर्शाया जाता है. निपटान या लेनदेन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currencies are recorded in the books by applying the exchange rates prevailing on the date of the transaction. All monetary items denominated in foreign currency assets and liabilities are restated at the exchange rate prevailing at the year end. Any income or expense on account of the exchange difference either on settlement or on transaction is recognized in the profit & loss account.

12 कर्मचारी लाभ: / Employee Benefits:

i. अंशदान के देय होने पर निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में किए गए भुगतान को वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्वलक्षित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है.

For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

13 खंड रिपोर्टिंग: / Segment Reporting:

समूह चार खंडों यथा- होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाएं तथा अन्य परिचालन में कार्य करता है. इन खंडों का निर्धारण एएस-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं के स्वरूप व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Group operates in four segments wholesale banking, retail banking, treasury services and other operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों व देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जिन आस्तियों व देयताओं को अभिनिर्धारणीय खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया जाता है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

14 कराधान: / Taxation:

कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं. / **Tax expense comprises of current and deferred tax.**

i. चालू कर आय कर की वह निर्धारित राशि है जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है. इसकी गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार की जाती है.

Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.

Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

v. आईडीबीआई बैंक ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अनुसार कम कर दर का विकल्प चुना है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि एमएटी कम कर का विकल्प चुनने वाली देशी कंपनियों के लिए लागू नहीं होगा.

IDBI Bank has opted for the lower tax rate as per Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendments) Act, 2019 which provides, inter alia, that MAT would not be applicable for the domestic companies opting for the lower tax.

vi. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के संबंध में कर जमा का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त साक्ष्य के आधार पर इस शर्त के साथ किया जाता है कि कंपनी सांविधानिक समय-सीमा के अंतर सामान्य आय कर का भुगतान करेगी तथा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को इसकी समीक्षा की जाती है.

In respect of certain subsidiaries, tax credit is recognized in respect of Minimum Alternate Tax (MAT) as per the provisions of Section 115JAA of the Income tax Act, 1961 based on convincing evidence that the it will pay normal income tax within the statutory time frame and is reviewed at each balance sheet date.

vii. समेकित वित्तीय विवरणों में, आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों की गणना एकल इकाई स्तर पर की जाती है और समेकित रिपोर्टिंग के लिए एकत्रित की जाती है.

In the consolidated financial statements, deferred tax assets and liabilities are computed at an individual entity level and aggregated for consolidated reporting.

15 दलाली एवं नए निधि प्रस्ताव व्यय: / Brokerage &New Fund Offer expenses:

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में / **In case of IDBI Asset Management Limited**

दलाली: असीमित अवधि वाली इक्विटी लिंक्ड कर बचत योजना के मामले में अदा की गई अपफ्रंट दलाली को 36 महीने की अवधि में परिशोधित करना होता है तथा अन्य असीमित अवधि वाली योजना के मामले में इसे भरपाई अवधि में परिशोधित करना होता है. सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में अपफ्रंट दलाली को परिपक्वता अवधि के दौरान परिशोधित करना होता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Brokerage: Upfront Brokerage paid in case of open ended Equity Linked Tax Saving schemes are to be amortized over the period of 36 months and in case of any other open ended scheme , over the claw back period. In case of closed ended schemes upfront brokerage to be amortized over the tenure of the scheme.

नए निधि प्रस्ताव (एनएफओ): नए निधि अंतर को आरंभ करने संबंधी व्ययों को उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में प्रभारित करना होता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं और सीमित अवधि वाली योजनाओं के लिए इसे योजना की अवधि के लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित करना होता है.

New Fund Offer (NFO): Launch expenses relating to New Fund Offer are to be charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which they are incurred and for close ended scheme it is to be charged to the Statement of Profit and Loss over the tenure of the scheme

16 पट्टे (एएस-19): / LEASES (AS-19) :

क) लीज/किराये के आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ रद्द करने योग्य हैं.

a) The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank

ख) बैंक द्वारा किया गया पट्टा सहमत अवधि के लिए है और पट्टे की अवधि के दौरान भी पट्टे को पारस्परिक सहमति से एक कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर समाप्त करने का विकल्प है.

b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

ग) परिचालन पट्टों के लिए भुगतान किए गए पट्टे के किराए की संबंधित वर्ष के लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में गणना की जाती है.

c) Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates.

17 प्रति शेयर उपार्जन : / Earnings Per Share:

i. समूह एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Group reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाते हैं जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

18 आस्तियों की अनर्जकता : / Impairment of Assets:

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन ऐसे संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-राशि वसूली योग्य नहीं है तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से करके किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गई हों तो निर्धारित होने वाली अनर्जकता को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

19 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

i. एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में, बैंक द्वारा कोई प्रावधान तभी हिसाब में लिया जाता है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए दायित्व संबंधी विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण किया जाता है और न ही इनका प्रकटन किया जाता है.

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

20 योजना से संबंधित व्यय: / Scheme related expenses:

आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के संबंध में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनिमय 1996 अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होने वाले आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजना के व्यय कंपनी द्वारा वहन किए जा सकते हैं. तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई भी व्यय लाभ-हानि लेखे को प्रभारित नहीं किया गया है. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड पर लगाये जाने वाले सचिवीय तथा अन्य प्रभारों के एक भाग को युक्तियुक्त एवं साम्यिक आधार पर प्रभाजित किया है और ऐसे व्यय लाभ-हानि लेखा में दर्शाये जाते हैं.

In case of IDBI MF Trustee Company Limited, Expenses of the scheme of IDBI Mutual Fund in excess of the limits prescribed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations Act 1996 can be borne by the Company. However, during the period under review no such expenses are charged to profit and loss account. IDBI Asset Management Limited has apportioned a part of the Secretarial and other charges attributable to the IDBI MF trustee company Limited on a reasonable and equitable basis and such expenses are charged to the Profit and Loss account.

21 अन्य: / Others:

एजीस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में / In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited,

i) **अर्जन लागत:** / Acquisition Costs:

अर्जन लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो भिन्न-भिन्न होती हैं और प्राथमिक रूप से बीमा संविदा के अर्जन से जुड़ी होती हैं तथा ये उसी अवधि में व्यय की जाती हैं, जिस अवधि में उपगत होती हैं.

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

ii) **प्रदत्त लाभ:** / Benefits Paid:

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ का दावा निपटान, यदि कोई हो, शामिल है.

Benefits paid comprise of policy benefits and claim settlement costs, if any.

मृत्यु, राइडर आहरण एवं अभ्यर्पण दावे सूचना मिलने के बाद हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे व परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत किए गए आहरण एवं अभ्यर्पण सहबद्ध यूनिटों के निरस्त होने पर संबंधित योजनाओं में हिसाब में लिए जाते हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों की अवधि में ही हिसाब में ली जाती हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Death, rider, withdrawals and surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted when due. Withdrawals and Surrenders under linked policies are accounted in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

iii) **बीमांकिक देयता मूल्यांकन:** / **Actuarial liability valuation:**

जीवन बीमा के मामले में प्रवर्तनशील बीमा पॉलिसियों के संबंध में तथा ऐसी पॉलिसियों के संबंध में जहाँ प्रीमियम तो जारी नहीं है, लेकिन देयता विद्यमान है, उनके संबंध में बीमांकिक देयता का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा स्वीकार्य बीमांकक प्रथाओं, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित, इरडा विनियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों व भारतीय बीमांकक संस्थान के बीमांकक प्रथा मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सकल प्रीमियम पद्धति से किया जाता है. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत देयताएं यूनिटों के मूल्य व मृत्यु एवं रूग्णता जोखिमों के संबंध में भावी गैर यूनिट रिजर्व का योग करने के बाद पॉलिसी प्रभार घटाकर निकाली जाती हैं.

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Law (Amendment) Act, 2015, IRDA regulations & circulars issued from time to time and the Actuarial Practice Standards of the Institute of Actuaries of India. Liabilities under unit linked policies are the sum of the value of units and the prospective non unit reserve in respect of mortality and morbidity risks and future policy expenses, less policy charges.

iv) **पुनर्बीमा प्रीमियम:** / **Reinsurance premium:**

सत्तातरित पुनर्बीमे की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ संधि अथवा सैद्धान्तिक व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय की गई है. सत्तातरित पुनर्बीमे पर लाभ या कमीशन को पुनर्बीमा पर सत्तांतरित प्रीमियम में से निवलित किया गया है.

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer.

v) **भावी समायोजन के लिए निधियाँ** / **Funds for Future Appropriations**

प्रतिभागी खंड में भावी समायोजन के लिए बताई गई निधियाँ वह अधिशेष हैं, जिसे तुलन पत्र की तरीखा को पॉलिसीधारकों या अंशधारकों को आबंटित नहीं किया गया हैं. प्रतिभागी पॉलिसीधारक को किया गया कोई भी आबंटन अंशधारकों के लाभ हानि लेखे में अंतरण में अपेक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा.

The funds for future appropriations, in the participating segment, represent the surplus, which is not allocated to policyholders or shareholders as at the Balance Sheet date. Any allocation to the participating policyholders would also give rise to a transfer to Shareholders' Profit and Loss Account in the required proportion.

vi) **वस्तु व सेवा कर (पूर्ववर्ती 'सेवा कर')** / **Goods and Services Tax (erstwhile 'Service tax')**

जीवन बीमा सेवा पर वस्तु और सेवा कर के दायित्व का निपटान वस्तु एवं सेवाओं की निविष्टियों पर अदा किए गए कर पर उपलब्ध निविष्ट कर जमा (आईटीसी) से किया गया है. अनुपयोगित क्रेडिट, यदि कोई हो तो उसे आगे पृथक किया गया है.

Goods and Services Tax liability on life insurance service is set-off against the input tax credits ('ITC') available from tax paid on input of goods or services. Unutilized credits, if any, are carried forward for set-off.

vi) **ऋण** / **Loans**

पॉलिसियों पर ऋण को ऐतिहासिक लागत पर वितरित किया गया है जो कि मूल्यहास के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, के अधीन है.

Loans against policies are stated at historical cost, subject to provision for impairment, if any.

viii) **आबंटन पद्धति** / **Allocation methodology**

राजस्व और व्यय, संपत्ति और देनदारियां जो सीधे संबंधित खंडों के लिए जिम्मेदार और पहचान योग्य हैं, सीधे संबंधित खंड में आबंटित की जाती हैं. बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय निम्नलिखित तरीके से विशिष्ट व्यवसाय खंडों को आबंटित किए जाते हैं, जिन्हें लगातार आधार पर लागू किया जाता है.

Revenues and expenses, assets and liabilities which are directly attributable and identifiable to the respective segments, are directly allocated for in that respective segment. Operating expenses relating to insurance business are allocated to specific business segments in the following manner, which is applied on consistent basis.

क) खंड के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य व्यय वास्तविक आधार पर आबंटित किए जाते हैं.
a) Expenses that are directly identifiable to the segment are allocated on actual basis

ख) अन्य व्यय (मूल्यह्रास और परिशोधन सहित), जो कि किसी व्यवसाय खंड के लिए सीधे पहचान योग्य नहीं हैं, निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर आबंटित किए जाते हैं:

b) Other expenses (including depreciation and amortization), that are not directly identifiable to a business segment, are allocated on either of the following bases:

- जारी की गई बीमा पॉलिसियों/प्रमाणपत्रों की संख्या / Number of policies/certificate of insurance issued
- वार्षिक प्रीमियम समतुल्य / Annual Premium Equivalent
- नया कारोबार कमीशन / New Business Commission
- मृत्यु बीमा राशि / Death Sum Assured
- गणितीय रिज़र्व / Mathematical Reserves
- लागू पॉलिसियों की संख्या / Number of policies in force
- नवीनीकरण प्रीमियम आय / Renewal Premium income

आबंटन और विभाजन की विधि व्यय की प्रकृति और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ इसके तार्किक सह-संबंध के आधार पर तय की गई है. विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच व्यय का आबंटन और विभाजन बोर्ड के अनुसार है.

The method of allocation and apportionment has been decided based on the nature of the expense and its logical co-relation with various business segments. The allocation and apportionment of expenses amongst various business segments is in accordance with Board approved policy.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 18 - समेकित लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि,पूर्वावधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)
NET PROFIT OR LOSS FOR THE PERIOD, PRIOR PERIOD ITEMS AND CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (AS-5)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन नहीं है.
No change in Accounting Policy for the financial year 2020-21.

2. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एएस-10)
FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENTS AS-10)

i. वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया है जिसमें पट्टाधृत/पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय /कार्यालय भवन शामिल हैं. पुनर्मूल्यांकन के बाद यथा 1 अप्रैल 2019 को ₹ 7145.28 करोड़ माना गया है.
As at the end of the FY 2018-19, the Bank had re-valued its Premises including leasehold / Freehold Lands & Residential/ Office buildings based on valuations made by independent valuers. Post revaluation, the net block of premises stands at ₹ 7,145.28 Crore as on 1st April, 2019.

ii. 31 मार्च 2021 को पुनर्मूल्यन रिजर्व में शेष ₹ 6,281.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6,503.37 करोड़) रहा.
The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2021 is ₹ 6,281.45 Crore (₹ 6,503.37 Crore for previous year).

iii. वर्ष के दौरान आवासीय/कार्यालय भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री के कारण निवल ₹ 0.42 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 4.76 करोड़) की हानि हुई जिसे अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है.
Loss amounting to ₹ 0.42 Crores (Previous Year: ₹ 4.76 Crores) on account of sale of residential/office buildings during the year is included in Schedule 14 - Other Income.

3. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित)
EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (Revised)

क. कर्मचारी लाभ योजना
A. Employee Benefit Schemes

i. **निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes**

क) वित्त वर्ष 20-21 लाभ-हानि खाते में भविष्य निधि अंशदान के लिए चिन्हित और शामिल राशि
a) The amount recognized and included for Contribution to Provident Fund in Profit and Loss Account in FY 20-21

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्थान Entity	वित्त वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20 FY 2019-20
आईडीबीआई बैंक लि / IDBI Bank Ltd	5.55	5.96
एजिस फेडरल लाइफ इन्शुयरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.	1.22	2.51
आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	0.50	0.60
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड IDBI Capital Markets & Securities Limited	0.87	0.96
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.21	0.22
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited	4.19	3.95

ख) आईडीबीआई बैंक लि के मामले में पेंशन का विकल्प चुनने वाले तथा 31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर बैंक के अन्य कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना को ''आरबीआई बैंक कर्मचारियों की न्यासी बोर्ड भविष्य निधि न्यास (न्यास)'' द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फ़ाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) और आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संदर्भ में मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किए गए और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लिखित निधि में किए गए.

b) In case of IDBI Bank Limited, the Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of erstwhile IDBI Home Finance Limited (IHFL) and erstwhile IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund.

ग) 1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को आईडीबीआई बैंक की नयी पेंशन पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप मे अंशदान करता है. वर्ष के दौरान आईबीएलएनपीएस में ₹ 100.24 करोड़ (₹ 90.99 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में डाला गया है.

c) The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 100.24 Crore (₹ 90.99 Crore) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.

घ) एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रुप टर्म बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1.22 करोड़ (₹ 2.51 करोड़) करोड़ की राशि डाली गयी है.

d) In case of Ageas Federal Life Insurance Company Ltd, the amount recognized of ₹ 1.22 Crore for the year ended March 31, 2021 (₹ 2.51 Crore) includes contribution towards Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance & Employee Labour Welfare Fund in the Profit and Loss Account.

ङ) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में कर्मचारी और कंपनी दोनों ही वेतन के निर्दिष्ट औसत के बराबर राशि भविष्य निधि योजना में मासिक आधार पर अंशदान करते हैं. कंपनी के उन कर्मचारियों के मामले में जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) के पास पंजीकृत हैं और जिनके पास यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरपीवाई) के दिशानिर्देशों के अधीन नए कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार ने ईपीएफ़ और ईपीएस दोनों में पूर्ण नियोक्ता अंशदान का भुगतान किया है. शेष कर्मचारियों के लिए और सभी कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण अंशदान सरकार द्वारा अभिशासित कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि में किया जाता है. लाभभोगियों को प्रति वर्ष देय ब्याज के बारे में सरकार द्वारा सूचना दी जा रही है. वर्ष के दौरान कंपनी ने पीएमआरपीवाई के प्रति ₹ 0.11 करोड़ (₹ 0.16 करोड़) का लाभ प्राप्त किया.

e) In case of IDBI Intech Ltd, both the employees and the Company make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. In case of Company's employees enrolled with the Employees Provident Fund Organization (EPFO) having Universal Account Number (UAN), the Government of India has paid the full employer's contribution to both EPF and EPS in respect of new employees under the guidelines of Pradhan Mantri Rojgar Yojana (PMRPY). For the remaining employees and the entire contribution in respect of all employees is contributed to the Government administered Employee Provident and Pension Fund. The interest rate payable to the beneficiaries every year is being notified by the Government. During the year, the Company has availed the benefit of PMRPY for ₹ 0.11 Crore (₹ 0.16 Crore).

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं

ii. Defined Benefit Schemes

क) बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है.

a) The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

i बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित है.
Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ii. इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है
The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

ख. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में समूह की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उसे सेवा से मुक्ति लेते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो कि अधिकतम ₹ 20,00,000 के अधीन है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

b) In case of IDBI Capital Markets & Securities Ltd., the group has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹ 20,00,000.

ग. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार भुगतान के लिए समूह ने ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है जो सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति लाभ योजना है. इसमें संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर उसे सेवानिवृत्ति या सेवा समापन पर एकमुश्त राशि दी जाती है. ग्रेच्युटी लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियंत्रित तथा प्रबंधित ग्रेच्युटी निधि के जरिए प्रदान किया जाता है. ग्रेच्युटी निधि में वार्षिक अंशदान तथा प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

c) In case of IDBI Asset Management Ltd., In accordance with Payment of Gratuity Act, 1972, the group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company. The gratuity benefit is provided through a Gratuity Fund administrated and managed by the Life Insurance Corporation of India. The annual contributions to the gratuity fund and provision is made on the basis of actuarial valuation.

घ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में समूह भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा संचालित कर्मचारी समूह उपदान बीमा योजना में वार्षिक अंशदान करता है जो अर्हताप्राप्त कर्मचारियों के लिए एक निधिक निर्धारित लाभ है. यह योजना सेवा पूरे किए गए वर्ष के आधार पर या छह माह से अधिक होने पर उसके भाग के रूप में संबन्धित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार के दौरान सेवा की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करती है. निहित योजना पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी होने पर लागू होता है.

d) In case of IDBI Intech Ltd., the group makes annual contribution to the Employee's Group Gratuity Assurance Scheme, administered by the Life Insurance Corporation of India (LIC), a funded defined benefit plan for qualifying employees. The scheme provides for lump sum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment based on completed years of service or part thereof in excess of six months. Vesting occurs on completion of five years of continuous service.

ङ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में समूह ने ग्रेच्युटी दायित्वों के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है. ग्रेच्युटी ट्रस्ट के अनुमोदन के लिए आयकर विभाग के पास किया गया आवेदन लंबित है. ट्रस्ट ने एलआईसी से ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और बीमांकिक आधार पर एलआईसी द्वारा निर्धारित किए गए वार्षिक अंशदानों का भुगतान कर उन्हें लाभ-हानि खाते में डाला जाता है. वर्ष के अंत में एलआईसी के पास हुआ संचय कंपनी की योजना आस्तियों और ग्रेच्युटी देयताओं के निधिकृत भाग को दर्शाते हैं.

e) In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., The group has created a separate Trust for Gratuity obligations. The application filed for approval of the Gratuity Trust with the Income Tax Dept. is pending. The Trust has taken Group Gratuity Policy from LIC and the annual contributions determined by LIC on actuarial basis are paid and charged to Statement of Profit & Loss. The accumulations with LIC at year end represent Plan Assets and Funded Part of Gratuity Obligations of the Company.

च) चूंकि एलआईसी द्वारा बीमांकिक गणनाओं में अपेक्षाकृत कम दरों पर वेतन में बढ़ोत्तरी (4%) और आहरण (1% से 3%) का अनुमान लगाया जाता है, कंपनी ने सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बीमा मूल्यांकक से अधिक वास्तविक धारणाओं पर पिछली और वर्तमान सेवा के भविष्य के दायित्वों के वर्तमान मूल्य के मूल्यांकन हेतु एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. एलआईसी योजना में निधि संचयन और स्वतंत्र मूल्यांकक (ग्रेच्युटी दायित्व के गैर निधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हुए) द्वारा वर्ष के अंत में देयता के रूप में निर्धारित राशि में अंतर को लाभ-हानि विवरण में उपयुक्त रूप से डालकर लेखे में देयता के रूप में दर्शाया जाता है.

f) On account of LIC assuming lower rates of salary escalations (4%) and withdrawal (1 to 3%) in actuarial computations, the Company has obtained, from Independent Government Approved Actuary Valuer, a certificate for valuation of present value of future obligation of past and current service on more realistic assumptions. The difference between fund accumulation in LIC Scheme and amount determined at year end obligations by Independent Valuer (representing Non-Funded Part of Gratuity Obligation) is recognized and presented as liability in accounts by appropriate charge to Statement of Profit & Loss.

छ) एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में समूह ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट निगमित किया है. कंपनी आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड के ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित ग्रेच्युटी निधि में अंशदान करती है. ग्रेच्युटी योजना में पात्र कर्मचारियों को संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में रोजगार के वर्ष के आधार पर सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है.

g) In case of Ageas Federal Life Insurance Company Ltd., The group has incorporated a gratuity trust. The Company makes contribution to a Gratuity Fund administered by trustee of Ageas Federal Life Insurance Company Limited Gratuity Fund. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirements or termination of employment based on the respective employee's salary and the year of employment with the Company.

ज) 6 महीने या उससे अधिक की नियमित सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार सेवा छोड़ने पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन के मूल वेतन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.

h) The Gratuity is payable on separation as per the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 @ 15 days basic pay for each completed years of service to eligible employees who have rendered continuous service of 6 months or more.

झ) कर्मचारियों को उपदान लाभ न्यास द्वारा प्रबंधित एक बीमा नीति और निवेश के माध्यम से प्रदान किया जाता है. बीमा पॉलिसी कंपनी द्वारा जारी की जाती है तथा ऐसी पॉलिसी के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रीमियम को व्यय माना गया है. इससे संबन्धित देयता (निधिक भाग) जीवन निधि का भाग और तदनुरूपी निवेश पॉलिसीधारक का भाग होती है.

i) Gratuity benefits to employees are provided for through an insurance policy and investments managed by the Trust. The insurance policy is issued by the Company and the premium paid by the Company in respect of such policy has been accounted as an expense. The liability in respect thereof (funded portion) forms part of life fund and corresponding investment as part of policyholder's investments.

न) कर्मचारियों के लिए संचित बीमारी छुट्टी के संबंध में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति हेतु देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उक्त लाभों के लिए प्रावधान के रूप में राजस्व अथवा लाभ और हानि लेखा में ₹ 0.01 करोड़ (₹ -0.05 करोड़) प्रभारित किए गए.

j) Liability for compensated absence in respect of accumulated sick leave for employees is determined based on actuarial valuation. During the year amount of ₹ 0.01 Crore (₹ -0.05 Crore) has been charged to Revenue or Profit and Loss Account towards provision for the said benefits based on actuarial valuation.

आ. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2021 को समूह के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार है.

B. The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognized in the Group's financial statements as at March 31, 2021 which is as per AS-15 (Revised).

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021		यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	
क) a)	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	2,993.01	944.26	2,343.28	800.32
	ब्याज लागत / Interest cost	203.23	64.97	182.31	62.11
	वर्तमान सेवा लागत Current Service cost	36.46	42.41	37.68	37.84
	वर्ष के दौरान सीमा में वृद्धि के कारण उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	अंतरित देयता आगम / (निर्गम) Liability Transferred In/ (Out)	-	-	-	-
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(168.18)	(67.97)	(216.01)	(81.10)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses	207.68	(43.91)	-	1.48
	वित्तीय अवधारणाओं में बदलाव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(66.50)	(1.06)	294.85	69.80

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021		यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	
	अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	(15.23)	13.30	350.90	56.24
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/ obligation, end of the year	**3,190.47**	**952.00**	**2,993.01**	**946.68**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन: Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	2,698.21	891.84	2,435.91	719.99
	योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	183.21	61.40	189.51	56.01
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	337.66	132.00	274.68	194.18
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other Company	-	-	-	-
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(168.18)	(67.97)	(216.01)	(81.10)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial gain / (loss)	41.11	(0.18)	14.12	4.53
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**3,092.01**	**1,017.09**	**2,698.21**	**893.61**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	3,190.47	949.49	2,993.01	946.69
	भविष्य में अभिनिर्धारित/ उपबंधित की जानेवाली संक्रमणकालीन (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/ provided in future	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at the end of the year	3,190.47	949.49	2,993.01	946.69

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021		यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at the end of the year	3,092.01	1,015.60	2,698.21	893.61
	अधिशेष / (कमी) Surplus/ (Deficit)	**(98.46)**	**66.11**	**(294.80)**	**(53.08)**
घ) d)	**वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year**				
	सेवा लागत / Service cost	36.46	42.41	37.68	37.84
	ब्याज लागत / Interest cost	203.23	64.46	182.31	62.11
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(183.21)	(60.89)	(189.51)	(55.74)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	84.84	(31.49)	631.63	123.00
	सीमा में वृद्धि के कारण अवधि के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई संक्रमणकालीन देयता Transitional liability recognized during the year	-	-	-	-
	उपरोक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	**141.32**	**14.49**	**662.11**	**167.21**
	पुनरांकित न की गयी बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता Excess of fund value over actuarial liability not written back	-	-	-	-
	वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	-	-	(92.63)	-
	वर्तमान वर्ष में समायोजित निवेशों पर एलआईसी द्वारा ऑफर ब्याज दर में बढ़ोतरी के कारण उपदान निधि मूल्य में वृद्धि Increase in Gratuity Fund Value due to increase in rate of interest offered by LIC on investments adjusted in current year	-	-	-	-
	वर्ष की निवल लागत Net cost of the year	**141.32**	**14.49**	**569.48**	**167.21**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021		यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	
ड़) e)	**आस्तियों की श्रेणी Category of Assets**				
	भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets	-	-	-	-
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	195.84	0.26	196.21	0.59
	कॉरपोरेट बांड Corporate Bonds	976.02	-	861.74	0.19
	विशेष जमा योजना Special Deposits Scheme	39.62	-	-	-
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	1,736.72	1,015.76	1,509.00	889.05
	अन्य / Others	143.81	0.04	131.26	2.91
	कुल / Total	**3,092.01**	**1,016.06**	**2,698.21**	**892.75**
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं: Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर Discount rate	6.97%	5.45% से 6.96% तक From 5.45 % to 6.96%	6.79%	5.45 % से 7.00% तक From 5.45 % to 7.00%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर Rate of return on plan assets	6.97%	5.00% से 6.96% तक From 5.00% to 6.96%	6.79%	0.07% से 7.10% तक From 0.07% to 7.10%
	वेतन बढ़ोतरी दर Salary escalation rate	5.75%	5.00% से 12% तक From 5 % to 12%	5.75%	5 % से 12% तक From 5 % to 12%
	पलायन दर Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08% तथा उसके बाद 3.50% 3.08% for service less than 5 years and 3.50% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90% और 4 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए 2.57% 1.90 % for service less than 5 Years and 2.57 % for service more than 4 Years

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021		यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	
	मृत्यु दर Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08)- रोजगार के दौरान Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult - **During employment** भारतीय व्यक्ति वार्षिक मृत्यु दर तालिका (2012-15)- रोजगार पश्चात Indian Individual Annuitant's Mortality Table (2012-15)- **After employment**	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult.	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

अनुभव समायोजन / Experience Adjustments

(i) **उपदान योजना / Gratuity Plan**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	950.75	945.57	799.34	720.85	653.17
योजना आस्तियां / Plan assets	1,016.34	892.91	719.39	651.64	572.68
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	65.60	(52.66)	(79.95)	(69.21)	(80.49)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience adjustments on plan liabilities [Gain / (Loss)]	(13.56)	(54.52)	(44.44)	(15.55)	10.63
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience adjustments On plan assets [Gain / (Loss)]	(0.18)	4.55	(0.12)	8.67	3.27

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(ii) पेंशन योजना
(ii) Pension Plan

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	3,190.47	2,993.01	2,343.28	2,111.79	2,059.32
योजना आस्तियां / Plan assets	3,092.01	2,698.21	2,435.91	2,289.98	2,257.56
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	(98.46)	(294.8)	92.63	178.19	198.24
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	15.23	(350.9)	(180.22)	(42.72)	(76.87)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (लाभ/(हानि) Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	41.11	14.12	57.23	(38.82)	98.10

इ. अन्य दीर्घावधि लाभ
C. Other long term benefits

क. अवधि की समाप्ति पर छुट्टी नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य
a. Present value of Leave Encashment obligation at the End of the period

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था Entity	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20
आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Limited	545.30	525.22
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Limited	1.02	1.71
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	0.59	0.44
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited	2.14	2.22
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Markets & Securities Limited	3.93	3.29
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Limited	0.76	0.52

ख. वित्तीय वर्ष 20-21 में लाभ-हानि लेखे में प्रभारित छुट्टी नकदीकरण
b. Leave Encashment charged to Profit and Loss Account in FY 20-21

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था Entity	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20
आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	166.25	134.62
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.	0.52	1.07
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	0.21	0.14
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Markets & Securities Limited	0.86	0.75
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. / IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.26	0.20
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Limited	1.48	0

ग. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में, बैंक के अधिकारी अधिकतम 240 दिन और अन्य स्टाफ अधिकतम 300 दिन तक अपनी अर्जित/ विशेष छुट्टी को संचित करने के लिए पात्र हैं. प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराया जा सकता है.
c. In case of IDBI Bank Ltd., employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 240 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

घ. बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना सहायता के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
d. Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

ड़. बैंक के कर्मचारी अपंगता सहायता के लिए पात्र हैं जिसे अपंगता की घटना घटित होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
e. Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

च. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी के कर्मचारी अधि कतम 30 दिन की अर्जित/ विशेष छुट्टी को संचित कर सकते हैं जो नीति के अनुसार उनके द्वारा सेवा छोड़ते समय भुगतान योग्य/ नकदीकरण योग्य हैं.
f. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Ltd, The employees of the Company are entitled to accumulate their earned / privilege leave up to a maximum of 30 days which is payable / encashable as per the policy on their separation.

4. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्यत: निम्नलिखित चार कारोबारी खंडों में परिचालन करता है : / The Bank primarily operates in four business segments as under:

ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाजार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केंद्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल/ करेंसी कार्ड, थर्ड पार्टी वितरण और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority Sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, Internet Banking, Mobile Banking, Credit Cards, Debit Cards, Travel/Currency cards, Third party distribution and Transaction Banking Services.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अतिरिक्त जमा एवं ऋण कार्यकलाप सहित कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ समूहन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन और ट्रेजरी के अंतर्गत शामिल न किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.
अन्य बैंकिंग/ समूह परिचालन Other Banking/Group Operations	इसमें बैंक के अलावा समूह कंपनियों के परिचालन/ कार्यकलाप शामिल हैं. Includes operations/activities of group companies other than Bank.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रम सं Sr. No	विवरण Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2021 Year Ended March 31, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2020 Year Ended March 31, 2020
क. **a.**	**खंड राजस्व** **Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	10,217	12,000
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	27,103	28,906
	ट्रेजरी / Treasury	356	754
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	275	284
	कुल / TOTAL	**37,951**	**41,942**
	घटाएं :- अंतर-खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	13,147	16,457
	परिचालनों से निवल बिक्री/ आय **Net sales / income from operations**	**24,804**	**25,485**
ख. **b.**	**खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ / (हानि)** **Segment Results -Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	(605)	(11,329)
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	2,676	1,767
	ट्रेजरी / Treasury	347	575
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	132	103
	कुल / TOTAL	**2,550**	**(8,884)**
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ / (हानि) / Total profit/ (loss) before tax	**2,550**	**(8,884)**
	आय कर / Income taxes	1,036	3,951
	निवल लाभ/ (हानि) / Net profit/ (loss)	1,514	(12,835)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रम सं Sr. No	विवरण Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2021 Year Ended March 31, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2020 Year Ended March 31, 2020
ग. c.	**खंड आस्तियां Segment assets**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	93,382	1,06,263
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	1,82,584	1,71,633
	ट्रेजरी / Treasury	835	175
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	863	854
	अविनिधानीत आस्तियां / Unallocated assets	20,989	21,774
	कुल आस्तियां / Total assets	**2,98,653**	**3,00,699**
घ. d.	**खंड देयताएं / Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	27,719	53,233
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	2,38,355	2,17,844
	ट्रेजरी / Treasury	945	1,099
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	297	191
	अविनिधानीत देयताएं / Unallocated liabilities	-	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	**2,67,316**	**2,72,367**
ङ) e.	**पूंजी नियोजन (खंड आस्तियां-खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	65,662	53,030
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	(55,770)	(46,210)
	ट्रेजरी / Treasury	(110)	(924)
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	566	663
	अविनिधानीत / Unallocated	20,989	21,774
	कुल पूंजी / TOTAL	**31,337**	**28,332**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं।
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.

- समूह प्राथमिक रूप से भारत में कारोबार करता है, अतः समूह ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है।
  The group primarily operates in India, hence the group has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

5. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18)
RELATED PARTIES DISCLOSURE (AS-18)

i. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के ब्योरे / Details of Key Management Personnel**

क्र. सं. S. No.	संस्था का नाम Name of Entity	संबंध Relationship
1.	श्री राकेश शर्मा Shri Rakesh Sharma	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO
2.	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज Shri Samuel Joseph Jebaraj	उप प्रबंध निदेशक (20 सितंबर 2019 से) Deputy Managing Director (From September 20, 2019)
3.	श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार Shri Suresh Kishanchand Khatanhar	उप प्रबंध निदेशक (15 जनवरी 2020 से) Deputy Managing Director (From January 15, 2020)
4.	श्री अजय शर्मा Shri Ajay Sharma	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी. Executive Director & Chief Financial Officer
5.	श्री पवन अग्रवाल Shri Pawan Agrawal	कंपनी सचिव (15 अप्रैल, 2021 तक) Company Secretary (upto April 15, 2021)
6.	सुश्री ज्योति नायर Ms. Jyoti Nair	कंपनी सचिव (16 अप्रैल 2021 से) Company Secretary (w.e.f. April 16, 2021)

ii. **वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों से लेनदेन किए गए**
Parties with whom transactions were entered into during the year

लेखा मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में लेनदेनों में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के संबंधियों का प्रकटन नहीं किया गया है.

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

iii. **वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत पारिश्रमिक**
Remuneration Paid To Key Management Personnel During The Year

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20
श्री राकेश शर्मा / Shri Rakesh Sharma	0.36	0.37
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज / Shri Samuel Joseph Jebaraj	0.32	0.18
श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार / Shri Suresh Kishanchand Khatanhar	0.31	0.07
श्री अजय शर्मा / Shri Ajay Sharma	0.37	0.40
श्री पवन अग्रवाल / Shri Pawan Agrawal	0.36	0.40
श्री के.पी.नायर / Shri K.P. Nair	-	0.27
श्री जी.एम.यादवाडकर / Shri G.M.Yadwadkar	-	0.28
कुल / TOTAL	**1.73**	**1.97**

6. पट्टे (एएस-19) / LEASES (AS-19)

क) पट्टा/ किराये पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ रद्द करने योग्य होती हैं.
a) The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

ख) बैंक द्वारा किए गए लीज सहमत अवधि के लिए होते हैं जिसमें लीज अवधि के दौरान भी पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर लीज को समाप्त करने का विकल्प होता है.
b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

ग) परिचालनात्मक पट्टों के लिए भुगतान किए गए पट्टा किराये को उस वर्ष में जिससे यह संबन्धित है, लाभ-हानि खाते में उल्लेख किया जाता है. वर्ष के दौरान लीज किराया ₹ 375.47 करोड़ (₹ 347.72 करोड़) है.
c) Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss Account in the year to which it relates. The lease rent recognised during the year is ₹ 375.47 Crore (₹ 347.72 Crore).

घ) तुलन-पत्र की तारीख को गैर-निरसनीय परिचालनात्मक पट्टों के संबंध में सहायक/ संयुक्त उद्यमों के लिए भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:
d) The future minimum lease payments for subsidiaries/JV in respect of non-cancellable operating leases as at Balance Sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	0.56	1.28
एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	-	0.63

7. प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (एएस-20) / EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (हानि) (₹ करोड़ में) Net Profit (Loss) considered for EPS calculation (₹ in Crore)	1,513.97	(12835.24)
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1048,55,15,210	889,94,97,497
न्यूनीकृत ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1048,55,15,210	889,94,97,497
प्रति शेयर उपार्जन (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	1.44	(14.42)
प्रति शेयर उपार्जन (न्यूनीकृत) (₹) / EPS(Diluted) (₹)	1.44	(14.42)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face Value per Equity share (₹)	10.00	10.00

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

8. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय-अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित आस्तियां और आस्थगित देयताओं के घटक निम्नानुसार हैं:
The component of Deferred Tax Asset & Deferred Tax Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2021 को As At March 2021	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As At March 2020
आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Asset			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	0.20	0.10	0.10
अनर्जक आस्तियों तथा अन्य के लिए प्रावधान से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं है Disallowance related to provision for NPA and for other provisions not allowed under Income Tax Act, 1961	8,755.23	(1,879.41)	10,634.64
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	3.86	(1.90)	5.76
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए) (i ए) आदि के अंतर्गत अस्वीकृति Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income Tax Act, 1961	190.32	29.72	160.60
ग्रेच्युटी/ पेंशन / Gratuity/Pension	0.27	0.08	0.20
छुट्टी का नकदीकरण / Leave Encashment	1.09	0.56	0.52
कारोबार हानि / Business Loss	5,648.35	491.37	5,156.98
अनवशोषित मूल्यह्रास / Unabsorbed depreciation	159.89	42.81	117.08
कुल (अ) / TOTAL (A)	**14,759.21**	**(1,316.67)**	**16,075.88**
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	2.54	(6.09)	8.63
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	307.71	-	307.71
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	0.07	0.07	-
कुल (आ) / TOTAL (B)	**310.32**	**6.02**	**316.34**
आस्थगित कर आस्ति / (देयता) (निवल) Deferred Tax Asset /(Liability) (Net) (अ) - (आ) / (A) – (B)	**14,448.90**	**(1,310.65)**	**15,759.55**

9. कराधान हेतु प्रावधान / Provision for Taxation

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
आय कर / Income Tax	24.94*	21.67

** आईडीबीआई बैंक के मामले में वित्त वर्ष 1998,वित्त वर्ष 1999 तथा वित्त वर्ष 2000 के लिए कुल ₹299.52 करोड़ का आधिक्य प्रावधान आयकर रिफंड वर्ष के दौरान प्रतिलेखित किया*

** In case of IDBI Bank, the excess provision for FY 1998, FY 1999 & FY 2000 aggregating to ₹ 299.52 Crores was written back during the year on account of Income tax refund.*

10. यथा 31 मार्च 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार अनुषंगी कंपनियों, सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है: Summarized financial information of Subsidiary Companies, Associate Companies & Jointly Controlled Entity as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2021 are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share on profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of Consolidated Net Assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of Consolidated Profit or Loss	राशि Amount
मूल संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. Parent : IDBI Bank Ltd.	97.54%	3,6811.07	89.79%	1,359.46
अनुषंगी संस्थाएं: / Subsidiaries				
भारतीय : / Indian :				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	0.83%	312.76	0.50%	7.51
2. आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.	0.24%	90.06	0.80%	12.07
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	0.30%	113.38	0.30%	4.53
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Co. Ltd.	0.00%	1.61	0.00%	0.03
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.66%	249.41	2.65%	40.09
विदेशी: / Foreign :	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share on profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of Consolidated Net Assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of Consolidated Profit or Loss	राशि Amount
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित Minority Interest in all Subsidiaries	0.30%	112.98	1.20%	18.16
सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)# Associates (Investment as per the equity method) #				
भारतीय / Indian				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	0.00%	0.00
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	5.51%	83.46
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	0.00%	0.00
4. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd. (PIPDICL)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
विदेशी: / Foreign :	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
संयुक्त उद्यम / Joint Ventures				
(इक्विटी पद्धति के अनुसार आनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार) (as per proportionate consolidation/investment as per the equity method)				
भारतीय / Indian				
1. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.	0.69%	259.65	2.19%	33.22
विदेशी / Foreign	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
कुल / TOTAL	**100.56%**	**37,950.91**	**100.54%**	**1,522.22**
विलोपन / Elimination	(0.56%)	(209.89)	(0.54%)	(8.25)
निवल कुल / Net Total	**100.00%**	**37,741.02**	**100.00%**	**1,513.97**

नोटः उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

 # चार सहयोगी संस्थाओं अर्थात् नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (26.10%), पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (25%), बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड (27.93%) और पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (21.14%) से वित्तीय वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के लिए वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण समेकन नहीं किया गया है, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर इससे उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में उक्त कंपनी में निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया है.

 # The Financials of Four Associates Viz., National Securities Depository Limited (26.10%), North Eastern Development Finance Corporation Limited (25%), Biotech Consortium India Limited (27.93%) And Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (21.14%) are not considered for Consolidation on account of non-receipt of Financial Statements for Q4 of FY 2021, impact of which on the Consolidated Financial Statements is not material. In Case of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited, the investment in the said company has been written down to Re 1.

11. परिचालन बंद करना (एएस-24) / DISCONTINUING OPERATIONS (AS-24)

01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान, बैंक ने अपनी शाखाओं में से किसी का भी परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके कारण देयता घटी हो और आस्तियों की प्राप्ति हुई हो और किसी भी परिचालन को पूर्ण रूप से बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिसका उपर्युक्त पर प्रभाव पड़ेगा.

During the period from 01.04.2020 to 31.03.2021, the bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realisation of the assets and no decision has been finalised to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect.

12. आकस्मिक देयता: / CONTINGENT LIABILITY:

अ. आकस्मिक देयताओं का विवरण
A. DESCRIPTION OF CONTINGENT LIABILITIES

क्रम. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief Description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएं निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
III	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपनी बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iv	स्वीकृतियां, समर्थन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favor of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customer's credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customer's obligations, either directly or in case the customer fails to fulfill their financial or performance obligations.
v	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कारपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
vi	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.

vii	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income Tax, Interest Tax, Penalty and Interest Demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों आधार पर अपील प्राधिकरणों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favourable based on decisions on similar issues in the previous years by the Appellate Authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.
viii	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following : क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकरणों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां और a) the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) - जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को 'रिजर्व बैंक डीईएएफ निधि' में अंतरित करता है. b) the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) - In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued pertaining to customers whose accounts were not operated or amounts were not claimed for more than 10 years to 'RBI DEAF Fund'.

आ. दीर्घावधि संविदाएं
B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि/ लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ग. लंबित मुकदमे
C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकरणों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित हैं वहां पर्याप्त प्रावधान किए तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहां आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में,

In case of IDBI Asset Management Ltd.,

i) कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26-12-2017 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील फाइल की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

For the AY 2015-16 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 26-12-2017 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regard.

ii) वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आशोधित मूल्य योजित कर प्रणाली (एमवीएटी) कर- निर्धारण में वैट विभाग ने आईडीबीआई एमएफ गोल्ड ईटीएफ योजना में स्वर्ण की खरीद पर अदा किए गए खरीद वैट के लिए दावा किए गए समंजन को अनुमति नहीं दी थी और कंपनी से ₹ 0.43 करोड़ की मांग की थी. कंपनी ने इस कर-निर्धारण के विरुद्ध भी अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अभ्यापत्ति के अंतर्गत ₹ 0.15 करोड़ का तदर्थ भुगतान किया गया है.

In the MVAT assessment for the financial year 2011-12, the VAT department has disallowed the set-off claimed of purchase VAT paid on the purchase of Gold in the IDBI MF Gold ETF scheme and raised a demand of ₹ 0.43 Crore on the Company. The Company has also filed an appeal against this assessment. No provision has been made in this regard. An adhoc payment under protest of ₹ 0.15 Crore had been made during the previous year.

iii) मेसर्स श्री राम एंटरप्राइजेस (ठेकेदार) का कंपनी के साथ करार किया गया था जिसमें संविदा आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करना था और करार के अनुसार ठेकेदार सभी देयताओं के लिए एकल रूप से जिम्मेदार है. उक्त कंपनी ने वर्ष के दौरान मेसर्स श्री राम एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों को 0.04 करोड़ का भुगतान किया है जोकि कंपनी के अनुसार वसूली योग्य है और अतः इसके परिणाम स्वरूप देयता शून्य होगी.

M/s Shree Ram Enterprises (the Contractor) had agreement with the company to provide employees on contract basis and according to agreement the contractor is solely liable for all the liabilities. The company has during the year paid ₹ 0.04 Crore to the employees of M/s Shree Ram Enterprises which according to the company is recoverable and hence the liability will be Nil.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज़ लि. के मामले में / In case of IDBI Capital Market & Securities Ltd.,

i) कंपनी की अन्य आकस्मिक देय मदें-

Other items for which the Company is contingently liable-

1. कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे - ₹ 0.14 करोड़ (₹ 0.11 करोड़) है जिसमें 18% की दर से ₹ 0.01 करोड़ (₹ 0.01 करोड़) का ब्याज शामिल है.

   Claims against the Company not acknowledged as debt – ₹ 0.14 Crore (₹ 0.11 Crore) including interest @ 18% amounting to ₹ 0.01 Crore (₹ 0.01 Crore).

2. **क) विवादित आयकर मामले**

   a) Disputed Income Tax Matters

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

वित्तीय वर्ष Financial Year	विवादित कर राशि Disputed Tax Amount	
	2020-2021	2019-2020
2012-13	0.25	0.25
2013-14	0.22	0.22

विवादित आयकर के मामले विभिन्न अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कंपनी के विरुद्ध कर की मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तद्नुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

Disputed Income Tax matters are pending before various Appellate Authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the Company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2008-09 के संबंध में आयकर विभाग ने अपीलीय कार्यवाही में कंपनी को अनुमत कुछ व्ययों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है. तथापि आगे ले जाई गई हानियों/ एमएटी के अंतर्गत स्वीकार्य कर के कारण कंपनी से कोई कर मांग नहीं की गई. निर्धारण वर्ष 2012-13 (वित्तीय वर्ष 2011-12) के संबंध में आयकर विभाग ने आईटीएटी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है. उच्च न्यायालय के समक्ष यह अपील 31 मार्च 2020 तक केवल लॉजमेंट की स्थिति में हैं और कंपनी ने अपनी स्थिति का बचाव करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं. इसी प्रकार से निर्धारण कार्यवाही के दौरान की गई कुछ अस्वीकृतियों के बारे में निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के संबंध में कंपनी अपील करनेवाली है हालांकि विभाग द्वारा कोई मांग नहीं की गई है. प्रबंध को विश्वास है कि अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन अपीलों में उसके पक्ष को बरकरार रखा जाएगा और कंपनी पर कोई देयता नहीं आएगी.

In respect of Assessment Years 2006-07 and 2008-09, the Income Tax Dept. has gone in appeal before High Court pertaining to some of the expenses allowed to the Company in appellate proceedings. However there were no tax demands on the Company due to adjustment of carried forward losses/ admitted tax under MAT. In respect of Assessment Year 2012-13 (Financial Year 2011-12), Dept. has filed an appeal in High Court against the order of ITAT. This appeal before the High Court is in lodgment stage only as on March 31, 2020 and Company has taken necessary steps to defend its position. Similarly Company is in appeal in respect of Assessment Years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 relating to certain disallowances made during the assessment proceedings though there have been no demands raised by the Dept. for the respective assessment years. The management is confident that its position is likely to be upheld in the appeals pending before appellate authorities and no liability could arise on the Company.

ख) विवादित सेवा कर मामले

b) Disputed Service Tax Matters

विभाग द्वारा की गई सेवा कर लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए निष्कर्ष के आधार पर निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के लिए सेवा कर विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिसें जारी किया है

Show cause notices have been raised by the Service Tax Dept. for following financial years based on the finding during the Service Tax Audit conducted by the Department.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

वित्तीय वर्ष Financial Year	विवादित सेवा कर राशि Disputed Service Tax Amount	
	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year
2012-13	3.19	1.59
2013-14	1.78	1.74
2014-15	1.87	1.78
2015-16	1.77	1.58
2016-17	0.66	0.33
2017-18	0.12	0.11

कंपनी द्वारा सभी कारण बताओ नोटिसों और वर्ष के दौरान कुल ₹ 9.38 करोड़ में से ₹ 2.24 करोड़ (पिछले वर्ष : शून्य) राशि की मांग का प्रतिवाद किया गया है और ये संबन्धित प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हैं.

All the show cause notices and demand raised during the year amounting to ₹ 2.24 Crore (Previous Year: NIL) out of the total of ₹ 9.38 Crore have been contested by the Company and are pending before the respective authorities.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. के मामले में, / In case of IDBI Trusteeship Services Ltd.,

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	2020-21	2019-20
कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे: Claims against the Company not acknowledged as debt :		
i) कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए आयकर मांग (विटको) (कंपनी ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील की है) Income Tax demand for the AY 2007 – 08 (WITECO) (Company is in appeal before the CIT (Appeal))	0.06	0.06

ii) प्रतिभूतिकरण लेन-देनों पर विथहोल्डिंग करों के भुगतान में विलंब होने पर विभिन्न प्रतिभूतिकरण न्यासों, जहां आईटीएसएल इसके लिए प्रतिभूतिकरण न्यासी के रूप में कार्यरत है, पर ₹ 1.61 करोड़ (लगभग) तक की राशि का ब्याज उत्पन्न हो सकता है

There may arise interest on delayed payment of withholding taxes on securitization transactions amounting to ₹ 1.61 Crore (approximately) on various Securitization Trusts, where ITSL is acting as Securitization Trustee for the same.

एजिस फेडरल लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लि. के मामले में / In case of Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.,

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2021 As At March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 As At March 31, 2020
अंशतः प्रदत्त निवेश / Partly paid-up investments	शून्य / Nil	शून्य / Nil
बकाया हामीदारी वचनबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में) Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे, पॉलिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर- विवादों के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts by the Company - Claims made by employees for disputes	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given by or on behalf of the Company	0.06	शून्य / Nil
विवादित सांविधिक मांग/ देयताएं, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया* Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for * - आयकर / Income Tax	9.17	17.60
- सेवा कर (कंपनी द्वारा लिए गए कतिपय रुखों पर सेवा कर आयुक्त III का कार्यालय, मुंबई द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाबत) Service Tax (on account of objections raised by the Office of the Commissioner of Service Tax III, Mumbai on certain positions taken by the Company)	3.06	6.91
उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसका लेखों में प्रावधान नहीं किया गया Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	शून्य / Nil	शून्य / Nil
मुकदमे के अंतर्गत पॉलिसी संबंधी दावे Policy related claims under litigation	3.66	7.05

** इन मांग/ देयताओं के लिए विभिन्न अधिनिर्णयन स्तर पर प्रतिवाद किए जा रहे हैं और बैंक के विशेषज्ञों सहित उसकी राय है कि ये वहनीय नहीं हैं और तदनुसार प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अनंतिम फैसलों से कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालनगत परिणामों पर कोई भारी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.*

** These demands/liabilities are being contested at various adjudicating levels and management including its experts is of the view that the same shall not be sustainable and accordingly the management believes that the ultimate outcome of these proceedings will not have any material adverse effect on the Company's financial position and results of operations.*

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, / In case of IDBI Intech Ltd.,

i. कंपनी ने अपनी आईटी परियोजनाओं के लिए ग्राहकों को ₹ 3.77 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की है. यथा 31 मार्च 2021 को इन गारंटियों के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं ₹ 3.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.95 करोड़) रहीं.

The Company has provided bank guarantee of ₹ 3.77 Crore to customers for its IT Projects. As at March 31, 2021, the contingent liabilities under these guarantees amounted to ₹ 3.77 Crore (previous year ₹ 3.95 Crore).

ii. पूर्ववर्ती ओबीएसटी वर्टिकल के एक पूर्व कर्मचारी को ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड़) की प्रतिकर राशि अदा करने के जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति कंपनी ने प्रतिवाद किया है और उच्च पीठ में अपील दायर की है और अनुकूल निर्णय की आशा करती है. कंपनी ने अनुमानित सांविधिक बकायों सहित अनुमानित आधार पर प्रावधान किया है. तथापि, उक्त ओबीएसटी वर्टिकल के दूसरे पूर्व-कर्मचारियों को किसी अन्य मुआवजे का भुगतान करने के परिणाम का पता नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है.

The Company has contested and has appealed at higher bench against an order passed by the Jaipur High Court for a claim to pay compensation amounting to ₹ 0.04 Crore (previous year ₹ 0.04 Crore) to one of the ex-employee of the erstwhile OBST vertical and expects favorable outcome. The Company has made provision on estimated basis including the possible statutory dues. However the outcome to pay any further compensation to other ex-employees of the said OBST vertical cannot be ascertained and hence no separate provision, except the retiring benefits, has been made.

iii. आय पर करों के लिए दावे: / Claims for taxes on income:

जहाँ कंपनी अपील की प्रक्रिया में है: / Where the Company is in appeal:

क. आय कर प्राधिकारियों की कुछ अस्वीकृतियों से उत्पन्न लेखा वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के संबंध में पूर्ण किए गए निर्धारण के संबंध में आय कर विभाग ने ₹ 0.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.05 करोड़) की मांग की है. कंपनी ने उक्त आदेशों खिलाफ अपील दायर की है तथा मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है.

a. Income Tax demands of ₹ 0.05 Crore (previous year ₹ 0.05 Crore) have been raised in respect of assessment completed with respect to AY 2013-14 and AY 2014-15, arising from certain disallowances by the Income Tax Authorities. The Company has appealed against the orders and based on merit, expects favorable outcome. Hence no provision against such demand is considered necessary.

ख. सेवा कर प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि के संबंध कंपनी द्वारा सेवा कर लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त किए गए कुछ सेनवेट क्रेडिट को अस्वीकार करते हुए ब्याज तथा दंड सहित ₹ 0.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.84 करोड़) की मांग की है. केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) ने इस मांग को घटाकर ₹ 0.78 करोड़ कर दिया है. कंपनी ने उक्त आदेशों खिलाफ सीईएसटीएटी को अपील की है तथा मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है. तथापि कंपनी ने ₹ 0.51 करोड़ सविरोध भुगतान कर दिये हैं जिसे अन्य गैर-चालू आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

b. Service tax authority put a demand of ₹ 0.84 Crore (previous year ₹ 0.84 Crore) including interest and penalty by disallowing certain CENVAT credit availed by the Company during the Service Tax audit in respect of period from FY 2012-13 to FY 2017-18. This demand was reduced to ₹ 0.78 Crore by Commissioner of Central Tax (Appeal). The Company has appealed to CESTAT against the orders and based on merit, expects favorable outcome. Hence no provision against such demand is considered necessary. However the Company had paid ₹ 0.51 Crore under protest, which is reflected under other non-current assets.

ग. वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा ₹ 0.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.26 करोड़) की मांग की गई है जिसका प्रतिवाद किया गया है और बिक्री कर उपायुक्त के समक्ष अपील दायर की गई है. मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है.

c. Demand of VAT made by Sales Tax Authority amounting to ₹ 0.26 Crore (previous year ₹ 0.26 Crore) for the period from FY 2010-11 to FY 2015-16 has been contested and appeal to Deputy Commissioner of Sales Tax. Based on merit, the Company expects a favorable outcome on the same. Hence no provision against such demand is considered necessary.

** मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएं देखें.*

** Refer Schedule 12 Contingent Liabilities for quantitative disclosure.*

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

13. दंड का प्रकटन: / DISCLOSURE ON PENALTY :

वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए: / During the year following penalties were imposed by RBI:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
1	चेक संग्रहण प्रक्रिया पर दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन हेतु दंड Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	0.0067	0.012
2	ग्राहक सेवा पर दिशा-निर्देशों, सिक्कों छोटे मूल्यवर्ग के नोटों और कटे-फटे नोटों के विनिमय संबंधी दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन हेतु दंड Penalty for non-compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	0.067	0.085
3	करेंसी चेस्टों द्वारा रिजर्व बैंक को किए गए विप्रेषण के मामलों में रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	0.0094	0.022
4	ऊपर उल्लिखित न किए गए अन्य कारणों से लगाए गए दंड Penalties for other reasons not mentioned above	0.23	0.06
	भुगतान किया गया कुल दंड / Total Penalties Paid	**0.31**	**0.18**

14. आरबीआई के कोविड - 19 विनियामक पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान विषयक दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुसार प्रकटीकरण:
Disclosure as per RBI circular dated April 17, 2020 on Covid-19 Regulatory Package - Asset classification and provisioning:

एसएआरएस-कोवी 2 वायरस के चलते कोविड-19 भारत सहित दुनिया भर में फैलता जा रहा है. इससे वैश्विक और भारतीय बाजारों और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट आई है. लॉकडाउन के कार्यान्वयन और इसकी अवधि बढ़ाने से व्यवसाय और आम जीवन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है. मौजूदा हालात को देखने के बाद यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इसका असर कब तक रहेगा. विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में बैंक के उधारकर्ताओं के सामने प्रमुख चुनौतियां नकदी प्रवाह में कमी होना और कार्यशील पूंजी चक्र का लंबा चलना होगी. बैंक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी मोर्चों पर अपनी तैयारी कर रहा है. इन घटनाओं और स्थितियों के बावजूद, भविष्य में बैंक के परिणामों के तात्विक रूप से प्रतिकूल अथवा संबंधित आकलन पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है. बैंक के लिए तरलता की स्थिति, ऋण या किसी अन्य प्रतिबद्धता की चुकौती, पूंजी या लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा. तथापि बैंक उपरोक्त मापदंडों की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है.

The SARS-CoV2 virus responsible for Covid-19 continues to spread across the globe and India. This has resulted in a significant decline and volatility in global and Indian markets and economic activity. Implementation and extensions of lockdown have resulted in disruptions of business and common life. With situation still unfolding, it is difficult to predict time horizons to gauge the impact. The major identified challenges for the Bank's borrowers across various industry sectors is expected to arise from eroding cash flows and elongated working capital cycles. The Bank is gearing itself on all fronts to meet these challenges. Despite these events and conditions, the Bank's results in future are not expected to be materially adverse or would have an impact on the going concern assumption. The liquidity position, ability to service debt or any other commitments, capital or profitability may not have significant effect for the Bank. However, Bank is constantly monitoring the status of above parameters.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दिनांक 17 अप्रैल 2020 के आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार दिया गया है:
The disclosures as required under RBI circular dated April 17, 2020 for the year ended March 31, 2021 is given below:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशि, जहां पैराग्राफ 2 और 3 (यथा दिनांक 31 मार्च 2020) की शर्तों में अधिस्थगन/स्थगन बढ़ाया गया था[1] Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended, in terms of paragraph 2 and 3 (As on March 31, 2020)[1]	4,930.00
(ii)	संबंधित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण सुविधाएं दी गई[2] Respective amount where asset classification benefits is extended[2]	1,372.99
(iii)	यथा दिनांक 31 मार्च 2021 किए गए प्रावधान[3] Provisions made as on March 31, 2021[3]	363.00
(iv)	संबंधित लेखांकन अवधि के दौरान गिरावट के प्रति समायोजित प्रावधान तथा पैरा 6 के संबंध में बकाया प्रावधान Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions in terms of paragraph 6.	शून्य / Nil
(v)	उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 6 के संबंध में 31 मार्च 2021 के अनुसार बकाया प्रावधान Residual provisions as of March 31, 2021 in terms of paragraph 6 of the circular	363.00

1. उन उधारकर्ताओं को दर्शाता है जो अतिदेय हैं लेकिन 29 फरवरी 2020 को मानक थे और 31 मार्च 2020 तक अतिदेय के रूप में जारी रहे.
   Represents borrowers which were overdue but standard at February 29, 2020 and continued to be overdue till March 31, 2020.
2. यथा 30 सितंबर 2020 / As on September 30, 2020.
3. 31 मार्च 2021 को कोविड-19 संबंधित किए गए कुल प्रावधान : ₹ 863 करोड़ जिसमें से ₹ 363 करोड़ अधिस्थगन के अंतर्गत ऋणों के प्रावधान को दर्शाता है.
   Total COVID-19 related provision held at March 31, 2021: ₹ 863 Crores of which ₹ 363 Crores represents provision for loans under moratorium.

15. बैंक के अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश
Non-performing Non-SLR investments of the Bank

((₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1,517.71	1,262.16
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1,303.55	2,123.76
वर्ष के दौरान कटौतियाँ * / Reductions during the year *	837.61	1,868.21
अंतिम शेष / Closing balance	1,983.65	1,517.71
एनपीआई के प्रति कुल प्रावधान Total provisions held toward NPI	1,941.64	1,223.35

** इसमें ₹ 19.98 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 1,815.89 करोड़) अवलेखित किए गये और ₹ 697.53 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 2.32 करोड़) के बट्टे खाते में डालना/बिक्री / निपटान सहित निवेश मोचन और ₹ 120.10 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 50.00 करोड़) के निवेश का उन्नयन शामिल है.*

** Includes Investment written down of ₹ 19.98 Crores (Previous Year: ₹ 1,815.89 Crores) and Investment Redemption including write off / Sale / Settlement of ₹ 697.53 Crores (Previous Year: ₹ 2.32 Crores) and Upgradation of Investment of ₹ 120.10 Crores (Previous Year: ₹ 50.00 Crores).*

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

16. बैंक की आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality of the Bank

अनर्जक आस्ति (ऋण एवं अग्रिम) / Non-Performing Asset (Loans & Advances)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2021 को Asa t March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को Asa t March 31, 2020
(i)	निवल एनपीए से निवल अग्रिम (%) Net NPAs to Net Advances (%)	1.97	4.19
(ii)	एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव Movement of NPAs (Gross)		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	47,272.37	50,027.94
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (b) Addition during the year	2,631.66	11,021.99
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती (c) Reduction during the year	13,692.08	13,777.56
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	36,211.95	47,272.37
(iii)	निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव / Movement of Net NPAs		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	5,439.49	14,837.44
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (एफ़टीएनपीए) (b) Addition (FTNPA) during the year	1,363.80	4,825.34
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती (निवल) (c) Reduction (net) during the year	4,283.91	14,223.29
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	2,519.38	5,439.49
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	41,832.89	35,190.49
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (b) Provisions made during the year	6,038.41	20,079.29
	(ग) प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर में अंतरण (c) Transferred to Countercyclical Prov. Buffer	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(घ) अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते डालना/प्रतिलेखन करना (d) Write-off/write back of excess provision	14,178.73	13,436.89
	(ङ) अंतिम शेष (e) Closing balance	33,692.57	41,832.89
(v)	आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में गणना किये गये कवरेज अनुपात का प्रावधानीकरण (टीडब्ल्यूओ सहित) Provisioning Coverage Ratio (including TWO) computed in accordance with the RBI guidelines	96.90%	93.74%

17. अन्य / OTHERS

I. **वर्ष के दौरान बैंक द्वारा आबंटित इक्विटी शेयर निम्नानुसार हैं:**
During the year Equity Shares were allotted by the Bank as under:

लाभार्थी Beneficiary	आबंटन का प्रकार Type of allotment	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक) No. of Shares (Face value ₹ 10 each)	निर्गम मूल्य (₹ में) Issue Price (in ₹)	शेयर प्रीमियम प्रति शेयर (₹ में) Share premium per share (in ₹)	आबंटन की तारीख Date of Allotment
भारत सरकार Government of India	-	-	-	-	-	-
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) Life Insurance Corporation of India(LIC)	-	-	-	-	-	-
अन्य Any other	अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) Qualified Institutional Placement (QIP)	1,435.18	371808177	38.60	28.60	19 दिसंबर 2020 December 19, 2020

II. **भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) / Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)**

बैंक को भारत सरकार द्वारा स्थापित भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) ट्रस्ट, में वसूली में कमी यदि कोई हो, को सितम्बर 2024 में ट्रस्ट की समाप्ति के समय पूरा करना होगा. तदनुसार, बैंक ने एसएएसएफ़ ट्रस्ट द्वारा वसूलियों में अनुमानित कमी के प्रति 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 800 करोड़ का प्रावधान किया है. यथा दिनांक 31 मार्च 2021 के अनुसार कुल प्रावधान ₹ 1,100 करोड़ है.

Bank will be required to meet the shortfall in recovery of Stressed Assets Stabilization Fund (SASF) Trust set up by the Government of India, if any, at the time of termination of the trust in September 2024. Accordingly, Bank has made provision of ₹ 800 Crore, during the year ended March 31, 2021, towards the estimated shortfall in recoveries by SASF Trust. Total provision held as on March 31, 2021 is ₹ 1,100 Crore.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 5 सितंबर 2016 के अपने पत्र के जरिए बैंक को सूचित किया कि वे 2006 में भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) के आस्ति विनिमय के निवल प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए भारत सरकार को ₹ 1064.27 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां अभ्यर्पित करें. तदनुसार, 31 मार्च 2021 को एसएएसएफ़ खाते से बट्टे खाते में डाली गयी कुल प्रतिभूतियों की राशि ₹ 1064.27 करोड़ है. इस प्रकार से बट्टे खाते में डाली गयी संपूर्ण राशि को पूरा कर लिया गया है. तथापि, विमोचन के लिए भारत सरकार की अधिसूचना विचाराधीन होने के कारण बट्टे खाते में डाली गयी ये प्रतिभूतियां यथा 31.03.2021 को एसजीएल खाते में नहीं दर्शाई गई हैं. जिसके परिणामस्वरूप एसजीएल खाते में समान राशि का अंतर आया है.

The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter dated 5th September 2016, advised the Bank to surrender securities of ₹ 1,064.27 Crores to the GoI representing net impact of the asset exchange of Stressed Assets Stabilization Fund (SASF) done by the Bank in 2006. Accordingly as on March 31, 2021, total securities written off from SASF account stands at ₹ 1,064.27 Crore. Thus the full written off has been completed. However, these written off securities are not reflected in SGL account as on 31.03.2021 due to pending Government notification for redemption, which resulted in difference of the same amount in SGL account.

III. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय:**
Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:

क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशि: ₹ 2.02 करोड़ (पिछले वर्ष :₹ 1.15 करोड़)
a. Gross amount required to be spent during the year: ₹ 2.02 Crore (Previous Year: ₹ 1.15 Crore)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:
b. Amount spent during the year:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-2020 FY 2019-20
नकद / In cash	2.02	1.15
नकद भुगतान किया जाना शेष है / Yet to be paid in cash	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / TOTAL	**2.02**	**1.15**

IV. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मूल, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई ऐसी अतिरिक्त सांविधिक जानकारी जिसका समेकित वित्तीय विवरणों को सही और उचित रूप से दर्शाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उन मदों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण नहीं है, का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरण में नहीं किया गया है.

Additional statutory information disclosed in separate financial statements of parent, subsidiaries and joint ventures having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statement in the view of general clarification issued by ICAI.

V. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (पूर्ववर्ती-आईडीबीआई) संसद के एक विशेष अधिनियम अर्थात आईडीबीआई अधिनियम 1964 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निगम था. इसे वर्ष 2004 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में गठित आईडीबीआई बैंक के वर्तमान नाम से बैंक में परिवर्तित किया गया था. 1995 में आईपीओ के संबंध में प्रतिदान के लिए देय आवेदन राशि और कंपनी बनाने से पहले पूर्ववर्ती-आईडीबीआई द्वारा घोषित अदावी लाभांश आईडीबीआई बैंक के पास हैं. सचिवीय लेखापरीक्षकों से प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, इस मामले में एमसीए/आईईपीएफ़ प्राधिकारियों से सलाह लेने का सुझाव दिया गया. तदनुसार, आईडीबीआई बैंक ने इस संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए एमसीए/आईईपीएफ़ प्राधिकारियों को पत्र लिखा था.

Industrial Development Bank of India (eIDBI) was a Statutory Corporation constituted under a special Act of Parliament, i.e., the IDBI Act, 1964. It was converted into a Bank in the present name of IDBI Bank constituted as a Company under the Companies Act, 1956 in the year 2004. The amount of application money due for refund in respect of IPO in 1995 and unclaimed dividends declared by e-IDBI prior to becoming the Company were lying with IDBI Bank. As per the legal opinion obtained from the Secretarial Auditors, it was suggested to seek advice from MCA/ IEPF Authority in the matter. Accordingly, IDBI Bank had written to MCA/ IEPF Authority to seek advice in this regard.

उसके उत्तर में, आईईपीएफ़ प्राधिकारी ने दिनांक 01 फरवरी 2021 के पत्र द्वारा आईडीबीआई बैंक को निर्देश दिया कि पूर्ववर्ती-आईडीबीआई से संबंधित अदत्त लाभांश को आईईपीएफ़ को अंतरण करें. उपर्युक्त निर्देश के अनुसरण में आईडीबीआई बैंक ने वित्तीय वर्ष 1995-96 से 2002-03 तक के लिए ₹ 7.11 करोड़ की राशि आईईपीएफ़ को अंतरित की है.

In response, IEPF Authority, vide letter dated February 01, 2021 directed IDBI Bank to transfer the unpaid dividends pertaining to e-IDBI to IEPF. Pursuant to aforesaid direction, IDBI Bank transferred the amount of ₹ 7.11 Crore for the financial years 1995-96 to 2002-03 to IEPF.

VI. आरबीआई द्वारा आईडीबीआई बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे (पीसीएएफ़) के अंतर्गत रखा गया था. कार्यनिष्पादन मानदंडों में सुधार को देखते हुए, आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को 10 मार्च 2021 से पीसीएएफ़ से बाहर कर दिया है.

IDBI Bank had been put under a Prompt Corrective Action Framework (PCAF) by RBI. Considering the improved performance parameters, the RBI has taken out the IDBI Bank from the PCAF with effect from March 10, 2021.

VII. पूँजी खाते (अग्रिमों के निवल) पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और जिनके लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं ₹ 146.82 करोड़ (₹ 120.98 करोड़) है.

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 146.82 Crore (₹ 120.98 Crore).

VIII. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ प्रकटनों को किया जाना आवश्यक हैं. बैंक उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने कवरेज के बारे में अपने आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित जानकारी संकलन करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, ब्याज का प्रभाव, यदि कोई हो जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में देय पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है.

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to Micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

IX. वेतन संशोधन पर उद्योग व्यापी द्विपक्षीय समझौते के लंबित रहने (नवंबर 2017 से देय) को ध्यान में रखते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान इस मद के लिए अनुमानित आधार पर ₹ 294 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 350 करोड़) की राशि का प्रावधान किया है (यथा 31 मार्च 2021 को संचयी प्रावधान की कुल राशि ₹ 773 करोड़ थी).

Pending industry wide bipartite settlement on wage revision (due with effect from November 2017), a sum of ₹ 294 Crores (Previous Year: ₹ 350 Crores) has been provided by the Bank during the year on this account on estimated basis. (Cumulative provision held as on March 31, 2021 was ₹ 773 Crore).

X. संयुक्त उद्यम एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के मामले में आनुपातिक मूल्यों को हिस्सेदारी के बराबर माना गया है.

In case of the joint venture, Ageas Federal Life Insurance Company Limited, proportionate values have been considered equivalent to the stake.

XI. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिए गए हैं और उन्हें पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है, ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सके.

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped / rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

लेखों की अनुसूचि '1' से '18' के लिए हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के एस अय्यर एंड कं.
For K S Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 100186W

कृते एम पी चितले एंड कं.
For M P Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 101851W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)/Partner (M.No. 038934)

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2021

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह A. Cash flow from Operating Activities		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ / (हानि) Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items	2484 73 72	(8896 49 73)
(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन: Adjustments for non cash items:		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	42 02	4 74 25
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिजर्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	396 84 73	394 37 92
- ऋणों / निवेशों के लिए प्रावधान / बट्टे खाते डालना तथा अन्य प्रावधान Provisions/ Write off of Loans/ Investments and other provisions	4712 31 24	13698 65 26
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/(हानि) (Profit)/ Loss on revaluation of Investments	(1 37 24)	(2 90 84)
	7592 94 47	5198 36 86
(3) परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:		
- निवेश / Investments	(1613 19 26)	10096 85 62
- अग्रिम / Advances	1332 12 91	4895 39 35
- अन्य आस्तियां / Other Assets	3084 09 79	(2870 94 55)
- करों की वापसी / (भुगतान) / Refund/ (payment) of taxes	(265 85 37)	(943 88 66)
(4) परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन: Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:		
- उधार राशियां / Borrowings	(20840 80 28)	(8538 86 78)
- जमा राशियां / Deposits	8492 95 39	(4976 25 54)
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5661 17 75	(2652 18 11)
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी **Net Cash used in/generated from Operating activities**	**3443 45 40**	**208 48 19**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह B. Cash Flow from Investing activities		
- अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of fixed assets	(58 65 99)	(295 97 32)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Investing activities**	**(58 65 99)**	**(295 97 32)**

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2021

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **C. Cash Flow from Financing activities**		
- इक्विटी शेयरों का निर्गम* / Issue of Equity Shares*	1435 19 22	9300 00 00
- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and dividend tax paid	(6 83 21)	(21 46 60)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Financing activities**	**1428 36 01**	**9278 53 40**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) **NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS**	4813 15 42	9191 04 26
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य **OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS**	30494 96 50	21303 92 24
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य **CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS**	**35308 11 92**	**30494 96 50**
नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन पत्र मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	13013 12 54	10539 17 27
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	22294 99 38	19955 79 23
कुल / TOTAL	**35308 11 92**	**30494 96 50**

* चालू वर्ष की संख्या में शेयर निर्गम व्ययों को घटा दिया गया है.
* Current year number is net of share issue expenes

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के एस अय्यर एंड कं.
For K S Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)/Partner (M.No. 038934)

कृते एम पी चितले एंड कं.
For M P Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहयोगी कंपनियों/ सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएँ
STATEMENT CONTAINING SAILENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

भाग ''अ'': सहयोगी कंपनियां
Part "A": Subsidiaries

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज़ लि. IDBI Capital Market & Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd
यदि सहायक संस्था की रिपोर्टिंग अवधि धारिता कंपनी से भिन्न है, तो उसके लिए रिपोर्टिंग अवधि Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period			लागू नहीं Not Applicable		
विदेशी सहायक संस्थाओं के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को मुद्रा तथा विनिमय दर की रिपोर्टिंग Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.			लागू नहीं Not Applicable		
शेयर पूंजी Share capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	15 55 15
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष Reserves & surplus	184 66 09	243 37 55	(86 62 41)	1 40 52	74 50 93
कुल आस्तियां Total assets	365 34 18	256 18 63	116 58 21	1 64 15	99 53 65
कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों के अलावा) Total Liabilities (excluding capital and reserves)	52 58 09	6 77 80	3 20 62	3 63	9 47 57
निवेश Investments	116 99 10	146 06 83	105 54 94	1 51 31	-
कुल कारोबार Turnover	93 79 35	73 83 87	31 98 33	36 01	115 06 21

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज़ लि. IDBI Capital Market & Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd
कराधान के पहले लाभ Profit before taxation	10 37 10	54 10 28	7 22 26	4 76	14 61 78
कराधान के लिए प्रावधान Provision for taxation	2 85 94	14 00 85	2 69 46	1 26	2 54 89
कराधान के बाद लाभ Profit after taxation	7 51 16	40 09 43	4 52 80	3 49	12 06 89
प्रस्तावित लाभांश (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित) Proposed Dividend (including corporate dividend tax)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
शेयरधारिता का % % of shareholding	100%	54.70%	*66.67%	100%	100.00%

** 33.33% की शेष धारिता आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. द्वारा धारित है*
** Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Market & Securities Ltd.*

टिप्पणियां / Notes:

1. कुल कारोबार से तात्पर्य प्रत्येक संस्था द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई कुल आय की रिपोर्ट से है.
   Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
2. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरूनहीं किया है: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
3. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय किया गया हो: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

भाग ''आ'': सहयोगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
Part "B": Associates and Joint Ventures

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

क्रम सं. Sr. No.	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/Joint Ventures	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Limited	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. National Securities Depository Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लि. के रूप में ज्ञात) Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as IDBI Federal Life Insurance Company Limited)
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख Latest audited Balance Sheet Date	यथा 31 मार्च 2020 March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2020 March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2020 March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2021 March 31, 2021
2.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के शेयर** Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end				
	इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	150 00 04	1044 00 00	2500 00 02	20000 00 00
	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश राशि Amount of Investment in Associates/Joint Venture	1 50 00	10 44 00	25 00 00	200 00 00
	धारिता का विस्तार Extend of Holding %	27.93%	26.10%	25.00%	25.00%
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लि. में 27.93% की धारिता को लेखांकन मानक-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in Biotech Consortium India Ltd being 27.93%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल में 26.10% की धारिता को लेखांकन मानक-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL being 26.10 %, considered as an Associate as per AS-23	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. में 25% की धारिता को लेखांकन मानक-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in North Eastern Development Finance Corporation Ltd being 25%, considered as an Associate as per AS-23	**एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि. में 25% की धारिता को लेखांकन मानक-27 के अनुसार संयुक्त उद्यम माना जाता है/** Holding in Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. being 25%, considered as a Joint Venture as per AS-27
4.	सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यमों के समेकित नहीं होने का कारण/ Reason why the associate/joint venture is not Consolidated	लागू नहीं/ N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं/ N.A.	**लागू नहीं** N.A.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

क्रम सं. Sr. No.	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/Joint Ventures	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Limited	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. National Securities Depository Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लि. के रूप में ज्ञात) Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as IDBI Federal Life Insurance Company Limited)
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता स्रोत जन्य निवल मालियत Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	8 19 08	197 63 75	214 88 58	259 65 18
6.	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/ हानि** **Profit / Loss for the year ended March 31, 2021**				
	i. समेकन में शामिल Considered in Consolidation	0	83 45 72	0	33 22 22
	i. समेकन में शामिल नहीं Not Considered in Consolidation	0	0	0	0

टिप्पणियां

Notes:

1. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरूनहीं हुआ है: कोई नहीं/
   Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations: None
2. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया है: कोई नहीं
   Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year :None
3. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. का समेकन एएस-23 के अनुसार 30 सितंबर 2020 के अनुसार गैर-लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित है
   National Securities Depository Ltd has been consolidated in accordance with AS-23 based on unaudited results as at September 30, 2020.
4. पोंडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्मेंट कॉरपोरेशन के वित्तीय विवरणों का समेकन वित्तीय विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है. सहायक संस्था में निवेश को बट्टे खाते डालकर एक रुपया कर दिया गया है.
   The financials of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. have not been consolidated on account of non receipt of financial statements/annual report. The investment in the Associate is written down to rupee one.
5. बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लि., नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड की मालियत अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2020 के अनुसार ली गई है.
   The Networth of Biotech Consortium India Limited,National Securities Depository Ltd and North Eastern Development Finance Corporaton Limited taken as per FY 2020 due to non availability of the desired information.

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक :03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

पिलर III प्रकटन
Pillar III Disclosures

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2021)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2021)

भारतीय रिज़र्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2021 को पिलर III प्रकटन, तिमाही प्रकटनों के साथ बैंक की वेबसाइट पर 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2020-21 (Basel III) लिंक पर अलग से रखे गए हैं.

Pillar III disclosures at March 31, 2021 along with quarterly disclosures, as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on the Bank's website under 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2020-21 (Basel III).

नोट / NOTE

नोट / NOTE

Follow your friend's advise
Stay home #BankAisaDostJaisa
IDBI BANK
Aarogya Setu App to fight against COVID-19
Download Now!
IDBI BANK
Bank Aisa Dost Jaisa
Protect Yourself
With mask
With Anti-virus software
IDBI BANK
BASIC PROTECTIVE MEASURES AGAINST
THE NEW CORONA VIRUS
Wash your hands frequently
Maintain safe social etiquettes
Avoid touching eyes, nose and mouth
Practice respiratory hygiene
IDBI BANK
Bank Aisa Dost Jaisa
BREAK THE CHAIN
IT'S TIME TO #Unite2FightCorona!
Follow COVID-19 appropriate behaviour
Wear a mask
Wash hands frequently
Maintain social distancing
Get vaccinated
Continue to follow safety measures even after vaccination
IDBI BANK
Bank Aisa Dost Jaisa
Stay Protected from Corona
Wear your mask properly
Frequently wash your hands with soap
6 feet
Maintain safe distance
NO CARELESSNESS UNTIL THERE IS A CURE
देश लड़ रहा है
अपना योगदान दें
मास्क जरूर पहनें
बार-बार हाथ धोएं
दो गज दूरी बनाए रखें
टीका लें
दवाई भी, कड़ाई भी
मास्क है जरूरी
दो गज की दूरी
हाथ धोना भी है जरूरी
निभाएं अपनी जिम्मेदारी
दवाई भी, कड़ाई भी

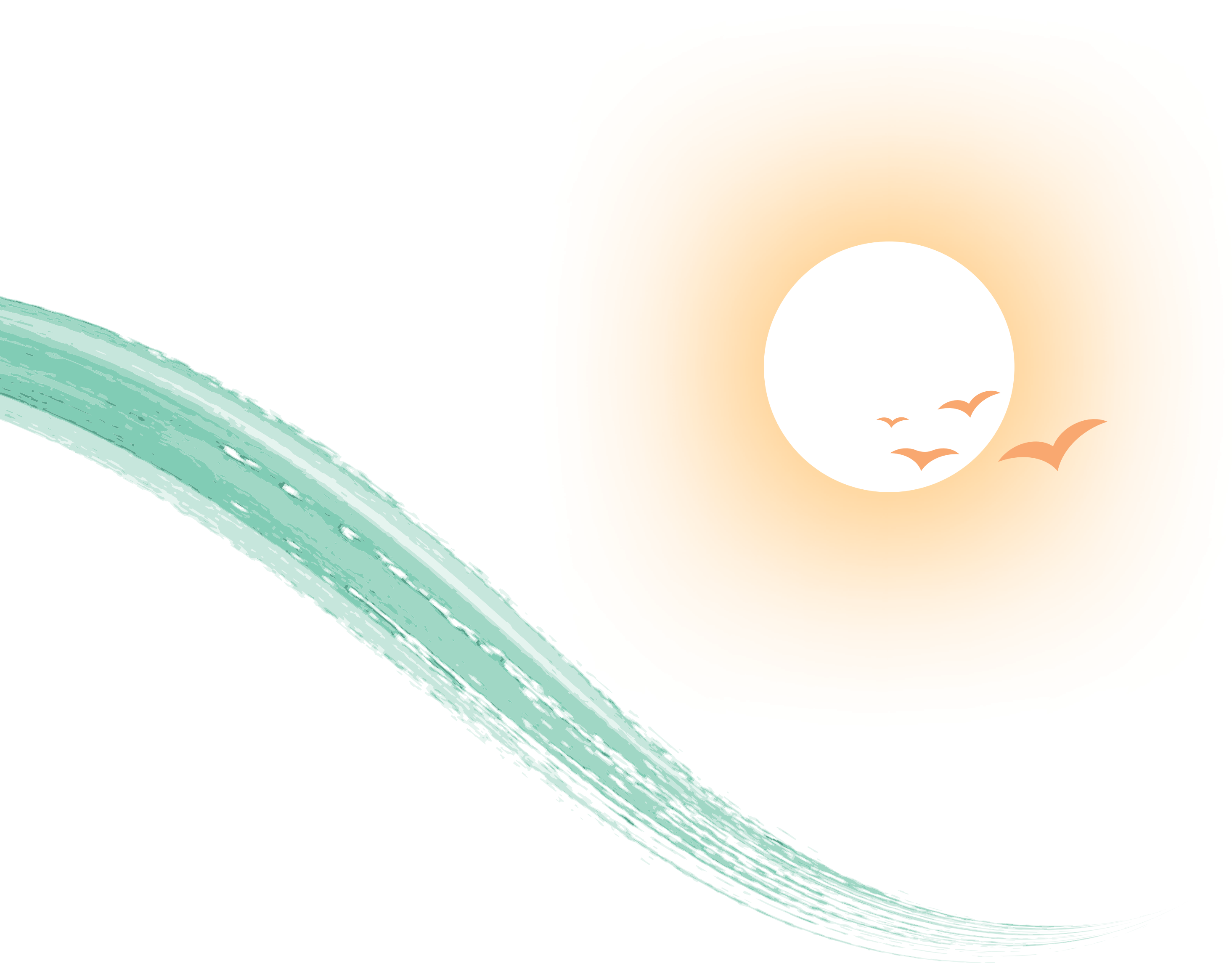

Bank Aisa Dost Jaisa

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई – 400005
टोल फ्री नं.: 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
गैर-टोल फ्री नं.: 022-67719100.

सीआयएन - L65190MH2004GOI148838

IDBI Bank Limited
Regd. Office:
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005
Toll Free Nos.: 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
Non-Toll Free Nos.: 022-67719100.

CIN - L65190MH2004GOI148838

www.idbibank.in **@idbi_bank** **/IDBIBank** **@idbibankofficial** **YouTube/idbibank** **/idbibank**

/Concept, content and design at AICL (hello@aicl.in)

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

खंड अ: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1.	**कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**	L65190MH2004GOI148838
2.	**कंपनी का नाम**	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
3.	**पंजीकृत पता**	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
4.	**वेबसाइट**	www.idbibank.in
5.	**ई-मेल आईडी**	idbiequity@idbi.co.in
6.	**रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष**	2021-21
7.	**क्षेत्र जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोड-वार)**	(कोड: 64191) आईडीबीआई बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनयम, 1949 द्वारा शासित एक बैंकिंग कंपनी है.
8.	**तीन प्रमुख उत्पादों/ सेवाओं का उल्लेख करें जिनका कंपनी निर्माण करती है/ जिन्हें प्रदान करती है (तुलनपत्र के अनुसार)**	1. खुदरा बैंकिंग 2. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग 3. ट्रेजरी परिचालन
9.	**लोकेशनों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा कारोबार कार्यकलाप किए जाते हैं.** क. अंतरराष्ट्रीय लोकेशनों की संख्या (प्रमुख 5 के ब्योरे दें) ख. राष्ट्रीय लोकेशनों की संख्या	यथा 31 मार्च 2021 को बैंक की 1,886 शाखाएं हैं. जिनमें से: क. बैंक की दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में एक विदेशी शाखा और गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (जीआईएफटी) गुजरात, भारत में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई हैं. ख. बैंक की पूरे भारत के 777 शहरों में 1,884 देशी शाखाएं परिचालन में हैं.
10.	**बाजार जहां कंपनी अपनी सेवाएं देती है - स्थानीय/ राज्य स्तरीय/ राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय**	बैंक अपनी उपस्थिति वाली सभी लोकेशनों पर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है.

खंड ख: कंपनी के वित्तीय ब्योरे

1.	**चुकता पूंजी (रुपये में)**	₹ 10,752.40 करोड़
2.	**कुल कारोबार (रुपये में)**	₹ 24,556.93 करोड़
3.	**कर पश्चात लाभ (रुपये में)**	₹ 1,359.46 करोड़
4.	**कर पश्चात् लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय** शून्य	
5.	**उन कार्यकलापों की सूची जिनमें उपर्युक्त बिन्दु 4 के अंतर्गत व्यय किया गया है:-** शून्य	

खंड ग: अन्य विवरण

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/ कंपनियाँ हैं?**

   हाँ. बैंक की पाँच देशी सहायक कंपनियां अर्थात् आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि., आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि., आईडीबीआई इंटेक लि. तथा आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. हैं.

2. **क्या सहायक कंपनी/ कंपनियाँ मूल कंपनी के कारोबारी दायित्व पहल-कार्यों में भागीदारी करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी(यों) की संख्या सूचित करें.**

   नहीं.

3. **क्या अन्य कोई संस्था/ संस्थाएं (अर्थात् आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जिनके साथ कंपनी अपने कारोबारी दायित्व पहल-कार्यों में भागीदारी करती है? यदि हाँ, तो उस संस्था/ उन संस्थाओं का प्रतिशत सूचित करें? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक].**

   लागू नहीं

खंड घ. कारोबार दायित्व संबंधी जानकारी

1. **कारोबार दायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों के ब्योरे**

क.	**कारोबार दायित्व नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों के ब्योरे**	
	डीआईएन संख्या	03022106
	नाम	श्री सुरेश खटनहार
	पदनाम	उप प्रबंध निदेशक
ख.	**कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्योरे**	
	डीआईएन संख्या	0056167
	नाम	डॉ. सौम्य शंकर बॅनर्जी
	पदनाम	कार्यपालक निदेशक
	टेलिफोन नं.	+91-22-22155748
	ई-मेल आईडी	ss.banerjee@idbi.co.in

2. **सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार दायित्व नीति/ नीतियां**

क. अनुपालन ब्योरे (हाँ/ नहीं में उत्तर दें)

क्रम सं.	**प्रश्न**	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
i.*	क्या आपके पास .... के लिए नीति/ नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ii.	क्या यह नीति संबंधित अंशधारकों के परामर्श से बनाई गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
iii.**	क्या यह नीति राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें? (50 शब्दों में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
iv.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ, तो क्या इस पर एमडी/ स्वामी/ सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ

v.	क्या कंपनी में नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारी की विनिर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
vi.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें.	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ $	हाँ #
vii.	क्या नीति के बारे में सभी संबंधित आंतरिक तथा बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचना दी गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
viii.	क्या नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के पास आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ix.	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों के संबंध में अंशधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
x.	क्या कंपनी ने इस नीति के बारे में कार्यों का आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षण/ मूल्यांकन कराया है?	नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुख उत्तरदायी हैं. अनुपालन विभाग रिज़र्व बैंक द्वारा अधिदेशित नीतियों के कार्यान्वयन के अनुपालन की निगरानी करता है.								

नोट:

* *बैंक की विभिन्न नीतियाँ, जिन्हें औपचारिक रूप से लागू किया जाता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के विभिन्न कार्य को अभिशासित करती हैं.*

** *बैंक की नीतियाँ विनियामक तथा सांविधिक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समान हैं और इसलिए राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हैं.*

$ *सीएसआर नीति के लिए लिंक - https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy-2021.pdf*

\# *# बैंक की नीति/यां जैसे ग्राहक अधिकार नीति, शिकायत निवारण नीति, नागरिक चार्टर तथा बीसीएसबीआई कोड ग्राहक शिक्षा के अंतर्गत इस लिंक http://www.idbibank.in/pdf/csr-Policy.pdf के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध है.*

ख. यदि किसी भी सिद्धांत के संबंध में क्रम संख्या 2 का उत्तर ‘ नहीं’ है तो कृपया कारण बताएं: (2 विकल्पों तक टिक करें)

संख्या	प्रश्न	पी7 के लिए नीति नहीं होने का कारण:
i.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	बैंक में पी7 के लिए कोई दस्तावेजीकृत नीति नहीं है. तथापि, यह हमेशा विनियामकों तथा नीति निर्माताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ा रहा है. बैंक विकास वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी रहा है तथा इसने भारत के वित्तीय ढांचे की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई है. इसके अलावा बैंक, बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों, वित्तीय समावेशन आदि के क्षेत्रों में सुधार के लिए नीति निर्माताओं से जुड़ा रहा है.
ii.	कंपनी ऐसे चरण में नहीं है जिसमें वह स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की स्थिति में पाए	
iii.	कंपनी के पास कार्य को पूरा करने के लिए वित्तीय या श्रमशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं	
iv.	यह कार्य अगले 6 माह के भीतर करने की योजना है	
v.	यह कार्य अगले 1 वर्ष के भीतर करने की योजना है	
vi.	अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)	

3. कारोबार दायित्व संबंधी अभिशासन

क.	**कंपनी के निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कंपनी के कारोबार दायित्व कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की बारंबारता का उल्लेख करें. 3 माह के भीतर, 3-6 माह, वार्षिक रुप से, 1 वर्ष से अधिक.**	बैंक का कारोबार दायित्व कार्यनिष्पादन बोर्ड के समक्ष वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.
ख.	**क्या कंपनी कारोबार दायित्व या निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया गया है?**	हाँ. बैंक कारोबार दायित्व रिपोर्ट प्रकाशित करता है. कारोबार दायित्व रिपोर्ट www.idbibank.in पर देखी जा सकती है. यह रिपोर्ट बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रुप में वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जा रही है.

खंड ङ: सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : कारोबार का संचालन और प्रबंधन अपने आप में आचार नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होना चाहिए

क. क्या आचार नीति, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है? हाँ/नहीं. क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर लागू होती है?

जहां तक ? रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अन्य सतर्कता मामलों का संबंध है, आपका बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी नीति/दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है. मौजूदा सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की पांच (05) सहायक कंपनियों में भी सतर्कता सेटअप स्थापित किया गया है. इस तरह के सेटअप में बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को डॉटेड लाइन रिपोर्टिंग के साथ संबंधित सहायक कंपनी के प्रमुख को सीधे रिपोर्टिंग होती है.

ख. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक रूप से समाधान किया गया है? यदि ऐसा है तो करीब 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.

वर्ष 2020-21 के दौरान, सतर्कता विभाग को 100 शिकायतें प्राप्त हुईं. इन सभी शिकायतों की जांच/छानबीन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता की दृष्टि से की गई और सीवीओ की सहमति से 75 शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया. इसलिए वर्ष 2020-21 के दौरान 75% प्राप्त शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया.

वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने कुल 74,348 ग्राहक शिकायतों पर कार्रवाई की. इनमें से 74,036 ग्राहक शिकायतें वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त हुई थीं और 285 शिकायतें वर्ष 2019-20 की थीं. यथा दिनांक 31 मार्च 2021 तक सभी शिकायतों में से 73,458 अर्थात् लगभग 99% शिकायतों का निवारण किया जा चुका था तथा 890 शिकायतें निपटान के लिए लंबित थीं. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित *'शिकायत निवारण नीति'* लागू की है जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निवारण के प्रति बैंक के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

वर्ष के दौरान बैंक को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में 7 (सात) शिकायतें प्राप्त हुईं जबकि 4(चार) पूर्व अवधि की शिकायतों का निस्तारण लंबित था. इन शिकायतों में संबंधित आंतरिक शिकायत समिति ने भाग लिया और 31 मार्च 2021 तक 4 (चार) शिकायतें निष्कर्ष के लिए लंबित थीं.

वर्ष अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान बैंक को प्राप्त निवेशकों की शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	विवरण	इक्विटी शेयर	फ्लेक्सी बॉण्ड	कुल
1.	वर्ष के आरंभ में निवेशकों की लंबित शिकायतें	1	1	2
2.	वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त शिकायतें	943	4,876	5,819
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई निवेशक शिकायतें	944	4,597	5,541
4.	निवेशकों की शिकायतें जिनका वर्ष की समाप्ति तक समाधान नहीं हो पाया	0	280	280

सिद्धांत 2 : कारोबार द्वारा ऐसे उत्पाद और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद हों

क. आपके 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनको तैयार करने में सामाजिक या पर्यावरण सरोकार, जोखिम और/या अवसरों का ध्यान रखा गया है.

एक कर्तव्यनिष्ठ कॉरपोरेट इकाई के रूप में आईडीबीआई बैंक अपने प्रस्तावों के ज़रिये विभिन्न अंशधारकों के कल्याण के लिए प्रयास करता है. बैंक द्वारा प्रस्तावित कुछ ऐसी पेशकश निम्न प्रकार हैं:

- बैंक ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद लॉकडाउन चरण के दौरान अपने सभी ग्राहकों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया। इसके लिए इसने निम्नलिखित उपाय किए:
    - बैंक की अधिकांश शाखाएं देशव्यापी तालाबंदी के दौरान निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए समावेशन क्षेत्रों को छोड़कर या जहां स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे, सामान्य रूप से (सामाजिक दूरी और स्वच्छता मानदंडों का पालन करते हुए) काम कर रही थीं,
    - इस अवधि में वित्तीय बोझ को कम करने और जमाकर्ताओं को नकदी निकालने के लिए यात्रा की गई लागत और दूरी के संदर्भ में राहत प्रदान करने के लिए, बैंक ने न्यूनतम शेष शुल्क माफ कर दिया और अपने और अन्य बैंक एटीएम से निर्दिष्ट संख्या में मुफ्त नकद निकासी की पेशकश की.
    - इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों (70 वर्ष से अधिक आयु) और अलग रूप से सक्षम व्यक्तियों की सुविधा के लिए, बैंक ने इस अवधि के दौरान निःशुल्क डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की.
    - बैंक ने आरबीआई द्वारा कोविड-19 राहत उपायों के जवाब में उन ग्राहकों को छोड़कर, जिन्होंने विशेष रूप से अधिस्थगन राहत का विकल्प चुना था. सभी पात्र खुदरा संपत्ति ग्राहकों के लिए ईएमआई अधिस्थगन राहत प्रदान की थी.
    - बैंक ने उन सभी पात्र खुदरा परिसंपत्ति ग्राहकों के लिए आरबीआई समाधान फ्रेमवर्क / एकबारगी पुनर्रचना योजना के तहत अपने ईएमआई भुगतानों को पुनर्निर्धारित / पुनर्निर्धारित करने की सुविधा प्रदान की, जिनके नकदी प्रवाह कोविड-19 आर्थिक गिरावट के कारण प्रभावित हुए थे.
    - इन उत्पादों/योजनाओं के लिए बैंक ने 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक देय ब्याज को उन उधारकर्ताओं के लिए वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया है, जिन्होंने उधारकर्ताओं पर दबाव को कम करने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिस्थगन का विकल्प चुना था.
    - कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित व्यावसायिक इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए, बैंक ने एमएसएमई/मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए सरकार की गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) योजना लागू की, जो कि 29 फरवरी 2020 तक संयुक्त बकाया के 20% अतिरिक्त सुविधा के लिए 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है. यह योजना 'जीईसीएल' योजना के तहत स्वीकृत सभी ऋणों के लिए ₹ 3 लाख करोड़ राशि की जारी की गई गारंटी तक लागू है और 30 सितंबर 2021 तक ऋण राशि का वितरण किया जाता है.
    - स्ट्रीट वेंडर को कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन के कारण उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए और उनके व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने सरकारी योजना के अनुरूप, स्ट्रीट वेंडर्स को ₹ 10,000 तक का किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक नया उत्पाद अर्थात पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) लॉन्च किया.
    - बैंक ने एमएसएमई मंत्रालय के दबावग्रस्त एमएसएमई (सीजीएसएसडी) के लिए अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू की, जिसका उद्देश्य पात्र दबावग्रस्त एमएसएमई उधारकर्ताओं को बैंकों द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में गारंटी प्रदान करना है. इस योजना का उद्देश्य बैंकों के माध्यम से दबावग्रस्त एमएसएमई के प्रमोटरों को दबावग्रस्त एमएसएमई अग्रिमों के पुनर्गठन के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र व्यवसायों में इक्विटी/अर्ध-इक्विटी के रूप में निवेश के लिए व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना है. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, गारंटी कवरेज का 90% योजना/ट्रस्ट से और शेष 10% संबंधित प्रमोटर से आएगा.

- बैंक नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) के तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए विशेष ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करता है. बैंक अधिकतम पांच साल के लिए ₹ 25 लाख प्रति उधारकर्ता ब्याज की रियायती दर पर प्रदान करता है.
- बैंक आर्थिक रूप से कमजोर और अभावग्रस्त वर्गों की महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) / संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों, आदि को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है.
- घरेलू और कृषि बिजली आवश्यकता में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बैंक ने 'आईडीबीआई सूर्य शक्ति' नामक एक उत्पाद प्रस्तुत किया है जिसके तहत ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तियों, किसानों, एसएचजी, आदि को सौर जल हीटर, सौर प्रकाश प्रणाली और सौर जल पंपों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. बैंक छतों पर सौर पीवी स्थापित करने के लिए आवश्यक उपकरणों के अधिग्रहण की लागत को गृह ऋण के तहत वित्तपोषण के उद्देश्य से घर/आवास इकाई की कुल लागत में शामिल करने की अनुमति देता है.
- स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, आपका बैंक इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए रियायती मूल्य प्रदान करता है.
- सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा के अनुरुप, आपके बैंक ने फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण के लिए एक नया उत्पाद अर्थात, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) लॉन्च किया है.
- आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अनुरूप, बैंक ने कृषि में दीर्घकालिक संपत्ति के वित्त पोषण निर्माण के लिए डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष उत्पाद पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) लॉन्च किया है.
- बैंक दिव्यांग आवेदकों, महिलाओं (विधवाओं, सिंगल कामकाजी महिलाओं को वरीयता देते हुए), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस / निम्न आय वर्ग), अनुसूचित जाति (अजा) / अनुसूचित जनजाति (अजजा) / अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) और ट्रांसजेंडर समुदाय के आवेदकों के लिए आवास ऋण आवेदनों की कार्रवाई में प्राथमिकता प्रदान करता है.
- महिला ग्राहकों को आवास इकाई खरीदने/निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, बैंक महिला गृह ऋण आवेदकों को ब्याज की रियायती दर पर ऋण प्रदान करता है.

ख. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए, उत्पादों की इकाई के अनुसार संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्योरे प्रदान करें (वैकल्पिक) :

i. मूल्य श्रृंखला तक पिछले वर्ष से प्राप्त किए गए सोर्सिंग/उत्पादन/ वितरण के दौरान प्राप्त गिरावट ?

ii. पिछले वर्ष से प्राप्त किए गए ग्राहकों (ऊर्जा, जल) द्वारा उपयोग के दौरान गिरावट ?

लागू नहीं

ग. क्या कंपनी के पास धारणीय स्रोत (परिवहन सहित) हेतु प्रक्रियाएँ है? ?

i. यदि हाँ तो स्रोतों में आपका कितना प्रतिशत धारणीय था? साथ ही, इस संबंध में 50 शब्दों या अधिक में ब्योरे प्रदान करें.

लागू नहीं.

घ. क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों, कार्यस्थल के आस-पास रहने वाले समुदायों को शामिल करते हुए से वस्तु तथा सेवाएं खरीदने हेतु कोई कदम उठाए हैं?

i. यदि हां, तो स्थानीय तथा छोटे वेंडरों की क्षमता तथा योग्यता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए?

लागू नहीं.

ङ क्या कंपनी के पास उत्पादों तथा रद्दी को पुन: प्रयोग करने हेतु प्रणाली है? यदि हाँ तो उत्पादों तथा रद्दी के पुन: प्रयोग का क्या प्रतिशत है (अलग से <5%,5-10%,>10%). साथ ही, इस संबंध में 50 शब्दों या अधिक में ब्योरे प्रदान करें.

लागू नहीं.

सिद्धांत 3 : कारोबार सभी कर्मचारियों के लिए हितकारी होना चाहिए

क. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ (31 मार्च 2021 के अनुसार)

31 मार्च 2021 तक बैंक के कुल कर्मचारी की संख्या 17,319 थी. इनमें अधिकारी संवर्ग में बैंक में संविदा रोजगार पर 8 कर्मचारी तथा संविदा पर 942 एग्जीक्यूटिव शामिल हैं.

ख. कृपया अस्थाई/ संविदा / अनियत आधार पर काम पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएँ (31 मार्च 2021 के अनुसार)

संविदा आधार पर 8 अधिकारियों तथा 942 एग्जीक्यूटिव सहित कुल 950 कर्मचारियों को काम पर रखा गया था.

ग. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ (31 मार्च 2021 के अनुसार)

बैंक में कुल 5,050 स्थायी महिला कर्मचारी कार्यरत थीं.

घ. कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ (31 मार्च 2021 के अनुसार)

बैंक में कुल 390 दिव्यांग स्थायी कर्मचारी थे.

ङ. क्या आपके पास कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?

प्रथा के अनुसार बैंक ने किसी भी कर्मचारी सगठन/ संघ को मान्यता प्राप्त संघ का दर्जा नहीं दिया है.

च. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्यों में आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है?

उपरोक्त 3 (ड़) के अनुसार लागू नहीं.

छ. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में तथा पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएँ.

क्रम संख्या	श्रेणी	2021-21 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	2021-21 के अंत तक लंबित पड़ी शिकायतों की संख्या
i.	बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
ii.	यौन उत्पीड़न	7	4
iii.	भेद-भावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

ज. आपके द्वारा नीचे दिये गए कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष में सुरक्षा तथा कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया?

क्रम सं.	श्रेणी	कर्मचारियों का प्रतिशत
i.	स्थायी कर्मचारी	88.10%
ii.	स्थायी महिला कर्मचारी	88.83%
iii.	अनियमित/अस्थायी/संविदागत कर्मचारी	97.39%
iv.	शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारी	79.67%

सिद्धांत 4: कारोबार को सभी अंशधारकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और विशेष रूप से उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जो सुविधाहीन, कमजोर तथा हाशिए पर हैं.

क. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को मैप किया है? हाँ/ नहीं

हाँ.

ख. उपर्युक्त में से कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और हाशिए पर हितधारकों की पहचान की है?

हाँ.

ग. क्या कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और हाशिए के हितधारकों से संबद्ध कोई विशेष पहल की है यदि हाँ, तो उनके बारे में करीब 50 शब्दों में ब्योरा दें.

बैंक जहां सभी ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, वही, बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि विशेष रूप से सक्षम ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों, निरक्षर व्यक्तियों और पेंशनभोगियों जैसे विशेष ग्राहकों की शिकायतों पर प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जाती है. इस पहलू को बैंक की शिकायत निवारण नीति में भी शामिल किया गया है. बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और निःशक्त ग्राहकों के लिए घर-घर बैंकिंग के संबंध में एक नीति भी बनाई है.

भारत सरकार की मौजूदा आरक्षण नीति का बैंक पूरी तरह अनुपालन करता है. बैंक ने अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी)/ शारीरिक रूप से दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) कर्मचारियों के लिए महा प्रबंधक और उप महा प्रबंधक रैंक के मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) और अंचल संपर्क अधिकारियों (जेडएलओ) को नियुक्त किया है, जो आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन और उनकी शिकायतों के प्रभावी निवारण को सुनिश्चित करते हैं. सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा) और अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) के लिए आरक्षण पंजिका और पीडब्ल्यूडी के लिए अलग रोस्टर रखता है. बैंक ने दृष्टिबाधितों के लिए कंप्यूटर में 'जेएडब्ल्यूएस' सॉफ्टवेयर स्थापित किया है ताकि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें. बैंक जहां भी संभव हो, पीडबल्यूडी के कर्मचारियों के लिए आसान पहुँच और बाधा मुक्त वातावरण प्रदान कर रहा है.

सिद्धांत 5: कारोबार को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

क. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर भी लागू होती है?

बैंक की मानवाधिकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित करने वाली विभिन्न नीतियाँ हैं. यह नीतियाँ केवल बैंक के परिचालन पर लागू होती हैं तथा सहायक संस्थाओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, एनजीओ आदि पर लागू नहीं होती हैं.

बैंक मानवाधिकारों पर लागू सभी दिशानिर्देशों का पालन करता है.

ख. पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया?

हितधारकों की शिकायतों के लिए कृपया सिद्धांत 1 के अंतर्गत बिंदु ख का जवाब देखें.

सिद्धांत 6: कारोबार को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए तथा इसमें सुधार का प्रयास करना चाहिए

क. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर भी लागू होती है?

बैंक ई-अपशिष्ट प्रबंधन, कागजरहित इको-फ्रेंडली तकनीक के प्रयोग, ऊर्जा संरक्षण आदि जैसे उपायों को लागू कर पर्यावरण का ध्यान रखता है, इसकी रक्षा करता है और इसमें सुधार के प्रयास करता है. साथ ही, बैंक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी और 1 मई 2012 से प्रभावी ई-अपशिष्ट (प्रबंधन तथा निपटान) नियमावली, 2011 का भी पालन कर रहा है. बैंक की ई-वेस्ट प्रबंधन नीति उपर्युक्त सिद्धांत 6 के संबंध में वेंडरों पर भी लागू होती है.

ख. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरण संबंधी मुद्दों के निपटान के लिए रणनीतियाँ/ पहल कार्य हैं? हाँ/ नहीं. यदि हाँ तो कृपया वेबपेज आदि का हाइपर लिंक बताएं.

बैंक ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई पहल की हैं. इस संबंध में बैंक द्वारा की गयी कुछ पहल निम्नलिखित हैं:

- <u>बिजली संरक्षण</u>: मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय में और साथ ही साथ बैंक के अन्य सभी कार्यालय और आवासीय भवनों में बिजली की खपत को बचाने के लिए पारंपरिक बिजली उपकरणों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट फिक्स्चर / लैंप / ट्यूब से बदल दिया गया है. बैंक की शाखाओं में नए साइनेज पारंपरिक बिजली की खपत करने वाले पारंपरिक बिजली उपकरणों के स्थान पर एलईडी रोशनी से सुसज्जित किए जा रहे है. इसके अलावा, सभी नई या नवीनीकृत शाखाओं के लिए पारंपरिक फ्लोरोसेंट/पीएल लैंप के स्थान पर एलईडी लाइटों का उपयोग किया जा रहा है. बैंक के नए कार्यालय भवन के साथ-साथ नई दिल्ली में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा विकसित आवासीय भवनों और जवाहरलाल नेहरू बैंकिंग और वित्त संस्थान (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडबल्यूडी) द्वारा विकसित नए आवासीय भवनों में सामान्य प्रकाश व्यवस्था, पंप आदि के लिए सौर पैनल स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा, नए कार्यालय परिसर की साज-सज्जा के लिए एलईडी लाइट फिक्स्चर पर विचार किया गया है.
- <u>अपशिष्ट उपचार</u>: आपके बैंक ने स्वच्छ भारत पहल के रूप में मेकर कुंदन गार्डन, जुहू स्थित अपने स्टाफ क्वार्टर में गैर-खतरनाक गीला अपशिष्ट उपचार और निपटान प्रणाली स्थापित की है. आवासीय क्वार्टर प्रति माह 7.5 टन गीला कचरा उत्पन्न करता है, जिसे पहले बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की कचरा संग्रहण एजेंसी के माध्यम से निपटाया जाता था. स्थापित नई प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल है, जो एरोबिक प्रक्रिया के माध्यम से 45 दिनों में प्राकृतिक रूप से गीले कचरे को खाद बनाती है. उपकरण में संग्रह और डिवाटरिंग डिब्बे, अपशिष्ट टम्बलर और गार्डन एक्यूम्युलेटर्स होते हैं. बिजली की खपत प्रति माह 1 केडबल्यूएच से कम है और इसमें 300 वर्ग फुट की जगह लगती है. इससे उत्पन्न खाद का उपयोग परिसर में बगीचे में खाद के रूप में किया जाता है. बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) के अधिकारियों ने इस सुविधा का निरीक्षण करते हुए बैंक के प्रयासों की सराहना की. इस प्रणाली को विभिन्न विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा उनकी शैक्षिक परियोजना के रूप में एक केस स्टडी के रूप में भी लिया गया है.
- <u>जल संरक्षण के उपाय</u>: जेएनआईबीएफ, हैदराबाद में बैंक के आवासीय परिसर में जल संचयन की सुविधा प्रदान की गई है. मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी वाशरूम को जल संरक्षण के लिए सेंसर-आधारित नल और मूत्रालय फ्लश वाल्व लगाने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है.
- <u>कागज़ के प्रयोग में कमी</u>: बैंक ने अपनी कई कारोबारी प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया है. बैंक ने अपने अधिकांश स्टाफ संबंधित कार्यों को स्वचालित कर दिया है जिनमें वेतन, लाभ, दावों का भुगतान, उपस्थिति दर्ज करना, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और कई अन्य प्रशिक्षण सामग्री आदि शामिल हैं. बैंक ने अपनी सभी शाखाओं / कार्यालयों को उधारकर्ताओं, विक्रेताओं आदि को केवल खाते/आरटीजीएस/एनईएफटी में क्रेडिट के माध्यम से ऋण का वितरण भुगतान करने का भी निर्देश दिया है. इसके अलावा बैंक कागज़ की खपत को हर संभव कम करने के लिए कागज़ रहित बैठकें आयोजित करता है. जहां भी संभव है बैंक आंतरिक संप्रेषण (अनुमोदन, परिपत्र आदि), ग्राहक के साथ बाह्य संप्रेषण (खाते की मासिक विवरणी, ई-मेलर आदि), शेयरधारक (वार्षिक रिपोर्ट), विनियामकों, सरकारों आदि के लिए कागज़ आधारित मीडिया के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग कर रहा है. बैंक ने 'ग्रीन पिन' सुविधा के माध्यम से डेबिट कार्ड पिन जनरेशन की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिसमें ग्राहक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम), मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन या इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके अपना पिन जनरेट कर सकते हैं. इसी तरह, बैंक ने खुदरा ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए पासवर्ड की छपाई भी बंद कर दी है और अब ग्राहक को पासवर्ड ऑनलाइन जेनरेट करने की अनुमति दी जाती है. बैंक ने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के लिए एसएमएस आधारित तत्काल पंजीकरण सुविधा को सक्षम किया है. भौतिक पासबुक की आवश्यकता को समाप्त करते हुए, बैंक के पास एक मोबाइल एप्लिकेशन अर्थात् एमपासबुक है, जो ग्राहकों को अपने खाते के विवरण को डिजिटल रूप से जांचने की अनुमति देता है. बैंक ने ऑनलाइन लेनदेन के लिए तीनों कार्ड वीज़ा, मास्टरकार्ड और रुपे जारी करने वाले नेटवर्कों पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है. बैंक सावधि/आवर्ती जमाओं की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है और साथ ही मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है. इसके अलावा, बैंक व्यापारिक प्रतिष्ठान में डिजिटल पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) को भी बढ़ावा दे रहा है, जो पूरी तरह से डिजिटल लेनदेन है. बैंक एक स्वचालित ऋण प्रसंस्करण प्रणाली के तहत खुदरा ऋण आवेदनों को संसाधित करता है, जिससे कागज का उपयोग काफी हद तक कम हो जाता है.
- <u>ई-वेस्ट प्रबंधन</u>: पुराने आईटी उपकरणों के निपटान से संभावित पर्यावरणीय जोखिम को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने बोर्ड-अनुमोदित ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का दस्तावेजीकरण किया और उसे लागू किया है और पुराने आईटी उपकरणों के सुरक्षित निपटान हेतु वेंडरों को नियुक्त किया है.
- <u>सर्वर का आभासीकरण</u>: डाटा केंद्र में सर्वर के फुटप्रिंट कम करने के लिए बैंक ने सर्वर वर्च्युलाइजेशन मैकेनिज्म लागू किया है जिसके माध्यम से वर्च्युलाइज्ड पर्यावरण में एप्लिकेशन को रख कर कई भौतिक सर्वरों में काफी कमी की गई है. जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की खपत और ऊष्मा के उत्सर्जन में कमी हुई है.

- सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना: अक्षय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, बैंक आवास ऋणों के वित्तपोषण के लिए छतों पर सौर पीवी स्थापित करने के लिए उपकरण खरीदने की लागत को शामिल करने की अनुमति देता है.

  इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 में, बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए रिमोट वर्किंग को प्रभावी बनाते हुए वर्क फ्रॉम होम के निर्देश जारी किए. यद्यपि इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करना था, लेकिन बैंक द्वारा बिजली की खपत / ईंधन / कागज की खपत आदि जैसे किए गए उपायों का पर्यावरणीय बोझ को कम करने में अप्रत्यक्ष लेकिन पर्याप्त प्रभाव रहा.

  बैंक द्वारा की गयी कई पहल बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट में दर्शाई गयी हैं. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट को https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp. https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp पर देखा जा सकता है.

ग. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान तथा आकलन करती है? हाँ/ नहीं.

हाँ. पर्यावरणीय जोखिम आकलन बैंक की ऋण मूल्यांकन प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है. मौजूदा ऋण जोखिम निगरानी नीति मंजूरी पत्र में उपयुक्त शर्तों का निर्धारण कर व्यापक रूप से यह सुनिश्चित करती है कि सभी सहायताप्राप्त ग्राहक स्थायी आधार पर पर्यावरण संबंधी सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विनियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करें.

हाँ, बैंक के पास सुव्यवस्थित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नीति है जिसका कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन किया जाता है.

घ. क्या कंपनी के पास स्वच्छता विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें. साथ ही, यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?

बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान इस संबंध में कोई नई पहल नहीं की गई.

ङ. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हाँ/नहीं. यदि हाँ, कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपर लिंक प्रदान करें.

बैंक द्वारा की गई पहलों के लिए कृपया सिद्धांत 6 के अंतर्गत बिंदु ख का उत्तर देखें.

च. क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/ अपशिष्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं?

सेवा क्षेत्र में होने के कारण बैंक के परिचालनों से न्यूनतम उत्सर्जन/ अपशिष्ट उत्सर्जित होता है.

छ. सीपीसीबी/ एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/ कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित (अर्थात् जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है) हैं.

शून्य.

सिद्धांत 7: जब कारोबार जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें यह जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए.

क. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और मंडल (चैम्बर) अथवा संघ की सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल वे मुख्य नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार किया जाता है:

हाँ. कुछ संस्थाएं/ संघ जिनका आईडीबीआई बैंक सदस्य है, निम्नानुसार हैं:

- भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
- भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)

- राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)
- एसोसिएशन ऑफ डेवेलवपमेंट फाइनेंसिंग इन्स्टीट्यूशन्स इन एशिया एंड पेसेफिक (एडीएफ़आईएपी)
- एसोसिएट चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम)
- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)

ख. क्या आपने सार्वजनिक प्रगति के लिए अथवा सुधार के लिए उपरोक्त संघों के ज़रिये हिमायत/ लॉबी की है? हाँ/ नहीं; यदि हाँ तो प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्स: अभिशासन तथा प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय कारोबार सिद्धांत, आदि)

बैंक, बैंकिंग, वित्तीय समावेशन आदि के क्षेत्रों में सुधार हेतु हमेशा से विनियामकों तथा नीति निर्माताओं और उद्योग निकायों जैसे कि आईबीए के साथ जिम्मेदारीपूर्वक कार्यरत है.

सिद्धांत 8: कारोबार को समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास में सहयोगी होना चाहिए

ग. क्या सिद्धांत 8 के संबंध में नीति के अनुसार कंपनी के पास कोई निर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहल-कार्य/ परियोजना है. यदि हाँ, तो उनके ब्योरे.

बैंक ने वित्तीय समावेशन के एजेंडा को बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी की है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंक ने कुछ कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत ₹ 327 करोड़ के जमा आधार के साथ 8.45 लाख से अधिक बेसिक सेविंग्स बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले गए.
- 14.20 लाख से अधिक बैंक खाताधारकों को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत नामांकित किया गया.
- 6.90 लाख से अधिक बैंक खाताधारकों को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत नामांकित किया गया.
- 3.25 लाख से अधिक बैंक खाताधारकों को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत नामांकित किया गया.
- 250 से अधिक बैंक रहित उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) को आईसीटी- समर्थित कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के ज़रिये मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गईं.
- बैंक ने संपूर्ण भारत में 192 आधार नामांकन केंद्र स्थापित किए.
- विभिन्न बैंकिंग उत्पादों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरुकता लाने और प्रसार करने के लिए, बैंक की ग्रामीण शाखाएँ अपने सेवा क्षेत्रों में महीने में कम से कम एक बार आउटडोर वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करती हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 500 से अधिक शिविर आयोजित किए गए थे जिनमें लगभग 6,800 ग्रामीणों ने भाग लिया था. वित्तीय साक्षारता कार्यक्रमों में ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए ग्राहकों की पात्रता, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), कृषि ऋण, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई आदि के तहत उपलब्ध लाभ जैसे सामान्य हित के विषयों को शामिल किया गया.

ख. क्या कार्यक्रम/ परियोजनाएं आंतरिक टीम/ अपने फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी संस्थाओं/ अन्य किसी संगठन के माध्यम से चलाई जाती हैं?

आंतरिक टीम द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चलाये जाते हैं जिनके लिए बाहरी एजेंसियों का सहयोग विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के प्रावधान और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) केंद्रों के कार्मिकों के लिए लिया जाता है. बैंक द्वारा आयोजित नुक्कड़ नाटक पेशेवर मंडली जैसे मेसर्स रंगधुन कलामंच (नागपुर) के माध्यम से आयोजित किए गए थे.

ग. क्या आपने अपने पहल-कार्यों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?

पीएमजेडीवाई खाते खोलने, जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना और मुद्रा के तहत ऋण प्रदान करने से बैंक और नीति निर्माताओं को वंचित लोगों को औपचारिक रूप से वित्तीय मुख्यधारा में शामिल करने में मदद मिली है. बैंक की सातारा जिले में स्थित ग्रामीण स्वः रोजगार प्रशिक्षण संस्था (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) ने अपनी शुरूआत से 6,506 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है जिनमें से 4,744 अभ्यर्थियों के सुस्थापित होने की रिपोर्ट है. जैसाकि बिन्दु 8(क) में कहा गया है बैंक द्वारा उठाए गए इन पहल-कार्यों ने समावेशी प्रगति और साम्यिक विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद की है.

घ. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - भारतीय रुपये में राशि तथा चालू परियोजनाओं का विवरण?

बर्ष के दौरान बाहरी गतिविधि पर कोई खर्च नहीं किया गया.

ङ. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएँ हैं कि समुदाय द्वारा सामुदायिक विकास के इन पहल-कार्यों को सफलतापूर्वक अपना लिया गया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें.

बैंक ने स्थानीय बोली में सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए, जिन्हें ग्रामीणों ने उत्साह से देखा और इनका समर्थन किया.

सिद्धांत 9: कारोबार को जिम्मेदारीपूर्वक अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना तथा उनका मूल्यवर्धन करने वाला होना चाहिए

क. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता मामले लंबित हैं?

कुल जितनी शिकायतों पर कार्रवाई की गई उनमें से 31 मार्च 2021 तक लगभग 1% अर्थात् 890 शिकायतें लंबित थीं.

ख. क्या कंपनी स्थानीय कानून के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है. हाँ/ नहीं/ लागू नहीं/ टिप्पणियाँ (अतिरिक्त जानकारी)

लागू नहीं

ग. क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार परिपाटियों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/ या प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के लिए हितधारकों द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है तथा जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित है. यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.

शून्य

घ. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि रुझान सर्वेक्षण किया है?

बैंक वार्षिक आधार पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करता है. सर्वेक्षण के निष्कर्षों को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) के समक्ष रखा जाता है. इसके अलावा, बैंक शाखा स्तर ग्राहक सेवा समिति (बीएलसीएससी) की मासिक बैठकों के माध्यम से शाखाओं में सेवा की गुणवत्ता पर ग्राहकों से प्रतिक्रिया भी एकत्र करता है, जिसमें पर समाज के विभिन्न वर्गों के ग्राहकों को आमंत्रित किया जाता है. प्राप्त अंतर्दृष्टि / प्रतिक्रिया का उपयोग ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं में सुधार के लिए किया जाता है.

Business Responsibility Report

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	**Corporate Identity Number (CIN) of the Company**	L65190MH2004GOI148838
2.	**Name of the Company**	IDBI Bank Ltd.
3.	**Registered address**	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade - 400005
4.	**Website**	www.idbibank.in
5.	**E-mail id**	idbiequity@idbi.co.in
6.	**Financial Year reported**	2020-21
7.	**Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)**	Code: 64191 IDBI Bank is a banking company governed by the Banking Regulation Act, 1949.
8.	**List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)**	1. Retail Banking 2. Corporate/ Wholesale Banking 3. Treasury Operations
9.	**Total number of locations where business activity is undertaken by the Company** **a. Number of International Locations (Provide details of major 5)** **b. Number of National Locations**	As on March 31, 2021, the Bank had 1,886 branches, out of which: a. One was an overseas branch located at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and one was an International Banking Unit (IBU) located at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gujarat, India. b. Pan-India presence in 777 cities with 1,884 domestic branches.
10.	**Markets served by the Company – Local/State/ National/International**	The Bank serves customers in all locations where it has presence.

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1.	**Paid up Capital (INR)**	₹ 10,752.40 crore
2.	**Total Turnover (INR)**	₹ 24,556.93 crore
3.	**Total profit after taxes (INR)**	₹ 1,359.46 crore
4.	**Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)** NIL	
5.	**List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-** NIL	

SECTION C: OTHER DETAILS

1.	**Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?** Yes. The Bank has five domestic subsidiaries, namely, IDBI Capital Markets & Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Co. Ltd., IDBI Intech Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd.
2.	**Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)** No.
3.	**Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]** Not applicable.

SECTION D: BR INFORMATION

1. **Details of Director/Directors responsible for BR**

a.	**Details of the Director/ Director responsible for implementation of the BR policy/ policies**	
	DIN Number	03022106
	Name	Shri Suresh Khatanhar
	Designation	Deputy Managing Director
b.	**Details of the BR head**	
	Name	Dr. Saumya Sankar Banerjee
	Designation	Executive Director
	Tel. No.	+91-22-22155748
	Email ID	ss.banerjee@idbi.co.in

2. **Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies**

a. **Details of compliance (Reply in Y/N)**

No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
i.*	Do you have a policy/ policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
ii.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
iii.**	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
iv.	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y

Business Responsibility Report

v.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
vi.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y$	Y#
vii.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
viii.	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
ix.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
x.	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	The heads of various departments are responsible for effective implementation of the policies. The Compliance Department monitors the adherence to implementation of policies mandated by the RBI.								

Note:

* *The various policies of the Bank, which are formally put in place, govern different functions of the Bank directly or indirectly.*

** *The policies of the Bank are in conformity with guidelines issued by regulatory and statutory bodies and therefore conform to national standards.*

$ *Link to CSR Policy - https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy-2021.pdf*

\# *The policies of the Bank viz. Customer Rights Policy, Grievance Redressal Policy, Citizens Charter and the Banking Codes & Standards Board of India (BCSBI) codes are available for public viewing under Customer Education through this link: https://www.idbibank.in/customer-care-centre.asp*

b. If answer to the question at serial number 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

No.	Questions	Reason for not having a policy for P7:
i.	The company has not understood the Principles	The Bank does not have a documented policy for Principle 7. However, it has always been associated with the regulators and policymakers in a responsible manner. The Bank has been a pioneer in the area of development financing and has taken a lead role in setting up the financial architecture of India. Besides, the Bank has been associated with the policymakers for improvement in various areas of banking, financial inclusion etc.
ii.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles	
iii.	The company does not have financial or manpower resources available for the task	
iv.	It is planned to be done within next 6 months	
v.	It is planned to be done within the next 1 year	
vi.	Any other reason (please specify)	

3. Governance related to BR

a.	**Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year**	The BR performance of the Bank is submitted on an annual basis to the Board.
b.	**Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently is it published?**	Yes, the Bank publishes a Business Responsibility (BR) Report. The BR Report can be viewed at www.idbibank.in. This report is being published annually and is a part of the Bank's Annual Report.

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

a. **Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs /Others?**

As far as bribery, corruption and other vigilance matters are concerned, your Bank is governed by the policy/ guidelines issued by the Central Vigilance Commission (CVC). In terms of the extant CVC guidelines, vigilance setup has also been established in the Bank's five (05) subsidiaries. Such setup has direct reporting to the head of the concerned subsidiary, with dotted line reporting to the Chief Vigilance Officer (CVO) of the Bank.

b. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

During FY 2020-21, 100 complaints were received by the Bank's Vigilance Department. All these complaints were examined/ investigated for vigilance overtones through various authorities and 75 complaints were resolved satisfactorily. Hence, 75% of the complaints received during FY 2020-21 have been satisfactorily resolved.

The Bank handled a total of 74,348 customer complaints in FY 2020-21. Out of these, 74,063 customer complaints were received during FY 2020-21 and 285 complaints were brought forward from FY 2019-20. About 99% i.e. 73,458 complaints out of the total complaints handled were resolved and 890 complaints were pending as on March 31, 2021. The Bank has in place a Board-approved *'Grievance Redressal Policy'* which outlines the Bank's approach and commitment to complaint resolution within specified timelines.

During the year, your Bank received 7 (seven) complaints regarding sexual harassment of women at workplace while 4 (four) complaints of prior period were pending for conclusion. These complaints were attended to by the respective Internal Complaints Committee and as on March 31, 2021, 4 (four) complaints were pending for conclusion.

The details of investor complaints received by the Bank during the year April 2020 to March 2021 are as follows:

Particulars	Equity	Flexibonds	Total
No. of investor complaints pending at the beginning of the year	1	1	2
No. of investor complaints received during the year	943	4,876	5,819
No. of investor complaints disposed off during the year	944	4,597	5,541
No. of investor complaints remaining unresolved at the end of the year	0	280	280

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

a. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

As a conscientious corporate entity, IDBI Bank strives to ensure welfare of various stakeholders through its offerings. To name a few of the offerings, the Bank extended the following:

- The Bank endeavoured to safeguard the interests of all its customers during the lockdown phase following the outbreak of the COVID-19 pandemic. Towards this end, it undertook the following measures:

    - Most branches of the Bank were functioning normally (with due adherence to social distancing and hygiene norms), other than those in Containment Areas or where restrictions were placed by Local Authorities, to provide uninterrupted service during the nation-wide lockdown.

    - With a view to reducing the financial burden in the period and providing relief to the depositors in terms of cost and distance travelled to withdraw cash, the Bank waived minimum balance charges and offered a stipulated number of free cash withdrawal from its own and other bank ATMs.

    - Further, for the convenience of senior citizens (above the age of 70) and differently-abled persons, the Bank offered Doorstep Banking facility free of charge during the period.

    - The Bank had provided EMI moratorium relief for all eligible retail asset customers in response to the COVID-19 relief measures by the RBI, except for those customers who specifically opted out of the moratorium relief.

    - The Bank provided facility to reschedule/ recast EMI payments under the RBI resolution framework/ One Time Restructuring scheme for all eligible retail asset customers, whose cash flows were affected due to the COVID-19 economic fallout.

    - The Bank also converted interest due from March 1, 2020 to August 31, 2020 to Funded Interest Term Loan for those borrowers who opted for moratorium as per the RBI guidelines to reduce stress on the borrowers.

    - To support business units severely impacted due to the COVID-19 pandemic, the Bank implemented the Government's Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) scheme for MSME/ Mudra borrowers which provides 100% guarantee coverage for additional facility up to 20% of combined outstanding as on February 29, 2020. The Scheme is applicable for all loans sanctioned under the GECL till guarantee amount of ₹ 3 lakh crore is issued and loan amount is disbursed by September 30, 2021.

    - In order to help street vendors overcome financial difficulties brought about by the lockdown on account of the COVID-19 outbreak and to ensure their business continuity, the Bank launched a new product, viz. PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi), in line with the Government scheme, for providing affordable loans of up to ₹ 10,000 to the street vendors.

    - The Bank implemented Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt for stressed MSMEs (CGSSD) of Ministry of MSME which is aimed at providing guarantee in respect of credit facilities extended by banks to eligible stressed MSME borrowers. The objective of this scheme is to provide personal loan through banks to the promoters of stressed MSMEs for infusion as equity/ quasi-equity in businesses eligible for restructuring as per the RBI guidelines for restructuring of stressed MSME advances. As per the scheme guidelines, 90% of the guarantee coverage would come from the Scheme/ Trust and the balance 10% from the concerned promoter.

- Under the schemes of National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC), the Bank extends need-based term loan to differently-abled individuals for self-employment. The Bank provides maximum ₹ 25 lakh per borrower for five years at a concessional rate of interest.
- The Bank provides micro loans to Self-Help Groups (SHGs)/ Joint Liability Groups (JLGs) to uplift women entrepreneurs from the economically weaker and underprivileged sections and to meet the funding requirements of small & marginal farmers, landless labourers, artisans, etc.
- In order to encourage utilisation of renewal energy in household and farm electricity requirement, the Bank offers a product, viz. IDBI Surya Shakti, under which financial assistance is provided for purchase of solar water heater, solar lighting system & solar water pumps to individuals, farmers, SHGs, etc. in rural, semi-urban and urban areas. The Bank also permits inclusion of cost of acquisition of equipment required to install solar photovoltaics (PVs) on the rooftops to the total cost of house/ dwelling unit for financing purpose under home loan.
- With a view to encouraging use of clean energy, your Bank offers concessional pricing for purchase of electric cars.
- In line with the National Agriculture Infra Financing Facility announced by the Government, your Bank has launched a new product, viz. Agriculture Infrastructure Fund (AIF) for long-term debt financing in viable projects relating to post-harvest management infrastructure and community farming assets.
- In line with the AatmaNirbhar Bharat Abhiyaan package, the Bank launched a special product Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) for incentivising investments in dairy processing and value addition infrastructure, meat processing and animal feed plant for building up of long-term assets in agriculture funding.
- The Bank gives preference to applicants such as Persons with Disabilities (PwDs), women (with overriding preference to widows, single working women), those belonging to Economically Weaker Section (EWS)/ Low Income Group (LIG), Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Other Backward Classes (OBCs), and transgenders in processing of home loan applications.
- With a view to encouraging women customers to purchase/ construct a dwelling unit, the Bank provides a concessional rate of interest to women home loan applicants.

---

b. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):

i. Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Not Applicable.

---

c. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable.

---

d. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

i. If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

Not Applicable.

---

e. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable.

Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees

a. **Please indicate the total number of employees (as on 31st March 2021).**

The total employee strength of the Bank stood at 17,319, including eight contractual employees in the Officer cadre and 942 Executives on contract basis, as on March 31, 2021.

b. **Please indicate the total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis (as on 31st March 2021).**

A total of 950 employees, including eight Officers and 942 Executives, were hired on contractual basis.

c. **Please indicate the number of permanent women employees (as on 31st March 2021).**

The Bank had 5,050 permanent women employees.

d. **Please indicate the number of permanent employees with disabilities (as on 31st March 2021).**

The Bank had 390 permanent employees with disabilities.

e. **Do you have an employee association that is recognised by management?**

As per practice, the Bank has not given recognised union status to any of the employees' unions/ associations.

f. **What percentage of your permanent employees are members of this recognised employee association?**

Not applicable in view of 3 (e) above.

g. **Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as at the end of the financial year.**

Sr. No.	Category	No. of complaints filed during 2020-21	No. of complaints pending as at end of 2020-21
i.	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL
ii.	Sexual harassment	7	4
iii.	Discriminatory employment	NIL	NIL

h. **What percentage of your under-mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?**

Sr. No.	Category	Percentage of Employees
i.	Permanent Employees	88.10%
ii.	Permanent Women Employees	88.83%
iii.	Casual/ Temporary/ Contractual Employees	97.39%
iv.	Employees with Disabilities	79.67%

Principle 4: Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalised.

a. **Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No**

Yes.

b. **Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalised stakeholders?**

Yes.

c. **Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

While the Bank is committed to providing excellent service to all customers, it also ensures that the grievances of special customers like differently-abled customers, senior citizens, persons who are not literate and pensioners are dealt with on priority. This aspect has also been incorporated in the Bank's Grievance Redressal Policy. The Bank also has in place a policy with regard to Doorstep Banking for senior citizens and differently-abled customers.

The Bank is fully compliant with the extant reservation policy of the Government. The Bank has appointed Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison officers (ZLOs), in the rank of General Manager and Deputy General Manager for Scheduled Castes (SCs) / Scheduled Tribes (STs)/ Persons with Disabilities (PWDs) and Other Backward Classes (OBCs) employees, who ensure compliance of various guidelines pertaining to reserved category employees and for effective redressal of their grievances. The Bank maintains reservation register for SCs, STs OBCs and separate roster for PWDs, as per the Government guidelines. The Bank has installed Job Access With Speech (JAWS) software in the computer for visually handicapped employees to enable them to discharge their duties efficiently. The Bank has been providing easy accessibility and barrier-free environment for the PWD employees wherever it is feasible.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

a. **Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/Others?**

The Bank has various policies protecting human rights, directly or indirectly. These policies cover only the Bank's operations and do not extend to its subsidiaries, suppliers, contractors, NGOs etc.

The Bank follows all applicable guidelines on human rights.

b. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?**

For stakeholder complaints, please refer response to Point b. under Principle 1.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

a. **Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/NGOs/others?**

The Bank respects, protects and makes efforts to restore the environment by implementing measures like E-Waste Management, use of paperless eco-friendly technology, conservation of energy, etc. The Bank is also following the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, effective from May 01, 2012, issued by Ministry of Environment and Forests, Government of India. The E-Waste Management Policy of the Bank also extends to the vendors with regard to Principle no. 6 referred above.

b. **Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc.? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.**

The Bank has undertaken several initiatives keeping in view the environmental concerns. Some of the initiatives taken by the Bank in this regard are as follows:

- Electricity Conservation: Conventional light fixtures have been replaced with energy efficient LED light fixtures/ lamps/ tubes to reduce power consumption at the Bank's Head Office in Mumbai as as well as all other office and residential buildings of the Bank. The new signages at the Bank's branches are being fitted with LED lights in place of conventional power consuming light fixtures. Besides, for all new or refurbished branches, LED lights are being used in place of conventional fluorescent/ PL lamps. Solar panels have been installed for common lighting, pumps etc. in the Bank's new office building as well as residential buildings developed by NBCC (India) Ltd. at New Delhi and new residential buildings at Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF), Hyderabad, developed by the Central Public Works Department (CPWD). Besides, LED light fixtures have been considered for furnishing of the new office premises.
- Waste Treatment: Your Bank has installed a non-hazardous wet waste treatment and disposal system at its staff quarters at Maker Kundan Gardens, Juhu as a Swachh Bharat initiative. The residential quarters generate wet waste of 7.5 tonnes per month, which used to be earlier disposed off through the Brihanmumbai Municipal Corporation's (BMC's) waste collecting agency. The new system installed is an environment-friendly one, which composts the wet waste naturally in 45 days through an aerobic process. The equipment consists of collection & dewatering bins, waste tumbles and garden accumulators. The power consumption is less than 1 KwH per month and area occupied is 300 sq. ft. of open area. The compost so generated is used in the garden within the premises as manure. BMC officials, on inspecting the facility, appreciated the Bank's effort and the system has been taken as a case study by many engineering students of different universities as their educational project.
- Water Conservation Measures: Water harvesting facility has been provided in the Bank's residential complex at JNIBF, Hyderabad. All the washrooms in the Bank's Head Office in Mumbai have been renovated to put in place sensor-based taps and urinal flush valves for water conservation.
- Reduced Usage of Paper: The Bank has automated many of its business processes. The Bank has automated most of its staff-related functions including payment of salary, benefits, claims, attendance marking, performance appraisal, and various types of training material, etc. The Bank has also directed all its branches/ offices to make payments to borrowers, vendors, etc. including disbursement of loans, through credit to the account/ RTGS/ NEFT only. Further, the Bank is conducting paperless meetings to the extent possible to reduce consumption of paper. A system-based approval system, viz. Approval and Control Report System (ACReS), has been introduced for select departments in the Bank. Wherever feasible, the Bank is using electronic media in place of paper-based media for internal communication (approvals, circulars, etc.), external communication with the customers (monthly statement of accounts, e-mailers, etc.), shareholders (Annual Reports), regulators, governments, etc. The Bank has digitalised the process of debit card PIN generation through the 'Green PIN' facility wherein customers can generate their PIN using Interactive Voice Response (IVR), Automated Teller Machines (ATMs), the Bank's mobile banking application or internet banking facility. Similarly, the Bank has also stopped printing of passwords for internet banking for retail customers and allows the customer to generate the password online. The Bank has enabled SMS-based instant registration facility for mobile and internet banking. Doing away with the requirement of a physical passbook, the Bank has a mobile application, viz. mPassbook, which allows customers to check their account statement digitally. The Bank has also launched virtual debit card on all three card issuance networks, viz. Visa, Mastercard and RuPay for online transactions. The Bank provides facility of online booking of fixed/ recurring deposits as also has enabled the facility of availing overdraft facility against the same through mobile/ internet banking. Further, the Bank is also promoting Digital Point-of-Sale (POS) at merchant establishments, which is completely digital form of transactions. The Bank processes retail loan applications under an automated loan processing system, which reduces usage of paper to a significant extent.
- E-Waste Management: In view of the potential environmental risks that may arise on disposal of obsolete IT equipment, the Bank has documented and implemented a Board-approved E-Waste Management Policy and has appointed vendors for safe disposal of obsolete IT equipment.

- Virtualisation of Servers: To reduce the server footprints in the data centres, the Bank has implemented a Server Virtualisation mechanism through which number of individual physical servers has been reduced considerably by moving the applications to virtualised environment. This has resulted in less consumption of power and reduced heat transmission.

- Promoting Usage of Solar Energy: In order to provide impetus to the usage of solar energy as an alternative source of renewable energy, the Bank allows inclusion of the cost of acquisition of equipment intended to install solar PVs on the rooftops for financing home loans.

Further, in FY 2020-21, the Bank effectively deployed remote working for its employees as per the Government advisory to permit Work from Home in the wake of the COVID-19 pandemic. While the main aim was to establish business continuity, the measures taken by the Bank also had an indirect but substantial effect of reducing the environmental burdens like electricity consumption/ fuel/ paper consumption etc.

Various initiatives taken by the Bank are outlined in Business Responsibility (BR) Report published by the Bank. The BR Report can be viewed at https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp

c. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

Yes. The environmental risk assessment forms an integral part of the Bank's credit appraisal system. Existing credit risk monitoring policy broadly ensures that all assisted clients continue to comply with the regulatory guidelines relating to sustainable environmental protection and pollution control by stipulating suitable conditions in the sanction letter.

Yes, the Bank has an E-Waste Management Policy in place which is followed scrupulously.

d. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

No new initiatives in this regard were taken by the Bank during FY 2020-21.

e. Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

For initiatives taken by the Bank, please refer response to Point b. under Principle 6.

f. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

Being in the services sector, the Bank's operations generate very minimal emissions/ waste.

g. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as at the end of Financial Year.

Nil.

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

a. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

Yes. Some of the institutions/ associations where IDBI Bank is a member are as follows:

- Indian Banks' Association (IBA)

- Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)

- National Institute of Bank Management (NIBM)
- Association of Development Financing Institutions in Asia & the Pacific (ADFIAP)
- Associated Chamber of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM)
- Confederation of Indian Industry (CII)

b. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

The Bank, being one of the leading banks in the country, has always been engaging with the regulators and policymakers and industry bodies such as the IBA, in a responsible manner for improvement in the areas of banking, financial inclusion etc.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

a. Does the company have specified programmes/ initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

The Bank has been proactively partnering with the policymakers towards furthering the agenda of financial inclusion. Towards this objective, the Bank has taken several measures, some of which are as follows:

- More than 8.45 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDAs) with a deposit base of more than ₹ 327 crore have been opened under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY).
- More than 14.20 lakh bank account holders have been enrolled under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY).
- More than 6.90 lakh bank account holders have been enrolled under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY).
- More than 3.25 lakh bank account holders have been enrolled under Atal Pension Yojana (APY).
- More than 250 unbanked Sub Service Areas (SSAs) have been provided with basic banking services through the ICT-enabled Business Correspondent (BC) Model.
- The Bank has established 192 Aadhaar Enrolment Centres pan-India.
- The Bank's rural branches conduct outdoor financial literacy camps at least once a month in their service areas to bring awareness and spread knowledge about various banking products and social security schemes. During FY 2020-21, more than 500 camps were held which were attended by about 6,800 villagers. The financial literacy programmes covered the topics of common interest like eligibility of customers for overdraft facility, Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), agricultural loans, benefits available under government sponsored schemes viz. PMJDY, PMSBY, PMJJBY, APY etc.

b. Are the programmes/ projects undertaken through in-house team/ own foundation/ external NGO/ government structures/ any other organisation?

The Bank's financial inclusion programmes are undertaken by its in-house team with help of an outsourced agency, particularly for provision of technology and personnel manning the Business Correspondent (BC) outlets.

c. **Have you done any impact assessment of your initiative?**

Opening of PMJDY accounts, extending social security schemes and loans under Mudra have helped the Bank and the policymakers in formally inducting the financially excluded individuals into the financial mainstream. The Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) at Satara district has trained 6,506 candidates since inception out of which 4,744 candidates have reported settled. The initiatives taken by the Bank, as stated in point 8 (a), have helped in furthering the objective of inclusive growth and equitable development.

d. **What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken?**

No expenses towards outdoor activities were incurred during the year.

e. **Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.**

Programmes were successfully conducted in local dialect and were enthusiastically viewed and supported by villagers.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

a. **What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as at the end of financial year?**

Out of the total complaints handled, about 1% i.e. 890 complaints were pending as on March 31, 2021.

b. **Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A./Remarks(additional information)**

Not Applicable.

c. **Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as at the end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

Nil.

d. **Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?**

The Bank conducts customer satisfaction survey on an annual basis. The findings of the survey are placed before the Customer Service Committee of the Board (CSCB). In addition to this, the Bank also collects feedback from customers on quality of service at branches, through monthly meetings of Branch Level Customer Service Committee (BLCSC), at which customers from cross sections of the society are invited. The insights/ feedback are used towards improvement of processes to enhance customer satisfaction.